सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11

बिहार सरकार

फरवरी 2011

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण

2010-11

फरवरी 2011

मुख्य मंत्री
बिहार

पटना

आमुख

नवंबर 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को पुनः राज्य की सेवा का जनादेश मिला है। जनता का मत वर्तमान सरकार के पक्ष में ही नहीं गया है, उसने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि बिहार में किसी भी सरकार के सामने अभी विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने की चुनौती है जिसका आरंभ वर्तमान सरकार ने 2005 में किया था। बिहारवासियों के लिए बांटने वाली राजनीति के दिन समाप्त हो गए हैं और समावेशी विकास का लक्ष्य अभी चिंता का एकमात्र विषय है।

सरकार के अंदर-बाहर से हुए ढेर सारे प्रयासों के कारण विगत पांच वर्षों में बिहार में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। राज्य सरकार द्वारा 2006-07 से प्रकाशित कराए जा रहे आर्थिक सर्वेक्षण उन विकास प्रयासों के सुदृढ़ीकरण के लिहाज से अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि वर्तमान सर्वेक्षण भी नीति-निर्माताओं तथा बिहार के विकास में रुचि रखने वाले अन्य तमाम लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा।

(नीतीश कुमार)

सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री तथा
वित्त मंत्री, बिहार

बिहार सरकार

पटना

प्रस्तावना

बिहार ऐतिहासिक रूप से कमजोर अधिसंरचना, अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर और कम आय वाला राज्य रहा है। उदारीकरण के बाद की अवधि में तो स्थिति और भी खराब हो गई थी। हालांकि राजग-1 सरकार के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था के सारे विकास विषयक सूचक ऊपर की दिशा में जाने लगे थे। बिहार का पुनर्निर्माण किया गया है और अब यह ठोस विकास पथ पर अग्रसर है। राजग-2 के अंतर्गत राज्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुसज्जित है और अपेक्षाकृत उच्च विकास पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए तैयार है।

हमलोग अवगत ही हैं कि कोई भी नीतिगत निर्णय जटिल और चुनौती भरा कार्य होता है और आशा है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण नीति-निर्माताओं को उन निर्णयों तक पहुंचने में अच्छा मददगार साबित होगा। आशा है कि सर्वेक्षण विद्वज्जनों, शोधकर्ताओं, विभिन्न विकास अभिकरणों और राज्य की विकास प्रवृत्ति में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा।

(सुशील कुमार मोदी)

विषय सूची

अध्याय :	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	तकनीकी शब्दावली एवं संक्षेप का शब्द-संग्रह	x-xi
	तालिका सूची एवं तालिका परिशिष्ट	xii-xxvii
	कार्यकारी सारांश	xxviii-xlvii
अध्याय 1 :	**वृहदावलोकन**	**1-29**
	1.1 राज्य घरेलू उत्पाद	2-11
	1.2 क्षेत्रीय विषमता	11-15
	1.3 थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	15-17
	1.4 अभिशासन	17-22
	1.5 आपदा प्रबंधन	23-27
	परिशिष्ट	**28-29**
अध्याय 2 :	**कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र**	**30-80**
	2.1 वर्षापात	31-34
	2.2 भूमि उपयोग पैटर्न	34-40
	2.3 उत्पादन और उत्पादकता	40-56
	2.4 सिंचाई	56-62
	2.5 कृषि लागत सामग्रियां	62-69
	2.6 कृषि ऋण	69-73
	2.7 पशुपालन	74-80
अध्याय 3 :	**उद्यम क्षेत्र**	**81-134**
	3.1 भूमिका	81-81
	3.2 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के परिणाम	82-83
	3.3 बड़े उद्योग	84-84
	3.4 अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम	84-90

	3.5	कृषि आधारित उद्योग	91–101
	3.6	गैर–कृषि आधारित उद्योग	101–107
	3.7	अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र में रुग्णता	107–108
	3.8	सहयोगदाता संस्थाए	109–114
	3.9	सूचना प्रौद्योगिकी	114–117
	3.10	निवेश योग्य वातावरण	117–118
	3.11	पर्यटन	118–122
	3.12	चुनौतियां और संभावनाएं	122–124
		परिशिष्ट	**125–134**
अध्याय 4 :		**भौतिक अधिसंरचना**	**135–195**
	4.1	भूमिका	135–135
	4.2	सड़क और पुल	135–144
	4.3	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	144–146
	4.4	पथ परिवहन	146–149
	4.5	विद्युत	149–159
	4.6	सिंचाई	160–164
	4.7	दूरसंचार	164–170
	4.8	डाकघर	170–173
	4.9	विमान सेवा	174–175
	4.10	शहरी अधिसंरचना	176–182
		परिशिष्ट	**183–195**
अध्याय 5 :		**सामाजिक क्षेत्र**	**196–322**
	5.1	साक्षरता और शिक्षा	197–218
	5.2	जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य	219–233
	5.3	श्रम, नियोजन और गरीबी	233–240
	5.4	सीमांत तबकों के लिए हस्तक्षेप	240–253
		परिशिष्ट	**254–322**

अध्याय 6 : बैंकिंग तथा सहवर्ती क्षेत्र **323–369**

6.1 बैंकिंग अधिसंरचना 324–229

6.2 जमा और ऋण 329–340

6.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण–जमा अनुप 340–341

6.4 बैंक ऋण में उद्योग का हिस्सा 341–342

6.5 बैंक अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा 342–348

6.6 निवेश 349–349

6.7 वित्तीय संस्थाएं 349–353

6.8 सूक्ष्मवित्त 354–356

6.9 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना – जीविका 356–357

6.10 चुनिंदा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन 357–360

6.11 बिहार में निगमजन्य वातावरण 361–361

6.12 वित्तीय समावेश 362–362

6.13 समाहार 363–366

परिशिष्ट **367–369**

अध्याय 7 : राजकीय वित्तव्यवस्था **370–510**

7.1 भूमिका 370–374

7.2 वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन 374–378

7.3 राजकोषीय प्रदर्शन 378–386

7.4 राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता 386–389

7.5 घाटा प्रबंधन 389–393

7.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति तथा व्यय 393–398

7.7 ऋण प्रबंधन 399–402

7.8 संसाधन संग्रहण 402–413

7.9 राजकीय कर विभागों का प्रदर्शन विश्लेषण 414–421

7.10 व्यय प्रबंधन 422–426

7.11 राजस्व व्यय 426–427

7.12 वेतन और पेंशन पर कार्यार्पित व्यय 427–429

7.13 व्यय की गुणवत्ता 429–430

7.14 क्षेत्रगत व्यय 430–433

7.15 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 434–435

7.16 राज्य का बजट और 2009–10 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 435–438

7.17 राज्य बजट को दरकिनार करती केंद्रीय राशि 438–440

7.18 केंद्र प्रायोजित योजनाए 440–444

7.19 जिलों में योजना तथा गैर–योजना व्यय 445–447

7.20 स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी व्यय में जिलों के बीच विषमता 448–455

7.21 जिलों में प्रति व्यक्ति आय में विषमता का परिमाण 455–456

7.22 सरकारी व्यय का आर्थिक प्रभाव 456–460

7.23 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम 460–466

7.24 बिहार में योजना निर्माण 467–478

7.25 वर्ष 2010–11 हेतु योजना एवं विकास विभाग की योजनाएं 478–481

7.26 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 482–499

परिशिष्ट **500–509**

तकनीकी शब्दावली एवं संक्षेप का शब्द-संग्रह

अजा	अनुसूचित जाति
अजजा	अनुसूचित जनजाति
अपिव	अति पिछड़ा वर्ग
उ.प्रा.वि.	उच्च प्राथमिक विद्यालय
एसीसी	कारीगर क्रेडिट कार्ड
एसीपी	वार्षिक ऋण कार्यक्रम
एडीबी	एशियन डेवलपमेंट बैंक
एडीवी	विज्ञापन कर
एजी (ए एंड ई)	महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच)
एआइबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एआइसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एएनसी	प्रसव-पूर्व देखरेख
एएनएम	सहायक नर्स एवं धाई
एपीडीआरपी	त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम
एपीएचसी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एपीएमबी	कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड
एपीएमसी	कृषि उत्पाद विपणन सहकारी समिति
एआरईपी	त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम
एएसईटी	सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर संघ
एएसएचए (आशा)	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसआइ	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
एएसआइ	सहायक उप-निरीक्षक
एटीएमए (आत्मा)	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी
एडब्ल्यूसी	आंगनबाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूएस	आंगनबाड़ी सेविका
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

बीसी	व्यावसायिक पत्राचार
बी2सी	व्यापार से नागरिक को (बिजनेस टू सिटिजन)
बीएडीपी	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
बीएपीएमसी	बिहार कृषि उत्पाद विपणन निगम
बीसी एण्ड इबीसी	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
बीसीआर	वर्तमान राजस्व शेष
बीडीआरएम	बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन
बीईपीसी	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
बीजीआरएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष
बीएचईएल (भेल)	भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड
बीआइएडीए (बिआडा)	बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार
बीआइएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीआइसीआइसीओ (बिसिको)	बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम
बीआइजीडब्ल्यूआइएस (बिगविस)	बिहार भूजल सिंचाई योजना
बीआइपीएआरडी (बिपार्ड)	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
बीआइएसडब्ल्यूएएन (बिस्वान)	बिहार स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क
बीएमपी	बिहार मिलिटरी पुलिस
बीओटी	निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीएसएम	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन
बीआरएईएन-डीसी (ब्रेन-डीसी)	बिहार राजस्व एवं समेकित डाटा केन्द्र
बीआरसी	प्रखंड संसाधन केंद्र
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास एजेन्सी
बीआरजीएफ	बिहार ग्रामीण अनुदान निधि
बीएससीआईसीओ	बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम
बीएसईबी	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसएफसी	बिहार राज्य वित्त निगम

बीएसएचपी	बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसआइडीसी	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम
बीएसएलआइडीसी	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसएससी	बिहार राज्य चीनी निगम
बीएसटीडीसी	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम
बीएसयूपी	शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा
सीएजीआर	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
सीएएल	कंप्यूटर समर्थित अधिगम
सीबीआर	अशोधित जन्म दर
सीसीबी	केंद्रीय सहकारी बैंक
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टीवी
सीडी	ऋण–जमा
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीडीआर	अशोधित मृत्यु दर
सीडीआर	ऋण–जमा अनुपात
सीडीएस	वर्तमान दैनिक स्थिति
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकार
सीईसी	सतत शिक्षा केंद्र
सीईपी	सतत शिक्षा कार्यक्रम
सीईआरटी	कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीजीजी	सुशासन केंद्र
सीएचसी	केन्द्रीय स्वास्थ्य केन्द्र
सीआइआइ	भारतीय उद्योग महासंघ
सीएलआरआइ	केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान
सीओएआई	भारतीय सेल्युलर संचालक संघ

सीओएमएफईडी (कॉम्फेड)	सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरसी	संकुल संसाधन केंद्र
सीआरपीसी	अपराध दंड-संहिता
सीआरएफ	आपदा राहत कोष
सीआरएफ	केंद्रीय सड़क कोष
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीयूजी	बंद उपभोक्ता समूह
डीसीआरएफ	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
डीसीएस	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति
डीडीजी	विकेंद्रित वितरण एवं उत्पादन
डीईडीएस	दुग्ध उत्पादन उद्यमिता विकास योजना
डीएफआइडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
डीआइसी	जिला उद्योग केंद्र
डीएलसीसी	जिला स्तरीय समन्वय समिति
डीएमसी	आपदा प्रबंधन समिति
डीएमई	जन शिक्षा निदेशालय
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार
डीएसपीटी	डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल
ईबीसी	अति पिछड़ी जाति
ईडी	उत्पाद शुल्क
ईडी	विद्युत शुल्क
ईडीपी	उद्यमिता विकास कार्यक्रम

ईजीएस	शिक्षा गारंटी योजना
ईएनटी	प्रवेश कर (चुंगी)
ईओसी	आपात कार्यसंचालन केंद्र
ईटी	मनोरंजन कर
एफसीपी	राजकोषीय सुधार पथ
एफएमएस	सुविधा प्रबंधन सेवा
एफआरबीएमए	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
जी2सी	सरकार से नागरिक को
जीडीडीपी	सकल जिला घरेलू उत्पाद
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीआइएस	भौगोलिक सूचना केंद्र
जीओबी	बिहार सरकार
जीआआइ	भारत सरकार
जीके	ग्राम कचहरी
जीपी	ग्राम पंचायत
जीआर	आनुग्रहिक राहत
जीएसएम	वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एचए	हेक्टेयर
एचडीआइ	मानव विकास सूचकांक
एचएलटी	होटल विलासिता कर
एचपीसीएल	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि.
एचएससी	स्वास्थ्य उपकेन्द्र
आइएवाइ	इंदिरा आवास योजना
आइसीडी	निवेश सह ऋण–जमा अनुपात
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास योजना
आइसीआइसीआइ	भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम
आइसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

आइडी	निवेशः जमा
आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आइडीएफसी	अधिसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड
आइईडी	समेकित विकलांग शिक्षा
आइएफसीआइ	भारतीय अधिसंरचना विकास निगम
आइएचएसडीपी	समन्वित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास योजना
आइएचएचएल	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आइएल एंड एफसी	संरचना लिजिंग एवं वित्तीय सेवा
आइएमएफएल	भारत निर्मित विदेशी शराब
आइएमआर	शिशु मृत्यु दर
आइओसी	भारतीय तेल निगम
आइपीसी	भारतीय दंड संहिता
आइपीडी	भर्ती रोगी विभाग
आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आइटीआइ	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आइडब्ल्यूएआइ	भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकार
आइडब्ल्यूडीएमएस	समेकित कार्यप्रवाह एवं अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर
आइडब्ल्यूडीपी	समेकित पनढाल विकास परियोजना
जेबीएसवाइ	जननी एवं बाल सुरक्षा योजना
जेसीआइ	भारतीय जूट निगम
जेएनएनयूआरएम	जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरणीय मिशन
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केजीबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केएलपीडी	किलोलीटर प्रतिदिन
केएसवाइ	किसान सम्मान योजना
केवीआइबी	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
केवीआइसी	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
एलएएन (लैन)	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एलओआइ	आशय पत्र
एमडीएमएस	मध्याह्न भोजन योजना
एमडीआर	मुख्य जिला सड़क
एमआइएस	मासिक आय योजना
एमआइएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएम (मिमी)	मिली मीटर
एमएमजीएसवाइ	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमएमएसएनवाइ	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
एमएमएसवाइ	मुख्यमंत्री सड़क योजना
एमएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएनएसवाइ	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
एमओयू	सहमति पत्र
एमपीएलएडीएस (एमपीलैड्स)	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एमएसडीपी	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एमएसएमई	अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमयू	दस लाख इकाई (यूनिट)
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनसी	अनाच्छादित
एनसीईसी	नोडल सतत शिक्षा केंद्र
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र
एनसीएलपी	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनजीआरबीए	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार
एनएच	राष्ट्रीय उच्चपथ
एनएचडीपी	राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना
एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
एनएचओ	राष्ट्रीय उच्चपथ संगठन
एनएचपीसी	राष्ट्रीय जलविद्युत निगम
एनआइसी	राष्ट्ररीय सूचनाविज्ञान केंद्र
एनएलएम	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
एनपीए	अनिष्पादित परिसंपत्ति
एनआरबीसी	अनावासीय सेतु पाठ्यक्रम
एनआरईजीएस	राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (नरेगा)
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरआइ	अनिवासी भारतीय
एनएसडीपी	निवल राज्य घरेलू उत्पाद
एनएसआइसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनटीपीसी	राष्ट्रीय तापविद्युत निगम
ओएफपीपीसी	क्षेत्रगत प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
ओपीडी	वाह्य रोगी विभाग
ओटीएस	एकमुश्त निष्पादन
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति
पीसी	आंशिक आच्छादित
पीसीडीइ	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पीसीआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पीजीसीआइएल	भारतीय पावरग्रिड निगम लिमिटेड
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
पीआइएम	सहभागी सिंचाई प्रबंधन
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएलपी	उत्तर साक्षरता कार्यक्रम
पीएमजीएसवाइ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआरइजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना
पीएमआरवाइ	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
पीओपी	उपस्थिति बिंदु (पाइंट ऑफ प्रेजेंस)
पीपीपी	सार्वजनिक–निजी साझेदारी
पीक्यूएलआइ	भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक
पीआरडी	पंचायती राज विभाग
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीएस	पंचायत समिति
पीयूआरए (प्यूरा)	ग्रामीण क्षेत्रगत नगरवत सुविधा प्रावधान
क्यूई	त्वरित अनुमान
क्यूजीआर	त्रैमासिक गारंटीशुदा राजस्व
आरबीसी	आवासीय सेतु कार्यक्रम
आरबीआइ	भारतीय रिजर्व बैंक
आरइजीपी	ग्रामीण रोजगार सृजन योजना
आरईओडीबी	स्थावर संपदा, निवास अधिकार, वैधानिक एवं व्यवसाय सेवाएं
आरएफपी	प्रस्ताव अनुरोध
आरजीजीवीवाइ	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
आरजीयूएमवाइ	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
आरआइडीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष
आरपीआइएल	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरएसएम/ पीसी	ग्रमीण स्वच्छता बाजार/ उत्पादन केंद्र
आरएसवीवाइ	राष्ट्रीय सम विकास योजना
आरटीआइ ऍक्ट	सूचना अधिकार अधिनियम
आरयूडीएसईटीआइ (रूडसेटी)	ग्रामीण विकास एवं स्वप्रशिक्षण संस्थान
एसएपी (सैप)	विशेष सहायक पुलिस
एसबीआइ	भारतीय स्टेट बैंक
एससीए	सेवा केंद्र अभिकरण
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित व्यावसायिक बैंक
एसडीसी	राज्य आंकड़ा केंद्र
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया बल
एसईसी-एलएएन (सैक-लैन)	सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एसएफसी	राज्य खाद्य निगम
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसजीआरवाइ	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एसजीएसवाइ	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना
एसएच	राज्य उच्चपथ
एसएचडीपी	राजय उच्चपथ विकास कार्यक्रम
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआइ	उप-निरीक्षक
एसआइडीबीआइ (सिडबी)	भारतीय लघु उद्योग बैंक
एसआइपीबी	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएमसी	राज्य स्तरीय प्रबंधित समिति
एसपीयूआर	बिहार नगरीय सुधार सहायता योजना
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर

एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसआइ	लघु उद्योग
एसटीपीएस	सुपर ताप विद्युत केंद्र
एसडब्ल्यूएएन (स्वान)	राज्य वाइड एरिया नेटवर्क
टी एंड डी	संचरण एवं वितरण
टीसीडी	टन पेराई प्रतिदिन
टीडीपी	थर्मल डिजाइन पावर
टीएफसी	बारहवां वित्त आयोग
टीआइएनएक्सआइएस	कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिंक्सिस)
टीएलसी	संपूर्ण साक्षरता अभियान
टीएलई	शिक्षण–अधिगम सामग्री
यूडी एण्ड एचडी	शहरी विकास एवं आवास विभाग
यूआइडीएसएसएमटी	लघु एवं मध्यम शहर नगरीय अधिसंरचना विकास योजना
यूआइजी	शहरी संरचना एवं शासन
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकास
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईएससीओ (यूनेस्को)	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
वीएटी (वैट)	मूल्यवर्धित कर
वीडीए	परिवर्तनीय महगाई भत्ता
वीएलसी	ग्राम स्तरीय समिति
वीपीजीसीएल	वैशाली विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
वीटीएफ	ग्राम कार्यबल
डब्ल्यू डी सी	महिला विकास निगम
डब्ल्यूएलएल	वायरलेस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	कार्य सहभागिता अनुपात
डब्ल्यूयूए	जल उपभोक्ता संघ
जेडपी	जिला परिषद

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
1.1	उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 से 2010-11)	3
1.2	उपादान मूल्य (2004-05 के स्थिर मूल्य) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4
1.3	उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद	5
1.4	उपादान मूल्य (2004-05 के स्थिर मूल्य) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद	6
1.5	वर्तमान और स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (1999-00 से 2010-11)	7
1.6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर (2004-05 के मूल्य पर) (2005-06 से 2010-11)	8
1.7	वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	9
1.8	स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रक्षेत्रगत संरचना (2000-01 से 2010-11)	10
1.9	1999-00 के मूल्य पर सकल जिला घरेलू उत्पाद और निवल जिला घरेलू उत्पाद	12
1.10	पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत (2008-09 से 2010-11)	13
1.11	डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत (2007-08 से 2010-11, अक्तूबर 10 तक)	14
1.12	बिहार और भारत में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	16
1.13	अपराधियों की दोषसिद्धि	18
1.14	अधिभोग दर के अनुसार कारागारों का बंटवारा	20
1.15	आधुनिकीकरण योजना के तहत और राज्य योजना/ राज्य कोष से पूरे हुए निर्माणों की संख्या	21
1.16	आधुनिकीकरण योजना और राज्य योजना/ राज्य कोष के तहत हो रहे निर्माणों की संख्या	22
1.17 (क)	भारत सरकार से सूखा राहत हेतु धन की मांग (2010)	24
1.17 (ख)	2010-11 में (13 जनवरी 2011 तक) सूखा हेतु स्वीकृत राशि	24

1.18	2010 में (अक्तूबर तक) बाढ़/ चक्रवात/ अग्निकांड हेतु आबंटित राशि	26
2.1	विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2009)	32
2.2	बिहार में विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात (2008 से 2010)	33-34
2.3	बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2005-06 से 2007-08)	35
2.4	बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2007-08)	36-39
2.5	बिहार में मुख्य फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादकता (2000-01 से 2008-09)	41-42
2.6	बिहार में फसल पैटर्न	43
2.7	बिहार में प्रमुख फसलों की उत्पादकता (2006-07 से 2008-09)	44
2.8	बिहार में प्रमुख फसलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09 अंतिम अनुमान)	45
2.9	बिहार में प्रमुख फसलों की जिलावार उत्पादकता (2007-08 और 2008-09 अंतिम अनुमान)	46
2.10	बिहार में सब्जियों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (2005-06 से 2008-09)	48
2.11	बिहार में सब्जियों की खेती का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09)	49-50
2.12	बिहार में फल की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (2005-06 से 2008-09)	51
2.13	बिहार में फलों की खेती का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09)	52-53
2.14	बिहार में फूलों की खेती का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09)	54-55
2.15	बिहार में सिंचित जमीन का क्षेत्रफल	56
2.16	बिहार में जिलावार सिंचाई	57-58
2.17	बिहार में खरीफ सिंचाई पर जिलावार प्रगति रिपोर्ट (2007 से 2009)	60
2.18	बिहार में रबी सिंचाई पर जिलावार प्रगति रिपोर्ट (2007 से 2009)	61
2.19	बिहार में महत्वपूर्ण फसलों के प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2007-08 से 2010-11)	63
2.20	बिहार में उर्वरकों की खपत (2006-07 से 2009-10)	64
2.21	बिहार में मिनिकिट निदर्शन (2006-07 से 2010-11)	66

2.22	सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या	68
2.23 क	कृषि ऋण प्रवाह (2004-05 से 2010-11)	69
2.23 ख	बिहार में सहकारिता ऋण का वितरण	70
2.24	किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (2004-05 से 2010-11)	72
2.25	किसान क्रेडिट कार्ड की जिलावार उपलब्धि	73
2.26	बिहार में जिलावार पशुधन (2003)	75
2.27	बिहार में पशुधन उत्पादन	76
2.28	बिहार में पशुधन प्रजनन तथा स्वास्थ्य में उपलब्धियों का जिलावार विवरण	77
2.29	कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धियों का जिलावार विवरण	78
2.30	बिहार में मछली का वार्षिक उत्पादन	79
2.31	बिहार में 2009-10 में जिलावार मछली और मत्स्यबीज उत्पादन	80
3.1	बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन / प्रस्तर खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति और गैस इकाइयों का अनुपात	81
3.2	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2005-06 और 2007-08)	82
3.3	बिहार में चालू कारखानों की संख्या (2005-06 और 2007-08)	82
3.4	2007-08 में चुनिंदा कृषि और गैर-कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)	83
3.5	बिहार में बड़ी इकाइयों की सूची (2010)	84
3.6	बिहार में निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम (2006-07)	85
3.7	बिहार में वर्षवार स्थापित निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योग इकाइयां	87
3.8	बिहार में वर्षवार स्थापित स्थायी निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योग इकाइयां	88
3.9	2010-11 में (अक्तूबर तक) निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों का प्रतिशत वितरण	90
3.10	बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन	93
3.11	सब्जियों का उत्पादन	94
3.12	विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता (2008-09)	94
3.13	ईख / चीनी के क्षेत्रफल और उत्पादन से संबंधित विवरण	97

3.14	चीनी मिलों के कामकाज की स्थिति (2008-09)	97
3.15 क	दुग्ध सहकारी समितियों की वर्षवार प्रगति	99
3.15 ख	दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की अधिप्राप्ति	99
3.15 ग	विभिन्न दुग्ध उत्पादों का विपणन	100
3.16	पशुधन	101
3.17	खालों और चमड़ों का बाजारवार ब्योरा (2003)	101
3.18	खनन से राजस्व प्राप्ति	105
3.19	विभिन्न खनिजों से राजस्व प्राप्ति (2008-09)	106
3.20	रुग्णता/ आरंभिक रुग्णता के कारण	108
3.21	बिहार राज्य वित्त निगम की ऋण वसूली की स्थिति (2008-09, 2009-10 तथा 2010-11)	109
3.22	एकमुश्त निपटारा-2009 में ऋण वसूली	110
3.23	उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां	111
3.24	औद्योगिक क्षेत्रों/ प्रांगणों में अधिग्रहित, आबंटित और रिक्त जमीन तथा इकाइयों के अंचलवार विवरण	112
3.25	विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जिला उद्योग केंद्रों की उपलब्धियां	113
3.26	बिहार में 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति	114
3.27	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु योजना परिव्यय (2009-10 और 2010-11)	115
3.28	ई-गवर्नेंस योजनाओं की प्रगति	115
3.29	सामान्य सुविधा केंद्र परियोजना की स्थिति	116
3.30	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अक्तूबर 2010 तक अनुमोदित प्रस्ताव	118
3.30 क	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की स्थिति	118
3.31	पर्यटन विभाग के 2000-01 से 2010-11 (जनवरी 2011 तक) तक के बजट तथा व्यय का विवरण	119
3.32	पर्यटकों का वर्षवार आगमन	120
4.1	बिहार और संपूर्ण भारत में सड़कों की औसत लंबाई (2009-10)	135
4.2	में सड़कों की लंबाई (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)	136

4.3	बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की स्थिति (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)	138
4.4	राज्य सरकार द्वारा सड़कों का विकास	140
4.5	राज्य उच्चपथों का लेन आधारित ब्योरा (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)	141
4.6	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	144
4.7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का टर्नओवर	145
4.8	निगम की लाभ-हानि की स्थिति (लाख रु.)	145
4.9	2006-07 से 2010-11 तक निर्मित पुलों की संख्या व्यय सहित	146
4.10	निबंधित वाहनों की संख्या	147
4.11	परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रह (2001-02 से 2010-11)	147
4.12	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का प्रदर्शन	150
4.13	विद्युत आपूर्ति की स्थिति	151
4.14	केंद्रीय विद्युत केंद्रों से बिजली	152
4.15	ऊर्जा आपूर्ति और उपभोग का पैटर्न (मेगावाट)	153
4.16	संचरण एवं वितरण हानि	154
4.17	ग्रामीण विद्युतीकरण की जिलावार स्थिति	155
4.18	त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के विवरण	156
4.19	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत उप-स्टेशन निर्माण का लक्ष्य और उपलब्धि	156
4.20	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि	156
4.21	आरजीजीवीवाइ के तहत बीपीएल परिवारों के पारिवारिक विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि	157
4.22	बिजली की स्थिति (2011-12)	157
4.23	ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान	158
4.24	उप संचरण योजना की वित्तीय स्थिति	159
4.25	वर्ष 2009-10 में सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता	160
4.26	घटी सिंचाई क्षमता की 2005-06 से 2009-10 के बीच पुनःस्थापना	161
4.27	बड़ी और मंझोली योजनाओं की जल उपयोग दक्षता	161

4.28	लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर में)	162
4.29	जल उपभोक्ता जल उपभोक्ता संघों की वर्तमान स्थिति	164
4.30	कनेक्शनों की संख्या	165
4.31	बिहार में वायरलेस/ वायरलाइन ग्राहक 2010 (जून 2010 तक)	165
4.32	मोबाइल कनेक्शनों में वृद्धि	166
4.33	30 जून 2010 तक बिहार में दूरसंचार-घनत्व	167
4.34	2008-09 से 2010-11 (अक्तूबर 2010) तक बीएसएनएल की भौतिक उपलब्धि	168
4.35	बीएसएनएल की वृद्धि	169
4.36	बिहार में डाक सुविधाएं	171
4.37	डाक आवागमन	172
4.38	डाकघरों में जमा राशि के विवरण	173
4.39	विमान सेवाएं और उड़ानों की संख्या, 2010 (अक्तूबर 2010 तक)	174
4.40	विमानों की उड़ानें यात्रियों संख्या और माल ढुलाई सहित	175
4.41	एयर इंडिया - आवागमन और राजस्व	175
4.42	बिहार में शहरी स्थानीय निकाय (2010)	176
4.43	मिशन के तहत आबंटनों और स्वीकृतियों की स्थिति	177
4.44	जलापूर्ति में सुधार हेतु योजनाओं को स्वीकृति	177
4.45	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृत परिव्यय	178
4.46	आइएचएसडीपी और शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा	179
4.47	राष्ट्रीय गंगा नदी बुनियादी सुविधा परियोजना की स्थिति	181
4.48	अब तक की शहरी विकास विषयक उपलब्धियां	182
5.1 क	साक्षरता में लैंगिक अंतराल	198
5.1 ख	साक्षरता दरों का जिलावार वर्गीकरण	199
5.1 ग	साक्षरता में लैंगिक अंतराल का जिलावार वर्गीकरण	200
5.2 क	जनसंख्या के लिहाज से विद्यालयों की उपलब्धता	201
5.2 ख	जिला स्तर पर विद्यालय (प्रति 10,000 जनसंख्या पर)	202
5.2 ग	जिला स्तर पर विद्यालय (प्रति 10 लाख जनसंख्या पर)	203

5.3 क	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन	204
5.3 ख	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के रुझान	205
5.3 ग	नामांकन में वार्षिक वृद्धि के रुझान के अनुसार जिलों का वर्गीकरण	206
5.4 क	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें	207
5.4 ख	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें	207
5.4 ग	छीजन दरें – कक्षा 6 से 8, 6 से 10 तथा 1 से 12 के लिए	208
5.5	शिक्षा पर व्यय	208
5.6 क	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)	211
5.6 ख	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)	212
5.7	मध्याह्न भोजन योजना में राशि का उपयोग	213
5.8	वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों की स्थिति	214
5.9	वित्तीय प्रगति (सर्व शिक्षा अभियान)	215
5.10	बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान	217
5.11 क	बिहार की जनसांख्यिकी का विहंगावलोकन	219
5.11 ख	बिहार का जिलावार जनसांख्यिक विवरण	220
5.12 क	चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक	221
5.12 ख	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव	222
5.13	स्वास्थ्य अधिसंरचना में कमी	224
5.14	सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या	224
5.15	एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन का विहंगावलोकन	228
5.16	स्वास्थ्य व्यय का वित्तीय विहंगावलोकन	228
5.17	समेकित बाल विकास परियोजनाओं का विहंगावलोकन	229
5.18	समेकित बाल विकास योजना – कर्मियों की स्थिति	230
5.19	समेकित बाल विकास योजना – संसाधन का उपयोग	231
5.20	समेकित बाल विकास योजना का जिला स्तर पर विहंगावलोकन	231
5.21	जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु राज्य योजनागत योजनाओं में वित्तीय तथा भौतिक प्रगति	233
5.22	मनरेगा का विहंगावलोकन	237

5.23	सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण का विहंगावलोकन	238
5.24	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कामकाज (2001-02 से 2009-10)	239
5.25	अजा एवं अजजा कल्याण हेतु आबंटन का विहंगावलोकन	241
5.26 क	जेंडर बजट का सारांश	242
5.26 ख	जेंडर बजट का अवलोकन	242
2.27	लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं	243
5.28	पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे का विहंगावलोकन	244
5.29	पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रगति का विहंगावलोकन (2009-10)	245
5.30	पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति (करोड़ रु.)	246
5.31	अल्पसंख्यक कल्याण हेतु योजना का वित्तीय अवलोकन (2009-10)	248
5.32 क	श्रम संसाधनों पर योजना परिव्यय तथा व्यय का अवलोकन	250
5.32 ख	संसाधनों पर व्यय का अवलोकन	250
5.33	समाज कल्याण में वित्तीय प्रगति का विहंगावलोकन	250
6.1	बिहार में व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण	325
6.2	विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की संख्या तथा वितरण (2008-09)	325
6.3	राज्य तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या (31 मार्च को)	326
6.4	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या और जमा	327
6.5	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का कुल ग्रामीण जमा	328
6.6 क	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2008)	328
6.6 ख	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2009)	329
6.7	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)	330
6.8	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा और ऋण (31 मार्च)	331
6.9	बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	332
6.10	बिहार में बैंक समूह तथा क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (31.06.2010)	335
6.11	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	336
6.12	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	337

6.13	जिलावार ऋण-जमा अनुपात	338
6.14 क	राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	339
6.14 ख	निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (जून 2010)	340
6.15	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	341
6.16	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण में उद्योग का हिस्सा	341
6.17	अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2009-10)	342
6.18	वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियां - सभी बैंक	343
6.19	वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण (2009-10)	343
6.20	कृषिगत ऋण प्रवाह	344
6.21	बकाया कृषिगत अग्रिम	344
6.22	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2009)	345
6.23	राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम	346
6.24	राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम (अंतिम मार्च, 2008, 2009)	347
6.25	बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (1999-00 से 2010-11 तक)	348
6.26	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश का राज्यवार वितरण	349
6.27 क	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन	350
6.27 ख	नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण	351
6.28	मार्च 2010 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत संचयी वितरण	352
6.29	मार्च 2010 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत स्वीकृति और वितरण	353
6.30	बिहार में सूक्ष्मवित्तीयन	354
6.31	भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क की वृद्धि	355
6.32	31 मार्च 2010 तक स्वयं सहायता समूहों पर बैकों का कुल बकाया ऋण	355
6.33	31 मार्च 2010 तक स्वयं सहायता समूहों का बैकों के पास बचत जमा	356
6.34	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तीयन (मार्च 2010)	356
6.35	2009-10 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य	358
6.36	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन	359

6.37	स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन : स्वयं सहायता समूह	359
6.38	बिहार भूजल सिंचाई योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं	360
6.39	भारत में कार्यरत लिमिटेड कंपनियों की राज्यवार संख्या	361
6.40	वित्तीय समावेश का रोडमैप	362
7.1	बिहार सरकार की प्राप्ति तथा व्यय	377
7.2	प्रमुख राजकोषीय सूचक	382-384
7.3	राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक	389
7.4	राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति	390
7.5	सकल राजकोषीय घाटा	391
7.6	बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना	392
7.7	बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	393
7.8	बिहार का राजस्व लेखा	394
7.9	बिहार सरकार का व्यय	396
7.10	ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति	397
7.11	व्यय के अन्य पैरामीटर	397
7.12	केंद्र से बिहार को होने वाला संसाधनों का अंतरण	398
7.13	बकाया देनदारियां	399
7.14	अदायगी संबंधी देनदारियां	399
7.15 क	प्राप्त निवल ऋण	401
7.15 ख	राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कर का अनुपात (2009-10)	402
7.16	राजस्व प्राप्तियां	404
7.17	विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व	405
7.18	कर राजस्व का प्रतिशत वितरण	406
7.19	कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दरें	407
7.20	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा	407
7.21	बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व	408
7.22	गैर-कर राजस्वों का प्रतिशत वितरण	409

7.23	गैर-कर राजस्वों की वृद्धि दरें	409
7.24	कर और गैर कर राजस्व की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2009-10)	410
7.25	कर संग्रहण व्यय	411
7.26	कर और गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	412
7.27	महत्वपूर्ण कर तथा गैर-कर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता	413
7.28	केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान	413
7.29	विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण (2001-02 से 2010-11)	414
7.30	कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का वर्षवार प्रतिशत हिस्सा	415
7.31	बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्रीवार संग्रहण	416-418
7.32	राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण	419
7.33	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व	420
7.34	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2010-11 (अक्तू. 2010 तक)	421
7.35	संचित निधि से व्यय	422
7.36	सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण : 2005-06 और 2010-11	423
7.37	कुल व्यय का प्रतिशत वितरण	425
7.38	व्यय की वृद्धि दरें	425
7.39	राजस्व व्यय का विवरण	427
7.40	वेतन और पेंशन व्यय	428
7.41	व्यय के गुणवत्तामूलक पैरामीटर	430
7.42	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	431
7.43	आर्थिक सेवाओं पर व्यय	432
7.44	गैर-योजना राजस्व व्यय के मामले में 12वें वित्त आयोग के अनुमानों के बरअक्स उपलब्धियां	433
7.45	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	434
7.46	बजट 2009-10 का सारांश, [अधिशेष (-), घाटा (+)]	436
7.47	संचित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों तथा व्यय का प्रतिशत वितरण	437
7.48	राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय धन का विवरण - 2007-08 से 2010-11	439

7.49	सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय प्रदर्शन (करोड़ रु.)	441
7.50	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार के तहत योजनाओं का वित्तीय प्रदर्शन	442-444
7.51	जिलावार व्यय (2009-10)	446
7.52	जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (2009-10) (रु.)	447
7.53	शिक्षा पर सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण	448
7.54	शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय (2009-10)	449
7.55	जिलावार व्यय : कुल अन्य सामाजिक क्षेत्र (2009-2010)	451
7.56	अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (2009-2010)	452
7.57	जिलों का प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम व्यय (2008-09 और 2009-10)	455
7.58	विषमता का परिमाण	456
7.59	राज्य सरकार के व्यय का कार्यशील वर्गीकरण	457
7.60 क	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-1 : चालू खाता	457
7.60 ख	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-2 : पूंजी लेखा	458
7.60 ग	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-3 : वित्तीय परिसंपत्ति में परिवर्तन	458
7.60 घ	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-4 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन	458
7.60 च	आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-5 : नगद एवं पूंजीगत समाधान लेखा	459
7.61	सरकारी व्यय का आर्थिक वर्गीकरण	459
7.62	सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का निवेश (2008-09 तक)	460
7.63	क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम	461
7.64	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय परिणामों का सारांश (2005-06 से 2008-09)	462
7.65	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणामों का सारांश	463
7.66	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश	464
7.67	बिहार राज्य वित्त निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश	464
7.68	बिहार राज्य भंडारण निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश	465
7.69	बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का उनके नवीनतम लेखों के अनुसार सारांश	466
7.70 क	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) : लक्ष्य और उपलब्धियां	468
7.70 ख	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) : भारत और बिहार हेतु लक्ष्य	469-470

7.71 क	बिहार में योजना व्यय	471
7.71 ख	बिहार में दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं का वित्तपोषण	471
7.71 ग	योजना व्यय में केंद्र और राज्यों का हिस्सा	472
7.72	वार्षिक योजना की वित्तपोषण योजना	473
7.73 क	व्यापक क्षेत्रों द्वारा वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात (1999-2004)	474
7.73 ख	वैकल्पिक दरों पर ग्यारहवीं योजना के अनुमानित परिव्यय	475
7.74	कुल योजना परिव्यय की क्षेत्रगत संरचना : दसवीं और ग्यारहवीं योजना	476
7.75 क	ग्यारहवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का योजना परिव्यय	477
7.75 ख	दसवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का योजना परिव्यय	478
7.76	कर सुपुर्दगी हेतु मापदंड और भार	486
7.77	राज्यों के बीच हिस्सा	486
7.78	राज्यों के लिए अनुशंसित सहायता अनुदानों का सारांश	488
7.79 क	सुपुर्दगी-पूर्व गैर-योजना राजस्व घाटा/ अधिशेष (-)	489
7.79 ख	सुपुर्दगी-पश्चात गैर-योजना राजस्व घाटा/ अधिशेष (-)	490
7.80	भारत के बरअक्स बिहार हेतु अनुशंसित सहायता अनुदानों का सारांश	492
7.81	वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कुल अंतरणों (कर सुपुर्दगी+अनुदान) का राज्यवार हिस्सा	493
7.82	केंद्र और राज्यों के लिए समेकित राजकोषीय सुधार पथ	495
7.83	बकाया ऋण : आधार वर्ष तथा भावी अनुमान	496
7.84	बिहार को राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ऋण पर मिलने वाली ब्याज राहत	498

तालिका परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय सूची	पेज नं.
	वृहदावलोकन	
परिशिष्ट 1	1.14 (क) बिहार के कारागारों की बंदी क्षमता/ संख्या (30.06.2010)	28-29
	उद्यम क्षेत्र	
परिशिष्ट 1	बिहार और संपूर्ण भारत में कारखानों की संख्या	125
परिशिष्ट 2	बिहार में उद्योगों की संरचना	126
परिशिष्ट 3	2009-10 में ईख का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता (क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)	127
परिशिष्ट 4	2010-11 में (अक्तूबर '10 तक) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों में सामाजिक श्रेणीवार प्रतिशत हिस्सा	128-129
परिशिष्ट 5	हथकरघा प्रक्षेत्र की प्रमुख योजनाएं (2008-09 और 2009-10 में भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां)	130
परिशिष्ट 6	बिहार के जिलों में खनिजों की उपलब्धता	131
परिशिष्ट 7	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2010-11 की प्रगति रिपोर्ट (अक्तूबर 2010 तक)	132-133
परिशिष्ट 8	बिहार में देशी-विदेशी पर्यटकों का प्रवाह	134
	भौतिक अधिसंरचना	
परिशिष्ट 1	बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क (2007-2010)	183
परिशिष्ट 2	बिहार राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च पथों का सारांश (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)	184-186
परिशिष्ट 3	बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम 1 और 2	187
परिशिष्ट 4	रेल उपरिपुल और संपर्क पथ	188
परिशिष्ट 5	बिहार राज्य में 2009-10 में निबंधित वाहनों के आंकड़े	189
परिशिष्ट 6	बिहार उप-संचरण योजना का चरणबद्ध क्रियान्वयन (आरएसवीवाइ)	190
परिशिष्ट 7	बिहार की आगामी विद्युत परियोजनाएं	191
परिशिष्ट 8	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) और वार्षिक योजना (2010-11) के योजनावार प्रस्ताव	192
परिशिष्ट 9	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) और वार्षिक योजना (2010-11) के योजनावार परिव्यय	193

परिशिष्ट 10		शहरी विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अवस्थिति, स्रोत तथा राशि सहित	194
परिशिष्ट 11		शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पहलकदमियां	195
सामाजिक क्षेत्र			
परिशिष्ट 1		बिहार में जिलावार साक्षरता दरें (2001)	59
परिशिष्ट 2	क	प्रति दस हजार जनसंख्या पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय (2009)	60
	ख	प्रति दस लाख जनसंख्या पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय (2009)	61
परिशिष्ट 3		जिला स्तर पर नामांकन (2006-07)	62-64
परिशिष्ट 4		जिला स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर का रुझान : (2002-03 से 2008-09)	65
परिशिष्ट 5		मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोईघरों का छावनी निर्माण	66
परिशिष्ट 6		सर्व शिक्षा अभियान - भौतिक प्रगति	67-72
परिशिष्ट 7		बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन	73-75
परिशिष्ट 8		स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति -2009-10	76-80
परिशिष्ट 9		नियमित और संविदा आधारित चिकित्सकों की स्थिति - 2009-10	81-82
परिशिष्ट 10		'ए' श्रेणी के नर्सों की जिलावार की स्थिति - 2009-10	83-84
परिशिष्ट 11		ए.एन.एम. का जिलावार विवरण - 2009-10	85-86
परिशिष्ट 12		आशा कर्मियों का जिलावार विवरण - 2009-10	87-88
परिशिष्ट 13		जिलावार विवरण - संस्थागत प्रसव 2009-10	89-90
परिशिष्ट 14		जिला स्वास्थ्य समिति को संवितरित जिलावार राशि (2009-10) (रु. में)	91-92
परिशिष्ट 15		अनाच्छादित और अंशतः आच्छादित बसाहटों के लिए हासिल जिलावार आच्छादन	93-96
परिशिष्ट 16		बिहार में कार्य सहभागिता दरें	97
परिशिष्ट 17	क	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विहंगावलोकन (2009-10)	98-99
	ख	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भौतिक एवं वित्तीय विहंगावलोकन (2009-10)	100-101
परिशिष्ट 18	क	मनरेगा का विहंगावलोकन (2009-10)	102-103
	ख	मनरेगा - भौतिक एवं वित्तीय विहंगावलोकन (2009-10)	104-105

परिशिष्ट 19	क	इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2009-10)	106
	ख	इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2009-10) (नई+ उत्क्रमण+ ऋण सह अनुदान)	107
	ग	इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2010-11, अक्तूबर 2010 तक) (नई+ उत्क्रमण+ ऋण सह अनुदान)	108
परिशिष्ट 20	क	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूकानदारों की जिलावार सामाजिक पृष्ठभूमि (जून 2009)	109-110
	ख	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का उठाव प्रतिशत (2009-10)	111-117
परिशिष्ट 21	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय विहंगावलोकन		118-121
परिशिष्ट 22	पिछड़ी जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पर व्यय का विहंगावलोकन		122
परिशिष्ट 23	भूमि राजस्व संग्रह का विहंगावलोकन		123-124
परिशिष्ट 24	गैरमजरुआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती का विहंगावलोकन (मार्च 2009 तक)		125
परिशिष्ट 25	भूमि वितरण का विहंगावलोकन		126-127
बैंकिंग तथा सहवर्ती क्षेत्र			
परिशिष्ट-1	क	30 जून 2010 तक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम)	367
	ख	30.06.10 को गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	368
परिशिष्ट-2	जिलावार उपलब्धि - किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)		369
राजकीय वित्तव्यवस्था			
परिशिष्ट 1	अधिनियम-वार / अंचलवार संग्रहण - 2006-07 और 2007-08		500-503
परिशिष्ट 2	अधिनियम-वार / अंचलवार संग्रहण - 2008-09 और 2009-10		504-507
परिशिष्ट 3	अधिनियम-वार / अंचलवार संग्रहण - 2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक) (लाख रु.)		508
परिशिष्ट 4	जिलावार दस्तावेजों की सं., स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से राजस्व 2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)		509

कार्यकारी सारांश

वृहदावलोकन

1. वर्ष 2009-10 में 2004-05 के मूल्य पर बिहार का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,35,900.23 करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 13,983 रु. थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2008-09 के मुकाबले 11.70 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। वर्तमान मूल्य पर 2009-10 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,72,138.46 करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 17,959 रु. थी। 1999-00 से पहले पांच वर्षों के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था 3.50 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई थी जबकि 2004-05 से 2010-11 तक अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य के लिहाज से 10.93 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। देश के विभिन्न राज्यों के बीच यह सर्वाधिक विकास दरों में से एक है।

2. जैसा कि ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि आर्थिक विकास के साथ किसी अर्थव्यवस्था का ढांचा भी समय के साथ बदल जाता है। यह बात बिहार के बारे में भी सच है। गत दशक के आरंभ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 39.0 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 10.5 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 50.5 प्रतिशत था। चूंकि गत दशक में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अधिक विकास दर दर्ज हुई है अतएव क्षेत्रों की संरचनाएं अब काफी बदल गई हैं। वर्ष 2009 में संरचना इस प्रकार थी - प्राथमिक क्षेत्र 21.74 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 16.61 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र 61.65 प्रतिशत।

3. बिहार जिलों के बीच मौजूद भारी क्षेत्रीय विषमताओं से पीड़ित है। व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान पर गौर करने पर पता चलता है कि बिहार के आर्थिक रूप से उन्नतिशील तीन जिले पटना (37,737 रु.), मुंगेर (12,370 रु.) तथा बेगूसराय (10,409 रु.) हैं। दूसरी ओर सोपान की दूसरी छोर पर सर्वाधिक अल्पविकसित जिले जमुई (5,516 रु.), अररिया (5,245 रु.) और शिवहर (4,398 रु.) हैं।

4. ग्रामीण मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूरे भारत के मुकाबले बिहार में कुछ कम तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2007-08 से अक्तूबर 2010 के बीच कृषि श्रमिक हेतु सूचकांक बिहार में 115 अंक बढ़ा है लेकिन पूरे भारत में 149 अंक। ग्रामीण श्रमिकों के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है। औद्योगिक श्रमिकों के मामले में सूचकांक बिहार में पूरे देश की अपेक्षा अधिक बढ़ा। वर्ष 2007-08 से अक्तूबर 2010 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक बिहार में 53 अंक बढ़ा जबकि पूरे भारत में 48 अंक।

5. कानून-व्यवस्था में सुधार, सरकार के प्रति विश्वास में वृद्धि और बिहार में होने वाले अन्य सकारात्मक परिवर्तनों से राज्य में निजी कंपनियों, निवेशकों, उद्यमियों, पर्यटकों आदि के लिए अनुकूल माहौल बना है। अब बिहार ढेर सारी कंपनियों तथा निजी संस्थाओं के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित 'जनता दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम ने बड़ी तादाद में जनता को भाग लेने के लिए आकर्षित

किया है। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न स्थानों की की गई विकास यात्रा ने उस दौरान उनके साथ मौजूद अधिकारियों और मंत्रियों तथा ग्रामीण जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है।

6. सरकार ने पुलिस के प्रति आम आदमी का विश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। दोषसिद्धि में शीघ्रता के लिए 'त्वरित सुनवाई' व्यवस्था का प्रभावी उपयोग किया गया है। 'त्वरित सुनवाइयों' और फलस्वरूप शीघ्र दोषसिद्धि (कनविक्शन) के कारण भारतीय दंड सहिता (आइपीसी) के अंतर्गत दोषसिद्धियों की संख्या बढ़ रही है। दोषसिद्धियों की कुल संख्या 2006 के 6,839 से बढ़कर 2009 में 13,146 हो गई जिसका अर्थ है इस अवधि में 92.46 प्रतिशत वृद्धि।

7. पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में बिहार पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है। 206 करोड़ रु. के प्रस्तावित व्यय से राजगिर में बिहार पुलिस अकादमी के नए परिसर का निर्माण शुरू हो गया है। इसके अलावा, राज्य योजना के तहत 14 आदर्श पुलिस थानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अन्य 26 आदर्श पुलिस थानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 49 श्रेणी-3 थानों, 8 श्रेणी-4 थानों और 69 पुलिस भवनों के अतिरिक्त 40 आदर्श थानों के निर्माण का काम भी निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने हाल ही में बिहटा में 7.50 करोड़ रु. के व्यय से अग्नि सेवा प्रशिक्षण केंद्र और 4.00 करोड़ रु. के व्यय से गृहरक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।

8. राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के प्रयास किए गए हैं। घात लगाकर 2006 में 60 मामलों में 66 लोगों को, 2007 में 108 मामलों में 126 लोगों को और 2008 में 99 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार विरोधी मामलों का दर्ज होना बढ़ा है। वर्ष 1996 से लेकर 2005 तक हर साल भ्रष्टाचार विरोधी औसतन 28.5 मामले दर्ज होते थे। वहीं, अकेले 2008 में 99 मामलों की छानबीन हुई थी। वर्ष 1996 से 2008 तक 396 राजपत्रित और 332 अराजपत्रित सरकारी सेवकों तथा 215 अन्य लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 8 करोड़ रु. की संपत्ति चिन्हित की गई है और सुनवाई प्रगति पर हैं।

9. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दिशानिर्देशों के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदाओं के दौरान विभिन्न कार्रवाइयों का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनआरडीएफ) की एक बटालियन पटना जिले के बिहटा में स्थापित की गई है।

10. सूखा के दौरान निम्न आय वर्ग के जीवन-जीविका में काफी कठिनाइयां आईं। राज्य सरकार को सूखा प्रभावित जिलों में भूख से पीड़ित बीमार लोगों की जान बचानी पड़ी। इस मकसद से उसने खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 973.63 लाख रु. और पेयजल हेतु 1,839.75 लाख रु. की राशि स्वीकृत किए। इस प्रकार

सूखे से लड़ने के लिए 2010-11 के दौरान (13 जनवरी 2011 तक) 6,691.64 लाख स्वीकृत किए जा चुके थे।

11. राज्य के 28 जिले, जिनमें से अधिकांश उत्तर बिहार में हैं, तकरीबन हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राज्य सरकार अभी बाढ़प्रवण जिलों में 200 बाढ़ शरणस्थलियों का निर्माण करा रही है। इसके अलावा, राज्य के 10 सर्वाधिक बाढ़प्रवण जिलों में आपात प्रबंधक और सहायकों के नए पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी प्रमंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को बाढ़-पश्चात कार्यों के लिए पुनर्वास तथा पुननिर्माण विषयक दिशानिर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2010 में बाढ़, आंधी और आग से लड़ने के काम के लिए राज्य सरकार को गैर-योजना शीर्ष से 17,345.35 लाख रु. की राशि खर्च करनी पड़ी।

कृषि तथा सहवर्ती क्षेत्र

1. गत दशक (2000 से 2009) में औसत वार्षिक वर्षा का अनुमान 1,091.08 मिमी किया गया था। लेकिन 2005 में वर्षापात 897.40 मिमी था और 2009 में 868.61 मिमी। इससे 2005 और 2009 में सूखे की गंभीर स्थिति का पता चलता है। इन दोनों वर्षों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून में कमी के कारण सूखा हुआ।

2. बुआई के निवल क्षेत्रफल में मामूली बदलाव आया है। वर्ष 2007-08 में निवल बुआई क्षेत्रफल का हिस्सा 60.5 प्रतिशत था जबकि 2005-06 में 59.4 प्रतिशत। निवल बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि 109 हजार हेक्टेयर है। वर्ष 2006-07 के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि फसल सघनता में भी थोड़ी वृद्धि हुई है - 2005-06 के 1.33 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 1.37 प्रतिशत। इसका अर्थ हुआ 2007-08 में 2005-06 की अपेक्षा कृष्य क्षेत्र में 368 हजार हे. की वृद्धि। परती और वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में 2007-08 में गिरावट आई है। यह दर्शाती है कि आबादी में वृद्धि से भूमि पर दबाव और भी बढ़ा है।

3. सिंचाई के स्तरों में अंतर के कारण जिलों के बीच फसल सघनता के मामले में काफी अंतर है - जमुई में 1.10 से लेकर सहरसा में 1.76 तक।

4. तीन मुख्य अनाजों के लिए औसत उत्पादकता है - चावल 1,454 किग्रा प्रति हेक्टेयर, गेहूं 2,126 किग्रा प्रति हे. तथा मक्का 2,746 किग्रा प्रति हे.। बिहार में खरीफ दलहनों की औसत उत्पादकता 984 किग्रा प्रति हे. और रबी दलहनों की 753 किग्रा प्रति हे. है। उत्पादकता के आंकड़े 2008-09 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के औसत हैं। चावल की उत्पादकता पर गौर करें, तो 2007-08 में सर्वाधिक उत्पादकता वाले तीन जिले बक्सर (2,731 किग्रा/ हे.), औरंगाबाद (2,472 किग्रा/ हे.) और लखीसराय (2,472 किग्रा/ हे.) हैं। गेहूं के मामले में 3,150 किग्रा प्रति हे. सर्वोच्च उत्पादकता के साथ पश्चिम चंपारण शीर्ष पर है तो मक्का के मामले में 6,287 किग्रा प्रति हे. के साथ समस्तीपुर।

5. कुछ सब्जियों के उत्पादन में बिहार का प्रमुख स्थान है। बिहार में 2008-09 में 50.34 लाख टन आलू, 9. 47 लाख टन प्याज, 10.37 लाख टन टमाटर, 10.44 लाख टन गोमी और 11.86 लाख टन बैगन का

उत्पादन हुआ था। फलों के मामले में चार महत्वपूर्ण फसलें आम, अमरुद, लीची और केला हैं। वर्ष 2008-09 में बिहार में 13.30 लाख टन आम, 2.29 लाख टन अमरुद, 2.17 लाख टन लीची और 13.74 लाख टन केले का उत्पादन हुआ था।

6. बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में फूलों की बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती होने लगी है। खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण फूल हैं गुलाब, रजनीगंधा, बेला, गेंदा तथा गुलदाउदी। वर्ष 2008-09 में 67 टन गुलाब, 4,429 टन गेंदा, 270 टन बेला और 365 टन गुलदाउदी की खेती हुई थी। मुख्य फूल उत्पादक जिले पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और गया हैं।

7. वर्ष 2000-01 से 2008-09 के बीच कुल सिंचित क्षेत्रफल 44.6 लाख हे. से बढ़कर 49.2 लाख हे. हो गया है। वर्ष 2008-09 में कुल सिंचित क्षेत्रफल के 55.3 भाग पर नलकूपों (निजी और सरकारी, दोनों) से सिंचाई होती थी। बिजली की समूचित आपूर्ति के अभाव में ये नलकूप अक्सर डीजल से चलते हैं जो काफी महंगा है। नहरों (छोटी-बड़ी दोनों) से सिंचाई आठ जिलों - रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और लखीसराय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बिहार के चावल उत्पादक जिले हैं।

8. वर्तमान सरकार द्वारा निर्मित कृषि रोडमैप में प्रमाणित बीजों के उपयोग पर जोर दिया गया है। इस पहलकदमी के कारण गत पांच वर्षों में धान, गेहूं और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरें राज्य में काफी बढ़ी हैं। देखा जा सकता है कि खरीफ फसलों में धान के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2007-08 के 14 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 31.0 प्रतिशत हो गई है। रबी फसलों के तहत गेहूं के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2007-08 में 15 प्रतिशत थी जो 2009-10 में 25.3 प्रतिशत हो गई है।

9. बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2006-07 में 32.25 लाख टन थी। वर्ष 2007-08 में 13.1 प्रतिशत बढ़कर यह 36.49 लाख टन हो गई। वर्ष 2008-09 में इसमें 10.9 प्रतिशत की वृद्धि और हुई, फलतः इसका स्तर 40.46 लाख टन पर पहुंच गया। उर्वरकों की प्रति हे. खपत 2009-10 में 181.11 किग्रा हो गई है जो तीन साल पहले 141.7 किग्रा थी।

10. किसान पाठशालाओं के जरिए किसानों के प्रशिक्षण को हाल में प्रमुखता हासिल हुई है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच अंतःक्रिया का कार्यक्रम कृषि विकास शिविर प्रौद्योगिकी हस्तांरण हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलकदमी पंचायत या गांव स्तर पर मिनीकिट वितरण की व्यवस्था है। इस मिनीकिट कार्यक्रम में खरीफ की सात फसलें शामिल हैं - धान, मक्का, अरहर, ऊड़द, मूंग, अंडी और तिल। रबी की खेती हेतु निदर्शनों में भी सात फसलें शामिल हैं - गेहूं, मक्का, चना, मसूर, मटर, राई/तोरी और राजमा।

11. वर्ष 2008-09 में किसानों को सब्सिडी पर 3,028 पावर टिलर उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2009-10 में किसानों को दिए गए पावर टिलरों की संख्या बढ़कर 4,041 हो गई। गत दो वर्षों (2008-09 और 2009-10) में किसानों को सब्सिडी पर 7,069 पावर टिलर दिए गए। बिहार में आधुनिकीकरण प्रक्रिया के अंग के बतौर राज्य सरकार किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि की खरीद के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकार्य अधिकाधिक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

12. वर्ष 2009-10 में बिहार के 13.40 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई। गौर किया जा सकता है कि वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक वास्तविक ऋण प्रवाह वार्षिक लक्ष्य के 80 प्रतिशत के आसपास रहा है। रकम के रूप में कुल ऋण प्रवाह 2004-05 से 2009-10 के बीच 273 प्रतिशत बढ़ा है।

13. राज्य में मत्स्य उत्पादन में लगातार वृद्धि होती दिख रही है। वर्ष 2004-05 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 2.67 लाख टन था। उसके बाद से मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई और इसका स्तर 2008-09 में 3.06 लाख टन तक पहुंच गया।

उद्यम क्षेत्र

1. बिहार में खनन/ प्रस्तर खनन और विनिर्माण क्षेत्र के मामले में निबंधित और अनिबंधित, दोनों ही क्षेत्रों में ह्रासोन्मुख रुझान रहा था लेकिन निर्माण क्षेत्र राज्य में विकास प्रक्रिया का मुख्य वाहक साबित हुआ जिसका हिस्सा 2004-05 के 5.52 प्रतिशत से 2009-10 में लगभग दूना होकर 11.18 प्रतिशत पहुंच गया।

2. गैर-कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादों के कुल मूल्य में राज्य का हिस्सा (0.99 प्रतिशत) कृषि आधारित उद्योगों (0.51 प्रतिशत) के मुकाबले लगभग दूना था। हालांकि कुल निवल मूल्यवर्धन में कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा गैर-कृषि आधारित उद्योगों के मुकाबले चारगुना अधिक था। खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू समूह ने बिहार के सभी चालू कारखानों के शुद्ध मूल्यवर्धन में 76 प्रतिशत से भी अधिक योगदान किया।

3. सुविकसित अधिसंरचात्मक सुविधाओं के अभाव तथा पूंजी के पलायन के कारण राज्य में खाद्य एवं पेय समूह के अंतर्गत मात्र 4 इकाइयां बड़े उद्योग के क्षेत्र में हैं - बांका, बेगूसराय, पूर्व चंपारण और रोहतास जिलों में एक-एक। उनके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में चार अन्य इकाइयां मौजूद हैं जिनमें आइटीसी, केसीसी और गंगोत्री आयरन शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 बड़ी इकाइयां हैं - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की चार इकाइयां, भारतीय तेल निगम की एक इकाई और एक आयुध कारखाना।

4. बिहार में सर्वेक्षित 71,435 उद्यमों में से 73 प्रतिशत अर्थात 52,188 इकाइयां चालू थीं। इनमें से 69 प्रतिशत इकाइयां विनिर्माण इकाइयां थीं और 31 प्रतिशत सेवा इकाइयां। प्रति इकाई रोजगार सेवा क्षेत्र के 1.92 व्यक्ति की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अधिक था - 3.64 व्यक्ति।

5. गत दशक के दौरान अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र में इकाइयों की संख्या के मामले में वार्षिक वृद्धि दर में विविधता थी – 2001-02 में 5.27 प्रतिशत से लेकर 2009-10 में 2.88 प्रतिशत तक। हालांकि कारीगरी इकाइयों के मामले में यह 5 से 7 प्रतिशत के बीच थी जबकि 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में (अक्तूबर तक) किसी इकाई के स्थापित होने की सूचना नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र का विकास अधिक धीमा था – 2006-07 में 1.42 प्रतिशत से अगले वर्ष में 2.93 प्रतिशत तक। दशक में जहां निवेश में 185 प्रतिशत वृद्धि हुई वहीं रोजगार में 38 प्रतिशत की।

6. राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के बीच प्रटना प्रमंडल में इस क्षेत्र की इकाइयों का सर्वाधिक 22 प्रतिशत संकेद्रण दिखा, वहीं कोशी और भागलपुर प्रमंडलों में तीन-तीन प्रतिशत ही। अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों के मामले में भी तिरहुत को छोड़कर शेष प्रमंडलों में ऐसा ही रुझान दिखा। तिरहुत में लघु इकाइयों का उच्च अनुपात (47 प्रतिशत) दर्ज किया गया। पुनः 9 में से 5 प्रमंडलों – भागलपुर, पूर्णिया, मगध, कोशी और सारण में 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना हुई ही नहीं।

7. अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों में से 81 प्रतिशत सामान्य श्रेणी और 13 प्रतिशत अजा/ अजजा द्वारा शुरू की गई जबकि शेष 6 प्रतिशत अल्पसंख्यक उद्यमियों द्वारा। अजा/ अजजा और अल्पसंख्यक उद्यमियों द्वारा शुरू की गई अतिलघु इकाइयों में निवेश और रोजगार भी सामान्य उद्यमियों की अपेक्षा कम देखा गया। सभी लघु तथा मध्यम इकाइयां सामान्य श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आरंभ किए जाने की सूचना है।

8. बिहार तेजी से खाद्य उत्पादों का बड़ा और विकासशील बाजार बनता जा रहा है। राज्य में कुल निजी उपभोग व्यय में से लगभग 65 प्रतिशत भोजन पर ही खर्च होता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, बिहार का वर्तमान खाद्य बाजार लगभग 40,000 करोड़ रु. का है जिसमें लगभग 18,000 करोड़ रु. का प्रसंस्कृत खाद्य तथा पेय बाजार भी शामिल है। संपूर्ण भारत के खाद्य उपभोग की अनुमानित 7 प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर बिहार का खाद्य उपभोग बाजार 2015 तक लगभग 83,000 करोड़ रु. का हो जाएगा।

9. राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में कृषि आधारित उद्योगों को पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार, राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा 1,159 करोड़ रु. के कुल मूल्यवर्धन में कृषि आधारित उद्योगों का 88 प्रतिशत हिस्सा था। अगर शेष लघु तथा अतिलघु इकाइयों को भी जोड़ लिया जाय, तो कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा और भी अधिक होगा हालांकि इसकी अधिकांश क्षमता का अभी उपयोग ही नहीं हो पाया है। स्पष्ट है कि राज्य सभी कृषि आधारित उद्योगों के मामले में संसाधन अथवा लागतजन्य लाभ नहीं उठा पा रहा है इसीलिए पूरे देश में बिहार का हिस्सा उससे बहुत कम है जितना आर्थिक रूप से संभव है।

10. बिहार में लगभग 2 लाख टन लीची का उत्पादन होता है जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत है। ताजा के साथ-साथ प्रसंस्कृत लीची के मामले में भी मुजफ्फरपुर की लीची को विशेष सम्मान हासिल है। इसी प्रकार, लगभग 31 हजार हे. जमीन पर उत्पादित तकरीबन 14 लाख टन केला ताजा तथा प्रसंस्कृत खाद्य बाजार हेतु महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। प्रसंस्कृत केले का बाजार दक्षिण भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ रहा है और मध्य-पूर्व में नए बाजार उभर रहे हैं। विविध प्रकार के वस्त्र योग्य रेशों में केले के रेशे के लिए भी अच्छी गुंजाइश है। राज्य में रेशा निष्कर्षण एवं धागा निर्माण केंद्र की स्थापना हेतु यह अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराता है।

11. बिहार में अनाजों में 4,500 करोड़ रु. का नुकसान अनुमानित है। अधिक इकाइयों की स्थापना और विपणन चैनलों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं। अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित क्षेत्र में हैं और उनकी सफलता के बहुत कम दृष्टांत मौजूद हैं। बहरहाल राज्य में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन की मिलिंग तथा प्रसंस्करण की भारी संभावना है।

12. अभी मात्र 28 चीनी मिल हैं जिनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और बंद हैं। निजी क्षेत्र के 10 मिलों में से बगहा और मोतिहारी के मिल लगभग बीमार और बंद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 18 बंद मिलों में से 15 बिहार राज्य चीनी निगम के तहत हैं और 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तहत। बहरहाल, उनको पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

13. मोटे अनुमान के मुताबिक बकरियों के 7-8 हजार चमड़ों और गायों की 2-3 हजार खालों से भरा तीन ट्रक कच्चा माल रोज मुजफ्फरपुर से विभिन्न स्थानों की ओर जाता है। बिहार के प्रमुख बाजारों में खालों-चमड़ों के संग्रहण के लिए तमिलनाडु की कुछ मशहूर चर्मशोधन इकाइयों के एजेंट नियुक्त हैं। स्थानीय चर्मशोधन उद्योग मुजफ्फरपुर की कुछ चालू इकाइयों तथा मोकामाघाट स्थित बाटा की चर्मशोधन इकाई तक सीमित है। फलत: अधिकांश कच्चा माल कोलकाता, कानपुर, चेन्नई और अन्य स्थानों पर चला जाता है।

14. राज्य में हथकरघा क्षेत्र में समय के साथ लगातार गिरावट देखी गई है और आज यह क्षेत्र मोटे तौर पर विपन्न बुनकरों की गाथा बनकर रह गया है। 1,090 बुनकर सहकारी समितियों के तहत मात्र 10,850 के करीब हथकरघे ही चालू हैं। हथकरघा इकाइयां राज्य के 38 में से 14 जिलों में संकेंद्रित हैं जिनमें पटना, गया, मधुबनी, सीवान, भागलपुर और नालंदा प्रमुख हैं। आइएल एंड एफएस द्वारा किया गया अध्ययन इस बात को दुहराता है कि अधिकांश बुनकर आज भी अत्यंत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं और उनके पास व्यावसायिक लिहाज से टिकाऊ काम नहीं है। बुनकरों का संघ बनाना और उनके काम को सक्षम स्तर पर लाना जरूरी है।

15. वर्ष 2006-07 में संपन्न चतुर्थ अखिल भारतीय अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम गणना के अनुसार 21 प्रतिशत से कुछ अधिक इकाइयां बंद थीं और लगभग 6 प्रतिशत का पता नहीं चला। श्रम और कच्चे मालों

की सहज उपलब्धता के बावजूद अधिकांश इकाइयां बहुत कम मुनाफे पर चल रही थीं। इसका कारण बाजार संबंधी अवसरों की कमी या इन सामग्रियों को सही बाजार में ले जाने के लिए अधिसंरचनात्मक सहायता की अनुपस्थिति भी हो सकता है। बंद इकाइयों में से 40.6 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में थीं और 59.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। पटना, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बेगूसराय और जहानाबाद जिलों में बंद इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी।

16. बिहार की सहयोगदाता संस्थाएं परिसंपत्ति होने के बजाय खुद ही बोझ साबित हो रही हैं। उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम (बिसिको) मुख्यत: अत्यंत कम ऋण वापसी के कारण खुद ही रुग्ण हैं और पुनर्जीवन की प्रतीक्षा में हैं।

17. अक्तूबर 2010 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) ने 398 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिनमें प्रस्तावित निवेश 1.81 लाख करोड़ रु. है और 1.55 लाख लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। इनमें से 180 परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण और 44 बिजली उत्पादन हेतु हैं। इन 398 प्रस्तावों में से 45 ने काम करना शुरू कर दिया है, 104 का काम उन्नत स्थिति में है और 249 क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें अब तक 1,102.5 करोड़ रु. का निवेश हो चुका है।

18. बिहार सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। पर्यटन विभाग में दो प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं - विकासमूलक और व्यावसायिक। व्यावसायिक गतिविधियां बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जरिए चलाई जा रही हैं जबकि विकासमूलक गतिविधियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों जैसे विभिन्न अभिकरणों के जरिए चलाई जा रही हैं।

19. पर्यटन विभाग का अनुमोदित योजना बजट 2005-06 के 7.43 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 18.30 करोड़ तथा 2010-11 में 30.44 करोड़ रु. हो गया। योजना परिव्यय में गुणात्मक छलांग राज्य में पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकार की चिंता का सूचक है।

20. राज्य सरकार द्वारा बिजली और सड़क जैसे मुख्य अधिसंरचना क्षेत्रों में किए गए क्षमता विस्तार के प्रयासों के बेहतर परिणाम मिलेंगे और आशा है कि बड़ी संख्या में परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर परिस्थिति सहज हो जाएगी और लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। अधिसंरचना में विकास एक ओर आपूर्ति पक्ष के अवरोधों को दूर करता है और दूसरी ओर अतिरिक्त घरेलू मांग को प्रेरित करता है।

भौतिक अधिसंरचना

1. बुनियादी अधिसंरचना के विकास की दिशा में पहला कदम गुणवत्तापूर्ण सड़कों का प्रावधान है। सड़कों का महत्व राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास और लोगों की आशाओं से प्रत्यक्षत: जुड़ा हुआ है। वर्ष

2009–10 में पथ निर्माण विभाग का योजना परिव्यय 3,046 करोड़ रु. और व्यय 3,045 करोड़ रु. था जबकि भौतिक उपलब्धि 3,474 किमी थी।

2. बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 94,009.42 किमी है जिसका लगभग तीन-चौथाई हिस्सा (74 प्रतिशत) संपर्क पथ है जबकि राष्ट्रीय उच्चपथ और राज्य उच्चपथ लगभग पांच-पांच प्रतिशत हैं। मुख्य जिला सड़कों का हिस्सा 9.54 प्रतिशत है और ऋजु पथ (थ्रू रूट्स) का लगभग 8.45 प्रतिशत। तथापि संपर्क पथों का अच्छा-खासा हिस्सा कच्चा है जिनकी स्थिति मॉनसून के दौरान सामान्यतः दयनीय हो जाती है।

3. सुदूर क्षेत्रों में, खास कर ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आवागमन को सहज-सुचारु बनाने के लिहाज से नदियों-नालों पर तथा क्षतिग्रस्त अथवा जीर्णशीर्ण पुलों की जगह नए पुल बनाना है। इस योजना के तहत 25 लाख से कम व्यय वाली योजनाएं जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित होती हैं जबकि उससे ऊपर की बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए। अभी तक कुल 1,418.57 करोड़ रु. के परिव्यय वाली 2,490 योजनाओं का चयन किया गया है।

4. वर्ष 2005–06 में कुल निबंधित वाहनों की संख्या लगभग 80 हजार ही थी जो 2009–10 में लगभग चारगुनी (3.19 लाख) हो गई है। इसमें 2006–07 में 2005–06 के मुकाबले सर्वाधिक 83 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दिखी। वाहनों की संख्या में वृद्धि सभी प्रकार के वाहनों के मामले में है। निबंधित वाहनों की संख्या बढ़ने से परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण, जो 2001–02 में मात्र 133 करोड़ रु. था, लगभग तीनगुनी वृद्धि दर्शाते हुए 2009–10 में 373 करोड़ रु. हो गया है। लगभग शत-प्रतिशत संग्रहण 2005–06 में देखा गया था और मात्र 58 प्रतिशत के आसपास 2006–07 में।

5. बिहार राज्य जलविद्युत निगम के स्वामित्व वाले नवीकरणीय संसाधन सहित बिहार की वर्तमान स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 584.6 मेगावाट है। जलविद्युत सहित कुल स्थापित क्षमता लगभग 600 मेगावाट है जबकि सर्वोच्च मांग 3,000 मेगावाट। वर्ष 2006–07 में कमी लगभग 17 प्रतिशत थी जो 2007–08 में बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई और 2009–10 में 40 प्रतिशत। वर्ष 2010–11 में कमी लगभग 45 प्रतिशत अनुमानित है। बिहार की वर्तमान स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 584.6 मेगावाट है जिसमें बिहार राज्य जलविद्युत निगम के स्वामित्व वाले नवीकरणीय संसाधन भी शामिल हैं। मीटर पठन के मुताबिक राज्य सरकार को केंद्रीय क्षेत्र से 1,746 से लेकर 1,791 मेगावाट तक बिजली मिलती है और तलचर एसटीपीएस (सुपर तापविद्युत संयंत्र) और कहलगांव एसटीपीएस-1 से 40-40 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

6. वर्ष 1999–2000 में कुल सृजित क्षमता 28.17 लाख हे. थी जो 2009–10 में बढ़कर 28.80 लाख हे. हो गई। वहीं, 2005–10 के दौरान पुनःस्थापित सिंचाई क्षमता लगभग 65 हजार हे. थी। खरीफ, रबी और गरमा फसलों के आधार पर कुल सिंचित क्षेत्रफल 1999–00 में 15.20 लाख हे. थी जो सृजित सिंचाई क्षमता के

लिहाज से 54 प्रतिशत उपयोग दक्षता को दर्शाती है। हालांकि 2009-10 में, जब सिंचाई क्षमता 28.80 लाख हे. थी, कुल सिंचित क्षेत्रफल 16.37 लाख हे. होने से उपयोग दक्षता लगभग 57 प्रतिशत ठहरती है।

7. दूरसंचार के क्षेत्र में बिहार में लगभग दसगुनी वृद्धि दर्ज की गई जब कनेक्शनों की संख्या 2005-06 के मात्र 42 लाख से 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) 415 लाख हो गई। कनेक्शनों की संख्या में प्रचुर वृद्धि मोबाइल कनेक्शनों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण है जिसमें इस अवधि में 17गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। लैंडलाइन कनेक्शनों में 2006-07 में 2005-06 की अपेक्षा काफी गिरावट आई थी जो उसके बाद लगभग यथावत है। डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों में धीमी वृद्धि दर्ज की गई जो 2010-11 में 2005-06 की अपेक्षा बस दूने हो गए।

8. वर्ष 2008-09 और 2009-10 में डाकघरों की संख्या 9,056 पर स्थिर रहीं जिनमें से 8,623 गांवों में थीं और 433 शहरों में। इनमें से लगभग 88 प्रतिशत डाकघर विभागेतर थे और 12 प्रतिशत विभागीय। पुनः राज्य में मौजूद कुल 9,056 डाकघरों में से लगभग 99 प्रतिशत स्थायी थे और मात्र 1 प्रतिशत अस्थायी। पूरे राज्य में मात्र 6 रात्रिकालीन डाकघर मौजूद थे और सभी के सभी शहरी क्षेत्रों में थे। वर्ष 2009-10 में कुल मिलाकर 24,960 लेटर बॉक्स और लगभग 900 पोस्ट बॉक्स मौजूद थे।

9. विमानों की सर्वाधिक आवाजाही 2007-08 में थी (12,604) और उसके बाद 2009-10 में (10,726)। विमानों की सबसे कम आवाजाही 2004-05 में दर्ज हुई थी (3,814)। हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या सामान्यतः चलने वाले विमानों की संख्या पर निर्भर करती है। हालांकि घरेलू यात्रियों की सर्वाधिक संख्या (5.53 लाख) 2009-10 में दर्ज की गई थी और उसके बाद 2007-08 में (4.44 लाख) जब विमानों की उड़ानें अपेक्षाकृत कम थीं।

10. वर्ष 2010 में बिहार में कुल 139 शहरी निकाय थे जिनमें से 10 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 87 नगर पंचायत थे। जलापूर्ति में सुधार के लिए पटना, फुलवारीशरीफ, खगौल और बोधगया के शहरी स्थानीय निकायों को 2009-10 में कुल 498.39 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

11. राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनेक पहलकदमियां ली गई हैं जिनमें प्रारूप परियोजना प्रस्तावों का निर्माण, अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन हेतु संविदा, कंपोस्ट संयंत्रों और लैंडफिल स्थलों का अनुश्रवण, लैंडफिल स्थलों की पहचान आदि शामिल हैं।

12. राज्य सरकार ने जलापूर्ति योजना के तहत 26 शहरी स्थानीय निकायों में 315 करोड़ रु. के कुल व्यय का काम शुरू किया है। शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा के तहत राज्य के 21 शहरों में 833.31 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से 15,748 मकानों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

13. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे बसे 21 शहरों में सुविधाओं में सुधार आरंभ किया गया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) इसके लिए नोडल अभिकरण है। इन परियोजनाओं के साथ-साथ गंगा नदी के पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए एक संस्था का गठन करना प्रस्तावित है। विचारित हस्तक्षेप हैं : (1) सम्यक मलजल निकासी एवं संबंधित परियोजनाएं, (2) पटना में नदी तट विकास, (3) समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं तथा मुक्तिधाम योजना।

14. कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसंरचनात्मक क्षेत्रों में वांछित स्तर तक क्षमता विकास एक प्रमुख चुनौती है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक संबंधित पहलकदमियों की जरूरत पड़ सकती है। राज्य में अधिसंरचना में कमी के आयाम को देखते हुए अधिसंरचनात्मक क्षमता और सेवाओं के विकास में बड़े पैमाने पर तेजी लाने की जरूरत है।

सामाजिक क्षेत्र

1. वर्ष 2001-02 में बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम था। यह अंतराल 2002-03 और 2004-05 के बीच और अधिक बढ़ा, लेकिन 2005-06 से 2007-08 के बीच इसमें कमी आने लगी। वर्ष 2008-09 में एक बार पुनः रुझान पलट गया। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में बिहार के प्रति व्यक्ति विकास व्यय में उभार का अनुमान किया गया है।

2. बिहार में गत दशक के पूर्वार्ध में साक्षरता दर बढ़ने के साथ लैंगिक अंतराल तेजी से बढ़कर 26.1 प्रतिशत से 33 प्रतिशत हो गया। 15 से 35 वर्ष उम्र समूह की 40 लाख महिलाएं मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत आच्छादित हैं।

3. बिहार में प्रति 10 हजार आबादी पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कुल आच्छादन 6.05 से बढ़कर 6.98 हो गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। 38 में से 17 जिले ऐसे हैं जिनमें प्रति 10 लाख आबादी पर लगभग 5 माध्यमिक विद्यालय हैं। वहीं, 15 जिलों में प्रति 10 लाख आबादी पर औसतन 3 संस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

4. वर्ष 2002-03 से 2008-09 के बीच उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि हुई है : सभी विद्यार्थी 19.63 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 23.24 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति 27.87 प्रतिशत।

5. बिहार में 2001-02 से 2008-09 के बीच प्राथमिक शिक्षा की छीजन दरों में 16.6 प्रतिशत गिरावट आई है। वर्ष 2006-07 से 2007-08 के बीच उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के मामले में छीजन दरों में काफी गिरावट आई थी।

6. मध्याह्न भोजन योजना के तहत आच्छादित बच्चों की कुल संख्या प्राथमिक स्तर पर 115.6 लाख है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 369.4 लाख।

7. 2007-10 की अवधि में बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य फोकस विद्यालय न जाने वाले बच्चों, लैंगिक और सामाजिक असमानता में कमी तथा वर्गकक्ष में संवाद में सुधार संबंधी हस्तक्षेपों पर रहा है।

8. बिहार में एक नया विश्वविद्यालय 2004 में तथा एक अन्य विश्वविद्यालय 2008 में खुला। वर्ष 2005 में तीन नए शोध संस्थान शामिल हुए और 2007 में एक। महाविद्यालयों की कुल संख्या 2004 और 2005 के बीच 743 से बढ़कर 800 हो गई। वर्ष 2007 में 15 और नए महाविद्यालय जुड़े जिससे कुल संख्या 815 हो गई। वर्ष 2008 और 2009 के बीच दो नए अभियंत्रण महाविद्यालय/ संस्थान खुले। वर्ष 2008 और 2009 के बीच 9 शिक्षण/ प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए।

9. उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का बढ़ता हिस्सा सबसे अधिक शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षा में है और उसके बाद कला में।

10. वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच शिक्षा हेतु योजना और गैर-योजना, दोनों के बजट में काफी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

11. बिहार का बाल लिंग अनुपात 942 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसमें जिलों के बीच ज्यादा समरूपता है जो अधिकतम 967 और न्यूनतम 915 के बीच है।

12. बिहार में टीकाकरण के आच्छादन, संस्थागत प्रसव तथा बाल मृत्यु के मामले में 2002-04 और 2007-08 के बीच काफी नियमित सुधार दिखा है।

13. अक्तूबर 2010 में राज्य में 10,632 स्वास्थ्य केंद्र थे। इनमें से 494 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8,858 स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा 1,243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रति लाख आबादी पर 11 स्वास्थ्य केंद्र हैं।

14. स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सरकारी सुविधाओं के लिए पहुंचने वाले रोगियों की संख्या में 2006 से होने वाली माहवार प्रगति असाधारण रही है। संस्थागत प्रसवों की संख्या भी 2006-07 से बहुत तेजी से बढ़ी है। बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी प्रतिरक्षण का आच्छादन 2008-09 और 2009-10 के बीच काफी बढ़ा है।

15. राशि की प्राप्ति के बरअक्स उसका उपयोग 2005-06 के 31.1 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 89.8 प्रतिशत हो गया है।

16. बिहार में सभी 38 जिलों के सभी विकास प्रखंडों को आच्छादित करती 544 समेकित बाल विकास योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत 86,237 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) तथा 5,440 लघु आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे

हैं। समेकित बाल विकास योजना में बजट के प्रतिशत के बतौर व्यय 2008-09 के 78 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 92 प्रतिशत पहुंच गया है।

17. ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के जरिए आच्छादन 2007-08 में लक्ष्य का 25 प्रतिशत था जो 2009-10 में बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया है। पुराने चापाकलों को बदलने के मामले में 2009-10 में 60 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो सकी।

18. वर्ष 2009-10 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1,58,061 व्यक्ति लाभान्वित हुए थे। लगभग 40 प्रतिशत लाभान्वित महिलाएं थीं जबकि 62 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के थे। 6,090 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी इस योजना के जरिए सहायता दी गई थी।

19. वर्ष 2009-10 में इंदिरा आवास योजना के तहत 69.4 प्रतिशत राशि का उपयोग करके 59 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल हुआ था। उस वर्ष पूरा हुए कुल मकानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 51 प्रतिशत था।

20. मनरेगा के तहत 2009-10 में 124.1 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए जिनमें से 41.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार थे। 33.3 प्रतिशत जॉब-कार्डधारी परिवारों ने 2009-10 में रोजगार की मांग की थी और 33.26 प्रतिशत जॉब-कार्डधारी परिवारों को रोजगार मिला था। रोजगार पाने वाले 6.95 प्रतिशत परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

21. राज्य में जन वितरण प्रणाली के 42,207 दूकानदार हैं। वर्ष 2007-08 तक बिहार में जन वितरण प्रणाली का आबंटन केंद्र सरकार पर पूरी तरह निर्भर था। वर्ष 2008-09 से राज्य सरकार ने भी जन वितरण प्रणाली की तीनों योजनाओं के तहत आबंटन करना शुरू किया है। बीपीएल के लिए चावल और गेहूं का उठाव काफी बढ़ा है।

22. अनुसूचित जाति/ अनुसूचिज जनजाति कल्याण हेतु कुल परिव्यय 2009-10 के 311.2 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 403.36 करोड़ रु. हो गया।

23. वर्ष 2009-10 तक मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना के जरिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 842537 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

24. वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच परिव्ययों में भारी वृद्धि के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के बतौर जेंडर बजट में 6.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परिव्ययों में अधिक वृद्धि मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और पंचायती राज में हुई है।

25. वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत बिहार के 27 जिलों के 176 प्रखंडों, 1,519 पंचायतों और 4,819 गांवों में 16,367 महिला स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा था। इस प्रयास के जरिए 15.19 करोड़ रु. की बचत की गई है। जीविका निर्माण/ खाद्य सुरक्षा/ कौशल विकास/ रोजगार सृजन के लिए 61 महिला स्वयं सहायता समूहों को 535.8 लाख रु. प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, 52,095 विकास स्वयंसेवकों को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की रणनीति संचालित करने के लिहाज से सक्षम बनाया गया है।

26. विभिन्न योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं का व्यय/ परिव्यय अनुपात 2009-10 में 80 और 100 प्रतिशत के बीच था। समेकित कार्य योजना के तहत जिलों को 125 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

27. पिछड़े तथा अति पिछड़े वर्गों के कल्याण का पैटर्न दर्शाता है कि अनुमोदित राशि के प्रतिशत के बतौर व्यय का प्रतिशत सामान्यतः काफी अधिक होता है।

28. वर्ष 2009-10 में 14 जिलों में पटना में एक बालिका छात्रावास सहित 15 छात्रावासों का निर्माण किया गया है।

29. शिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियों को प्रशिक्षण देने के मकसद से 36 सामान्य तथा 9 महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ), 34 ट्रेड में, नियमित आधार पर प्रशिक्षण चला रहे हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2010 में कुल नामांकन बढ़कर 10,000 हो गया है।

30. वर्ष 2010-11 में राज्य का सामाजिक कल्याण परिव्यय 1,775.57 करोड़ रु. था। समाज कल्याण में सर्वाधिक 52 प्रतिशत व्यय सामाजिक सुरक्षा में था जिसके बाद बाल विकास (34.4 प्रतिशत) और महिला सशक्तीकरण (12.7 प्रतिशत) का स्थान था।

31. वर्ष 2008-09 में 203.88 एकड़ गैरमजरुआ जमीन का वितरण मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के बीच किया गया था।

बैंकिंग तथा सहवर्ती क्षेत्र

1. मार्च 2010 के अंत तक बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 4,156 शाखाओं में से 57.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, 22.45 प्रतिशत अर्धशहरी क्षेत्रों में और 19.83 प्रतिशत शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में स्थित थीं। वर्ष 2010 के दौरान शाखाओं की कुल संख्या में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई तथापि नई खुली 214 शाखाओं में से 44 को छोड़ शेष सभी शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में खुलीं। विगत कई वर्षों से देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा व्यवहारतः 5 प्रतिशत के आसपास स्थिर है।

2. दिसंबर 2009 में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1,451 शाखाएं थीं। उनमें कुल जमा 2007 में 7,200 करोड़ रु. था जो 2009 में बढ़कर 10,400 करोड़ रु. हो गया। लेकिन उनके द्वारा दिए गए ऋणों में मात्र 1,600 करोड़ के आसपास ही वृद्धि हुई। इस प्रकार बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने जहां इन दो वर्षों में

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 3,200 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जमा की, वहीं ऋण के बतौर उसका लगभग आधा हिस्सा ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वापस पहुंचा।

3. दिसंबर 2009 में बिहार के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल जमा का हिस्सा लगभग 43 प्रतिशत था। वर्ष 2009-10 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का हिस्सा लगभग लगभग 6 प्रतिशत था।

4. मार्च 2008 में बिहार में बैंककर्मियों की कुल संख्या 28,960 थी, जिनमें से एक-तिहाई से अधिक अधिकारी संवर्ग के थे। भारत में कार्यरत अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के समस्त कर्मियों कुल संख्या का मात्र 3.45 प्रतिशत ही बिहार में है।

5. जहां बिहार में 2009-10 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की अपेक्षा 14,800 करोड़ रु. से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई वहीं ऋण 5,400 करोड़ रु. ही बढ़ा है। लेकिन देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा तो 2.2 प्रतिशत था जबकि ऋण में कुल हिस्सा मात्र 0.87 प्रतिशत।

6. प्रति व्यक्ति जमा और प्रति व्यक्ति ऋण, दोनों मामलों में बिहार का स्थान देश के प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सबसे नीचे है। देश के अंदर प्रति बैंक कार्यालय सेवित सर्वाधिक जनसंख्या भी बिहार में ही है। जहां बिहार में 2009-10 में प्रति व्यक्ति जमा 10,525 रु. था वहीं प्रति व्यक्ति ऋण 3,011 रु. ही था।

7. बिहार का ऋण-जमा अनुपात अभी 32 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 73 प्रतिशत से काफी नीचे है और तमिलनाडु (113 प्रतिशत), महाराष्ट्र (81 प्रतिशत), राजस्थान (88 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (61 प्रतिशत) या उत्तर प्रदेश (43 प्रतिशत) जैसे राज्यों से काफी कम है।

8. जून 2010 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 99,636 करोड़ रु. था जबकि ऋण 32,109 करोड़ रु.; फलतः ऋण-जमा अनुपात 32.23 प्रतिशत था। यह 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के पहले बहार के ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से काफी नीचे था।

9. मार्च 2010 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 37 प्रतिशत था। यह राष्ट्रीय औसत (80 प्रतिशत) के मुकाबले काफी कम है।

10. ऋण-जमा अनुपात के मामले में बिहार के जिलों के बीच काफी अंतर है। सीवान में यह 19 प्रतिशत है तो पड़ोसी पश्चिमी चंपारण में 45 प्रतिशत और किशनगंज में 51 प्रतिशत। राज्य के 38 में से 17 जिलों में यह 30 प्रतिशत से कम है। वहीं 9 जिलों में यह 40 प्रतिशत से अधिक है।

11. बिहार में 10 निजीं बैंकों की 69 शाखाएं हैं जिनके ऋण-जमा अनुपात 2 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के बीच हैं। जून 2010 तक इनमें से किसी की कोई ग्रामीण शाखा नहीं थी और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी उनकी उपस्थिति बहुत सीमित थी।

12. बिहार में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनमें से प्रत्येक किसी खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 53 प्रतिशत है तो बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात न्यूनतम 36 प्रतिशत।

13. मार्च 2007 तक कुल ऋण में कृषि (24.2 प्रतिशत), उद्योग और विनिर्माण (22 प्रतिशत), व्यक्तिगत ऋण (31.8 प्रतिशत) तथा व्यापार (14.4 प्रतिशत) का संयुक्त हिस्सा 92 प्रतिशत था। शेष ऋण पेशेवर तथा अन्य सेवाओं, वित्त तथा विविध गतिविधियों के लिए दिए गए थे।

14. कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 66 प्रतिशत हिस्सा था। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा लगभग दो-तिहाई था जो राज्य के अंदर कुल अग्रिमों के 41 प्रतिशत से अधिक है। लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का कुल वितरित ऋण में मात्र 17 प्रतिशत हिस्सा था। वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 83 प्रतिशत से अधिक थी और इसमें क्षेत्रों के बीच काफी भिन्नता दिखी। बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत बिहार में कुल ऋण प्रवाह 29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2008-09 के 13,548 करोड़ रु. से बढ़कर 2009-10 में 17,537 करोड़ रु. हो गया है।

15. बिहार में 8,463 पैक्स हैं जिनका संपूर्ण भारत के पैक्स में लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन जमा और ऋणप्रदान के मामले में बिहार अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। 31 मार्च 2009 को उन पर बकाया ऋण 432 करोड़ रु. था और कुल ऋणप्रदान 501 करोड़ रु.।

16. बिहार में राजकीय सहकारी बैंकों की ऋण वसूली का प्रतिशत 2009 में मात्र 36 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 92 प्रतिशत था। बिहार में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का परिमाण कुल बकाया ऋणों का 42.5 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 12 प्रतिशत था। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में बिहार में 2007-08 में वसूली का प्रतिशत मात्र 16.9 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 49.9 प्रतिशत था।

17. बिहार में व्यावसायिक बैंकों द्वारा 1999 से 2009 के बीच जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या काफी अधिक थी। मार्च 2010 तक राज्य में समग्र उपलब्धि लक्ष्य के 89 प्रतिशत के आसपास रही है।

18. नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन में लगातार वृद्धि हो रही है और 2009-10 के अंत में इसका परिमाण 826 करोड़ रु. है। अधिकांश वित्तीय सहायता ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के जरिए दी गई है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के विभिन्न ट्रेंच के जरिए नाबार्ड द्वारा जून 2010 तक बिहार के लिए 3,835 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत राशि में से 1,891 करोड़ रु. (49 प्रतिशत) का ही वितरण किया जा सका था।

19. 30 जून 2010 तक कुल 1,85,600 स्वयं सहायता समूहों का बैंक के साथ ऋण-संबंध हो चुका था और इन स्वयं सहायता समूहों तक हुआ कुल ऋण प्रवाह 1,003 करोड़ रु. था। वर्ष 2007-08 से 2009-10 के बीच बिहार में स्वयं सहायता समूहों के बैंक के साथ ऋण-संबंध की वृद्धि दर मात्र 13 प्रतिशत रही है। 31 मार्च 2010 तक देश के कुल स्वयं सहायता समूहों में बिहार का हिस्सा मात्र 1.69 प्रतिशत था। बिहार में सूक्ष्मवित्त की पैठ देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। मार्च 2010 तक चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 111.82 करोड़ रु. की कुल रकम से 10,237 स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण किया था जो बिहार में समूहों को कुल 1,008 करोड़ रु. की वित्तपोषित राशि का लगभग 11 प्रतिशत है।

20. बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना, 2007-12 के लिए कुल अनुमानित परियोजना व्यय 7.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर में विश्व बैंक (आइडीए) का सहयोग 6.3 करोड़ डॉलर है। इसमें बिहार सरकार 70 लाख डॉलर अंशदान कर रही है जबकि समुदाय से 30 लाख डॉलर अंशदान की अपेक्षा है। बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना का लक्ष्य 2007-12 की अवधि में बिहार के 6 जिलों के 42 प्रखंडों में 5,90,000 परिवारों को शामिल करते हुए 44,000 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना है।

21. मार्च 2007 में बिहार में कुल 8,731 निबंधित लिमिटेड कंपनियां थीं (देश की कुल कंपनियों का 1.17 प्रतिशत)। इनमें से 7,552 (86.5 प्रतिशत) निजी क्षेत्र की थीं और मात्र 1,179 (13.5 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र की। मार्च 2009 तक बिहार में कार्यरत कुल लिमिटेड कंपनियों में निजी क्षेत्र का हिस्सा 87 प्रतिशत हो गया, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संख्या 27 घट गई।

राजकीय वित्तव्यवस्था

1. बिहार में राजस्व अधिशेष 2006-07 में मात्र 2,498 करोड़ रु. था जो 2010-11 में बढ़कर 6,557 करोड़ रु. हो गया है। इसी अवधि में पूंजीगत परिव्यय व्यवस्थित रूप से बढ़ते हुए 5,211 करोड़ रु. से 10,434 करोड़ रु. हो गया है।

2. इस अवधि में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकास व्यय 17.2 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 35.6 हजार करोड़ रु. हो गया जबकि गैर-विकास व्यय 10.1 हजार करोड़ रु. से थोड़ा बढ़कर 18.2 हजार करोड़ रु. पहुंचा जिसमें बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतानों और पुराने ऋणों का था।

3. वर्ष 2001-02 में राज्य सरकार पर 29.0 हजार करोड़ रु. का बकाया ऋण था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 53 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2010-11 तक बकाया ऋण और भी बढ़कर 57.7 हजार करोड़ रु. और ऋण सेवा भुगतान 7.5 हजार करोड़ रु. हो गया है, लेकिन बकाया ऋण अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 29 प्रतिशत ही है।

4. प्रमुख राजकोषीय सूचक गत 5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की ओर संकेत करते हैं। टिकाऊपन के पैरामीटरों में लगातार सुधार होता गया। राज्य के कर राजस्व में

उत्फुल्लता की स्थिति थी हालांकि गैर-कर राजस्वों पर राज्य की बढ़ी आय का कोई असर नहीं दिखा। काफी अच्छे ऋण प्रबंधन के कारण राज्य सरकार ने गत वर्षों के दौरान वर्धित लचीलापन दर्शाया था और वह सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं और भौतिक अधिसंरचना के मानकों में सुधार हेतु अपने संसाधनों को मोड़ पाने के लिहाज से काफी अच्छी स्थिति में थी। हालांकि अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय राशियों पर अत्यधिक निर्भर है। वर्ष 2010-11 (बजट अनुमान) में इसके कुल संवितरणों का 68 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय अंतरणों से वित्तपोषित हो रहा है। राज्य सरकार को होने वाले सकल अंतरणों में लगभग 64 प्रतिशत हिस्स केंद्रीय करों में इसके हिस्से का है और शेष केंद्रीय अनुदानों तथा ऋणों का।

5. बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2008-09 में 2,507 करोड़ रु. के आसपास था जो तेजी से बढ़कर अगले वर्ष 5,273 करोड़ रु. हो गया था। लेकिन 2010-11 के बजट अनुमान में थोड़ा घटकर यह 4,594 करोड़ रु. रह गया। सकल राज्य घरेलू उत्पद के प्रतिशत के बतौर यह 2007-08 के 1.06 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 1.73 प्रतिशत हो गया जिसके बाद अगले वर्ष तेजी से बढ़कर 3.06 प्रतिशत तक पहुंच गया। हालांकि 2010-11 के बजट अनुमान में वह पुनः गिरकर 2.28 प्रतिशत पर आ गया। 2005-06 से 2010-11 तक सकल राजकोषीय घाटे में अधिकांश योगदान पूंजीगत परिव्यय का था, खास कर बाद के वर्षों में।

6. राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की लोक लेखा प्राप्तियों के अलावा मुख्यतः आंतरिक बाजार से ऋण लेने के जरिए हुआ। वर्ष 2005-06 से सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में केंद्र सरकार के ऋणों की व्यवहारतः कोई भूमिका नहीं है।

7. वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय के मुकाबले अधिक तेज वृद्धि हुई जिस कारण इन तमाम वर्षों में राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही। कर और गैर-कर, दोनों मिलाकर राज्य सरकार का अपना राजस्व 2005-06 तक इसके राजस्व व्यय का मुश्किल से चौथाई भाग ही जुटा पाता था जो अब इसके 29 प्रतिशत भाग को पूरा करता है। राज्य का कुल राजस्व 2006-2011 की अवधि में दूने से भी अधिक हो गया है - 23,083 करोड़ रु. से 47,235 करोड़ रु.। इस अवधि में राज्य का अपना राजस्व भी, जिसमें कर और गैर-कर, दोनों प्रकार के राजस्व शामिल हैं, और भी तेज दर से बढ़ा है - 4,544 करोड़ रु. से बढ़कर 11,851 करोड़ रु.।

8. राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसके अपने कर राजस्व का हिस्सा 2005-06 के 23 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2010-11 में 25 प्रतिशत हो गया और इस अवधि के अधिकांश भाग में यह इसके कुल राजस्व व्यय के समान हिस्से का ही वित्तपोषण कर सका।

9. बिहार में 2005-06 तक राज्य सरकार के कुल व्यय में गैर-योजना व्यय का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद योजना व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ता गया और अब 2010-11 में 45 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। लगभग 60 प्रतिशत गैर-योजना व्यय गैर-विकासमूलक प्रवृत्ति का है। गैर-योजना व्यय का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान के कारण था। वर्ष 2005-06 से 2010-11 के बीच कुल योजना व्यय 19.0 हजार करोड़ रु. बढ़ा और कुल गैर-योजना व्यय 12.0 हजार करोड़ रु.।

10. राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व 2005-06 के 17.3 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 के बजट अनुमान में 34.2 हजार करोड़ रु. हो गया है और इसी अवधि में गैर-कर राजस्व 511 करोड़ रु. से बढ़कर 1,207 करोड़ रु.। गैर-कर राजस्व में यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा दी गई ऋण राहत के कारण थी।

11. इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर का संयुक्त हिस्सा इसकी कुल कर प्राप्तियों का 98 प्रतिशत था। इनमें से अकेले बिक्री कर का हिस्सा 53 प्रतिशत था जिसके बाद माल एवं यात्री कर का स्थान है (15 प्रतिशत)।

12. राज्य सरकार के गैर-कर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व खानों एवं खनिजों से रॉयल्टी है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्ति है। कुल गैर-कर प्राप्तियों में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा मात्र 42 प्रतिशत है। ब्याज प्राप्तियों का हिस्सा 2005-11 की छः वर्षीय अवधि में 41 प्रतिशत से गिरकर 18 प्रतिशत रह गया है जबकि रॉयल्टी का हिस्सा इस अवधि में 19 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है।

13. पेंशन और वेतन व्यय मिलकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत और राज्य सरकार के 2010-11 के बजट अनुमान में व्यक्त राजस्व व्यय के 41 प्रतिशत के बराबर हो जाते हैं।

14. सरकार द्वारा 2009-10 में किए गए 42,794 करोड़ रु. के कुल व्यय में 50 प्रतिशत उसका उपभोग व्यय रहा है जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मजदूरी पर व्यय के साथ-साथ प्रशासन चलाने के लिए हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय शामिल है। कुल व्यय के 17 प्रतिशत का उपयोग उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में हुआ। अनुदान, सब्सिडी, पेंशन भुगतान आदि के जरिए कुल व्यय का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अंतरित किया गया और सिर्फ 1 प्रतिशत का अंतरण पूंजी निर्माण हेतु किया गया। मात्र 5 प्रतिशत व्यय का उपयोग वित्तीय निवेश करने तथा शेष अर्थव्यवस्था को ऋण एवं अग्रिम देने के लिए किया गया है।

15. दसवीं और ग्यारहवीं, दोनों योजनाओं के दौरान बिहार में योजना व्यय का फोकस सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर रहा है। आर्थिक सेवाओं में फोकस कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा तथा परिवहन पर रहा है। ग्यारहवीं योजना में कृषि पर दसवीं योजना की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया जबकि सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के विकास पर दोनों ही योजनाओं में बल दिया गया।

योजना व्यय का पैटर्न समग्रत: योजना के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप है। योजना व्यय वित्तपोषण के स्रोतों की बात करें, तो राज्य दसवीं योजना की अपेक्षा ग्यारहवीं योजना में काफी अधिक आत्मनिर्भर हो गया है जो धन की कुल जरूरतों के 75 प्रतिशत भाग का पोषण कर रहा है।

16. तेरहवें वित्त आयोग की कार्यावधि में बिहार को 14,603 करोड़ रु. के अनुदान अलावा केंद्रीय करों के हिस्से के बतौर 1,58,341 करोड़ रु. की राशि मिली है जिससे 2011-2015 की अवधि में कुल सुपुर्दगी 1,72,944 करोड़ रु. हो गई है। कुल कर सुपुर्दगी में बिहार का हिस्सा 10.9 प्रतिशत है जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हिस्सा 11.03 प्रतिशत से कम है।

17. तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 2006-07 तक निकालकर राज्यों को दिए गए तथा 2009-10 तक बकाया ऋणों को विहित तिथि में निर्धारित अधिक व्याज दर के बजाय नए सिरे से तय करके 9 प्रतिशत कर दिया जाय। 31 मार्च 2010 तक बिहार के पास राष्ट्रीय लघु बचत कोष का बकाया ऋण 13,269 करोड़ रु. था। तेरहवीं योजनावधि में बिहार को मिलने वाली कुल ब्याज राहत 498 करोड़ रु. होगी।

18. योजनागत योजनाओं के लिए मिले वित्त मंत्रालय से इतर के केंद्रीय ऋणों की बात करें, तो 31.03.2008 तक बिहार के पास 107 करोड़ रु. का बकाया शेष था। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि 2009-10 तक बकाया सारे ऋण माफ कर दिए जायं।

19. तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कुल सहायता अनुदानों में प्रचुर वृद्धि करने के अलावा विभाज्य करों की शुद्ध प्राप्तियों को प्रति वर्ष 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया है। बारहवें वित्त आयोग की तुलना में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उदग्र सुपुर्दगी 36 प्रतिशत अधिक है। बिहार का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के 14.6 प्रतिशत से घटकर बाहरवें वित्त आयोग के समय 11.0 प्रतिशत और उससे भी घटकर तेरहवें वित्त आयोग के समय 10.9 प्रतिशत रह गया है। इसका अर्थ तेरहवें आयोग की अवधि में लगभग 2,400 करोड़ रु. की हानि है। लगातार योजना अवधियों में कुल सहायता अनुदानों में बिहार का हिस्सा व्यवहारत: एक ही रहा है (बारहवें वित्त आयोग के 5.559 प्रतिशत के मुकाबले तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 5.647 प्रतिशत।

अध्याय 1

वृहदावलोकन

बिहार की अर्थव्यवस्था सतत विकास का रुझान दर्शाती रही है। अर्थव्यवस्था में पारस्परिक संबंधों के जरिए विकास को टिकाऊ होना है क्योंकि एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्रों के विकास को गति देता है। विकास की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा भौतिक अधिसंरचना में भारी निवेश, सामाजिक क्षेत्र, खास कर शिक्षा और स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण तथा सरकार के कामकाज में सुधार लाने के जरिए ही संभव थी। प्रशासन के फोकस में भारी बदलाव आया है। संभावना है कि बिहार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न आवेग के जरिए ग्यारहवीं योजना (2007-12) योजना में कल्पित सारे लक्ष्य पूरे कर लेगा। हाल के वर्षों में विकास की गति ही तेज नहीं हुई है, इसकी प्रकृति भी अधिक समावेशी हुई है।

बिहार की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझने के लिए यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि 2009-10 में 9.60 करोड़ की अनुमानित आबादी वाला बिहार एक सघन जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चूंकि बिहार गंगा के मैदान का भाग है इसलिए राज्य की मिट्टी उपजाऊ है और जल संसाधन प्रचुर। नवंबर 2000 में विभाजन के बाद राज्य का खनिज संपदा वाला भाग नवगठित झारखंड में चला गया और बिहार के पास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही बची रह गई। तथापि प्रचुर कृषि संसाधनों के आदर्श उपयोग से अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाना संभव हुआ और गत पांच वर्षों में बिहार के विकास की गति उस संभावना का जीवंत प्रमाण है।

गत दो वर्षों के दौरान वार्षिक वर्षा कम हुई और राज्य को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। फिर भी विकास की गति पर बहुत मामूली असर पड़ा क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य की विकासजन्य आवश्यकताओं पर काफी ध्यान दिया। राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग को की गई प्रस्तुति के अंग के बतौर बिहार के विकास पर दीर्घकालिक दृष्टि विषयक सम्यक दस्तावेज तैयार किया है। आशा है, केंद्र सरकार राज्य के त्वरित विकास हेतु इसकी संसाधन संबंधी जरूरतों के प्रति अधिक तर्कसंगत तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि अपनाएगी और राज्य को वांछित धन आबंटित करेगी।

वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की अर्थव्यवस्था और उसके विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का ब्योरा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए क्षेत्रवार प्रयास तथा उनमें हुई उपलब्धियां भी शामिल होंगी। साथ ही, उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की राह में बाधक कुछ अवरोधों को भी रेखांकित

किया जाएगा। सर्वेक्षण में वृहदावलोकन के अलावा छः अन्य अध्याय भी शामिल हैं – कृषि तथा सहवर्ती क्षेत्र, उद्यम, भौतिक अधिसंरचना, सामाजिक क्षेत्र, बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र और राजकीय वित्तव्यवस्था।

1.1 राज्य घरेलू उत्पाद

बिहार के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। दोनों ही अनुमान वर्तमान मूल्य पर और स्थिर (2004-05) मूल्य पर अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। तालिका 1.1 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और तालिका 1.2 में स्थिर (2004-05) मूल्य पर। इसी प्रकार, तालिका 1.3 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और तालिका 1.4 में स्थिर (2004-05) मूल्य पर। गौर करना चाहिए कि 2007-08 तक के आंकड़े अंतिम अनुमान हैं। वर्ष 2008-09 के लिए आंकड़े अनंतिम (प्रोविजनल) अनुमान से संबंधित हैं जबकि 2009-10 में त्वरित अनुमान दिए गए हैं। नीचे सकल राज्य के घरेलू उत्पादों का उपयोग करते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर का स्थिर (2004-05) मूल्य पर विश्लेषण किया गया है (तालिका 1.2)[1]।

वर्ष 2009-10 में 2004-05 के मूल्य पर बिहार का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,35,900.23 करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 13,983 रु. थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2008-09 के मुकाबले 11.70 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। वर्तमान मूल्य पर 2009-10 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,72,138.46 करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 17,959 रु. थी। अगर 2000 के समय से बात की जाय, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो 1999-2000 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1999-2000 से 2008-09 तक 7.06 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा (तालिका 1.5)।

बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर गत वर्षों एक जैसी नहीं रही है। वर्ष 1999-00 से पहले पांच वर्षों के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था 3.50 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई थी। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के फलस्वरूप 2004-05 से 2010-11 तक अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य के लिहाज से 10.93 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। देश के विभिन्न राज्यों के बीच यह सर्वाधिक विकास दरों में से एक है।

---

[1] इस सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के बाद सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार ने 11-02-2011 को बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों के नए सेट जारी किए हैं। ये अनुमान वर्तमान सर्वेक्षण में प्रस्तुत अनुमानों से थोड़े भिन्न हैं।

तालिका 1.1 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 से 2010-11)

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अनुमानित)
1. कृषि/ पशुपालन	19747.50	19944.91	26193.37	27261.80	35273.85	35351.04	35428.40
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2729.76	2797.84	3107.12	3116.46	3126.79	3139.71	3228.81
3. मत्स्य उद्योग	1132.48	1163.99	1316.82	1441.86	2352.07	2435.71	2838.86
4. खनन/ प्रस्तर खनन	42.07	97.16	81.33	83.32	83.31	83.34	95.55
उप योग (प्राथमिक)	23651.81	24003.90	30698.64	31903.44	40836.02	41009.80	41591.62
5. विनिर्माण	4375.87	4150.83	4662.06	6208.93	6546.30	6910.54	7587.31
5.1 निबंधित	1121.94	642.68	550.01	1385.97	1385.79	1386.26	1446.17
5.2 अनिबंधित	3253.93	3508.15	4112.05	4822.96	5160.51	5524.28	6141.14
6. निर्माण	4175.52	6055.60	8667.83	11599.38	13975.82	19856.79	27123.67
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1145.63	1161.60	1136.56	1391.78	1421.60	1637.08	1758.23
उप योग (द्वितीयक)	9697.02	11368.03	14466.45	19200.09	21943.72	28404.41	36469.21
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	4588.79	5050.53	5880.45	6610.41	7500.92	8370.13	9441.49
8.1 रेलवे	1447.93	1579.56	1982.82	2303.89	2542.11	2804.96	3201.57
8.2 अन्य परिवहन	1976.43	2164.06	2520.53	2812.53	3196.40	3464.90	3876.62
8.3 भंडारण	62.36	65.53	78.43	91.98	104.63	119.08	135.53
8.4 संचार	1102.07	1241.38	1298.67	1402.01	1657.78	1981.19	2227.77
9. व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	16273.29	17220.90	23456.25	30356.98	39436.37	51909.64	65464.00
उप योग (8 तथा 9)	20862.08	22271.43	29336.70	36967.39	46937.29	60279.77	74905.49
10 बैंकिंग/ बीमा	2585.89	2731.18	3191.63	3525.59	4444.97	5089.60	5827.72
11. आरईओडीबी	4053.34	4794.57	5788.84	6869.49	7915.59	9308.63	10992.60
उप योग (10 तथा 11)	6639.23	7525.75	8980.47	10395.08	12360.56	14398.23	16820.32
12. लोक प्रशासन	5227.54	5538.08	5886.73	6476.95	7485.75	9745.80	11038.79
13. अन्य सेवाएं	9529.88	10974.59	12131.16	13413.67	15455.56	18300.45	20851.46
उप योग (तृतीयक)	42258.73	46309.85	56335.06	67253.09	82239.16	102724.25	123616.06
कुल जीएसडीपी	75607.56	81681.78	101500.15	118356.62	145018.90	172138.46	201676.89
जनसंख्या (हजार)	88662.00	90162.00	91631.00	93068.00	94474.00	95849.00	97192.00
प्रति व्यक्ति (रु.)	8527.62	9059.45	11077.05	12717.22	15350.14	17959.34	20750.36

स्रोत : सांख्यिकी तथा मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : आइईओडीबी = स्थावर संपदा, आवास तथा व्यवसाय स्वामित्व

तालिका 1.2 : उपादान मूल्य (2004-05 के स्थिर मूल्य) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अनुमानित)
1. कृषि/ पशुपालन	19747.50	18301.84	23987.29	22353.40	24883.52	23063.08	21375.82
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2729.76	2674.13	2615.00	2563.06	2511.11	2460.27	2409.65
3. मत्स्य उद्योग	1132.48	1183.37	1105.09	1187.61	1272.78	1259.02	1285.97
4. खनन/ प्रस्तर खनन	42.07	67.75	61.75	60.88	60.83	60.76	65.40
उप योग (प्राथमिक)	23651.81	22227.09	27769.13	26164.95	28728.24	26843.13	25136.84
5. विनिर्माण	4375.87	3980.20	4185.46	5238.67	5142.27	5139.81	5316.80
5.1 निबंधित	1121.94	621.92	516.12	1155.40	1058.84	1057.64	1045.23
5.2 अनिबंधित	3253.93	3358.28	3669.34	4083.27	4083.43	4082.17	4271.57
6. निर्माण	4175.52	5716.91	7705.31	9631.29	10448.26	13801.11	17528.90
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1145.63	1187.85	1246.83	1341.64	1463.95	1569.21	1671.12
उप योग (द्वतीयक)	9697.02	10884.96	13137.60	16211.60	17054.48	20510.13	24516.82
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	4588.79	5025.67	5677.10	6201.18	6781.17	7357.88	8143.20
8.1 रेलवे	1447.93	1606.30	1842.43	2017.01	2189.56	2376.87	2624.56
8.2 अन्य परिवहन	1976.43	2024.08	2187.71	2280.77	2393.35	2438.79	2543.51
8.3 भंडारण	62.36	60.56	68.22	74.80	79.51	84.48	89.77
8.4 संचार	1102.07	1334.73	1578.74	1828.60	2118.75	2457.74	2885.36
9. व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	16273.29	15915.23	20401.46	24687.19	30003.83	36918.15	43490.34
उप योग (8 तथा 9)	20862.08	20940.90	26078.56	30888.37	36785.00	44276.03	51633.54
10 बैंकिंग/ बीमा	2585.89	2941.88	3528.26	3937.36	4739.25	5514.23	6415.93
11. आरईओडीबी	4053.34	4420.25	4841.31	5298.24	5816.49	6405.16	7018.97
उप योग (10 तथा 11)	6639.23	7362.13	8369.57	9235.60	10555.74	11919.39	13434.90
12. लोक प्रशासन	5227.54	5161.80	5181.04	5360.20	5817.84	7096.46	7543.81
13. अन्य सेवाएं	9529.88	10219.49	10452.64	10787.76	11614.14	12844.26	13634.32
उप योग (तृतीयक)	42258.73	43684.32	50081.81	56271.93	64772.72	76136.14	86246.57
कुल जीएसडीपी	75607.56	76796.37	90988.54	98648.48	110555.44	123489.40	135900.23
जनसंख्या (हजार)	88662.00	90162.00	91631.00	93068.00	94474.00	95849.00	97192.00
प्रति व्यक्ति (रु.)	8527.62	8517.60	9929.89	10599.61	11702.21	12883.74	13982.66

स्रोत : सांख्यिकी तथा मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : आईईओडीबी = स्थावर संपदा, आवास तथा व्यवसाय स्वामित्व

तालिका 1.3 : उपादान मूल्य (वर्तमान मूल्य) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अनुमानित)
1. कृषि/ पशुपालन	17586.74	17524.14	23466.27	24156.04	31255.33	31323.72	31392.27
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2699.63	2769.01	3095.31	3104.70	3114.99	3127.86	3221.34
3. मत्स्य उद्योग	988.08	1014.67	1153.30	1262.33	2059.21	2132.43	2487.09
4. खनन/ प्रस्तर खनन	35.10	79.78	66.49	68.27	68.26	68.28	78.00
उप योग (प्राथमिक)	21309.55	21387.60	27781.37	28591.34	36497.79	36652.29	37178.70
5. विनिर्माण	3496.05	3227.45	3678.51	5176.64	5472.62	5792.05	6411.09
5.1 निबंधित	664.56	200.37	112.48	945.88	945.76	946.08	1015.32
5.2 अनिबंधित	2831.49	3027.08	3566.03	4230.76	4526.86	4845.97	5395.77
6. निर्माण	4013.26	5814.17	8298.78	11088.78	13360.61	18982.70	25901.80
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	581.03	495.98	445.47	486.95	497.38	572.78	571.14
उप योग (द्वतीयक)	8090.34	9537.60	12422.76	16752.37	19330.61	25347.53	32884.03
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	3850.57	4265.17	5027.36	5719.18	6496.28	7239.24	8219.98
8.1 रेलवे	990.31	1082.24	1444.27	1741.78	1921.88	2120.60	2469.42
8.2 अन्य परिवहन	1874.96	2085.71	2431.98	2711.67	3081.78	3340.65	3749.72
8.3 भंडारण	60.79	64.16	76.68	89.68	102.02	116.10	132.14
8.4 संचार	924.51	1033.06	1074.43	1176.05	1390.60	1661.89	1868.70
9. व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	16135.28	16993.14	23186.23	30035.88	39019.24	51360.57	64744.14
उप योग (8 तथा 9)	19985.85	21258.31	28213.59	35755.06	45515.52	58599.81	72964.12
10 बैंकिंग/ बीमा	2535.34	2676.89	3132.84	3463.87	4367.16	5000.50	5728.08
11. आरईओडीबी	2505.03	3002.24	3734.03	4443.81	5120.53	6021.67	7176.26
उप योग (10 तथा 11)	5040.37	5679.13	6866.87	7907.68	9487.69	11022.17	12904.34
12. लोक प्रशासन	4196.16	4422.58	4712.56	5117.64	5914.72	7700.46	8694.60
13. अन्य सेवाएं	9271.85	10756.86	11877.71	13110.22	15105.91	17886.45	20398.38
उप योग (तृतीयक)	38494.23	42116.88	51670.73	61890.60	76023.84	95208.89	114961.44
कुल एनएसडीपी	67894.12	73042.08	91874.86	107234.31	131852.24	157208.71	185024.17
जनसंख्या (हजार)	88662.00	90162.00	91631.00	93068.00	94474.00	95849.00	97192.00
प्रति व्यक्ति (रु.)	7657.63	8101.20	10026.61	11522.15	13956.46	16401.71	19036.98

स्रोत : सांख्यिकी तथा मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : आईईओडीबी = स्थावर संपदा, आवास तथा व्यवसाय स्वामित्व

तालिका 1.4 : उपादान मूल्य (2004-05 के स्थिर मूल्य) पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अनुमानित)
1. कृषि/ पशुपालन	17587	15988	21539	19723	21955	20349	18860
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	2700	2646	2604	2553	2501	2451	2404
3. मत्स्य उद्योग	988	1038	946	1011	1084	1072	1090
4. खनन/ प्रस्तर खनन	35	51	48	48	48	48	51
उप योग (प्राथमिक)	21310	19724	25138	23335	25588	23919	22404
5. विनिर्माण	3496	3107	3288	4330	4267	4265	4441
5.1 निबंधित	665	199	109	759	695	694	700
5.2 अनिबंधित	2831	2908	3179	3572	3572	3571	3740
6. निर्माण	4013	5485	7361	9170	9948	13140	16658
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	581	556	625	573	626	670	690
उप योग (द्वितीयक)	8090	9148	11274	14073	14840	18076	21789
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	3851	4285	4895	5428	5931	6425	7181
8.1 रेलवे	990	1139	1347	1534	1665	1807	2038
8.2 अन्य परिवहन	1875	1949	2104	2189	2297	2340	2446
8.3 भंडारण	61	59	67	73	77	82	87
8.4 संचार	925	1138	1377	1633	1892	2195	2609
9. व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	16135	15698	20155	24409	29666	36502	42976
उप योग (8 तथा 9)	19986	19983	25050	29837	35597	42927	50158
10 बैंकिंग/ बीमा	2535	2890	3474	3882	4673	5437	6333
11. आरईओडीबी	2505	2726	3009	3290	3612	3978	4363
उप योग (10 तथा 11)	5040	5617	6483	7172	8285	9415	10696
12. लोक प्रशासन	4196	4098	4115	4183	4540	5538	5854
13. अन्य सेवाएं	9272	10012	10220	10521	11327	12527	13304
उप योग (तृतीयक)	38494	39709	45868	51714	59749	70406	80012
कुल एनएसडीपी	67894	68582	82280	89122	100177	112401	124204
जनसंख्या (हजार)	88662	90162	91631	93068	94474	95849	97192
प्रति व्यक्ति (रु.)	7658	7606	8979	9576	10604	11727	12779

स्रोत : सांख्यिकी तथा मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

टिप्पणी : आइईओडीबी = स्थावर संपदा, आवास तथा व्यवसाय स्वामित्व

तालिका 1.5 : वर्तमान और स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (1999-00 से 2010-11)

क्षेत्र	वार्षिक चक्रवृद्धि दर		
	1999-00 से 2008-09	2004-05 से 2010-11	
	जीएसडीपी (स्थिर मूल्य) (1999-00)	जीएसडीपी (वर्तमान मूल्य)	जीएसडीपी (स्थिर मूल्य) (2004-05)
1. कृषि/ पशुपालन	3.02	12.09	2.67
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	4.12	2.68	-2.06
3. मत्स्य उद्योग	5.28	18.76	2.34
4. खनन/ प्रस्तर खनन	-7.11	8.09	3.97
उप योग (प्राथमिक)	3.11	11.51	2.14
5. विनिर्माण	3.26	11.35	4.76
5.1 निबंधित	-4.13	12.20	5.76
5.2 अनिबंधित	5.34	11.47	4.80
6. निर्माण	26.01	35.31	25.55
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	2.37	8.16	6.83
उप योग (द्वतीयक)	13.84	24.88	16.64
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	5.18	12.98	9.97
8.1 रेलवे	0.11	14.44	10.28
8.2 अन्य परिवहन	2.67	12.11	4.45
8.3 भंडारण		14.58	7.07
8.4 संचार	15.47	12.47	17.03
9. व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	13.5	27.96	19.63
उप योग (8 तथा 9)	11.28	25.22	17.69
10 बैंकिंग/ बीमा	7.31	15.41	16.51
11. आरईओडीबी	5.1	17.99	9.62
उप योग (10 तथा 11)	6.2	17.04	12.55
12. लोक प्रशासन	3.88	13.77	6.84
13. अन्य सेवाएं	3.69	13.78	6.02
उप योग (तृतीयक)	7.71	20.37	13.35
कुल जीएसडीपी	7.06	18.66	10.93
जनसंख्या (हजार)	1.85	1.54	1.54
प्रति व्यक्ति (रु.)	5.12	16.86	9.24

टिप्पणी : आइईओडीबी = स्थावर संपदा, आवास तथा व्यवसाय स्वामित्व

क्षेत्रगत विकास दरों की बात करें, तो तीन क्षेत्रों में बहुत ऊंची विकास दर दिखी है – निर्माण (25.55 प्रतिशत), व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट (19.63 प्रतिशत) तथा संचार (17.03 प्रतिशत)। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन क्षेत्र बिहार के लिए विशेष महत्व का है। इसका मुख्य स्थान है क्योंकि यह लगभग 90 प्रतिशत आबादी को जीविका उपलब्ध कराता है। यह गौर करना सुखद है कि 2004-05 से 2009-10 के बीच इस क्षेत्र का विकास स्थिर मूल्य पर 4.76 प्रतिशत की दर से हुआ।

तालिका 1.6 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर (2004-05 के मूल्य पर) (2005-06 से 2010-11)

क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अनुमानित)
1. कृषि/ पशुपालन	-7.32	31.06	-6.81	11.32	-7.32	-7.32
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	-2.04	-2.21	-1.99	-2.03	-2.02	-2.06
3. मत्स्य उद्योग	4.49	-6.62	7.47	7.17	-1.08	2.14
4. खनन/ प्रस्तर खनन	61.04	-8.86	-1.41	-0.08	-0.12	7.64
उप योग (प्राथमिक)	-6.02	24.93	-5.78	9.80	-6.56	-6.36
5. विनिर्माण	-9.04	5.16	25.16	-1.84	-0.05	3.44
5.1 निबंधित	-44.57	-17.01	123.86	-8.36	-0.11	-1.17
5.2 अनिबंधित	3.21	9.26	11.28	0.00	-0.03	4.64
6. निर्माण	36.91	34.78	25.00	8.48	32.09	27.01
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	3.69	4.97	7.60	9.12	7.19	6.49
उप योग (द्वितीयक)	12.25	20.69	23.40	5.20	20.26	19.54
8. परिवहन/ भंडारण/ संचार	9.52	12.96	9.23	9.35	8.50	10.67
8.1 रेलवे	10.94	14.70	9.48	8.55	8.55	10.42
8.2 अन्य परिवहन	2.41	8.08	4.25	4.94	1.90	4.29
8.3 भंडारण	-2.89	12.65	9.65	6.30	6.25	6.26
8.4 संचार	21.11	18.28	15.83	15.87	16.00	17.40
9. व्यापार/ होटल / रेस्टोरेंट	-2.20	28.19	21.01	21.54	23.04	17.80
उप योग (8 तथा 9)	0.38	24.53	18.44	19.09	20.36	16.62
10 बैंकिंग/ बीमा	13.77	19.93	11.59	20.37	16.35	16.35
11. आरईओडीबी	9.05	9.53	9.44	9.78	10.12	9.58
उप योग (10 तथा 11)	10.89	13.68	10.35	14.29	12.92	12.71
12. लोक प्रशासन	-1.26	0.37	3.46	8.54	21.98	6.30
13. अन्य सेवाएं	7.24	2.28	3.21	7.66	10.59	6.15
उप योग (तृतीयक)	3.37	14.64	12.36	15.11	17.54	13.28
कुल जीएसडीपी	1.57	18.48	8.42	12.07	11.70	10.05

तालिका 1.7 : वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपए)

राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आंध्र प्रदेश	15427	17195	18573	19434	21931	23925	26662	30439	35600	40902
अरुणाचल प्रदेश	13990	15260	17664	17124	19322	22185	22291	25717	28945	33302
असम	12282	12803	13059	14421	15487	16900	18378	20194	21991	23993
बिहार	5786	6415	6200	6930	6852	7449	7840	9796	11074	13663
झारखंड	11549	10345	11034	11835	12951	15555	16267	18474	19928	21465
गोवा	42296	43735	44110	48839	54577	66135	78612	87501	105582	-
गुजरात	18864	18392	19823	22683	26922	28846	34264	39459	45773	-
हरियाणा	23229	25583	28022	30433	34085	37681	41857	50611	59008	68914
हिमाचल प्रदेश	20806	22795	24608	26627	28333	31197	33943	36766	40107	44538
जम्मू एवं कश्मीर	13816	14268	15019	16739	17991	19337	20799	22426	24214	-
कर्नाटक	17502	18344	18547	19621	20901	24707	28787	31713	36266	40998
केरल	19461	20094	21257	23484	25999	29071	33044	37947	43104	49316
मध्य प्रदेश	12384	11862	12697	12303	14306	14471	15466	16875	18051	-
छत्तीसगढ़	11629	10744	12170	13002	15515	16976	19501	24556	29776	34483
महाराष्ट्र	23011	22777	24035	26015	29139	32376	36048	41144	47051	-
मणिपुर	13260	12369	12970	13250	14728	16433	17772	18630	19780	21062
मेघालय	14355	15657	17241	18208	19702	21170	23355	26387	29811	33674
मिजोरम	16443	17826	19430	20896	21963	22417	24029	25682	27501	29576
नगालैंड	14107	16253	18077	19413	19806	20133	20255	20892	-	-
उड़ीसा	10622	10453	11059	11688	14169	16359	17576	21282	26654	29464
पंजाब	25631	27881	28943	29309	31261	32970	36277	39874	46686	52879
राजस्थान	13619	13020	14098	13128	16507	16874	18008	21203	23986	27001
सिक्किम	14890	16077	17324	19428	21476	23791	26628	29819	33349	37553
तमिलनाडु	19432	20972	20942	21830	24087	27512	31663	37190	40757	45058
त्रिपुरा	14119	15983	18368	19059	21138	22836	25700	27816	28806	-
उत्तर प्रदेश	9749	9828	9995	10648	11458	12196	13315	14663	16060	18214
उत्तराखंड	13516	15285	16232	18636	20312	23069	24928	29373	32884	36520
पश्चिम बंगाल	15888	16583	17862	18777	20873	22675	24457	27905	32065	36322
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	24005	25047	26910	29830	32670	34640	37127	41962	44304	-
चंडीगढ़	44502	49771	54836	63840	70434	79562	88456	100146	110728	119240
दिल्ली	38913	40678	42375	45337	49004	54505	60951	70238	78690	-
पुदुच्चेरी	30486	35994	38704	44331	47778	43303	52408	71719	78302	84625
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एनएनपी	15881	16688	17782	18885	20871	23198	26003	29524	33283	37490

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी : भिन्न-भिन्न आधार वर्षों के उपयोग के कारण भारतीय रिजर्व बैंक आकड़ों और पूववर्ती तालिकाओं में प्रस्तुत बिहार सरकार के आंकड़ों में औसतन 2.85 प्रतिशत का अंतर है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयुक्त आंकड़ों में आधार वर्ष के बतौर 1999-2000 को लिया गया है जबकि बिहार सरकार के आंकड़ों में 2004-05 को।

तालिका 1.8 : स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रक्षेत्रगत संरचना (2000-01 से 2010-11)

क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (त्वरित)	2010-11 (अनुमानित)
1. कृषि/ पशुपालन	35.83	29.36	33.32	28.72	26.12	23.83	26.36	22.66	22.51	18.68	15.73
2. वानिकी/ काष्ठ उत्पादन	1.65	1.78	1.65	1.81	3.61	3.48	2.87	2.60	2.27	1.99	1.77
3. मत्स्य उद्योग	1.32	1.78	1.72	1.86	1.50	1.54	1.21	1.20	1.15	1.02	0.95
4. खनन/ प्रस्तर खनन	0.23	0.44	0.11	0.09	0.06	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
उप योग (प्राथमिक)	**39.03**	**33.36**	**36.8**	**32.49**	**31.28**	**28.94**	**30.52**	**26.52**	**25.99**	**21.74**	**18.50**
5. विनिर्माण	5.82	5.67	5.46	5.58	5.79	5.18	4.60	5.31	4.65	4.16	3.91
5.1 निबंधित	1.35	1.22	1.36	1.06	1.48	0.81	0.57	1.17	0.96	0.86	0.77
5.2 अनिबंधित	4.47	4.45	4.1	4.53	4.30	4.37	4.03	4.14	3.69	3.31	3.14
6. निर्माण	3.31	3.84	4.1	4.21	5.52	7.44	8.47	9.76	9.45	11.18	12.90
7. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1.34	1.09	0.99	1.07	1.52	1.55	1.37	1.36	1.32	1.27	1.23
उप योग (द्वतीयक)	**10.46**	**10.59**	**10.55**	**10.87**	**12.83**	**14.17**	**14.44**	**16.43**	**15.43**	**16.61**	**18.04**
8. परिवहन/भंडारण/संचार	6.96	7.3	7.02	6.92	6.07	6.54	6.24	6.29	6.13	5.96	5.99
8.1 रेलवे	3.01	3.25	2.96	2.35	1.92	2.09	2.02	2.04	1.98	1.92	1.93
8.2 अन्य परिवहन	2.58	2.7	2.54	2.69	2.61	2.64	2.40	2.31	2.16	1.97	1.87
8.3 भंडारण					0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
8.4 संचार	1.37	1.35	1.52	1.88	1.46	1.74	1.74	1.85	1.92	1.99	2.12
9. व्यापार/होटल/रेस्टोरेंट	14.94	17.18	18.31	19.42	21.52	20.72	22.42	25.03	27.14	29.90	32.00
उप योग (8 तथा 9)	21.91	24.48	25.34	26.34	27.59	27.27	28.66	31.31	33.27	35.85	37.99
10 बैंकिंग/ बीमा	3.46	4.46	3.82	3.9	3.42	3.83	3.88	3.99	4.29	4.47	4.72
11. आरईओडीबी	3.8	4.16	3.87	4.26	5.36	5.76	5.32	5.37	5.26	5.19	5.16
उप योग (10 तथा 11)	7.26	8.61	7.68	8.17	8.78	9.59	9.20	9.36	9.55	9.65	9.89
12. लोक प्रशासन	7.09	8.04	6.2	7.42	6.91	6.72	5.69	5.43	5.26	5.75	5.55
13. अन्य सेवाएं	14.25	14.91	13.43	14.73	12.60	13.31	11.49	10.94	10.51	10.40	10.03
उप योग (तृतीयक)	**50.5**	**56.05**	**52.65**	**56.64**	**55.89**	**56.88**	**55.04**	**57.04**	**58.59**	**61.65**	**63.46**
कुल जीएसडीपी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

टिप्पणी : वर्ष 2000-01 से 2003-004 के लिए आधार वर्ष 1999-00 है और 2004-05 से 2009-10 के लिए 2004-05.

हाल के वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि साल दर साल की विकास दरों पर नजर डालने पर काफी अंतर दिखता है। वर्ष 2005-06 से 2010-11 के बीच विकास दरें 2005-06 के 1.57 प्रतिशत से लेकर 2006-07 के 18.48 प्रतिशत के बीच थी। ऐसा मुख्यत: कृषि क्षेत्र की विकास दर में भारी अंतर के कारण है। वर्ष 2005-06 में कृषि क्षेत्र में 7.32 प्रतिशत की गिरावट आई थी लेकिन 2006-07 में इसमें 31.06 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। कृषि क्षेत्र की विकास दर में इतना

उतार-चढ़ाव पूरी अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए कृषि विकास की दर जैसे ही 4.76 प्रतिशत की मध्यकालिक (2004-05 से 2009-10) विकास दर पर स्थिर होती है, उससे अर्थव्यवस्था की विकास दर ही स्थिर नहीं होगी, अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के जरिए अन्य क्षेत्रों के विकास को भी बल मिलेगा।

अन्य राज्यों के बरअक्स बिहार के विकास के रुझान के तुलनात्मक जायजे के लिए अन्य राज्यों के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालनी होगी। तालिका 1.7 में वर्तमान मूल्य पर 1999-00 से 2008-2009 तक विभिन्न भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2008-09 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का मात्र 36.44 प्रतिशत थी। अतएव भावी वर्षों में अगर बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना है, तो आगामी वर्षों में विकास के आवेग को बनाए रखना होगा।

जैसा कि ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि आर्थिक विकास के साथ किसी अर्थव्यवस्था का ढांचा भी समय के साथ बदल जाता है। यह बात बिहार के बारे में भी सच है। ऐसा तब होता है जब विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समय के साथ भिन्नता आती है। बिहार की अर्थव्यवस्था का ढांचा तालिका 1.8 में प्रस्तुत किया गया है। गत दशक के आरंभ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 39.0 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 10.5 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 50.5 प्रतिशत था। चूंकि गत दशक में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अधिक विकास दर दर्ज हुई है अतएव क्षेत्रों की संरचनाएं अब बदल गई हैं। वर्ष 2009 में संरचना इस प्रकार थी - प्राथमिक क्षेत्र 21.74 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 16.61 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र 61.65 प्रतिशत। यह बिल्कुल संभव है कि 2011 की जनगणना में लाभप्रद रोजगार की तलाश में शहर का रुख करने के कारण ग्रामीण जनसंख्या में भारी अंतर दिखे।

1.2 क्षेत्रीय विषमता

निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य होने के अलावा बिहार राज्य के अंदर मौजूद भारी क्षेत्रीय विषमताओं से भी पीड़ित है। जिलों के बीच अंतर का ठोस जायजा लेने के लिए स्थिर (1999-00) मूल्य पर सकल जिला घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) पर विचार किया जा सकता है। सबसे हाल का उपलब्ध अनुमान 2006-07 का है जो तालिका 1.9 में 2005-06 के अनुमान के साथ प्रस्तुत है। अगर हम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान पर गौर करें, तो पता चलता है कि बिहार के आर्थिक रूप से उन्नतिशील तीन जिले पटना (37,737 रु.), मुंगेर (12,370 रु.) तथा बेगूसराय (10,409 रु.) हैं। दूसरी ओर सोपान की दूसरी छोर पर सर्वाधिक अल्पविकसित जिले जमुई (5,516 रु.), अररिया (5,245 रु.) और शिवहर (4,398 रु.) हैं। अगर पटना के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद को छोड़ भी दें, जो पूरे राज्य के औसत से काफी अधिक है, तो मुंगेर का आय संबंधी आंकड़ा शिवहर से तीनगुना है।

तालिका 1.9 : 1999-00 के मूल्य पर सकल जिला घरेलू उत्पाद और निवल जिला घरेलू उत्पाद

क्र. सं.	जिला	1999-00 के स्थिर मूल्य पर (करोड़ रु.)				प्रति व्यक्ति (रु.)			
		सकल जिला घरेलू उत्पाद		निवल जिला घरेलू उत्पाद		सकल जिला घरेलू उत्पाद		निवल जिला घरेलू उत्पाद	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	पटना	16142.8	19804.1	15152.2	18736.2	31302.0	37737.0	29381.2	35702.1
2	नालंदा	1559.7	1776.0	1388.5	1596.1	6287.0	7102.0	5596.7	6382.6
3	भोजपुर	1556.3	1853.6	1386.8	1674.6	6470.0	7604.0	5765.3	6869.7
4	बक्सर	928.7	1075.5	831.7	975.6	6091.0	6940.0	5454.7	6295.2
5	रोहतास	2008.4	2321.0	1793.6	2097.5	7568.0	8611.0	6758.4	7781.9
6	कैमूर	822.9	944.4	749.3	870.9	5826.0	6568.0	5305.5	6057.3
7	गया	2386.8	2900.3	2115.0	2610.2	6289.0	7510.0	5573.0	6758.9
8	जहानाबाद	562.5	676.2	503.6	612.9	5586.0	6607.0	5000.9	5988.3
9	अरवल	313.9	363.2	282.8	330.7	4911.0	5590.0	4424.0	5089.8
10	नवादा	981.3	1192.1	881.5	1081.5	4915.0	5856.0	4415.0	5312.7
11	औरंगाबाद	1181.5	1492.3	1059.3	1360.1	5364.0	6656.0	4809.3	6066.2
12	सारण	1953.0	2191.9	1733.3	1967.8	5583.0	6177.0	4955.0	5545.7
13	सीवान	1553.3	2362.7	1404.3	2176.6	5338.0	8013.0	4825.8	7382.0
14	गोपालगंज	1262.9	1596.4	1127.7	1449.4	5447.0	6788.0	4863.9	6163.1
15	मुजफ्फरपुर	3018.3	3612.0	2686.9	3260.0	7465.0	8803.0	6645.5	7945.2
16	पूर्व चंपारण	2118.2	2721.4	1886.9	2462.8	4936.0	6236.0	4397.2	5643.5
17	पश्चिम चंपारण	2075.9	2776.2	1845.0	2512.3	6241.0	8202.0	5546.6	7422.1
18	सीतामढ़ी	1329.5	1717.6	1193.2	1564.1	4490.0	5688.0	4029.6	5179.8
19	शिवहर	202.7	259.0	182.8	236.8	3518.0	4398.0	3173.1	4020.2
20	वैशाली	1753.7	2181.3	1573.3	1984.7	5982.0	7333.0	5366.6	6671.9
21	दरभंगा	2036.3	2381.1	1811.4	2141.5	5636.0	6473.0	5013.5	5821.6
22	मधुबनी	1881.3	2505.3	1692.7	2285.7	4887.0	6416.0	4397.2	5853.6
23	समस्तीपुर	2054.2	2901.5	1846.6	2653.0	5646.0	7871.0	5075.3	7196.9
24	बेगूसराय	2291.9	2708.7	2102.1	2513.1	8956.0	10409.0	8214.3	9657.5
25	मुंगेर	1276.1	1498.3	1082.4	1290.5	10637.0	12370.0	9022.9	10654.6
26	शेखपुरा	315.4	361.8	279.3	324.4	5430.0	6107.0	4808.7	5475.8
27	लखीसराय	552.2	687.0	494.2	623.8	6557.0	8087.0	5868.2	7343.4
28	जमुई	719.8	867.7	630.6	770.2	4665.0	5516.0	4087.2	4896.4
29	खगड़िया	942.0	1048.4	844.9	950.2	6749.0	7385.0	6053.0	6693.0
30	भागलपुर	2298.2	2708.4	2025.8	2423.6	8788.0	10205.0	7746.2	9131.9
31	बांका	897.5	1098.5	806.6	1000.4	5215.0	6302.0	4686.9	5739.2
32	सहरसा	1052.6	1196.7	941.4	1081.3	6324.0	7051.0	5656.2	6370.7
32	सुपौल	979.3	1150.0	885.7	1053.6	5197.0	6004.0	4700.2	5500.9
34	मधेपुरा	847.8	948.2	764.4	864.5	5095.0	5603.0	4594.0	5108.6
35	पूर्णिया	1583.5	1795.1	1423.9	1631.3	5598.0	6213.0	5033.8	5646.1
36	किशनगंज	789.0	922.7	709.5	839.7	5543.0	6364.0	4984.1	5791.7
37	अररिया	1142.0	1278.1	1033.3	1169.2	4782.0	5245.0	4326.7	4798.2
38	कटिहार	1607.9	1842.0	1426.8	1654.2	6134.0	6902.0	5443.2	6198.6
	योग	66979.2	81716.3	60579.3	74830.9	7428.8	8918.0	6718.9	8166.6

स्रोत : सांख्यिकी तथा मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 1.10 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत (2008-09 से 2010-11)

आंकड़े मैट्रिक टन में

जिला	पेट्रॉल (एमएस)			डीजल (एचएसडी आर)			बीआइटी		एलपीजी	
	2008-09	2009-10	2010-11 (नवंबर)	2008-09	2009-10	2010-11 (नवंबर)	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
पटना	21313.0	40913.2	30750.0	84304.0	164708.2	118557.0	41706.8	49572.5	65061.0	71788.4
नालंदा	2221.0	4149.9	3201.4	22335.0	39877.7	31103.0	4001.3	6601.3	7427.9	8913.2
रोहतास	3720.0	7813.5	5548.0	37461.0	69377.1	44545.1	13367.1	15145.4	8291.5	9926.4
कैमूर	1233.0	2144.2	2058.9	14323.0	22026.2	14411.0	107.8	876.7	1970.0	2225.7
बक्सर	1808.0	4377.7	3366.0	16100.0	32199.1	22372.0	2340.0	1344.0	4637.8	5320.4
भोजपुर	2541.0	5478.2	4282.4	20569.0	40249.2	26249.0	7329.5	4682.2	10031.0	11751.6
गया	4576.0	9614.0	6783.0	31753.0	67455.7	46717.0	5603.5	11615.9	10038.0	11745.2
औरंगाबाद	2130.0	4374.1	3286.0	21060.0	40671.0	29537.0	4905.7	7564.4	4746.4	5729.2
जहानाबाद	711.0	944.0	1237.0	7447.0	11860.9	11266.4	1044.2	1706.1	3896.1	4465.5
अरवल	260.0	495.4	507.2	1984.0	3428.8	3301.9		9.0	503.8	550.8
नवादा	1141.0	2216.8	1763.7	11967.0	24657.2	18858.0	1884.0	1665.6	3893.3	4511.2
सारण	4147.0	8654.1	6575.5	24648.0	49338.7	34889.0	4331.2	5556.6	10256.0	12185.3
सीवान	3930.0	8149.7	6238.0	21146.0	40337.7	27312.0	3350.0	3105.0	6246.4	6876.3
गोपालगंज	3373.0	6929.4	5210.8	17280.0	32381.0	21086.0	6163.3	5630.1	5370.6	6897.9
मुजफ्फरपुर	8313.0	14781.7	11615.0	49100.0	83616.0	60171.0	13720.8	19846.7	15621.0	17553.0
सीतामढ़ी	2825.0	4998.2	3741.5	16566.0	30340.6	21023.0	2442.6	4812.3	7420.2	8805.5
शिवहर	128.0	349.4	351.7	640.0	2200.7	1927.0	71.0	74.0		
पश्चिम चंपारण	3488.0	7050.7	5542.0	24261.0	48471.8	31196.0	2502.0	3838.6	7098.1	8861.0
पूर्व चंपारण	5487.0	11351.3	8559.0	43676.0	83755.1	57528.0	10487.0	13493.3	8909.5	10816.5
वैशाली	4929.0	9607.3	7286.0	26387.0	49435.2	38341.0	2315.6	1426.7	9906.6	11579.0
दरभंगा	4200.0	7672.3	6060.5	21978.0	41251.9	28796.0	2251.0	1647.4	11079.0	12299.5
समस्तीपुर	3961.0	7591.0	5861.6	25455.0	46604.4	34976.0	2103.0	2965.7	7327.2	8215.0
मधुबनी	3937.0	7583.5	5635.0	16743.0	32857.6	21940.0	1026.0	4660.0	8233.3	9447.8
सहरसा	1378.0	4013.9	2624.7	8181.0	23829.3	13754.0	6051.0	6349.0	3769.1	4151.5
सुपौल	1410.0	2055.1	2422.0	6128.0	11080.2	11121.0	2107.0	5521.0	976.0	2486.0
मधेपुरा	1629.0	3475.5	2909.3	9864.0	21669.9	17455.0	988.0	1218.0	2805.1	3325.3
पूर्णिया	3331.0	6804.6	5104.0	26055.0	58582.5	39080.0	8059.0	5137.7	10560.0	9627.6
अररिया	2609.0	4560.4	3591.4	17481.0	27796.2	20221.0	9692.0	9144.0	2843.5	4189.4
किशनगंज	1462.0	3156.9	2563.0	5842.0	12020.4	8280.0	4387.2	1338.1	774.6	1191.2
कटिहार	2304.0	4417.3	3619.4	15744.0	27826.8	22467.0	7292.0	3592.0	5628.6	6419.6
भागलपुर	4258.0	8879.8	6018.0	29862.0	62222.8	43731.0	4206.2	5749.6	10282.0	12154.4
बांका	1249.0	1781.6	1654.4	8116.0	12784.6	12018.0	4098.7	3435.6	3217.7	3709.9
मुंगेर	1547.0	3694.3	2510.6	7143.0	19400.2	9245.0	2269.0	2545.3	7556.6	8098.9
लखीसराय	485.0	815.0	741.0	7192.0	11574.9	9237.0	1129.0	412.0	1129.0	1249.4
बेगूसराय	3344.0	6551.5	5119.0	46484.0	80975.5	55682.0	5786.1	7587.9	9259.0	9510.4
जमुई	1088.0	1397.2	1274.7	6977.0	9967.4	10279.0	4409.7	6387.9	2074.8	2430.1
खगड़िया	943.0	1933.3	1472.1	12712.0	22409.1	16121.0	1174.0	566.0	2343.7	2935.7
शेखपुरा	479.0	983.7	983.3	6730.0	14627.7	10319.0	233.0	381.3	1337.6	1444.1
योग	117888.0	231759.4	178067.1	771694.0	1473869.1	1045112.4	194935.2	227205.0	282522.0	323387.6

स्रोत : भारतीय तेल निगम

तालिका 1.11 : डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत (2007-08 से 2010-11, अक्तूबर 10 तक)

(करोड़ रु.)

जिला	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (अक्तूबर)	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
पटना	400	111 (27.8)	200	165 (82.6)	170	396 (232.7)	495	197 (39.8)
नालंदा	100	59 (59.0)	50	87 (174.1)	60	133 (222)	167	66 (39.4)
रोहतास	90	26 (28.8)	45	33 (72.7)	30	64 (213.2)	80	46 (57.4)
कैमूर	35	10 (28.8)	18	13 (71.6)	13	27 (210.4)	34	22 (64.1)
बक्सर	50	17 (34.0)	25	20 (80.4)	20	39 (195.6)	49	37 (74.8)
भोजपुर	90	28 (31.1)	45	35 (78.7)	35	86 (245.4)	107	87 (81.1)
गया	75	29 (39.0)	37	39 (106.0)	38	88 (230.4)	109	45 (41.3)
औरंगाबाद	45	25 (54.6)	22	34 (154.0)	25	61 (243.3)	76	41 (53.4)
जहानाबाद	15	8 (51.6)	8	11 (133.0)	8	18 (225.3)	23	12 (53.5)
अरवल	10	5 (49.8)	5	7 (137.2)	5	12 (241.6)	15	8 (53.1)
नवादा	40	31 (76.8)	20	30 (150.1)	25	50 (200.6)	63	47 (74.9)
सारण	140	76 (54.5)	70	82 (117.3)	75	128 (171)	160	100 (62.8)
सीवान	70	38 (54.8)	35	43 (122.7)	40	66 (165.7)	83	50 (60.3)
गोपालगंज	45	29 (64.8)	22	41 (187.6)	35	42 (120.1)	53	33 (62.3)
मुजफ्फरपुर	80	23 (28.6)	40	36 (88.9)	38	98 (257.7)	122	92 (75.6)
सीतामढ़ी	25	9 (34.8)	12	16 (134.3)	15	27 (182.6)	34	25 (74.3)
शिवहर	5	2 (39.2)	3	4 (128.3)	3	6 (183.7)	7	5 (76.3)
पश्चिम चंपारण	25	14 (55.2)	13	22 (165.5)	18	32 (178.3)	40	22 (56.2)
पूर्व चंपारण	50	30 (59.0)	25	42 (167.2)	32	60 (186.5)	75	38 (50.2)
वैशाली	70	38 (54.4)	35	41 (117.7)	35	77 (221.2)	97	49 (50.4)
दरभंगा	70	28 (40.6)	35	53 (151.3)	45	80 (177.1)	100	50 (50.3)
समस्तीपुर	50	21 (41.3)	25	31 (124.4)	28	43 (152.3)	53	36 (68.7)
मधुबनी	55	31 (56.5)	27	36 (132.9)	32	50 (156.6)	63	30 (47.2)
सहरसा	25	13 (52.8)	13	24 (182.3)	15	29 (194.9)	37	17 (44.7)
सुपौल	15	10 (64.9)	8	17 (215.6)	10	22 (224.9)	28	12 (44.2)
मधेपुरा	15	10 (64.4)	7	17 (239.0)	10	22 (221.2)	28	12 (44.3)
पूर्णिया	40	13 (32.7)	20	24 (121.7)	20	30 (149.9)	37	19 (51.5)
अररिया	15	5 (30.8)	8	9 (113.9)	8	12 (148.1)	15	8 (51.8)
किशनगंज	15	6 (36.9)	7	7 (100.1)	7	15 (207.6)	18	8 (44.2)
कटिहार	30	11 (36.3)	15	15 (100.7)	15	29 (193.5)	36	16 (45.3)
भागलपुर	60	8 (13.3)	30	23 (76.5)	23	57 (246.3)	71	51 (71.5)
बांका	15	10 (63.9)	8	9 (110.5)	8	12 (147.9)	15	7 (47)
मुंगेर	35	11 (30.5)	17	17 (101.3)	17	39 (231.6)	49	22 (44.9)
लखीसराय	10	3 (29.7)	5	5 (91.8)	5	11 (212.8)	13	6 (44.8)
बेगूसराय	55	17 (30.1)	27	19 (70.6)	20	54 (271.3)	68	43 (62.9)
जमुई	15	8 (50.3)	8	11 (132.4)	8	14 (172.4)	17	11 (63.2)
खगड़िया	10	3 (30.8)	5	4 (74.6)	4	11 (283.5)	14	9 (61.8)
शेखपुरा	10	3 (28.8)	5	5 (94.6)	5	11 (211)	13	6 (45)
योग	2000	815 (40.8)	1000	1125 (112.5)	1000	2050 (205)	2564	1385 (54)

सोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू अनुपात तो किसी जिले की आर्थिक उन्नति का सूचक है ही, तीन पेट्रॉलियम उत्पादों -पेट्रॉल, डीजल और खाना पकाने की गैस - की खपत भी जिलों में आर्थिक उन्नति का सूचक है। तालिका 1.10 में पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के जिलावार आंकड़े प्रस्तुत हैं। आशानुरूप, 2009-10 में तीनों उत्पादों की खपत पटना में सर्वाधिक है। पेट्रॉल के मामले में अधिक खपत वाले दो जिले मुजफ्फरपुर और पूर्व चंपारण हैं। डीजल के लिए दो संबंधित जिले मुजफ्फरपुर और पूर्व चंपारण ही हैं। खाना पकाने की गैस के मामले में अधिक खपत वाले दो जिले मुजफ्फरपुर और दरभंगा हैं।

डाकघरों और लोक भविष्य निधि में लघु बचत में जमा को विभिन्न जिलों के बीच सापेक्ष आर्थिक उन्नति के एक सूचक के बतौर लिया जा सकता है। ये आंकड़े तालिका 1.11 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों पर विचार करने पर सर्वाधिक जमा वाले तीन जिले पटना (396 करोड़ रु.), नालंदा (133 करोड़ रु.) और सारण (128 करोड़ रु.) हैं। दूसरी ओर न्यूनतम 9 जिले ऐसे हैं जिनका जमा 15 करोड़ रु. से भी कम है। सबसे कम जमा वाले पांच जिले शिवहर, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय और बांका हैं।

1.3 थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वास्तविक मूल्य की जानकारी के लिए विगत वर्षों के मूल्य स्तरों के बारे में भी जानना होता है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस रुझान को सूचित करते हैं। इन सूचकांकों की तुलना से किसी खास वर्ष में उससे पूर्व के किसी वर्ष की तुलना में मूल्यवृद्धि की दर या मुद्रास्फीति की दर के बारे में समग्रता में जानकारी हो जाती है। उस पूर्व वर्ष को आधार मानकर ही सूचकांकों का निर्माण किया जाता है। पूरे देश के लिए थोक मूल्य सूचकांक की गणना के अतिरिक्त केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के लिए औद्योगिक मजदूरों, शहरी गैर-शारीरिक श्रम कर्मचारियों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी तैयार करती है। हालांकि इन सूचकाकों के आधार वर्ष भिन्न होते हैं। ये आधार वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के लिए 1993-94, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2000-01, शहरी गैर-शारीरिक श्रम कर्मचारियों के लिए 1984-85, और कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों, दोनों के लिए 1986-87 हैं। ये सूचकांक तालिका 1.12 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 1.12 : बिहार और भारत में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष		थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1993-94=100)	औद्योगिक मजदूर (आधार : 2000-2001=100)		कृषि श्रमिक (आधार : 1986- 1987=100)		ग्रामीण श्रमिक (आधार : 1986-1987=100)	
		भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत
2001-02		161	98	100	290	311	292	313
2002-03		167	102	104	299	323	301	325
2003-04		180	109	108	311	322	313	335
2004- 05		187	112	112	324	342	326	344
2005- 06		196	120	117	347	358	348	360
2006-07		206	128	125	376	380	377	382
2007-08		216	136	133	411	417	412	409
2008-09		234	148	145	446	462	446	462
2009-10		243	169	163	500	530	500	529
2009-10	अप्रैल	232	158	150	454	468	454	468
	मई	234	158	151	462	475	458	475
	जून	235	160	153	462	484	463	484
	जुलाई	239	166	160	478	499	479	498
	अगस्त	241	166	162	482	508	483	507
	सिबंबर	243	167	163	490	515	491	514
	अक्तूबर	243	173	165	493	522	493	521
	नबंबर	247	173	168	501	532	501	532
	दिसंबर	248	171	169	507	538	506	537
	जनवरी	251	177	172	511	542	510	541
	फरवरी	251	178	170	510	538	509	538
	मार्च	253	178	170	510	536	509	536
2010-11	अप्रैल	258	177	170	511	538	511	538
	मई	260	176	172	504	540	505	540
	जून	261	176	174	507	547	508	547
	जुलाई	263	180	178	515	554	515	554
	अगस्त	264	184	178	513	557	514	556
	सिबंबर	-	185	179	517	562	517	562
	अक्तूबर	-	189	181	526	566	526	565

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्रम व्यूरो, भारत सरकार

ग्रामीण मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूरे भारत के मुकाबले बिहार में कुछ कम तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2007-08 से अक्तूबर 2010 के बीच कृषि श्रमिक हेतु सूचकांक बिहार में 115 अंक बढ़ा है लेकिन पूरे भारत में 149 अंक। ग्रामीण श्रमिकों के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है। औद्योगिक श्रमिकों के मामले में सूचकांक

बिहार में पूरे देश की अपेक्षा अधिक बढ़ा। वर्ष 2007-08 से अक्तूबर 2010 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक बिहार में 53 अंक बढ़ा जबकि पूरे भारत में 48 अंक।

अक्तूबर 2010 में, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े इस प्रकार हैं : औद्योगिक श्रमिक - बिहार 189 और भारत 181; कृषि श्रमिक - बिहार 526 और भारत 566; तथा सभी ग्रामीण श्रमिक - बिहार 526 और भारत 565 ।

1.4 अभिशासन

किसी भी समाज में अभिशासन (गवर्नेंस) की गुणवत्ता और विकास की गति का गहरा संबंध होता है। खराब अभिशासन विकास की कमी में बदल जाता है जिसकी परिणति निम्न आय, उच्च असाक्षरता दर, कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आदि में होती है। कुल मिलाकर यह मानव विकास सूचकांक में गिरावट की दिशा में जाएगा। ऐसी स्थिति के लिए जिसमें विकास भी हो और वह अधिक समावेशी भी हो, अभिशासन के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व-तंत्र (एकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म) के सुदृढ़ीकरण की जरूरत होती है। हाल के वर्षों में लाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम उत्तरदायित्व-तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने में काफी मददगार होगा। बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने में सहयोग के लिए पूर्वसैनिकों को नियुक्त करके विशेष सहायक पुलिस (सैप) का भी गठन किया गया है। पहले बिहार में ही शुरू नागरिकों द्वारा फोन पर जानकारी मांगने हेतु निर्मित कॉल सेंटर 'जानकारी' इस दिशा में प्रशंसनीय कदम है और इसे ई-अभिशासन के लिए उचित ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

कानून-व्यवस्था में सुधार, सरकार के प्रति विश्वास में वृद्धि और बिहार में होने वाले अन्य सकारात्मक परिवर्तनों से राज्य में निजी कंपनियों, निवेशकों, उद्यमियों, पर्यटकों आदि के लिए अनुकूल माहौल बना है। अब बिहार ढेर सारी कंपनियों तथा निजी संस्थाओं के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित 'जनता दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम ने बड़ी तादाद में जनता को भाग लेने के लिए आकर्षित किया है और उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करने का साहस प्रदान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न स्थानों की की गई विकास यात्रा ने उस दौरान उनके साथ मौजूद अधिकारियों और मंत्रियों तथा ग्रामीण जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है।

सरकार ने पुलिस के प्रति आम आदमी का विश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति में तेजी से सुधार सुनिश्चित करने के लिए अक्तूबर 2009 में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों तथा प्रमंडल आयुक्तों समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की राज्यस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। दो चीजें सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सभी जिलाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं - विकास योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन तथा राज्य में समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति में तेजी से सुधार। दोषसिद्धि में शीघ्रता के लिए 'त्वरित सुनवाई' व्यवस्था का प्रभावी उपयोग किया गया है। कट्टर अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिए इसका आरंभ किया

गया था जिससे राजसत्ता के हुकूमत की पुष्टि हुई है। इन सबकी परिणति कानून–व्यवस्था में सुधार में हुई है। राज्य में अभिशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास पांचो प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिबिंबित हुए हैं – दोषसिद्धि, पुलिस प्रशासन, निगरानी, कारा प्रशासन तथा पुलिस भवन निर्माण निगम की अधिसंरचनामूलक गतिविधियां।

दोषसिद्धि

तालिका 1.13 में देखा जा सकता है कि 'त्वरित सुनवाइयों' और फलस्वरूप शीघ्र दोषसिद्धि (कनविक्शन) के कारण भारतीय दंड सहिता (आइपीसी) के अंतर्गत दोषसिद्धियों की संख्या बढ़ रही है। वहीं शस्त्र अधिनियम के तहत दोषसिद्धियों की संख्या घट रही है। दोषसिद्धियों की कुल संख्या 2006 के 6,839 से बढ़कर 2009 में 13,146 हो गई जिसका अर्थ है इस अवधि में 92.46 प्रतिशत वृद्धि। दंड की विभिन्न श्रेणियों के तहत दोषसिद्धियों में भी तेजी से वृद्धि दिखी। आजीवन कारावास की संख्या 2006 के 1,389 से बढ़कर 2008 में 2,307 हो गई। यह संख्या 2009 में घटकर 1,824 हो गई। मृत्युदंड की संख्या भी 2006 से 2008 की अवधि में 17 से 27 पहुंच गई।

तालिका 1.13 : अपराधियों की दोषसिद्धि

वर्ष	मुकदमों की सं.		दोषसिद्ध अपराधियों की सं.		दंड की श्रेणी					
	भारतीय दंड संहिता	शस्त्र अधिनियम	भारतीय दंड संहिता	शस्त्र अधिनियम	मृत्युदंड	आजीवन कारावास	10 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से कम	कठोर दंड	कुल दोषसिद्धियां
2006	2178	1156	5230	1609	17	1389	366	5067	1772	6839
2007	3695	800	8774	1154	39	2168	680	6966	2887	9853
2008	4461	706	10994	1018	27	2307	610	9063	2944	12007
2009	5333	482	12460	703	12	1824	375	10935	2211	13146
2010 (नवंबर तक)	5556	391	12406	535	37	1735	566	2220	2338	12941
कुल योग	20945	3518	49273	5000	132	9363	2567	42114	12152	54176
2006 से 2009 के बीच % परिवर्तन	144.86	-58.30	138.24	-56.31	-29.41	31.32	2.46	115.81	24.77	92.22

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

पुलिस प्रशासन

पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में बिहार पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और अकादमी के लिए 249 पद सृजित किए गए हैं। 206 करोड़ रु. के प्रस्तावित व्यय से राजगिर में बिहार पुलिस अकादमी के नए परिसर का निर्माण शुरू हो गया है। इसके

अलावा, राज्य योजना के तहत 14 आदर्श पुलिस थानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अन्य 26 आदर्श पुलिस थानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 49 श्रेणी-3 थानों, 8 श्रेणी-4 थानों और 69 पुलिस भवनों के अतिरिक्त 40 आदर्श थानों के निर्माण का काम भी निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। साथ ही, 32 जिला संचार केंद्रों और 32 जिला नियंत्रण कक्षों का भी निर्माण कराया जा रहा है। आजादी के पहले से ही स्थापित बिहार अग्निशमन सेवा के पास अपना प्रशिक्षण केंद्र नहीं था। राज्य सरकार ने हाल ही में बिहटा में 7.50 करोड़ रु. के व्यय से अग्नि सेवा प्रशिक्षण केंद्र और 4.00 करोड़ रु. के व्यय से गृहरक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।

निगरानी विभाग

भ्रष्टाचार अभिशासन की गुणवत्ता को काफी नुकसान पहुंचाता है और परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में अवरोधक बनता है इसलिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राज्य में बड़े कदम उठाए गए थे। घात लगाकर 2006 में 60 मामलों में 66 लोगों को, 2007 में 108 मामलों में 126 लोगों को और 2008 में 99 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार विरोधी मामलों का दर्ज होना बढ़ा है। वर्ष 1996 से लेकर 2005 तक हर साल भ्रष्टाचार विरोधी औसतन 28 मामले दर्ज होते थे। वहीं अकेले 2008 में 99 मामलों की छानबीन हुई थी। वर्ष 2007 में विशेष अभियान चलाया गया था और कुल मिलाकर 277 मामले पूरे हुए थे। वर्ष 1996 से सितंबर 2008 तक 396 राजपत्रित और 332 अराजपत्रित सरकारी सेवकों तथा 215 अन्य लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। घात लगाकर पकड़े गए लोगों के मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने विशेष न्यायालय के गठन हेतु पहलकदमी ली है। हाल में रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पकड़ने के लिहाज से अधिकारियों का दल गठित करने की शक्ति जिलाधिकारियों को दी गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 8 करोड़ रु. की संपत्ति चिन्हित की गई है और मुकदमे प्रगति पर हैं।

कारा प्रशासन

दोषसिद्ध अपराधियों को कारागार में इस लिहाज से भेजा जाता है कि कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद वे सामाजिक मुख्य धारा में लौटेंगे और सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। जून 2010 तक बिहार के विभिन्न कारागारों में लगभग 36 हजार संवासी मौजूद थे। इनमें से लगभग 13 हजार संवासी केंद्रीय कारागारों में तथा लगभग 20 हजार जिला कारागारों में बंद थे। शेष कैदी उप-कारागारों में रखे जाते हैं। परिशिष्ट की तालिका 1.14 (क) से स्पष्ट है कि अधिभोग दर (ऑक्यूपैंसी रेट) भागलपुर केंद्रीय कारा के 50 प्रतिशत और गया केंद्रीय कारा के 133 प्रतिशत के बीच थी। 15 जिला कारागारों में अधिभोग दर 125 से लेकर 523 प्रतिशत के बीच थी। उप-कारागारों में कैदियों की अधिभोग दर 26.61 से 31.1 प्रतिशत तक थी। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि संवासिनों की अधिभोग दर अपेक्षाकृत अधिक थी।

तालिका 1.14 : अधिभोग दर के अनुसार कारागारों का बंटवारा

अधिभोग दर	कारागारों की संख्या		
	केंद्रीय	जिला	उप-कारा
100 तक	4	10	7
100 से 200	3	12	5
200 से 500	1	8	3
500 से अधिक	0	1	0
समग्र अधिभोग दर	94	137	101

तालिका 1.14 में अधिभोग दर के अनुसार कारागारों का वितरण पैटर्न प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि अधिकांश कारागारों में अधिभोग दर 100 प्रतिशत से अधिक है। राज्य में कुल मिलाकर 8 केंद्रीय कारा, 31 जिला कारा और 15 उप-कारा मौजूद हैं।

बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम

बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम आरक्षी विभाग की भवन निर्माण सबंधी विभिन्न जरूरतों पर ध्यान देने के लिए 1974 में अस्तिव में आया। इसके अलावा, आरक्षी भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव की जवाबदेही भी निगम को सौंपी गई है। निगम का मुख्यालय पटना में है और प्रभागीय कार्यालय पटना, हाजीपुर, भागलपुर, दरभंगा, औरंगाबाद तथा राजगिर में। निगम ने कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित भवनों सहित ढेर सारे भवनों का निर्माण किया है। निगम अनेक वर्षों तक निष्क्रिय बना रहा और अप्रैल 2007 में उसे पुनर्जीवित किया गया। आरक्षी आधुनिकीकरण योजना के तहत निगम ने 1,637 ढांचों का निर्माण किया है। इसने अन्य 100 निर्माण भी पूरे किए हैं। इनके विवरण तालिका 1.15 में प्रस्तुत हैं। निगम अनेक जारी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। उनके विवरण तालिका 1.16 में दिए गए हैं।

तालिका 1.15 : आधुनिकीकरण योजना के तहत और राज्य योजना/ राज्य कोष से पूरे हुए निर्माणों की संख्या

पूरे हुए कार्य			
मद	**सं.**	**मद**	**सं.**
क) आरक्षी आधुनिकीकरण योजना के तहत		**ख) राज्य योजना के तहत या राज्य सरकार से प्राप्त राशि से**	
निम्न-संवर्गीय अधीनस्थ क्वार्टर (सिपाहियों और हवलदारों के लिए)	1006	राज्य योजना (मौलिक निर्माण/ विशेष मरम्मत कार्य)	43
उच्च-संवर्गीय अधीनस्थ क्वार्टर (निरीक्षकों/ उप निरीक्षकों/ सहायक उप निरीक्षकों आदि के लिए)	392	उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित कार्य (सीटीएस, नाथनगर, बीएमपी-3, बोधगया, बीएमपी-6, मुजफ्फरपुर)	36
थाना भवन	13	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना (जमा कार्य)	6
जिला नियंत्रण कक्ष	29	बक्सर में मॉडल पुलिस थाना	14
5 महिला सिपाहियों के लायक बैरक	22	बिहार अग्निशाम सेवा	1
चहारदीवारियां	86		
पुलिस लाइन (बक्सर, अरवल और भभुआ में)	3		
जिला संचार केंद्र	15		
श्रेणी-3 के थाने	21		
श्रेणी-4 के थाने	5		
पूर्वनिर्मित बैरक (पोटा हट)	12		
बगावत तथा आतंकवाद विरोधी विद्यालय हेतु अस्थायी भवन	10		
40 सिपाहियों के लायक बैरक	2		
8 सिपाहियों के लायक बैरक	4		
सामुदायिक शौचालय	1		
नक्सली क्षेत्रों में अन्य योजनाएं	16		
उप-योग 'क'	**1637**	**उप-योग 'ख'**	**100**

स्रोत : बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम, पटना

तालिका 1.16 : आधुनिकीकरण योजना और राज्य योजना/ राज्य कोष के तहत हो रहे निर्माणों की संख्या

प्रगति पर कार्य			
मद	**सं.**	**मद**	**सं.**
(क) आरक्षी आधुनिकीकरण योजना के तहत		**(ख) राज्य योजना के तहत या राज्य सरकार से प्राप्त राशि से**	
निम्न-संवर्गीय अधीनस्थ क्वार्टर (सिपाहियों और हवलदारों के लिए)	761	आदर्श पुलिस थाना	22
उच्च-संवर्गीय अधीनस्थ क्वार्टर (निरीक्षकों/ उप निरीक्षकों/ सहायक उप-निरीक्षकों आदि के लिए)	353	श्रेणी-3 के थाना भवन – 12 श्रेणी-2 के थाना भवन – 2 श्रेणी-1 के थाना भवन – 2 श्रेणी-4 के थाना – 1	17
जिला नियंत्रण कक्ष	3	उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण (सीटीएस, नाथनगर, बीएमपी-3, बोधगया, बीएमपी-6, मुजफ्फरपुर)	14
5 महिला सिपाहियों के लायक बैरक	2	बिहार अग्निशमन सेवा	12
चहारदीवारियां	20	100 सिपाहियों के लायक बैरक	1
150 सिपाहियों के लायक बैरक	1	200 सिपाहियों के लायक बैरक	1
		50 सिपाहियों के लायक बैरक	2
		25 सिपाहियों के लायक बैरक	1
पुलिस लाइन (नौगछिया, वैशाली और जमुई में)	3	जमा कार्य के तहत बिक्री कर टॉल प्लाजा के पास पुलिस बैरक	5
जिला संचार केंद्र	16	ए. एन. सिन्हा इन्स्टीट्यूट का निर्माण	1
श्रेणी-3 के थाने	40	**उप-योग 'ख'**	**76**
श्रेणी-4 के थाने	3		
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां	102		
उप-योग 'क'	**1304**		
(ग) नक्सली क्षेत्रों के लिए प्राप्त राशि के तहत		**(घ) राज्य योजना/ तेरवहें वित्त आयोग के तहत**	
नक्सली क्षेत्रों में थाना	48	बिहार पुलिस अकादमी	1
बगावत तथा आतंकवाद विरोधी विद्यालय हेतु भवन	21	अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	3
औरंगाबाद जिले में 40 सिपाहियों के लिए बैरक	18	आदर्श पुलिस थाना (चरण-2)	40
गया में 8 सिपाहियों के लिए बैरक	14		
रोहतास, अरवल और जहानाबाद जिलों में हेलीपैड	9		
सामुदायिक शौचालय	20		
नक्सली क्षेत्रों में अन्य योजनाएं	32		
उप-योग 'ग'	**162**	**उप-योग 'घ'**	**44**
(च) आरंभ की जा रही परियोजना पुलिस थाने	20		
30 सिपाहियों के लायक बैरक निर्माण	2		
10 सिपाहियों के लायक बैरक निर्माण	1		
अंचल निरीक्षक हेतु क्वार्टर	7		
गृहरक्षक	6		
अन्य योजना	10		
नक्सली क्षेत्रों में अन्य योजनाएं	15		
उप-योग 'च'	**61**		

स्रोत : बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम, पटना

1.5 आपदा प्रबंधन

अपनी भू-आकृतिक तथा जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण आपदाओं के मामले में राज्य लगातार असुरक्षित है, खास कर बाढ़ और सूखे के मामले में। गर्मी में लू और आंधियों तथा जाड़े में शीतलहर भी मानवों और पशुओं के रूप में प्रायः हर साल कीमत वसूलती हैं। बिहार उच्च सिस्मिक क्षेत्र में अवस्थित है जिस कारण भूकंप प्रवण है। आपदाओं की बारंबारता और गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन का स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया है। विभाग का मूल उद्देश्य आपदाओं के आने के पहले तैयारी की देखरेख करना, आपदाओं के दौरान संकट प्रबंधन करना तथा आपदाओं के बाद राहत और पुनर्वास का काम देखना है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दिशानिर्देशों के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदाओं के दौरान विभिन्न कार्रवाइयों का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनआरडीएफ) की एक बटालियन पटना जिले के बिहटा में स्थापित की है। राज्य सरकार ने इस बटालियन की स्थापना के लिए 74.47 एकड़ जमीन खरीदकर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को दीर्घकालिक लीज के आधार पर सौंप दिया है। राज्य सरकार ने भारतीय स्थल सेना और नौसेना के अवकाश-प्राप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों को लेकर अपना खुद के राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और केंद्रीय आरक्षी बलों, राज्य पुलिस तथा गृहरक्षकों की विशेष बटालियन के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को लेकर इसका बटालियन बनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

राज्य सरकार ने 2010-11 में सूखा प्रभावित जिलों में डीजल तथा बीज सब्सिडी के लिए अपनी संचित निधि से 605.75 करोड़ रु. का परिव्यय स्वीकृत किया है। राज्य सरकार ने राहत कार्य भी चलाए हैं। सूखे के दौरान चापाकलों की मरम्मत के लिए 53.89 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। नए नलकूप लगाने के लिए भी 130.50 करोड़ रु. खर्च किए गए। पाइप के जरिए जलापूर्ति हेतु लगभग 231 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

सूखा

वर्ष 2009 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून की कम बारिश के कारण बिहार को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। 6 अगस्त 2009 तक 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई। उस वर्ष 38 में से 28 जिले सूखा प्रभावित थे जहां राहत के उपाय किए गए। राज्य लगातार दूसरे साल 2010 में भी सूखे का सामना कर रहा है। सभी 38 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। राज्य में मॉनसून का आगमन दो सप्ताह देर से हुआ और खरीफ मौसम में बिल्कुल बुआई के मौके पर ही बारिश में 20 प्रतिशत से भी अधिक कमी आई। फलतः पूरे राज्य में फसलों का आच्छादन में 60 प्रतिशत से भी अधिक घट गया। जैसा कि तालिका 1.17(क) और 1.17(ख) में प्रस्तुत है, 2010 में सूखे की स्थिति में भारत सरकार को कुल 6,573.45 करोड़ रु. की सहायता हेतु 9 स्मारपत्र पेश किए गए।

तालिका 1.17 (क) : भारत सरकार से सूखा राहत हेतु धन की मांग (2010)

क्र. सं.	क्षेत्र	सहायता (करोड़ रु.)	अन्य सहायता
1	**कृषि :** डीजल सब्सिडी, बीज सब्सिडी, कृषि लागत सब्सिडी	1733.203	
2	**पशुपालन :** चारा तथा पशु शिविर	203.975	
3	**आनुग्रहिक राहत :** आहार	1431.57	
4	किरासन तेल		किरासन तेल की प्रति माह 45005.1 हजार ली. अतिरिक्त आपूर्ति
5	**पूरक पोषण :** 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए	116.34	
6	**स्वास्थ्य**	4.50	
7	**रोजगार सृजन :** नरेगा में अतिरिक्त आबंटन	2577.74	
8	**पेयजल**	89.88	
9	**बिजली**	152.49	330 मेगावाट अतिरिक्त बिजली
10	**लघु सिंचाई**	261.75	
11	**वित्त :** बैंक ऋण		व्यावसायिक बैंकों के ऋणों का शिड्यूल पुनर्निर्धारण। निम्न ब्जाज दर पर उपभोग ऋण तथा कृषि ऋण की उपलब्धता।
	योग	6573.45	

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार

सूखा के दौरान निम्न आय वर्ग के जीवन–जीविका में काफी कठिनाइयां आईं। राज्य सरकार को सूखा प्रभावित जिलों में भूख से पीड़ित बीमार लोगों की जान बचानी पड़ी। इस मकसद से उसने खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 973.63 लाख रु. और पेयजल हेतु 1,839.75 लाख रु. की राशि स्वीकृत किए। इस प्रकार सूखे से लड़ने के लिए 2010–11 के दौरान (13 जनवरी 2011 तक) 6,691.64 लाख स्वीकृत किए जा चुके थे।

तालिका 1.17 (ख) : 2010–11 में (13 जनवरी 2011 तक) सूखा हेतु स्वीकृत राशि

राहत कार्यक्रम	राशि (लाख रु.)
अनुकृपा अनुदान उपलब्ध कराना	
(क) नगद राशि	439.63
(ख) खाद्यान्न	534.00
पेयजल (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)	1839.75
चारा तथा परिवहन (पशुपालन)	-
पूरक पोषाहार (समाज कल्याण विभाग)	3878.26
योग	6691.64

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार

बाढ़, चक्रवात और आग

राज्य के 28 जिले, जिनमें से अधिकांश उत्तर बिहार में हैं, तकरीबन हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उन जिलों को बाढ़प्रवण घोषित किया गया है। बाढ़ के लगातार खतरे को देखते हुए इन बाढ़ प्रभावित जिलों को बचाव कार्य संबंधी आधुनिक किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य के 28 अति बाढ़ प्रभावित जिलों में से प्रत्येक के लिए 10 मोटरबोटों के प्रावधान किए गए हैं। इन मोटरबोटों चलाने के लिहाज से गृहरक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को लगाया गया है। राज्य सरकार अभी बाढ़प्रवण जिलों में 200 बाढ़ शरणस्थलियों का निर्माण करा रही है। इसके अलावा, राज्य के 10 सर्वाधिक बाढ़प्रवण जिलों में आपात प्रबंधक और सहायकों के नए पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रवीण प्रशिक्षकों की पहचान की गई है और खोज एवं बचाव कार्यों, प्राथमिक चिकित्सा, क्षमता निर्माण, तथा जागरूकता अभियान के लिहाज से उन्हें राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल प्रशिक्षित कर रहे हैं। और अंत में, आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी प्रमंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को बाढ़-पश्चात कार्यों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण विषयक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

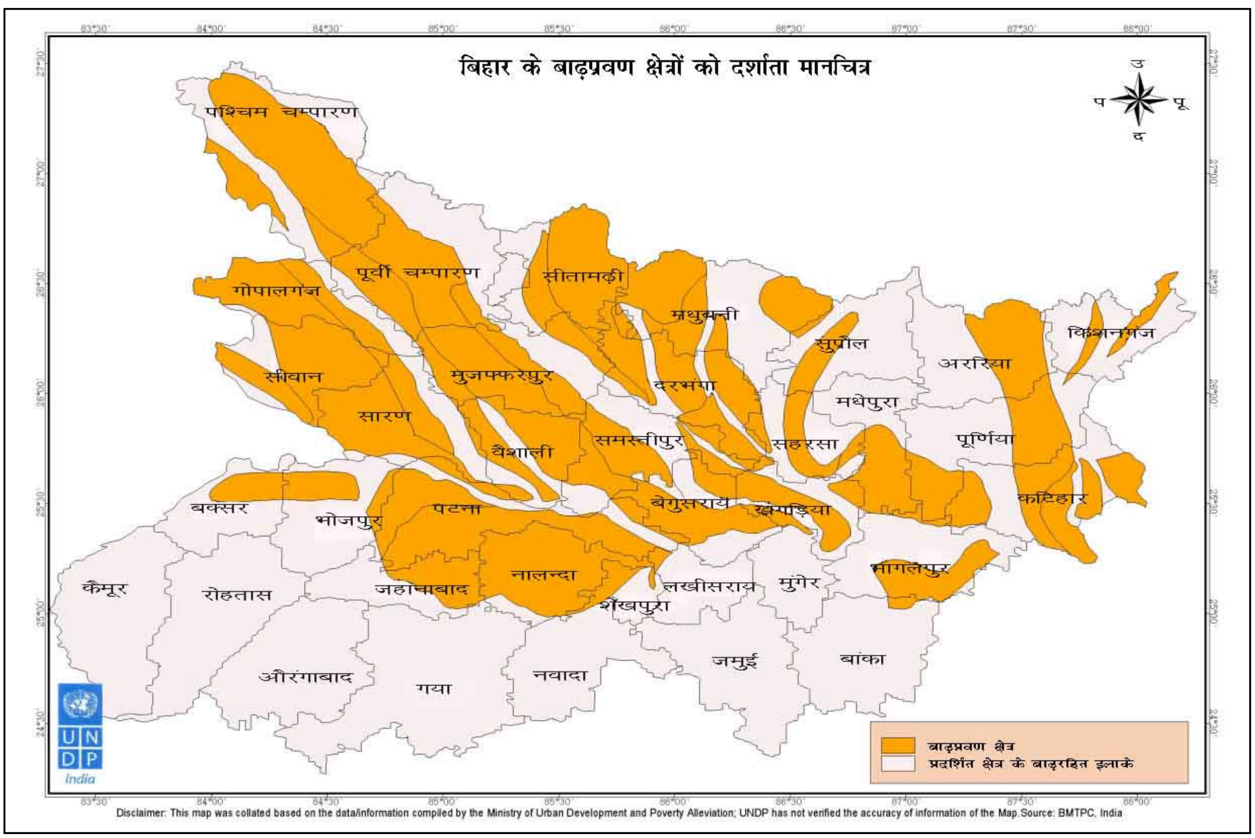

वर्ष 2010 में बाढ़, आंधी और आग से लड़ने के काम के लिए राज्य सरकार को गैर-योजना शीर्ष से 17,345.35 लाख रु. की राशि खर्च करनी होगी। व्यय का मद आधारित विवरण तालिका 1.18 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.18 : 2010 में (अक्तूबर तक) बाढ़/ चक्रवात/ अग्निकांड हेतु आबंटित राशि

कार्यक्रम	राशि (लाख रु.)
(क) राहत एवं बचाव उपकरण	1.50
(ख) सूखे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति	2909.23
(ग) नगद सहायता	2083.66
(घ) कपड़ों और बर्तनों का वितरण	729.60
(च) पेयजल की आपूर्ति	64.42
(छ) सड़कों एवं पुलों की मरम्मत	49.41
(ज) घर खाली कराने संबंधी कार्य	1215.33
(झ) सार्वजनिक भवनों की मरम्मत	
बाढ़ द्वारा प्रभावित	20.00
चक्रवात द्वारा प्रभावित	6610.44
(ट) कृषि लागत	209.00
(ठ) नावों की मरम्मत	276.85
(ड) तटबंधों तथा सिंचाई प्रणाली की मरम्मत	-
(ढ) मानव हेतु दवाएं	59.25
(ण) बाढ़पूर्व व्यवस्थाओं के लिए पीओएल	33.25
(त) बाढ़जनित दुर्घटनों के मामले में सहायता	2303.95
(थ) विविध	779.46
योग	17345.35

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार

आपदा के खतरे से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने राज्य से लेकर गांव स्तर तक कदम उठाए हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है और उसके बाद आपदा प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया गया है। पहले भी उल्लेख किया गया है कि राज्य स्तर पर एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। उपयुक्त संकट प्रबंधन हेतु 112 राज्यस्तरीय नोडल/ वरिष्ठ आधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा 8 नीति-निर्माताओं का संवेदनीकरण किया गया है। इसके अलावा, नीचे के स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए 142 प्रवीण प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

अब तक जिला स्तर पर 14 आपदा प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं और उनके 1,132 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। उनमें से 188 सदस्य महिलाएं थीं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं के 4,137 सदस्यों को भी आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 1,525 महिलाएं हैं। इसी प्रकार शिक्षकों (1,285), राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों को भी आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहलकदमियों का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :

(1) राज्य में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) की तर्ज पर राज्य आपदा अनुक्रिया बल की एक बटालियन के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 1,167 पद सृजित किए जाने हैं। उनके वेतन, प्रशिक्षण, संचार तथा वाहन समेत अन्य उपकरणों पर 22.80 करोड़ रु. खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

(2) 28 बाढ़प्रवण जिलों में 10-10 मोटरबोट की खरीद हेतु 11.60 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव है।

(3) बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय संचार के वैकल्पिक स्रोत के लिहाज से राज्य के सभी 38 जिलों में जिलाधिकारियों तथा आरक्षी अधीक्षकों को एक-एक सेटेलाइट फोन सेट (डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल) उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इनके अलावा 9 प्रमंडलीय आयुक्तों को भी सेटेलाइट फोन का एक-एक सेट उपलब्ध कराना है। बेल्ट्रॉन, पटना के जरिए ककुल 95 सेटेलाइट टेलिफोन सेट स्थापित कराए जा रहे हैं।

(4) अचानक आने वाली आपदा के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए तत्काल चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम) विकसित की जा रही है। इस मकसद से प्रतिस्पर्धी दर पर सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवा प्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए बेल्ट्रॉन को अधिकृत किया गया है।

(5) 678.78 करोड़ रु. वार्षिक व्यय से 10 प्रमुख बाढ़प्रवण जिलों में आपात प्रबंधकों तथा सहायकों के पद सृजित करने का भी एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

परिशिष्ट 1 : 1.14 (क) बिहार के कारागारों की बंदी क्षमता/ संख्या (30.06.2010)

क्रम सं.	कारा का नाम	क्षमता			बंदियों की संख्या			अधिभोग अनुपात (%)		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर, पटना	2260	100	2360	2688	79	2767	118.94	79.00	117.25
2	एस.के.आर.बी. केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर	1992	143	2135	2266	98	2364	113.76	68.53	110.73
3	केंद्रीय कारा, बक्सर	1126	0	1126	1010	0	1010	89.70	-	89.70
4	विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर	3288	0	3288	1636	0	1636	49.76	-	49.76
5	केंद्रीय कारा, भागलपुर	1962	0	1962	1352	0	1352	68.91	-	68.91
6	केंद्रीय कारा, गया	1464	14	1478	1905	61	1966	130.12	435.71	133.02
7	केंद्रीय कारा, मोतिहारी	1391	32	1423	1240	51	1291	89.14	159.38	90.72
8	केंद्रीय कारा, पूर्णिया	400	12	412	924	32	956	231.00	266.67	232.04
	योग	**13883**	**301**	**14184**	**13021**	**321**	**13342**	**93.79**	**106.64**	**94.06**
1	जिला कारा, बेतिया	489	20	509	789	40	829	161.35	200.00	162.87
2	जिला कारा, सीमामढ़ी	262	24	286	724	33	757	276.34	137.50	264.69
3	जिला कारा, हाजीपुर	728	25	753	839	20	859	115.25	80.00	114.08
4	जिला कारा, मधुबनी	621	25	646	657	18	675	105.80	72.00	104.49
5	जिला कारा, दरभंगा	655	10	665	583	26	609	89.01	260.00	91.58
6	जिला कारा, समस्तीपुर	880	0	880	612	24	636	69.55	-	72.27
7	जिला कारा, कटिहार	739	40	779	615	26	641	83.22	65.00	82.28
8	जिला कारा, नवादा	200	18	218	858	24	882	429.00	133.33	404.59
9	जिला कारा, आरा	639	25	664	1041	25	1066	162.91	100.00	160.54
10	जिला कारा, भभुआ	83	2	85	396	8	404	477.11	400.00	475.29
11	जिला कारा, शेखपुरा	150	6	156	183	4	187	122.00	66.67	119.87
12	जिला कारा, बिहारशरीफ	410	25	435	799	26	825	194.88	104.00	189.66
13	पश्चिमी जिला कारा, भागलपुर	0	83	83	0	82	82	-	98.80	98.80
14	शिविर जिला कारा, फुलवारीशरीफ	700	0	700	537	0	537	76.71	-	76.71
15	जिला कारा, मधेपुरा	96	3	99	450	11	461	468.75	366.67	465.66
16	जिला कारा, सहरसा	547	10	557	501	9	510	91.59	90.00	91.56
17	जिला कारा, छपरा	662	12	674	811	28	839	122.51	233.33	124.48
18	जिला कारा, बेगूसराय	947	10	957	1353	26	1379	142.87	260.00	144.10
19	जिला कारा, सासाराम	960	10	970	885	32	917	92.19	320.00	94.54
20	जिला कारा, किशनगंज	211	0	211	281	18	299	133.18	-	141.71
21	जिला कारा, औरंगाबाद	286	23	309	463	19	482	161.89	82.61	155.99
22	जिला कारा, गोपालगंज	500	50	550	634	34	668	126.80	68.00	121.45
23	जिला कारा, सुपौल	126	12	138	504	14	518	400.00	116.67	375.36
24	जिला कारा, मुंगेर	450	32	482	575	0	575	127.78	0.00	119.29
25	जिला कारा, लखीसराय	564	7	571	408	11	419	72.34	157.14	73.38
26	जिला कारा, अररिया	160	2	162	535	9	544	334.38	450.00	335.80
27	जिला कारा, सीवान	664	20	684	577	28	605	86.90	140.00	88.45
28	जिला कारा, खगड़िया	180	3	183	692	20	712	384.44	666.67	389.07
29	जिला कारा, जमुई	184	4	188	541	17	558	294.02	425.00	296.81
30	जिला कारा, बांका	726	6	732	591	19	610	81.40	316.67	83.33
31	जिला कारा, जहानाबाद	134	6	140	712	21	733	531.34	350.00	523.57
	योग	**13953**	**513**	**14466**	**19146**	**672**	**19818**	**137.22**	**130.99**	**137.00**

परिशिष्ट 1 : 1.14 (क) बिहार के कारागारों की बंदी क्षमता/ संख्या (30.06.2010) (जारी)

क्रम सं.	कारा का नाम	क्षमता			बंदियों की संख्या			अधिभोग अनुपात (%)		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	उप-कारा, बगहा	456	25	481	329	13	342	72.15	52.00	71.10
2	उप-कारा, बेनीपुर	200	15	215	96	6	102	48.00	40.00	47.44
3	उप-कारा, रोसड़ा	100	0	100	190	0	190	190.00	-	190.00
4	उप-कारा, झंझारपुर	100	20	120	236	15	251	236.00	75.00	209.17
5	उप-कारा, दससिंगसराय	149	15	164	110	5	115	73.83	33.33	70.12
6	उप-कारा, नौगछिया	200	20	220	265	1	266	132.50	5.00	120.91
7	उप-कारा, हिलसा	200	10	210	446	21	467	223.00	210.00	222.38
8	उप-कारा, मसौढ़ी	180	13	193	165	3	168	91.67	23.08	87.05
9	उप-कारा, पटना सिटी	144	0	144	144	0	144	100.00	-	100.00
10	उप-कारा, बाढ़	167	0	167	511	9	520	305.99	-	311.38
11	उप-कारा, दानापुर	87	0	87	131	0	131	150.57	-	150.57
12	उप-कारा, बक्सर	66	3	69	98	21	119	148.48	700.00	172.46
13	उप-कारा, शेरघाटी	240	10	250	214	11	225	89.17	110.00	90.00
14	उप-कारा, बिक्रमगंज	282	25	307	158	3	161	56.03	12.00	52.44
15	उप-कारा, दाउदनगर	500	60	560	145	4	149	29.00	6.67	26.61
	योग	**3071**	**216**	**3287**	**3238**	**112**	**3350**	**105.44**	**51.85**	**101.92**
	कुल योग	**30907**	**1030**	**31937**	**35405**	**1105**	**36510**	**114.55**	**107.28**	**114.32**

स्रोत : गृह विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 2

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

बिहार की अर्थव्यवस्था परंपरा से ही कृषिप्रधान है। लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जबसे याद है, कृषि उनकी जीविका का मुख्य आधार रहा है। इस लिहाज से लगभग दस करोड़ की आबादी वाला बिहार ग्रामीण रहा है और निकट भविष्य में रहेगा। अतएव कृषि राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार का विभाजन नवंबर 2000 में हुआ था। विभाजन के बाद खनिज-संपन्न भाग झारखंड में चला गया और राज्य में उपजाऊ जमीन तथा प्रचुर जल संसाधन बच गया। हालांकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा समय के साथ गिरता चला जा रहा है और अभी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मात्र पांचवें हिस्से के बराबर है, लेकिन कृषि तब भी बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

बिहार को गंगा की उर्वर दोमट मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन, खास कर भूमिगत जल संसाधन का अवदान प्राप्त है। राज्य में समृद्ध जैव-विविधता से युक्त अनेक कृषि-जलवायु क्षेत्र भी हैं। अतएव राज्य में अनाज, दलहन, तिलहन, रेशे, फल और सब्जियों जैसी अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। हाल में बढ़ती घरेलू और बाहरी मांगें पूरी करने के लिए अनेक प्रकार के फूलों का उत्पादन करके कृषि में विविधता लाई गई है। गत पांच वर्षों के दौरान कृषिजनित अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव दिखा है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। सहायता तंत्र को और भी मजबूत किया जा रहा है ताकि कृषि के विकास के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था अधिक तेज गति से आगे बढ़ सके। कृषि को अधिक सक्षम तथा उत्पादक बनाने के लिए सिंचाई, बीज, कृषि यंत्रीकरण, ऋण प्रवाह, किसान जागरूकता कार्यक्रम, उर्वरकों की सहज तथा समय पर उपलब्धता आदि समर्थन सेवाओं को सक्रिय किया जा रहा है। कृषि की उच्च उत्पादकता के लिए उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग के जरिए भूमि चकबंदी समस्या की जांच की गई है। कृषि को अधिक लाभप्रद तथा अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भूमि प्रबंधन में सुधार लाना राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो गया है।

बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है। इसमें निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र हैं :

1. <u>उत्तर-पश्चिम जोन</u> : इस जोन में 13 जिले हैं - पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। जोन में लगभग 1040 से 1450 मि.मी. वार्षिक वर्षा होती है। इसकी मिट्टी बलुई दोमट तथा दोमट है।

2. <u>उत्तर-पूर्व जोन</u> : इस जोन में आठ जिले हैं – सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया तथा खगड़िया। इस जोन में वार्षिक वर्षा 1200 मिमी से 1700 मिमी के बीच होती है। इसकी मिट्टी मुख्यत: बलुई दोमट तथा चिकनी दोमट है।

3. <u>दक्षिणी जोन</u> : यह सबसे बड़ा जोन है जिसमें 17 जिले हैं। इसे सामान्यत: दो भागों में बांटा जाता है – पूर्वी उप-जोन और पश्चिमी उप-जोन। पूर्वी उप-जोन में 6 जिले हैं – शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर तथा बांका। शेष ग्यारह जिले – पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा भभुआ – पश्चिमी उप-जोन में हैं। इन जोन में 990 से लेकर 1300 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। यहां की मिट्टी अनेक प्रकार की है – यथा बलुई दोमट, चिकनी दोमट, दोमट तथा चिकनी मिट्टी।

इस अध्याय के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था के कृषि एवं सहवर्ती प्रक्षेत्र के विवरण के प्रमुख शीर्ष हैं – वर्षापात, भूमि उपयोग, उत्पादन और उत्पादकता, सिंचाई, कृषि लागत (बीज, उर्वरक तथा प्रसार सेवाएं) और कृषि ऋण।

2.1 वर्षापात

बिहार में वर्षापात मुख्यत: दक्षिण-पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षापात 1091 मिमी है। शेष 15 प्रतिशत का योगदान जाड़ा, गर्मी, तथा उत्तर-पश्चिमी मॉनसून की वर्षा का होता है। यद्यपि बिहार की वार्षिक वर्षा को पर्याप्त समझा जाना चाहिए, लेकिन वर्षापात में भिन्नता के कारण राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कृषि आय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अंतर का कारण बनती है। यह इस कारण है कि लगभग 50 प्रतिशत कृष्य क्षेत्र अभी भी वर्षा या सिंचाई के कुछ पारंपरिक साधनों पर निर्भर हैं जो कम वर्षा के साल में असफल हो जाते हैं।

वर्ष 2000 से 2009 के बीच वार्षिक वर्षापात 2005 के 897 मिमी (औसत वार्षिक वर्षा का 82.2 प्रतिशत) से 2007 के 1506 मिमी (औसत वार्षिक वर्षा का 138 प्रतिशत) के बीच रहा है। वार्षिक भिन्नता का बड़ा कारण दक्षिणी-पश्चिमी मानसून है जो बिहार में वर्षापात का मुख्य स्रोत है। वर्ष 2005 में वर्षापात औसत वार्षिक वर्षा से 16.5 प्रतिशत कम था। इसी प्रकार, 2007 में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से वर्षापात औसत से 45.9 प्रतिशत अधिक हुआ था। वर्ष 2009 में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से वर्षापात सामान्य से कम था जिसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ गया। औसत वर्षापात का पैटर्न तालिका 2.1 से स्पष्ट है।

तालिका 2.1 : विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2009)

वर्षापात (मिमी)

वर्ष	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण–पश्चिम मानसून	उत्तर–पश्चिम मानसून	योग
2000	0.40	101.70	994.10	10.00	1106.20
2001	20.90	86.70	908.20	192.20	1208.00
2002	48.90	66.80	896.90	33.20	1045.80
2003	19.20	93.00	767.60	128.90	1008.70
2004	23.70	41.40	906.10	60.10	1031.30
2005	0.10	89.50	777.60	30.20	897.40
2006	0.10	88.97	925.86	27.77	1042.69
2007	28.34	76.40	1360.85	40.49	1506.08
2008	30.61	61.78	1084.27	19.31	1195.97
2009	0.09	98.22	699.17	71.13	868.61
औसत	17.23	80.45	932.06	61.33	1091.08

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार के विभिन्न जिलों में वर्षापात के पैटर्न को तालिका 2.2 में देखा जा सकता है। वर्षा के परिमाण और उसमें अंतर की तुलनात्मक संकल्पना के लिए 2008 की वर्षा को (जैसा कि तालिका 2.2 में प्रस्तुत है) औसत के बतौर लिया जा सकता है क्योंकि राज्य के लिए यह वर्षा का सामान्य वर्ष था। बिहार के 38 में से 19 जिलों में वार्षिक वर्षापात औसत से अधिक था। ये जिले थे – किशनगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, वैशाली, सारण, पूर्णिया, अरवल, सीवान, मुजफ्फरपुर, बक्सर, पूर्व चंपारण, भोजपुर, मुंगेर, पटना, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर और नवादा। वहीं 2008 में कम वर्षापात वाले जिले थे – सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बांका, जमुई, कैमूर, भागलपुर और खगड़िया तथा अन्य।

तालिका 2.2 : बिहार में विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात (2008 से 2010)

(वर्षापात मिमी)

जिला	2008					2009				
	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	उत्तर-पश्चिम मानसून	योग	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	उत्तर-पश्चिम मानसून	योग
पटना	60.80	47.70	1168.20	7.80	1284.50	0.00	61.40	615.60	56.80	733.80
नालंदा	60.50	7.80	1076.30	6.10	1150.70	0.00	89.90	445.30	57.70	592.90
रोहतास	55.90	47.00	1025.90	4.50	1133.30	0.00	28.50	710.80	71.70	811.00
कैमूर	11.20	1.20	890.20	0.00	902.60	0.00	1.30	451.10	38.10	490.50
बक्सर	27.50	48.90	1266.10	13.10	1355.60	0.00	22.90	508.40	31.40	562.70
भोजपुर	59.90	66.40	1190.60	4.60	1321.50	0.00	58.80	577.60	46.80	683.20
गया	96.90	27.00	901.90	0.00	1025.80	0.20	64.90	605.40	32.30	702.80
औरंगाबाद	86.30	56.90	964.80	0.00	1108.00	0.00	36.70	691.00	24.30	752.00
जहानाबाद	66.60	25.20	1171.20	0.00	1263.00	0.00	50.80	513.00	63.00	626.80
अरवल	50.00	61.70	1251.10	1.70	1364.50	0.00	122.80	679.00	26.80	828.60
नवादा	61.50	35.70	1104.10	0.00	1201.30	0.00	99.40	540.60	156.40	796.40
सारण	20.30	50.30	1375.50	1.90	1448.00	0.00	100.70	628.70	52.80	782.20
सीवान	0.00	0.00	1359.70	0.00	1359.70	0.00	79.00	343.30	56.30	478.60
गोपालगंज	0.00	50.40	1202.60	20.00	1273.00	0.00	87.60	711.50	83.50	882.60
मुजफ्फरपुर	13.30	72.90	1236.70	36.80	1359.70	0.00	115.80	645.20	0.00	761.00
सीतामढ़ी	55.40	9.20	680.50	13.50	758.60	0.00	0.00	908.40	8.40	916.80
शिवहर	0.00	113.00	983.60	127.40	1224.00	0.00	170.60	491.00	-	661.60
पश्चिम चंपारण	0.00	110.90	1408.20	15.70	1534.80	0.00	110.70	986.10	47.30	1144.10
पूर्व चंपारण	6.80	97.10	1195.30	30.80	1330.00	0.00	99.70	775.00	25.90	900.60
वैशाली	11.40	23.20	1417.00	27.70	1479.30	0.00	62.40	616.10	69.00	747.50
दरभंगा	1.30	44.80	686.10	27.20	759.40	0.00	153.00	841.90	45.10	1040.00
समस्तीपुर	19.90	15.00	1041.90	46.60	1123.40	0.00	137.50	577.50	83.10	798.10
मधुबनी	0.00	0.00	768.80	76.60	845.40	0.00	153.40	1049.90	36.00	1239.30
सहरसा	32.50	186.60	927.40	0.00	1146.50	0.00	70.30	766.60	59.70	896.60
सुपौल	18.00	238.80	734.80	49.30	1040.90	0.00	92.80	598.60	0.00	691.40
मधेपुरा	16.90	47.30	1030.10	0.00	1094.30	0.70	213.40	1054.60	88.00	1356.70
पूर्णिया	23.40	122.20	1251.50	16.40	1413.50	0.00	207.70	1109.70	178.20	1495.60
अररिया	6.00	180.60	1434.30	36.80	1657.70	0.00	261.80	957.40	78.00	1297.20
किशनगंज	26.70	188.40	1965.60	12.60	2193.30	0.00	110.10	1135.00	212.40	1457.50
कटिहार	19.30	106.40	995.20	12.90	1133.80	2.00	206.80	618.00	195.50	1022.30
भागलपुर	29.80	46.10	807.80	31.70	915.40	0.50	138.60	753.30	124.80	1017.20
बांका	67.00	36.60	759.20	33.90	896.70	0.00	65.00	632.60	99.00	796.60
मुंगेर	33.70	50.60	1194.70	18.20	1297.20	0.00	90.80	903.20	69.60	1063.60
लखीसराय	27.90	62.80	1163.10	7.50	1261.30	0.00	103.40	683.50	73.00	859.90
बेगूसराय	2.40	0.00	1115.80	20.20	1138.40	0.00	0.00	314.80	149.00	463.80
जमुई	0.00	0.00	663.70	0.00	663.70	0.00	0.00	624.20	61.90	686.10
खगड़िया	25.50	50.80	880.80	32.40	989.50	0.00	134.90	710.50	79.90	925.30
शेखपुरा	68.40	18.20	912.10	0.00	998.70	0.00	128.90	793.90	121.40	1044.20
बिहार	30.61	61.78	1084.27	19.31	1195.97	0.09	98.22	699.17	71.13	868.61

तालिका 2.2 : (जारी)

(वर्षापात मिमी)

जिला	2010 (सितंबर तक)				जिला	2010 (सितंबर तक)			
	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	योग		जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	योग
पटना	0.00	58.00	410.60	468.60	दरभंगा	0.00	42.10	558.30	600.40
नालंदा	0.00	15.60	537.20	552.80	समस्तीपुर	1.00	78.00	456.50	535.50
रोहतास	5.10	36.60	374.00	415.70	मधुबनी	0.00	31.40	534.10	565.50
कैमूर	6.30	32.80	518.00	557.10	सहरसा	0.00	53.60	468.60	522.20
बक्सर	0.00	7.30	534.50	541.80	सुपौल	0.00	332.20	182.20	514.40
भोजपुर	0.80	4.80	561.30	566.90	मधेपुरा	0.00	250.20	750.30	1000.50
गया	0.00	0.00	155.80	155.80	पूर्णिया	0.00	86.60	137.30	223.90
औरंगाबाद	0.00	4.00	469.30	473.30	अररिया	0.00	107.30	1096.70	1204.00
जहानाबाद	0.00	20.20	507.00	527.20	किशनगंज	0.00	156.60	2310.00	2466.60
अरवल	0.00	21.20	336.20	357.40	कटिहार	0.00	56.70	593.90	650.60
नवादा	0.00	24.80	509.50	534.30	भागलपुर	0.50	60.60	486.20	547.30
सारण	1.10	8.00	639.50	648.60	बांका	1.60	39.30	629.70	670.60
सीवान	0.00	0.00	189.80	189.80	मुंगेर	0.00	31.30	595.30	626.60
गोपालगंज	0.00	59.80	734.80	794.60	लखीसराय	0.60	47.30	687.50	735.40
मुजफ्फरपुर	0.00	53.70	623.30	677.00	बेगूसराय	0.00	96.30	374.20	470.50
सीतामढ़ी	0.00	14.30	440.50	454.80	जमुई	0.00	32.00	535.00	567.00
शिवहर	0.00	0.00	267.40	267.40	खगड़िया	0.00	0.00	0.00	-
पश्चिम चंपारण	0.80	106.00	1056.50	1163.30	शेखपुरा	3.90	85.10	620.80	709.80
पूर्व चंपारण	1.50	86.20	704.10	791.80	**बिहार**	0.61	56.87	553.13	627.11
वैशाली	0.00	21.00	433.20	454.20					

स्रोतः सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

2.2 भूमि उपयोग पैटर्न

बिहार गंगा बेसिन क्षेत्र के नदी-निर्मित मैदान के अंतर्गत आता है। इस भू-आकृतिक प्रकृति के कारण राज्य में कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। तालिका 2.3 में बिहार के भूमि उपयोग पैटर्न के 2005-06 से 2007-08 तक के आंकड़े प्रस्तुत हैं। आंकड़ों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि कृषि हेतु प्रयुक्त क्षेत्रों को छोड़कर शेष के मामले में पैटर्न कमोबेश अपरिवर्तित रहा है।

तालिका 2.3 : बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2005-06 से 2007-08)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	2005-06	2006-07	2007-08
भौगोलिक क्षेत्रफल	9359.57	9359.57	9359.57
(1) वन	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	436.13 (4.7)	436.06 (4.7)	432.09 (4.6)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	1646.63 (17.6)	1646.89 (17.6)	1652.66 (17.7)
भूमि क्षेत्र	1285.65 (13.7)	1285.98 (13.7)	1292.11 (13.8)
जल क्षेत्र	360.98 (3.9)	360.91 (3.9)	360.55 (3.9)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	45.71 (0.5)	45.65 (0.5)	45.59 (0.5)
(5) स्थायी चरागाह	17.4 (0.2)	17.33 (0.2)	16.47 (0.2)
(6) बागान	240.28 (2.6)	240.52 (2.6)	240.96 (2.6)
(7) परती भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर)	129.41 (1.4)	119.97 (1.3)	119.35 (1.3)
(8) वर्तमान परती	666.18 (7.1)	566.39 (6.1)	568.61 (6.1)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	3803.38 (40.6)	3694.45 (39.5)	3697.36 (39.5)
निवल बुआई क्षेत्रफल	5556.19 (59.4)	5665.12 (60.5)	5662.20 (60.5)
सकल बुआई क्षेत्रफल	7396.49 (79.0)	7718.95 (82.5)	7764.65 (83.0)
फसल सघनता	1.33	1.36	1.37

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

उदाहरणस्वरूप, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा है और गैर-कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल 17.6 प्रतिशत पर। हालांकि निवल बुआई क्षेत्रफल के अंतर्गत क्षेत्र में थोड़ा अंतर आया है। वर्ष 2007-08 में निवल बुआई क्षेत्रफल का हिस्सा 60.5 प्रतिशत था जबकि 2005-06 में 59.4 प्रतिशत। निवल बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि 109 हजार हेक्टेयर है। वर्ष 2006-07 के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि फसल सघनता में भी थोड़ी वृद्धि हुई है - 2005-06 के 1.33 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 1.37 प्रतिशत। इसका अर्थ हुआ 2007-08 में 2005-06 की अपेक्षा कृष्य क्षेत्र में 368 हजार हे. की वृद्धि। परती और वर्तमान परती भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल में 2007-08 में गिरावट आई है। यह दर्शाती है कि आबादी में वृद्धि से भूमि पर दबाव बढ़ा है।

तालिका 2.4 : बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2007-08)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	पटना	नालंदा	रोहतास	कैमूर	बक्सर
भौगोलिक क्षेत्रफल	317.24	232.73	390.72	342.45	167
(1) वन	0.06 (0)	4.64 (2)	66.72 (17.1)	113.04 (33)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	12.43 (3.9)	1.19 (0.5)	16.9 (4.3)	19.26 (5.6)	2.21 (1.3)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	75.9 (23.9)	40.62 (17.5)	47.22 (12.1)	33.65 (9.8)	16.99 (10.2)
भूमि क्षेत्र	63.05 (19.9)	30.26 (13)	37.95 (9.7)	29.86 (8.7)	12.44 (7.4)
जल क्षेत्र	12.85 (4.1)	10.36 (4.5)	9.27 (2.4)	3.8 (1.1)	4.55 (2.7)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	0.76 (0.2)	0.22 (0.1)	1.12 (0.3)	1.39 (0.4)	0.67 (0.4)
(5) स्थायी चरागाह	0.12 (0)	0 (0)	0.1 (0)	0.14 (0)	0.02 (0)
(6) बागान	0.97 (0.3)	1.24 (0.5)	2.86 (0.7)	0.71 (0.2)	0.64 (0.4)
(7) परती भूमि	1.57 (0.5)	0.19 (0.1)	0.79 (0.2)	5.09 (1.5)	0.61 (0.4)
(8) वर्तमान परती	23.86 (7.5)	11.38 (4.9)	7.65 (2)	7.55 (2.2)	2.97 (1.8)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	115.68 (36.5)	59.47 (25.6)	143.36 (36.7)	180.82 (52.8)	24.1 (14.4)
निवल बुआई क्षेत्रफल	201.56 (63.5)	173.26 (74.4)	247.37 (63.3)	161.63 (47.2)	142.9 (85.6)
सकल बुआई क्षेत्रफल	224.65 (70.8)	202.7 (87.1)	316.09 (80.9)	224.08 (65.4)	206.29 (123.5)
फसल सघनता	1.11	1.17	1.28	1.39	1.44
भूमि उपयोग	भोजपुर	गया	औरंगाबाद	जहानाबाद	अरवल
भौगोलिक क्षेत्रफल	237.34	493.77	330.01	94.04	62.63
(1) वन	0 (0)	77.84 (15.8)	18.76 (5.7)	0.64 (0.7)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	6.7 (2.8)	27.56 (5.6)	16.41 (5)	3.27 (3.5)	2.18 (3.5)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	33.47 (14.1)	72.28 (14.6)	54.35 (16.5)	14.84 (15.8)	9.88 (15.8)
भूमि क्षेत्र	29.22 (12.3)	61.66 (12.5)	50.97 (15.4)	12.96 (13.8)	8.63 (13.8)
जल क्षेत्र	4.25 (1.8)	10.62 (2.2)	3.38 (1)	1.88 (2)	1.25 (2)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	0.63 (0.3)	3.29 (0.7)	1.9 (0.6)	0.15 (0.2)	0.1 (0.2)
(5) स्थायी चरागाह	0.07 (0)	2.19 (0.4)	0.57 (0.2)	0.23 (0.2)	0.15 (0.2)
(6) बागान	1.96 (0.8)	3.84 (0.8)	0.6 (0.2)	1.29 (1.4)	0.88 (1.4)
(7) परती भूमि	2.56 (1.1)	11.46 (2.3)	7.22 (2.2)	0.98 (1)	1.63 (2.6)
(8) वर्तमान परती	3.14 (1.3)	106.68 (21.6)	23.01 (7)	3.73 (4)	5.75 (9.2)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	48.53 (20.4)	305.14 (61.8)	122.83 (37.2)	25.12 (26.7)	20.57 (32.8)
निवल बुआई क्षेत्रफल	188.81 (79.6)	188.63 (38.2)	207.18 (62.8)	68.92 (73.3)	42.06 (67.2)
सकल बुआई क्षेत्रफल	234.1 (98.6)	231.55 (46.9)	283.91 (86)	97.27 (103.4)	55.52 (88.6)
फसल सघनता	1.24	1.23	1.37	1.41	1.32

तालिका 2.4 : (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	नवादा	सारण	सीवान	गोपालगंज	मुजफ्फरपुर
भौगोलिक क्षेत्रफल	248.73	264.89	224.41	203.77	315.35
(1) वन	63.78 (25.6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	11.24 (4.5)	17.96 (6.8)	8.76 (3.9)	5.52 (2.7)	5.27 (1.7)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	35.17 (14.1)	33.4 (12.6)	31.12 (13.9)	32.42 (15.9)	62.21 (19.7)
भूमि क्षेत्र	24.78 (10)	26.97 (10.2)	27.56 (12.3)	29.91 (14.7)	49.58 (15.7)
जल क्षेत्र	10.39 (4.2)	6.43 (2.4)	3.55 (1.6)	2.51 (1.2)	12.64 (4)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	1.14 (0.5)	0.16 (0.1)	0.77 (0.3)	1.42 (0.7)	0.33 (0.1)
(5) स्थायी चरागाह	0.91 (0.4)	0.24 (0.1)	0.16 (0.1)	0.21 (0.1)	0.03 (0)
(6) बागान	0.62 (0.2)	8.55 (3.2)	8.52 (3.8)	7.37 (3.6)	17.16 (5.4)
(7) परती भूमि	2.7 (1.1)	3.8 (1.4)	1.5 (0.7)	2.38 (1.2)	1.48 (0.5)
(8) वर्तमान परती	29.3 (11.8)	12.89 (4.9)	3.3 (1.5)	11.3 (5.5)	14.3 (4.5)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	144.85 (58.2)	76.99 (29.1)	54.13 (24.1)	60.61 (29.7)	100.79 (32)
निवल बुआई क्षेत्रफल	103.88 (41.8)	187.9 (70.9)	170.29 (75.9)	143.16 (70.3)	214.56 (68)
सकल बुआई क्षेत्रफल	147.15 (59.2)	228.43 (86.2)	255.53 (113.9)	216.29 (106.1)	334.18 (106)
फसल सघनता	1.42	1.22	1.50	1.51	1.56
भूमि उपयोग	सीतामढ़ी	शिवहर	पश्चिम चंपारण	पूर्व चंपारण	वैशाली
भौगोलिक क्षेत्रफल	221.89	43.48	484.35	431.72	201.45
(1) वन	0 (0)	0 (0)	91.75 (18.9)	0.12 (0)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	1.78 (0.8)	0.41 (0.9)	2.93 (0.6)	8.1 (1.9)	24.11 (12)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	62.28 (28.1)	12.45 (28.6)	93.93 (19.4)	75.51 (17.5)	36.47 (18.1)
भूमि क्षेत्र	43.93 (19.8)	9.28 (21.3)	70.23 (14.5)	49.39 (11.4)	28.56 (14.2)
जल क्षेत्र	18.35 (8.3)	3.17 (7.3)	23.7 (4.9)	26.12 (6.1)	7.91 (3.9)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	0.14 (0.1)	0.03 (0.1)	1.32 (0.3)	0.29 (0.1)	0.15 (0.1)
(5) स्थायी चरागाह	1.39 (0.6)	0 (0)	1.16 (0.2)	0.46 (0.1)	0.36 (0.2)
(6) बागान	13.87 (6.3)	1.95 (4.5)	6.41 (1.3)	26.96 (6.2)	9.7 (4.8)
(7) परती भूमि	0.61 (0.3)	0.21 (0.5)	2.59 (0.5)	2.99 (0.7)	0.31 (0.2)
(8) वर्तमान परती	34.01 (15.3)	1.24 (2.9)	7.27 (1.5)	13.19 (3.1)	5.21 (2.6)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	114.09 (51.4)	16.28 (37.4)	207.35 (42.8)	127.61 (29.6)	76.32 (37.9)
निवल बुआई क्षेत्रफल	107.8 (48.6)	27.2 (62.6)	277 (57.2)	304.1 (70.4)	125.13 (62.1)
सकल बुआई क्षेत्रफल	155.68 (70.2)	46.75 (107.5)	388.55 (80.2)	383.99 (88.9)	191.92 (95.3)
फसल सघनता	1.44	1.72	1.40	1.26	1.53

तालिका 2.4 : (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	दरभंगा	समस्तीपुर	मधुबनी	सहरसा	सुपौल
भौगोलिक क्षेत्रफल	254.08	262.39	353.5	164.56	238.6
(1) वन	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	1.3 (0.5)	3.83 (1.5)	2.24 (0.6)	10.79 (6.6)	20.23 (8.5)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	60.25 (23.7)	62.37 (23.8)	85.64 (24.2)	28.13 (17.1)	50.66 (21.2)
भूमि क्षेत्र	43.12 (17)	53.2 (20.3)	69.9 (19.8)	21.13 (12.8)	37.99 (15.9)
जल क्षेत्र	17.13 (6.7)	9.17 (3.5)	15.73 (4.4)	7 (4.3)	12.67 (5.3)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	0.15 (0.1)	0 (0)	0.51 (0.1)	0.48 (0.3)	1.55 (0.6)
(5) स्थायी चरागाह	0.15 (0.1)	0.07 (0)	1.43 (0.4)	1.16 (0.7)	0.27 (0.1)
(6) बागान	12.2 (4.8)	8.22 (3.1)	22.75 (6.4)	4.3 (2.6)	3.06 (1.3)
(7) परती भूमि	2.19 (0.9)	0.98 (0.4)	3.01 (0.9)	3.87 (2.4)	1.55 (0.6)
(8) वर्तमान परती	9.43 (3.7)	5.63 (2.1)	1.79 (0.5)	9.9 (6)	11.53 (4.8)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	85.66 (33.7)	81.09 (30.9)	117.36 (33.2)	58.63 (35.6)	88.85 (37.2)
निवल बुआई क्षेत्रफल	168.41 (66.3)	181.3 (69.1)	236.14 (66.8)	105.93 (64.4)	149.75 (62.8)
सकल बुआई क्षेत्रफल	215.37 (84.8)	233.27 (88.9)	318.64 (90.1)	186.32 (113.2)	245.95 (103.1)
फसल सघनता	1.28	1.29	1.35	1.76	1.64
भूमि उपयोग	मधेपुरा	पूर्णिया	अररिया	किशनगंज	कटिहार
भौगोलिक क्षेत्रफल	179.59	313.88	271.71	189.08	291.35
(1) वन	0 (0)	0.11 (0)	0.84 (0.3)	0.35 (0.2)	1.79 (0.6)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	3.92 (2.2)	12.33 (3.9)	5.01 (1.8)	11.2 (5.9)	22.11 (7.6)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	30.39 (16.9)	44.98 (14.3)	50.72 (18.7)	33.85 (17.9)	56.4 (19.4)
भूमि क्षेत्र	25.47 (14.2)	36.66 (11.7)	39.47 (14.5)	24.01 (12.7)	40.2 (13.8)
जल क्षेत्र	4.92 (2.7)	8.33 (2.7)	11.24 (4.1)	9.84 (5.2)	16.19 (5.6)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	0 (0)	1.16 (0.4)	0.56 (0.2)	1.24 (0.7)	0.69 (0.2)
(5) स्थायी चरागाह	0.06 (0)	0.06 (0)	0.23 (0.1)	0.44 (0.2)	0.14 (0)
(6) बागान	7.02 (3.9)	8.77 (2.8)	18.95 (7)	5.01 (2.6)	11.01 (3.8)
(7) परती भूमि	1.05 (0.6)	4.76 (1.5)	2.96 (1.1)	3.08 (1.6)	6.05 (2.1)
(8) वर्तमान परती	7.84 (4.4)	41.24 (13.1)	4.53 (1.7)	11.88 (6.3)	24.62 (8.5)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	50.28 (28)	113.41 (36.1)	83.79 (30.8)	67.05 (35.5)	122.81 (42.2)
निवल बुआई क्षेत्रफल	129.31 (72)	200.47 (63.9)	187.92 (69.2)	122.04 (64.5)	168.54 (57.8)
सकल बुआई क्षेत्रफल	223.31 (124.3)	265.69 (84.6)	290.26 (106.8)	162.77 (86.1)	259.13 (88.9)
फसल सघनता	1.73	1.33	1.54	1.33	1.54

तालिका 2.4 : (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	भागलपुर	बांका	मुंगेर	लखीसराय	बेगूसराय
भौगोलिक क्षेत्रफल	254.3	305.62	139.79	128.6	187.83
(1) वन	0.08 (0)	46.31 (15.2)	28.52 (20.4)	13.45 (10.5)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	22.4 (8.8)	42.96 (14.1)	11.44 (8.2)	7.01 (5.5)	17.96 (9.6)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	67.82 (26.7)	41.45 (13.6)	31.12 (22.3)	13.84 (10.8)	40.92 (21.8)
भूमि क्षेत्र	51.46 (20.2)	35.42 (11.6)	19.86 (14.2)	7.82 (6.1)	29.23 (15.6)
जल क्षेत्र	16.36 (6.4)	6.03 (2)	11.26 (8.1)	6.02 (4.7)	11.69 (6.2)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	2.34 (0.9)	7.95 (2.6)	0.95 (0.7)	0.72 (0.6)	0.04 (0)
(5) स्थायी चरागाह	0.63 (0.2)	1.09 (0.4)	0.21 (0.2)	0.06 (0)	0.02 (0)
(6) बागान	6.59 (2.6)	7.35 (2.4)	0.54 (0.4)	0.26 (0.2)	3.56 (1.9)
(7) परती भूमि	3.2 (1.3)	1.19 (0.4)	1.98 (1.4)	6.4 (5)	0.85 (0.5)
(8) वर्तमान परती	6.2 (2.4)	1.01 (0.3)	13.12 (9.4)	20.91 (16.3)	3.79 (2)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	109.26 (43)	149.31 (48.9)	87.87 (62.9)	62.64 (48.7)	67.13 (35.7)
निवल बुआई क्षेत्रफल	145.04 (57)	156.31 (51.1)	51.93 (37.1)	65.96 (51.3)	120.7 (64.3)
सकल बुआई क्षेत्रफल	168.96 (66.4)	177.78 (58.2)	63.54 (45.5)	84.66 (65.8)	174.56 (92.9)
फसल सघनता	1.16	1.14	1.22	1.28	1.45

भूमि उपयोग	जमुई	खगड़िया	शेखपुरा
भौगोलिक क्षेत्रफल	305.29	149.34	62.08
(1) वन	92.86 (30.4)	0 (0)	0 (0)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	28.57 (9.4)	13.59 (9.1)	1.02 (1.6)
(3) गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि	39.39 (12.9)	30.72 (20.6)	9.88 (15.9)
भूमि क्षेत्र	34.34 (11.2)	18.76 (12.6)	6.88 (11.1)
जल क्षेत्र	5.05 (1.7)	11.96 (8)	3 (4.8)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	10.45 (3.4)	0.63 (0.4)	0.24 (0.4)
(5) स्थायी चरागाह	1.71 (0.6)	0.23 (0.2)	0 (0)
(6) बागान	2.03 (0.7)	3 (2)	0.26 (0.4)
(7) परती भूमि	16.51 (5.4)	7.36 (4.9)	1.69 (2.7)
(8) वर्तमान परती	51.54 (16.9)	8.86 (5.9)	7.07 (11.4)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	243.06 (79.6)	64.4 (43.1)	20.15 (32.5)
निवल बुआई क्षेत्रफल	62.23 (20.4)	84.94 (56.9)	41.94 (67.6)
सकल बुआई क्षेत्रफल	68.23 (22.3)	134.91 (90.3)	66.67 (107.4)
फसल सघनता	1.10	1.59	1.59

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

विभिन्न जिलों में 2007-08 के दौरान भूमि उपयोग का पैटर्न तालिका 2.4 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका पर एक नजर डालने से पता चलता है कि बिहार के विभिन्न जिलों में भूमि उपयोग के पैटर्न में भी काफी अंतर है।

ऐसा जिलों के कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों में अंतर के कारण है। निवल बुआई क्षेत्रफल के प्रतिशत पर विचार करने पर पता चलता है कि 9 जिलों में 70 प्रतिशत से भी अधिक जमीन कृषि के अंतर्गत है। ये जिले हैं - नालंदा (74.4 प्रतिशत), बक्सर (85.6 प्रतिशत), भोजपुर (79.6 प्रतिशत), जहानाबाद (73.3 प्रतिशत), सारण (70.9 प्रतिशत), गोपालगंज (70.3 प्रतिशत), सीवान (75.9 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (70.4 प्रतिशत) तथा मधेपुरा (72 प्रतिशत)। दूसरी ओर 50 प्रतिशत से कम निवल कृषि क्षेत्र वाले जिले हैं - गया (38.2 प्रतिशत), नवादा (41.8 प्रतिशत), मुंगेर (37.1 प्रतिशत) तथा जमुई (20.4 प्रतिशत)। जिन जिलों में सिंचाई सुविधा कम है, वहां किसानों द्वारा फसल सघनता बढ़ाने के प्रयास के बावजूद यह कम है। सबसे कम फसल सघनता 1.10 जमुई में है।

2.3 उत्पादन और उत्पादकता

भूमि की उर्वरता और प्रचुर भूमिगत जल संसाधनों के अवदान के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार की फसलें उगाने में समर्थ हैं। अनाज और दलहन के अलावा बिहार में तिलहन, रेशे, फलों और सब्जियों का भी उत्पादन होता है। देर से ही सही, लेकिन बिहार के किसानों ने राज्य के अंदर-बाहर फूलों की बढ़ती मांग को देखकर फूलों की खेती भी आरंभ की है।

तालिका 2.5 में बिहार में 2000-01 से 2008-09 के बीच उपजाई जाने वाली 34 महत्वपूर्ण फसलों का वार्षिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अंतिम दो कॉलमों में 2008-09 तक के तीन वर्षों के लिए फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का त्रिवार्षिक औसत प्रस्तुत किया गया है। औसत की संकल्पना से इन तीन वर्षों के दौरान दिखने वाला अंतर समाप्त हो जाएगा और विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के मामले में एक स्थिर तस्वीर उभरेगी। इन औसतों से यह बात सामने आती है कि बिहार में अभी चावल (50.6 लाख टन), गेहूं (45.1 लाख टन), मक्का (17.8 लाख टन), तिलहन (1.43 लाख टन) तथा ईख (47.8 लाख टन) की खेती होती है। वर्ष 2009 के भयानक सूखे के बावजूद 2009-10 में लगभग 9.60 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 105.00 लाख टन था। इससे राज्य में कृषि के भारी लोच का पता चलता है।

तालिका 2.6 में बिहार का फसल पैटर्न प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार की कृषिगत अर्थव्यस्था का रुझान अभी भी काफी हद तक जीवन-निर्वाह हेतु उत्पादन की ओर ही है। वर्ष 2001-02 से 2008-09 तक की पूरी अवधि में खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल 95 प्रतिशत के आसपास रहा है। खाद्यान्नों में अनाजों का प्रतिशत दलहन की कीमत पर थोड़ा बढ़ा है। तिलहन, रेशे और ईख का हिस्सा कुल फसली क्षेत्रफल का मुश्किल से 5 प्रतिशत है और कुल फसली क्षेत्रफल में उनके अलग-अलग हिस्सों में बहुत थोड़ा परिवर्तन ही हुआ है। तिलहन और रेशेदार फसलों की कीमत पर ईख के उत्पादन क्षेत्रफल में थोड़ी वृद्धि हुई है।

बिहार में विभिन्न फसलों की उत्पादकता के स्तरों की बात करें, तो उनके आंकड़े तालिका 2.7 में प्रस्तुत हैं। तीन मुख्य अनाजों के लिए औसत उत्पादकता है - चावल 1,454 किग्रा प्रति हे., गेहूं 2,126 किग्रा प्रति हे. तथा मक्का 2,746 किग्रा प्रति हे.। बिहार में खरीफ दलहनों की औसत उत्पादकता 984 किग्रा प्रति हे. और रबी दलहनों की 753 किग्रा प्रति हे. है। उत्पादकता के आंकड़े 2008-09 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के औसत हैं।

तालिका 2.5 : बिहार में मुख्य फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादकता (2000-01 से 2008-09)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

वर्ष/ फसलें	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
कुल अनाज	6400.15	11437.37	6326.26	11134.63	6346.45	10466.30	6282.71	10499.14	5838.80	7264.72
कुल चावल	3656.85	5444.37	3552.20	5202.81	3584.69	5085.57	3577.99	5447.80	3140.12	2472.16
बोड़ो चावल	591.71	786.86	593.78	736.27	583.27	682.93	553.90	688.19	534.48	477.33
अगहनी चावल	2939.79	4444.35	2843.56	4244.61	2881.07	4205.03	2907.20	4589.71	2489.42	1828.63
गरमा चावल	125.35	213.16	114.86	221.93	120.35	197.61	116.89	169.90	116.22	166.20
गेहूं	2067.33	4437.96	2126.33	4391.08	2130.93	4040.61	2076.84	3688.94	2027.64	3263.39
कुल मक्का	620.51	1497.29	594.35	1487.92	577.76	1292.01	581.15	1319.65	626.85	1490.38
खरीफ मक्का	272.96	477.14	244.62	459.87	256.04	426.69	259.03	438.01	270.97	443.82
रबी मक्का	191.50	559.09	185.84	593.62	160.86	432.66	161.06	440.82	195.11	592.07
गरमा मक्का	156.05	461.06	163.89	434.43	160.86	432.66	161.06	440.82	160.77	454.49
कुल मोटे अनाज	55.46	57.75	53.38	52.82	53.07	48.11	46.73	42.75	44.19	38.79
जौ	22.57	26.50	21.55	26.69	20.43	23.43	21.45	24.01	17.35	18.28
ज्वार	1.09	0.99	4.39	3.73	4.40	4.45	1.51	1.53	3.76	3.81
बाजरा	1.53	1.27	0.83	0.60	1.02	1.05	1.57	1.64	1.20	1.30
रागी	22.45	24.67	19.64	16.70	20.70	14.24	15.19	10.24	15.57	10.51
कोदो-सावां	7.82	4.32	6.97	5.10	6.52	4.94	7.01	5.33	6.31	4.89
कुल खरीफ दलहन	104.08	98.71	96.79	85.23	93.27	81.41	88.05	82.37	88.25	81.18
अरहर	43.60	58.86	41.26	47.65	37.68	42.97	38.86	48.10	35.84	44.22
ऊड़द	32.06	20.30	31.96	21.49	25.12	18.60	24.20	18.01	23.96	17.87
भदई मूंग	9.23	5.17	7.92	3.86	10.66	5.75	8.40	4.23	7.32	3.62
कुल्थी	17.53	13.45	14.40	11.52	13.09	10.42	15.43	11.40	15.01	12.13
अन्य खरीफ दलहन	1.08	0.57	0.49	0.27	5.91	3.27	0.74	0.40	5.57	3.07
घाघरा	0.58	0.36	0.76	0.44	0.81	0.40	0.42	0.23	0.55	0.27
कुल रबी दलहन	610.80	520.73	597.47	461.81	603.61	477.50	592.83	474.44	569.81	385.58
चना	76.16	78.73	68.16	65.34	71.36	72.06	80.32	78.59	72.11	60.16
मसूर	169.91	167.80	172.62	137.75	179.58	156.61	171.04	159.75	178.77	127.03
मटर	25.71	24.81	23.83	23.45	23.30	20.81	23.74	22.17	22.82	20.09
खेसारी	157.11	143.69	156.99	129.75	140.71	112.67	133.06	122.57	118.22	79.66
गरमा मूंग	177.77	103.37	172.74	103.30	185.14	112.84	181.37	88.91	175.40	96.75
अन्य रबी दलहन	4.14	2.33	3.13	2.22	3.52	2.51	3.30	2.45	2.49	1.89
कुल तिलहन	153.70	130.93	147.89	123.69	137.23	104.93	140.53	123.72	131.88	116.95
अंडी	0.27	0.22	0.63	0.66	0.32	0.31	0.16	0.15	0.15	0.14
कुसुम	0.27	0.22	2.63	2.05	0.16	0.13	0.20	0.16	0.21	0.17
तिल	3.38	1.77	3.10	1.99	3.79	2.73	3.80	2.84	3.52	2.72
सूर्यमुखी	10.84	16.71	10.23	13.92	13.36	17.39	17.53	24.16	16.56	23.43
सरसों-राई	97.01	84.36	93.12	78.08	90.07	62.03	83.67	68.98	83.11	66.88
तीसी	41.83	27.54	35.72	25.61	29.16	22.16	34.70	27.20	27.56	23.23
मूंगफली	0.10	0.11	2.46	1.38	0.37	0.18	0.47	0.23	0.77	0.38
कुल रेशेदार फसलें	169.66	1381.64	160.56	1103.74	172.07	1096.84	178.04	1288.74	154.39	1183.79
जूट	135.30	1133.70	142.63	996.44	147.80	973.55	154.59	1147.36	134.45	1056.21
मेसता	31.91	246.26	15.37	105.29	20.03	120.28	20.01	138.91	15.55	124.05
सन	2.45	1.68	2.56	2.01	4.24	3.01	3.44	2.47	4.39	3.53
ईख	93.53	3987.58	113.44	5211.11	107.27	4525.51	103.60	4285.89	101.24	4240.46

तालिका 2.5 : (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

वर्ष/ फसलें	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		त्रिवर्षीय औसत (2006-07 से 2008-09)	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
कुल अनाज	5959.71	8008.30	6237.12	11077.60	6304.68	11343.65	6333.74	11751.70	6291.85	11390.98
कुल चावल	3251.23	3709.29	3472.51	5121.19	3473.02	4472.68	3495.73	5590.35	3480.42	5061.41
बोड़ो चावल	533.23	503.45	517.98	530.24	2842.47	3967.66	2843.34	4684.43	2067.93	3060.77
अगहनी चावल	2604.75	3023.01	2845.09	4426.96	524.27	321.22	546.87	727.68	1305.41	1825.29
गरमा चावल	113.25	182.83	109.44	163.99	106.28	183.80	105.53	178.24	107.08	175.34
गेहूं	2001.77	2821.22	2076.73	4155.54	2131.23	4974.66	2158.33	4410.02	2122.10	4513.41
कुल मक्का	661.12	1434.41	641.21	1755.94	657.88	1857.01	640.46	1714.00	646.52	1775.65
खरीफ मक्का	276.98	456.11	259.49	397.59	263.30	321.41	244.97	371.82	255.92	363.61
रबी मक्का	208.92	551.77	206.08	744.27	214.52	858.29	208.51	752.73	209.70	785.09
गरमा मक्का	175.22	426.53	175.64	614.08	180.06	677.32	186.97	589.45	180.89	626.95
कुल मोटे अनाज	45.59	43.38	46.67	44.93	42.55	39.30	39.23	37.33	42.81	40.52
जौ	16.00	16.56	18.66	19.92	15.40	18.51	14.59	15.90	16.22	18.11
ज्वार	4.11	4.24	3.40	3.51	3.43	3.76	2.40	2.54	3.08	3.27
बाजरा	4.34	4.59	4.11	4.42	3.50	3.86	2.97	3.60	3.53	3.96
रागी	14.24	12.83	14.33	12.45	13.22	8.00	11.44	9.30	13.00	9.91
कोदो-सावां	6.90	5.16	6.17	4.63	7.00	5.17	7.83	5.99	7.00	5.26
कुल खरीफ दलहन	54.82	40.10	83.92	81.39	78.17	80.06	71.59	68.53	77.89	76.66
अरहर	8.25	4.90	35.63	44.28	30.86	42.67	28.14	33.12	31.54	40.02
ऊड़द	25.20	19.44	25.48	19.80	22.37	17.50	21.44	17.98	23.10	18.43
भदई मूंग	8.25	4.90	6.99	4.07	8.83	5.36	8.59	5.61	8.14	5.01
कुल्थी	11.74	10.10	14.00	12.08	13.71	12.74	11.31	10.40	13.01	11.74
अन्य खरीफ दलहन	0.90	0.52	0.93	0.54	1.40	0.92	2.12	1.41	1.48	0.96
घाघरा	0.48	0.24	0.89	0.62	0.99	0.89	0.00	0.00	0.63	0.50
कुल रबी दलहन	512.12	373.97	526.15	366.96	503.33	393.06	512.78	399.91	514.09	386.64
चना	62.69	58.91	64.28	54.18	64.11	63.47	61.21	56.64	63.20	58.10
मसूर	159.36	117.76	167.87	121.85	158.49	126.13	163.77	128.60	163.38	125.53
मटर	24.58	22.62	23.66	22.00	23.29	25.08	23.77	22.87	23.57	23.32
खेसारी	99.05	78.80	101.69	80.25	98.11	82.35	97.20	79.79	99.00	80.80
गरमा मूंग	163.46	93.62	168.65	88.68	156.04	93.58	162.67	108.94	162.45	97.06
अन्य रबी दलहन	2.98	2.26	-	-	3.29	2.44	4.16	3.08	3.73	2.76
कुल तिलहन	137.90	134.43	143.11	147.63	142.05	144.20	138.08	137.88	141.08	143.24
अंडी	0.16	0.15	0.13	0.12	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16
कुसुम	0.17	0.14	0.18	0.14	0.12	0.09	0.22	0.17	0.17	0.13
तिल	3.19	2.55	3.52	2.73	2.83	2.25	2.30	1.84	2.88	2.27
सूर्यमुखी	22.71	30.54	22.83	30.51	22.05	30.65	22.42	31.06	22.43	30.74
सरसों-राई	83.62	77.37	86.94	89.41	88.13	87.46	85.27	81.81	86.78	86.23
तीसी	27.14	23.23	28.59	24.27	27.51	22.69	25.96	21.96	27.35	22.97
मूंगफली	0.91	0.45	0.92	0.45	1.21	0.87	1.73	0.86	1.29	0.73
कुल रेशेदार फसलें	148.77	1474.88	154.30	1514.34	154.25	1452.39	150.97	1220.12	153.17	1395.62
जूट	131.05	1329.25	132.91	1356.62	131.63	1242.82	131.95	1054.80	132.16	1218.08
मेसता	14.53	143.04	18.18	155.08	22.63	209.56	19.02	165.32	19.94	176.66
सन	3.19	2.59	3.21	2.64	-	-	-	-	-	-
ईख	104.19	4111.72	117.18	5338.84	107.04	4027.23	111.90	4959.92	112.04	4775.33

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.6 : बिहार में फसल पैटर्न

फसलें	क्षेत्रफल का प्रतिशत								
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
खाद्यान्न	94.47	94.34	94.42	94.28	94.37	94.35	94.29	94.47	94.52
अनाज *	90.00	90.15	90.15	90.27	89.91	91.31	91.09	91.56	91.55
दलहन *	10.00	9.85	9.85	9.73	10.09	8.69	8.91	8.44	8.45
तिलहन	2.04	1.98	1.84	1.90	1.91	1.99	1.97	1.95	1.89
रेशेदार फसलें	2.25	2.16	2.31	2.41	2.24	2.15	2.12	2.12	2.06
ईख	1.24	1.52	1.44	1.40	1.47	1.51	1.61	1.47	1.53
कुल क्षेत्रफल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी * : प्रतिशत खाद्यान्नों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में अनाजों और दलहनों के क्षेत्रफल से संबंधित है।

गौर करने की बात है कि मक्का ऐसी फसल है जिसमें लंबे समय से वृद्धि का सकारात्मक रुझान दिखा है। इसके उत्पादन में बढ़त का रुझान दिखा जो 2005-06 के 14.34 लाख टन से बढ़कर 2008-09 में 17.14 लाख टन हो गया। मक्के की उत्पादकता भी 2005-06 के 2,170 किग्रा प्रति हे. से बढ़कर 2008-09 में 2,676 किग्रा प्रति हे. हो गई। तिलहन के क्षेत्र में क्षेत्रफल और उत्पादन लगभग स्थिर बना रहा। वर्ष 2005-06 में क्षेत्रफल 1.38 लाख हे. था जो 2008-09 में भी था। तिलहन का उत्पादन स्तर थोड़ा बढ़ा और 2005-06 के 1.34 लाख टन से बढ़कर 2008-09 में 1.38 लाख टन हो गया। क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में दलहन में थोड़ी कमी आई। दलहन का उत्पादन 2000-01 के 6.19 लाख टन से गिरकर 2008-09 में 4.68 लाख टन रह गया। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल भी 2000-01 के 7.15 लाख हे. से घटकर 2008-09 में 5.84 लाख हे. रह गया। हालांकि इस दौरान उत्पादकता में थोड़ी वृद्धि हुई है।

तालिका 2.7 : बिहार में प्रमुख फसलों की उत्पादकता (2006-07 से 2008-09)

(उत्पादकता : किग्रा प्रति हे.)

वर्ष/ फसलें	2006-07	2007-08	2008-09	त्रिवर्षीय औसत (2006-07 से 2008-09)
कुल अनाज	1776	1799	1855	1810
कुल चावल	1475	1288	1599	1454
बोड़ो चावल	1024	1396	1648	1356
अगहनी चावल	1556	613	1331	1166
गरमा चावल	1498	1729	1689	1639
गेहूं	2001	2334	2043	2126
कुल मक्का	2738	2823	2676	2746
खरीफ मक्का	1532	1221	1518	1424
रबी मक्का	3612	4001	3610	3741
गरमा मक्का	3496	3762	3153	3470
कुल मोटे अनाज	963	924	952	946
जौ	1068	1202	1090	1120
ज्वार	1032	1098	1059	1063
बाजरा	1075	1103	1212	1130
रागी	869	605	813	762
कोदो-सावां	750	738	765	751
कुल खरीफ दलहन	970	1024	957	984
अरहर	1243	1383	1177	1267
ऊड़द	777	782	838	799
भदई मूंग	582	607	653	614
कुल्थी	863	929	920	904
अन्य खरीफ दलहन	581	654	668	634
घाघरा	697	890	-	793
कुल रबी दलहन	697	781	780	753
चना	843	990	925	919
मसूर	726	796	785	769
मटर	930	1077	962	990
खेसारी	789	839	821	816
गरमा मूंग	526	600	670	598
अन्य रबी दलहन	-	741	741	741
कुल तिलहन	1032	1015	999	1015
अंडी	923	956	957	945
कुसुम	778	800	800	793
तिल	776	793	802	790
सूर्यमुखी	1336	1390	1386	1371
तीसी	849	825	846	840
मूंगफली	489	719	494	568
ईख	45561	37624	44324	42503

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार में विभिन्न अंचलों के बीच कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियों में अंतर है। इस कारण फसल पैटर्न में भी एक-दूसरे से भिन्नता रहती है। तालिका 2.8 में राज्य के सभी जिलों में तीन प्रमुख अनाजों का क्षेत्रफल और उत्पादन दर्शाया गया है। वर्ष 2007-08 के उत्पादन स्तर को देखते हुए राज्य में चावल के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन वाले जिले औरंगाबाद, रोहतास, गया, भभुआ और सहरसा हैं जिनमें से प्रत्येक का उत्पादन 250 हजार टन

से अधिक है। गेहूं के मामले में अधिक उत्पादन स्तर वाले पांच जिले रोहतास, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर और बक्सर हैं जिनमें से प्रत्येक का उत्पादन 245 हजार टन से अधिक है। और अंत में मक्का के मामले में सर्वाधिक उत्पादन वाले पांच जिले खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर, कटिहार और मधेपुरा हैं जिनमें से प्रत्येक का उत्पादन स्तर 103 हजार टन से अधिक है।

तालिका 2.8 : बिहार में प्रमुख फसलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09 अंतिम अनुमान)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

जिले	चावल				गेहूं				मक्का			
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	86036	78749	88287	135438	60188	142779	59324	145048	14070	16853	4751	3882
नालंदा	90207	92390	87298	121500	85691	171738	67000	95379	7530	15351	5504	3377
भोजपुर	108517	244885	106160	314218	76896	239002	76892	216960	4882	7663	4018	1084
बक्सर	86540	236338	76664	180533	82686	247538	77606	225417	3971	4657	176	259
रोहतास	165849	409455	166168	459975	141145	367652	131171	363492	103	63	84	47
कैमूर	133762	320853	136482	267235	64891	119590	58521	127675	380	201	85	47
गया	163558	350847	124578	220397	59211	149714	60225	128449	5420	8364	3946	4920
जहानाबाद	52709	95916	57835	145344	28081	67911	32795	70998	2220	4135	598	787
अरवल	33474	58493	35604	62215	11052	24041	11172	19918			625	1189
नवादा	74977	147354	74990	148475	51655	130193	51949	122282	2332	5372	1169	1728
औरंगाबाद	169057	417893	165979	240569	64344	123856	64364	93607	1566	3910	78	92
सारण	82174	120500	81194	116925	93092	239175	95368	239615	18591	19624	22324	19683
सीवान	111541	115162	110175	141593	97587	247485	95441	220509	23018	32282	13069	24064
गोपालगंज	81770	72197	86507	105826	81749	153561	78765	139824	17157	23003	13107	19794
मुजफ्फरपुर	157842	13020	156563	204856	100927	259634	97973	189230	13908	35184	11827	36597
पूर्व चंपारण	216703	56020	216260	299782	105060	302999	107857	162723	22829	76604	14311	14673
पश्चिम चंपारण	172604	92217	168625	336345	83575	263300	83457	239348	15878	71817	9163	31294
सीतामढ़ी	103690	54614	82084	120986	65714	119808	67117	127778	8408	28355	2164	4647
शिवहर	23512	8736	22237	20108	16758	26106	10393	21709	5508	15649	708	2352
वैशाली	57367	27828	57459	90765	44156	123213	48191	150493	22296	29838	22436	50490
दरभंगा	79468	25815	98587	126762	73899	196297	79761	169874	21484	68014	9698	29459
मधुबनी	180352	90951	188896	216500	89409	167254	94051	150429	4282	12292	1029	3600
समस्तीपुर	69257	15321	102417	154552	51533	132059	61128	169183	20231	127200	42180	150706
बेगूसराय	27569	4848	20871	24163	56752	134783	53410	91385	66804	87157	53304	78131
मुंगेर	31507	52444	31713	46881	18746	43750	19131	31609	8376	17493	4380	6447
शेखपुरा	32229	51413	30563	69650	20793	43487	19959	45782	2121	4520	227	382
लखीसराय	37238	92040	39639	80603	28098	82590	30720	50181	6546	6379	5105	5398
जमुई	43788	77089	41565	71441	13801	23632	14107	13768	4350	15272	4086	6529
भागलपुर	41910	47285	24008	12112	34101	71545	34301	23909	49907	202530	48438	199814
बांका	41560	46698	24008	12112	34964	72345	41889	87932	42358	89822	30656	72647
सहरसा	103646	250102	41154	55612	31950	79917	32823	95345	18778	41964	10919	24095
सुपौल	87151	79363	97023	215838	42814	87215	40928	72265	18487	71043	14425	51300
मधेपुरा	106776	147007	74371	67381	51248	100038	42770	77376	22539	78146	3234	20616
पूर्णिया	101145	156450	93034	98459	41435	70102	35652	67828	31073	103698	18794	53494
अररिया	113915	105950	51429	42653	44813	69310	39096	65474	45327	166249	22918	75277
किशनगंज	93187	83237	93201	106673	22037	22502	22063	29220	18459	80037	1258	4607
कटिहार	155778	102992	70515	69470	55008	75670	57964	72390	12974	47737	11708	45902
खगड़िया	25579	30976	71594	136439	35638	58549	38426	70351	36409	117123	28316	87097
बिहार	3543944	4473448	3295737	5340386	2161497	5050340	2133760	4484755	620572	1735601	440818	1136507

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.9 : बिहार में प्रमुख फसलों की जिलावार उत्पादकता (2007-08 और 2008-09 अंतिम अनुमान)

उत्पादकता (किग्रा प्रति हे.)

जिले	चावल		गेहूं		मक्का		दलहन	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
पटना	915	1534	2372	2445	1198	817	963	1379
नालंदा	1024	1392	2004	1424	2039	614	799	1164
भोजपुर	2257	2960	3108	2822	1570	270	960	1456
बक्सर	2731	2355	2994	2905	1173	1472	1033	988
रोहतास	2469	2768	2605	2771	612	560	1055	862
कैमूर	2399	1958	1843	2182	529	553	778	841
गया	2145	1769	2528	2133	1543	1247	882	1088
जहानाबाद	1820	2513	2418	2165	1863	1316	880	850
अरवल	1747	1747	2175	1783		1902	832	893
नवादा	1965	1980	2520	2354	2304	1478	753	828
औरंगाबाद	2472	1449	1925	1454	2497	1179	847	696
सारण	1466	1440	2569	2513	1056	882	783	844
सीवान	1032	1285	2536	2310	1402	1841	721	753
गोपालगंज	883	1223	1878	1775	1341	1510	816	924
मुजफ्फरपुर	82	1308	2572	1931	2530	3094	658	584
पूर्व चंपारण	259	1386	2884	1509	3356	1025	751	843
पश्चिम चंपारण	534	1995	3150	2868	4523	3415	800	1225
सीतामढ़ी	527	1474	1823	1904	3372	2147	732	802
शिवहर	372	904	1558	2089	2841	3322	747	605
वैशाली	485	1580	2790	3123	1338	2250	515	559
दरभंगा	325	1286	2656	2130	3166	3038	586	371
मधुबनी	504	1146	1871	1599	2871	3499	598	504
समस्तीपुर	221	1509	2563	2768	6287	3573	958	1426
बेगूसराय	176	1158	2375	1711	1305	1466	953	1076
मुंगेर	1665	1478	2334	1652	2088	1472	957	947
शेखपुरा	1595	2279	2091	2294	2131	1683	1008	1328
लखीसराय	2472	2033	2939	1633	974	1057	974	857
जमुई	1761	1719	1712	976	3511	1598	592	1054
भागलपुर	1128	504	2098	697	4058	4125	807	878
बांका	1124	504	2069	2099	2121	2370	894	1121
सहरसा	2413	1351	2501	2905	2235	2207	574	684
सुपौल	911	2225	2037	1766	3843	3556	564	760
मधेपुरा	1377	906	1952	1809	3467	6375	577	812
पूर्णिया	1547	1058	1692	1903	3337	2846	1031	688
अररिया	930	829	1547	1675	3668	3285	648	764
किशनगंज	893	1145	1021	1324	4336	3662	587	572
कटिहार	661	985	1376	1249	3679	3921	675	685
खगड़िया	1211	1906	1643	1831	3217	3076	900	863
बिहार	**1262**	**1620**	**2337**	**2102**	**2797**	**2578**	**792**	**915**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

किसी जिले की समृद्धि के बारे में जानने के लिए प्रमुख फसलों की उत्पादकता का स्तर एक अच्छा सूचक है। तालिका 2.9 में सभी 38 जिलों के लिए प्रमुख फसलों की उत्पादकता के स्तर दिए गए हैं। चावल की उत्पादकता पर गौर करें, तो 2007-08 में सर्वाधिक उत्पादकता वाले तीन जिले बक्सर (2,731 किग्रा/ हे.), औरंगाबाद (2,472 किग्रा/ हे.) और लखीसराय (2,472 किग्रा/ हे.) हैं। गेहूं के मामले में सर्वाधिक उत्पादकता वाले तीन जिले पश्चिम चंपारण (3,150 किग्रा/ हे.), भोजपुर (3,108 किग्रा/ हे.) और बक्सर (2,994 किग्रा/ हे.) हैं। और मक्का के मामले में सर्वाधिक उत्पादकता वाले तीन जिले हैं समस्तीपुर (6,287 किग्रा/ हे.), पश्चिम चंपारण (4,523 किग्रा/ हे.) और किशनगंज (4,336 किग्रा/ हे.)।

प्रमुख अनाजों और दलहन के अलावा बिहार में सब्जियां भी उपजती हैं। तालिका 2.10 में बिहार में 2005-06 से 2008-09 के बीच प्रमुख सब्जियों के उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत हैं। वर्ष 2008-09 के आंकड़ों का जायजा लेने पर बिहार की महत्वपूर्ण सब्जियों में आलू (50.34 लाख टन), प्याज (9.47 लाख टन), टमाटर (10.37 लाख टन), फूलगोभी (10.44 लाख टन) और बैगन (11.86 लाख टन) शामिल हैं। वर्ष 2008-09 में बिहार में सब्जियों की फसल का कुल क्षेत्रफल 8.27 लाख हे. था जो राज्य के सकल बुआई क्षेत्र का लगभग 10.6 प्रतिशत है। बिहार के अंदर और बाहर सब्जियों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राज्य में सब्जी उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ने का रुझान दिखता है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए प्रमुख सब्जियों (आलू, प्याज, फूलगोभी और बैंगन) का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका 2.11 में प्रस्तुत है। तालिका पर एक नजर डालने से साफ पता चलता है कि इनका उत्पादन सभी जिलों में फैला हुआ है। तथापि कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा कुछ जिलों में ही संकेंद्रित है। पटना और नालंदा के अलावा, जहां सब्जी उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है, उच्चस्तरीय उत्पादन वाले अन्य जिले गया, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, वैशाली और समस्तीपुर हैं।

बिहार में मुख्य अनाजों और सब्जियों के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन फलों की खेती है। इससे किसानों को अच्छा वित्तीय लाभ होता है। आम, अमरुद, लीची और केला बिहार के प्रमुख फल हैं। वर्ष 2008-09 में यहां 2.9 लाख हे. जमीन पर फलों की खेती हुई थी जो निवल कृष्य क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत है। मुख्य फलों का उत्पादन था - आम 13.30 लाख टन, अमरुद, 2.29 लाख टन, लीची 2.17 लाख टन तथा केला 13.74 लाख टन (तालिका 2.12)। बिहार के कुल फल उत्पादन में आम का 36 प्रतिशत और केले का 37 प्रतिशत हिस्सा है। कुल फल उत्पादन में लीची का हिस्सा 5.8 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए चार प्रमुख फलदार फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का वितरण तालिका 2.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.10 : बिहार में सब्जियों की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (2005-06 से 2008-09)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

फसलें	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
आलू	-	-	322.84	5741.29	315.46	6019.65	310.33	5033.58
प्याज	49.80	1011.70	50.47	962.71	51.29	1019.61	51.61	946.60
टमाटर	46.00	727.20	46.46	916.77	46.23	921.87	46.39	1037.19
गोभी	59.80	938.50	60.14	1008.98	60.66	1023.89	60.97	1043.84
पत्तागोभी	36.60	578.30	37.00	623.46	37.45	638.11	38.33	676.98
बैगन	53.70	1031.00	54.07	1120.58	54.55	1158.16	55.12	1186.12
मिर्च	38.13	442.35	38.51	459.73	38.96	439.42	39.42	450.61
कद्दू	29.21	566.73	29.37	542.46	29.86	574.29	30.62	625.22
नेनुआ	33.68	458.10	33.88	455.56	34.34	467.68	36.07	497.10
खीरा	1.25	14.52	1.47	15.68	1.60	17.21	1.72	18.74
झिंगी	8.10	46.96	8.27	47.80	8.42	49.50	8.49	50.45
करेला	8.51	49.35	8.73	59.38	8.93	61.82	9.01	63.44
पेठा	0.30	7.03	0.31	7.06	0.34	7.88	0.37	8.64
तरबूज	0.89	19.12	0.98	19.93	1.08	21.97	1.11	23.54
खरबूजा	0.63	7.25	0.71	8.45	0.80	9.77	0.85	10.49
परवल	4.64	47.81	4.86	46.02	5.63	57.80	5.76	60.17
लोबिया	11.64	86.11	12.17	88.25	12.40	92.72	12.72	97.85
मटर	8.10	50.50	8.74	53.07	8.97	57.58	9.09	61.28
मूली	14.43	221.02	14.93	226.57	15.15	230.93	15.54	241.12
गाजर	4.06	45.32	4.16	46.33	4.23	48.03	4.47	52.21
शक्करकंद	0.22	4.24	0.23	4.44	0.26	5.24	0.33	6.62
कच्चू	0.59	6.15	0.60	6.44	0.69	7.56	0.77	8.60
ओल	0.33	14.05	0.35	15.38	0.41	17.88	0.47	21.40
अन्य	85.51	888.70	84.92	1132.16	85.99	1119.18	87.29	1163.95
योग	496.11	7262.01	824.16	13608.50	823.70	14067.74	826.87	13385.75

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.11 : बिहार में सब्जियों की खेती का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

जिलों के नाम	आलू				प्याज				गोभी			
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
पटना	15934	315493	15886	267795	2438	49735	2454	46825	3618	65124	3627	64875
नालंदा	26918	554127	26864	457598	5788	120706	5802	118069	3023	55623	3042	54953
रोहतास	10523	191519	10332	161489	1152	20966	1155	18881	1181	18424	1178	18673
कैमूर	4287	76309	4085	62811	847	15077	849	13462	714	10710	717	11061
बक्सर	5074	97928	4908	79820	864	16934	869	16045	648	11016	662	11240
भोजपुर	8388	162727	8218	134263	1151	22905	1162	21786	1077	18524	1091	19009
गया	11238	214646	10324	163429	1411	25962	1414	24029	1891	31769	1897	30700
औरंगाबाद	5865	112608	5722	89001	1066	18975	1069	18522	1319	19980	1311	20827
जहानाबाद	3766	72307	3516	56918	472	9251	496	8934	502	8634	511	8174
अरवल	2812	54553	2767	45135	388	7682	397	7172	397	6670	409	6542
नवादा	5648	103358	5511	86282	933	16887	938	16404	1277	18410	1272	20704
सारण	13276	249589	13126	207701	912	17510	924	16710	2042	33489	2044	34746
सीवान	10088	187637	9894	157625	842	15998	861	15723	1553	25469	1561	26750
गोपालगंज	11954	227126	11789	190113	838	16257	852	15640	1838	30878	1844	31859
मुजफ्फरपुर	11764	218810	11603	190599	2477	50035	2491	47037	3716	60057	3724	65504
सीतामढ़ी	6736	123942	6608	107360	1282	25384	1293	23629	1288	21123	1292	21295
शिवहर	4178	76040	4103	66779	679	13173	688	12161	809	12944	814	13101
पश्चिम चंपारण	12082	234391	11904	196726	2264	46186	2276	42497	2827	50321	2841	50159
पूर्व चंपारण	11591	221388	11366	185576	2328	45629	2343	43288	1987	32984	1998	34554
वैशाली	13312	258590	12654	212897	1672	33945	1689	32475	4853	90089	4872	89234
दरभंगा	7665	144102	7526	118468	1066	21320	1076	19076	1576	26162	1584	26834
समस्तीपुर	12214	239394	11763	193823	1172	24043	1184	21967	2862	51230	2881	50871
मधुबनी	10332	195275	9996	159246	1084	21897	1082	19725	2538	40892	2548	43924
सहरसा	7528	143032	7378	118358	592	11958	601	10706	1709	28882	1717	29121
सुपौल	5918	110075	5802	90821	344	6502	348	5833	628	10074	634	9987
मधेपुरा	6938	130741	6859	108674	937	18365	942	16463	1736	28470	1744	28880
पूर्णिया	6778	128426	6645	106630	1742	34666	1751	31576	1906	31639	1917	31795
अररिया	4504	85026	4362	68357	1468	29066	1476	25390	809	13429	814	13101
किशनगंज	5972	112871	5809	91511	1389	26808	1356	23574	833	14078	842	13735
कटिहार	7243	139066	7115	116285	3774	76990	3778	68468	2801	47617	2823	48427
भागलपुर	8367	155626	8127	133593	1558	31472	1573	28809	1482	24305	1492	25401
बांका	6411	114116	6249	99044	712	13243	718	12345	678	10577	682	10910
मुंगेर	7042	130981	6897	110662	954	19462	966	17289	698	11447	714	12013
लखीसराय	3062	57872	3004	49275	287	5490	299	5210	231	3604	239	3700
बेगूसराय	5614	109473	7622	124386	1921	39957	1935	35699	1808	30374	1819	31603
जमुई	3518	62972	3315	51361	726	13648	732	12445	398	6089	402	6182
खगड़िया	5432	99949	5315	83756	747	14492	756	13467	1202	19713	1209	20505
शेखपुरा	5488	107565	5368	89419	1011	21029	1019	19273	202	3070	204	2894
योग	315460	6019650	310332	5033585	51288	1019605	51614	946601	60657	1023890	60972	1043841

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.11 : (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

जिलों के नाम	बैगन				अन्य				योग			
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
पटना	1823	39377	1842	42141	15414	220010	15690	240322	39227	689739	39499	661958
नालंदा	6458	148368	6471	148010	16508	229742	16816	252025	58695	1108566	58995	1030655
रोहतास	959	18413	968	17895	5711	75897	5800	77252	19526	325219	19433	294190
कैमूर	676	12709	684	12509	3847	50286	3912	51795	10371	165091	10247	151638
बक्सर	648	13738	676	15343	5058	73546	5260	79433	12292	213162	12375	201881
भोजपुर	1042	22403	1074	24314	7094	98396	7363	110945	18752	324955	18908	310317
गया	1628	33537	1642	33968	9532	127342	9667	127363	25700	433256	24944	379489
औरंगाबाद	1094	21005	1099	21682	7450	105594	7542	109570	16794	278162	16743	259603
जहानाबाद	607	11897	638	13997	3427	50198	3680	56971	8774	152287	8841	144993
अरवल	381	7391	424	9799	2713	39501	3008	46163	6691	115797	7005	114811
नवादा	1191	22510	1202	24030	6847	93093	6944	95752	15896	254258	15867	243172
सारण	1772	37212	1783	37914	10231	144310	10447	155414	28233	482110	28324	452484
सीवान	1547	31559	1568	34026	8581	119787	8845	133913	22611	380450	22729	368036
गोपालगंज	1363	28350	1382	30184	9582	140800	9791	150108	25575	443411	25658	417905
मुजफ्फरपुर	2792	59469	2813	61513	19342	295537	19574	316139	40091	683908	40205	680792
सीतामढ़ी	1208	25126	1214	26693	8228	121723	8378	130057	18742	317298	18785	309033
शिवहर	633	12597	642	13183	4389	61563	4507	65643	10688	176317	10754	170867
पश्चिम चंपारण	1929	42438	1954	43459	14496	221341	14649	230395	33598	594677	33624	563235
पूर्व चंपारण	1692	35701	1618	35582	13614	197387	13790	212792	31212	533089	31115	511792
वैशाली	3018	67603	3054	68881	20703	319870	21091	339684	43558	770097	43360	743171
दरभंगा	2408	49123	2422	51333	13475	185083	13564	194424	26190	425790	26172	410135
समस्तीपुर	2178	51836	2199	50168	13266	203872	13514	215552	31692	570375	31541	532381
मधुबनी	1946	40282	1978	43196	10245	142506	10547	154614	26145	440852	26151	420705
सहरसा	1299	27019	1311	28002	10005	135544	10248	145931	21133	346435	21255	332118
सुपौल	598	12199	609	12407	4563	57918	4708	61430	12051	196768	12101	180478
मधेपुरा	1556	32209	1569	32165	10193	134786	10326	141951	21360	344571	21440	328133
पूर्णिया	1091	23129	1104	22993	11103	151127	11265	159706	22620	368987	22682	352700
अररिया	613	12505	627	12635	5161	70194	5316	72762	12555	210220	12595	192246
किशनगंज	548	11289	561	1579	5514	76747	5661	78454	14256	241793	14229	208852
कटिहार	1737	37172	1754	38357	15297	208673	15272	218153	30852	509518	30742	489689
भागलपुर	1578	32822	1596	34785	11309	163880	11548	174364	24294	408105	24336	396951
बांका	798	15641	812	15737	4222	55955	4350	59840	12821	209532	12811	197877
मुंगेर	696	15312	718	16123	6204	84466	6540	94100	15594	261668	15835	250187
लखीसराय	177	3575	183	4424	2280	30400	2563	34611	6037	100941	6288	97219
बेगूसराय	2634	59002	2653	59389	12447	175597	12676	194771	24424	414403	26705	445848
जमुई	553	10396	578	11222	3836	50211	3893	50584	9031	143316	8920	131794
खगड़िया	1398	27680	1403	30636	7563	104314	7728	110985	16342	266148	16411	259348
शेखपुरा	284	5566	292	5844	2292	29239	2364	31636	9277	166469	9247	149065
बिहार	54553	1158160	55117	1186118	341742	4846436	348837	5175602	823700	14067741	826872	13385747

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.12 : बिहार में फल की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (2005-06 से 2008-09)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

फल	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
आम	140.20	1222.70	140.80	1306.90	142.21	870.35	144.07	1329.80
अमरुद	27.70	199.00	28.00	248.00	28.67	255.72	29.09	229.19
लीची	28.40	200.10	28.80	211.90	29.84	223.23	30.47	216.92
नींबू	16.80	112.30	17.10	121.20	17.58	125.84	17.74	128.09
केला	28.00	959.30	29.00	1125.10	30.46	1329.36	31.27	1373.55
अन्नानास	4.20	108.00	4.50	121.10	4.64	126.77	4.69	119.48
पपीता	1.00	22.50	1.10	25.30	1.27	30.36	1.43	33.61
आंवला	1.10	8.60	1.20	10.70	1.31	12.09	1.38	12.83
अन्य	28.90	235.90	29.00	255.90	30.26	278.66	30.56	279.34
बिहार	276.40	3068.40	279.40	3426.00	286.24	3252.38	290.71	3722.82

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.13 : बिहार में फलों की खेती का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

जिला का नाम	आम				अमरुद				लीची			
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
पटना	3792	22752	3834	37252	1049	9601	1078	8984				
नालंदा	2686	15578	2790	26429	1448	12742	1459	11156				
रोहतास	5591	26073	5639	52983	3196	26526	3204	25992				
कैमूर	3272	17668	3305	28923	1352	11316	1357	10402				
बक्सर	3283	18240	3319	29375	1483	13051	1488	11668				
भोजपुर	4496	26076	4532	40422	1866	16744	1872	14962				
गया	1183	6388	1262	11898	642	5392	651	5438				
औरंगाबाद	1144	6521	1225	11565	646	5556	667	5363				
जहानाबाद	258	1496	289	3014	238	2046	248	2244				
अरवल	226	1312	284	2999	204	1796	226	2145				
नवादा	1042	5418	1094	9908	501	4208	506	4003				
सारण	4977	31852	5018	44157	803	7227	811	6524	1053	7686	1068	2476
सीवान	2372	15180	2420	22038	664	5843	672	5467	1084	8022	1097	7679
गोपालगंज	2885	17887	2947	27139	578	5318	584	4856	1176	8584	1189	8085
मुजफ्फरपुर	9608	64295	9652	90304	1383	12724	1396	11528	7206	56006	7229	54322
सीतामढ़ी	5139	32889	5198	45723	722	6572	728	5747	2097	15518	2136	15345
शिवहर	2548	13778	2579	22937	312	2776	317	2769	968	7164	978	6748
पश्चिम चंपारण	7083	48164	7138	67637	1582	15187	1594	13431	1887	14718	1998	14945
पूर्व चंपारण	9098	52498	9144	85579	1629	14498	1642	1676	1808	13118	1827	13169
वैशाली	8172	56204	8238	77977	1265	12144	1289	11316	3513	26498	3546	26916
दरभंगा	12863	76750	12896	114025	601	5589	608	4980	808	5879	818	5768
समस्तीपुर	10384	70612	10436	98638	593	5692	606	5450	1107	8634	1198	9064
मधुबनी	5946	35676	5994	54486	484	4452	492	4296	786	5559	804	5749
सहरसा	2447	15663	2481	22621	644	5862	649	5357	492	3642	537	3719
सुपौल	1166	6996	1207	11122	427	3628	433	3564	183	1336	188	1316
मधेपुरा	1881	10662	1923	17807	616	5544	628	5070	264	1954	278	1946
पूर्णिया	2347	14786	2409	22221	358	3294	375	3285	1223	8828	1249	8828
अररिया	588	3410	626	6049	186	1598	194	1873	388	2754	398	2746
किशनगंज	709	4396	741	7135	214	1862	231	2116	384	2688	403	2781
कटिहार	2684	18251	2736	25164	438	4030	444	3868	1461	10464	1486	10808
भागलपुर	7287	47365	7329	68700	668	6146	687	5993	482	3615	504	3691
बांका	6164	32052	6198	56919	304	2554	309	2708	52	364	56	358
मुंगेर	1098	6808	1194	11524	242	2202	268	2396	233	1678	242	1727
लखीसराय	487	2922	531	5173	118	992	134	1378	47	329	49	338
बेगूसराय	3958	24539	4011	37441	496	4712	508	4554	584	4322	598	4266
जमुई	992	5356	1028	9792	216	1814	221	1995	164	1048	171	1157
खगड़िया	1581	9486	1629	15364	367	3376	372	3262	301	2174	323	2318
शेखपुरा	777	4351	798	7363	133	1104	137	1374	92	644	96	653
बिहार	142214	870350	144074	1329803	28668	255718	29085	229190	29843	223226	30466	216918

तालिका 2.13 : (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन ह. टन में)

जिला का नाम	केला				अन्य				योग			
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
	2007-08		2008-09		2007-08		2007-08		2008-09		2007-08	
पटना	563	23196	588	26932	2081	19706	2105	19334	7485	75255	7605	92502
नालंदा	427	16568	442	20187	1655	14335	1671	14794	6216	59223	6362	72566
रोहतास	276	10654	281	11135	1025	8378	1046	9096	10088	71631	10170	99206
कैमूर	209	7106	210	8184	760	5898	772	6242	5593	41988	5644	53751
बक्सर	216	8035	218	9363	888	7377	906	7747	5870	46703	5931	58153
भोजपुर	312	11482	314	13434	1413	11954	1429	12499	8087	66256	8147	81317
गया	214	7790	226	9250	1387	11460	1403	12498	3426	31030	3542	39084
औरंगाबाद	312	12886	318	12776	1369	11275	1389	11925	3471	36238	3599	41629
जहानाबाद	154	5636	156	6703	633	5191	648	5689	1283	14369	1341	17650
अरवल	107	4044	110	4784	446	3720	465	4216	983	10872	1085	14144
नवादा	306	11016	308	12933	1308	10247	1323	11661	3157	30889	3231	38505
सारण	732	28255	735	31211	1847	15536	1866	16392	9412	90556	9498	100760
सीवान	698	27082	702	29885	1807	15435	1827	16084	6625	71562	6718	81153
गोपालगंज	657	26411	659	28193	1376	12843	1391	11995	6672	71043	6770	80268
मुजफ्फरपुर	4892	214780	4981	219284	1917	18350	1950	18076	25006	366155	25208	393514
सीतामढ़ी	613	24139	617	26528	1036	9377	1052	9539	9607	88495	9731	102882
शिवहर	268	10506	271	11665	615	5356	632	5572	4711	39580	4777	49691
पश्चिम चंपारण	846	40338	932	43272	2874	26236	2907	25339	14272	144643	14569	164624
पूर्व चंपारण	868	40448	897	41203	2738	22361	2758	23150	16141	142923	16268	164777
वैशाली	3084	150499	3168	145863	1783	17411	1808	17910	17817	262756	18049	279982
दरभंगा	1742	77844	1751	74362	2006	18849	2026	18091	18020	184911	18099	217226
समस्तीपुर	1946	94964	2008	92488	1970	20238	1990	18807	16000	200140	16238	224447
मधुबनी	1003	46448	1022	44373	1889	16351	1909	17101	10108	108486	10221	126005
सहरसा	1077	48034	1086	47469	1995	25543	2019	25300	6655	98744	6772	104466
सुपौल	591	23345	593	25619	691	5170	696	5921	3058	40475	3117	47542
मधेपुरा	1284	54184	1288	57307	1653	20864	1671	20908	5698	93208	5788	103038
पूर्णिया	928	41018	942	39684	3051	60256	3074	54107	7907	128182	8049	128125
अररिया	414	15980	426	17927	1062	13214	1084	13524	2638	36956	2728	42119
किशनगंज	618	24226	633	26706	2829	57872	2871	55630	4754	91044	4879	94368
कटिहार	856	39718	966	42817	1623	18992	1650	17947	7062	91455	7282	100604
भागलपुर	1098	48532	1126	48538	2013	17175	2039	18131	11548	122833	11685	145053
बांका	643	23405	648	26234	1074	8200	1087	8829	8237	66575	8298	95048
मुंगेर	376	13371	412	18001	626	5717	646	6037	2575	29776	2762	39685
लखीसराय	138	5451	141	6127	248	2196	264	2485	1038	11890	1119	15501
बेगूसराय	897	41442	923	41840	1519	14944	1543	14475	7454	89959	7583	102576
जमुई	208	7592	214	8637	642	5092	656	5463	2222	20902	2290	27044
खगड़िया	757	38185	828	37214	899	8204	912	7985	3905	61425	4064	66143
शेखपुरा	132	4752	134	5426	308	2397	323	2856	1442	13248	1488	17672
बिहार	30462	1329362	31274	1373554	55056	573720	55808	573355	286243	3252376	290707	3722820

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.14 : बिहार में फूलों की खेती का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2007-08 और 2008-09)

(क्षेत्रफल हे./ उत्पादन टन में)

जिले	गुलाब				गेंदा				बेला			
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
पटना	3.20	4.32	3.60	4.96	29.40	541.00	32.30	607.24	4.35	13.05	4.95	15.35
नालंदा	1.60	1.82	1.80	2.52	5.60	102.00	6.20	114.08	2.20	6.29	2.80	8.12
रोहतास	0.65	0.59	0.75	0.78	1.50	25.00	1.80	30.15	0.60	1.56	0.90	2.34
कैमूर	0.55	0.44	0.65	0.70	1.25	20.00	1.65	26.90	0.30	0.77	0.80	2.12
बक्सर	0.80	0.85	0.90	0.99	2.45	43.00	2.85	50.58	0.80	2.16	1.50	4.20
भोजपुर	1.80	1.95	2.10	2.31	10.70	191.00	11.60	208.34	2.10	5.94	2.80	7.98
गया	1.65	1.95	1.85	2.22	13.20	234.00	15.40	275.66	3.45	9.32	5.65	15.26
औरंगाबाद	0.60	0.70	0.70	0.78	4.15	71.00	4.85	83.42	0.90	2.48	1.80	5.04
जहानाबाद	0.70	0.80	0.80	1.04	6.35	115.00	6.70	122.28	1.40	3.84	2.60	7.15
अरवल	0.80	0.88	0.95	1.19	6.20	114.00	6.50	120.64	0.75	2.09	1.85	5.18
नवादा	0.60	0.66	0.65	0.65	1.55	26.00	1.95	33.15	0.35	0.93	0.75	1.95
सारण	0.95	1.10	1.05	1.21	2.60	45.00	3.90	68.25	0.85	2.34	1.90	5.32
सीवान	0.70	0.80	0.85	1.05	1.70	29.00	2.50	43.00	0.40	1.05	0.80	2.28
गोपालगंज	0.80	0.92	0.95	1.19	2.10	38.00	2.80	51.24	0.45	1.26	1.15	3.34
मुजफ्फरपुर	3.60	4.46	3.95	5.29	16.35	312.00	17.85	342.72	3.40	9.83	5.60	17.08
सीतामढ़ी	0.70	0.74	0.80	0.92	1.90	33.00	2.40	42.24	0.75	2.03	1.40	3.78
शिवहर	0.60	0.57	0.65	0.67	0.75	13.00	0.85	14.88	0.30	0.78	0.70	1.82
पश्चिम चंपारण	1.85	2.22	2.05	2.67	6.80	128.00	7.90	149.31	0.70	2.00	1.80	5.22
पूर्व चंपारण	1.65	1.85	1.85	2.22	6.20	112.00	7.60	138.32	0.90	2.44	1.60	4.40
वैशाली	3.15	3.97	3.45	4.83	14.40	276.00	17.30	332.51	2.85	8.32	5.45	16.90
दरभंगा	1.30	0.94	1.45	1.74	5.30	91.00	5.90	103.84	1.20	3.29	1.80	5.22
समस्तीपुर	2.80	3.58	3.35	4.69	6.80	131.00	10.40	199.68	2.10	6.05	4.60	14.72
मधुबनी	0.70	0.67	0.80	1.04	1.90	33.00	2.80	49.00	0.60	1.70	1.80	5.40
सहरसा	1.40	1.59	1.55	1.86	3.20	55.00	6.70	115.91	0.70	1.90	1.60	4.64
सुपौल	0.35	0.30	0.55	0.61	1.40	23.00	1.80	29.88	0.30	0.79	0.60	1.56
मधेपुरा	0.60	0.57	0.70	0.81	1.95	33.00	2.45	41.90	0.40	1.07	0.80	2.16
पूर्णिया	1.20	1.30	1.35	1.68	4.25	72.00	7.10	123.54	0.75	2.06	1.85	52.91
अररिया	0.75	0.78	0.85	0.97	0.90	15.00	1.40	23.80	0.30	0.82	0.80	2.28
किशनगंज	1.40	1.79	1.70	2.38	6.35	108.00	7.65	132.35	1.20	3.48	1.90	5.89
कटिहार	1.60	1.82	1.80	2.34	5.95	102.00	9.35	162.69	1.10	3.10	2.00	5.80
भागलपुर	1.70	2.01	1.80	2.16	7.10	131.00	9.20	170.38	2.20	6.29	4.40	12.76
बांका	0.60	0.49	0.65	0.78	1.60	27.00	1.95	32.91	0.70	1.83	0.90	2.39
मुंगेर	1.80	2.02	1.95	2.54	7.25	128.00	8.40	148.68	1.10	3.04	1.90	5.32
लखीसराय	0.65	0.55	0.75	0.77	1.85	32.00	2.10	36.54	0.50	1.30	0.85	2.29
बेगूसराय	1.30	1.43	1.40	1.79	4.10	71.00	7.60	133.76	0.90	2.50	2.10	6.51
जमुई	0.75	0.59	0.80	0.80	1.15	19.00	1.45	24.07	0.30	0.77	0.50	1.35
खगड़िया	0.80	0.72	0.85	0.94	1.20	20.00	1.80	34.02	0.35	0.95	0.90	2.52
शेखपुरा	0.40	0.30	0.50	0.45	0.60	10.00	0.70	11.73	0.30	0.74	0.70	1.82
बिहार	47.05	53.04	53.15	66.54	198.00	3569.00	243.65	4429.59	42.80	120.16	76.80	270.37

तालिका 2.14 : (जारी)

(क्षेत्रफल हे./ उत्पादन टन में)

जिला	गुलादाउदी				अन्य				योग			
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
	2007-08		2008-09		2007-08		2008-09		2007-08		2008-09	
पटना	1.70	8.84	2.60	13.52	9.25	58.28	10.15	62.86	47.90	612.87	53.60	689.87
नालंदा	0.70	3.36	1.40	6.72	2.35	18.00	3.25	25.37	12.45	128.45	15.45	152.89
रोहतास	0.35	1.61	0.80	3.52	1.05	9.03	1.40	12.32	4.15	37.20	5.65	48.33
कैमूर	0.20	0.90	0.60	2.64	0.90	7.29	1.10	9.02	3.20	28.96	4.80	40.68
बक्सर	0.50	2.38	0.90	4.23	1.20	11.52	1.60	15.04	5.75	59.06	7.75	74.05
भोजपुर	0.60	2.82	1.10	5.28	2.10	14.98	2.90	21.13	17.30	213.34	20.50	241.13
गया	1.55	7.29	2.85	13.11	3.65	24.58	4.65	31.00	23.50	272.69	30.40	331.93
औरंगाबाद	0.40	1.92	0.90	4.32	1.30	11.18	1.70	14.96	7.35	86.58	9.95	107.74
जहानाबाद	0.80	3.80	1.40	6.44	1.65	13.31	2.45	19.95	10.90	135.55	13.95	155.22
अरवल	0.70	3.36	1.10	5.28	1.30	11.24	2.00	16.78	9.75	130.49	12.40	147.48
नवादा	0.35	1.65	0.60	2.76	0.80	6.72	1.20	10.14	3.65	35.30	5.15	48.00
सारण	0.65	3.15	1.25	6.13	1.50	13.35	1.90	16.72	6.55	63.84	10.00	96.42
सीवान	0.20	0.95	0.80	3.76	0.95	8.36	1.45	12.47	3.95	39.36	6.40	61.51
गोपालगंज	0.40	1.96	1.10	5.39	1.20	11.16	1.80	16.20	4.95	52.38	7.80	76.17
मुजफ्फरपुर	3.85	18.87	6.15	31.98	13.85	94.06	14.65	95.16	41.05	423.86	48.20	475.44
सीतामढ़ी	0.60	2.82	0.90	4.14	1.40	11.32	2.10	16.24	5.35	48.77	7.60	66.00
शिवहर	0.20	0.93	0.45	2.03	0.75	5.86	1.35	10.80	2.60	20.37	4.00	29.23
पश्चिम चंपारण	1.40	7.28	3.60	18.72	3.25	26.78	4.05	31.46	14.00	162.76	19.40	203.01
पूर्व चंपारण	1.10	5.39	2.40	12.00	2.55	20.80	3.25	24.79	12.40	139.83	16.70	178.31
वैशाली	2.20	11.66	6.70	36.18	19.50	114.66	21.05	121.60	42.10	391.04	53.95	486.29
दरभंगा	0.65	3.12	1.45	6.96	2.00	10.93	3.00	18.64	10.45	106.44	13.60	132.46
समस्तीपुर	3.90	19.89	6.40	34.56	10.70	70.54	12.20	77.68	26.30	218.68	36.95	317.04
मधुबनी	0.30	1.46	0.80	3.92	2.00	16.60	2.45	20.23	5.50	52.26	8.65	77.85
सहरसा	0.70	3.32	1.90	9.31	2.30	15.48	2.90	20.27	8.30	74.30	14.65	148.53
सुपौल	0.30	1.38	0.60	2.82	1.00	7.67	1.60	12.16	3.35	32.64	5.15	46.02
मधेपुरा	0.40	1.86	0.70	3.36	1.45	11.15	2.20	17.13	4.80	46.68	6.85	63.95
पूर्णिया	0.70	3.26	1.90	9.50	2.85	15.92	3.75	22.94	9.75	90.34	15.95	205.59
अररिया	0.25	1.18	0.60	2.88	1.20	7.52	2.10	14.60	3.40	23.72	5.75	42.56
किशनगंज	1.50	7.20	4.10	21.73	5.75	19.44	7.05	28.80	16.20	128.92	22.40	178.87
कटिहार	1.20	5.70	6.60	33.00	2.70	13.80	3.45	19.50	12.55	121.60	23.20	217.69
भागलपुर	1.10	5.50	2.30	10.81	5.40	38.92	6.20	43.20	17.50	178.51	23.90	233.55
बांका	0.20	0.92	0.50	2.30	1.20	7.62	1.60	10.28	4.30	36.77	5.60	47.08
मुंगेर	1.10	5.17	2.60	12.74	2.60	14.11	2.95	15.95	13.85	147.82	17.80	179.79
लखीसराय	0.30	1.41	0.70	3.36	1.10	9.13	1.30	10.92	4.40	43.84	5.70	53.11
बेगूसराय	0.95	4.66	2.10	10.92	3.80	22.23	4.50	26.52	11.05	96.59	17.70	173.51
जमुई	0.20	0.88	0.40	1.76	1.10	7.15	1.45	9.74	3.50	27.40	4.60	36.42
खगड़िया	0.30	1.38	0.90	4.32	2.30	18.04	2.70	21.24	4.95	39.97	7.15	61.50
शेखपुरा	0.20	0.90	0.50	2.35	0.75	5.85	1.10	8.69	2.25	17.49	3.50	24.59
बिहार	32.70	160.13	72.65	364.75	120.70	804.58	146.50	982.50	441.25	4566.67	592.75	5949.81

स्रोत : बागवानी विभाग, बिहार सरकार

बिहार के किसान फूलों की खेती में भी रुचि ले रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में फूलों की बड़े पैमाने पर खेती होने लगी है। खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण फूल हैं गुलाब, रजनीगंधा, बेला, गेंदा तथा गुलदाउदी। वर्ष 2008-09 में 67 टन गुलाब, 4,429 टन गेंदा, 270 टन बेला और 365 टन गुलदाउदी की खेती हुई थी। मुख्य फूल उत्पादक जिले पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और गया हैं।

2.4 सिंचाई

कृषि की एक प्रमुख लागत संबंधी आवश्यकता जल संसाधनों की उपलब्धता है। जल संसाधनों का समय पर उपलब्ध होना भी जरूरी है। बिहार में जल संसाधन सचमुच पर्याप्त हैं। उनका आदर्श उपयोग बिहार जैसी कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था में सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। राज्य की पूरी कृषि प्रक्रिया में सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पहलकदमी ली जानी चाहिए। कृषि उत्पादन अधिकतम करने और उसे मॉनसून के प्रकोप से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने लघु, मध्यम तथा वृहत सिंचाई क्षेत्रों में अनेक कदम उठाए हैं। अभी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 52 प्रतिशत हिस्से पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंचाई सुविधा में विस्तार के लिए राज्य सरकार अनेक बड़े कदम उठा रही है।

तालिका 2.15 : बिहार में सिंचित जमीन का क्षेत्रफल

वर्ष	सिंचित क्षेत्रफल (हजार हे. में)						
	नहर (वृहत सिंचाई) *	नहर (लघु सिंचाई)	तालाब (आहर-पइन सहित)	नलकूप (निजी तथा सरकारी)	अन्य कूप (सिंचाई कूप)	अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई एवं दोन)	कुल सिंचित क्षेत्रफल
2000-01	1636.31 (36.71)	29.22 (0.66)	332.56 (7.46)	2310.06 (51.83)	145.84 (3.27)	3.26 (0.07)	4457.25 (100.0)
2001-02	1656.21 (37.05)	23.25 (0.52)	332.56 (7.44)	2308.71 (51.65)	145.79 (3.26)	3.56 (0.08)	4470.08 (100.0)
2002-03	1598.36 (34.87)	28.69 (0.63)	332.56 (7.26)	2474.77 (53.99)	145.79 (3.18)	3.19 (0.07)	4583.36 (100.0)
2003-04	1721.24 (35.22)	34.88 (0.71)	332.56 (6.81)	2650.38 (54.24)	145.79 (2.98)	1.95 (0.04)	4886.8 (100.0)
2004-05	1528.23 (32.05)	17.56 (0.37)	431.21 (9.04)	2664 (55.87)	121.01 (2.54)	6.23 (0.13)	4768.24 (100.0)
2005-06	1660.91 (34.38)	19.86 (0.41)	332.56 (6.88)	2643.21 (54.72)	145.79 (3.02)	28.23 (0.58)	4830.56 (100.0)
2006-07	1684.73 (34.2)	29.34 (0.6)	332.56 (6.75)	2710.5 (55.02)	145.79 (2.96)	23.33 (0.47)	4926.25 (100.0)
2007-08	1679.82 (34.25)	29.8 (0.61)	332.56 (6.78)	2701.19 (55.08)	145.79 (2.97)	15.12 (0.31)	4904.28 (100.0)
2008-09	1666.04 (33.86)	29.21 (0.59)	332.56 (6.76)	2722.39 (55.33)	145.79 (2.96)	24.36 (0.50)	4920.35 (100.0)
2009-10	1202.45 (27.07)	17.59 (0.40)	332.56 (7.49)	2726.60 (61.39)	145.79 (3.28)	16.74 (0.38)	4441.73 (100.0)
2010-11 (अक्तू. 10 तक)	906.59 (27.3)	17.67 (0.53)	332.56 (10.01)	1910.95 (57.54)	145.79 (4.39)	7.33 (0.22)	3320.88 (100.0)

स्रोत : जल संसाधन विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : * इसमें नहर से सिंचाई तथा गरमा मौसम की सिंचाई भी शामिल हैं।

तालिका 2.16 : बिहार में जिलावार सिंचाई

सिंचित क्षेत्रफल (सौ हे. में)

	2008-09				
जिला	नहर - वृहत सिंचाई	नहर - लघु सिंचाई	नलकूप (निजी तथा सरकारी)	अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई एवं दोन)	कुल सिंचित क्षेत्रफल
पटना	448.66 (26.21)	23.41 (1.37)	1215 (70.97)	25.03 (1.46)	1712.1 (100)
नालंदा	266.44 (21.33)	21.56 (1.73)	956.91 (76.61)	4.16 (0.33)	1249.07 (100)
भोजपुर	1167.06 (58.73)	3.15 (0.16)	811.41 (40.83)	5.53 (0.28)	1987.15 (100)
बक्सर	1198.1 (67.12)	2.12 (0.12)	584.7 (32.76)	0.01 (0)	1784.93 (100)
रोहतास	2880.8 (78.02)	4.27 (0.12)	806.65 (21.85)	0.65 (0.02)	3692.37 (100)
कैमूर	1092.09 (68.41)	2.15 (0.13)	500.9 (31.38)	1.22 (0.08)	1596.36 (100)
गया	473.59 (30.42)	25.6 (1.64)	1057.4 (67.93)	0 (0)	1556.59 (100)
औरंगाबाद	1640.55 (76.5)	67.05 (3.13)	436.63 (20.36)	0.42 (0.02)	2144.65 (100)
अरवल	227.11 (45.79)	0.81 (0.16)	268.08 (54.05)	0 (0)	496 (100)
जहानाबाद	250.47 (33.02)	1 (0.13)	507.12 (66.85)	0 (0)	758.59 (100)
नवादा	77.25 (13.79)	0.6 (0.11)	482.35 (86.1)	0 (0)	560.2 (100)
भागलपुर	77.45 (12.27)	29.55 (4.68)	522.7 (82.81)	1.54 (0.24)	631.24 (100)
बांका	756.9 (72.08)	17.37 (1.65)	275.75 (26.26)	0.13 (0.01)	1050.15 (100)
मुंगेर	241.84 (52.81)	7.88 (1.72)	208.1 (45.44)	0.17 (0.04)	457.99 (100)
जमुई	236.23 (46.59)	43.99 (8.68)	225.81 (44.54)	0.97 (0.19)	507 (100)
शेखपुरा	44.87 (16.24)	3.55 (1.28)	227.9 (82.48)	0 (0)	276.32 (100)
लखीसराय	280.95 (45.85)	22.01 (3.59)	309.43 (50.5)	0.4 (0.07)	612.79 (100)
खगड़िया	0 (0)	0 (0)	553.66 (97.71)	12.95 (2.29)	566.61 (100)
बेगूसराय	0 (0)	0 (0)	888.28 (99.8)	1.75 (0.2)	890.03 (100)
सारण	426.96 (30.57)	0 (0)	961.81 (68.87)	7.79 (0.56)	1396.56 (100)
सीवान	722.69 (38.66)	0 (0)	1142.89 (61.14)	3.7 (0.2)	1869.28 (100)
गोपालगंज	652.32 (41.33)	0 (0)	922.77 (58.46)	3.34 (0.21)	1578.43 (100)
मुजफ्फरपुर	105.58 (7.58)	0 (0)	1285.6 (92.26)	2.22 (0.16)	1393.39 (100)
सीतामढ़ी	0 (0)	6.96 (0.92)	722.08 (95.4)	27.86 (3.68)	756.9 (100)
शिवहर	0 (0)	0 (0)	227.99 (94.62)	12.97 (5.38)	240.97 (100)
वैशाली	28.42 (2.72)	0 (0)	1012.28 (96.75)	5.58 (0.53)	1046.28 (100)
पश्चिम चंपारण	770.95 (45.03)	2.09 (0.12)	903.54 (52.77)	35.58 (2.08)	1712.16 (100)
पूर्व चंपारण	580.68 (28.37)	0 (0)	1434.64 (70.08)	31.74 (1.55)	2047.06 (100)
दरभंगा	0 (0)	0 (0)	551.37 (96.68)	18.95 (3.32)	570.33 (100)
मधुबनी	112.76 (12.72)	0 (0)	770.01 (86.88)	3.5 (0.39)	886.27 (100)
समस्तीपुर	0 (0)	0 (0)	1196.62 (98.57)	17.42 (1.43)	1214.03 (100)
पूर्णिया	113.56 (9.81)	0 (0)	1041.23 (89.96)	2.6 (0.22)	1157.39 (100)
किशनगंज	0 (0)	1.98 (0.39)	500.06 (99.06)	2.74 (0.54)	504.78 (100)
कटिहार	13.88 (1.09)	0 (0)	1259.5 (98.69)	2.88 (0.23)	1276.26 (100)
अररिया	102.57 (13.22)	0 (0)	665.61 (85.76)	7.93 (1.02)	776.11 (100)
सहरसा	39 (7.07)	5 (0.91)	506.57 (91.84)	1 (0.18)	551.57 (100)
मधेपुरा	128.86 (15.85)	0 (0)	684.32 (84.15)	0 (0)	813.18 (100)
सुपौल	235.24 (28.26)	0 (0)	596.29 (71.63)	0.88 (0.11)	832.41 (100)
कुल योग	15393.83 (35.67)	292.09 (0.68)	27223.95 (63.09)	243.6 (0.56)	43153.47 (100)

तालिका 2.16 : (जारी)

सिंचित क्षेत्रफल (सौ हे. में)

जिला	2009-10				
	नहर - वृहत सिंचाई	नहर - लघु सिंचाई	नलकूप (निजी तथा सरकारी)	अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई एवं दोन)	कुल सिंचित क्षेत्रफल
पटना	111.66 (8.26)	8.18 (0.6)	1229.31 (90.91)	3.04 (0.22)	1352.19 (100)
नालंदा	19.27 (1.96)	1.45 (0.15)	958.75 (97.76)	1.27 (0.13)	980.74 (100)
भोजपुर	921.46 (52.94)	1.26 (0.07)	814.16 (46.78)	3.58 (0.21)	1740.46 (100)
बक्सर	760.26 (56.35)	2.12 (0.16)	583.28 (43.23)	3.62 (0.27)	1349.28 (100)
रोहतास	2848.03 (77.81)	1.81 (0.05)	809.96 (22.13)	0.48 (0.01)	3660.28 (100)
कैमूर	763.89 (60.59)	0.38 (0.03)	495.59 (39.31)	0.95 (0.07)	1260.81 (100)
गया	181.62 (14.6)	7.09 (0.57)	1055.02 (84.83)	0 (0)	1243.73 (100)
औरंगाबाद	1172.72 (72.19)	16.69 (1.03)	435.01 (26.78)	0 (0)	1624.42 (100)
अरवल	200.93 (42.84)	0 (0)	268.08 (57.16)	0 (0)	469.01 (100)
जहानाबाद	37.04 (6.79)	0 (0)	508.11 (93.21)	0 (0)	545.15 (100)
नवादा	43.73 (8.31)	0 (0)	482.52 (91.69)	0 (0)	526.25 (100)
भागलपुर	62.04 (9.99)	31.49 (5.07)	525.4 (84.58)	2.24 (0.36)	621.17 (100)
बांका	763.47 (72.59)	12.32 (1.17)	275.75 (26.22)	0.19 (0.02)	1051.73 (100)
मुंगेर	208.67 (48.12)	6.41 (1.48)	218.43 (50.37)	0.18 (0.04)	433.69 (100)
जमुई	171.46 (38.2)	49.75 (11.08)	225.81 (50.31)	1.79 (0.4)	448.81 (100)
शेखपुरा	20.1 (8.17)	0.98 (0.4)	224.92 (91.43)	0 (0)	246 (100)
लखीसराय	263.66 (45.25)	10.5 (1.8)	308.17 (52.89)	0.29 (0.05)	582.62 (100)
खगड़िया	0 (0)	0 (0)	553.95 (97.32)	15.24 (2.68)	569.19 (100)
बेगूसराय	0 (0)	0 (0)	890.62 (99.7)	2.65 (0.3)	893.27 (100)
सारण	402.15 (29.3)	0 (0)	962.32 (70.11)	8.04 (0.59)	1372.51 (100)
सीवान	596.39 (34.2)	0 (0)	1143.68 (65.58)	3.8 (0.22)	1743.87 (100)
गोपालगंज	648.84 (41.25)	0 (0)	924.13 (58.75)	0.04 (0)	1573 (100)
मुजफ्फरपुर	61.61 (4.55)	2.95 (0.22)	1288.03 (95.08)	2.08 (0.15)	1354.66 (100)
सीतामढ़ी	0 (0)	0 (0)	722.29 (98.95)	7.69 (1.05)	729.99 (100)
शिवहर	0 (0)	0 (0)	228.13 (98.4)	3.72 (1.6)	231.85 (100)
वैशाली	4.88 (0.48)	0 (0)	1013.67 (98.99)	5.5 (0.54)	1024.05 (100)
पश्चिम चंपारण	446.47 (32.33)	0 (0)	903.59 (65.42)	31.11 (2.25)	1381.17 (100)
पूर्व चंपारण	321.88 (17.95)	4.9 (0.27)	1434.74 (80.01)	31.62 (1.76)	1793.13 (100)
दरभंगा	4.42 (0.78)	0 (0)	551.86 (97.24)	11.23 (1.98)	567.51 (100)
मधुबनी	306.36 (28.32)	0 (0)	771.61 (71.32)	3.87 (0.36)	1081.84 (100)
समस्तीपुर	0 (0)	0 (0)	1199.01 (99.02)	11.86 (0.98)	1210.87 (100)
पूर्णिया	0 (0)	0 (0)	1050.27 (99.84)	1.72 (0.16)	1051.98 (100)
किशनगंज	0 (0)	6.28 (1.24)	498.44 (98.51)	1.28 (0.25)	506 (100)
कटिहार	0 (0)	0 (0)	1254.92 (99.78)	2.74 (0.22)	1257.66 (100)
अररिया	0 (0)	0 (0)	665.98 (99.95)	0.32 (0.05)	666.3 (100)
सहरसा	35.29 (6.39)	6.12 (1.11)	507.57 (91.9)	3.34 (0.6)	552.32 (100)
मधेपुरा	63.66 (8.5)	0 (0)	685.45 (91.49)	0.1 (0.01)	749.21 (100)
सुपौल	216.4 (26.36)	5.2 (0.63)	597.45 (72.78)	1.85 (0.23)	820.9 (100)
कुल योग	11658.36 (29.69)	175.86 (0.45)	27265.99 (69.44)	167.42 (0.43)	39267.63 (100)

स्रोत : जल संसाधन विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2000-01 से 2008-09 के बीच कुल सिंचित क्षेत्रफल 44.6 लाख हे. से बढ़कर 49.2 लाख हे. हो गया है। इसका अर्थ है 8 वर्षों के दौरान 10.4 प्रतिशत वृद्धि। सिंचाई के विस्तार में एक बड़ी समस्या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पूरा नहीं होना है जिससे राज्य में नहरों से सिंचाई सुविधा में विस्तार बाधित हो रहा है। वर्ष 2008-09 में कुल सिंचित क्षेत्रफल के 55.3 भाग पर नलकूपों (निजी और सरकारी, दोनों) से सिंचाई होती थी। बिजली की आपूर्ति के अभाव में ये नलकूप अक्सर डीजल से चलते हैं जो काफी महंगा है। बिजली के क्षेत्र में सुधार होने से भविष्य में नलकूपों के जरिए सिंचाई में विस्तार होने की संभावना है।

सिंचाई के मुख्य 6 स्रोत हैं - बड़ी नहरें, छोटी नहरें, तालाब (आहर-पइन सहित), नलकूप, अन्य कूप तथा अन्य स्रोत (तालिका 2.15)। तालाब तथा अन्य स्रोत समय के साथ कम महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं जिस कारण कृषि कार्य हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अन्य चार स्रोत ही बच जाते हैं। वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई में नहरों (बड़ी और छोटी, दोनों) का हिस्सा 27.47 प्रतिशत था जबकि नलकूपों का 61.39 प्रतिशत।

जिलों के स्रोत आधारित सिंचाई के आंकड़े तालिका 2.16 में प्रस्तुत हैं। तालिका से पता चलता है कि नलकूप सिंचाई के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो 30 जिलों में 50 प्रतिशत से भी अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हालांकि नहरों (छोटी-बड़ी दोनों) से सिंचाई कम से कम आठ जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जिले हैं - रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर और लखीसराय। इन सभी जिलों में नहरें 50 प्रतिशत से अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। आठो जिले बिहार के उल्लेखनीय चावल उत्पादक जिले हैं।

जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार ने हर साल खरीफ और रबी, दोनों के लिए सिंचाई सहायता का लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी जिलों के लिए वर्ष 2008 और 2009 के इनके लक्ष्य क्रमशः तालिका 2.17 और 2.18 में प्रस्तुत हैं। यद्यपि सिंचाई की उपलब्धता बिहार में उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उपलब्ध सिंचाई के उपयोग का स्तर काफी ऊंचा है। खरीफ सिंचाई की बात करें, तो 2008 में लक्ष्य अधिकांश जिलों में पूरी तरह हासिल हुआ था। कुछ जिलों में तो उपलब्धि लक्ष्य से भी अधिक थी। वर्ष 2008 में समग्र उपलब्धि 84.47 प्रतिशत थी लेकिन भोजपुर तथा वैशाली जिलों में उपलब्धि उल्लेखनीय हद तक कम थी। वर्ष 2009 में भी उपलब्धि लगभग समान ही थी - 84.54 प्रतिशत। वैशाली को छोड़कर किसी भी जिले में अधिक कमी की सूचना नहीं है। वैशाली में उपलब्धि मात्र 31.68 प्रतिशत थी।

तालिका 2.17 : बिहार में खरीफ सिंचाई पर जिलावार प्रगति रिपोर्ट (2007 से 2009)

(क्षेत्रफल सौ हे. में)

जिला	2007			2008			2009		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)
पटना	345.00	359.00	104.10	545.00	484.00	88.80	324.20	320.30	98.80
नालंदा	176.00	159.00	90.30	52.00	52.00	100.00	436.77	357.39	81.83
रोहतास	1949.00	1790.00	91.80	2131.00	1790.00	84.00	2131.07	1790.27	84.01
कैमूर	870.00	848.00	97.50	975.00	848.00	87.00	974.85	847.55	86.94
बक्सर	771.00	692.00	89.80	748.00	924.00	123.50	747.98	923.81	123.51
भोजपुर	1057.00	882.00	83.40	1036.00	88.00	8.50	1035.72	881.84	85.14
गया	571.00	2243.00	392.80	281.00	209.00	74.40	593.58	469.22	79.05
औरंगाबाद	1436.00	1326.00	92.30	1446.00	1378.00	95.30	1446.09	1377.97	95.29
जहानाबाद	337.00	263.00	78.00	398.00	349.00	87.70	306.63	247.00	80.55
अरवल	123.00	113.00	91.90	123.00	115.00	93.50	123.35	115.32	93.49
नवादा	182.00	215.00	118.10	869.00	789.00	90.80	66.20	63.83	96.42
सारण	421.00	390.00	92.60	426.00	392.00	92.00	425.85	391.88	92.02
सीवान	801.00	643.00	80.30	788.00	650.00	82.50	788.47	650.08	82.45
गोपालगंज	664.00	529.00	79.70	672.00	554.00	82.40	672.02	554.42	82.50
मुजफ्फरपुर	123.00	75.00	61.00	122.00	89.00	73.00	122.10	88.82	72.74
पश्चिम चंपारण	807.00	658.00	81.50	623.00	508.00	81.50	623.40	507.88	81.47
पूर्व चंपारण	429.00	260.00	60.60	612.00	425.00	69.40	612.55	424.53	69.31
वैशाली	75.00	21.00	28.00	75.00	24.00	32.00	74.80	23.70	31.68
मधुबनी	397.00	348.00	87.70	397.00	348.00	87.70	415.97	107.85	25.93
सहरसा	66.00	56.00	84.80	66.00	56.00	84.80	65.60	56.70	86.43
सुपौल	411.00	373.00	90.80	376.00	655.00	174.20	431.27	330.51	76.64
मधेपुरा	211.00	209.00	99.10	211.00	209.00	99.10	213.90	162.68	76.05
पूर्णिया	213.00	141.00	66.20	213.00	141.00	66.20	212.90	117.68	55.27
अररिया	167.00	113.00	67.70	167.00	113.00	67.70	167.80	107.28	63.93
कटिहार	22.00	16.00	72.70	22.00	16.00	72.70	22.30	11.53	51.70
भागलपुर	107.00	89.00	83.20	104.00	82.00	78.80	104.05	81.85	78.66
बांका	775.00	740.00	95.50	780.00	732.00	93.80	779.91	732.23	93.89
मुंगेर	221.00	211.00	95.50	224.00	211.00	94.20	224.05	211.29	94.30
लखीसराय	308.00	2633.00	854.90	306.00	282.00	92.20	306.25	282.40	92.21
जमुई	2596.00	230.00	8.90	263.00	228.00	86.70	263.43	228.02	86.56
शेखपुरा	138.00	491.00	355.80	91.00	50.00	54.90	85.50	44.87	52.48
योग	16769.00	17116.00	102.07	15142.00	12791.00	84.47	14798.56	12510.70	84.54

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.18 : बिहार में रबी सिंचाई पर जिलावार प्रगति रिपोर्ट (2007 से 2009)

(क्षेत्रफल सौ हे. में)

जिला	2007			2008			2009		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (%)
पटना	164.00	134.00	81.70	164.00	132.00	80.50	164.36	131.56	80.04
नालंदा	8.00	4.00	50.00	25.00	25.00	100.00	7.92	2.15	27.15
रोहतास	1059.00	1101.00	104.00	1163.00	1103.00	94.80	1162.58	1102.95	94.87
कैमूर	465.00	348.00	74.80	346.00	294.00	85.00	346.31	293.54	84.76
बक्सर	441.00	447.00	101.40	467.00	452.00	96.80	466.99	451.63	96.71
भोजपुर	404.00	329.00	81.40	418.00	347.00	83.00	418.25	346.81	82.92
गया	18.00	18.00	100.00	21.00	7.00	33.30	20.93	7.05	33.68
औरंगाबाद	297.00	275.00	92.60	299.00	283.00	94.60	298.85	283.16	94.75
जहानाबाद	109.00	109.00	100.00	109.00	106.00	97.20	109.53	105.85	96.64
अरवल	13.00	17.00	130.80	256.00	214.00	83.60	24.85	24.90	100.20
नवादा	159.00	147.00	92.50	159.00	147.00	92.50	159.42	146.52	91.91
सारण	249.00	230.00	92.40	249.00	229.00	92.00	248.94	228.79	91.91
सीवान	278.00	256.00	92.10	278.00	255.00	91.70	277.88	255.38	91.90
गोपालगंज	29.00	5.00	17.20	26.00	17.00	65.40	26.02	16.89	64.91
मुजफ्फरपुर	318.00	116.00	36.50	311.00	213.00	68.50	310.90	212.89	68.48
पश्चिम चंपारण	163.00	12.00	7.40	173.00	133.00	76.90	173.39	132.99	76.70
पूर्व चंपारण	5.00	2.00	40.00	4.00	5.00	125.00	4.01	4.73	117.96
वैशाली	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.30	5.40	101.89
मधुबनी	21.00	20.00	95.20	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
सहरसा	168.00	151.00	89.90	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
सुपौल	87.00	90.00	103.40	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
मधेपुरा	109.00	83.00	76.10	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
पूर्णिया	135.00	89.00	65.90	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
अररिया	29.00	18.00	62.10	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
कटिहार	6.00	4.00	66.70	4.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00
भागलपुर	133.00	86.00	64.70	97.00	28.00	28.90	96.61	28.46	29.46
बांका	73.00	70.00	95.90	70.00	30.00	42.90	69.62	30.05	43.16
मुंगेर	7.00	30.00	428.60	12.00	2.00	16.70	11.50	1.50	13.04
लखीसराय	37.00	32.00	86.50	19.00	10.00	52.60	18.60	9.50	51.08
जमुई	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
शेखपुरा	4989.00	4228.00	84.70	4675.00	4037.00	86.40	4426.49	3822.70	86.36

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : शेष जिलों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रबी सिंचाई के मामले में समग्र उपलब्धि 2008 में लक्ष्य का 86.40 प्रतिशत और 2009 में 86.36 प्रतिशत थी। वर्ष 2008 में औसत से काफी कम उपलब्धि वाले जिले गया, भागलपुर, लखीसराय और बांका थे। वर्ष 2009 में भी परिस्थिति में बदलाव नहीं आया और काफी कम उपलब्धि हासिल करने वाले जिले उक्त चारो ही थे। नालंदा में भी 2009 में काफी कम उपलब्धि हासिल हुई।

2.5 कृषि लागत सामग्रियां

अधिक उत्पादकता हेतु वैज्ञानिक ढंग से कृषिकार्य के लिए सिंचाई के अलावा प्रचुर तथा गुणवत्तापूर्ण लागत सामग्रियों की आपूर्ति आवश्यक होती है, खास कर बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और प्रसार सेवाओं की।

बीज

कृषि कार्य के लिए बीज एक महत्वपूर्ण जरूरत है। कृषि उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिए बीज की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज और उसकी प्रतिस्थापन दर कृषि की उत्पादकता का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। खास कर प्रमाणित बीजों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों की अपर्याप्तता के चलते बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) को बिहार में निम्न उत्पादकता के कारण के बतौर उद्धृत किया जाता है। वर्तमान सरकार द्वारा निर्मित कृषि रोडमैप में प्रमाणित बीजों के उपयोग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्वरित बीज योजना, बीज ग्राम योजना, किसानों द्वारा प्रमाणित बीजों के उपयोग पर सब्सिडी का प्रावधान, मृतप्राय पड़े बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवन, बिहार बीज प्रमाणन अभिकरण का सुदृढ़ीकरण तथा राज्य के फार्मों द्वारा बीजों के बहुगुणन से बिहार में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। गत पांच वर्षों में धान, गेहूं और मक्का जैसी महत्वपूर्ण फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दरों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीज प्रतिस्थापन दर स्वपरागित फसलों के लिए अनुशंसित 33 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। तालिका 2.19 से पता चलता है कि 2010-11 में प्रमुख फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 33 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई है। पूर्ववर्णित प्रयासों के कारण खरीफ और रबी, दोनों मौसम की फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर में क्रमशः वृद्धि हुई है (देखें तालिका 2.19)।

तालिका 2.19 : बिहार में महत्वपूर्ण फसलों के प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2007-08 से 2010-11)

(आवश्यकता और आपूर्ति क्विंटल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

वर्ष/ फसल	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11 (अक्तूबर 10)		
	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रतिस्थापन दर
खरीफ फसल												
धान	222000	204824	14.0	282080	267620	19.0	355730	243036	26.4	426900	199164	31.0
मक्का	40000	42390	56.0	41580	42850	57.0	27900	28950	58.3	30225	-	65.0
अरहर	1280	410	4.0	1440	940	6.0	1440	1250	12.1	2160	-	15.0
ऊड़द	600	550	9.0	720	610	10.0	720	515	17.0	1080	-	15.0
मूंग	300	918	30.0	360	315	10.0	360	310	19.2	540	-	15.0
रबी फसल												
गेहूं	34500	342340	15.0	470000	570027	24.0	600000	580720	25.3	701000	168000	30.0
मक्का	75000	74340	74.0	80000	78210	78.0	85846	87150	102.0	90000	60000	90.0
चना	8325	6950	8.0	9990	7450	8.0	7133	8035	9.8	10700	5135	15.0
मटर	3000	1520	5.0	3600	1640	6.0	3334	3570	14.2	5000	2080	15.0
मसूर	6600	3208	5.0	7920	4025	6.0	6668	6510	10.1	10000	5420	15.0
राई/ सरसों	2310	4840	73.0	2640	3225	55.0	7380	3480	54.7	8200	6400	50.0

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

देखा जा सकता है कि खरीफ फसलों में धान के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 20007-08 के 14 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 31.0 प्रतिशत हो गई है। मक्का, अरहर और ऊड़द के मामले में भी बीज प्रतिस्थपन दर में वृद्धि देखी गई है। दुर्भाग्यवश, मूंग के लिए दर इसी अवधि में 30 प्रतिशत से काफी गिरकर 15 प्रतिशत रह गई है। रबी फसलों के तहत गेहूं के लिए बीज प्रतिस्थापन दर 2007-08 में 15 प्रतिशत थी जो 2009-10 में 25.3 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार मक्का, चना, मटर और मसूर जैसी रबी फसलों में भी थोड़ी ही सही, लेकिन बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 हेतु रबी फसलों के लिए लक्ष्य तालिका 2.19 के अंतिम कॉलम में प्रस्तुत हैं। अगर मुख्यमंत्री त्वरित बीज योजना और बीज ग्राम कार्यक्रम में उत्पादित बीजों को भी ध्यान में रखा जाय तो बीज प्रतिस्थापन दर और भी अधिक होगी। बीज प्रतिस्थापन दरों में प्रचुर वृद्धि में फसलों की नवीनतम प्रजाति के प्रमाणित बीजों के उपयोग के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार का अथक प्रयास प्रतिबंबित होता है। राज्य में नई तैयार प्रजातियों के जरिए स्थानीय और पुरानी प्रजातियों के प्रतिस्थापन का फसल की उत्पादकता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

उर्वरक

कृषि कार्य में उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपयुक्त मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। विगत पांच वर्षों से राज्य में उर्वरकों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में वृद्धि दर और भी तेज हुई है (तालिका 2.20)। बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2006-07 में 32.25 लाख टन थी। वर्ष 2007-08 में 13.1 प्रतिशत बढ़कर यह 36.49 लाख टन हो गई। वर्ष 2008-09 में इसमें 10.9 प्रतिशत की वृद्धि और हुई, फलतः इसका स्तर 40.46 लाख टन पर पहुंच गया। हालांकि 2009-10 में उर्वरकों की खपत में थोड़ी गिरावट आई और यह 39.08 लाख टन रह गई। इसमें बढ़त का रुझान किसानों में कृषि की उत्पादकता वृद्धि हेतु उर्वरकों के अधिक उपयोग पर आधारित नई प्रौद्योगिकी अपनाने की इच्छा को दर्शाता है जबकि सिंचाई और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता में उन्हें ढेर सारे गंभीर अवरोधों का सामना करना पड़ता है। उर्वरकों की प्रति हे. खपत 2009-10 में 181.11 किग्रा हो गई है जो तीन साल पहले 141.7 किग्रा थी।

तालिका 2.20 : बिहार में उर्वरकों की खपत (2006-07 से 2009-10)

(हजार टन)

उर्वरक	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
यूरिया	666.51	931.59	1598.10	783.80	1067.92	1851.72	834.09	965.55	1799.64	759.10	942.00	1701.10
डाइ अमोनियम फास्फेट	95.90	167.32	263.22	103.81	209.14	312.95	186.51	224.96	411.47	152.96	244.11	397.07
सिंगल सुपर फास्फेट	16.96	9.83	26.79	15.52	4.58	20.10	1.80	11.56	13.36	3.82	3.71	7.53
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	26.86	63.52	90.38	33.19	71.86	105.06	106.67	106.15	212.82	56.74	169.35	226.09
मिश्रित	75.28	106.74	182.02	81.38	72.65	154.03	108.00	143.36	251.36	105.70	161.59	267.29
कुल (एनपीके)	430.21	634.59	1064.81	495.24	710.23	1205.48	624.10	732.79	1356.89	536.13	772.88	1309.01
नाइट्रोजन	333.59	475.12	808.71	391.32	538.16	929.48	433.90	504.42	938.32	391.00	502.53	893.53
फासफोरस	69.86	108.86	178.72	73.96	117.60	191.57	110.50	142.18	252.68	96.41	151.19	247.60
पोटाश	26.76	50.61	77.38	29.96	54.47	84.43	79.70	86.19	165.89	48.72	119.16	167.88
योग	1311.72	1913.59	3225.32	1512.94	2136.38	3649.34	1861.17	2184.37	4045.54	1614.45	2293.64	3908.09
उर्वरक की खपत (किग्रा प्रति हे. में)	113.10	171.00	141.70	120.10	195.80	155.60	159.33	181.87	170.76	180.85	181.30	181.11

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.20 में 2007-08 से आरंभ हुए तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के संतुलित उपयोग की दिशा में रुझान को साफ देखा जा सकता है। गत चार वर्षों के दौरान नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अनुपात 10:2:1 (2006-07), 11:2:1 (2007-08), 6:2:1 (2008-09) और 5:1:1 (2009-10) रहा है। इससे किसानों की ओर से उर्वरकों का उपयोग व्यवस्थित करने का प्रयास दिखता है ताकि नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक उपयोग के

प्रति पूर्वाग्रह घटे। इन वर्षों में फोस्फोरस और पोटाश उर्वरकों का उपयोग नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में उपयोग बढ़ता दिखता है। गौर करने की बात है कि हाल में मृदा-परीक्षण सेवाओं की बढ़ी उपलब्धता की परिणति उर्वरकों के संतुलित उपयोग में हुई है। तालिका 2.20 में यह भी दिखता है कि विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त उर्वरकों में यूरिया का सर्वोच्च स्थान है। पूरी खपत में इसका लगभग आधा हिस्सा है। यह भी उल्लेखनीय है कि खरीफ बिहार की अधिकांश महत्वपूर्ण फसलों के लिए प्रधान मौसम है, लेकिन रबी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग खरीफ फसलों की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष 2008-09 में किसानों ने रबी फसलों के लिए प्रति हे. 182 किग्रा उर्वरकों का उपयोग किया जबकि खरीफ फसलों के लिए प्रति हे. 159 किग्रा का ही। हालांकि 2009-10 में उर्वरकों का उपयोग खरीफ फसलों के पक्ष में झुका है जब खरीफ फसलों के लिए खपत भी रबी फसलों के समान 181 किग्रा प्रति हे. पहुंच गई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों के तुलनात्मक हिस्से की बात करें, तो 2009-10 में कुल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों में नाइट्रोजन उर्वरकों का हिस्सा सर्वाधिक 68 प्रतिशत था; उसका हिस्सा 2007-08 में 77 प्रतिशत और 2008-09 में 69 प्रतिशत था।

नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों के अलावा, राज्य सरकार ने सूक्ष्मपोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने का सचेत प्रयास किया है जिनकी कमी अभी उत्पादकता बढ़ाने में बाधक कारक बन गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के अलावा, राज्य सरकार अपने संसाधनों से सूक्ष्मपोषक तत्वों के उपयोग पर अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इस पर किसानों की ओर से सकारात्मक अनुक्रिया हुई है और फसल उत्पादन हेतु मिट्टी की उर्वराशक्ति पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

प्रसार सेवाएं

प्रखंड स्तर के नीचे विषयवस्तु विशेषज्ञ ओर पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार की सेवा का प्रावधान किए जाने से हाल के वर्षों में प्रसार सेवाओं की पहुंच में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। इससे राज्य में गत वर्षों मरनासन्न स्थिति में पड़ी प्रसार सेवाओं में पुनर्जीवन दिखने लगा है। बीज प्रबंधन, विभिन्न फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, नई फसल उत्पादन प्रणालियों की स्वीकार्यता तथा फसलों की नई-पुरानी सक्षम प्रजातियों की शुरुआत के लिहाज से ये सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कृषि को अधिक उत्पादक तथा लाभप्रद ग्रामीण पेशा बनाने के लिए राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में पहलकदमियां ली हैं। इसने कृषि संस्थानों में मौजूद ज्ञान का भंडार उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिहाज से किसानों को हस्तांतरित करने के लिए काफी प्रयास किया है। किसान पाठशालाओं के जरिए किसानों के प्रशिक्षण को हाल में प्रमुखता हासिल हुई है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच अंत:क्रिया का कार्यक्रम कृषि विकास शिविर प्रौद्योगिकी हस्तांरण हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है। शिविरों का आयोजन पूरे राज्य में पंचायत के स्तर पर किया जा रहा है। राज्य में प्रसार सेवाओं की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने हर दो पंचायत पर एक विषय के विशेषज्ञ तथा हर पंचायत के लिए एक किसान सलाहकार की सेवा को स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाने वाले किसान मेलों में गांव के पारंपरिक किसानों के सामने नई दुनिया की प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग दिखाया जाता है। इस संबंध में एक

महत्वपूर्ण पहलकदमी पंचायत या गांव स्तर पर मिनीकिट वितरण की व्यवस्था है। इस मिनीकिट कार्यक्रम में अनेक खरीफ, रबी तथा गरमा फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना की प्रगति तालिका 2.21 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.21 : बिहार में मिनिकिट निदर्शन (2006-07 से 2010-11)

मौसम/ फसल	निदर्शनों की संख्या				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10)
खरीफ मौसम					
धान (20 किग्रा)	-	9118	-	2690	2988
धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (10 किग्रा)	15040	-	-	503	519
धान (5 किग्रा)	-	-	35880	36554	25283
धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (6 किग्रा)					
धान (अधिक उपजाऊ प्रभेद) (2 किग्रा)	2550	-	-	821	1007
मक्का (2 किग्रा)	1000	7000	10000		
अरहर (4 किग्रा)	5000	2750	5000		
ऊड़द (4 किग्रा)	900	7500	30000		3139
मूंग (4 किग्रा)	-	5450	2225		
अंडी (2 किग्रा)	800	-	2500		
तिल (1 किग्रा)	2000	500	2500		
रबी फसल					
गेहूं (40 किग्रा)	26513	-	-	5634	4796
गेहूं (10 किग्रा)		-	431200	69689	17503
गेहूं (5 किग्रा)	-	151500	-		
मक्का (2 किग्रा)	10000	-	260000		
चना (8 किग्रा) आइसोपॉम (दलहन)	11200	81900	10000	1950	
मसूर (4 किग्रा)	2850	18100	18375		
मटर (8 किग्रा)	3600	3767	10000		
राई/ तोरी (2 किग्रा) आइसोपॉम	122550	182289	65000	1340	1855
राजमा (8 किग्रा)	50	-	-		
राजमा (3 किग्रा)	-	500	-		
गरमा मौसम					
मक्का (2 किग्रा) आइसोपॉम		500	20000	2969	4000
ऊड़द (4 किग्रा)	1000	7000	23000		
मूंग (4 किग्रा)	-	13275	37525		
तिल (1 किग्रा)	500	1000	1500		
कुसुम (2 किग्रा)	500	1000	-		

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

खरीफ के लिए निदर्शन मुख्यतः धान, मक्का, अरहर, ऊड़द, मूंग, अंडी और तिल के लिए था। तालिका में देखा जा सकता है कि निदर्शनों की संख्या में इन वर्षों के दौरान अंतर था। तथापि, 2006-07 और 2009-10 के बीच निदर्शनों की संख्या में वृद्धि दिखी। जैसे धान के मामले में 2006-07 में 17,590 निदर्शन हुए थे जिनकी संख्या 2008-09 में 35,880 और 2009-10 में 29,797 हो गई। मक्का के मामले में भी निदर्शनों की संख्या 2006-07 के 1,000 से बढ़कर 2008-09 में 10,000 हो गई। रबी की खेती हेतु निदर्शनों में गेहूं, मक्का, चना, मसूर, मटर, राई/तोरी और राजमा फिर से शामिल थे। इन वर्षों में रबी में भी निदर्शनों की संख्या बढ़ी है। गेहूं के मामले में निदर्शनों की संख्या 2006-07 में 26,513 थी जो 2008-09 में बढ़कर 4,31,200 हो गई। गेहूं के मामले में 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) निदर्शन का आंकड़ा 22,299 था। गरमा मौसम की पांच फसलें निदर्शन में शामिल थीं - मक्का, ऊड़द, मूंग, तिल और कुसुम। इन फसलों के लिए भी निदर्शनों की संख्या समय के साथ बढ़ी है।

कृषि यंत्रीकरण

कृषि की उत्पादकता और उसके कारण कृषिकार्य में प्रतिफल की दर मुख्यतः खेत के काम में श्रम के उपयोग तथा पूंजी की प्रधानता से प्रभावित होती है। कृषि गतिवितियों का आदर्श यंत्रीकरण आर्थिक क्रियाओं को समय से संपन्न करने में मददगार होता है। अतएव कृषि यंत्रीकरण के जरिए इस क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि की काफी संभावना है। यंत्रीकरण के जरिए पारंपरिक कृषि के साथ जुड़ी कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। इससे प्रति हे. लागत व्यय में कमी आती है और कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। वर्तमान राज्य सरकार के कृषि रोड मैप के तहत मुख्य कार्यक्रमों में कृषि यंत्रीकरण का अनन्य स्थान है। बिहार में कृषि यंत्रीकरण प्रक्रिया के अंग के बतौर राज्य सरकार किसानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वीकार्य अधिकाधिक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। हार्वेस्टर, थ्रसर, कीटनाशक छिड़काव यंत्र, ओसौनी की मशीनें आदि ग्रामीण क्षेत्रों में आज काफी सुलभ हैं जिनका पहले उपयोग नहीं होता था। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अधिक सब्सिडी देकर पावरटिलर को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त हैं। किसानों को सब्सिडी के प्रावधान के जरिए पंपसेट खरीदने में मदद देने पर भी राज्य सरकार द्वारा काफी बल दिया गया है। तालिका 2.22 में राज्य में कृषि यंत्रीकरण में हुई प्रगति की तस्वीर पेश की गई है। तालिका में उपदानित दरों पर किसानों के बीच वितरित उन्नत कृषि यंत्रों/ उपकरणों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि किसानों को 2006-07 में 121 पावरटिलर उपलब्ध कराए गए थे जबकि 2008-09 में यह आंकड़ा 3,028 हो गया है। यह आंकड़ा 2009-10 में और भी बढ़कर 4,041 पर पहुंच गया है। इसी प्रकार 2007-08 में सब्सिडी पर 3,586 पंपसेट वितरित किए गए थे जिनकी संख्या 2009-10 में 21,036 पहुंच गई है।

तालिका 2.22 : सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या

(संख्या)

कृषि यंत्र	2006-7	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तूबर)
ट्रैक्टर	2175	1908	3543	3672	565
पंपसेट	-	3586	11288	21036	1107
पावरटिलर	121	540	3028	4041	797
विशेष शक्तिचालित यंत्र	593	52	2216	2909	801
शक्तिचालित थ्रसर	815	2323	4288	2562	515
हस्तचालित यंत्र/ उपकरण	-	23135	34002	49439	33785

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

प्राकृतिक खेती

टिकाऊ कृषि व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। पांच वर्षों के लिए कल्पित पूरी परियोजना राशि 255 करोड़ रु. है। किसानों द्वारा वर्मी-कंपोस्ट उत्पादन को मांग आधारित बना दिया गया है जिसमें वर्मी-कंपोस्ट इकाई के निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी है। 3,000 टन वार्षिक उत्पादन वाली व्यावसायिक इकाइयों को भी सब्सिडी दी जा रही है। वर्मी-कंपोस्ट की खरीद पर सब्सिडी की स्वीकृति राज्य में पहली बार दी गई है। वर्मी-कपोस्ट के अलावा राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट घोलक बैक्टेरिया, नील हरित शैवाल और माइकोराइजा जैसे जैव उर्वरकों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीज उत्पादकों को उपयुक्त जैव उर्वरक के किट मुफ्त दिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत रबी मौसम में 3 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

बागवानी विकास

बिहार देश में फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। राज्य सरकार ने 2010-11 में अनेक नए कदम उठाए हैं। आगामी पांच वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फलों की 1 करोड़ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण किया जाएगा। संकुल आधार पर उत्पादन के लिए हर जिले के लिए एक बागानी फसल की पहचान की गई है। इससे कृषि आधारित उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। बागानी फसलों की खेती तथा पुनर्जीवन के लिए भी राज्य सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी को स्वीकृति दी है। टिस्सू कल्चर उत्पादित केले को बढ़ावा देना शुरू किया गया है। पपीता गांव, फूलगांव आदि की स्थापना जैसी पहलकदमी का पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।

ब्याज सब्सिडी

राज्य सरकार ने फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी को स्वीकृति प्रदान की है। इससे किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कर्ज लेने में मदद मिलेगी। योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के जरिए किया जाएगा। इस योजना से किसानों के लिए संस्थागत ऋणप्रवाह में वृद्धि होगी।

2.6 कृषि ऋण

प्रभावी कृषि कार्य के लिए बीज, पानी, उर्वरक और कृषि उपकरण जैसी भौतिक लागत सामग्रियों के साथ-साथ पर्याप्त ऋण सहायता की भी जरूरत होती है। ऋण सहायता की जरूरत तब और भी अधिक पड़ती है जब किसानों को बाजार से वे लागत सामग्रियां खरीदनी होती है जिनकी आपूर्ति वे खुद नहीं कर सकते। लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह नितांत अपर्याप्त है जिसे इस क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों में देखा जा सकता है।

तालिका 2.23 क : कृषि ऋण प्रवाह (2004-05 से 2010-11

(करोड़ रु.)

वर्ष		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11, (सितंबर 10)
व्यावसायिक बैंक	लक्ष्य	1386.39	1645.57	2274.36	3003.58	4355.35	5425.14	9111.14
	उपलब्धि	1325.06	1489.33	1915.93	2447.04	3942.67	4959.62	2819.20
	प्रतिशत	95.58	90.51	84.24	81.47	90.52	91.42	30.94
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लक्ष्य	550.86	644.26	938.67	1256.34	1821.69	2219.87	5228.25
	उपलब्धि	431.30	450.09	797.07	952.36	1438.24	1851.09	1178.52
	प्रतिशत	78.30	69.86	84.91	75.80	78.95	83.39	22.54
केंद्रीय सहकारी बैंक	लक्ष्य	402.71	407.65	509.34	619.75	898.69	1082.16	1528.72
	उपलब्धि	273.75	234.61	272.04	355.85	316.58	352.55	277.39
	प्रतिशत	67.98	57.55	53.41	57.42	35.23	32.58	18.15
योग	लक्ष्य	2339.96	2697.48	3722.37	4879.67	7075.73	8727.17	15868.11
	उपलब्धि	2030.11	2174.03	2985.04	3755.25	5697.49	7163.26	4275.11
	प्रतिशत	86.76	80.59	80.19	76.96	80.52	82.08	26.94

स्रोत : संस्थागत वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.23 ख : बिहार में सहकारिता ऋण का वितरण

जिला	लक्ष्य (लाख रु. में)				वितरण (लाख रु. में)			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10)	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10)
पटना	2150	2500	8724	6500	2230	1268	1186	832
नालंदा	1400	2300	6398	4500	1723	657	803	476
गया/ जहानाबाद	1100	1700	2425	1100	416	557	254	170
नवादा	1400	2400	3184	4000	1247	1184	875	528
औरंगाबाद	1900	2550	1100	4000	1131	2682	3077	2498
भोजपुर/ बक्सर	2150	3250	6662	6000	1382	638	915	607
रोहतास	1100	2600	3225	3500	935	352	873	405
सारण								
सीवान	1300	1900	4308	3200	1146	1178	1233	470
पूर्व चंपारण	1700	3800	2856	5000	2508	4949	3290	2816
मुजफ्फरपुर	1100	3000	2710	2500	1320	468	393	368
वैशाली	1000	2200	2300	1000	411	217	247	302
सीतामढ़ी	1300	2800	1783	4000	1208	374	747	329
दरभंगा								
मधुबनी	2000	2700	5813	4000	1954	1399	2104	2435
समस्तीपुर	2300	4000	3256	4500	3038	3274	4405	3619
बेगूसराय	3000	6000	5810	4400	3017	2583	4102	3595
मुंगेर	1200	1700	696	1000	1038	368	49	71
भागलपुर/ बांका	1750	3300	1546	4000	943	1109	574	433
सहरसा								
पूर्णिया	3500	5500	2407	5000	4477	2134	1669	1349
पश्चिम चंपारण	1500	3100	5899	3500	1164	1261	1148	378
गोपालगंज	1450	2600	1386	5000	1533	1250	1174	1285
खगड़िया	1400	3000	3809	3000	1841	1943	2297	2666
मधेपुरा								
जहानाबाद			55				38	12
किशनगंज			2118				386	232
अररिया			1388				1287	908
बांका			1090				190	216
कैमूर	1500		1369		921	218	511	235
बक्सर			10444				419	264
जमुई			519				170	245
सुपौल								
शिवहर			233				126	79
लखीसराय			1794				63	65
शेखपुरा							18	14
अरवल			120				10	9
कटिहार			3266				375	506
योग	37200	62900	98693	79700	35585	30064	35008	28417

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

बिहार में कृषि क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से होने वाले ऋण प्रवाह के संबंध में प्रासंगिक सूचना तालिका 2.23 क में प्रस्तुत है। इसमें 2004-05 से 2010-11 तक की अवधि को शामिल किया गया है। चूंकि 2010-11 के लिए प्राप्त सूचनाएं पहले 6 महीनों के लिए ही हैं इसलिए उपलब्धि का निम्न स्तर आश्चर्य की बात नहीं है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के स्रोत व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। देखा जा सकता है कि 2004-05 से 2009-10 तक वास्तविक ऋण प्रवाह वार्षिक लक्ष्य के 80 प्रतिशत के आसपास रहा है। वर्ष 2004-05 में उपलब्धि थोड़ी अधिक - 86.76 प्रतिशत थी। रकम के रूप में कुल ऋण प्रवाह 2004-05 से 2009-10 के बीच 273 प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन जब हम मूल्यवृद्धि के कारक पर गौर करते हैं तो कृषि क्षेत्र हेतु ऋण की आपूर्ति नितांत अपर्याप्त लगती है। वर्ष 2009-10 में तीन प्रमुख ऋण स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार पाया गया - व्यावसायिक बैंक 69.24 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 25.84 प्रतिशत तथा केंद्रीय सहकारी बैंक 4.92 प्रतिशत। अतएव यही दिखता है कि राज्य में कृषि ऋण के प्रमुख स्रोत व्यावसायिक बैंक ही हैं।

चूंकि व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि क्षेत्र में अग्रिम देने के प्रति अनिच्छुक हैं इसलिए आदर्श स्थिति यही होगी कि सहकारी बैंक कृषि ऋण देने में प्रमुख भूमिका निभाएं। लेकन तालिका 2.23 ख से स्पष्ट है कि 2009-10 में भी बिहार के 38 में से 5 जिलों में वे अनुपस्थित हैं और तीन अन्य जिलों में उनकी उपस्थिति नाम मात्र की है। पुनः, लक्ष्य की तुलना में सहकारी बैंकों की उपलब्धि दर भी तीनों स्रोतों के बीच सबसे कम है। तालिका 2.23 ख से यह भी स्पष्ट है कि सहकारी बैंकों ने औरंगाबाद, पूर्व चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जैसे जिलों में कृषि ऋण उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। जिन जिलों में उनकी गतिविधि खास तौर पर कम है, वे हैं अरवल, शेखपुरा, जहानाबाद और मुंगेर।

किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिहाज से हाल के वर्षों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है। इस योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। कृषि लागत सामग्रियों की खरीद के लिए इसके तहत अधिकतम 50,000 रु. ऋण दिया जाता है। वर्ष 2009-10 में लगभग 13.40 लाख किसान किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से लाभान्वित हुए हैं (तालिका 2.24)। वर्ष 2008-09 तक किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में उपलब्धि का स्तर लक्ष्य के 60 प्रतिशत के आसपास रहा था। हालांकि इसमें सुधार हुआ है और 2009-10 में उपलब्धि का स्तर 89.30 प्रतिशत था। आने वाले वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए अन्यथा अत्यधिक ऊंची ब्याज दर वाले अनौपचारिक ऋण बाजार का प्रभुत्व किसानों, खास कर छोटे किसानों को त्रस्त करता रहेगा।

तालिका 2.24 : किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (2004-05 से 2010-11)

(कार्डों की संख्या)

वर्ष		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (सितंबर 10)
व्यावसायिक बैंक	लक्ष्य	174850	143866	250000	300000	861429	861429	1148574
	उपलब्धि	140793	131618	203935	222478	505008	660997	381095
	प्रतिशत	80.52	91.49	81.57	74.16	58.62	76.73	33.18
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लक्ष्य	150500	129719	190000	228000	478571	478571	638093
	उपलब्धि	76891	66332	140071	168529	310257	397420	170420
	प्रतिशत	51.09	51.14	73.72	73.92	64.83	83.04	26.71
केंद्रीय सहकारी बैंक	लक्ष्य	470350	293166	160000	160000	160000	160000	213333
	उपलब्धि	245907	120653	55374	75533	81725	281122	164627
	प्रतिशत	52.28	41.16	34.61	47.21	51.08	175.70	77.17
योग	लक्ष्य	795700	566751	600000	688000	1500000	1500000	2000000
	उपलब्धि	463591	318603	399380	466540	896990	1339539	716142
	प्रतिशत	58.26	56.22	66.56	67.81	59.80	89.30	35.81

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

वर्ष 2001 से 2010 तक के लिए किसान क्रेडिट कार्डों की उपलब्धि तालिका 2.25 में प्रस्तुत है। देखा जा सकता है कि 2001 से 2010 तक की अवधि में उपलब्धि के स्तर में जिलों के बीच काफी भिन्नता है। वर्ष 2010 में किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्ति की संख्या के मामले में सबसे आगे तीन जिले समस्तीपुर (79,075), पूर्व चंपारण (74,330) तथा पश्चिम चंपारण (70,194) थे जबकि सबसे पीछे के तीन जिले शिवहर (6,036), शेखपुरा (6,315) और अरवल (6,691)। इसका उल्लेख भी किया जा सकता है कि 60,143 किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त किसानों वाले पटना जिले का सबके बीच पांचवां स्थान है।

तालिका 2.25 : किसान क्रेडिट कार्ड की जिलावार उपलब्धि

जिला	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	योग
पटना	9939	27779	15259	23113	20036	10801	26204	18048	26233	60143	237555
नालंदा	9023	18518	9820	20562	18229	13266	16297	16175	22281	34946	179117
रोहतास	9368	16368	11772	22363	7777	6674	15272	19590	33141	56523	198848
कैमूर	4060	8010	4314	5685	15015	5205	9624	12094	24102	31488	120397
बक्सर	2351	4253	2438	2862	4279	4051	8824	6775	10916	38447	85195
भोजपुर	7275	18386	19283	32437	21830	4833	17683	15918	27575	50759	215979
गया	3907	13618	12292	22998	18865	8601	19716	16371	52571	40101	209040
औरंगाबाद	5093	11189	7593	31358	17569	12707	9272	8638	28077	42494	173990
जहानाबाद	1595	3462	2029	1807	3818	2381	5681	5348	12261	16095	54477
अरवल			923	1275	2058	1052	2698	2932	4443	6691	22072
नवादा	6782	15756	13622	27525	11264	7668	11281	11217	25992	24837	155944
सारण	6276	9290	6246	4677	8845	9190	8881	14127	24233	32706	124471
सीवान	6367	17482	10134	18995	10809	7074	10551	14545	27750	38536	162243
गोपालगंज	2418	7285	7164	19734	12938	5413	11205	13396	29824	42890	152267
मुजफ्फरपुर	4723	6946	7851	14331	22390	7517	15270	20050	36197	61028	196303
सीतामढ़ी	3546	17901	15796	29720	9027	6814	10883	24403	19944	34675	172709
शिवहर	228	140	140	173	425	1309	1538	2617	6646	6036	19252
पश्चिम चंपारण	8562	22470	16341	26005	27614	31407	35212	32431	47446	70194	317682
पूर्व चंपारण	4967	6768	8077	19515	19279	14701	21053	26210	45138	74330	240030
वैशाली	3826	12469	7121	18707	15312	12409	15141	17144	30629	38763	171521
दरभंगा	2911	11867	9053	1459	6751	3816	7783	8011	20738	43993	116382
समस्तीपुर	14169	20043	16300	38406	20970	21759	14954	22783	38361	79075	286820
मधुबनी	4498	17535	11425	29187	25258	12656	9559	15598	35420	38578	199714
सहरसा	1738	1019	939	1118	2906	2195	5513	7250	13835	21763	58216
सुपौल	1957	1840	1553	1216	3424	2838	5593	6296	57130	22830	104677
मधेपुरा	6392	6722	4537	854	2844	2962	4679	6056	11620	12309	58975
पूर्णिया	26975	29687	19063	39782	25036	11791	12350	13477	27434	51210	256805
अररिया	741	1923	1511	1988	6264	13238	9170	8558	16324	20225	79942
किशनगंज	1104	871	1140	1287	4977	8952	5484	7393	13680	14645	59533
कटिहार	5611	8840	13472	26457	23531	12329	9565	12213	19833	29760	161611
भागलपुर	7468	42207	20957	40851	9366	4726	9223	11477	22734	44740	213749
बांका	441	1847	1145	896	3395	3138	4141	4282	9463	21232	49980
मुंगेर	3190	6575	7727	19611	10244	2869	3967	5608	10756	16559	87106
लखीसराय	258	1417	764	1225	2447	2353	3422	4587	10054	11401	37928
बेगूसराय	3469	16433	12431	24782	35001	21426	9352	14712	20694	57130	215430
जमुई	957	1381	1485	1828	3352	4113	3777	7382	13458	15779	53512
खगड़िया	4034	12421	9365	18483	19707	9028	5528	9296	12375	30313	130550
शेखपुरा	201	1197	649	880	1503	2216	2317	3532	7882	6315	26692

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

2.7 पशुपालन

कृषि के अलावा पशुधन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण जीविका तथा रोजगार के अवसरों के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ग्रामीण आय में यह एक-तिहाई का योगदान करता है। इसके अलावा, राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां ढेर सारे लोग या तो भूमिहीन हैं या एक हे. से कम जोत वाले सीमांत किसान, लाभप्रद रोजगार देने के लिहाज से पशुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या 407.88 लाख है। इसमें से 39.8 प्रतिशत दुधारू पशु हैं जिनमें गायों की संख्या 104.7 लाख है और भैंसों की 57.66 लाख (तालिका 2.26)। राज्य में गरीबों की गाय के नाम से मशहूर बकरियों की भी अच्छी-खासी संख्या (96.06 लाख) है। राज्य में मुर्गियों-बत्तखों की भी काफी बड़ी संख्या है - 139.68 लाख। इतना बड़ा पशुधन क्षेत्र होने से इसके विकास की प्रचुर संभावना मौजूद है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों भूमिहीन या सीमांत किसान हैं। फलतः यह जीवन-निर्वाहमूलक क्षेत्र के बतौर काम करता है। हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था के पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियां ली हैं। इन पहलकदमियों में नस्ल की उन्नति, स्वास्थ्य एवं पोषण, दुधारू जानवरों के लिए बीमा योजना तथा पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन शामिल है। पशुधन के विकास और इस क्षेत्र में अधिक उत्पादन से ग्रामीण बिहार आर्थिक प्रगति हेतु ठोस आधार तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी।

पशुधन के आंकड़ों से बिहार में पशुधन की कुल संख्या में विभिन्न जिलों के हिस्सों के बीच मौजूद भारी अंतर का पता चलता है। गायों-भैसों की संख्या के मामले में सर्वाधिक संख्या वाले जिले पटना, भोजपुर, गया, बांका, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और पूर्णिया हैं। बकरियों और मुर्गियों-बत्तखों के मामले में प्रचुर संकेंद्रण वाले जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार हैं।

तालिका 2.26 : बिहार में जिलावार पशुधन (2003)

(आंकड़े हजार में)

जिला	गाय	भैंस	सूअर	भेड़	बकरी	मुर्गी–बत्तख
पटना	315.1 (3.0)	265.8 (4.6)	51.0 (8.1)	17.5 (5.0)	196.6 (2.0)	383.7 (2.7)
नालंदा	199.5 (1.9)	219.3 (3.8)	23.1 (3.7)	6.2 (1.8)	171.1 (1.8)	395.6 (2.8)
रोहतास	254.7 (2.4)	321.9 (5.6)	12.5 (2.0)	28.8 (8.3)	195.1 (2.0)	315.2 (2.3)
कैमूर	212.8 (2.0)	191.1 (3.3)	4.7 (0.7)	29.6 (8.5)	104.5 (1.1)	216.3 (1.5)
बक्सर	138.2 (1.3)	161.8 (2.8)	8.5 (1.3)	20.0 (5.8)	70.8 (0.7)	126.6 (0.9)
भोजपुर	213.8 (2.0)	228.6 (4.0)	17.2 (2.8)	43.6 (12.6)	133.4 (1.4)	238.3 (1.7)
गया	640.2 (6.1)	278.1 (4.8)	119.1 (19.0)	18.0 (5.2)	442.6 (4.6)	886.1 (6.3)
औरंगाबाद	405.5 (3.9)	175.2 (3.0)	20.7 (3.3)	47.6 (13.7)	227.5 (2.4)	365.0 (2.6)
जहानाबाद	80.0 (0.8)	105.7 (1.8)	19.0 (3.0)	4.5 (1.3)	63.5 (0.7)	124.1 (0.9)
अरवल	52.0 (0.5)	38.5 (0.7)	2.5 (0.4)	4.6 (1.3)	39.6 (0.4)	58.4 (0.4)
नवादा	321.3 (3.1)	121.6 (2.1)	47.3 (7.5)	6.0 (1.7)	226.7 (2.4)	315.2 (2.3)
सारण	243.8 (2.3)	154.7 (2.7)	10.7 (1.7)	7.9 (2.3)	196.5 (2.0)	237.6 (1.7)
सीवान	249.9 (2.4)	140.7 (2.4)	12.3 (2.0)	2.4 (0.7)	210.7 (2.2)	248.3 (1.8)
गोपालगंज	188.6 (1.8)	118.3 (2.1)	7.6 (1.2)	1.2 (0.3)	216.3 (2.3)	215.4 (1.5)
मुजफ्फरपुर	411.4 (3.9)	299.9 (5.2)	12.3 (2.0)	1.7 (0.5)	451.0 (4.7)	434.0 (3.1)
सीतामढ़ी	216.9 (2.1)	169.5 (2.9)	12.6 (2.0)	1.3 (0.4)	307.3 (3.2)	316.8 (2.3)
शिवहर	31.3 (0.3)	25.9 (0.4)	1.4 (0.2)	-	72.5 (0.8)	75.4 (0.5)
पश्चिम चंपारण	427.5 (4.1)	222.3 (3.9)	21.6 (3.4)	4.5 (1.3)	510.6 (5.3)	762.4 (5.5)
पूर्व चंपारण	294.6 (2.8)	223.7 (3.9)	12.8 (2.0)	2.8 (0.8)	529.9 (5.5)	518.8 (3.7)
वैशाली	181.1 (1.7)	145.0 (2.5)	2.1 (0.3)	4.5 (1.3)	235.9 (2.5)	411.4 (2.9)
दरभंगा	216.0 (2.1)	170.3 (3.0)	6.6 (1.1)	0.7 (0.2)	197.4 (2.1)	417.8 (3.0)
समस्तीपुर	362.0 (3.5)	213.2 (3.7)	2.9 (0.5)	5.8 (1.7)	284.2 (3.0)	230.0 (1.6)
मधुबनी	451.8 (4.3)	255.1 (4.4)	12.0 (1.9)	41.6 (12.0)	321.2 (3.3)	322.1 (2.3)
सहरसा	259.4 (2.5)	126.5 (2.2)	6.3 (1.0)	0.3 (0.1)	275.0 (2.9)	180.5 (1.3)
सुपौल	399.8 (3.8)	149.8 (2.6)	7.5 (1.2)	5.5 (1.6)	394.6 (4.1)	275.7 (2.0)
मधेपुरा	248.3 (2.4)	122.1 (2.1)	9.2 (1.5)	1.2 (0.3)	285.7 (3.0)	143.9 (1.0)
पूर्णिया	413.4 (3.9)	192.6 (3.3)	26.7 (4.3)	0.2 (0.1)	433.9 (4.5)	895.9 (6.4)
अररिया	395.6 (3.8)	155.8 (2.7)	13.0 (2.1)	0.6 (0.20	441.1 (4.6)	827.6 (5.9)
किशनगंज	267.5 (2.6)	45.2 (0.8)	4.3 (0.7)	0.2 (0.1)	282.9 (2.9)	1051.5 (7.5)
कटिहार	401.3 (3.8)	69.9 (1.2)	15.3 (2.4)	6.7 (1.9)	445.3 (4.6)	1360.9 (9.7)
भागलपुर	345.5 (3.3)	132.3 (2.3)	5.0 (0.8)	0.7 (0.2)	349.5 (3.6)	425.6 (3.0)
बांका	472.9 (4.5)	120.5 (2.1)	18.6 (3.0)	10.7 (3.1)	368.3 (3.8)	360.2 (2.6)
मुंगेर	143.3 (1.4)	53.7 (0.9)	6.4 (1.0)	0.7 (0.2)	140.1 (1.5)	102.8 (0.7)
लखीसराय	114.5 (1.1)	53.2 (0.9)	7.5 (1.2)	0.1 (0.0)	92.9 (1.0)	57.7 (0.4)
बेगूसराय	278.9 (2.7)	101.6 (1.8)	3.8 (0.6)	1.3 (0.4)	141.4 (1.5)	187.2 (1.3)
जमुई	388.3 (3.7)	67.2 (1.2)	50.4 (8.0)	16.5 (4.8)	299.0 (3.1)	266.4 (1.9)
खगड़िया	174.5 (1.7)	82.7 (1.4)	4.4 (0.7)	0.0 (0.0)	191.9 (2.0)	130.9 (0.9)
शेखपुरा	58.8 (0.6)	46.4 (0.8)	8.2 (1.3)	0.7 (0.2)	59.3 (0.6)	86.2 (0.6)
बिहार	10470.2 (100.0)	5765.7 (100.0)	627.0 (100.0)	346.3 (100.0)	9605.7 (100.0)	13967.8 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जिलों का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशुपालन प्रक्षेत्र में उत्पादन स्तर तालिका 2.27 में प्रस्तुत है। दूध इस प्रक्षेत्र का प्रमुख उत्पाद है। दूध का उत्पादन 2001-02 में 26,318 लाख किग्रा था जो 12.92 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2009-10 में 61,240 लाख किग्रा. हो गया। इसी अवधि में अंडों के उत्पादन में 6.01 प्रतिशत वृद्धि दिखी। वर्ष 2000-01 के आरंभिक स्तर - 74.00 करोड़ से बढ़कर अंडों का उत्पादन 2009-10 में 110.13 करोड़ हो गया। सिर्फ ऊन के मामले में उत्पादन में गिरावट आई है जो 2001-02 के 4.24 लाख किग्रा से घटकर 2009-10 में 2.60 लाख किग्रा रह गया।

तालिका 2.27 : बिहार में पशुधन उत्पादन

वर्ष	कुल दूध (लाख किग्रा में)	अंडे (करोड़ में)	ऊन (लाख किग्रा में)
2001-02	2631790.00	74.00	4.24
2002-03	2869320.00	74.00	3.62
2003-04	3175720.00	78.00	3.94
2004-05	2974000.00	79.00	3.78
2005-06	5059529.00	100.00	2.20
2006-07	5449678.00	94.00	2.31
2007-08	5585000.00	105.50	2.42
2008-09	5933923.00	107.93	2.50
2009-10	6124018.01	110.13	2.60
वार्षिक वृद्धि दर	12.92	6.01	-7.28

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

बिहार में पशुपालन क्षेत्र के कामकाज के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, प्रतिरक्षण और चारा बीजों का मुफ्त वितरण आदि योजनाएं चला रही है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 (अक्तूबर तक) हेतु इन सेवाओं के विवरण तालिका 2.28 में प्रस्तुत हैं। बिहार में 2009-10 में कुल मिलाकर 23.79 लाख पशुओं की चिकित्सा और 156.00 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण किया गया था। चारा बीज के मुफ्त वितरण के जरिए प्रदान की गई सेवा भी अच्छी-खासी थी क्योंकि 2,358 क्विंटल बीज वितरित किए गए थे। हालांकि इस पर गौर किया जाना चाहिए कि ये सेवाएं सभी जिलों में समान रूप से उपलब्ध नहीं थीं।

बिहार के विभिन्न जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में 2006-07 से 2010-11 तक (अक्तूबर तक) के प्रासंगिक आंकड़े तालिका 2.29 में प्रस्तुत हैं। यह सेवा 2007-08 में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची जब 2.51 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। उसके बाद 2009-10 में इसमें गिरावट दिखी जब 2.36 लाख पशुओं का ही कृत्रिम गर्भाधान हुआ। हालांकि वर्ष 2010-11 में अभी तक लगभग 1.46 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया जा चुका है और अंतिम आंकड़े के गत वर्ष से आगे बढ़ जाने की आशा है।

तालिका 2.28 : बिहार में पशुधन प्रजनन तथा स्वास्थ्य में उपलब्धियों का जिलावार विवरण

जिला	2009-10				2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)			
	चिकित्सित पशु (लाख में)	बधियाकरण (लाख में)	प्रतिरक्षण (लाख में)	चारा बीज का मुफ्त वितरण (क्विंटल में)	चिकित्सित पशु (लाख में)	बधियाकरण (लाख में)	प्रतिरक्षण (लाख में)	चारा बीज का मुफ्त वितरण (क्विंटल में)
पटना	1.36	0.04	6.36	213.07	0.76	0.01	6.26	42.00
नालंदा	0.84	0.31	3.69	181.81	0.50	0.02	4.97	65.00
रोहतास	0.93	0.06	5.90	134.11	0.62	0.04	4.95	60.93
कैमूर	-	0.02	3.44	108.69	-	0.01	4.10	3.60
बक्सर	0.22	0.02	2.64	81.43	0.11	0.01	3.45	12.30
भोजपुर	0.69	0.02	2.98	135.21	0.39	0.02	4.30	26.00
गया	0.82	0.22	8.09	264.52	0.52	0.03	9.23	42.43
औरंगाबाद	0.66	0.44	4.97	24.93	0.48	0.03	5.50	-
जहानाबाद	0.30	0.08	2.04	63.01	0.21	0.06	2.74	29.35
अरवल	0.20	0.01	1.90	34.21	0.15	0.01	2.50	6.27
नवादा	0.77	0.52	4.67	97.46	0.35	0.03	5.67	26.67
सारण	0.64	0.03	2.34	3.98	0.41	0.00	4.55	-
सीवान	0.35	0.14	5.48	-	0.22	0.01	3.55	-
गोपालगंज	0.39	0.03	3.47	-	0.19	0.00	4.15	-
मुजफ्फरपुर	1.25	0.08	6.92	65.75	0.60	0.00	5.38	28.12
सीतामढ़ी	0.40	0.08	3.91	72.91	0.16	0.00	4.50	-
शिवहर	0.08	0.00	1.82	-	0.06	0.00	1.70	-
पश्चिम चंपारण	0.49	0.01	6.35	11.87	0.28	0.00	4.86	31.58
पूर्व चंपारण	0.62	0.04	5.95	14.14	0.59	0.03	2.60	46.76
वैशाली	0.70	0.02	3.68	82.50	0.36	0.01	2.68	28.12
दरभंगा	0.88	0.03	3.71	12.00	0.57	0.03	4.70	177.30
समस्तीपुर	1.18	0.02	4.46	9.50	0.88	0.02	5.19	36.60
मधुबनी	1.00	0.04	6.70	12.01	0.57	0.03	5.65	62.70
सहरसा	0.55	0.05	2.34	37.50	0.34	0.00	4.47	117.50
सुपौल	1.90	0.04	4.98	120.00	0.39	0.01	6.00	119.30
मधेपुरा	0.68	0.03	2.39	160.55	0.44	0.02	4.40	96.50
पूर्णिया	0.61	0.04	5.37	2.50	0.35	0.00	6.30	44.53
अररिया	0.47	0.03	5.15	-	0.28	0.03	6.60	17.95
किशनगंज	0.29	0.02	3.14	-	0.21	0.00	5.00	23.00
कटिहार	0.53	0.04	4.59	-	-	-	-	-
भागलपुर	1.01	0.04	6.04	184.00	0.41	0.23	5.45	39.43
बांका	0.70	0.02	3.05	130.00	0.04	0.02	5.60	-
मुंगेर	0.33	0.02	2.42	68.82	0.24	0.12	4.03	97.50
लखीसराय	0.13	0.01	2.48	31.60	0.13	0.08	2.58	58.50
बेगूसराय	0.62	0.04	3.92	-	0.46	0.01	4.89	56.70
जमुई	0.33	0.02	3.80	-	0.18	0.12	6.00	-
खगड़िया	0.50	0.03	2.70	-	0.44	0.02	3.41	47.25
शेखपुरा	0.37	0.05	2.16	-	0.24	0.14	2.12	51.80
कुल योग	**23.79**	**2.74**	**156.00**	**2358.08**	**13.13**	**1.20**	**170.03**	**1495.69**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.29 : कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धियों का जिलावार विवरण

(लाख में)

जिला	कृत्रिम गर्भाधान				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तूबर 2010)
पटना	0.12	0.22	0.17	0.21	0.22
नालंदा	0.05	0.05	-	0.09	0.06
रोहतास	0.10	0.19	0.12	0.13	0.04
कैमूर	-	-	-	-	-
बक्सर	-	-	-	-	-
भोजपुर	0.04	0.13	0.09	0.15	0.08
गया	0.07	0.08	0.09	0.11	0.08
औरंगाबाद	0.03	0.04	0.05	0.08	0.06
जहानाबाद	0.08	0.07	0.07	0.03	0.02
अरवल	-	-	-	0.03	0.03
नवादा	0.05	0.07	0.08	0.13	0.09
सारण	0.09	0.12	0.00	0.03	0.04
सीवान	0.09	0.10	0.03	0.02	0.02
गोपालगंज	0.13	0.16	0.07	0.07	0.02
मुजफ्फरपुर	0.51	0.07	0.04	0.12	0.08
सीतामढ़ी	-	-	-	-	0.02
शिवहर	-	-	-	-	-
पश्चिम चंपारण	-	-	-	0.01	0.02
पूर्व चंपारण	0.02	0.03	0.01	-	-
वैशाली	0.62	0.35	0.03	0.11	0.05
दरभंगा	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06
समस्तीपुर	0.03	0.06	0.02	0.09	0.02
मधुबनी	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
सहरसा	0.04	0.04	-	-	-
सुपौल	-	-	-	-	-
मधेपुरा	0.02	0.02	0.05	0.06	0.07
पूर्णिया	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
अररिया	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
किशनगंज	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
कटिहार	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01
भागलपुर	0.05	0.12	0.03	0.05	0.10
बांका	-	-	-	-	0.03
मुंगेर	0.06	0.15	0.03	0.05	0.08
लखीसराय	-	-	-	0.01	0.01
बेगूसराय	0.05	0.09	0.06	0.07	0.04
जमुई	-	-	-	0.04	0.01
खगड़िया	-	0.23	0.25	0.48	0.02
शेखपुरा	-	-	-	0.04	0.03
कुल योग	**2.38**	**2.51**	**1.41**	**2.36**	**1.46**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

मत्स्य उत्पादन

बिहार में जल क्षेत्र का 361 हजार हे. में विस्तार है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत है। अतएव मत्स्यपालन के जरिए ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने का प्रचुर अवसर उपलब्ध है। राज्य में मत्स्य उत्पादन में लगातार वृद्धि होती दिख रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मत्स्य उत्पादन क्षेत्र का योगदान गत दस वर्षों के दौरान दूना हो गया है। बेहतर प्रबंधन तथा मत्स्यपालकों के लिए ऋण प्रवाह से यह क्षेत्र विकास के नए युग में प्रवेश करेगा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में इसका योगदान बढ़ेगा। वर्ष 2004-05 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 2.67 लाख टन था। उसके बाद से मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई और इसका स्तर 2008-09 में 3.06 लाख तक पहुंच गया। वर्ष 2009-10 में उत्पादन का स्तर गिरकर 2.97 लाख टन पर आ गया। मछली उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 2.30 में प्रस्तुत है। तालिका के आधार पर आकलित किया गया है कि 2004-05 से 2009-10 के बीच वार्षिक वृद्धि दर 2.58 प्रतिशत है।

तालिका 2.30 : बिहार में मछली का वार्षिक उत्पादन

वर्ष	मछली का उत्पादन (लाख टन)
2004-05	2.67
2005-06	2.79
2006-07	2.67
2007-08	2.88
2008-09	3.06
2009-10	2.97
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	2.58

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने आम तौर पर मत्स्य उत्पादन क्षेत्र और खास तौर पर मत्स्यपालकों की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बेहतर ऋण सुविधाओं तथा मत्स्यपालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण के रूप में प्रसार सेवाओं के प्रावधान इस क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं। अंगुलिकाओं का वितरण, मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण, निजी तालाबों के रखरखाव तथा जीर्णोद्धार के लिए ऋण वितरण तथा मछुआरों के लिए मुफ्त मकान जैसी राज्य सरकार की योजनाओं से मछुआरे काफी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2009-10 में राज्य में रिकॉर्ड 3,307.85 लाख मत्स्यबीजों का उत्पादन और वितरण हुआ था। वर्ष 2009-10 में हुए मत्स्य तथा मत्स्यबीज उत्पादन के जिलावार आंकड़े तालिका 2.31 में प्रस्तुत हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले मछली के प्रमुख उत्पादक हैं। बिहार के कुल मछली उत्पादन में इन जिलों का हिस्सा इस प्रकार है - दरभंगा 16.90 हजार टन (5.68 प्रतिशत), मधुबनी 16.49 हजार टन (5.54 प्रतिशत) तथा समस्तीपुर 12.40 हजार टन (4.17 प्रतिशत)।

तालिका 2.31 : बिहार में 2009-10 में जिलावार मछली और मत्स्यबीज उत्पादन

जिला	2009-10	
	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्यबीज (लाख)
पटना	9.65	8.00
नालंदा	10.00	143.00
रोहतास + कैमूर	7.00	90.50
बक्सर	5.20	0.00
भोजपुर	4.30	2.36
गया	1.65	0.00
औरंगाबाद	7.60	175.00
जहानाबाद + अरवल	3.20	0.00
नवादा	8.09	13.00
सारण	13.90	100.00
सीवान	3.35	140.00
गोपालगंज	9.80	0.00
मुजफ्फरपुर	14.08	197.00
सीतामढ़ी + शिवहर	15.30	160.00
पश्चिम चंपारण	14.30	232.00
पूर्व चंपारण	12.65	161.80
वैशाली	9.40	0.00
दरभंगा	16.90	270.00
समस्तीपुर	12.40	0.00
मधुबनी	16.49	221.00
सहरसा	12.00	180.00
सुपौल	5.50	63.00
मधेपुरा	10.55	90.00
पूर्णिया	8.50	50.00
अररिया	3.92	41.00
किशनगंज	4.46	58.19
कटिहार	12.30	220.00
भागलपुर	7.96	127.00
बांका	5.00	45.00
मुंगेर + शेखपुरा + लखीसराय	9.30	90.00
बेगूसराय	9.90	255.00
जमुई	3.75	20.00
खगड़िया	9.00	155.00
बिहार	**297.40**	**3307.85**

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 3

उद्यम क्षेत्र

3.1 भूमिका

बिहार का उद्यम क्षेत्र देश में सबसे छोटा है और देश उद्यम क्षेत्र में इसका मात्र 1.22 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार का औद्योगिक क्षेत्र इसके शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 16 प्रतिशत का ही योगदान करता है जबकि राष्ट्रीय औसत 26 प्रतिशत है। विभाजन के परिणामस्वरूप शेष बिहार में औद्योगिक इकाइयों के शुद्ध मूल्यवर्धन का हिस्सा 2002-03 में मात्र 17.9 प्रतिशत ही बचा था जबकि शेष 82.1 प्रतिशत झारखंड में चला गया था। ऐसा स्पष्टतः लगभग सारा खनिज उत्पादक क्षेत्र झारखंड राज्य में चले जाने के कारण हुआ था और वर्तमान बिहार में बहुत सीमित बड़े, मंझोले और छोटे उद्यम बच गए थे।

हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में आई मंदी से बड़े पैमाने पर उबरने की प्रक्रिया 2009-10 में ही शुरू हो गई थी लेकिन बिहार में खनन/ प्रस्तर खनन और विनिर्माण क्षेत्र के मामले में निबंधित और अनिबंधित, दोनों ही क्षेत्रों में ह्रासोन्मुख रुझान रहा था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 5 प्रतिशत से भी कम है और निबंधित विनिर्माण क्षेत्र का तो और भी कम जिसमें इस अवधि में तेज गिरावट दर्ज की गई। खनन/ प्रस्तर खनन के हिस्से में भी 2009-10 में गिरावट दर्ज की गई। तथापि निर्माण क्षेत्र राज्य में विकास प्रक्रिया का मुख्य वाहक साबित हुआ जिसका हिस्सा 2004-05 के 5.52 प्रतिशत से 2009-10 में लगभग दूना होकर 11.18 प्रतिशत पहुंच गया।

तालिका 3.1 : बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन/ प्रस्तर खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति और गैस इकाइयों का अनुपात

क्षेत्र	2004-05	2007-08	2009-10
1. खनन/ प्रस्तर खनन	0.06	0.06	0.05
2. विनिर्माण	5.79	5.31	4.16
(क) निबंधित	1.48	1.17	0.6
(ख) अनिबंधित	4.30	4.14	3.31
3. निर्माण	5.52	9.76	11.18
4. विद्युत/ जलापूर्ति/ गैस	1.52	1.36	1.27
5. 2004-05 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	75608 (100.0)	98648 (100.0)	123489 (100.0)

स्रोत : सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार

3.2 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के परिणाम

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार 2005-06 में बिहार में मौजूद कुल कारखानों का प्रतिशत 1.19 था जो 2007-08 में थोड़ा बढ़कर 1.22 प्रतिशत हो गया। लेकिन कार्यशील पूंजी, नियोजित व्यक्तियों तथा उत्पादों के मूल्य जैसे अन्य तथ्यों के लिहाज से 2007-08 में गिरावट आई (तालिका 3.2)। हालांकि शुद्ध मूल्यवर्धन में वृद्धि दर्ज हुई (2005-06 में 0.14 प्रतिशत से 2007-08 में 0.24 प्रतिशत)।

तालिका 3.2 : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2005-06 और 2007-08)

विशेषताएं	2005-06			2007-08		
	भारत	बिहार		भारत	बिहार	
		योग	% हिस्सा		योग	% हिस्सा
कारखानों की संख्या	140160	1669	1.19	146385	1785	1.22
स्थिर पूंजी (लाख रु.)	60694028	292352	0.48	84513209	301470	0.36
कार्यशील पूंजी (लाख रु.)	18446260	141541	0.77	31695306	163563	0.52
कुल नियोजित व्यक्ति	9111680	67447	0.74	10452535	73676	0.70
उत्पादों के मूल्य (लाख रु.)	190835548	1678498	0.88	277570904	2187362	0.79
शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	31186419	42223	0.14	48159268	115947	0.24

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2005-06 तथा 2007-08

संपूर्ण भारत के स्तर पर कारखानों की संख्या में 2005-06 और 2007-08 के बीच कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित, दोनों श्रेणियों में वृद्धि हुई लेकिन वृद्धि गैर-कृषि आधारित कारखानों के मामले में अधिक थी (तालिका 3.3)। हालांकि बिहार में कृषि आधारित कारखानों में 2007-08 में गिरावट दर्ज की गई और गैर-कृषि आधारित कारखानों की संख्या में वृद्धि। पुनः, बिहार में चालू कृषि आधारित कारखानों के प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई जो 2005-06 के 93.62 प्रतिशत से 2007-08 में 86.70 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत, चालू गैर-कृषि आधारित कारखानों का प्रतिशत 2005-06 के 81.73 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 91.66 प्रतिशत हो गया।

तालिका 3.3 : बिहार में चालू कारखानों की संख्या (2005-06 और 2007-08)

उद्योग की श्रेणी	कारखानों की संख्या			चालू कारखाने			चालू कारखानों का %	
	भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा	भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा	संपूर्ण भारत	बिहार
2005-06								
कृषि आधारित	61936	470	0.76	57863	440	0.76	93.50	93.62
गैर-कृषि आधारित	78224	1199	1.53	75028	978	1.30	95.79	81.73
योग	140160	1669	1.19	132891	1420	1.07	94.80	85.08
2007-08								
कृषि आधारित	62189	466	0.75	59124	404	0.68	95.07	86.70
गैर-कृषि आधारित	84196	1319	1.57	81443	1209	1.48	96.73	91.66
योग	146385	1785	1.22	140567	1613	1.15	96.03	90.36

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2005-06 तथा 2007-08

तालिका 3.4 में यह भी दिखता है कि गैर-कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादों के कुल मूल्य में राज्य का हिस्सा (0.99 प्रतिशत) कृषि आधारित उद्योगों (0.51 प्रतिशत) के मुकाबले लगभग दूना था। हालांकि कुल निवल मूल्यवर्धन में कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा गैर-कृषि आधारित उद्योगों के मुकाबले चारगुना अधिक था। विविध कृषि आधारित औद्योगिक समूहों के बीच खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू के मामले में राज्य का हिस्सा देश के कुल उत्पाद मूल्य में सर्वाधिक (0.81 प्रतिशत) था और निवल मूल्यवर्धन में तो और भी अधिक - 2.15 प्रतिशत। इससे राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की भारी संभावना का पता चलता है। यह बात भी स्थापित होती है कि खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू समूह ने बिहार के सभी चालू कारखानों के शुद्ध मूल्यवर्धन में 76 प्रतिशत से भी अधिक योगदान किया (परिशिष्ट 1 और 2)।

तालिका 3.4 : 2007-08 में चुनिंदा कृषि और गैर-कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन मूल्य और निवल मूल्यवर्धन (बिहार और भारत)

(करोड़ रु.)

एनआइसी कोड 2004	औद्योगिक समूह	उत्पादन मूल्य			शुद्ध मूल्यवर्धन		
		संपूर्ण भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा	संपूर्ण भारत	बिहार	बिहार का % हिस्सा
	कृषि आधारित						
15+16	खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू	351,820.93	2,865.34	0.81	41101.13	884.19	2.15
17+18	वस्त्र/ वस्त्र उत्पाद	200,293.36	93.88	0.05	30395.01	30.26	0.10
19	चमड़ा/ चर्म उत्पाद	23,801.26	74.33	0.31	2814.91	10.94	0.39
20	लकड़ी/ काष्ठ उत्पाद	7,192.21	31.63	0.44	927.8	11.4	1.23
21+22	कागज/ मुद्रण/ प्रकाशन	58,771.38	231.28	0.39	12082.65	84.29	0.70
	उप-योग	641,879.14	3,296.46	0.51	87321.5	1021.1	1.17
	गैर-कृषि आधारित						
23	कोक/ पेट्रॉलियम/ आणविक इंधन	436,659.53	16,839.22	3.86	65515.19	-97.4	-0.15
24	रसायन/ रासायनिक उत्पाद	301,217.61	96.64	0.03	61662.9	15.2	0.02
25	रबर/ प्लास्टिक उत्पाद	78,660.23	38.48	0.05	11623.34	3.02	0.03
26	कांच/ अधातु	95,416.04	339.60	0.36	31631.09	88.86	0.28
27+28	खनिज उत्पाद	513,701.08	949.97	0.18	105401.89	95.22	0.09
29+31	मशीनें/ विद्युत उपकरण	247,434.97	77.67	0.03	49724.56	11.4	0.02
35	जहाजों, नावों, परिवहन उपकरणों आदि का निर्माण और मरम्मत	55,927.62	10.97	0.02	10440.63	2.82	0.03
36	फर्नीचर/ आभूषण/ खेल सामग्री/ खिलौने आदि	61,279.38	5.16	0.01	6581.02	0.54	0.01
	अन्य	86,942.37	219.44	0.25	12406.75	18.75	0.15
	उप-योग	1,877,238.83	18,577.15	0.99	354987.37	138.41	0.04
	कुल योग	2,519,117.97	21,873.61	0.87	442308.87	1159.5	0.26

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2005-06 तथा 2007-08

3.3 बड़े उद्योग

यह तो सबको मालूम है कि 2000 में राज्य के विभाजन ने बिहार की अर्थव्यवस्था को गंभीर आघात पहुंचाया और राज्य खास तौर पर बड़े उद्योगों से रहित हो गया। लगभग सभी बड़े औद्योगिक घराने झारखंड के हिस्से में चले गए और बिहार में बहुत ही कम बड़े उद्योग बचे रह गए। मुख्यत: सुविकसित अधिसंरचात्मक सुविधाओं के अभाव तथा पूंजी के पलायन के कारण यहां बड़े उद्योग नहीं स्थापित किए जा सके। पुन:, उद्यमों की पूंजी आधारित परिभाषा में बदलाव के कारण अनेक बड़े उद्योग आज मंझोले उद्योग में गिने जा रहे हैं। फलत: राज्य में खाद्य एवं पेय समूह के अंतर्गत मात्र 4 इकाइयां बड़े उद्योग के क्षेत्र में हैं – बांका, बेगूसराय, पूर्व चंपारण और रोहतास जिलों में एक-एक। प्रवर्तकों और अवस्थिति सहित इन इकाइयों की सूची तालिका 3.5 में प्रस्तुत की गई है। उनके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में चार अन्य इकाइयां मौजूद हैं जिनमें आइटीसी, केसीसी और गंगोत्री आयरन शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 बड़ी इकाइयां हैं – राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की चार इकाइयां, भारतीय तेल निगम की एक इकाई और एक आयुध कारखाना। इन तथ्यों से पता चलता है कि राज्य में बड़ी इकाइयां बहुत सीमित संख्या में मौजूद हैं।

तालिका 3.5 : बिहार में बड़ी इकाइयों की सूची (2010)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रवर्तक	अवस्थिति
1	2.25 लाख मै. टन क्षमता की रिफाइन तेल इकाई	झुनझुनवाला वनस्पति लि., वाराणसी	डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास
2	शीतगृह, कृषि विपणन प्रांगण तथा शुष्क भंडारगृह	मीरा कॉमट्रेड प्रा. लि., पटना	नरकटियागंज, पूर्व चंपारण
3	शीतगृह तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई	सुशीला कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., आरा	आरा, भोजपुर
4	अति उदासीन अल्कोहल संयंत्र	एम.जे. एंड सन्स डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज प्रा. लि., पटना	अमरपुर, बांका

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

राज्य में बड़े/ मंझोले उद्योग क्षेत्र और ग्राम/ लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2008-09 में उद्योग विभाग के तहत 390 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे जिसे बाद में बढ़ाकर 515 करोड़ रु. कर दिया गया था। वर्ष 2009-10 के लिए 462.22 करोड़ रु. और 2010-11 के लिए 472.45 करोड़ रु. के प्रावधान किए गए हैं।

3.4 अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों का देश के कुल विनिर्मित उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। पूंजी के साथ श्रमिक का ऊंचा अनुपात, उच्च वृद्धि दर और अधिक फैलाव उन्हें समावेशी विकास हासिल करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। वर्ष 2006-07 में अतिलघु, लघु तथा मध्यम

उद्यम मंत्रालय द्वारा कराए गए चतुर्थ अखिल भारतीय अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार में सर्वेक्षित 71,435 उद्यमों में से 73 प्रतिशत अर्थात 52,188 इकाइयां चालू थीं। इनमें से 69 प्रतिशत इकाइयां विनिर्माण इकाइयां थीं और 31 प्रतिशत सेवा इकाइयां। कुल रोजगार में 81 प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण इकाइयों का था और शेष 19 प्रतिशत सेवा क्षेत्र की इकाइयों का। इस प्रकार प्रति इकाई रोजगार सेवा क्षेत्र के 1.92 व्यक्ति की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अधिक था – 3.64 व्यक्ति। स्थिर निवेश के कुल बाजार मूल्य में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 87.58 प्रतिशत था जबकि निवल उपयोग मूल्य में 83.54 प्रतिशत। विवरण तालिका 3.6 में देखा जा सकता है। अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों के अंतर्गत कुल इकाइयों में से 52 प्रतिशत खाद्य, पेय, तंबाकू, अनाज मिल उत्पाद, वस्त्र, पोशाक निर्माण, जूता-चप्पल और चमड़े से संबंधित हैं।

तालिका 3.6 : बिहार में निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम (2006-07)

क्र.सं.	विशेषताएं	निबंधित	% हिस्सा
1	कार्यशील उद्यमों की संख्या	52188	73.06
	सर्वेक्षित उद्यमों की कुल संख्या	71435	100
2	कार्यशील उद्यमों की संख्या		
	विनिर्माण	36143	69.26
	सेवा	16045	30.74
	योग	52188	100.00
3	रोजगार (व्यक्ति)		
	विनिर्माण	131563	81.03
	सेवा	30794	18.97
	योग	162357	100.00
4	प्रति इकाई रोजगार (व्यक्ति)		
	विनिर्माण	3.64	
	सेवा	1.92	
	योग	3.11	
5	स्थिर निवेश का बाजार मूल्य (करोड़ रु.)		
	विनिर्माण	4136.27	87.58
	सेवा	586.78	12.42
	योग	4723.05	100.00
6	निवल संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु.)		
	विनिर्माण	2904.57	83.54
	सेवा	572.30	16.46
	योग	3476.87	1000.00
7	प्रति इकाई निवल संपत्ति (करोड़ रु.)		
	विनिर्माण	8.04	
	सेवा	3.57	
	योग	6.66	

स्रोत : त्वरित परिणाम, चतुर्थ अखिल भारतीय अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योग सर्वेक्षण, 2006-07

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के लागू होते ही लघु उद्योगों की, जिसे अभी अतिलघु (माइक्रो), लघु तथा मध्यम उद्यम उद्यम कहा जाता है, परिधि में काफी विस्तार हुआ है। 'लघु' इकाइयों के निर्धारण हेतु निवेश सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है और यह क्षेत्र अब अपनी निर्धारित सीमा में मंझोले उद्यमों को भी समेट रहा है। यह तो सुविदित है कि अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। यह सकल घरेलू उत्पाद, विनिर्माण उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात के मामले में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह क्षेत्र उद्यमियों की प्रतिभा के पोषण तथा जमीनी क्षेत्र से संपदा के पुनःआबंटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और न्यायपूर्ण विकास को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर विशेश जोर दिया है।

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप अक्तूबर 2009 में विशेष नियमों के सेट अधिसूचित किए गए जिनके तहत उद्यमियों द्वारा संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश से संबंधित सूचनाएं जमा करने की जरूरत है। इस नियम में प्रावधान के अनुरूप सितंबर 2009 में सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्य के अनुरूप कौशल विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत 2009-10 में अभिकरणों को 3.62 लाख प्रशिक्षुओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना था। अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा तथा क्षमता में वृद्धि के लिए मुख्य रणनीति के बतौर प्रशिक्षण हेतु संकुल दृष्टिकोण अपनाया गया है।

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों में अक्तूबर 2010 तक निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों की संख्या 1.84 लाख बताई गई है। इनमें से लगभग 61 प्रतिशत अत्यंत लघु (टिनी)/ अतिलघु (माइक्रो) उद्यम थे और उनके बाद 38.15 प्रतिशत कारीगरी तथा 0.85 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयां। अंतिम दशक के दौरान अत्यंत लघु/ अतिलघु (4.77 प्रतिशत) की अपेक्षा शिल्प इकाइयों की वृद्धि दर अधिक (5.81 प्रतिशत) पाई गई। लघु उद्योग इकाइयों की वृद्धि दर सबसे कम (1.78 प्रतिशत) थी। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि गत दशक में कुल निवेश के मामले में वृद्धि दर जहां लगभग 16 प्रतिशत थी, वहीं रोजगार के मामले में मात्र 3 प्रतिशत के आसपास। प्रति इकाई निवेश लगभग 69,447 रु. पाया गया और प्रति इकाई रोजगार 3.25 व्यक्ति।

तालिका 3.7 : बिहार में वर्षवार स्थापित निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योग इकाइयां

वर्ष	लघु उद्योग	अति लघु/ सूक्ष्म	शिल्प आधारित	वर्ष	योग	निवेश (लाख रु.)	रोजगार (संख्या)
31-03-2000 तक		1261	72767	44413	118441	447.01	433808
2000-01		35	3249	2530	5814	38.05	14015
2001-02		31	3206	3314	6551	41.92	15283
2002-03		24	3290	2983	6297	46.38	13622
2003-04		21	3462	2616	6099	54.30	14346
2004-05		17	3335	2897	6249	53.72	13346
2005-06		24	3584	3333	6941	46.97	15732
2006-07		20	3472	3612	7104	72.80	16738
2007-08	4	42	2754	4402	7202	134.83	19963
2008-09	7	25	6122	-	6154	118.86	17474
2009-10	2	41	5048	-	5091	128.64	16011
2010-11 (अक्तूबर '10 तक)	3	17	1766	-	1786	92.15	6583
योग	16	1558	112055	70100	183729	1275.94	596921

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : 2008-09 से शिल्प आधारित इकाइयों को सूक्ष्म इकाइयों में शामिल कर दिया गया है।

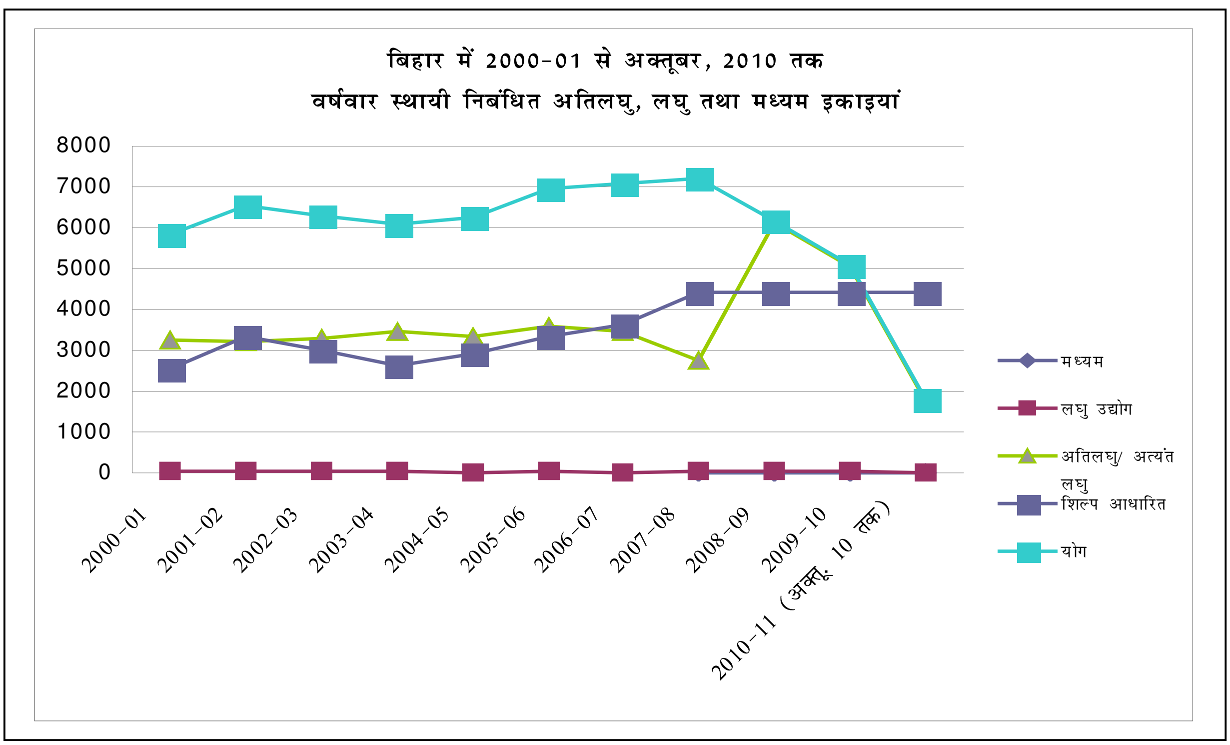

यह भी पता चला है कि गत दशक के दौरान अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र में इकाइयों की संख्या के मामले में वार्षिक वृद्धि दर में विविधता थी – 2001-02 में 5.27 प्रतिशत से लेकर 2009-10 में 2.88 प्रतिशत तक। हालांकि कारीगरी इकाइयों के मामले में यह 5 से 7 प्रतिशत के बीच थी जबकि 2008-09, 2009-10 और

2010-11 में (अक्तूबर तक) किसी इकाई के स्थापित होने की सूचना नहीं है। अत्यंत लघु/ अतिलघु इकाइयों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन उनका परिमाण भी कारीगरी इकाइयों से कम था - 2008-09 में अधिकतम 6.18 प्रतिशत। लघु उद्योग क्षेत्र का विकास अधिक धीमा था - 2006-07 में 1.42 प्रतिशत से अगले वर्ष में 2.93 प्रतिशत तक। दशक में जहां निवेश में 185 प्रतिशत वृद्धि हुई वहीं रोजगार में 38 प्रतिशत की जिस कारण वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत के आसपास ही थी।

तालिका 3.8 : बिहार में वर्षवार स्थापित स्थायी निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योग इकाइयां

वर्ष	मध्यम		लघु उद्योग		अत्यंत लघु/ अति लघु		शिल्प आधारित		योग	
	संख्या	प्रतिशत परिवर्तन	संख्या (हजार)	प्रतिशत परिवर्तन	संख्या (हजार)	प्रतिशत परिवर्तन	संख्या (हजार)	प्रतिशत परिवर्तन	संख्या (हजार)	प्रतिशत परिवर्तन
2000 तक			1.26		72.77		44.41		118.44	
2000-01			1.30	2.78	76.02	4.46	46.94	5.70	124.26	4.91
2001-02			1.33	2.39	79.22	4.22	50.26	7.06	130.81	5.27
2002-03			1.35	1.81	82.51	4.15	53.24	5.94	137.10	4.81
2003-04			1.37	1.55	85.97	4.20	55.86	4.91	143.20	4.45
2004-05			1.39	1.24	89.31	3.88	58.75	5.19	149.45	4.36
2005-06			1.41	1.73	92.89	4.01	62.09	5.67	156.39	4.64
2006-07			1.43	1.42	96.37	3.74	65.70	5.82	163.50	4.54
2007-08	4		1.48	2.93	99.12	2.86	70.10	6.70	170.70	4.41
2008-09	11	175	1.50	1.69	105.24	6.18	70.10	0.00	176.85	3.61
2009-10	13	18.18	1.54	2.73	110.29	4.80	70.10	0.00	181.94	2.88
2010-11 (अक्तू. '10 तक)	16	23.08	1.56	1.10	112.06	1.60	70.10	0.00	183.73	0.98
2000 से % परिवर्तन			-	23.55	-	53.99	-	57.84	-	55.13

	निवेश (लाख रु.)		रोजगार (हजार)	
	संख्या	% परिवर्तन	संख्या	% परिवर्तन
31-03- 2000 तक	44,701.38		434	
2000-01	48,506.53	8.51	448	3.23
2001-02	52,698.57	8.64	463	3.41
2002-03	57,336.64	8.80	477	2.94
2003-04	62,767.03	9.47	491	3.01
2004-05	68,138.82	8.56	504	2.72
2005-06	72,836.13	6.89	520	3.12
2006-07	80,115.92	9.99	537	3.22
2007-08	93,598.90	16.83	557	3.72
2008-09	105,484.96	12.70	574	3.14
2009-10	118,349.00	12.20	590	2.79
2010-11 (अक्तू. '10 तक)	127,564.46	7.79	597	1.12
31-03-2000 से % परिवर्तन	-	185.37	-	37.60

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

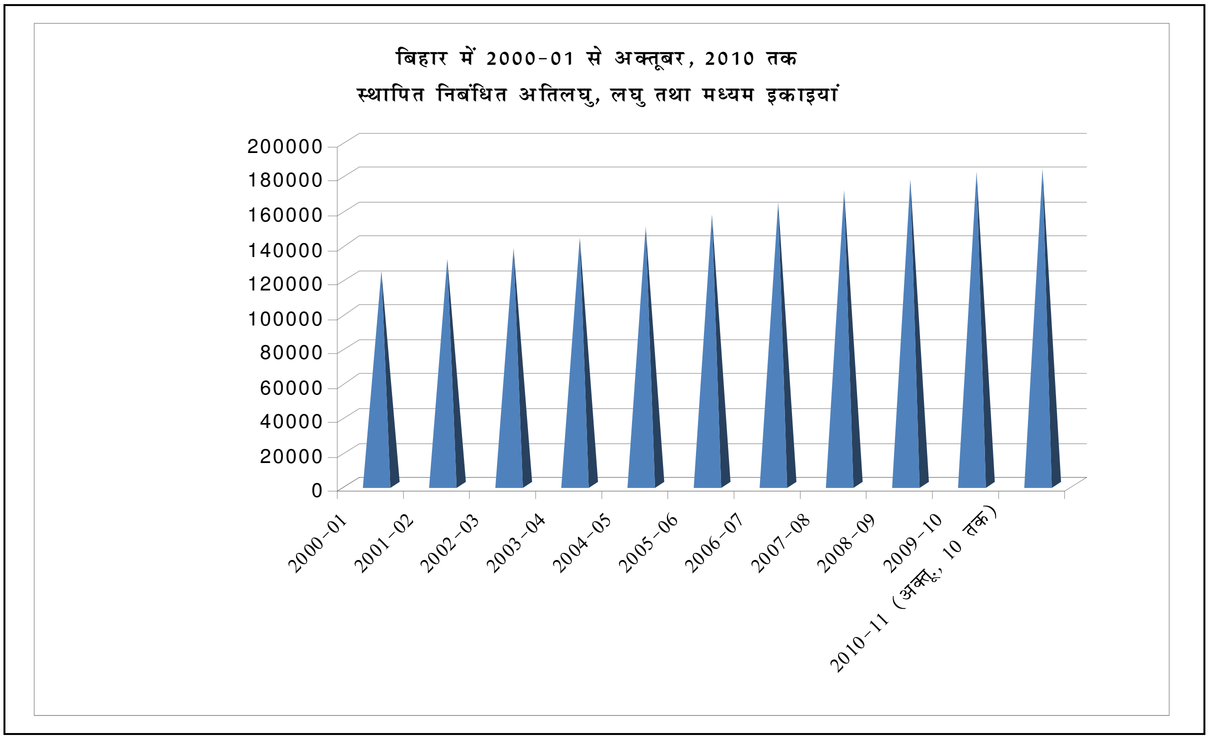

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस मकसद से उसने इस क्षेत्र हेतु आबंटन को 2007-08 के 390.0 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2008-09 में 515.0 करोड़ कर दिया था। पुनः, 2009-10 में इसके लिए 462.2 करोड़ रु. निर्धारित हुए थे और 2010-11 में आबंटित राशि 472.4 करोड़ रु. है।

हाल की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र पर भी बुरा असर डाला। इस परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र के विभिन्न संघों ने अगस्त 2009 में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विभन्न मुद्दों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की विस्तार से जानकारी तथा मुद्दों के निराकरण के लिए एक कार्यबल का गठन किया। कार्यबल की अनुशंसाओं से अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास को बल मिलने और बिहार के भी इससे लाभान्वित होने की आशा है।

अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र का फैलाव

गौर किया गया है कि बिहार में 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र की 1,786 इकाइयों ने काम आरंभ किया था। लेकिन पूरे राज्य में इनका फैलाव एक जैसा नहीं था। राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के बीच प्रटना प्रमंडल में इस क्षेत्र की इकाइयों का सर्वाधिक 22 प्रतिशत संकेद्रण दिखा, वहीं कोशी और भागलपुर प्रमंडलों में तीन-तीन प्रतिशत ही। अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों के मामले में भी तिरहुत को छोड़कर शेष प्रमंडलों में ऐसा ही रुझान दिखा। तिरहुत में लघु इकाइयों का उच्च अनुपात (47 प्रतिशत) दर्ज किया गया। पुनः 9 में से 5 प्रमंडलों - भागलपुर, पूर्णिया, मगध, कोशी और सारण में लघु उद्योग

इकाइयों की स्थापना हुई ही नहीं। ऐसे समय में, जब राज्य सरकार राज्य में समावेशी विकास की गाथा लिखने में व्यस्त है, वर्तमान स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है और औद्योगिक विकास के मामले में क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास करने की जरूरत है।

तालिका 3.9 : 2010-11 में (अक्तूबर तक) निबंधित अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों का प्रतिशत वितरण

प्रमंडल	प्रतिशत			
	मध्यम	अतिलघु	लघु	योग
पटना	66.67	21.91	29.41	21.99
मुंगेर	0.00	12.29	11.76	12.28
भागलपुर	0.00	3.40	0.00	3.37
पूर्णिया	0.00	12.40	0.00	12.28
मगध	0.00	11.89	0.00	11.78
दरभंगा	0.00	11.55	11.76	11.55
कोशी	0.00	3.11	0.00	3.08
तिरहुत	33.33	16.59	47.06	16.88
सारण	0.00	6.85	0.00	6.79
योग (सं.)	3	1766	17	1786

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

यहां नए परिदृश्य में 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) नए अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम आरंभ करने के मामले में अजा/ अजजा और अल्पसंख्यकों के हिस्से का आकलन करने का भी प्रयास किया गया है। पूर्ववर्ती तालिकाओं से स्पष्ट है कि 92.15 करोड़ रु. के कुल निवेश तथा 6,583 लोगों के रोजगार की गुंजाइश के साथ 2010 में कुल 1,786 अतिलघु, 17 लघु तथा 3 मध्यम इकाइयों की स्थापना हुई। इकाइयों में से 81 प्रतिशत सामान्य श्रेणी और 13 प्रतिशत अजा/ अजजा द्वारा शुरू की गई जबकि शेष 6 प्रतिशत अल्पसंख्यक उद्यमियों द्वारा। अजा/ अजजा और अल्पसंख्यक उद्यमियों द्वारा शुरू की गई अतिलघु इकाइयों में निवेश और रोजगार भी सामान्य उद्यमियों की अपेक्षा कम देखा गया। सभी लघु तथा मध्यम इकाइयां सामान्य श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आरंभ किए जाने की सूचना है। प्रमंडलों के बीच पटना और तिरहुत की सारी लघु तथा मध्यम इकाइयों का स्वामित्व सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के पास था। इसी प्रकार मुंगेर और दरभंगा प्रमंडलों में सभी लघु उद्योग इकाइयां सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के स्वामित्व वाली थीं। शेष प्रमंडलों - भागलपुर, पूर्णिया, मगध, कोशी और सारण में किसी लघु या मध्यम उद्यम के अस्तित्व की कोई सूचना नहीं है। (परिशिष्ट 4)।

3.5 कृषि आधारित उद्योग

विभाजन के परिणामस्वरूप वर्तमान बिहार खनिज और खनन/ प्रस्तर खनन रहित है और विनिर्माण उद्योगों की भी बहुत सीमित गुंजाइश है। बिहार में भूमि और जल संसाधन ही बचा है। कृषि मुख्य आधार होने के कारण राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की अच्छी संभावना है और लगभग 9 करोड़ की आबादी वाला बिहार तेजी से खाद्य उत्पादों का विकासशील बाजार बनता जा रहा है। राज्य में कुल निजी उपभोग व्यय में से लगभग 65 प्रतिशत भोजन पर ही खर्च होता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, बिहार का वर्तमान खाद्य बाजार लगभग 40,000 करोड़ रु. का है जिसमें लगभग 18,000 करोड़ रु. का प्रसंस्कृत खाद्य तथा पेय बाजार भी शामिल है। संपूर्ण भारत के खाद्य उपभोग की अनुमानित 7 प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर बिहार का खाद्य उपभोग बाजार 2015 तक लगभग 83,000 करोड़ रु. का हो जाएगा।

अतएव बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रचुर संभावना है। बिहार के प्रमुख कृषि उत्पाद अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां और नगदी फसलें हैं। महत्वपूर्ण नगदी फसलों में ईख, आलू, तंबाकू, जूट और मसाले शामिल हैं। बिहार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद सब्जियों का देश का तीसरा और फलों के मामले में छठा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। हालांकि राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक कृषि उत्पादन देश में सबसे कम (666 रु.) है जो मुख्यत: प्रौद्योगिकी तथा लागत सामग्री के उपयोग के निम्न स्तर के कारण है। अतएव राज्य अभी फलों, मछली, अंडों, मुर्गियों, मांस आदि का बड़ा आयातक है। बिहार के लिए यह विडंबना ही है, खास कर इस क्षेत्र में भारी संभावनाओं को देखते हुए। असली मामला सभी कृषि तथा सहवर्ती सामग्रियों की उत्पादकता बढ़ाने का है।

राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में कृषि आधारित उद्योगों को पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार, राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा 1,159 करोड़ रु. के कुल मूल्यवर्धन में कृषि आधारित उद्योगों का 88 प्रतिशत हिस्सा था (तालिका 3.4)। अगर शेष लघु तथा अतिलघु इकाइयों को भी जोड़ लिया जाय, तो कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा और भी अधिक होगा क्योंकि इसकी अधिकांश क्षमता का अभी उपयोग ही नहीं हो पाया है। स्पष्ट है कि राज्य सभी कृषि आधारित उद्योगों के मामले में संसाधन अथवा लागत जन्य लाभ नहीं उठा पा रहा है इसीलिए पूरे देश में बिहार का हिस्सा उससे बहुत कम है जितना आर्थिक रूप से संभव है।

आइएल एंड एफएस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर राज्य के लिए दृष्टि अभिलेख-2015 तैयार किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 41 परियोजनाएं राज्य में 473.83 करोड़ रु. का निवेश कर रही हैं और परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। दो फूड पार्कों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है - एक मुजफ्फरपुर-वैशाली अंचल में और दूसरा भागलपुर-कटिहार अंचल में। खाद्य पार्कों की स्थापना विशेष प्रयोजन वाहक (एसपीवी) के जरिए की जाएगी जो कंपनी के रूप में निबंधित हो तो बेहतर जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत पूंजी निजी निवेशकों की

हो और शेष केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की। सहायता का परिमाण तय कर दिया गया है जो परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या 15 करोड़ रु. में जो भी कम हो, है। पार्क द्वारा अबाध विद्युत तथा जल आपूर्ति और निस्राव शोधन संयंत्र जैसी सभी आवश्यक बुनियादी अधिसंरचनाओं का ध्यान रखा जाएगा।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को अक्तूबर 2010 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल 180 प्ररियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5 काम करने लगे हैं, 8 में काम प्रगति पर है और 56 पूरा होने के विभन्न चरणों में हैं।

प्रसंस्करण उद्योग

<u>फल एवं सब्जियां</u> : लगभग सारी फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां फलों का रस, पल्प, स्क्वैश, अचार, टमाटर सॉस/ प्यूरी/ पेस्ट, जैम/ जेली, फल आधारित पेय आदि के निर्माण में लगी हैं। संगठित क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र की इकाइयां भी कार्यरत हैं। पूर्वशीतन, शीतन, वर्गीकरण, छंटाई, पैकिंग घर आदि प्रसंस्करण-पूर्व की सुविधाएं राज्य में वस्तुतः अनुपस्थित हैं। सारे फल एवं सब्जी उत्पादन सीधा बाजार में ले लाए जाते हैं, प्रसंस्करण इकाइयों तक बहुत कम सामग्रियां भेजी जाती हैं। प्रसंस्करण और पैदावार पश्चात प्रबंधन के जरिए फलों-सब्जियों में होने वाले 33 प्रतिशत के वर्तमान नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में 2,000 करोड़ रु. जोड़े जा सकते हैं।

<u>फल</u> : बिहार में अनेक प्रकार के फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। यह देश में लीची का सबसे बड़ा, अन्नानास का तीसरा बड़ा और आम का चौथा बड़ा उत्पादक राज्य है। मोटे तौर पर राज्य में कुछ खास जिले कुछ खास फलों का उत्पादन करते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची और केला के उत्पादन में आगे हैं जबकि दरभंगा, वैशाली, पूर्व चंपारण तथा पश्चिम चंपारण आम के उत्पादन में। इसी प्रकार रोहतास और भोजपुर अमरुद के उत्पादन में आगे हैं। अच्छी मिट्‌टी और पानी की उपलब्धता के कारण राज्य में अनेक प्रकार के फल उपजाए जाते हैं, खास कर उत्तर बिहार में।

इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भंडारण क्षमता के अभाव में राज्य में केला के उत्पादन का लगभग 15 से 25 प्रतिशत तक भाग बर्बाद हो जाता है। पपीता के मामले में यह नुकसान 30 से 50 प्रतिशत, सब्जियों के मामले में 17 से 25 प्रतिशत तथा पत्तागोभी के मामले में 41 से 47 प्रतिशत है। फसल तुड़ाई और परिवहन की खराब विधियों के कारण भी भारी हानि होती है। राज्य के फल उत्पादकों को उनके उत्पाद की अनुपयुक्त कीमत मिलती है। आइएल एंड एफएस के सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में फलों की कीमत तो अन्य उत्पादक राज्यों के समकक्ष ही है लेकिन मुख्य थोक मंडियों के मुकाबले कम है। पर्याप्त ध्यान देने पर राज्य में उत्पादित फल कृषि आधारित उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल बन सकते हैं। तालिका 3.10 में 2007-08 और 2008-09 के दौरान फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के विवरण प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.10 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन हजार टन)

फल	2007-08		2008-09	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
आम	142.21	870.35	144.07	1329.80
अमरुद	28.67	255.72	29.09	229.19
लीची	29.84	223.23	30.47	216.92
नींबू	17.58	125.84	17.74	128.09
केला	30.46	1329.40	31.27	1373.55
अन्नानास	4.64	126.77	4.69	119.48
पपीता	1.27	30.36	1.43	33.61
आंवला	1.31	12.09	1.38	12.83
अन्य	30.26	278.66	30.56	279.34
योग	286.24	3252.38	290.71	3722.82

स्रोत : उद्यानिकी विभाग, बिहार सरकार

बिहार में लगभग 2 लाख टन लीची का उत्पादन होता है जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत है। ताजा के साथ-साथ प्रसंस्कृत लीची के मामले में भी मुजफ्फरपुर की लीची को विशेष सम्मान हासिल है। इसी प्रकार, लगभग 31 हजार हे. जमीन पर उत्पादित तकरीबन 14 लाख टन केला ताजा तथा प्रसंस्कृत खाद्य बाजार हेतु महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। प्रसंस्कृत केले का बाजार दक्षिण भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ रहा है और मध्य-पूर्व में नए बाजार उभर रहे हैं। विविध प्रकार के वस्त्र योग्य रेशों में केले के रेशे के लिए भी अच्छी गुंजाइश है। राज्य में रेशा निष्कर्षण एवं धागा निर्माण केंद्र की स्थापना हेतु यह अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराता है।

<u>सब्जियां</u> : पहले भी उल्लेख किया गया है कि बेहतर मिट्टी तथा जल संसाधनों की वजह से बिहार में अनेक प्रकार की सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। राज्य भिंडी का देश में सबसे बड़ा, पत्तागोभी का दूसरा बड़ा तथा आलू, बैगन, प्याज और फूलगोभी का तीसरा बड़ा उत्पादक है। इनके अलावा अन्य प्रकार की सब्जियों का भी उत्पादन होता है। हालांकि कुल उत्पादित सब्जियों में लगभग 33 प्रतिशत बर्बादी का आकलन किया गया है। उत्पादकों को कम कीमत मिलती है जबकि थोक और खुदरा बिक्रेता अच्छी कीमत पाते हैं।

तालिका 3.11 : सब्जियों का उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे./ उत्पादन हजार टन)

सब्जियां	2007-08		2008-09	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
आलू	315.50	6019.65	310.33	5033.58
प्याज	51.29	1019.61	51.61	946.60
टमाटर	46.32	921.87	46.39	1037.19
गोभी	60.66	1023.89	60.97	1043.84
पत्तागोभी	37.45	638.11	38.33	676.98
बैगन	54.55	1158.16	55.12	1186.12
पटल	34.34	467.68	36.07	497.10
मिर्च	38.96	439.42	39.42	450.61
अन्य	184.68	2379.35	188.63	2513.73
योग	823.75	14067.74	826.87	13385.75

स्रोत : उद्यानिकी विभाग, बिहार सरकार

खाद्य प्रसंस्करण

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। मुख्य फसलें अनाज, दलहन, तिलहन तथा नगद फसलें आलू, जूट, तंबाकू, ईख आदि हैं। तालिका 3.12 में 2008-09 के दौरान फसलवार क्षेत्रफल तथा उत्पादन का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.12 : विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता (2008-09)

वर्ष/ फसलें	2008-09		
	क्षेत्रफल (हजार हे.)	उत्पादन (हजार टन)	उत्पादकता (किग्रा/ हे.)
कुल अनाज	6333.74	11751.70	1855
चावल	3495.73	5590.35	1599
गेहूं	2158.33	4410.02	2043
मक्का	640.46	1714.00	2676
मोटे अनाज	39.23	37.33	952
कुल दलहन	584.37	468.44	802
कुल तिलहन	138.08	137.88	999
कुल रेशेदार फसलें	150.97	1220.12	8081
ईख	111.90	4959.92	44324

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

खाद्य प्रसंस्करण किसी कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाला मुख्य कारक होता है। हालांकि इसकी विशाल संभावना को देखते हुए बिहार में यह शैशवावस्था में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तेज गति देने के लिए बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति–2008 तैयार की है और राज्य में अलग से खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय की स्थापना की है। भारत दृष्टि अभिलेख–2015 में खाद्य प्रसंस्करण न होने के चलते लगभग 35 प्रतिशत नुकसान का अनुमान किया गया है। बिहार में तो यह और भी अधिक है। आइएल एंड एफएस की रिपोर्ट के अनुसार, अनाजों में 4,500 करोड़ रु. का नुकसान अनुमानित है। अधिक इकाइयों की स्थापना और विपणन चैनलों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं। अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित क्षेत्र में हैं और उनकी सफलता के बहुत कम दृष्टांत मौजूद हैं। बहरहाल राज्य में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन की मिलिंग तथा प्रसंस्करण की भारी संभावना है।

राज्य में चावल मिलों की स्थापित क्षमता मांग पूरी करने के लिहाज से अपर्याप्त है। इनके क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण की भी जरूरत है। राज्य में नए चावल मिल स्थापित करने की भारी संभावना है जिनके जरिए विविध प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। राज्य में धान की भूसी आधारित बिजली उत्पादन के अलावा स्टार्च, ब्रान आयल आदि उप–उत्पादों का निर्माण करने के भी प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं। मक्का की बात करें, तो रबी मक्का के मामले में बिहार की देश के बाजार में अनन्य स्थिति है। उत्तर भारत की अधिकांश मक्का प्रसंस्करण इकाइयां राज्य के मक्के पर बुरी तरह निर्भर हैं। राज्य में मक्का की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता के स्तर से अधिक है और इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है जिससे उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं। बहरहाल, राज्य में प्रसंस्करण की स्थिति नितांत महत्वहीन है। इस प्रकार मक्का प्रसंस्करण इकाइयों के लिए यहां प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं जिनकी स्थापना स्टार्च, कॉर्न आयल, कॉर्न फ्लेक, मुर्गी आहार आदि के निर्माण हेतु की जा सकती है।

मखाना

फलों और सब्जियों के अलावा राज्य में मखाना उद्योग के क्षेत्र में भी कुछ सकारात्मक रुझान दिखा है। बिहार व्यावसायिक स्तर पर मखाना उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बहुत पोषक होता है और जहां तक प्रोटीन का सवाल है, तो इसकी तुलना मांस–मछली के साथ की जाती है। इसमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। चीन में कच्चे मखाना का चूर्ण शिशु आहार का अनिवार्य तत्व होता है। इसे मेवा से बेहतर माना गया है। देश–विदेश में इसका काफी बड़ा बाजार है। बहरहाल, प्रसंस्करण तकनीक बहुत पुरानी और श्रमसाध्य है।

चाय

चाय एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जिसकी जड़ें बिहार में नब्बे के दशक में जमने लगीं। किशनगंज जिले में 25 हजार एकड़ से भी अधिक जमीन पर चाय के बागान हैं। जिले में दो प्रसंस्करण इकाइयां हैं जिनमें 2,300 टन चाय का उत्पादन होता है। राज्य में चाय उत्पादन की अच्छी संभावना है।

चीनी उद्योग

ईख बिहार की महत्वपूर्ण फसल रही है। वर्ष 2009-10 में 2.70 लाख हे. जमीन पर इसकी फसल हुई थी। क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के लिहाज से पूर्व और पश्चिम चंपारण जिले 2009-10 में शीर्ष पर थे (परिशिष्ट 3)। राज्य में ईख की खेती की भारी संभावना है। राज्य में चीनी और संबंधित उद्योगों में निवेश की भारी संभावना है, खास कर ईख से ईथेनॉल और बिजली के सह-उत्पादन की। अतएव राज्य सरकार ने ईख आधारित उद्योगों को राज्य में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। चीनी उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से राज्य सरकार ने जनवरी 2006 में एक योजना घोषित की है जिसे सितंबर 2006 में संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत अनेक छूटों और सब्सिडी के प्रावधान किए गए हैं।

चीनी उद्योग कभी बिहार में फलता-फूलता था। बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में राज्य में 33 चीनी मिल थे। अभी मात्र 28 मिल हैं जिनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और बंद हैं। निजी क्षेत्र के 10 मिलों में से बगहा और मोतिहारी के मिल लगभग बीमार और बंद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 18 बंद मिलों में से 15 बिहार राज्य चीनी निगम के हैं और 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के। बहरहाल, उनको पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार के प्रयास से बिहार राज्य चीनी निगम की लौरिया और सुगौली इकाइयों को एचपीसीएल को हस्तांतरित किया जा रहा है और पहली बोली की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एचपीसीएल दोनों स्थानों पर 3,500 टन की दैनिक क्षमता की चीनी इकाई के साथ-साथ 60 हजार ली. दैनिक क्षमता का आसवन संयंत्र और 20 मेगावाट की बिजली सह-उत्पादन इकाई स्थापित कर रहा है। इसमें कुल 615 करोड़ रु. का निवेश अनुमानित है। इसी प्रकार, तिरहुत इंडस्ट्रीज बिहार राज्य चीनी निगम की रैयाम और सकरी इकाइयों के हस्तांतरण हेतु बोली की प्रक्रिया में सफल रहा है। रैयाम इकाई की दीर्घावधि लीज का एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है और हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगति पर है। तिरहुत इंडस्ट्रीज द्वारा रैयाम में बिजली सह-उत्पादन के साथ चीनी इकाई तथा सकरी में खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। बिहार राज्य चीनी निगम के अन्य चीनी मिलों तथा एक आसवन संयंत्र - हथुआ (आसवन संयंत्र सहित), सीवान, न्यू सावन, समस्तीपुर, लोहट, बनमनखी, गरौल, गोरांट, मोतीपुर तथा वारिसअलीगंज - को पुनर्जीवित करने के लिए बोली आमंत्रित की गई है।

ईख उत्पादन का क्षेत्रफल लगभग 2.70 लाख हे. रहा है और उसका कुल उत्पादन 150 लाख टन। वर्ष 2006-07 में पेराई के लिए 52 लाख टन ईख उपलब्ध थी जो 2007-08 में गिरकर 36.39 लाख टन हो गई थी। मुख्यत: वर्षा की अनियमितता के कारण 2008-09 में इसमें और भी गिरावट आने की आशंका रही थी।

चीनी उत्पादन भी 2006-07 के 4.51 लाख टन से गिरकर 2007-08 में 3.90 लाख टन तथा 2008-09 में उससे भी गिरकर 2.20 लाख टन रह गया था। यह 2008-09 में राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप ही था जिसमें भारी गिरावट आई थी। वर्ष 2009-10 में भी लगभग 60 प्रतिशत गिरावट आई थी। बहरहाल चीनी प्राप्ति की दर 9 प्रतिशत के आसपास है। विवरण तालिका 3.13 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.13 : ईख/ चीनी के क्षेत्रफल और उत्पादन से संबंधित विवरण

इकाई	2006-07		2007-08		2008-09 (अनुमानित)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
ईख के तहत क्षेत्रफल (लाख हे.)	2.70	2.52	3.25	2.75	3.25	2.65
ईख का उत्पादन (लाख टन)	143.64	143.64	191.95	159.50	191.95	122.22
ईख की उत्पादकता (टन/ हे.)	53.20	57.00	59.00	58.00	59.00	46.00
पेराई हेतु ईख की उपलब्धता (लाख टन)	49.10	52.04	63.10	36.39	63.80	23.7
चीनी का उत्पादन (लाख टन)	4.55	4.51	5.47	3.90	5.40	2.20
चीनी की उपलब्धता का प्रतिशत	9.50	8.67	9.50	9.32	9.50	9.30

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

राज्य के सारे चालू चीनी मिल पुराने है। वे 1930 के दशक में स्थापित हुए हैं और अपनी क्षमता से बहुत नीचे काम कर रहे हैं जो तालिका 3.14 से स्पष्ट है।

तालिका 3.14 : चीनी मिलों के कामकाज की स्थिति (2008-09)

(आंकड़े लाख क्विंटल में)

चीनी मिल का नाम	स्थापना का वर्ष	दैनिक ईख पेराई क्षमता (टन)	पेरी गई ईख की मात्रा	उत्पादित चीनी	चीनी का प्रतिशत
बगहा	1936	2500	13.83	1.29	9.33
हरिनगर	1938	10000	63.01	5.95	9.44
नरकटियागंज	1932	7500	45.16	4.28	9.48
मझौलिया	1933	4300	29.37	2.72	9.26
सासामुआ	1932	3450	12.06	1.06	8.79
गोपालगंज	1931	5000	20.88	1.85	8.86
सिधवलिया	1931	5000	16.34	1.73	10.59
रीगा	1933	4500	25.58	2.28	8.91
हसनपुर	1934	3000	10.78	0.89	8.26
योग		45250	237.01	22.05	9.30

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

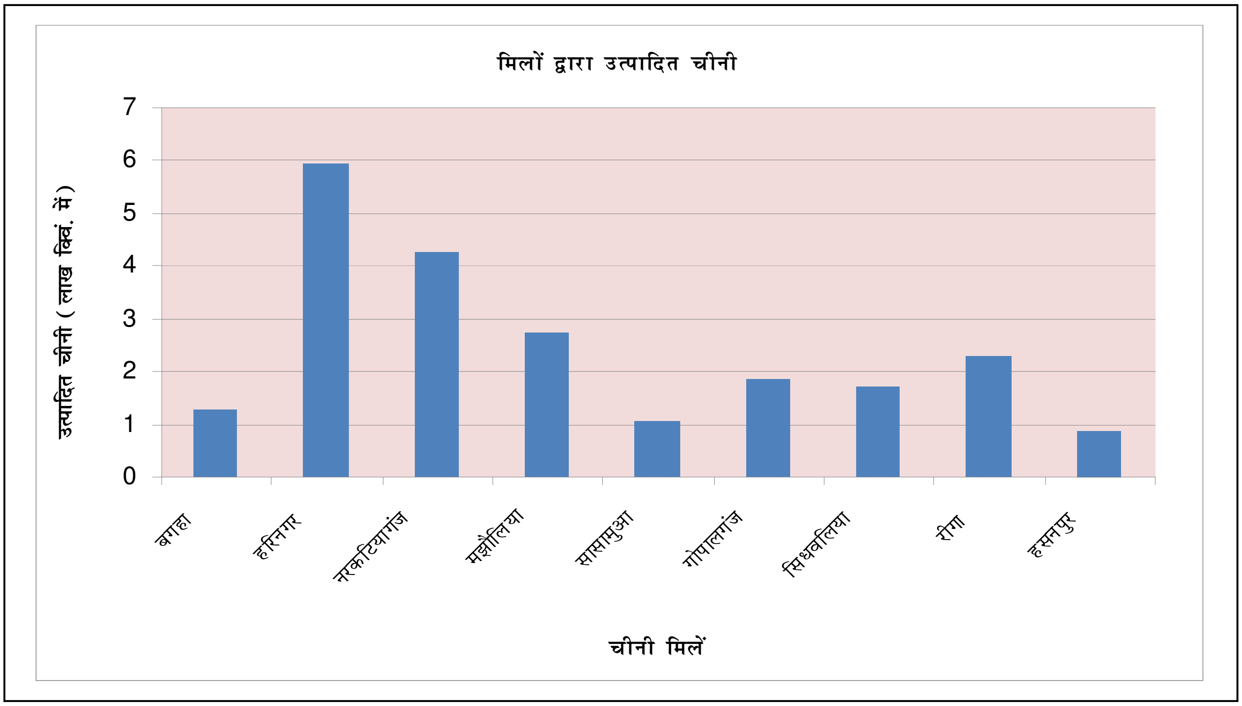

बिहार में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में राज्य सरकार ने निम्नलिखित पहलकदमियां ली हैं :

(i) वर्ष 2002 में बिहार राज्य चीनी निगम के परिसमापन के लिए पटना उच्च न्यायालय में पेश आवेदन को बिहार सरकार द्वारा 2007 में वापस ले लिया गया और उसके निजीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

(ii) बिहार राज्य चीनी निगम के बंद पड़े 15 चीनी मिलों और दो आसवन इकाइयों को निजी निवेशकों के निवेश से पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के साथ-साथ निदानमूलक अध्ययन और संभाव्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है। बंद इकाइयों को एचपीसीएल, रिलाएंस इंडस्ट्रीज लि. और झूलन बनस्पति जैसे निजी क्षेत्र के निवेशकों के साथ लीज समझौतों के जरिए पुनर्जीवित किया जा रहा है और उनके हस्तांतरण के लिए नीलामी की दो प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं।

(iii) निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई है और अक्तूबर 2010 तक चीनी मिल से संबंधित 37 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 27 प्रस्ताव नए चीनी मिलों के, 8 चालू मिलों के विस्तार के और 2 चालू चीनी मिलों के लिए नए ईथेनॉल संयंत्रों के हैं।

कॉम्पफेड

बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (कॉम्पफेड) गुजरात के आनंद की तर्ज पर दुग्ध विकास के ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयनकारी अभिकरण है। जिला स्तर के छः दुग्ध उत्पादक सहकारी यूनियन कॉम्पफेड से जुड़े हैं जिनके कामकाज राज्य के 26 जिलों में हैं। दूध की अधिप्राप्ति के मामले में बिहार का शुमार देश 10 शीर्ष

राज्यों में होता है। सितंबर 2010 तक राज्य में 9,130 संगठित दुग्ध सहकारी समितियां थीं जिनमें से 6,451 कार्यशील थीं और 3,569 निबंधित। 4.89 लाख परिवार इन सहकारी समितियों के सदस्य हैं। दुग्ध सहकारी समितियों की वर्षवार प्रगति तालिका 3.15 क में दर्शाई गई है।

तालिका 3.15 क : दुग्ध सहकारी समितियों की वर्षवार प्रगति

विवरण	99-00	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11*
संगठित समितियां	3371	4737	5103	5243	5819	6585	7369	8561	9130
कार्यशील समितियां	2868	3950	4073	4179	4540	4735	4817	6068	6451
निबंधित समितियां	1605	1678	1664	1731	2051	2671	2929	3237	3569
सदस्यता (हजार)	172.94	241.37	255.71	267.18	284.42	323.46	373.71	463.16	489.60

* सितंबर 2010 तक

स्रोत : कॉम्पफेड, बिहार सरकार

औसत दैनिक दुग्ध अधिप्राप्ति 1999-2000 में 281.08 हजार किग्रा थी जो दूने से भी अधिक होकर 2006-07 में 608.38 हजार किग्रा हो गई। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बाढ़ के कारण 2007-08 में दैनिक अधिप्राप्ति में काफी गिरावट आई लेकिन 2009-10 में खरीद फिर से बढ़ी और 739 हजार किग्रा प्रतिदिन पहुंच गई। ब्योरा तालिका 3.15 ख में प्रस्तुत है।

तालिका 3.15 ख : दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दूध की अधिप्राप्ति

(हजार किग्रा प्रतिदिन)

दुग्ध संघ	99-00	03-04	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11*
पटना	82.33	102.66	147.39	157.33	127.81	92.13	151.31	207.48
बरौनी	71.37	135.00	162.84	173.69	136.99	119.91	222.85	316.45
मुजफ्फरपुर	40.46	52.84	77.77	87.13	53.66	45.97	80.71	109.82
समस्तीपुर	42.56	69.86	106.21	129.85	106.04	104.21	175.79	232.42
शाहाबाद	35.38	29.99	47.06	45.41	38.23	28.54	66.28	98.35
गया	0.24	3.55	5.49	2.42	2.56	2.21	4.88	8.63
रांची	6.99	6.06	5.52	4.78	3.64	2.94	4.61	4.42
भागलपुर	1.76	3.27	5.64	7.78	10.52	19.54	29.82	32.04
कोशी	-	-	-	-	-	-	2.52	4.87
योग	281.08	403.00	557.90	608.38	480.39	415.36	738.77	1014.47

* सितंबर 2010 तक

स्रोत : कॉम्पफेड, बिहार सरकार

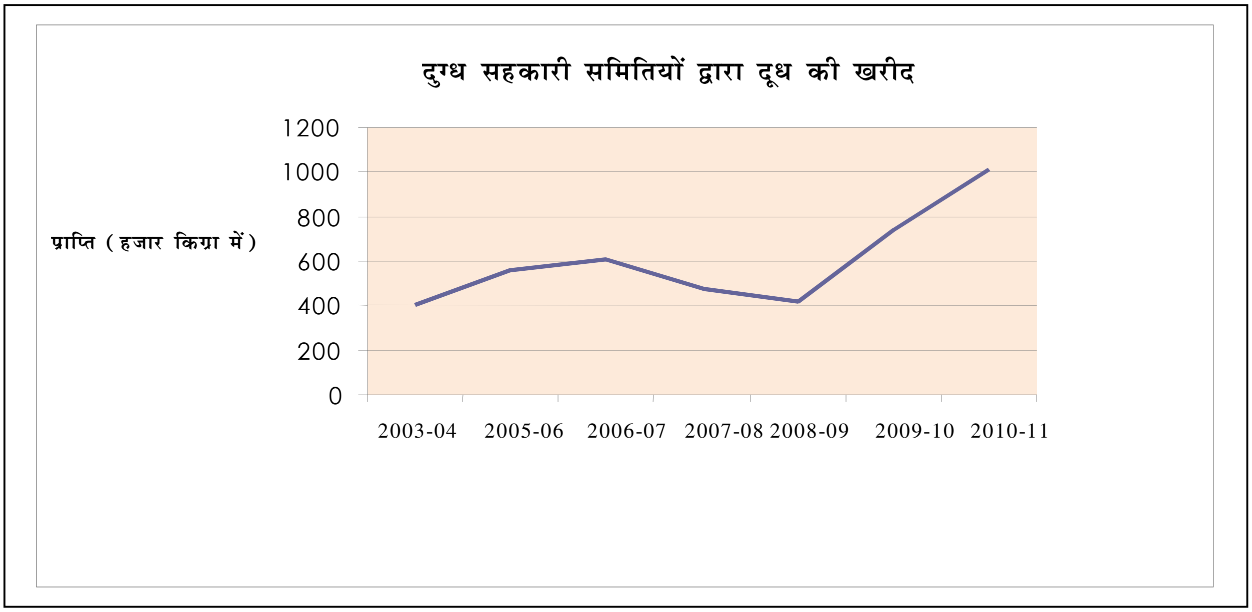

* 2010-11 के आंकड़े सितंबर 2010 तक

दुग्ध अधिप्राप्ति वृद्धि कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को दिए जाने वाले तकनीकी इनपुट में प्रजनन सुविधा, पशु स्वास्थ्य आच्छादन, खाद्य एवं चारा तथा प्रसार/ प्रशिक्षण सेवाएं शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि दुग्ध उत्पादकों को कोई भी इनपुट मुफ्त नहीं उपलब्ध होता है।

वर्ष 2006-07 में तरल दूध का औसत दैनिक विपणन 532 हजार ली. था जो 2010-11 में (सितंबर 2010 तक) बढ़कर 720 हजार ली. हो गया। दूध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन 6,690 बिक्री केंद्रों के जरिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग 105 शहरों में किया जाता है। शहरों की सूची में इलाहाबाद हाल ही में जुड़ा है। दुग्धशालाएं विभिन्न प्रकार की टिकाऊ क्षमता, मूल्यवर्धित तथा ताजा उत्पादों का उत्पादन करती हैं। सभी उत्पाद 'सुधा' ब्रांड नाम से बेचे जाते हैं।

तालिका 3.15 ग : विभिन्न दुग्ध उत्पादों का विपणन

दुग्ध उत्पाद	इकाई	99-00	01-02	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
घी	मै. टन	642.9	998.0	991. 18	942.2	1870.3	1214.3	1025.93	679.92	981.79
मक्खन	मै. टन	82.3	67.3	44.79	91.9	106.4	138.59	61.69	61.67	74.45
आइसक्रीम	मै. टन	468.7	182.1	257.53	229.1	263.5	290.63	321.83	332.47	472.32
लस्सी	मै. टन	2223.6	1271.1	1615. 13	1703.0	2519.0	2287.0	2180.88	2627.04	3216.88
मिस्टी दही	मै. टन	401.7	387.2	538. 59	534.0	563.5	549.21	630.20	707.09	820.21
पेड़ा	मै. टन	333.7	350.5	413.12	536.1	614.2	736.11	595.33	568.19	735.73
पनीर	मै. टन	272.9	454.6	679. 79	796.5	970.3	1242.34	1114.48	1053.84	1701.48
सुधा स्पेशल	मै. टन	180.6	203.6	224.19	259.2	278.5	358.73	417.34	533.10	870.39
सादा दही	मै. टन	160.7	226.0	790.61	814.4	1285.1	1508.39	1465.92	1683.97	2723.03
कलाकंद	मै. टन	95.8	90.5	66.99	115.5	161.7	154.75	135.68	127.27	152.76
रसगुल्ला	मै. टन	44.7	47.8	95.23	105.6	186.0	292.62	388.34	354.28	497.06
गुलाबजामुन	मै. टन	45.7	60.4	98.51	107.7	164.8	241.06	319.43	268.34	335.75

स्रोत : कॉम्पफेड, बिहार सरकार

3.6 गैर-कृषि आधारित उद्योग

चर्म एवं संबंधित उद्योग

चर्म एवं संबंधित उद्योग देश में शिल्पकारों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चर्म उद्योग के विकास के मुख्य कारक कच्चे मालों (खाल-चमड़े) की उपलब्धता, सस्ता श्रम, प्रौद्योगिकी तथा सरकारी सहायता हैं। बिहार में गाय-भैंसें बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिनका देश की कुल गाय-भैंस आबादी में 8 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा देश की बकरियों की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 12 प्रतिशत है। बकरियों की आबादी के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है – पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद।

तालिका 3.16 : पशुधन

(लाख में)

प्रकार	बिहार	भारत	संपूर्ण भारत में बिहार का % हिस्सा
गाय	147.4	1892.2	7.79
भैंस	40.4	954.8	4.23
बकरी	153.9	1270.7	12.11
भेड़	9.8	517.3	1.89

स्रोत : अखिल भारतीय खाल एवं चर्म बाजार सर्वेक्षण, 2005 की रिपोर्ट

केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा संपन्न हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गाय-भैंस की 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। बिहार बकरे-बकरियों और गाय-भैंस के चमड़ों की उच्च गुणवत्ता के लिए मशहूर है। बकरियों के चमड़े छोटे तथा ग्लेज्ड किड लेदर के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं जिसका अधिकांश हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है।

तालिका 3.17 : खालों और चमड़ों का बाजारवार ब्योरा (2003)

(आंकड़े लाख में)

बाजार	मवेशियों की खालें	बछड़े-बछडियों के चमड़े	भैंसों की खालें	पाड़ों-पाड़ियों के चमड़े	बकरे-बकरियों के चमड़े	भेड़ों के चमड़े
पटना	0.54	0.15	0.41	0.44	4.50	0.51
आरा	0.72	-	1.08	-	1.22	-
औरंगाबाद	0.72	0.02	0.48	0.02	1.82	-
मुंगेर	0.35	-	0.86	-	1.46	-
मुजफ्फरपुर	0.14	0.36	0.04	12.00	1.44	0.06
पबई	0.42	0.18	0.30	0.10	1.30	-
पूर्णिया	0.32	0.06	0.55	0.10	2.55	-

स्रोत : अखिल भारतीय खाल एवं चर्म बाजार सर्वेक्षण, 2005 की रिपोर्ट

आरा भैंसों की खालों का बड़ा बाजार है जबकि मुजफ्फरपुर पाड़ों-पाड़ियों के चमड़ों का। बकरियों के चमड़ों के मामले में पटना प्रमुख बाजार है। मोटे अनुमान के मुताबिक बकरियों के 7-8 हजार चमड़ों और गायों की 2-3 हजार खालों से भरा तीन ट्रक कच्चा माल रोज मुजफ्फरपुर से विभिन्न स्थानों की ओर जाता है। बिहार के प्रमुख बाजारों में खालों-चमड़ों के संग्रहण के लिए तमिलनाडु की कुछ चर्मशोधन इकाइयों के एजेंट नियुक्त हैं। स्थानीय चर्मशोधन उद्योग मुजफ्फरपुर की कुछ चालू इकाइयों तथा मोकामाघाट स्थित बाटा की चर्मशोधन इकाई तक सीमित है। फलतः अधिकांश कच्चा माल कोलकाता, कानपुर, चेन्नई और अन्य स्थानों पर चला जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में अच्छी गुणवत्ता वाली गाय-भैंस की खालें तथा बकरियों के चमड़े और पर्याप्त श्रमशक्ति मौजूद है। राज्य में पर्याप्त अवसर के अभाव में कच्चा माल और श्रमशक्ति, दोनों दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। राज्य के अंदर चर्म आधारित उद्योग स्थापना की काफी गुंजाइश है। इस संबंध में दृष्टिकोण के दो घटक होने चाहिए - पहला, मुजफ्फरपुर स्थित चर्मशोधन इकाइयों का सुदृढ़ीकरण और उसके बाद स्थानीय जूता-चप्पल निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन। साथ ही, जूता-चप्पल और चमड़े के सामानों के लिए पटना के समीप अलग औद्योगिक पार्क स्थापित करना भी संभव हो सकता है। मध्यम और बड़ी चर्मशोधन इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आमंत्रित करके कालक्रम में मुजफ्फरपुर को प्रमुख चर्मशोधन संकुल के बतौर भी विकसित किया जा सकता है।

हथकरघा क्षेत्र

राज्य में हथकरघा क्षेत्र में समय के साथ लगातार गिरावट देखी गई है और आज यह क्षेत्र मोटे तौर पर वैकल्पिक जीविका की तलाश में बड़े शहरों की ओर कूच करते विपन्न बुनकरों की गाथा बनकर रह गया है। राज्य सरकार और गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के बावजूद हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन गिर ही रहा है। वर्ष 2009-10 में भी हथकरघा क्षेत्र गत वर्ष की गिरावट से नहीं उबर सका जब 3.1 प्रतिशत का नकारात्मक विकास दर्ज किया गया था। हालांकि तथ्य यह है कि 1.4 लाख से भी अधिक बुनकर और उनके परिवार के सदस्य पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं। इन बुनकरों का बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों से बाहर था। 1,090 बुनकर सहकारी समितियों के तहत मात्र 10,850 के करीब हथकरघे ही चालू हैं। हथकरघा इकाइयां राज्य के 38 में से 14 जिलों में संकेंद्रित हैं जिनमें पटना, गया, मधुबनी, सीवान, भागलपुर और नालंदा प्रमुख हैं।

बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आइएल एंड एफएस को बिहार के सात हथकरघा संकुलों/ जिलों - गया, पटना, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, सीवान और बिहारशरीफ में निदान सर्वेक्षण हेतु अधिदेशित किया गया था। अध्ययन इस बात को दुहराता है कि अधिकांश बुनकर आज भी अत्यंत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं और उनके पास व्यावसायिक लिहाज से टिकाऊ काम नहीं है। बुनकरों का संघ बनाना और उनके काम को सक्षम स्तर पर लाना जरूरी है। तथ्य यह है कि बुनकर सहकारी समितियां मोटे तौर पर सेवा प्रदान में असफल रहीं हैं।

अध्ययन इस तथ्य को भी सामने लाता है कि 54 प्रतिशत बुनकरों के पास ही अपने हथकरघे थे; शेष 46 प्रतिशत को व्यापारियों ने हथकरघे दे रखे थे। जिलों के बीच मधुबनी में अपने हथकरघे वाले बुनकरों का सर्वाधिक संकेंद्रण था और उसके बाद सीवान में। यह भी पता चला कि बुनाई पुरुष-प्रधान पेशा है। हालांकि परिवार की महिलाएं भी बुनाई के पहले के काम में हाथ बंटाती हैं। यह भी पाया गया कि कुल मिलाकर 62 प्रतिशत बुनकरों के लिए बुनाई आय का मुख्य साधन थी। 50 प्रतिशत से अधिक बुनकर 2,000 रु. मासिक से भी कम उपार्जन कर पाते थे क्योंकि उन्हें पूरा काम नहीं मिलता था। अधिकांश बुनकरों ने महीने में 10-12 दिन काम न मिलने की खबर दी। बरसात और बाढ़ के दौरान उनका काम 45 से 60 दिनों के लिए लगभग बंद हो जाता है। इतने कम उपार्जन के कारण बुनकर गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और उनके पास आधुनिक हथकरघा के सामान या बेहतर गुणवत्ता का कच्चा माल खरीदने के लिए संसाधन नहीं बचता है। यह कौशल उन्नयन और नए डिजाइन अपनाने के मामले में भी अवरोधक बनता है। इन कठिन समस्याओं के कारण नई पीढ़ी हथकरघा को कैरियर के रूप में नहीं देखती है।

हथकरघा क्षेत्र कोई पूंजीप्रधान काम नहीं है। मूल हथकरघा लगभग 5 हजार रु. में आ जाता है। डॉबी और जैकार्ड जैसे अतिरिक्त सामानों की कीमत भी 3-4 हजार रु. होती है। अधिकांश (70 प्रतिशत) बुनकर स्थायी व्यापारियों से कच्चा माल खरीदते हैं। अधिकांश मामलों में बुनकर व्यापारियों के लिए ठेके पर काम करते हैं जिसमें कच्चा माल व्यापारियों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। 80 प्रतिशत से भी अधिक बुनकरों ने कच्चे माल की गुणवत्ता को औसत से लेकर खराब तक बताया।

राज्य में हथकरघा बुनकरों के प्रशिक्षण तथा क्षमतावृद्धि के लिए राज्य सरकार के 8 संस्थान हैं : (1) बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, चाकंद, गया, (2) बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, अमरपुर, बांका, (3) बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, ओबरा, औरंगाबाद, (4) केंद्रीय रूपांकन केंद्र, राजेंद्रनगर, पटना, (5) पॉलिएस्टर तथा रेशमी वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, बरारी, भागलपुर, (6) बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, काको, जहानाबाद, (7) बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, पूर्णिया तथा (8) बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, झींगानगर, नालंदा। लेकिन इनमें से अधिकांश केंद्रों के पास पर्याप्त अधिसंरचना नहीं है। उन्हें बिजली और जलापूर्ति की व्यवस्था से रहित जीर्णशीर्ण भवनों में चलाया जाता है। अधिकांश मामलों में करघे अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं। पाठ्यक्रम कालातीत होता है और प्रशिक्षणकर्मी आधुनिक उन्मुखीकरण से रहित बुजुर्ग। प्रशिक्षण संस्थान बाजार से भी नहीं जुड़े हैं।

बिहार का हथकरघा क्षेत्र मुख्यतः इन समस्याओं का सामना कर रहा है : (1) कच्चे माल की कमी, (2) नए उत्पाद/ डिजाइन संबंधी प्रशिक्षण का अभाव, (3) गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की समय से आपूर्ति हेतु अपर्याप्त उत्पादन आधार, (4) बेमोल की प्रौद्योगिकी, (5) ऋण सुविधाओं का अभाव तथा (6) बाजार के साथ अपर्याप्त संपर्क।

भागलपुर में हथकरघा संकुल के अंतर्गत सामान्य उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए 'भागलपुर हैंडलूम इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट' के द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पास एक परियोजना पेश की गई है जिसका परिव्यय 23.93 करोड़ रु. है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए मात्र 20.82 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं। शेष भाग राज्य सरकार द्वारा जमीन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना को सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है और उसके लिए कहलगांव में जमीन निर्धारित की है। हथकरघा संकुल विकास योजना के तहत संकुल विकास कार्यक्रम हेतु परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इस मकसद से पहले चरण में 14 हथकरघा संकुलों और 6 समूहगत दृष्टिकोण वाली परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 152.51 लाख रु. और राज्य सरकार से 27.11 लाख रु. विमुक्त किए गए हैं। वर्ष 2008-09 और 2009-10 की मुख्य परियोजनाओं के विवरण परिशिष्ट 5 में प्रस्तुत हैं।

विद्युतचालित करघा क्षेत्र के बुनकरों के लिए भागलपुर में एक पावरलूम सेवा केंद्र मौजूद है जहां दो महीने की अवधि के छः प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 20 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और हर प्रशिक्षु को 300 रु. की मासिक दर से वजीफा दिया जाता है। वर्ष 2009-10 में 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया था। हालांकि प्रशिक्षण पाने वाले बुनकरों के लिए कोई फॉलो अप नहीं हुआ।

रेशम उत्पादन

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पूर्णिया में मलबरी विकास परियोजना, नवादा और बांका में तसर विकास परियोजना तथा बेगूसराय में अंडी विकास परियोजना के लिए 2009-10 में केंद्रीय अंशदान के बतौर राज्य को 167.12 लाख रु. आबंटित किए गए थे। तदनुरूप राज्य के हिस्से के बतौर 58.21 लाख रु. विमुक्त किए गए हैं और 34.54 लाख रु. का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2009-10 में 151.36 एकड़ जमीन पर शहतूत (मलबरी) और 62 एकड़ जमीन पर तसर हेतु पौधे लगाए गए हैं।

रेशम उद्योग के विकास के लिए 11 मलबरी, 6 तसर और एक अंडी केंद्र के साथ-साथ राज्य में 4 आंचलिक कार्यालय मौजूद हैं। प्रत्येक मलबरी केंद्र के साथ एक पक्के घेरे वाला फार्म, कार्यालय भवन, कोयों (कॉकून) के लिए घर आदि भी जुड़े होते हैं जिनके पुनरुद्धार की जरूरत है। तसर केंद्रों के लिए भी कार्यालय भवन, कोया घर, घेराबंदी आदि की जरूरत है। चारो आंचलिक कार्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

कोया तथा धागा उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिए एक पुरस्कार व्यवस्था 2004-05 से शुरू है। धागा तैयार करने वालों के लिए कोयों और धागों के विपणन हेतु 2008-09 में साइकल आपूर्ति योजना शुरू की गई थी। इसका किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके तहत 125 किसानों को 2,000 रु. की उपदानित दर पर साइकल आपूर्ति का प्रावधान है। भागलपुर में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान हेतु भवन निर्माण का भी प्रस्ताव है।

जूट

आइएल एंड एफएस ने एक निदान सर्वेक्षण किया है और जूट क्षेत्र के लिए अवरोधों की पहचान करके उनके लिए कार्ययोजना की अनुशंसा की है। अनुशंसित वांछित हस्तक्षेपों में शामिल हैं : जूट पार्क की स्थापना, करघों का आधुनिकीकरण, प्रसंस्करण एवं डिजाइन केंद्र की स्थापना, डिजाइन तथा उत्पाद विकास हेतु नोडल केंद्र की स्थापना, जूट के लिए कच्चा माल बैंक की स्थापना आदि। सुझाव दिया गया है कि इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन पेशेवर अभिकरणों को सौंपा जा सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत 59.00 करोड़ रु. है जिसमें से 16.10 करोड़ रु. का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

पूर्णिया जिले के मरांगा में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत 42.36 करोड़ रु. की लागत से एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क के लिए केंद्र सरकार 7.5 करोड़ रु. और राज्य सरकार 2.00 करोड़ रु. उपदान देने के लिए सहमत हो गई है। इसकी इक्विटी के बतौर राज्य सरकार 1.67 करोड़ रु. कीमत की 44.20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। पार्क बुनियादी अधिसंरचना से युक्त होगा और 4,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 9,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। यह पार्क जूट के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में भी मददगार होगा।

खान तथा खनिज

अविभाजित बिहार खनिजों और खनिज उत्पादों के मामले में अत्यंत समृद्ध था लेकिन विभाजित बिहार के पास केवल मिट्टी और बालू बचा है। तथापि पायराइट, चूना पत्थर और अभ्रक वर्तमान बिहार में अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन इनका खनन हमेशा संभव नहीं होता क्योंकि इनमें से ज्यादातर की उपस्थिति वनभूमि के अंदर है। लौह खनिज और सीलिका सैंड सीमित मात्रा में मौजूद हैं और उनकी गुणवत्ता भी निम्न है। खनिजों की जिलावार उपस्थिति परिशिष्ट 6 में दर्शाई गई है जिससे स्पष्ट है कि कुछ जिलों को छोड़कर शेष में कोई खनिज संसाधन नहीं हैं। वर्ष 2005-06 में इन खनिजों से होने वाली राजस्व प्राप्ति मात्र 97 करोड़ रु. थी जो 4 वर्ष की अवधि में दूनी से भी अधिक वृद्धि दर्शाते हुए 2009-10 में (फरवरी 2010 तक) बढ़कर 212 करोड़ रु. हो गई। यह भी गौर करने की बात है कि 2005-06 से 2009-10 तक की पूरी अवधि में राजस्व लक्ष्य से अधिक रहा। इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि ईंट, बालू आदि गौण खनिजों से प्राप्त होने वाला राजस्व चूना पत्थर, अभ्रक, सिलिका सैंड आदि प्रमुख खनिजों से होने वाली आय से कईगुनी अधिक है।

तालिका 3.18 : खनन से राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)

वर्ष	लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति
2005-06	89.00	97.01
2006-07	105.00	117.42
2007-08	125.00	146.34
2008-09	160.00	182.22
2009-10 (फरवरी 2010 तक)	200.00	212.00

स्रोत : खान एवं खनिज विभाग, बिहार सरकार

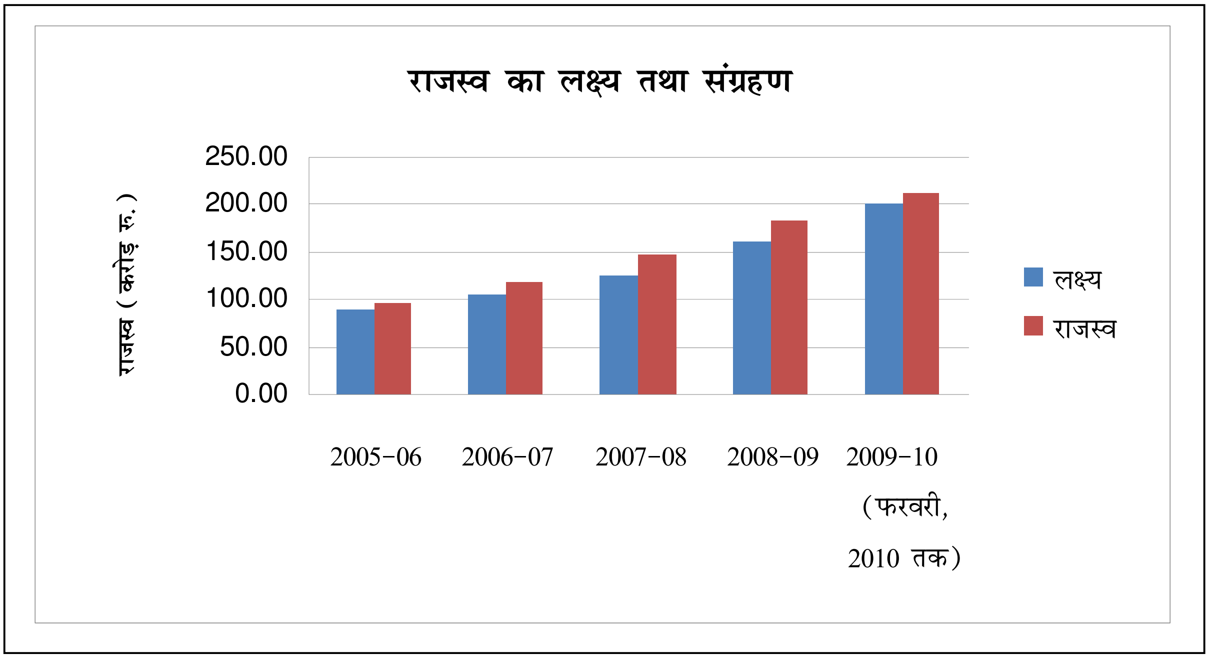

तालिका 3.19 : विभिन्न खनिजों से राजस्व प्राप्ति (2008-09)

खनिजों के प्रकार	प्राप्त रकम (लाख रु. में)
प्रमुख खनिज	
चूना पत्थर	260.66
अभ्रक	1.40
सिलिका सैंड	7.50
सोप स्टोन	0.43
योग	269.99
गौण खनिज	
ईंट	1483.87
बालू	5687.99
पत्थर	4083.58
मोरम	75.37
मिट्टी	405.42
अन्य	
कार्यशील विभाग	5559.74
ट्रांजिट पास/ अन्य	240.51
योग	17536.48
अतिदेय (ओवर ड्यूज)	415.66
खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व	18222.13

स्रोत : खान एवं खनिज विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं जो प्रभावी भी साबित हुए हैं :

- होलोग्राम युक्त परिवहन चालान की प्रणाली शुरू की गई है।
- बिहार राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम परिषद का पुनर्गठन किया गया है।
- बालू के खनन के लिए पहले के एक साल की जगह बालू घाटों की तीन वर्षों के लिए बंदोबस्ती की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा सरैया उरमा पहाड़ी कोयला ब्लॉक के विकास के लिए कोयाटांड़ कोयला ब्लॉक का आबंटन झारखंड विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से गठित 'झार बिहार कोलियरी लि.' को किया गया है।
- पहाड़ियों, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की रक्षा के लिहाज से प्रस्तर क्षेत्र की नई बंदोबस्ती और मौजूद पट्टों का नवीकरण रोक दिया गया है।
- 19,412 वर्ग किमी जमीन पर तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को संभावना अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
- गौण खनिज मोरम की बंदोबस्ती सार्वजनिक नीलामी द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

3.7 अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र में रुग्णता

अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र में रुग्णता चिंता का विषय है। अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र की रुग्णता की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। इस मुद्दे पर देखरेख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर समितियों की नियुक्ति की है। अब किसी लघु उद्योग इकाई को तभी रुग्ण माना जाता है जब :

(i) संचित हानि के कारण निवल मूल्य में होने वाला क्षरण विगत लेखा वर्ष में उसके निवल मूल्य के 50 प्रतिशत तक हो, तथा

(ii) इकाई न्यूनतम दो वर्षों तक व्यावसायिक उत्पादन करती रही हो।

रुग्णता को मापने के लिए तीन मापदंडों का उपयोग होता है - (क) एक वर्ष तक ऋण अदायगी में विलंब, (ख) निवल मूल्य में 50 प्रतिशत की कमी तथा (ग) गत तीन वर्षों में उत्पादन में गिरावट। आरंभिक रुग्णता को मापने के लिए लगातार 3 वर्षों तक सकल उत्पादन में गिरावट की पहचान उपयुक्त सूचक के बतौर की गई थी। अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र की लगभग 14.47 प्रतिशत निबंधित इकाइयों की पहचान रुग्ण अथवा आरंभिक रुग्ण के बतौर की गई थी। रुग्णता और आरंभिक रुग्णता पर चतुर्थ अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र गणना के दौरान सूचना संग्रहित की गई थी। मांग की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी और विपणन संबंधी समस्याएं अतिलघु, लघु तथा मध्यम क्षेत्र में रुग्णता/ आरंभिक रुग्णता के मुख्य कारण थे।

तालिका 3.20 : रुग्णता/ आरंभिक रुग्णता के कारण

रुग्णता/ आरंभिक रुग्णता के कारण	*रुग्ण/ आरंभिक रुग्ण इकाइयों का अनुपात (%)
मांग की कमी	71.60
कार्यशील पूंजी की कमी	48.00
कच्चे माल की अनुपलब्धता	15.10
बिजली की कमी	21.40
श्रमिक समस्या	7.40
विपणन समस्या	44.50
उपकरण संबंधी समस्याएं	10.60
प्रबंधन संबंधी समस्याएं	5.50

* कॉलम का योग 100 से अधिक है क्योंकि अनेक इकाइयों ने एकाधिक कारण बताए हैं।
स्रोत : चतुर्थ अखिल भारतीय अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम गणना की रिपोर्ट, 2006-07

अनेक अधिसंरचनात्मक तथा अन्य सीमाओं के कारण बिहार में बड़ी संख्या में इकाइयां रुग्ण हैं। केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में 2006-07 में 259 बड़ी तथा मंझोली इकाइयां थीं जिनमें से 18 को बीआइएफआर ने रुग्ण घोषित किया था और 17 को बंद करने का निर्णय किया था। चतुर्थ अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना (2001-02) के अनुसार, 72,632 निबंधित इकाइयों में से मात्र 52,107 चालू थीं और शेष 20,525 (28.3 प्रतिशत) इकाइयां बंद। वर्ष 2006-07 में संपन्न चतुर्थ अखिल भारतीय अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम गणना के अनुसार 21 प्रतिशत से कुछ अधिक इकाइयां बंद थीं और लगभग 6 प्रतिशत का पता नहीं चला। श्रम और कच्चे मालों की सहज उपलब्धता के बावजूद अधिकांश इकाइयां बहुत कम मुनाफे पर चल रही थीं। इसका कारण बाजार संबंधी अवसरों की कमी या इन सामग्रियों को सही बाजार में ले जाने के लिए अधिसंरचनात्मक सहायता की अनुपस्थिति भी हो सकता है। अनियमित बिजली आपूर्ति तथा बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अनियोजित उत्पादन शिड्यूल के कारण आने वाली अधिक लागत के कारण भी ऐसा हो सकता है।

बंद इकाइयों में से 40.6 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में थीं और 59.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। पटना, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बेगूसराय और जहानाबाद जिलों में बंद इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। औद्योगिक रुग्णता का ऐसा प्रभाव रहा है कि इन इकाइयों को दिए गए ऋण की अत्यंत निम्न वापसी के कारण बिहार राज्य वित्त निगम और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम खुद भी रुग्ण हो गए। इस धक्के के लिए अपर्याप्त अधिसंरचात्मक सुविधाओं को जवाबदेह पाया गया है। बड़ी संख्या में इकाइयों की रुग्णता के लिए जवाबदेह मुख्य मुद्दों की पहचान इस प्रकार की गई है : (1) कार्यशील पूंजी की कमी, (2) कच्चे मालों की अनुपलब्धता, (3) बुरी सड़कें, (4) अपर्याप्त संचार सुविधा तथा (5) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की स्वीकृति में विलंब। औद्योगिक रुग्णता बेरोजगारी, पूंजी ठप्प पड़ जाने, राज्य के राजस्व के नुकसान और

परिसंपत्तियों का उपयोग न होने का कारण बनती है। अतएव रुग्ण इकाइयों की रुग्णता दूर करने के लिए समुचित कदम उठाने की जरूरत है।

3.8 सहयोगदाता संस्थाएं

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बल देने के लिए राज्य सरकार ने अनेक सहयोगदाता संस्थाएं स्थापित की थीं। लेकिन कालक्रम में परिसंपत्ति होने के बजाय ये सहयोगदाता संस्थाएं खुद ही बोझ साबित हो रही हैं। उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम (बिसिको) मुख्यत: अत्यंत कम ऋण वापसी के कारण खुद ही रुग्ण हैं और पुनर्जीवन की प्रतीक्षा में हैं।

बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी)

अभी बिहार राज्य वित्त निगम की मुख्य गतिविधि ऋणों की वसूली है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऋण वसूली की स्थिति तालिका 3.21 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.21 : बिहार राज्य वित्त निगम की ऋण वसूली की स्थिति (2008-09, 2009-10 तथा 2010-11)

वर्ष	ऋण वसूली (लाख रु.)
2008-09	736.68
2009-10	1451.96
2010-11 (अक्तू. 10 तक)	4165.89

स्रोत : बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार सरकार

वर्ष 2009-10 और 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक) के दौरान बिहार राज्य वित्त निगम की निम्नलिखित गतिविधियां रही हैं :

(क) निगम ने औद्योगिक तथा अन्य इकाइयों को ऋण प्रदान करने की नीति सूत्रबद्ध की है। निगम ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत सिडबी और निगम द्वारा 90 : 10 के अनुपात में संयुक्त वित्तपोषण किया जाएगा। इस योजना के तहत एक इकाई को न्यूनतम 100 लाख रु. का ऋण दिया जा सकता है।

(ख) सिडबी द्वारा गैर-सरकारी संगठनों तथा सूक्ष्मवित्त संस्थानों को ऋण देने का प्रावधान किया गया है। सिडबी से निगम को भी ऋण देने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि यह स्वयं सहायता समूहों के जरिए गरीब तबकों को सूक्ष्मवित्त उपलब्ध करा सके।

(ग) वर्ष 2008-09 में बिआडा ने निगम द्वारा वित्तपोषित इकाइयों के जमीन के पट्टे रद्द करना और इकाइयों को अधिगृहित करना शुरू किया जिसकी परिणति माननीय उच्च न्यायालय में अनेक मुकदमे दर्ज होने में

हुई। इसके बाद बिआडा और बिहार राज्य वित्त निगम ने एक समझौता किया जिसके तहत निगम के ऋणों का 110 प्रतिशत भुगतान करने वाली इकाइयों को ऋणमुक्त कर दिया गया। इस योजना के तहत 329 इकाइयों के ऋण माफ कर दिए गए और निगम को 24.29 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

(घ) वर्ष 2010-11 में अन्य उद्यमियों के साथ भी ऐसा ही समझौता किया गया है। इस योजना के तहत कुल 567 आवेदन प्राप्त हुए हैं और माफ की गई राशि 40.58 करोड़ रु. होगी।

इकाइयों की स्थापना और वित्तीय सहायता पाने के बाद लघु उद्यमी उनको चलाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और उपयुक्त प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन के अभाव में अनेक उद्यमी अपने प्रयास में असफल हो जाते हैं। अतएव बिहार राज्य वित्त निगम चार स्थानों - गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बेगूसराय में पांच प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र आरंभ करने का प्रस्ताव कर रहा है। औद्योगिक वित्त उद्यम विकास निगम का परियोजना सेवा प्रभाग इन केंद्रों का संचालन करेगा और उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रभाग ने 2008-09 और 2009-10 में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद ने कृषि तथा अन्य स्नातकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रभाग को अधिकृत किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रभाग को अधिकृत किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता (डिलाइट) को संस्था के अध्ययन तथा भावी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्माण हेतु नियुक्त किया गया है। अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और निगम उस पर विचार कर रहा है।

बिसिको

वर्ष 2004-05 से न तो बिसिको को कोई राशि आबंटित की गई थी न उसने किसी औद्योगिक इकाई को नियतावधि ऋण दिया था। वर्ष 2009 में 155 ऐसी अनिष्पादित परिसंपत्तियां थीं जिनमें 100 करोड़ का मूलधन फंसा था। इनमें से अधिकांश इकाइयां अक्खड़ थीं और उनसे ऋण वसूली के सारे उपाय बेकार साबित हुए थे। अतएव, अनिष्पादित परिसंपत्तियों वाली इकाइयों को अपनी गतिविधियां आरंभ करने और उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिहाज से नियतावधि ऋण के लिए एकमुश्त निपटारा (ओटीएस-2009) योजना का आरंभ किया गया। इसके परिणामस्वरूप ऋणों की वसूली इस प्रकार थी :

तालिका 3.22 : एकमुश्त निपटारा-2009 में ऋण वसूली

वर्ष	इकाइयों की सं.	वसूल रकम (लाख रु.)
2009-10	12	773.00
2010-11 (अक्तू. '10 तक)	6	181.02

स्रोत : बिसिको, बिहार सरकार

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) वस्तुतः निष्क्रिय है और गत 15 वर्षों से उसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल रही है। हालांकि इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उद्योग मित्र

उद्योग मित्र उद्योगों के विकास के लिए एकल खिड़की और आंकड़ा बैंक के बतौर काम करता है। यह उद्यमियों को सलाह देकर तथा उनसे नियमित संपर्क बनाए रखकर मदद करता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आंकड़ों के संग्रहण तथा रखरखाव में यह जिला उद्योग केंद्रों की मदद करता है। वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों के विवरण तालिका 3.23 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.23 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष	आबंटित रकम (लाख रु.)	खर्च की गई रकम (लाख रु.)	लाभान्वित उद्यमियों की सं.
2004-05	11.00	11.00	443
2005-06	25.00	25.00	957
2006-07	50.00	50.00	717
2007-08	47.80	47.80	648
2008-09	25.00	25.00	658
2009-10	60.00	60.00	679
2010-11(अक्तू. '10 तक)	66.00	-	307

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

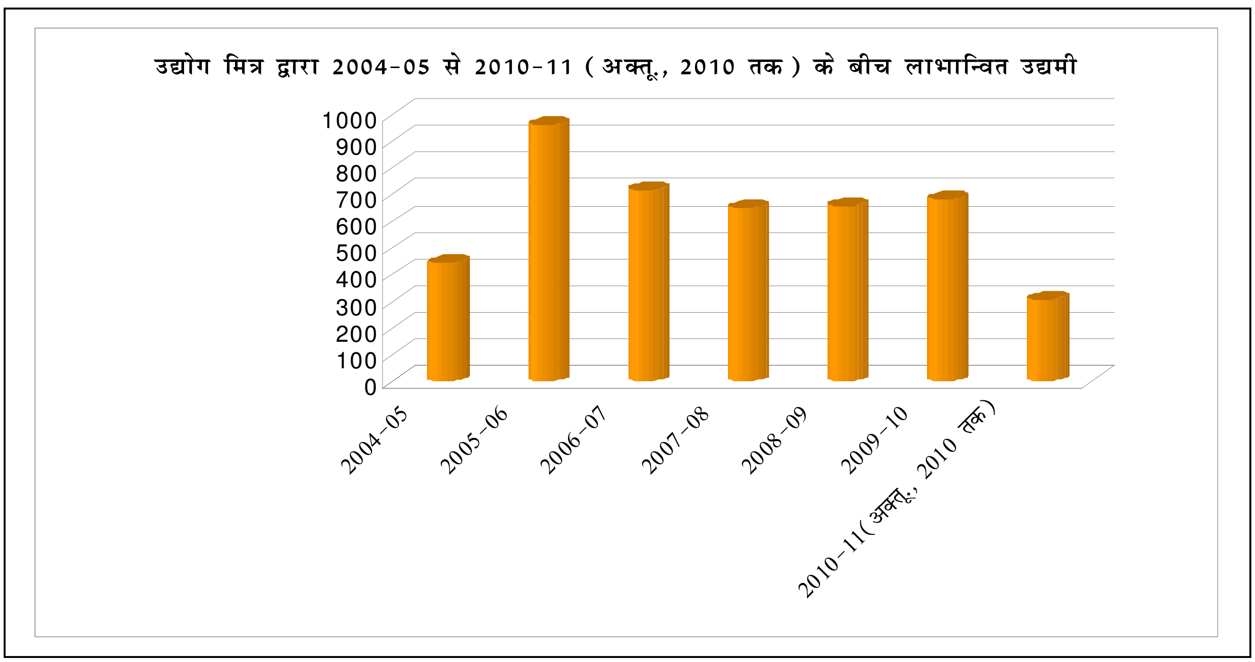

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

राज्य में बिआडा के चार आंचलिक कार्यालय तथा 47 औद्योगिक क्षेत्र (प्रांगण) विकास केंद्र हैं। यह भूमि का अधिग्रहण करता है, उसे औद्योगिक क्षेत्र/ प्रांगण के बतौर विकसित करता है और इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आबंटित करता है। बिआडा ने कुल 5,059.80 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और उन्हें आद्योगिक इकाइयों को आबंटित किया है। चार अंचलों के बीच पटना में सर्वाधिक 2,301 एक जमीन का अधिग्रहण किया गया है और दरभंगा में सबसे कम – 507 एकड़ का। अधिग्रहित भूमि, आबंटित भूमि, रिक्त भूमि और कार्यशील इकाइयों की संख्या तालिका 3.24 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.24 : औद्योगिक क्षेत्रों/ प्रांगणों में अधिग्रहित, आबंटित और रिक्त जमीन तथा इकाइयों के अंचलवार विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय	अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)	अधिसंरचना, प्रशसनिक खंड, सड़क आदि हेतु आरक्षित भूमि (एकड़ में)	आबंटित भूमि (एकड़ में)	कुल रिक्त भूमि (एकड़ में)	खाली भूमि का हिस्सा (%)	चालू इकाइयों की संख्या
पटना	2300.78	211.98	1629.32	459.48	19.97	362
भागलपुर	1236.34	83.70	804.87	347.44	28.10	136
दरभंगा	507.27	106.14	312.23	88.31	17.41	242
मुजफ्फरपुर	1015.41	155.58	479.40	380.43	37.47	169
योग	5059.80	557.40	3225.82	1275.66	25.21	909

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

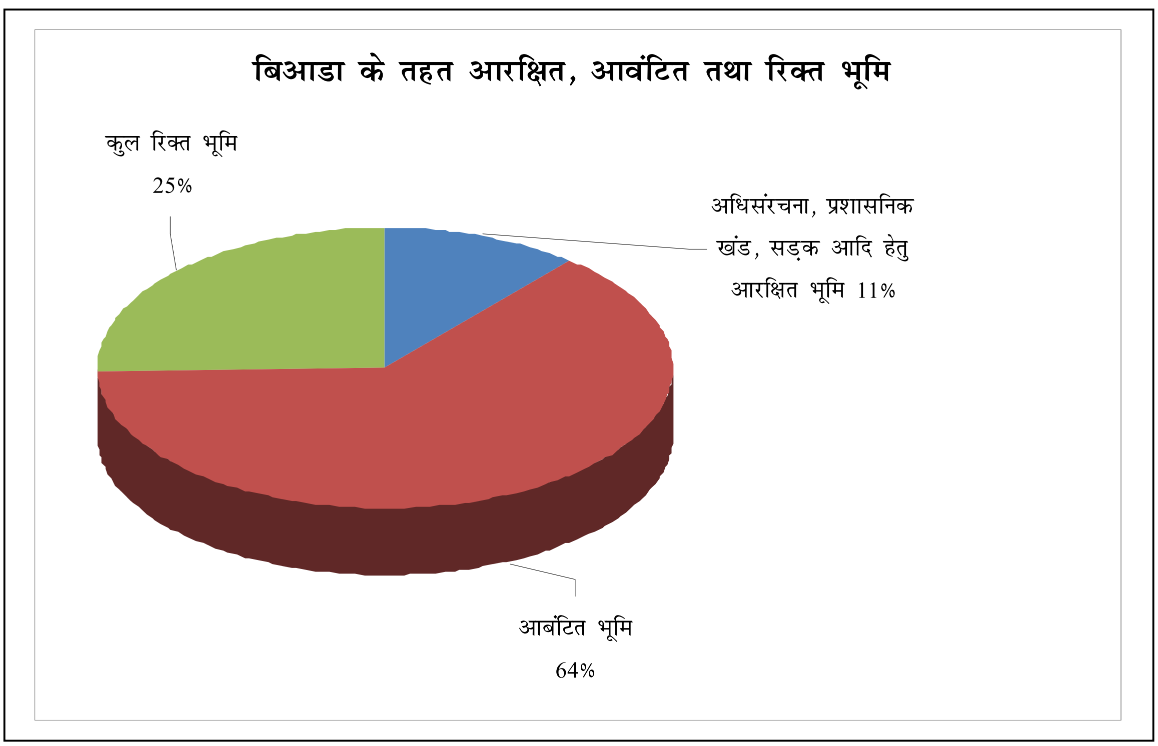

यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रों/ प्रांगणों की जमीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु अधिग्रहित तथा आबंटित हुई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो बंद हैं या बीमार। पटना अंचल की 6 और भागलपुर अंचल की 5 इकाइयां लगभग अकार्यशील हैं। जो इकाइयां सक्षम हैं, उन्हें पुनर्जीवित और चालू करने के संबंध में निर्णय लेने का यह उपयुक्त समय है।

जिला उद्योग केंद्र

जिला उद्योग केंद्र स्थानीय उद्यमियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करते हैं। केंद्र की गतिविधियों में मुख्यतः लघु उद्योगों की स्थापना, 50 हजार रु. तक के ऋण हेतु दक्ष कारीगरों को क्रेडिट कार्ड पाने में मदद करना, और लघु उद्यमियों को क्रेडिट कार्डों के जरिए दो लाख रु. से अधिक के ऋण प्राप्त करने में मदद देना है। वर्ष 2008-09 से ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी संचालन कर रहे हैं। जिला उद्योग केंद्रों की 2006-07 से 2010-11 तक की उपलब्धियों का सारांश तालिका 3.25 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.25 : विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जिला उद्योग केंद्रों की उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि		
		संख्या	ऋण/ निवेश राशि (लाख रु.)	उपलब्धि लक्ष्य के प्रतिशत में
लघु उद्योगों की स्थापना				
2006-07	7000	7104	7279.79	101.48
2007-08	7000	7202	13482.98	102.90
2008-09	8000	6154	11886.06	76.93
2009-10	8000	5091	12864.46	63.64
2010-11 (सितंबर '10 तक)	8000	1552	8381.75	19.40
कारीगर क्रेडिट कार्ड (एसीसी)				
2006-07	6250	8708	3262.09	139.33
2007-08	23491	10607	15820.53	45.00
2008-09	25000	7055	2398.57	28.22
2009-10	25000	3071	1015.66	12.28
2010-11 (सितंबर '10 तक)	25000	274	351.70	1.10
लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एसएमई)				
2006-07	2500	3200	4334.64	128.00
2007-08	15000	5140	11487.23	34.00
2008-09	15000	6265	19422.83	41.77
2009-10	15000	7008	49716.44	46.72
2010-11 (सितंबर '10 तक)	15000	356	114109.81	2.37
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/ (पीएमईजीपी)				
2006-07	638	1066	2178.27	167.08
2007-08	718	1184	3020.61	165.00
2008-09	2147	236	299.27	10.99
2009-10	2147	564	891.94	26.27
2010-11 (सितंबर '10 तक)	2503	268	349.80	10.71

टिप्पणी : 2008-09 से केंद्र सरकार द्वारा आरईजीपी को नए स्वरूप में पीएमईजीपी के बतौर क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

पहले भी उल्लेख किया गया है कि जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयनकारी अभिकरण है। तालिका 3.26 पर एक नजर डालने से पता चलता है कि 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) 7,681 परियोजाओं की अनुशंसा की गई जबकि लक्ष्य 2,503 का था। हालांकि कुल 3,115 लाख रु. परियोजना राशि वाली 519 परियोजनाएं ही स्वीकृत हुईं और 65 परियोजनाओं को 17.55 लाख रु. की छोटी राशि ही वितरित की गई जो कुल स्वीकृत राशि की मात्र 0.56 प्रतिशत है। स्वीकृति और वितरण के बीच इतना अधिक अंतर चिंता का विषय है। जिलावार विवरण परिशिष्ट 7 में देखे जा सकते हैं।

तालिका 3.26 : बिहार में 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति

मद	लक्ष्य	अनुशंसा	स्वीकृति	ऋण वितरण	
				सं./ रकम	%
1. परियोजना (संख्या)	2503	7681	519	65	12.52
2. परियोजना राशि (लाख रु.)		45102.12	3114.51	17.55	0.56
3. रोजगार (संख्या)		39371	2609	25	0.96

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

3.9 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 लागू कर दिया गया है और अक्तूबर 2009 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। भारतीय कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा तथा आपात अनुक्रिया से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु नोडल अभिकरण बनाया गया है जिसने साइबर आक्रमण और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए एक संकट प्रबंधन योजना प्रकाशित की है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवा के क्षेत्र में बिहार हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है। राज्य में ई-गवर्नेंस में मदद के लिहाज से सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलकदमियां ली गई हैं। वर्ष 2012 तक बिहार को देश के पांच शीर्ष ई-शासित, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित और सूचना प्रौद्योगिकी साक्षर राज्यों में से एक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 2008 में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति सूत्रबद्ध की है। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय और उद्योग हेतु बिहार को पसंदीदा स्थान बनाने के लिहाज से राज्य सरकार ने राज्य में आकर्षित करने के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। एक अन्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति का प्रारूप विचाराधीन है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को इस तथ्य से भी आंका जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कुल योजना परिव्यय 2009-10 में 5,952 लाख रु. था जिसे 2010-11 में तीनगुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है।

तालिका 3.27 : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु योजना परिव्यय (2009-10 और 2010-11)

2009-10		2010-11 (अक्तू. '10 तक)	
परियोजना	राशि (लाख रु.)	परियोजना	राशि (लाख रु.)
बीएचएसडब्ल्यूएएन			10000.00
बिस्वान	186.48	बिस्वान	900.00
सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)	1500.00	सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)	3051.00
राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी)	100.00	राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी)	500.00
सेक्लैन	222.00	सेक्लैन	1000.00
ई-गवर्नेंस	2358.00	ई-गवर्नेंस (राज्य परियोजना)	1400.00
नॉलेज सिटी	885.00	नॉलेज सिटी	500.00
आइटी भवन	300.00	आइटी भवन	500.00
क्षमता निर्माण	100.00	क्षमता निर्माण	580.00
राज्य पोर्टल	200.00	राज्य पोर्टल	200.00
ई-प्रोक्योरमेंट	100.00	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी	479.25
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी	0.32	ई-पर्चेज	500.00
मुख्यमंत्री शिकायत कोषांग	0.20	ई-डिस्ट्रिक्ट	500.00
योग	5952.00	योग	20110.25

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

बिहार में अनेक ई-गवर्नेंस योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2010-11 तक उनकी प्रगति तालिका 3.28 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.28 : ई-गवर्नेंस योजनाओं की प्रगति

परियोजना का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
सामान्य सेवा केंद्र	8463 (सीएससी)	8463	5798
स्वान	533 (पीओपी)	533	484
ई-डिस्ट्रिक्ट	65(सीएफसी)	65	44
सेक्लैन	3300 (डेटा पाइंट्स)	3300 (एलओआइ के अनुसार 2400)	3300
ई-प्रोक्योरमेंट	2 विभागों में शुरू	6 विभाग	19 निविदाएं

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

सेक्लैन

सचिवालय स्थानीय क्षेत्र योजना के तहत सभी सचिवालय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री आवास को फाइबर ऑप्टिक लैन (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क) से जोड़ा गया है। इस परियोजना के लिए 2010-11 में 1,000 लाख रु. के परिव्यय की योजना बनाई गई है। योजनानुरूप सभी 3,300 डेटा पाइंट सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं।

बिस्वान

इस योजना के तहत राज्य में कुल 533 पीओपी 1 (उपस्थिति बिंदु 1) हैं - 37 जिला स्तरीय और 495 प्रखंड स्तरीय। इसका कुल परियोजना परिव्यय 256.24 करोड़ रु. है जिसमें बैंडवाइथ व्यय और पीओपी हेतु स्थान की तैयारी की लागत तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए राज्य का हिस्सा 97.17 करोड़ रु. है। वर्ष 2010-11 में विस्वान के लिए 900 लाख रु. परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2010-11 में कुल 533 पीओपी में से 484 अक्तूबर 2010 तक स्थापित किए जा चुके थे। शेष 49 भी इस वित्त वर्ष के अंदर स्थापित कर लिए जाएंगे।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

राज्य सरकार ने राज्य के सभी 8,463 पंचायतों में विविध सेवाओं के आउटलेट के बतौर 'वसुधा' के नाम से सामान्य सेवा केंद्र का नेटवर्क स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक इनमें से 5,538 वसुधा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

तालिका 3.29 : सामान्य सुविधा केंद्र परियोजना की स्थिति

प्रमंडल का नाम	सामान्य सुविधा केंद्र	
	योजना	स्थापित
पटना	1347	777
भागलपुर	427	413
दरभंगा	1110	888
कोशी	504	318
सारण	857	521
मुंगेर	774	465
मगध	883	489
तिरहुत	1728	1136
पूर्णिया	833	531
योग	8463	5538

टिप्पणी : यह प्रगति अक्तूबर 2010 तक की है।

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

ई-डिस्ट्रिक्ट

यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित है। ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत कुल 94 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए जाने हैं जिनमें से 67 की स्थापना हो चुकी है और शेष 27 की स्थापना वित्त वर्ष 2010-11 में ही कर दी जाएगी।

ई-गवर्नेंस

वित्त वर्ष 2010-11 में ई-गवर्नेंस हेतु कुल परिव्यय 1,400 लाख रु. है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एनआइसी, बेल्ट्रॉन, आइडब्ल्यूडीएमएस, रिजनल इंस्टीट्यूट फॉर ई-लर्निंग तथा इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डीओईएसीसी सोसाइटी के जरिए जीआइएस मानचित्रण क्रियान्वित करवा रहा है।

ई-प्रोक्योरमेंट

राज्य सरकार ने खुली निविदा के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया है ताकि धन का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। प्रारंभ में ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना का आरंभ पथ निर्माण, पुल निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, भवन निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभागों तथा बेल्ट्रॉन में 25 लाख से अधिक की योजनाओं के लिए मागदर्शी आधार पर किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 में कुल 1,008 निविदाएं निष्पादन हेतु रखी गई हैं जबकि 636 का निष्पादन किया जा चुका है।

राज्य आंकड़ा केंद्र

केंद्र प्रायोजित राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी) परियोजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु प्रस्ताव को निष्पादित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 में इसके लिए निर्धारित परिव्यय 500 लाख रु. है।

अन्य परियोजनाएं

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नॉलेज सिटी, आइटी पार्क तथा आइटी अकादमी समेत अन्य प्रासंगिक परियोजनाओं के लिए नियोजित परिव्यय 500 लाख रु. है और आइटी भवन के लिए 500 लाख रु.। वित्त वर्ष 2010-11 में सूचना प्रौद्योगिकी मेलों एवं सम्मेलनों तथा अन्य क्षमता विकास उपायों के लिए 580 लाख रु. परिव्यय रखा गया है।

3.10 निवेश योग्य वातावरण

राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार के लिए राज्य सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिसंरचना विकास तथा राज्य के अंदर-बाहर प्रवासी भारतीयों के साथ बैठक आदि अनेक कदम उठाए गए हैं। भारतीय उद्योग महासंघ (सीआइआइ) और बिहार उद्योग संघ (बीआइए) ने भी राज्य में विकास की संभावनाओं तथा उद्योगों, खास कर अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं के आकलन में मदद दी है।

राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआइपीबी) की स्थापना की है। इसने अक्तूबर 2010 तक 398 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिनमें प्रस्तावित निवेश 1.81 लाख करोड़ रु. है और 1.55 लाख लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। तालिका 3.30 में देखा जा सकता है

कि इनमें से 180 परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण और 44 बिजली उत्पादन हेतु हैं। इन 398 प्रस्तावों में से 45 ने काम करना शुरू कर दिया है, 104 का काम उन्नत स्थिति में है और 249 क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें अब तक 1,102.5 करोड़ रु. का निवेश हो चुका है।

तालिका 3.30 : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अक्तूबर 2010 तक अनुमोदित प्रस्ताव

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तूबर 10 तक)	योग
अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	173	127	98	398
प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	110369	30577	40472	181418
प्रस्तावित रोजगार	124954	18776	10962	154692
क्षेत्रवार				
(i) नई चीनी मिलें	23	3	1	27
(ii) कार्यरत चीनी मिलों का विस्तार	7	0	1	8
(iii) कार्यरत चीनी मिलों के नए ईथेनॉल संयंत्र	2	0	0	2
(iv) ईथेनॉल सह ईक्षुरस	5	0	0	5
(v) विद्युत संयंत्र	24	10	10	44
(vi) खाद्य प्रसंस्करण	26	85	69	180
(vii) इस्पात प्रसंस्करण तथा सीमेंट	16	9	7	32
(viii) तकनीकी संस्थान	15	10	4	29
(ix) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	19	0	0	19
(x) अन्य	36	10	6	52

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.30 क : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की स्थिति

स्थिति	2009-10 तक	2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)
1. निम्नलिखित की क्रियान्वयन अवस्था		
(i) कार्यशील इकाइयां	36	45
(ii) क्रियान्वयन की उन्नत अवस्था	94	104
(iii) क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाएं	170	249
2. अब तक हुआ निवेश (करोड़ रु.)	1033.5	1102.5

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

3.11 पर्यटन

वैश्विक आर्थिक संकट ने 2008-09 में पर्यटन के विकास पर विपरीत प्रभाव डाला। हालांकि मंदी से निपटने के लिए प्रोत्साहन के अनेक उपाय भी किए गए। चिन्हित परिपथों तथा स्थानों के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन

अधिसंरचना के विकास हेतु केंद्र की वित्तीय सहायता से अनेक पहलकदमियां ली गईं। राज्य में पर्यटन के विकास की जबर्दस्त संभावना है और राज्य सरकार इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए कृतसंकल्प है। बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। पर्यटन विभाग में दो प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं – विकासमूलक और व्यावसायिक। व्यावसायिक गतिविधियां बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जरिए चलाई जा रही हैं जबकि विकासमूलक गतिविधियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों जैसे विभिन्न अभिकरणों के जरिए चलाई जा रही हैं।

पर्यटन विभाग ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। विभाग का अनुमोदित योजना बजट 2005-06 के 7.43 करोड़ रु. से बढ़कर 2006-07 में 18.30 करोड़ रु. तथा 2010-11 में 30.44 करोड़ रु. हो गया। योजना परिव्यय में गुणात्मक छलांग राज्य में पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकार की चिंता का सूचक है। इसे तालिका 3.31 में भी देखा जा सकता है कि जहां 2000-01 में अनुमोदित बजट का मात्र 34 प्रतिशत के आसपास ही खर्च किया जा सका था, वहीं 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में पूरी बजट राशि का उपयोग किया गया।

तालिका 3.31 : पर्यटन विभाग के 2000-01 से 2010-11 (जनवरी 2011 तक) तक के बजट तथा व्यय का विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	वर्ष	अनुमोदित बजट	व्यय	% हिस्सा
1	2000-01	1040.38	348.42	33.49
2	2001-02	210.00	48.60	23.14
3	2002-03	500.00	75.10	15.02
4	2003-04	350.94	350.64	99.91
5	2004-05	957.73	957.70	100.00
6	2005-06	743.00	737.59	99.27
7	2006-07	1830.00	1823.34	99.64
8	2007-08	2679.42	2673.54	99.78
9	2008-09	2513.02	2512.78	99.99
10	2009-10	2978.00	2978.00	100.00
11	2010-11 (जनवरी 2011 तक)	3043.89	2555.43	83.95

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्तपोषण से राज्य में पर्यटन विकास से संबंधित अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। राज्य सरकार के धन से किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में नव नालंदा सांस्कृतिक ग्राम के निर्माण हेतु 11.94 एकड़ और वैशाली में पर्यटन के सहयोग के लिए 10.50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शामिल है। गंगा नदी में 48 सीट वाले तैरते जलपानगृह का निर्माण पूरा हो गया है और इसके लिए गांधी घाट में एक

कैफेटेरिया तैयार है। पटना सिटी में मंगल तालाब परिसर में एक स्टेडियम, मुक्ताकाश मंच, कैफे प्लाजा, पार्किंग स्थल आदि का निर्माण पूरा हो गया है। इसके अलावा, चामुंडेश्वरी मंदिर (कैमूर), जानकी स्थान, पुनौरा, आदि के जीर्णोद्धार तथा पटना में गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण सहित अनेक अन्य काम भी शुरू किए गए हैं।

इसी प्रकार केंद्रीय राशि से औरंगाबाद के देव में पर्यटन संकुल, बोधगया में ट्रफिक इंटरचेंज नोड 1 और 2, कांवरिया पर्यटकों के लिए यात्री निवास, बोधगया में सड़कों का जीर्णोद्धार, क्लोज सर्किट टीवी लगाने आदि का काम पूरा हो गया है। ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दो छोटी योजनाएं नालंदा जिले के नेपुरा गांव में क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी प्रकार जहानाबाद के टेहटा, औरंगाबाद के ओबरा तथा भागलपुर के पुरैनी और नाथनगर को ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत चुना गया है और परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

बिहार में पर्यटन विकास के विविध प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन रहा है। वर्ष 2005 के बाद से देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2006 में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 10,670 हजार और 94 हजार थी जो 2009 में बढ़कर क्रमशः 15,518 हजार और 423 हजार हो गई है जो कुल देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 3.32 : पर्यटकों का वर्षवार आगमन

वर्ष	घरेलू पर्यटक	विदेशी पर्यटक	योग	प्रतिशत परिवर्तन
2000	5520	73	5593	
2001	6861	86	6947	24.21
2002	6860	113	6973	0.37
2003	6045	61	6106	-12.43
2004	8097	38	8135	33.23
2005	8687	63	8750	7.56
2006	10670	94	10764	23.02
2007	10353	177	10530	-2.17
2008	11890	346	12236	16.20
2009	15518	423	15941	30.28
2010, नवंबर तक	13344	521	13865	-13.02

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

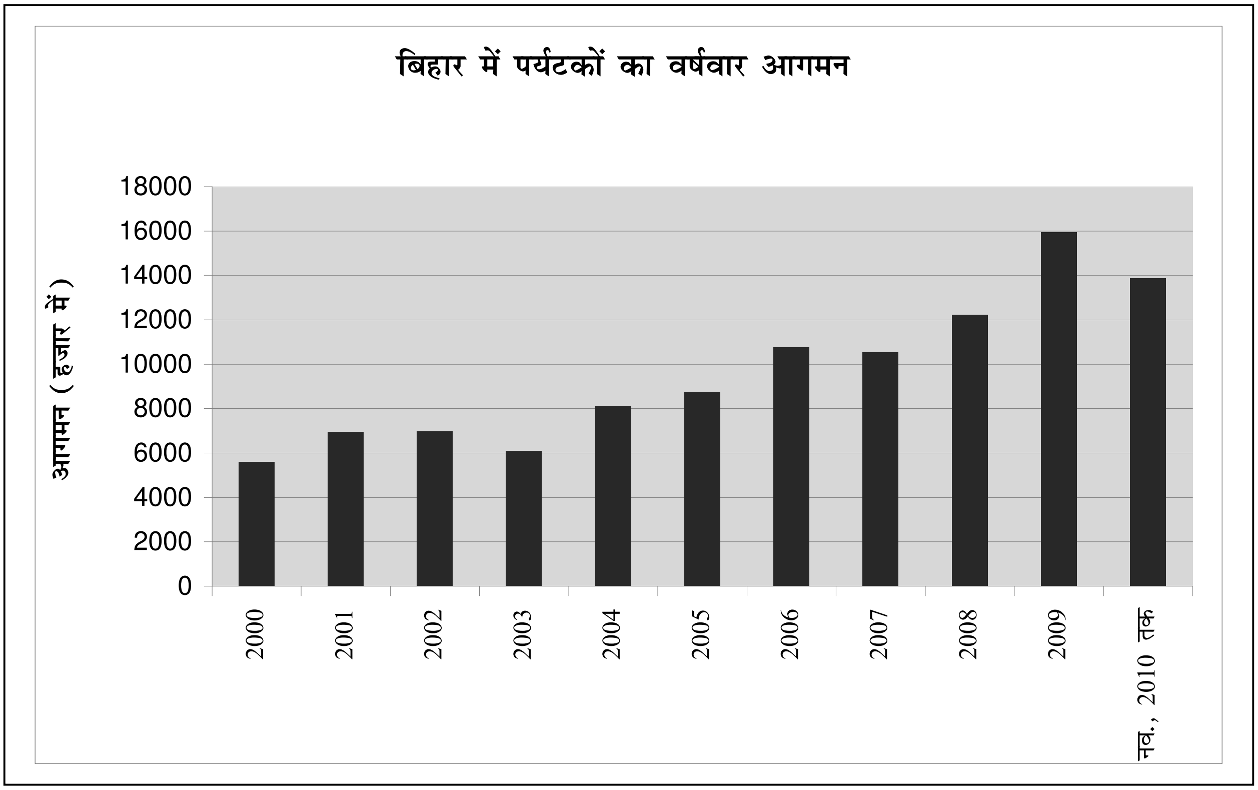

जिलों के बीच देशी–विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक प्रवाह गया में दर्ज किया गया और उसके बाद पटना में। घरेलू पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षणों में सोनपुर मेला और भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला थे (परिशिष्ट 8)।

राज्य सरकार पर्यटन के विकास के प्रति बहुत उत्सुक है और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। इस लिहाज से इसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(क) पर्यटन नीति का सूत्रीकरण : बिहार सरकार ने पहली बार बिहार पर्यटन नीति सूत्रबद्ध की है।

(ख) मानव संसाधन विकास : राज्य सरकार ने गाइड, पर्यटन एवं यात्रा आयोजक, मेहमाननवाजी, होटल प्रबंधन तथा आहार प्रबंधन जैसी पर्यटन संबंधी कार्यों में अल्पकालिक प्रशिक्षण देने की योजनाएं शुरू की हैं। हाजीपुर में होटल प्रबंधन संस्थान शुरू हो गया है और बोधगया में इस वर्ष शुरू होने वाला है। मुजफ्फपुर में पाक कला संस्थान के भी इसी वर्ष शुरू हो जाने की आशा है।

(ग) पर्यटन सुरक्षा बल : सुरक्षा तथा मित्रवत सेवा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पहले चरण में सुरक्षा बलों की नियुक्ति गया, बोधगया, राजगिर, नालंदा और वैशाली जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर की जाएगी। जब तक नियमित बल का गठन नहीं हो जाता, तब तक अभी उपलब्ध पुलिस बल को चिन्हित किया जाएगा और पदस्थापना के पहले प्रशिक्षित किया जाएगा।

(घ) बिहार पर्यटन का लोगो और टैगलाइन : अभियानों के जरिए ब्रांड स्थापित करने के लिए अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट से बिहार पर्यटन का नया लोगो डिजाइन कराया गया है जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। एक नया टैगलाइन 'ब्लिसफुल बिहार' (आनंददायी बिहार) भी आरंभ किया गया है।

(च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता : बिहार सरकार ने केसरिया, मनेरशरीफ और शेरशाह के मकबरे के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एक समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किया है।

(छ) वॉल्वो बसों का आरंभ : पर्यटकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बोधगया, नालंदा, राजगिर आदि जगहों के लिए वॉल्वों बसें चलाई जा रही हैं।

(ज) पर्यटन पैकेज : विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन पैकेज आरंभ किए जाने वाले हैं। निर्णित पर्यटन पैकेजों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

(झ) मीडिया तथा विपणन : पर्यटन विभाग द्वारा 2008 में एक मीडिया एवं विपणन योजना तैयार की गई है। बिहार पर्यटन के लिए इंटरनेट के जरिए भी विपणन किया जाएगा। इसके विज्ञापनों को सभी वायु सेवाओं के स्थानों पर दिखाया जाएगा। सामाजिक जागरूकता अभियानों के जरिए हितधारियों का पर्यटन के महत्व के संबंध में संवेदनीकरण तथा विभिन्न गंतव्य-स्थलों/ पर्यटन उत्पादों आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ट) पर्यटन मानचित्र : पहली बार बिहार का पर्यटन मानचित्र तैयार कराया गया है। 'ए जर्नी थ्रू बिहार' नामक एक निर्देश पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। राजगिर महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, वैशाली महोत्सव, देव महोत्सव आदि के कैलेंडर भी तैयार कराए गए हैं।

(ठ) गंगा पर नदी यात्रा : पांडव क्रूज कंपनी के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत गंगा पर 15 दिवसीय नदी यात्रा आरंभ की गई है।

(ड) बौद्ध समागम : भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर नालंदा में एक बौद्ध समागम आयोजित किया गया है।

3.12 चुनौतियां और संभावनाएं

औद्योगिक क्षेत्र में 2007-08 में आरंभ हुई चक्रीय मंदी 2008-09 की वैश्विक मंदी के कारण और भी गंभीर हो गई थी। हालांकि राज्य की समग्र विकास दर नियमित तथा ऊंची थी। लेकिन तथ्य यह है कि वर्तमान बिहार खनिज अवदानों से वंचित है और अधिसंरचना को पर्याप्त स्तर तक पहुंचना अभी बाकी है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग देश में सबसे कम है। उद्योग हेतु आवश्यक अधिसंरचना भी नितांत अपर्याप्त है। कुल मिलाकर राज्य में विकसित बाजार अनुपलब्ध है।

वर्ष 2008-09 की आर्थिक मंदी से राज्य में ऋण और जमा, दोनों मामलों में विकास दर घटा है। इस तथ्य के बावजूद कि बिहार में बैंकिंग ढांचा की कमी है और देश की 4.75 प्रतिशत शाखाएं ही यहां मौजूद हैं, इसका बिहार में औद्योगीकरण पर भी गहरा असर पड़ा है। आज भी देश में किसी एक शाखा द्वारा सेवित औसत सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में ही है। उद्यमियों का कष्ट और भी बढ़ाते हुए बिहार राज्य वित्त निगम और बिसिको जैसी वित्तीय सहायता संस्थाएं खुद ही रुग्ण बन गई हैं और उद्योगों को ऋण देना बंद कर चुकी हैं। राज्य में एक अन्य गंभीर चुनौती कुशल श्रम की है जिससे कौशल उन्नयन के बहुमुखी कार्यक्रमों के जरिए निपटना होगा।

वर्ष 2006-07 में संपन्न चतुर्थ अखिल भारतीय अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की लगभग 27 प्रतिशत इकाइयां बंद या गायब थीं। इसका अर्थ हुआ कि वे रुग्णता या आरंभिक रुग्णता से पीड़ित थीं। सक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है लेकिन बैंकों के उदासीन रवैये के कारण इसका प्रयास नहीं किया गया है।

राज्य के औद्योगीकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। उद्योगों, खास कर अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं जिनमें विभिन्न उद्योगों को आवश्यकतानुसार जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि बैंक की स्थापना शामिल है। राज्य सरकार ने राज्य में नई इकाइयों की स्थापना हेतु संयंत्र और मशीनों पर पूंजीगत सब्सिडी के समावेश के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्योगों और हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए विपणन व्यवस्था तैयार की जा रही है। हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम तथा ग्रामोद्योग को भी विकसित किया जाना है। राज्य सरकार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए भी कृतसंकल्प है और जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली के विकास द्वारा आरंभिक रुग्णता से बचने के लिए आवश्यक उपचारक उपाय सुझाए हैं। राज्य सरकार ने राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की है जो राज्य में निवेश के प्रस्तावों की जांच करके उन्हें अनुमोदित करता है। अक्तूबर 2010 तक 398 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें संभावित निवेश 181.42 लाख करोड़ रु. है और 1.55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कुल अनुमोदित प्रस्तावों में लगभग 50 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हैं जबकि 11-11 प्रतिशत ईख आधारित इकाइयों और विद्युत संयंत्रों से।

विभाजन के बाद का बिहार पूरी तरह खनिज विहीन है। बस मिट्टी और पानी ही बचा है। कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जबर्दस्त गुंजाइश है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में उद्योग-कृषि संबंध एक सुस्थापित तथ्य है। गत तीन वर्षों के दौरान कृषि के क्षेत्र में गिरावट की स्थिति रही है जिसका मुख्य कारण कम वर्षा और भारी बाढ़ रहे हैं जो कृषि आधारित उद्योगों की संभावना पर असर डालते हैं। राज्य में निवेश की उभरती संभावना तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों से आशा बंधती है कि औद्योगिक परिस्थिति में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त मजदूर उसमें अवशोषित हो जाएंगे।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र फलों–सब्जियों की तुड़ाई–पश्चात नुकसान को न्यूनतम करके और रोजगार के अवसर बढ़ाकर किसानों की बड़े पैमाने पर मदद करेगा। एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 33 प्रतिशत बागवानी उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं। हालांकि आम और टमाटर के मामले में राज्य के प्रमुख उत्पादक जिलों में नुकसान 39 प्रतिशत है।

राज्य सरकार द्वारा बिजली और सड़क जैसे मुख्य अधिसंरचना क्षेत्रों में किए गए क्षमता विस्तार के प्रयासों के बेहतर परिणाम मिलेंगे और आशा है कि बड़ी संख्या में परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर परिस्थिति सहज हो जाएगी और लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। अधिसंरचना में विकास एक ओर आपूर्ति पक्ष के अवरोधों को दूर करता है और दूसरी ओर अतिरिक्त घरेलू मांग को प्रेरित करता है।

परिशिष्ट 1 : बिहार और संपूर्ण भारत में कारखानों की संख्या

कारखानों की श्रेणी	कारखानों की संख्या			चालू कारखानों की संख्या		
	*संपूर्ण भारत	बिहार	बिहार का हिस्सा (%)	संपूर्ण भारत	बिहार	बिहार का हिस्सा (%)
कृषि आधारित	59201	466	0.79	56375	404	0.72
खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू	29,381	268	0.91	27,513	227	0.83
वस्त्र/ वस्त्र उत्पाद	16,513	20	0.12	15,941	15	0.09
चमड़ा/ चर्म उत्पाद	2,688	6	0.22	2,593	6	0.23
लकड़ी/ काष्ठ उत्पाद	3,197	123	3.85	2,991	109	3.64
कागज/ मुद्रण/ प्रकाशन	7,422	49	0.66	7,337	47	0.64
गैर-कृषि आधारित	78,396	1319	1.68	75,784	1209	1.60
कोक/ पेट्रॉलियम/ आणविक इंधन	1,054	54	5.12	1,018	50	4.91
रसायन/ रासायनिक उत्पाद	11,177	50	0.45	10,896	40	0.37
रबर/ प्लास्टिक उत्पाद	8,187	10	0.12	7,866	10	0.13
कांच/ अधातु	15,850	877	5.53	15,083	810	5.37
धातु उत्पाद	17,654	92	0.52	17,196	87	0.51
मशीन/ बिजली उपकरण	14,065	54	0.38	13,765	53	0.39
जहाजों, नावों परिवहन उपकरणों आदि की मरम्मत	1,862	3	0.16	1,681	3	0.18
फर्नीचर/ आभूषण/ खेल सामग्री/ खिलौने आदि	2,517	5	0.20	2,411	4	0.17
अन्य	6,030	174	2.89	5,868	152	2.59
कुल कारखाने	137,597	1,785	1.30	132,159	1,613	1.22

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2007-08

* टिप्पणी : कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित कारखानों के आंकड़े तालिका 3 के साथ मेल नहीं खाएंगे क्योंकि एनआइसी कोड 2004; 1, 14, 30, 32, 33, 34 और 37 भारत में मौजूद हैं लेकिन बिहार में नहीं।

परिशिष्ट 2 : बिहार में उद्योगों की संरचना

औद्योगिक समूह	कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	कुल उत्पादन (करोड़ रु.)	निवल मूल्यवर्धन (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा (%)		
					चालू कारखाने	कुल उत्पादन	निवल मूल्यवर्धन
कृषि आधारित							
खाद्य उत्पाद/ पेय/ तंबाकू	268	227	2,865.34	884.19	14.07	13.10	76.26
वस्त्र/ वस्त्र उत्पाद	20	15	93.88	30.26	0.93	0.43	2.61
चमड़ा/ चर्म उत्पाद	6	6	74.33	10.94	0.37	0.34	0.94
लकड़ी/ काष्ठ उत्पाद	123	109	31.63	11.40	6.76	0.14	0.98
कागज/ मुद्रण/ प्रकाशन	49	47	231.28	84.29	2.91	1.06	7.27
गैर-कृषि आधारित							
कोक/ पेट्रॉलियम/ आणविक इंधन	54	50	16,839.22	-97.40	3.10	76.98	-8.40
रसायन/ रासायनिक उत्पाद	50	40	96.64	15.20	2.48	0.44	1.31
रबर/ प्लास्टिक उत्पाद	10	10	38.48	3.02	0.62	0.18	0.26
कांच/ अधातु	877	810	339.60	88.86	50.22	1.55	7.66
धातु उत्पाद	92	87	949.97	95.22	5.39	4.34	8.21
मशीन/ बिजली उपकरण	54	53	77.67	11.40	3.29	0.36	0.98
जहाजों, नावों परिवहन उपकरणों आदि की मरम्मत	3	3	10.97	2.82	0.19	0.05	0.24
फर्नीचर/ आभूषण/ खेल सामग्री/ खिलौने आदि	5	4	5.16	0.54	0.25	0.02	0.05
अन्य	174	152	219.44	18.75	9.42	1.00	1.62
योग	1,785	1,613	21,873.61	1,159.49	100.00	100.00	100.00

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2007-08

परिशिष्ट 3 : 2009-10 में ईख का क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता (क्षेत्रफल हे. में/ उत्पादन टन में)

क्र.सं.	जिला का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)			उत्पादकता (टन/ हे.)		उत्पादन (टन)		
		रोपा	खूंटी	योग	रोपा	खूंटी	रोपा	खूंटी	योग
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	प. चंपारण	61468	56902	118370	60	50	3688098	2845095	6533193
2	पू. चंपारण	6910	6550	13460	60	50	414600	327500	742100
3	गोपालगंज	18010	14990	33000	50	45	900500	674550	1575050
4	सीवान	6668	4031	10699	50	45	333400	181395	514795
5	सारण	2262	815	3077	50	45	113100	36675	149775
6	वैशाली	1104	625	1729	49	37	54538	23125	77662.6
7	मुजफ्फरपुर	3915	1960	5875	49	39	193401	75520	268921
8	शिवहर	488	2460	2948	65	29	31543	70110	101653
9	सीतामढ़ी	4312	10154	14466	46	30	200489	306656	507145
10	मधुबनी	4380	1800	6180	50	40	218399	71640	290039
11	दरभंगा	3186	1200	4386	48	39	151335	47040	198375
12	समस्तीपुर	5450	1700	7150	45	28	244800	47600	292400
13	बेगूसराय	4900	1550	6450	45	28	220500	43400	263900
14	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0
15	सहरसा	706	767	1473	51	43	36006	32981	68987
16	सुपौल	89	154	243	50	42	4450	6468	10918
17	मधेपुरा	3445	1825	5270	52	44	179140	80300	259440
18	पूर्णिया	522	415	937	42	36	22028	15065	37093
19	अररिया	255	175	430	57	36	14606	6353	20959
20	कटिहार	114	69	183	42	36	4810	2505	7315
21	किशनगंज	31	37	68	42	36	1308.2	1343	2651
22	पटना	4342	2345	6687	60	50	260510	117269	377779
23	नालंदा	734	565	1300	59	32	43384	18256	61640
24	जहानाबाद	384	197	581	60	50	23060	9853	32913
25	गया	1550	815	2365	60	50	93000	40750	133750
26	नवादा	1010	510	1520	60	50	60600	25500	86100
27	औरंगाबाद	750	375	1125	60	50	45000	18750	63750
28	भोजपुर	1012	770	1782	50	46	50600	35420	86020
29	रोहतास	806	305	1111	51	45	41106	13725	54831
30	बक्सर	998	625	1623	52	50	51896	31250	83146
31	कैमूर	504	160	664	48	46	24192	7360	31552
32	जमुई	2285	240	2525	50	50	114675	12000	126675
33	मुंगेर	640	75	715	55	50	35200	3750	38950
34	लखीसराय	50	0	50	55	0	2750	0	2750
35	भागलपुर	4799	1868	6667	48	38	230352	70984	301336
36	बांका	5691	2598	8289	48	38	273168	98724	371892
37	शेखपुरा	495	65	560	55	50	27225	3250	30475
	योग	**154265**	**119693**	**273958**	**54**	**45**	**8403769**	**5402161**	**13805930**

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 4 : 2010-11 में (अक्तूबर '10 तक) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों में सामाजिक श्रेणीवार प्रतिशत हिस्सा

श्रेणी	प्रमंडल					
	विवरण	पटना	मुंगेर	भागलपुर	पूर्णिया	मगध
योग (संख्या)	अतिलघु	387	217	60	219	210
	लघु	5	2	0	0	0
	मध्यम	2	0	0	0	0
	योग (%)	394 (22.06%)	219 (12.26%)	60 (3.36%)	219 (12.26%)	210 (11.76%)
	निवेश (लाख रु.)	1828.5	743.45	42.83	544.38	769.03
	रोजगार	1560	505	262	881	753
सामान्य (%)	अतिलघु	84.24	71.43	88.33	55.71	82.86
	लघु	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	मध्यम	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	84.52	71.69	88.33	55.71	82.86
	निवेश (लाख रु.)	98.37	94.84	89.38	88.93	98.73
	रोजगार	90.51	79.60	82.82	68.44	89.51
अजा/ अजजा (%)	अतिलघु	9.82	18.89	5.00	35.62	8.57
	लघु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	9.64	18.72	5.00	35.62	8.57
	निवेश (लाख रु.)	0.22	2.14	3.62	0.27	0.44
	रोजगार	4.62	11.29	3.44	15.32	5.71
अल्पसंख्यक (%)	अतिलघु	5.94	9.68	6.67	8.68	8.57
	लघु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	5.84	9.59	6.67	8.68	8.57
	निवेश (लाख रु.)	1.41	3.02	7.00	10.80	0.83
	रोजगार	4.87	9.11	13.74	16.23	4.78

परिशिष्ट 4 : (जारी)

श्रेणी	विवरण	दरभंगा	कोशी	तिरहुत	सारण	योग
योग (सं)	अतिलघु	204	55	293	121	1766
	लघु	2	0	8	0	17
	मध्यम	0	0	1	0	3
	योग (%)	206 (11.53%)	55 (3.08%)	302 (16.91%)	121 (6.77%)	1786 (100%)
	निवेश (लाख रु.)	345.65	77.87	4640.25	223.5	9215.46
	रोजगार	678	79	1306	559	6583
सामान्य (%)	अतिलघु	92.65	100.00	84.98	92.56	81.26
	लघु	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	मध्यम	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	योग	92.72	100.00	85.43	92.56	81.47
	निवेश (लाख रु.)	93.95	100.00	99.56	96.10	97.91
	रोजगार	95.58	100.00	93.11	93.92	87.74
अजा/ अजजा (%)	अतिलघु	5.39	0.00	11.60	0.00	12.63
	लघु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	5.34	0.00	11.26	0.00	12.49
	निवेश (लाख रु.)	5.90	0.00	0.20	0.00	0.61
	रोजगार	3.83	0.00	3.68	0.00	5.92
अल्पसंख्यक (%)	अतिलघु	1.96	0.00	3.41	7.44	6.12
	लघु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	1.94	0.00	3.31	7.44	6.05
	निवेश (लाख रु.)	0.15	0.00	0.24	3.90	1.48
	रोजगार	0.59	0.00	3.22	6.08	6.33

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 5 : हथकरघा प्रक्षेत्र की प्रमुख योजनाएं (2008-09 और 2009-10 में भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां)

क्रम सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष	वित्तीय (लाख रु.))		भौतिक	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	हथकरघा का आधुनिकीकरण - अपने हथकरघों के आधुनिकीकरण हेतु सजावटी सामानों के लिए बुनकरों को 1,500 रु. तक ऋण देना	2008-09	21.00	09.00	1400	600
2	साइकल आपूर्ति योजना हेतु विपणन सहायता - 2,000 रु. की उपदानित दर पर बुनकरों को साइकल की आपूर्ति	2008-09	34.40	11.00	1700	552
3	कार्यशाला/ संगोष्ठी आयोजन - विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं प्रौद्योगिकियों संबंधी जानकारी का प्रचार	2008-09	14.60	8.00	13	08
4	पावरलूम टैरिफ अनुदान - पावरलूम टैरिफ अनुदान (पूर्व आबंटित राशि से व्यय)	2008-09 08-09 2009-10	5.00 - -	4.00 13.60 36.43	- - -	27 405 405
5	6 बुनकर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए वजीफा की योजनाएं	2008-09	5.18	4.22	144	128
6	पावरलूम सेवा केंद्र, भागलपुर में वजीफा भुगतान	2008-09 2009-10	0.72 0.72	0.59 0.43	120 120	120 83
7	केंद्रीय डिजाइन सेंटर, राजेंद्रनगर, पटना	2008-09	8.64	7.87	36	32
8	एटी एंड डीसी, पटना का मकान भाड़ा	2009-10	14.22	14.22		
9	6 बुनकर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए वजीफों का भुगतान	2009-10	05.18	03.53	144	112
10	मरांगा, पूर्णिया में जूट पार्क की स्थापना	2009-10	250.18	250.18	01	01

स्रोत : हथकरघा; उद्योग विभाग, बिहार सरकार

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

योजना का नाम	केंद्र/ राज्य का हिस्सा	वित्त वर्ष	वित्तीय (लाख रु.)		भौतिक	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
समेकित हथकरघा विकास योजना	केंद्र	2008-09	88.25	88.25	09	09
	राज्य		14.50	11.77	09	09
	केंद्र	2009-10	51.69	3.20	04	04

स्रोत : हथकरघा; उद्योग विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : बिहार के जिलों में खनिजों की उपलब्धता

जिला	खनिजों की उपलब्धता
भागलपुर	लाल मिट्टी, ईंट, बालू, पत्थर, अभ्रक
बांका	ग्रेनाइट, गैलेना, ईंट, बालू, पत्थर, अभ्रक
मुंगेर	क्वार्ट्जाइट, बॉक्साइट, एसबेस्टस, स्लेट, चीनी मिट्टी
जमुई	सोना, मैग्नेटाइट, सोपस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ईंट, बालू, पत्थर, खनिज जल
रोहतास	चूनापत्थर, बलुई पत्थर, सेल, पायराइट, ईंट, पत्थर, बालू
कैमूर	ईंट, पत्थर, बालू
गया और जहानाबाद	ईंट, पत्थर, बालू, मैग्नेटाइट
औरंगाबाद	ईंट, पत्थर, बालू, मोरम
पटना	ईंट, बालू
भोजपुर	ईंट, बालू
नालंदा	क्वार्ट्जाइट, ईंट, पत्थर, बालू,
नवादा	अभ्रक, बेरिल, ईंट, पत्थर, बालू,
सीवान	ईंट
सारण	ईंट, बालू
गोपालगंज	ईंट
बेतिया	ईंट, पत्थर, बालू, पेट्रॉलियम
मोतिहारी	ईंट, सोना
सीवान	ईंट, बालू
सारण	ईंट, बालू
गोपालगंज	ईंट, बालू
बेतिया	ईंट
मोतिहारी	ईंट, बालू
सीतामढ़ी	ईंट
बेगूसराय	ईंट
खगड़िया	ईंट
पूर्णिया	ईंट, बालू, पेट्रॉलियम
कटिहार	ईंट
सहरसा	ईंट, बालू, पेट्रॉलियम
मधेपुरा	ईंट, बालू

स्रोत : खनन एवं धातुकर्म विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 7 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 2010-11 की प्रगति रिपोर्ट (अक्तूबर 2010 तक)

	लक्ष्य		अनुशंसित आवेदन				स्वीकृत आवेदन			
जिले	परियोजना की सं.	मार्जिन मनी (लाख रु.)	सं.	परियोजना राशि (लाख रु.)	संलग्न मार्जिन मनी (लाख रु.)	रोजगार (सं.)	सं.	परियोजना राशि (लाख रु.)	संलग्न मार्जिन मनी (लाख रु.)	रोजगार (सं.)
अररिया	64	89.72	137	518.13	162.00	782	3	9.97	2.99	17
अरवल	20	30.42	99	466.00	161.80	360	1	2.70	0.67	3
औरंगाबाद	58	80.96	52	262.32	82.04	207	19	67.20	20.83	58
बांका	48	67.94	45	295.42	90.76	306	0	0	0	0
बेगूसराय	72	99.16	490	1825.25	575.15	1923	58	60.36	19.43	103
भागलपुर	72	102.64	92	560.91	154.13	490	41	224.78	64.69	206
भोजपुर	68	94.26	200	1230.98	308.64	1015	8	33.75	8.55	31
बक्सर	43	59.22	89	619.97	169.75	214	25	162.23	47.25	59
दरभंगा	99	138.76	465	2243.02	627.61	2253	10	39.95	10.43	41
पूर्वी चंपारण	117	166.56	263	1993.93	595.67	1995	16	100.00	25.45	100
गया	104	146.48	179	1265.29	364.99	866	0.00	0.00	0	0
गोपालगंज	64	90.74	184	1352.90	388.56	926	20	129.00	41.90	107
जमुई	43	59.22	40	240.00	69.56	299	3	13.00	4.00	17
जहानाबाद	27	37.92	51	258.95	72.44	201	2	9.60	3.00	2
कैमूर	39	54.28	351	3688.10	1176.45	1349	16	146.87	45.00	74
कटिहार	71	100.94	45	246.93	70.69	135	2	4.00	1.40	4
खगड़िया	39	53.94	91	589.90	196.25	640	7	79.37	24.85	80
किशनगंज	40	54.68	225	866.35	282.92	632.75	24	43.65	11.83	46
लखीसराय	24	34	21	143.80	38.75	110	2	15.00	3.25	13
मधेपुरा	45	64.48	207	570.25	33.49	1782	8	24.50	2.27	46
मधुबनी	109	151.58	1140	6159.02	287.50	5595	20	100.00	5.00	100
मुंगेर	34	48.02	211	353.73	85.01	447	2	10.00	2.50	10
मुजफ्फरपुर	113	158.4	203	1391.37	404.37	1404	3	17.12	5.94	22
नालंदा	71	100.2	106	818.32	239.87	856	24	78.92	19.52	91
नवादा	55	76.4	25	206.27	58.55	234	0	0.00	0	0
पटना	145	198.98	581	5955.08	1607.04	4897	71	666.64	139.47	570
पूर्णिया	75	107.6	603	777.49	229.32	1199	5	59.40	19.79	56
रोहतास	74	103.38	161	1781.88	490.33	942	36	405.48	101.11	262
सहरसा	46	63.8	0	0	0	0	0	0.00	0	0
समस्तीपुर	103	144.36	480	3278.37	1097.03	3313	60	337.57	113.93	307
सारण	98	137.36	54	337.50	109.05	267	3	20.00	7.00	17
शेखपुरा	16	22.08	13	201.17	61.78	133	0	0.00	0	0
शिवहर	15	21.74	55	209.05	62.36	181	5	11.00	2.90	8
सीतामढ़ी	81	112.86	103	481.35	140.07	556	4	23.00	3.55	25
सीवान	82	114.6	245	1570.18	427.25	786	8	65.00	22.25	36
सुपौल	53	73.92	55	286.68	178.35	359	1	8.00	2.80	0
वैशाली	82	114.6	203	1339.89	461.76	1284	5	36.45	12.75	46
प. चंपारण	94	128.06	117	716.37	152.02	432	7	110.00	14.53	52
योग	**2503**	**3504.26**	**7681**	**45102.12**	**11713.31**	**39370.75**	**519**	**3114.51**	**810.83**	**2609**

परिशिष्ट 7 : (जारी)

जिले	ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सं.	सं.	राशि (लाख रु. में)	संलग्न मार्जिन मनी (लाख रु. में)	रोजगार (सं.)
अररिया	0	0	0.00	0.00	0
अरवल	0	0	0.00	0.00	0
औरंगाबाद	0	0	0.00	0.00	0
बांका	0	0	0.00	0.00	0
बेगूसराय	1	1	3.00	1.05	3
भागलपुर	0	0	0.00	0.00	0
भोजपुर	0	0	0.00	0.00	0
बक्सर	0	0	0.00	0.00	0
दरभंगा	0	0	0.00	0.00	0
पूर्वी चंपारण	0	0	0.00	0.00	0
गया	0	0	0.00	0.00	0
गोपालगंज	0	1	2.00	0.20	0
जमुई	0	0	0.00	0.00	0
जहानाबाद	0	0	0.00	0.00	0
कैमूर	2	2	10.00	3.50	20
कटिहार	0	0	0.00	0.00	0
खगड़िया	0	0	0.00	0.00	0
किशनगंज	0	0	0.00	0.00	0
लखीसराय	0	0	0.00	0.00	0
मधेपुरा	0	0	0.00	0.00	0
मधुबनी	0	0	0.00	0.00	0
मुंगेर	0	0	0.00	0.00	0
मुजफ्फरपुर	0	0	0.00	0.00	0
नालंदा	0	0	0.00	0.00	0
नवादा	0	0	0.00	0.00	0
पटना	35	0	0.00	0.00	0
पूर्णिया	0	0	0.00	0.00	0
रोहतास	0	0	0.00	0.00	0
सहरसा	5	1	0.00	0.00	0
समस्तीपुर	0	0	2.55	0.64	2
सारण	5	0	0.00	0.00	0
शेखपुरा	0	0	0.00	0.00	0
शिवहर	0	0	0.00	0.00	0
सीतामढ़ी	0	0	0.00	0.00	0
सीवान	17	0	0.00	0.00	0
सुपौल	0	0	0.00	0.00	0
वैशाली	0	0	0.00	0.00	0
पश्चिम चंपारण	0	0	0.00	0.00	0
योग	65	5	17.55	5.39	25

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

परिशिष्ट 8 : बिहार में देशी-विदेशी पर्यटकों का प्रवाह

स्थान	पर्यटक	पर्यटकों की संख्या (हजार में)							
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (अक्तू.)
पटना	देशी	644	1653	1488	2009	719	4306	3576	3473
	विदेशी	5	4	2	4	4	4	65	127
गया	देशी	526	2164	1126	1137	1359	4117	5018	4438
	विदेशी	3	6	4	3	2	90	98	171
बोधगया	देशी	128	153	297	465	480	745	848	838
	विदेशी	26	17	37	53	120	144	138	101
राजगिर	देशी	384	564	323	348	891	777	1065	1860
	विदेशी	9	4	6	11	33	86	107	114
रक्सौल	देशी	144	136	135	142	72	91	82	12
	विदेशी	3	3	2	3	7	5	6	3
मुंगेर	देशी	44	54	46	52	41	38	65	58
	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0
वैशाली	देशी	64	308	234	261	226	121	47	72
	विदेशी	11	4	9	12	10	17	8	4
मुजफ्फरपुर	देशी	72	290	68	66	241	295	217	270
	विदेशी	4	0	4	9	1	0	0	0
सोनपुर मेला	देशी	1296	1181	2008	4001	4020	216	2786	0
	विदेशी	0	0	1	1	1	0	50	0
श्रावणी मेला, सुल्तानगंज, भागलपुर	देशी	2505	1523	1156	2126	2198	1114	1510	1518
	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0
भागलपुर	देशी	—	—	0	65	88	—	545	517
	विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	देशी	—	—	0	0	19	67	26	16
	विदेशी	0	0	0	0	0	1	0	1
सभी स्थान	देशी	5228	8026	6881	10670	10353	11890	15785	13072
	विदेशी	61	38	63	94	177	346	423	521
योग		5289	8064	6944	10765	10530	12235	16208	13593

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 4

भौतिक अधिसंरचना

4.1 भूमिका

अधिसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख वाहक होती है। उद्योग या सेवा क्षेत्र जैसे अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के लिए मुख्य इनपुट बिजली, दूरसंचार, वायुसेवा और सड़क संपर्क हैं। आर्थिक गतिविधियों में उछाल लाने के अलावा ये सभी सामान्यत: समाज के लिए प्रासंगिक तथा अभिशासन में सहयोगी हैं। संक्षेप में, बुनियादी अधिसंरचना की अनुपस्थिति में कोई औद्योगिक विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आजकल लगभग सारे विकास प्रयासों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की बात की जाती है लेकिन निजी उद्यमी सामान्यत: आसान रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए अपनाए गए प्रोत्साहन के उपायों में सार्वजनिक निवेश के जरिए अधिसंरचना विकास की योजनाएं भी शामिल थीं। शेष विश्व की तरह केंद्र सरकार के 2009-10 के बजट में विभिन्न अधिसंरचनात्मक क्षेत्रों, खास कर राष्ट्रीय उच्चपथ विकास योजना (एनएचडीपी), जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) त्वरित शक्ति विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के लिए आबंटन में काफी वृद्धि की गई। बिहार सरकार ने भी सड़क निर्माण के लिए आबंटन में वृद्धि की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे अपने खुद के कार्यक्रम की शुरुआत की।

4.2 सड़क और पुल

बुनियादी अधिसंरचना के विकास की दिशा में पहला कदम गुणवत्तापूर्ण सड़कों का प्रावधान है। सड़कों का महत्व राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास और लोगों की आशाओं से प्रत्यक्षत: जुड़ा हुआ है। जहां तक सड़कों की बात है, तो बिहार सड़कों के विकास के मामले में सबसे पीछे है। संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रति लाख की आबादी पर 257 कि.मी. थीं जबकि बिहार का सड़क-घनत्व मात्र 90 कि.मी. था। इसी प्रकार हर 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई देश के स्तर पर 75 किमी थी जबकि बिहार में मात्र 51 किमी (तालिका 4.1)।

तालिका 4.1 : बिहार और संपूर्ण भारत में सड़कों की औसत लंबाई (2009-10)

मद	प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की औसत लंबाई (किमी)		प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़कों की औसत लंबाई (किमी)	
	बिहार	भारत	बिहार	भारत
कुल सड़क	90.10	256.70	50.80	75.00

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

बिहार के लगभग आधे गांव बारहमासी सड़कों से जुड़े नहीं हैं। बेहतर सड़क संपर्क के लिए भारी निवेश की जरूरत है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय उच्चपथ विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीमा क्षेत्र विकास

परियोजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सड़क क्षेत्र में निवेश कर रही है। सड़क क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए गत पांच वर्षों से राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत की है। राज्य में सड़क निर्माण संबंधी कार्यों के तेज क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना की है। फलतः अक्तूबर 2010 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 94,009.42 किमी हो गई थी। सड़कों की कुल लंबाई का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा (74 प्रतिशत) संपर्क पथ है जबकि राष्ट्रीय उच्चपथ और राज्य उच्चपथ लगभग पांच-पांच प्रतिशत हैं। कुल सड़कों में मुख्य जिला सड़कों का हिस्सा 9.54 प्रतिशत है और ऋजु पथ (थ्रू रूट्स) लगभग 8.45 प्रतिशत (तालिका 4.2)। एक अन्य अशांतिकर तथ्य यह है कि संपर्क पथों का बड़ा हिस्सा (86 प्रतिशत) कच्चा है। राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों और मुख्य जिला सड़कों का जिलावार विवरण परिशिष्ट 1 में देखा जा सकता है। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार, जहां तीन जिलों - किशनगंज, बांका और जमुई में राष्ट्रीय उच्चपथ नहीं है, वहीं खगड़िया राज्य उच्चपथ से भी अछूता है।

तालिका 4.2 : बिहार में सड़कों की लंबाई (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)

श्रेणी	सड़क की लंबाई (कि.मी.)			
	पक्की	कच्ची	कुल	प्रतिशत अंश
राष्ट्रीय उच्चपथ	3734.38	—	3734.38	3.97
राज्य उच्चपथ	3989.00	—	3989.00	4.24
प्रमुख जिला सड़कें	8966.04	—	8966.04	9.54
ऋजु पथ	7234	710	7944	8.45
संपर्क पथ	9917	59459	69376	73.80
योग	33840.42	60169.00	94009.42	100.00

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

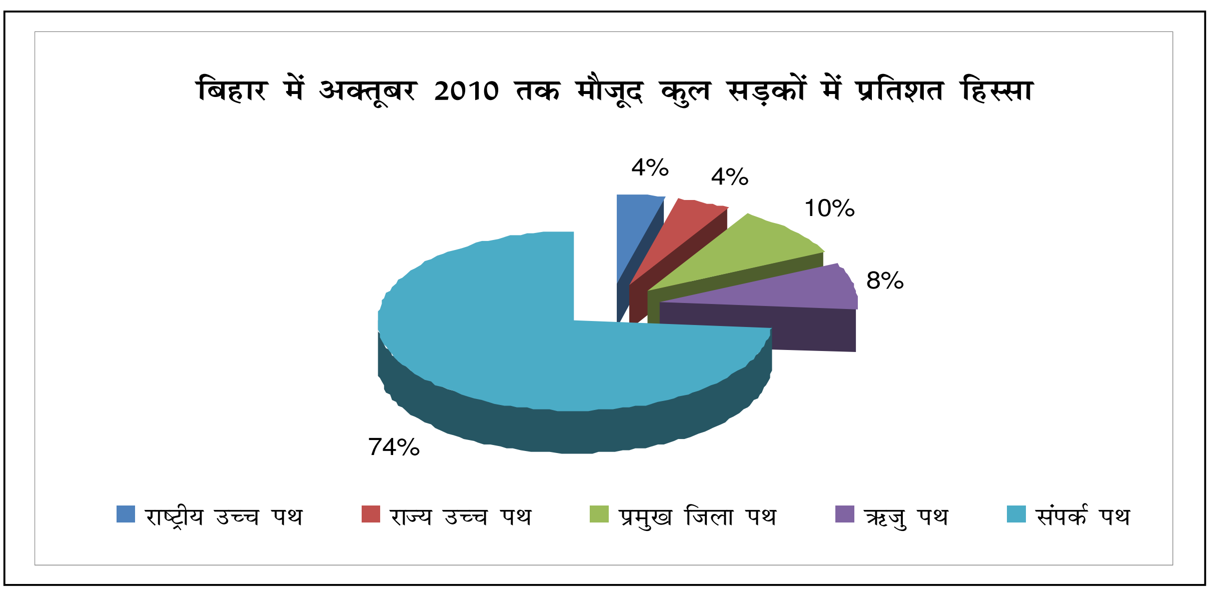

वर्ष 2009-10 में पथ निर्माण विभाग का योजना परिव्यय 3,046 करोड़ रु. और व्यय 3,045 करोड़ रु. था जबकि 2009-10 में भौतिक उपलब्धि 3,474 किमी और 2010-11 में, अक्तूबर 2010 तक 1325 किमी थी।

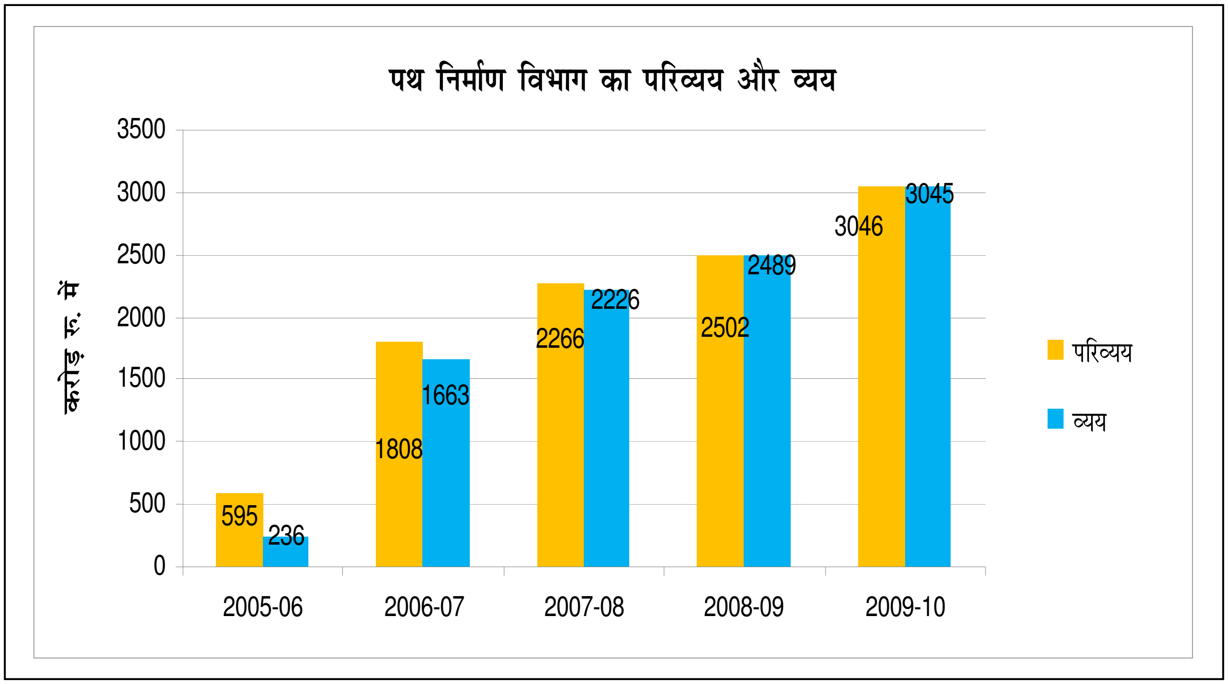

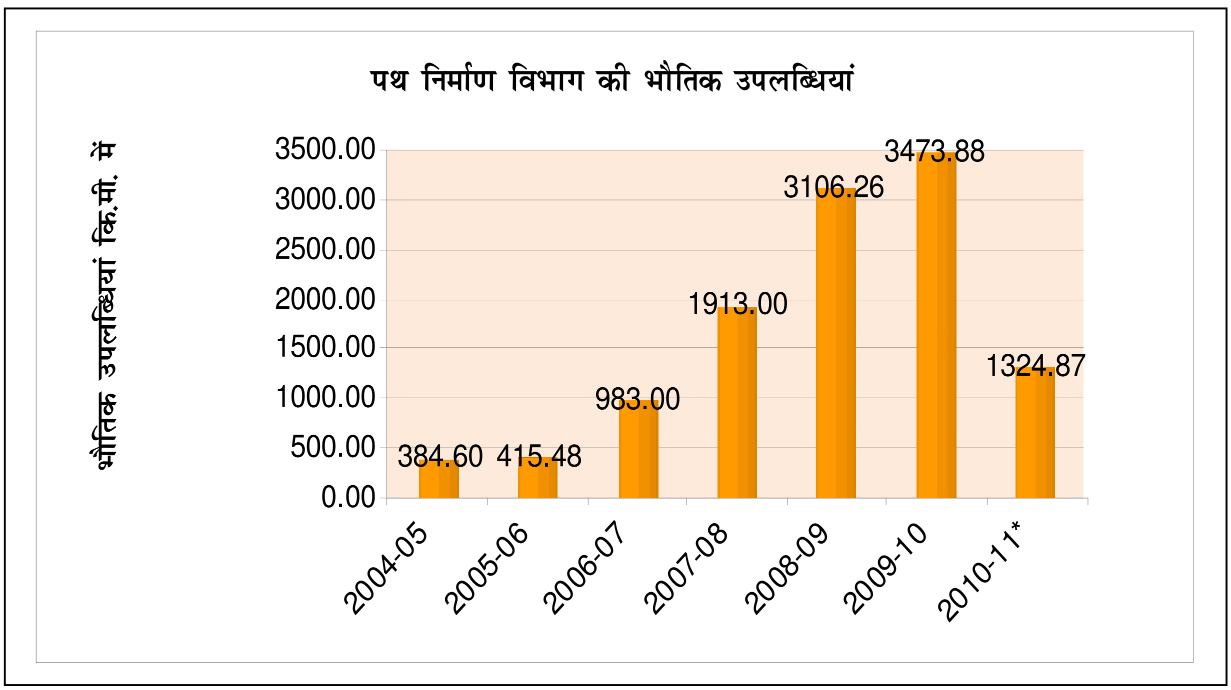

*अक्तूबर 2010 तक

राष्ट्रीय उच्चपथ

राज्य में मौजूद कुल राष्ट्रीय उच्चपथ में 799 किमी का अनुरक्षण भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकार करता है जिसमें से 206 किमी स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, 513 किमी पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर और 80 किमी भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ के अंतर्गत है। हालांकि राष्ट्रीय उच्चपथ के शेष 2,935 किमी का रखरखाव राज्य सरकार का पथ निर्माण विभाग करता है। राज्य उच्चपथों और मुख्य जिला सड़कों का रखरखाव भी पथ निर्माण विभाग करता है जबकि 'ऋजु पथों' और 'संपर्क पथों' का रखरखाव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ परियोजना के तहत 2009-10 में लगभग 3,165 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास के लक्ष्य में से नवंबर 2009 तक 1,490 किमी (47 प्रतिशत) सड़कें ही विकसित की जा सकी थीं। वर्ष 2009-10 में भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ परियोजना के तहत 9,800 किमी की परियोजनाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य के बरअक्स नवंबर 2009 तक कुल 1,285 किमी (13 प्रतिशत) की परियोजनाएं ही उपलब्ध कराई जा सकी थीं। भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ परियोजना के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय ने 2009 से 2014 की पंचवर्षीय अवधि में रोज 20 किमी अर्थात प्रति वर्ष 7,000 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ निर्माण का लक्ष्य रखा है। भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकार ने 2009-10 और 2010-11 में हर साल 12,000 किमी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है। अक्तूबर 2010 तक बिहार में मौजूद 3,735 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों की स्थिति (परिशिष्ट 2) को तालिका 4.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - 4.3 : बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की स्थिति (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)

राष्ट्रीय उच्चपथों की श्रेणी	लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशत हिस्सा
एक लेन (3.75 मी. चौड़ी)	629.78	16.9
मध्यवर्ती लेन (5.5 मी. चौड़ी)	834.01	22.3
दो लेन (7.0 मी. चौड़ी)	1463.18	39.2
7.0 मी. से अधिक चौड़ी	777.47	20.8
जानकारी नहीं	30.40	0.8
योग	3734.84	100.0

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

जैसा कि तालिका 4.3 में दर्शाया गया है, बिहार में मौजूद लगभग 40 प्रतिशत राष्ट्रीय उच्चपथ दो लेन से कम चौड़ाई वाले हैं। हालांकि विश्व बैंक से ऋण का प्रस्ताव तथा बजट में प्रावधान करके केंद्र सरकार दिसंबर 2014 तक दो लेन से कम चौड़े सभी राष्ट्रीय उच्चपथों को दो लेन में तब्दील करने के लिए पहल कर चुकी है। विश्व

बैंक की सहायता हेतु प्रस्तावित 3,800 किमी सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने के लिहाज से परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित भी किए गए थे। सड़क परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय ने भी बजट संसाधनों से एक/ मध्यवर्ती लेन वाले शेष 2,500 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों में सुधार के लिए कार्यवाही शुरू की है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चपथों के उत्क्रमण के लिए अनुमोदन नहीं किया था जिस कारण 2006-07 से 2008-09 के बीच राज्य सरकार ने खुद 711.96 करोड़ रु. खर्च करके 1,545 किमी सड़कों का काम पूरा किया था। हालांकि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उच्चपथ संगठन (एनएचओ), स्थायी पुल शुल्क कोष (पीबीएफएफ) आदि विविध परियोजनाओं के तहत 2006-07 से कुल 974 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों को उत्क्रमित किया गया है।

वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय उच्चपथ संगठन द्वारा 337 किमी तथा राज्य कोष से 436 किमी सड़कों का निर्माण कराया गया था। बाद में 2007-08 और 2008-09 में राष्ट्रीय उच्चपथों के बड़े हिस्से पर राज्य कोष से काम कराया गया। हालांकि, 2009-10 में राज्य कोष से राष्ट्रीय उच्चपथ संगठन की तुलना में कम आच्छादन हुआ। पथ निर्माण विभाग द्वारा लाए गए बदलाव को नीचे प्रस्तुत विकास के त्वरित आरेख में दर्शाया गया है।

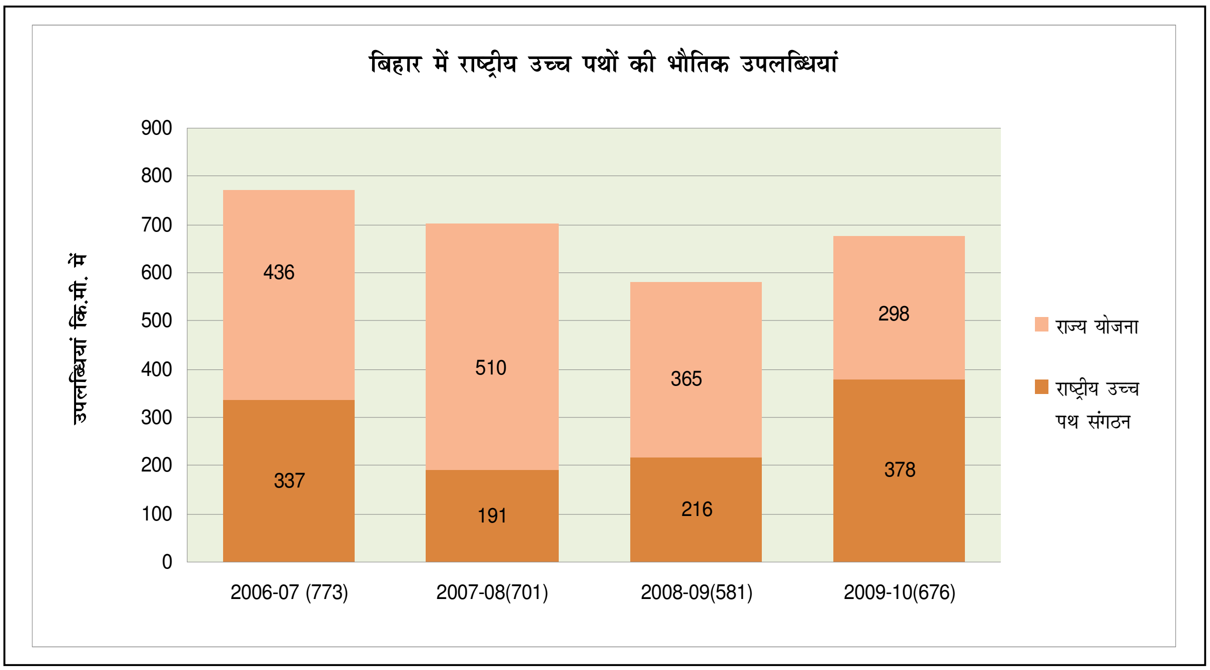

राज्य की विकासगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों को चार-लेन सड़कों में बदलने का काम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना, चरण-1 की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के तहत उच्चपथ पर दुर्गावती पुल के निर्माण को छोड़कर 205 किमी सड़कों को चार-लेन बनाने का काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार, पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर के तहत 513 किमी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है लेकिन काम की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना के चरण-3 के तहत 1,015 किमी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त सड़कों के अलावा भी कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिन्हें राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना के चरण-3 के तहत नहीं चुना गया है। इन सड़कों को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर विहित मानकों के अनुसार उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनांसियल सर्विसेज लि. (आइएल एंड एफएस) और इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनांस कंपनी लि. (आइडीएफसी) को परियोजना विकास परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत सक्षमता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) का प्रावधान है और इस वित्तपोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों का हिस्सा होगा। वर्ष 2010-11 (अक्तूबर 2010) तक राज्य सरकार ने 3,418 किमी सड़कों के विकास और पुनःसतहीकरण का काम पूरा कर लिया है जिनका विवरण तालिका 4.4 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.4 : राज्य सरकार द्वारा सड़कों का विकास

वर्ष	सड़कों की लंबाई (किमी)
2005-06	364
2006-07	773
2007-08	701
2008-09	580
2009-10	676
2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)	324
योग	3418

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

राज्य उच्चपथ

कुल 3,989 किमी राज्य उच्चपथों के दो-लेन में विकास के लिए राज्य सरकार ने राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना आरंभ की गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत राज्य उच्चपथों के उत्क्रमण का निर्णय किया और गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 72 प्रतिशत राज्य उच्चपथों को चौड़ा किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 2,035 किमी सड़कों का उत्क्रमण किया गया है और 2005 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत केंद्रीय लोक निर्माण प्रभाग (1,705 किमी) तथा इरकॉन इंटरनेशनल (330 किमी) द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

पुनः, बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम (बीएसएचपी-1) के तहत राज्य सरकार ने कुल 1,054 किमी लंबाई वाली 11 सड़कों को राज्य उच्चपथ घोषित किया है। इनमें से 9 के उच्चपथ के बतौर विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से 1,972 करोड़ रु. के लिए समझौता हुआ है। कार्य प्रगति पर है और फरवरी 2010 तक लगभग 25 प्रतिशत वित्तीय और 15.9 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि दर्ज की गई है जो लक्ष्य के अनुरूप है।

बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम-3 के तहत कुल 826.92 किमी लंबी 13 अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को राज्य उच्चपथ घोषित किया गया (परिशिष्ट 3)। इनमें से 44.40 किमी लंबे डुमरांव-विक्रमगंज राज्य उच्चपथ-79 का विकास सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत करना प्रस्तावित है। शेष 12 सड़कों के दो-लेन में उत्क्रमण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है। इन सड़कों के लिए वित्तीय सहायता हेतु एशियाई विकास बैंक सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है। 2150 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से इन योजनाओं पर इसी साल (2010-11 में) काम आरंभ होना है (परिशिष्ट 2)। इस प्रकार 2010-11 में अक्तूबर तक कुल 3,787 किमी राज्य उच्चपथों में से लगभग 50 दो या अधिक लेन वाले हो जा रहे हैं।

तालिका 4.5 : राज्य उच्चपथों का लेन आधारित ब्योरा (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)

लेन का प्रकार	चौड़ाई (मी)	कुल लंबाई (किमी)	कुल का %
एक लेन	3.75	1598.19	42.20
मधयवर्ती लेन	5.50	295.66	7.81
दो लेन	7.00	1849.17	48.83
चार लेन	14.00	43.98	1.16
योग		3787.00	100

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

मुख्य जिला सड़कें

मुख्य जिला सड़कों के अच्छे-खासे हिस्से की चौड़ाई 3.05 मी से 3.50 मी के बीच है जो राज्य में बढ़ते यातायात घनत्व के लिहाज से नितांत अपर्याप्त है। अतएव राज्य सरकार ने कुल 8,966 किमी लंबी समस्त प्रमुख जिला सड़कों को 5.50 मी की मानक चौड़ाई वाली मध्यवर्ती लेन सड़कों में उत्क्रमित करने का निर्णय किया है। जिन सड़कों को उत्क्रमित नहीं किया जा रहा है, उनका नए सिरे से सतहीकरण किया जा रहा है। इसके लिए धन राज्य योजना/ नाबार्ड (आरआइडीएफ)/ केंद्रीय सड़क कोष/ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम/ अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क योजना/ बारहवें वित्त आयोग आदि के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2006-07 से 7,466.04 किमी सड़कों के उत्क्रमण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है और फरवरी 2010 तक 4,812 किमी लंबाई में कार्य पूरा हो गया था। शेष 2,654 किमी लंबाई की सड़कों को 2010-11 में पूरा कर लेने का लक्ष्य है। पुनः, 2010-11 में राज्य में 690 किमी लंबी मुख्य जिला सड़कों के उत्क्रमण का प्रस्ताव है जिनमें से 475 किमी सड़कें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, 100 किमी राज्य योजना के तथा 115 किमी गैर-योजना के तहत हैं। उत्क्रमण कार्य का कुल अनुमानित व्यय 580 करोड़ रु. है। 30 प्रतिशत सड़कों का कार्य 2010-11 में और शेष 70 प्रतिशत के 2011-12 में पूरा हो जाने की आशा है।

लोक निर्माण विभाग के अधीन रही चुनिंदा मुख्य जिला सड़कों का नाबार्ड से ऋण लेकर उत्क्रमण (पुल-पुलियों के साथ) कराया जा रहा है। आरआइडीएफ के दसवें और बारहवें ट्रेंच के तहत पांच जिलों (वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी) में कुल 534 लंबी 26 सड़कों के उत्क्रमण तथा 306 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम का कुल व्यय 343.23 करोड़ रु. है जिसमें नाबार्ड का हिस्सा 261.44 करोड़ रु. और राज्य का हिस्सा 81.79 करोड़ रु. है। पुनः, आरआइडीएफ-13 के तहत भोजपुर, भभुआ, रोहतास, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर और लखीसराय जिलों में 181.42 करोड़ रु. व्यय वाली कुल 39 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है और कार्य लगभग पूरा होने पर है।

इसके अलावा, आरआइडीएफ-14 के तहत नाबार्ड ने गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और दरभंगा जिलों में एक-एक उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है और सारे काम प्रगति पर हैं। आरआइडीएफ-15 के तहत विभिन्न जिलों में 87 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 531.15 करोड़ रु. व्यय से बालूघाट में कोशी नदी पर बड़े पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा, 2010 में नाबार्ड द्वारा 180.70 करोड़ रु. के व्यय से 7 जिलों में चलने वाली 13 परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अन्य सड़कें

अन्य सड़कें दो प्रकार की हैं - ऋजु पथ और संपर्क पथ। ऋजु पथ को अन्य जिला सड़कों और संपर्क पथ को ग्रामीण सड़कों के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों और मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर शेष का निर्माण और रखरखाव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। ऋजु पथों की कुल लंबाई 7,944 किमी और संपर्क पथों की 69,376 किमी है। गत चार वर्षों के अंदर 6,750 करोड़ रु. की लागत से लगभग 14,106 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। तथापि संपर्क पथों का अच्छा-खासा हिस्सा कच्चा है जो मॉनसून के दौरान सामान्यतः अनुपयोगी हो जाता है। ऐसी सड़कों की स्थिति में सुधार के भी प्रयास चल रहे हैं।

रेल उपरिपुल

वर्ष 2005 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत राज्याधीन 22 सड़कों की रेल क्रॉसिंग पर रेल मंत्रालय द्वारा लागत व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर रेल उपरिपुलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। 497.50 करोड़ रु. व्यय से इनमें से 14 परियोजनाओं का क्रियान्वयन इनकॉन इंटरनेशनल लि. द्वारा किया जा रहा है। शेष 8 परियोजनाओं के लिए सिर्फ संपर्कपथ के निर्माण का काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा हाथ में लिया गया है जबकि रेल उपरिपुलों का निर्माण इरकॉन द्वारा किया जा रहा है। इन 8 परियोजनाओं का अनुमानित व्यय 241.82 करोड़ रु. है। अन्य 12 रेल उपरिपुलों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है और इन्हें बाद में शुरू करने का लक्ष्य है। इनके विवरण परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

केंद्रीय सड़क कोष : पेट्रॉल और डीजल की होने वाली खपत पर केंद्र सरकार 1.50 रु. प्रति लीटर उप-कर लगाती है। कुल संग्रहित राशि का 50 हिस्सा प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के लिए निर्धारित होता है और 50 प्रतिशत राज्य सड़कों के लिए। इसी कोष से राज्य का हिस्सा आबंटित किया जाता है जिसमें से 57.5 प्रतिशत राष्ट्रीय उच्चपथों, 12.5 प्रतिशत रेल उपरिपुलों तथा शेष 30 प्रतिशत राज्य की सड़कों के विकास के लिए तय रहता है। संग्रहित राशि में केंद्रीय सड़क कोष का 90 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सड़कों का 10 प्रतिशत हिस्सा होता है।

केंद्रीय सड़क कोष परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने कुल 64 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें से 47 पूरी हो चुकी हैं और शेष 17 का काम प्रगति पर है। स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 8.56 करोड़ रु. सीड मनी के बतौर उपलब्ध कराए गए थे। इस संबंध में राज्य सरकार ने जितनी राशि खर्च करके उपयोग प्रमाणपत्र पेश किए थे उसे केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2009-10 में केंद्र सरकार ने जमा किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर 50.49 करोड़ रु. विमुक्त किए।

इनके अलावा, 131 करोड़ रु. व्यय से 25 अतिरिक्त सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय उच्चपथ मंत्रालय के पास पेश की गई हैं जिन पर सक्रियतापूर्वक विचार हो रहा है। इसी प्रकार, राज्य के 33 जिलों को उग्रवाद प्रभावित घोषित करके केंद्र सरकार ने इन जिलों में सड़कों के विकास के लिए प्रस्ताव मांगा था। राज्य सरकार ने पहले चरण में 614.15 करोड़ रु. के व्यय से कुल 649.05 किमी लंबी सड़कों के निर्माण की 45 परियोजनाओं के प्रस्ताव सड़क परिवहन तथा राष्ट्रीय उच्चपथ मंत्रालय को सुपुर्द किए। इस संबंध में 174.24 करोड़ रु. व्यय की कुल 173.75 किमी लंबाई वाली 15 परियोजनाओं को 2009-10 की अंतिम तिमाही में स्वीकृति प्रदान की गई है। 4.55 करोड़ रु. के लिए निविदा अनुमोदित हुई थी हालांकि काम 4.91 करोड़ रु. के व्यय से पूरा हुआ है। 12.42 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कैमूर जिले के करकैत घाट में उच्च गुणवत्ता के पुल निर्माण का काम शुरू हो गया है।

आर्थिक महत्व की परियोजनाएं : आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 50 प्रतिशत केंद्रीय अंशदान देती है और शेष 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना होता है। वर्ष 2009-10 में आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के तहत केंद्रीय हिस्से के बतौर मिले 5.25 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया गया है, हालांकि राज्य सरकार के 2 करोड़ रु. हिस्से के प्रावधान में से मात्र 0.47 करोड़ रु. का ही उपयोग किया गया है। परियोजना की प्रगति और संभावित केंद्रांश की रौशनी में राज्य सरकार के बजट में वर्ष 2010-11 के लिए राज्यांश के बतौर 5.50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

<u>सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम</u> : इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता के बतौर शत-प्रतिशत व्यय वहन करती है। वर्ष 2008-09 में 23.23 करोड़ रु. और 2009-10 में 10.90 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। 55.41 करोड़ रु. के अनुमोदित व्यय से कुल 78.60 किमी लंबाई की 8 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें से अधिकांश भारत-नेपाल सीमा पर हैं। अलग-अलग परियोजनाओं पर लगभग 59 से लेकर 67 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना

सुदूर क्षेत्रों में, खास कर ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नदियों-नालों पर तथा सड़कों पर बने क्षतिग्रस्त अथवा जीर्णशीर्ण पुलों की जगह नए पुल बनाना है। इस योजना के तहत 25 लाख से कम व्यय वाली योजनाएं जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित होती हैं जबकि उससे ऊपर की बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए। अभी तक कुल 1,418.57 करोड़ रु. के परिव्यय वाली 2,490 योजनाओं का चयन किया गया है। इनमें से 1,968 को जिला प्रशासन द्वारा हाथ में लिया गया था जिनमें से 1,123 पूरी हो चुकी हैं। इसी प्रकार, 522 परियोजनाएं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा हाथ में ली गई थीं जिनमें से 382 पूरी हो चुकी हैं। इस तरह कुल 2,490 परियोजनाओं में से 1,505 पूरी हो चुकी हैं और शेष 985 पर काम चल रहा है जिनके 2010-11 में पूरा हो जाने की आशा है। योजनाओं के विवरण तालिका 4.6 में प्रस्तुत हैं। नई योजनाएं भी चिन्हित कर ली गई हैं और आवश्यक अनुमोदन के बाद 2010-11 में उन पर काम आरंभ किया जाना है।

तालिका 4.6 : मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना

अभिकरण	योजनाओं की संख्या	अनुमानित व्यय (करोड़ रु.)	पूरी हो चुकी परियोजनाएं				राशि का उपयोग (करोड़ रु.)
			2007-08	2008-09	2009-10	**योग**	
जिला प्रशासन	1968	392.55	128	421	574	1123	224.91
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम	522	1026.018	60	157	165	382	751.78
योग	2490	1418.568	188	578	739	1505	976.69

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

4.3 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. की स्थापना राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के एक संकल्प के तहत 1974 में हुई थी। संकल्प के अनुसार, निगम को पुलों के लिए सर्वेक्षण, निर्माण और रखरखाव, जलनिकासी तथा अन्य संबंधित कार्य करने हैं। पथ कर और अन्य स्रोतों से प्राप्त रकम से, जिसमें व्यावसायिक बैंकों के ऋण भी शामिल होते हैं, निगम पुलों के लिए सर्वेक्षण तथा निर्माण का काम करता है। यह 25 लाख रु. और उससे अधिक व्यय वाले कार्य हाथ में लेता है। पहले निगम बहुत बुरी हालत में था लेकिन 2004 में पुनर्जीवित किए जाने के बाद से इसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई है और टर्नओवर में लगातार वृद्धि का रुझान दिखता है (तालिका 4.7)।

तालिका 4.7 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का टर्नओवर

वर्ष	टर्नओवर (करोड़ रु.)
2004-05	42.62
2005-06	57.38
2006-07	95.88
2007-08	417.48
2008-09	768.00
2009-10	858.00

स्रोत : रिपोर्ट कार्ड, 2010, बिहार सरकार

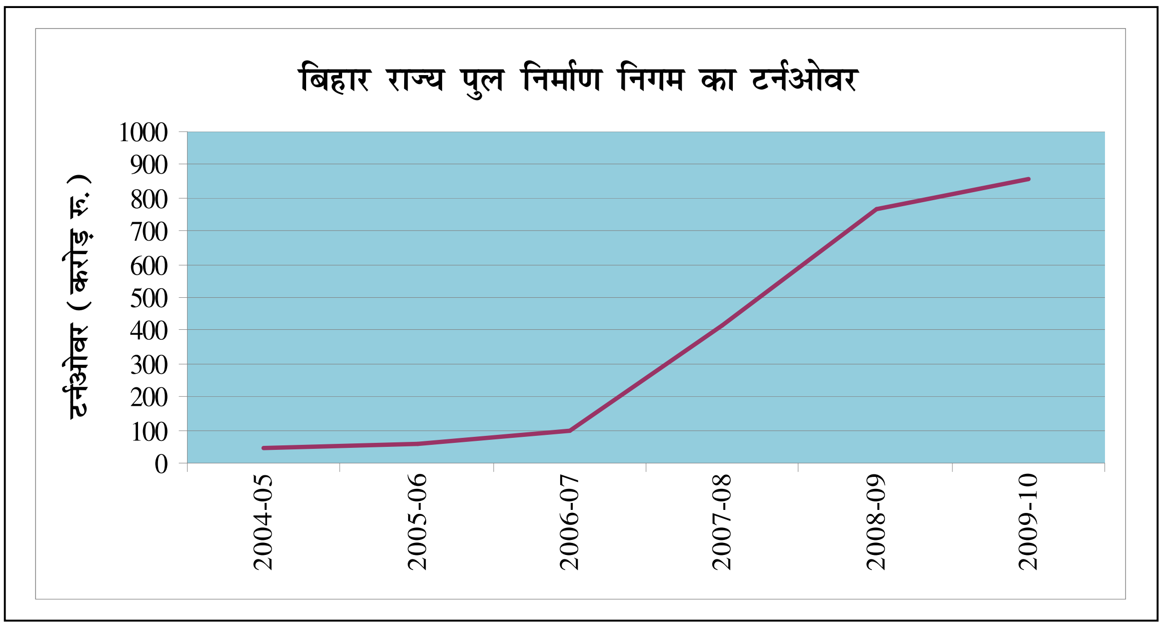

वर्ष 2005-06 में निगम को लगभग 6 करोड़ रु. मुनाफा हुआ था जबकि 2009-10 में उसे 91.50 करोड़ रु. मुनाफे की आशा है। इसका अर्थ हुआ कि पांच वर्ष की छोटी अवधि में निगम का मुनाफा 15 गुना से भी अधिक बढ़ गया है (तालिका 4.8)।

तालिका 4.8 : निगम की लाभ-हानि की स्थिति (लाख रु.)

वर्ष	परियोजनाओं पर व्यय	कुल प्राप्ति	कर्मियों पर तथा प्रशासनिक व्यय	लाभ/ हानि
2005-06	5738.76	1312.75	716.24	(+) 596.41
2006-07	9588.51	2838.38	1116.24	(+) 1722.14
2007-08	41747.87	8825.74	1220.87	(+) 7604.87
2008-09	75600.80	11073.37	2030.00	(+) 9043.36
2009-10	85000.00	11050.00	1900.00	(+) 9150.00 (अनुमानित)

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

वर्ष 2006-07 से 2009-10 (दिसंबर 2010) तक की अवधि में निगम ने 1,030 करोड़ रु. के समूहित व्यय से 518 पुलों का निर्माण किया है (तालिका 4.9)। बहुत कम समय में निगम का ढांचा खड़ा हो गया है और उसे पुल निर्माण के अतिरिक्त भवन, सिंचाई, सड़क आदि के निर्माण के काम भी सौंपे जाते हैं। यही नहीं, निगम से कार्यक्रम प्रबंधन आदि कार्य भी कराए जा रहे हैं। बहुत कम अवधि में निगम की सफलता की आश्चर्यजनक गाथा अन्य अभिकरणों के लिए अनुकरणीय है।

तालिका 4.9 : 2006-07 से 2010-11 तक निर्मित पुलों की संख्या व्यय सहित

वर्ष	पुलों की सं.	व्यय (करोड़ रु.)
2006-07	35	154.94
2007-08	60	45.34
2008-09	157	183.78
2009-10	187	416.16
2010-11 (दिसंबर 10 तक)	79	229.72
योग	**518**	**1029.94**

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार सरकार

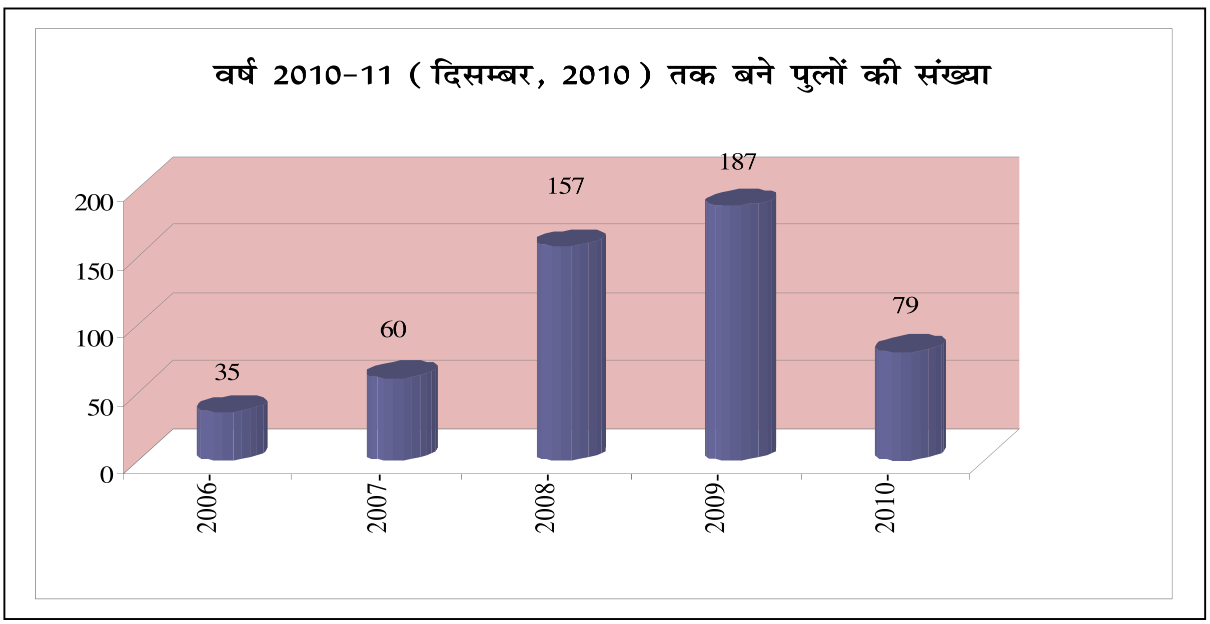

4.4 पथ परिवहन

सड़क अधिसंरचना की पर्याप्तता और गुणवत्ता किसी भी क्षेत्र में परिवहन की उपलब्धता पर भारी प्रभाव डालती हैं। बिहार में सड़कों की लंबाई और पुलों की संख्या में पांच वर्ष की बहुत छोटी अवधि में काफी इजाफा हुआ है जिसकी परिणति निबंधित मोटरवाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि में हुई है (तालिका 4.10)। वर्ष 2005-06 में कुल निबंधित वाहनों की संख्या लगभग 80 हजार ही थी जो 2009-10 में लगभग चारगुनी (3.19 लाख) हो गई है। इसमें 2006-07 में सर्वाधिक 83 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दिखी। इस पर भी गौर किया जा सकता है कि वाहनों

की संख्या में वृद्धि सभी प्रकार के वाहनों के मामले में है। निबंधित वाहनों की जिलावार संख्या परिशिष्ट 5 में दी गई है।

तालिका 4.10 : निबंधित वाहनों की संख्या

वर्ष	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	ऑटो	दुपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
2005-06	579	113	5062	427	2321	3273	61333	3509	2440	1306	80363
2006-07	1989	921	7409	1326	4430	5027	112985	6160	5281	1781	147309
2007-08	2409	1341	8223	3042	4229	6030	120296	8164	5358	2665	161757
2008-09	3598	1121	10549	3791	5748	8423	166882	11203	7510	1588	220413
2009-10	8474	1555	14854	7347	9862	12392	233656	19496	10529	969	319134
2010-11, सितंबर 10 तक	3210	689	4679	2494	3981	6480	104001	8449	4905	678	139566

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

निबंधित वाहनों की संख्या बढ़ने से परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण भी कईगुना बढ़ा है। राजस्व संग्रहण 2001-02 में मात्र 133 करोड़ रु. था जो 2009-10 में 373 करोड़ रु. हो गया है जो इस अवधि में लगभग तीनगुनी वृद्धि दर्शाता है। तालिका 4.11 में देखा जा सकता है कि पूरी अवधि में राजस्व संग्रहण वर्ष हेतु तय लक्ष्य के 80 प्रतिशत के आसपास रहा है। लगभग शत-प्रतिशत संग्रहण 2005-06 में देखा गया था और मात्र 58 प्रतिशत के आसपास 2006-07 में।

तालिका 4.11 : परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रह (2001-02 से 2010-11)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
2001-02	160	133.10	83.19
2002-03	205	177.54	86.60
2003-04	275	217.81	79.20
2004-05	308	257.21	83.51
2005-06	310	308.47	99.51
2006-07	350	202.14	57.75
2007-08	375	245.86	65.56
2008-09	450	303.58	67.46
2009-10	450	372.83	82.85
2010-11, सितंबर 10 तक	450	191.63	42.58

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

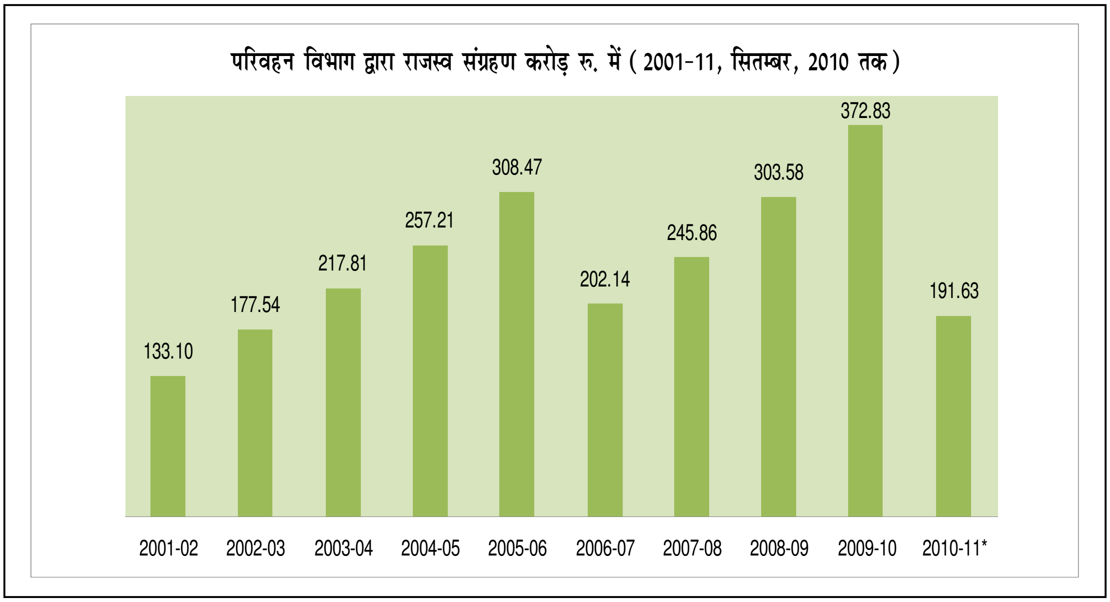

*** सितम्बर, 10 तक**

परिवहन विभाग का कंप्यूटरीकरण

समेकित और प्रभावी परिवहन व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने अरवल जिले के सिवा अपने सभी जिला और आंचलिक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण कर दिया है। जिला परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण से 'वाहन' और 'सारथी' सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए अब स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस तथा निबंधन प्रमाणपत्र जारी करना संभव हो गया है। स्मार्ट कार्ड निबंधन प्रमाणपत्रों से अब वाहनों के बारे में भौतिक जानकारियां प्राप्त करना ही नहीं, कर भुगतान और परमिट संबंधी सूचनाएं भी संग्रहित-संरक्षित करना आसान हो गया है। अब अवैध और जाली ड्राइविंग लाइसेंसों की पहचान करना और उसे रोकना आसान होगा। एक योजना ई-भुगतान की भी है जिससे प्रशासन परमिट शुल्कों का संग्रहण जारी किए जाने वाले स्थानों पर ही करने में समर्थ होगा। इससे राष्ट्रीय परमिट जारी करने के मामले में समानता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य सरकार की पहलकदमियां

राज्य सरकार के परिवहन विभाग का ध्येय आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए परिवहन सुविधाओं में वृद्धि तथा नागरिकों की आशाओं की पूर्ति के लिहाज से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसकी प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों निम्नलिखित पहलकदमियां ली हैं :

- 18.41 करोड़ रु. के व्यय से 19 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय सह जिला परिवहन सुविधा केंद्र के निर्माण की योजना।
- परिवहन व्यवसाय में शामिल लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए एकमुश्त कर भुगतान की सुविधा का विस्तार व्यावसायिक ट्रैक्टर ट्रेलरों और तिपहियों के लिए भी किया गया है।

- शहरों में सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नए निबंधित सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट।
- वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए हरित कर।
- नए वाहनों के आसान निबंधन में सहयोग के लिए विक्रेता के समीप ही निबंधन। वाहनों के जरिए क्षमता से अधिक ढुलाई और ऐसे कार्यों में लगे गिरोहों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उड़नदस्तों का गठन।
- वाहन दुरुस्ती (फिटनेस) प्रमाणपत्र की सहज उपलब्धता के लिए निजी उद्यमियों द्वारा दुरुस्ती केंद्र खोलने की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- औरंगाबाद जिले में सार्वजनिक-निजी साझेदारी में भारी व्यावसायिक वाहनों के चालकों के लिए चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हेतु जमीन चयनित।
- सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ द्विपक्षीय परिवहन समझौता।
- नागरिकों को मुफ्त हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराने की योजना।
- वाहन मालिकों द्वारा ई-भुगतान प्रणाली के जरिए वाहन करों की भुगतान सुविधा हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिकृत।

4.5 विद्युत

बिजली किसी देश या क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र है। देश में बिजली का उत्पादन मुख्यत: जलविद्युत, तापविद्युत तथा आणविक विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है। घरेलू उत्पादन के अलावा, बिजली का भूटान से आयात भी किया जाता है। हालांकि 2009-10 में अप्रील से दिसंबर 2009 के बीच देश के विद्युत उत्पादन में 9 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि 6 प्रतिशत हुई। बिजली उत्पादन का स्तर अप्रील 2008 में 540 अरब किवा-आवर था जो दिसंबर 2008 में बढ़कर 572.5 अरब किवा-आवर हो गया। इस अवधि में तापविद्युत में 88 प्रतिशत वृद्धि हुई। हालांकि जलविद्युत उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई जो मुख्यत: कम वर्षा के कारण थी। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का तापविद्युत उत्पादन में लगभग 80 प्रतिशत तथा कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा है। आणविक विद्युत उत्पादन लगभग 14 अरब किवा-आवर है।

इस बात का उल्लेख प्रासंगिक होगा कि अनुकूल नीतिगत वातावरण में निजी भागीदारी और इंधनों में विविधता लाने के कारण देश के विद्युत क्षेत्र में भारी बदलाव आ रहा है। संचरण एवं वितरण व्यवस्था में सार्वजनिक-निजी साझेदारी, आणविक विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निजी सहभागिता, मांग पक्ष का प्रबंधन, वितरण व्यवस्था में कार्याधिकार (फ्रैंचाइस), नवीकरणीय ऊर्जा तथा भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की अन्य अनेक गतिविधियों की शुरुआत विगत कुछ वर्षों के दौरान ही हुई है। विद्युत अधिनियम, 2003 बुनियादी विधान है जिसने विद्युत क्षेत्र में अधिक प्रभावी तथा त्वरित विकास की वैधानिक रूपरेखा उपलब्ध कराई है। इस अधिनियम का सरोकार मुख्यत: राज्य विद्युत परिषदों को अनेक भागों में बांटने तथा उपयुक्त नियामक हस्तक्षेप के जरिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के प्रयास से है। फलत: विद्युत क्षेत्र अब प्रतिस्पर्धी बन रहा है और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिहाज से दक्षता हासिल कर रहा है।

विद्युत क्षेत्र बिहार के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसंरचना है और उचित तथा प्रतिस्पर्धी दर पर विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति कृषि उत्पादन, ग्राम, लघु एवं अतिलघु उद्योग विकास तथा अन्य व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के पैटर्न में सुधार ला सकती है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी)

वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के कारण मुख्य विद्युतगृह झारखंड में चले गए और वर्तमान बिहार में दो पुराने विद्युतगृह ही बचे। फलतः राज्य बिजली की उपलब्धता के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है और अपनी जरूरत की 90 प्रतिशत बिजली केंद्रीय स्रोतों से खरीदनी पड़ती है। वर्ष 2009 के अंत में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 29.6 लाख उपभोक्ता थे और कुल बिक्री 5,325 गीगावाट-आवर थी। कुल उपभोक्ता में से 33 प्रतिशत घरेलू, 27 प्रतिशत औद्योगिक और 15 प्रतिशत सिंचाई संबंधी उपभोक्ता थे। वर्ष 2006 से 2009 के बीच बिक्री में लगभग 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। बोर्ड का कामकाजी और वित्तीय प्रदर्शन तालिका 4.12 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.12 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का प्रदर्शन

मद	2005	2006	2007	2008	2009
उत्पादन एवं खरीद (गीगावाट-आवर)	6555	7595	8205	8246	8895
बिक्री (गीगावाट-आवर)	4102	4342	4542	4852	5325
हानि (%)	37.43	42.83	44.66	41.16	40.14
औसत राजस्व (रु./ किवा-आवर)	2.44	2.61	2.81	3.02	3.15
बिजली की बिक्री (अरब रु.)	10.00	11.32	12.76	14.64	16.76
कुल आय (सब्सिडी सहित) (अरब रु.)	24.35	26.97	21.12	23.08	24.85
लागत वसूली (टैरिफ/ व्यय) (%)	40	40	43	46	47

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लेखे, 2009 के आंकड़े

तालिका से पता चलता है कि राज्य का विद्युत क्षेत्र उच्च संचरण एवं वितरण हानि तथा कम लागत वसूली से त्रस्त है। जैसा कि उल्लेख है, 2005 से नियमित हानि लगभग 40 प्रतिशत रही है और लागत वसूली 2005 के 40 प्रतिशत और 2009 के 47 प्रतिशत के बीच।

विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग लगभग 100 इकाई है जबकि संपूर्ण भारत का औसत 717 इकाई है। राज्य में गत 25 वर्षों से कोई नई उत्पादन इकाई नहीं लगी है। राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यंत खराब है और सर्वोच्च मांग की तुलना में कमी लगातार बढ़ रही है। राज्य में जलविद्युत सहित कुल स्थापित क्षमता लगभग 600

मेगावाट है जबकि सर्वोच्च मांग 3,000 मेगावाट। वर्ष 2006-07 में कमी लगभग 17 प्रतिशत थी जो 2007-08 में बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई और 2009-10 में 40 प्रतिशत। वर्ष 2010-11 में कमी लगभग 45 प्रतिशत अनुमानित है। विस्तृत ब्योरा तालिका 4.13 में देखा जा सकता है।

तालिका 4.13 : विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वर्ष	अधिकतम मांग (मेगावाट)	अधिकतम उपलब्धता (मेगावाट)	कमी (मेगावाट)	कमी (प्रतिशत)
2002-03	1389	1325	64	4.6
2003-04	973	788	185	19
2004-05	980	980	0	0
2005-06	1314	1116	198	15.1
2006-07	1399	1162	237	16.9
2007-08	1800	1244	556	30.88
2008-09	1900	1348	552	29.05
2009-10	2500	1508	992	39.68
2010-11*	3000	1664	1336	44.53

*अक्तूबर 2010 तक

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

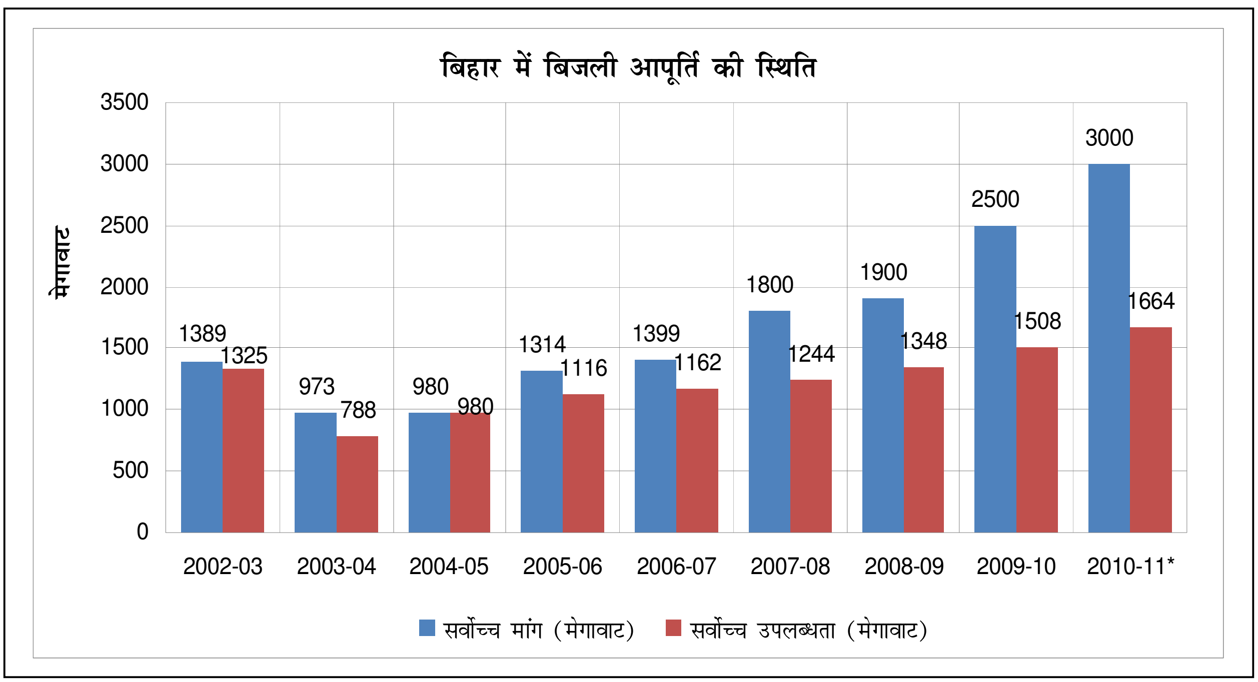

*अक्तूबर 2010 तक

बिहार की वर्तमान स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 584.6 मेगावाट है जिसमें बिहार राज्य जलविद्युत निगम के स्वामित्व वाले नवीकरणीय संसाधन भी शामिल हैं। केंद्रीय बिजलीघरों से आबंटनों को मिलाकर राज्य की कुल उपलब्धता 1,836 मेगावाट है। इस कारण उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नियंत्रित विद्युत आपूर्ति करनी पड़ती है। हालांकि कुछ कमी का श्रेय झारखंड के विभाजन से उत्पन्न विरासत संबंधी मुद्दों को दिया जा सकता है, लेकिन उत्पादन क्षमता में कोई विस्तार नहीं हुआ है।

बोर्ड के बरौनी और मुजफ्फरपुर तापविद्युत केंद्रों का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण हुआ है। उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है जिसका आशय संयुक्त उपक्रमों की स्थापना (नबीनगर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयां), वर्तमान संयंत्रों के क्षमता विस्तार, बांका (660 मेगावाट की 4 इकाइयां), पीरपैंती (2,000 मेगावाट) और कहलगांव (660 मेगावाट की 2 इकाइयां) में स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजनाओं को प्रेरित करने तथा केंद्रीय विद्युत संयंत्रों से इतना आबंटन सुनिश्चित कराने से है कि राज्य को 2012 में 66 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी नहीं झेलनी पड़े जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का पूर्वानुमान है।

अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य को पूरी तरह केंद्रीय क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। मीटर पठन के मुताबिक राज्य सरकार को केंद्रीय क्षेत्र से 1,746 से लेकर 1,791 मेगावाट तक बिजली मिलती है। इसे तलचर एसटीपीएस (सुपर तापविद्युत संयंत्र) और कहलगांव एसटीपीएस-1 से 40-40 प्रतिशत हिस्सा मिलता है लेकिन कहलगांव एसटीपीएस-2 से 7 प्रतिशत ही हिस्सा मिलता है। कुल मिलाकर बिहार को केंद्रीय विद्युत केंद्रों से लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

तालिका 4.14 : केंद्रीय विद्युत केंद्रों से बिजली

केंद्रों के नाम	क्षमता (मेगावाट)	बिहार का अंशभाग	
		मेगावाट	प्रतिशत
फरक्का एसटीपीएस	1600	454-475	28.38-29.70
तलचर एसटीपीएस	1000	390-403	39.02-40.34
कहलगांव एसटीपीएस-1	840	332-342	39.54-40.83
कहलगांव एसटीपीएस-2	1500	100	6.67
टाला एचपीएस	1020	260	25.50
चूखा एचपीएस	270	80	29.63
रंगित एचपीएस	60	21	35.00
तिस्ता एचपीएस	510	108	21.25
योग	**6800**	**1746-1791**	**25.68-26.34**

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

बिहार में आपूर्ति और खपत का पैटर्न संतोषजनक नहीं है क्योंकि केंद्रीय सरकार के प्रक्षेत्र से बिजली खरीदने के बावजूद 2009-10 में बिजली की कमी 45.33 प्रतिशत थी जो 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) बढ़कर 55.40 प्रतिशत हो गई थी।

तालिका 4.15 : ऊर्जा आपूर्ति और उपभोग का पैटर्न (मेगावाट)

प्राप्ति/ उपभोग	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10 तक)
केंद्रीय प्रक्षेत्र से प्राप्ति	8133.46	9060.36	5997.12
सहायक उपभोग पश्चात विद्युत बोर्ड उत्पादन	90.21	226.60	86.69
केबीयूएनएल उत्पादन विद्युत बोर्ड को	189.72	397.72	191.25
अन्य	44.50	20.75	13.91 (सितंबर 10 तक)
चीनी मिल से विद्युत बोर्ड को	10.53	11.13	00
मांग की पूर्ति	8468.42	9716.58	6293.59
ऊर्जा की आवश्यकता	12800	17773	14101
ऊर्जा की कमी	4331.58	8056.42	7807.41
ऊर्जा की कमी (प्रतिशत)	33.84	45.33	55.37

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

संचरण व्यवस्था में सुधार

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में 220 किलोवोल्ट की 1,127 किमी परिपथ लंबाई वाली 14 संचरण लाइनों तथा 132 किलोवोल्ट की 4,350 किमी परिपथ लंबाई वाली 80 संचरण लाइनों का निर्माण किया है। बिहार उप-संचरण योजना के तहत उप-संचरण का बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण आरएसवीवाइ के जरिए चल रहा है। प्रथम चरण में 18 नए ग्रिड उप-स्टेशनों और 876 किमी लंबी नई संचरण लाइनों का निर्माण पूरा किया गया है। दूसरे चरण के पहले भाग में 10 नए ग्रिड उप-स्टेशनों और 523 किमी लंबी नई संचरण लाइनों का निर्माण दिसंबर 2010 तक पूरा हो जाने की आशा है। 19 ग्रिड उप-स्टेशनों की क्षमतावृद्धि और पुराने ग्रिड उप-स्टेशनों की मरम्मत एवं रखरखाव भी पूरा होना है। इसी प्रकार, दूसरे चरण के दूसरे भाग में 17 नए ग्रिड उप-स्टेशनों का निर्माण और 1,513 किमी लंबी नई संचरण लाइनों के साथ 12 ग्रिड उप-स्टेशनों की क्षमतावृद्धि सितंबर 2011 तक पूरा हो जाने की आशा है। भारतीय पावर ग्रिड निगम इस योजना में सहयोग कर रहा है।

संचरण एवं वितरण हानि

बिहार में वर्तमान विद्युत वितरण की पहचान लगभग 40 प्रतिशत व्यवस्थागत हानि है जो राष्ट्रीय लक्ष्य 15 प्रतिशत से काफी अधिक है। नगद वसूली पर विचार करने पर हानि और भी अधिक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति विद्युत वितरण की वर्तमान प्रबंधन प्रणाली में बदलाव की मांग करती है। तथ्य यह है कि मापन प्रणाली की अनुपस्थिति

में बोर्ड वास्तविक संचरण एवं वितरण हानि को माप सकने में भी समर्थ नहीं है। वर्ष 2006-07 में संचरण एवं वितरण हानि 57.6 प्रतिशत अनुमानित थी।

तालिका 4.16 : संचरण एवं वितरण हानि

वर्ष	संचरण-वितरण हानि (प्रतिशत)
2002-03	39.00
2003-04	37.00
2004-05	35.90
2005-06	40.00
2006-07	42.61
2007-08	39.06
2008-09	37.98
2009-10	38.32

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 51,996 हजार वर्तमान ट्रांसफर्मरों में से 16,035 वितरण ट्रांसफर्मर ही मीटरयुक्त हैं। बिहार के सभी जिलों में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस) लागू नहीं है। केंद्र सरकार के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के तहत शुरू हुई योजनाओं में (1) नए वितरण उप-स्टेशनों की स्थापना, (2) उपभोक्ता तथा फीडर मापन व्यवस्था की स्थापना, (3) 33 और 11 किलोवोल्ट की अति दबावग्रस्त लाइनों का उत्क्रमण, (4) वर्तमान उप-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफर्मरों का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण, और (5) नए वितरण ट्रांसफर्मरों की स्थापना शामिल हैं।

बिहार विद्युत नियामक प्राधिकरण की स्थापना मई 2005 में हुई थी। नियामक ने 33 निदेश जारी किए हैं जिनमें मीटर लगाने, हानि में कमी लाने तथा हानि-लघुकरण उपाय संबंधी निदेश शामिल हैं और बोर्ड इन निदेशों के अनुरूप काम कर रहा है। हानि को 3 प्रतिशत वार्षिक हानि-लघुकरण लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए नियामक को उपयोग के संसाधनों और प्रदर्शन के ढांचों की समीक्षा करने की जरूरत है। साथ ही, हानि की आधारसीमा तय करने तथा लक्ष्यों के अनुश्रवण के लिए स्वतंत्र अध्ययनों की भी जरूरत है।

वित्तीय प्रदर्शन

सुधार के बावजूद बोर्ड द्वारा टैरिफ के जरिए लागत वसूली अभी भी मात्र 47 प्रतिशत है जिसमें बिजली की औसत लागत 6.55 रु. प्रति किवा-आवर है और औसत टैरिफ 3.14 रु. प्रति किवा-आवर। टैरिफ लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। मसलन मुख्यत: सेवानिवृत्ति संबंधी अधिक लाभों के कारण 2004 से 2009 के बीच कर्मचारियों पर व्यय 82 प्रतिशत बढ़ गया है। कार्यशील पूंजी और राज्य सरकार के ऋणों पर अधिक ब्याज के कारण ब्याज

और वित्तपोषण व्यय में 68 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बोर्ड के तुलनपत्र में नकारात्मक आरक्षित निधि और अधिशेष दिखते हैं। इसके बावजूद, गत पांच वर्षों में कुछ सुधार हुआ है जबसे राज्य सरकार बिजली खरीद व्यय के भुगतान वित्तपोषण कर रही है और बोर्ड को राजस्व सब्सिडी का भुगतान कर रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

वर्ष 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद से ग्रामीण विद्युतीकरण प्राथमिकता बन गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में हो रहा है। इस योजना के तहत लक्षित 29,862 गांवों में से 20,526 या तो विद्युतीकृत हुए या पहले से विद्युतीकृत होने की स्थिति में उत्क्रमण से लाभान्वित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति से जोड़ने में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अलावा केंद्रीय क्षेत्र के अभिकरण (भारतीय पावर ग्रिड निगम और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम) ने मुख्य भूमिका निभाई है। बिहार में इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभान्वित शामिल होने से काफी अतिरिक्त मांग बढ़ेगी क्योंकि नए गांवों और परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई गई है।

तालिका 4.17 : ग्रामीण विद्युतीकरण की जिलावार स्थिति

पीजीसीआइएल (24 जिले)				
पटना	नालंदा	भोजपुर	बक्सर	रोहतास
कैमूर	गया	नवादा	औरंगाबाद	जहानाबाद
अरवल	मुंगेर	लखीसराय	जमुई	भागलपुर
बांका	वैशाली	मुजफ्फरपुर	सारण	सीवान
गोपालगंज	पूर्णिया	किशनगंज	अररिया	
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (6 जिले)				
दरभंगा	शिवहर	पूर्व चंपारण	पश्चिम चंपारण	सीतामढ़ी
मधुबनी				
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (8 जिले)				
समस्तीपुर	सहरसा	सुपौल	मधेपुरा	खगड़िया
कटिहार	बेगूसराय	शेखपुरा		

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए 10वीं और 11वीं योजना के अंतर्गत क्रियान्वयनकारी अभिकरणों – 24 जिलों के लिए भारतीय पावर ग्रिड निगम, 6 जिलों के लिए राष्ट्रीय जलविद्युत निगम और 8 जिलों के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड – के लिए कुल स्वीकृत राशि 4,187 करोड़ रु. रही है (तालिका 4.18)।

तालिका 4.18 : त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के विवरण

(करोड़ रु.)

क्रियान्वयनकारी अभिकरण	10वीं योजना के तहत स्वीकृत राशि	11वीं योजना के तहत स्वीकृत राशि	कुल राशि
भारतीय पावर ग्रिड निगम (24 जिले)	2052.63	441.19	2493.82
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (6 जिले)	255.26	520.64	775.90
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (8 जिले)	-	917.54	917.54

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

तालिका 4.18 में दी गई स्वीकृत राशि से भारतीय पावर ग्रिड निगम द्वारा 63 और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा 11 उप-स्टेशनों का निर्माण किया गया। इसके अलावा, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा क्रियान्वयन के तहत 45 उप-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है (तालिका 4.19)।

तालिका 4.19 : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत उप-स्टेशन निर्माण का लक्ष्य और उपलब्धि

क्रियान्वयनकारी अभिकरण	क्रियान्वयन अधीन परियोजना (एआरईपी) के तहत शामिल विद्युत उप-स्टेशनों की सं. (10वीं योजना)	क्रियान्वयन अधीन परियोजना (आरजीजीवीवाइ) के तहत शामिल विद्युत उप-स्टेशनों की सं. (11वीं योजना)	संचयी उपलब्धि (निर्मित विद्युत उप-स्टेशन)	चालू विद्युत उप-स्टेशनों की सं.
भारतीय पावर ग्रिड निगम	75	11	63	63
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम	15	25	11	11
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	45	-	-

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नवंबर 2010 तक कुल 11,906 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था और उन्हें बिजली मिलने लगी थी। इनमें से 9,613 में भारतीय पावर ग्रिड निगम द्वारा, 2,096 में राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा और 197 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कार्य संपन्न हुआ था जिनके विवरण तालिका 4. 20 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.20 : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि

क्रियान्वयनकारी अभिकरण	31.03.2010 तक विद्युतीकृत गांवों की सं.	नवंबर 2010 तक विद्युतीकृत गांवों की सं.	नवंबर 2010 तक विद्युतीकृत तथा हस्तांतरित गांवों की सं. संचयी उपलब्धि
भारतीय पावर ग्रिड निगम	7185	2428	9613
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम	1452	644	2096
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड		197	197
संपूर्ण बिहार	8637	3269	11906

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लिया गया एक और काम बीपीएल परिवारों के आवासों का विद्युतीकरण है। वर्ष 2010-11 में 15.20 लाख आवासों के विद्युतीकरण के लक्ष्य में से नवंबर 2010 तक मात्र 23.63 प्रतिशत मकानों का विद्युतीकरण हो पाया था। शेष 4 महीनों में लगभग 76 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना होगा (तालिका 4.21)।

तालिका 4.21 : आरजीजीवीवाइ के तहत बीपीएल परिवारों के पारिवारिक विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि

क्रियान्वयनकारी अभिकरण	31.03.2010 तक विद्युतीकृत बीपीएल परिवारों की उपलब्धि	कुल लक्ष्य (2010-11)	2010-11 की उपलब्धि (30.11.10 तक)	संचयी उपलब्धि (30.11.10 तक)	2010-11 के लिए प्रतिशत उपलब्धि
भारतीय पावर ग्रिड निगम	587761	392000	110987	698748	28.31
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम	515321	565000	204029	719350	36.11
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	0	563000	44143	44143	7.84
संपूर्ण बिहार	1103082	1520000	359159	1462241	23.63

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

राज्य में विद्युत परिदृश्य

राज्य में विद्युत परिदृश्य भयावह है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्वानुमान के अनुसार 2011-12 में भी बिजली की लगभग 46 प्रतिशत कमी होगी। वर्ष 2014-15 में सर्वोच्च लोड 5,000 मेगावाट होगा और 3,328.8 करोड़ इकाई ऊर्जा की जरूरत होगी - 2010-11 की अपेक्षा लगभग दूनी।

तालिका 4.22 : बिजली की स्थिति (2011-12)

अधिकतम	2011-12
अधिकतम मांग (मे.वा.)	3607
अधिकतम आपूर्ति (मे.वा.)	1769
अधिकतम कमी (-)/ अधिशेष (+)	-1838
अधिकतम कमी/ अधिशेष (%)	-50.95
ऊर्जा	
ऊर्जा आवश्यकता करोड़ इकाई)	1990.5
ऊर्जा उपलब्धता (करोड़ इकाई)	1078.9
ऊर्जा की कमी (-)/ अधिशेष (+)	-9116
ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (%)	-45.79

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

तालिका 4.23 : ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान

वर्ष	अधिकतम लोड (मेगावाट)	ऊर्जा आवश्यकता (करोड़ इकाई)
2006-07	1500	912.6
2007-08	1800	1119.4
2008-09	1900	1287.4
2009-10	2500	1488.6
2010-11	3000	1721.3
2011-12	3607	1990.5
2012-13	4000	2365.2
2013-14	4500	2803.2
2014-15	5000	3328.8

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

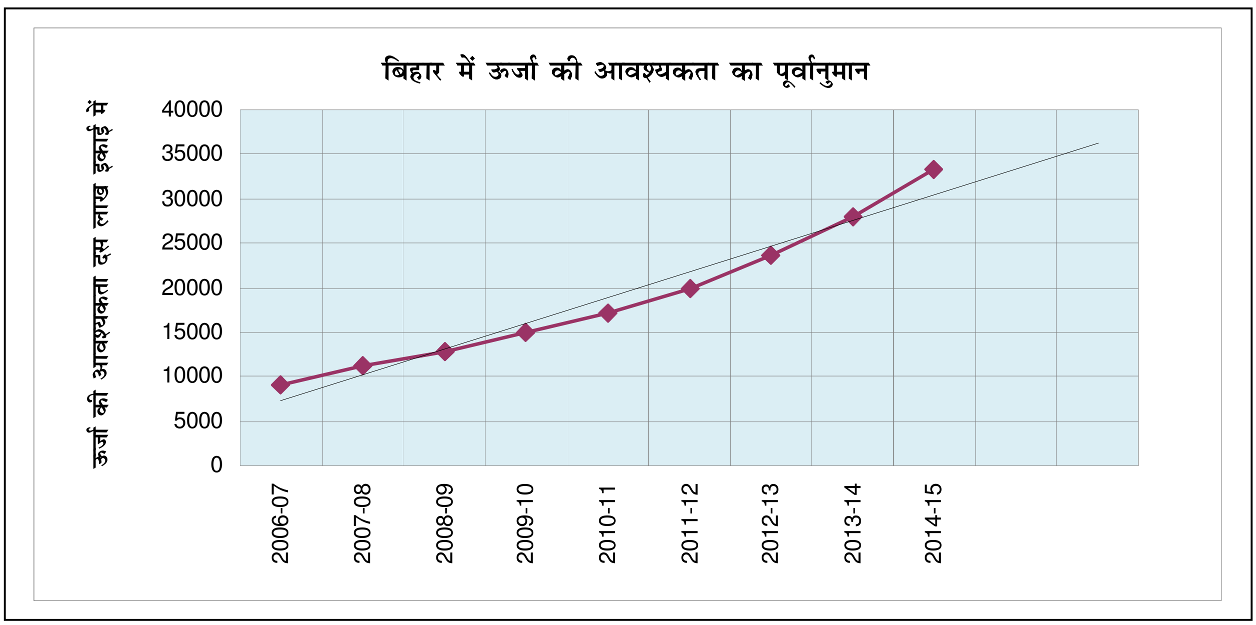

अक्तूबर 2010 तक चरण-1 और चरण-2 (भाग 1 और 2) के तहत उप-वितरण योजनाओं की वित्तीय स्थिति से पता चलता है कि चरण-1 में 70 करोड़ रु. रकम उपलब्ध थी जबकि चरण-2 में 16 करोड़ रु. की (तालिका 4.24)। विवरण परिशिष्ट 6 में भी देखे जा सकते हैं। बिहार में अनेक नई सार्वजनिक अथवा निजी साझेदारी बिजली परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा राष्ट्रीय तापविद्युत निगम के साथ संयुक्त उपक्रम के जरिए भी। विवरण परिशिष्ट 7में देखे जा सकते हैं।

तालिका 4.24 : उप संचरण योजना की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रु.)

विवरण	चरण-1	चरण-2, भाग-1 और 2
कुल स्वीकृत परियोजना व्यय	552.4	2246.58
प्राप्त राशि	552.4	1230.45
एजेंसी को निर्गत भुगतान	482.4	1214.32
उपलब्ध कोष	70.00*	16.13

टिप्पणी : आंकड़े अक्तूबर 2010 के हैं।

* 70 करोड़ रु. की अप्रयुक्त राशि चरण-1 से चरण-2 के कार्यों के लिए स्थानांतरित कर दी गई है।

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

नवीकरणीय ऊर्जा

राज्य में ईख की खोई और अन्य जैव-अवशिष्ट (बायोमास) से 600 मेगावाट से भी अधिक विद्युत उत्पादन की संभावना मौजूद है जिसका तत्काल उपयोग किया जा सकता है। कृषि और प्रकाश के मकसद से बिजली सहित ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में सफलता के अनेक दृष्टांत मौजूद हैं जिन्हें दुहराने की जरूरत है। विकेंद्रित आधार पर सौर ऊर्जा के उपयोग के लिहाज से भी बिहार की अनुकूल अवस्थिति है। राज्य में मौजूद इस अपरिमित संभावना का उपयोग बिजली की जरूरतें पूरी करने में किया जा सकता है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसी बिजली का उत्पादन बिना प्रतीक्षा अवधि के ही किया जा सकता है।

बिहार कम वायुप्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। नेपाल सीमा क्षेत्र, नदी तट के समीपवर्ती क्षेत्रों और कुछ पहाड़ियों के पास छोटे पैमाने पर पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना मौजूद है। सी-वेट अधौरा, लालगंज, सिमुलतला, रक्सौल, बोधगया आदि विभिन्न स्थानों पर हवा की गति माप रहा है। वास्तविक पवन संसाधनों की जानकारी इस सर्वेक्षण के समाप्त होने के बाद ही हो सकती है। लेकिन सुधरी डिजाइन के निम्न वेग पवन पंपों के लिए अच्छी संभावना मौजूद है।

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यताओं, उसके अनुपालन तथा नवीकरणीय ऊर्जा निगम द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के क्रियान्वयन पर कानून बनाए गए हैं। इन नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यताओं के तहत 2010-11 में बोर्ड को उसकी पूरे ऊर्जा उपभोग (कुल ऊर्जा इनपुट में से संचरण एवं वितरण हानि घटाकर) के 1.5 प्रतिशत की खरीद करनी होगी। पुनः, विशेषित नवीकरणीय क्रय बाध्यता का 0.25 प्रतिशत भाग सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन से प्राप्त करना होगा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्राडा) को निबंधन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की अधिस्वीकृति और अनुशंसा करने के लिए भी राज्य अभिकरण बनाया गया है।

4.6 सिंचाई

देश की जनसंख्या का 72 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है जबकि बिहार की 89.6 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इतने उच्च अनुपात में मौजूद ग्रामीण आबादी मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। पूरा राज्य आर्द्र क्षेत्र में अवस्थित है। यहां लगभग 1200 मिमी वार्षिक वर्षा होती है जो धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त है। हालांकि वर्षा की प्राप्ति और वितरण अत्यंत असमान और मौसमी होने के कारण पर्याप्त सिंचाई सुविधा होना राज्य की अर्थव्यवस्था के चतुर्दिक विकास के लिए अनिवार्य हो जाता है। सुनिश्चित सिंचाई के प्रावधान से कृषिगत उत्पादन बढ़ेगा जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और राज्य का गरीबी अनुपात घटेगा। भारी महत्व और जबर्दस्त संभावना को देखते हुए सिंचाई को राज्य की विकास प्रकिया में मुख्य भूमिका प्रदान की गई है।

वृहत तथा मध्यम सिंचाई

<u>अतिरिक्त क्षमता सृजन</u>

बड़ी तथा मंझोली सिंचाई योजनाओं के जरिए राज्य में संभावित 53.53 लाख हे. चरम सिंचाई क्षमता में से 28.80 लाख हे. सिंचाई क्षमता 15 बड़ी तथा 79 मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 31 मार्च 2010 तक हासिल कर ली गई है। शेष 24.73 लाख हे. सिंचाई क्षमता में से और 4.72 लाख हे. सिंचाई क्षमता 10 बड़ी और 2 मंझोली सिंचाई योजनाओं को पूरा करके 2015 तक हासिल कर ली जाएगी। वर्तमान वित्त वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त 6,200 हे. सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। आगामी वित्त वर्ष 2011-12 में 65,000 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्यक्रम है।

तालिका 4.25 : वर्ष 2009-10 में सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

योजना का नाम	सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (हजार हे.)
प्रमुख सिंचाई परियोजना	
1. पश्चिमी कोशी नहर	5.00
2. उत्तर कोयल जलाशय	2.00
योग	7.00

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

<u>ह्रासित सिंचाई क्षमता की पुन:स्थापना</u>

समय गुजरने के साथ राज्य की कुल सृजित सिंचाई क्षमता - 28.80 लाख हे. में से उपयोग लायक मात्र 16.66 लाख हे. सिंचाई क्षमता ही बची है। 12.14 लाख ह्रासित सिंचाई क्षमता को फिर से बहाल करने के लिए अभी 7 पुन:स्थापना योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में 93,240 हे. क्षमता की बहाली प्रस्तावित है जबकि आगामी वित्त वर्ष में 2,51,600 हे. सिंचाई क्षमता की पुन:स्थापना लक्षित है।

तालिका 4.26 : घटी सिंचाई क्षमता की 2005-06 से 2009-10 के बीच पुन:स्थापना

(हजार हे.)

मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
घटी सिंचाई क्षमता की पुन:स्थापना	15.00	6.00	13.50	14.70	15.50 (अनुमानित)

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

<u>प्रयुक्त सिंचाई क्षमता</u>

वर्ष 1999-2000 में कुल सृजित क्षमता 28.17 लाख हे. थी जो 2009-10 में बढ़कर 28.80 लाख हे. हो गई। वहीं, 2005-10 के दौरान पुन:स्थापित सिंचाई क्षमता लगभग 65 हजार हे. थी। इस प्रकार सृजित सिंचाई क्षमता में खरीफ, रबी और गरमा फसलों के आधार पर कुल सिंचित क्षेत्रफल 1999-00 में 15.20 लाख हे. थी जो सृजित सिंचाई क्षमता के लिहाज से 54 प्रतिशत उपयोग दक्षता को दर्शाती है। हालांकि 2009-10 में, जब सिंचाई क्षमता 28.80 लाख हे. थी, कुल सिंचित क्षेत्रफल 16.37 लाख हे. होने से उपयोग दक्षता लगभग 57 प्रतिशत ठहरती है। यह दर्शाता है कि सृजित क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए। बड़ी-मंझोली योजनाओं की उपयोग दक्षता के साथ वर्षवार सृजित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल का लेखाजोखा तालिका 4.27 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.27 : बड़ी और मंझोली योजनाओं की जल उपयोग दक्षता

(आंकड़े हजार हे. में)

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	खरीफ		रबी		गरमा		कुल सिंचाई	दक्षता (%)
		लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई		
1999-00	2817.73	1405.78	1208.03	359.30	279.20	54.06	33.17	1520.40	53.96
2000-01	2634.00	1393.27	1228.41	421.80	403.10	11.62	4.80	1636.31	62.12
2001-02	2482.43	1667.97	1261.60	556.10	380.80	13.87	13.81	1656.21	66.72
2002-03	2509.43	1653.00	1189.00	463.40	394.20	14.44	15.16	1598.36	63.69
2003-04	2574.00	1653.00	1250.00	597.60	459.12	14.28	12.12	1721.24	66.87
2004-05	2619.00	1654.01	1161.58	448.13	355.08	14.27	11.58	1528.23	58.35
2005-06	2637.00	1643.77	1253.46	512.95	395.82	12.80	11.63	1660.91	62.98
2006-07	2833.00	1389.00	1220.77	477.63	453.06	11.60	10.90	1684.73	59.47
2007-08	2863.00	1440.67	1246.15	499.11	422.85	12.27	10.82	1679.82	58.67
2008-09	2873.00	1479.91	1275.28	442.63	388.51	12.91	2.25	1666.04	57.99
2009-10	2880.00	1450.51	884.77	384.87	317.68	0.00	0.00	1202.45	41.75

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

राज्य में विभिन्न बड़ी-मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त किया गया। वर्ष 2009-10 में वास्तविक योजना व्यय 992.57 करोड़ रु. है : राज्य योजना - 645.22 करोड़ रु., त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम - 305.56 करोड़ रु., नाबार्ड - 67.73 करोड़ रु. और राष्ट्रीय सम विकास योजना - 47.97 करोड़ रु.। तथा बड़ी-मंझोली सिंचाई योजनाओं के जरिए राजस्व शीर्ष में हुई प्राप्ति 2008-09 में 10.08 करोड़ रु. और

2009–10 में 10.68 करोड़ रु. थी। राजस्व शीर्ष में प्राप्ति बढ़ाने के लिए विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन जल निकायों में मत्स्यपालन शुरू करने का निर्णय किया है। विभाग बहुद्देश्यीय उपयोग और वर्धित व्यवसायीकरण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की योजना विभाग के जल संसाधनों के तीनों क्षेत्रों – सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा जलनिकासी में सुधार को ध्यान में रखकर सूत्रबद्ध की गई थी। प्रथम चरण में 6 चिन्हित योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बूढ़ी गंडक–नोन–बाया–गंगा लिंक योजना के लिए 333 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत हुई है।

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई योजना क्षेत्र में वे सारी भूतल तथा भूजल योजनाएं शामिल हैं जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 हे. तक है। लघु सिंचाई के महत्व को देखते हुए राज्य में एक स्वतंत्र लघु सिंचाई विभाग का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में सिंचाई क्षमता सृजित करना और उसका पूरा उपयोग सुनिश्चित करना है। लघु सिंचाई के तहत स्रोत मुख्यतः छोटी नहरें, तालाब, आहर और पइनें, नलकूप, अन्य सिंचाई कूप तथा उद्वह (लिफ्ट) सिंचाई हैं। हालांकि लघु सिंचाई के क्षेत्र में मुख्य भूमिका सार्वजनिक और निजी नलकूपों की है जिसका लघु सिंचाई के तहत आच्छादित क्षेत्रफल में 80 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है। राज्य में लघु सिंचाई के जरिए कुल सिंचित क्षेत्रफल लगभग 32.50 लाख हे. है। वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 (अक्तूबर 2010 तक) में स्रोत के आधार पर लघु सिंचाई के जरिए सिंचित क्षेत्रफल तालिका 4.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.28 : लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर में)

स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10 तक)
छोटी नहरें	29.21 (0.9)	17.59 (0.5)	17.67 (0.7)
तालाब (आहर एवं पइन सहित)	332.56 (10.2)	332.56 (10.3)	332.56 (13.8)
नलकूप (निजी और सरकारी)	2722.39 (83.7)	2726.6 (84.2)	1910.95 (79.2)
अन्य कुएं (सिंचाई कूप)	145.79 (4.5)	145.79 (4.5)	145.79 (6.0)
अन्य स्रोत (उद्वह एवं दोन)	24.36 (0.7)	16.74 (0.5)	7.33 (0.3)
योग	3254.31 (100.0)	3239.28 (100)	2414.3 (100)

स्रोत : लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्से हैं।

लघु सिंचाई क्षेत्र के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के लिए नए कार्यक्रम बनाए गए हैं। विभाग ने लघु राजकीय नलकूपों की योजनाएं तैयार की हैं जिनसे खरीफ, रबी और गरमा, तीनों के लिए लगभग 40 हे. जमीन की सिंचाई की जा सकती है। पूरी होने के बाद इन परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों के जरिए जल उपभोक्ता समितियों को सौंपा जा रहा है। नाबार्ड की ग्रामीण बुनियादी अधिसंरचना–8 के तहत 1,593 डीजल

चालित नलकूप लगाने की एक योजना 2003-04 में आरंभ की गई थी जिसे 2008-09 में पूरा होना था। तब से 1,573 ऐसे नलकूप लगाए और जल उपभोक्ता समितियों को सौंपे जा चुके हैं। नाबार्ड की एक नई योजना के तहत 2,764 विद्युतचालित नलकूप लगाने की योजना 2006-07 से क्रियान्वित की जा रही है। इसे 2009-10 में पूरा हो जाना था लेकिन 938 नलकूप ही लगाए जा सके हैं जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने 2006-07 में राज्य के सूखाप्रवण जिलों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत चार योजनाएं स्वीकृत की थीं जिन्हें 2009-10 तक पूरा हो जाना था। इन चारो में से तीन पूरी हो चुकी हैं और चौथी योजना का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

विभाग ने दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 21,000 आहरों एवं पइनों के बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग ने परियोजना रिपोर्ट कुछ प्रतिष्ठित फर्मों से तैयार कराने के लिए पहलकदमी ली है जिसे विश्व बैंक या कुछ अन्य बाहरी वित्तीय संस्थाओं को पेश किया जाना है। विभाग 2010-11 से एक नई योजना - मुख्यमंत्री आहर-पइन सिंचाई योजना भी आरंभ करने जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में मौजूद सिंचाई के पुराने स्रोतों - आहरों-पइनों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की शेष अवधि के लिए राज्य सरकार ने बिहार भूजल सिंचाई योजना नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 4.64 लाख निजी नलकूप लगाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के अनुमोदन से इस योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्यारहवीं योजना का कुल परिव्यय 2,370 करोड़ रु. है और 2010-11 में विभिन्न योजनाओं के लिए कुल वार्षिक योजना परिव्यय 247 करोड़ रु.। विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्यारहवीं योजना के अंत तक 14.12 लाख हे. सिंचाई क्षमता का सृजन अनुमानित है। वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना के दौरान लगभग 3.48 लाख हे. क्षमता विस्तार अनुमानित है (परिशिष्ट 8 तथा 9)।

बिहार राज्य जलनीति

राष्ट्रीय जलनीति 2002 की रौशनी में राज्य सरकार ने भी राज्य की जलनीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए की गई कार्यवाहियां तथा भूजल संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। नीतिगत विवरण तैयार करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है और रिपोर्ट जल्द ही आ जाने की आशा है।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन

राष्ट्रीय जलनीति 2002 के अनुरूप सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआइएम) कार्यक्रम के तहत सभी नहर प्रणालियों का प्रबंधन जल उपभोक्ता संघों को सौंपा जाना है। प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के लिए वितरणी स्तर का एक जल उपभोक्ता संघ होगा और सभी आच्छादित गांवों में एक-एक ग्रामस्तरीय समिति (वीएलसी) होगी। ग्रामस्तरीय समिति के सचिव वितरणी स्तरीय संघ के सदस्य होंगे। वितरणी स्तरीय संघ संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित होगा और वह रखरखाव, कार्यसंचालन तथा जल कर संग्रहण हेतु जवाबदेह होगा। संघ प्रत्येक फसल

हेतु संग्रहित जल कर का 30 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को सौंप देगा और शेष 70 प्रतिशत का उपयोग रखरखाव आदि के लिए करेगा। मार्च 2010 तक इस कार्यक्रम के तहत हुई उपलब्धियां तालिका 4.29 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.29 : जल उपभोक्ता जल उपभोक्ता संघों की वर्तमान स्थिति

संघों की वर्तमान स्थिति	संघों की सं.
प्रणाली का प्रबंधन सुपुर्द	51 *
निबंधित समितियां/ संघ	16
निबंधन हेतु आवेदन दे चुकी समितियां/ संघ	36
वे समितियां/ संघ जहां का आवेदन अग्रसारित है	09
गठन प्रक्रियाधीन समितियां/ संघ	510
योग	622

स्रोत : लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

* निबंधित तथा समझौते तक पहुंची 67 समितियों में से 51 को प्रबंधन सुपुर्द हो गया है और 16 के लिए प्रक्रिया चल रही है।

4.7 दूरसंचार

बिहार में व्यक्तिगत कंप्यूटर और दूरसंचार जैसी सेवा से संबंधित अधिसंरचना में तेजी से विकास हुआ है। ग्यारहवीं योजना ने समावेशी विकास के वाहक के बतौर विश्वस्तरीय दूरसंचार अधिसंरचना पर बल दिया है। शहरी और ग्रमीण भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड संपर्क के लिहाज से डिजिटल अंतराल पैदा हो गया है जिससे निपटने के लिए नीति सूत्रबद्ध की जा सकती है। प्रौद्योगिकियों के अभिसरण से अब एक ही प्लेटफार्म पर और एक ही उपकरण से अनेक सेवाएं प्रदान करना संभव हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र, खास कर कृषि के क्षेत्र में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से भी दूरसंचार अत्यंत क्षमतावान है। यह प्रौद्योगिकी बेहतर कृषि व्यवहार अपनाने, बाजार की परिस्थिति तथा कीमतों के बारे में अधिक जागरूकता, तथा कीट एवं मौसम संबंधी अवरोधों के प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी के जरिए उत्पादकता और आय में वृद्धि कर सकती है।

दूरसंचार क्षेत्र के आरंभ से ग्राहक आधार में ही विस्तार नहीं हुआ है, यह उपभोक्ताओं को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दिशा में भी मददगार हुआ है। संपूर्ण भारत के स्तर पर टेलीफोन ग्राहकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है - 2003 के 5.5 करोड़ से 2009 में 43 करोड़। पूरी वृद्धि ताररहित कनेक्शनों में 2004 से 60 प्रतिशत की वार्षिक दर से आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण है।

बिहार भी इस रुझान का अपवाद नहीं है। यहां 2010-11 में लगभग दसगुनी वृद्धि दर्ज की गई - 2005-06 में कनेक्शनों की संख्या मात्र 42 लाख थी जो 2010-11 में 415 लाख हो गई। कनेक्शनों की संख्या में प्रचुर वृद्धि मोबाइल कनेक्शनों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण है जिसमें इस अवधि में 17गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। लैंडलाइन कनेक्शनों में 2006-07 में 2005-06 की अपेक्षा गिरावट आई थी जो उसके बाद लगभग यथावत है। डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों में धीमी वृद्धि दर्ज की गई और 2010-11 में 2005-06 की अपेक्षा बस दूना हो गया। इनके विवरण तालिका 4.30 में देखे जा सकते हैं।

तालिका 4.30 : कनेक्शनों की संख्या

	कनेक्शनों की संख्या (लाख)					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11, अक्तू. 10 तक
लैंड लाइन कनेक्शन	17.38	9.86	9.73	9.63	9.61	9.62
मोबाइल कनेक्शन	23.55	46.92	81.94	151.78	283.41	402.60
डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	1.3	1.53	1.88	2.38	2.82	2.81
योग	42.23	58.31	93.55	163.79	295.84	415.03
वार्षिक वृद्धि (%)		38.08	60.44	75.08	80.62	40.29

स्रोत : बीएसएनएल एवं सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ)

बिहार में दूरसंचार क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक तथा निजी सेवाप्रदाता मौजूद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवाप्रदाता वोडाफोन, भारती, आइडिया, एयरसेल, रिलायंस, टाटा आदि हैं। जून 2010 तक सबने मिलकर 4 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए थे।

तालिका 4.31 : बिहार में वायरलेस/ वायरलाइन ग्राहक 2010 (जून 2010 तक)

वायरलेस ग्राहक आधार	
वोडाफोन (जीएसएम)	3791641
भारती (जीएसएम)	12001986
आइडिया (जीएसएम)	3433890
एयरसेल डिशनेट (जीएसएम)	3663155
रिलायंस (जीएसएम)	3814873
रिलायंस (सीडीएमए)	3360971
टाटा (जीएसएम)	1701763
टाटा (सीडीएमए)	2351892
बीएसएनएल (जीएसएम)	4477074
बीएसएनएल (सीडीएमए)	397740
एमटीएनएल (जीएसएम)	-
एमटीएनएल (सीडीएमए)	-
सिस्टेमा (सीडीएमए)	380093
एस-टेल (जीएसएम)	614554
यूनिटेक (जीएसएम)	800203
वीडियोकॉन (जीएसएम)	-
एटिसालात (जीएसएम)	1092
योग	40790927
वायरलाइन ग्राहक आधार	
रिलायंस	3354
टाटा	7398
बीएसएनएल	1363086
योग	1373838

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

तालिका 4.31 में देखा जा सकता है कि जून 2010 तक वायरलेस ग्राहकों के बीच भारती (जीएसएम) के ग्राहकों की संख्या सर्वाधिक 1.20 करोड़ थी। उसके बाद रिलायंस (जीएसएम), वोडाफोन (जीएसएम) और एयरसेल (जीएसएम) का स्थान था जिनमें से प्रत्येक के 35 लाख से अधिक कनेक्शन थे। वायरलाइन ग्राहकों की बात करें, तो इस क्षेत्र में कुछ ही सेवा प्रदाता हैं और 13.63 लाख कनेक्शनों वाला बीएसएनएल उनमें प्रमुख है। टाटा के 7.4 हजार और रिलायंस के 3.4 हजार कनेक्शन थे।

इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि दूरसंचार क्षेत्र का आरंभ ग्राहकों की संख्या में तेज वृद्धि का ही कारण नहीं बना है, इसने उपभोक्ता के लाभों को अधिकाधिक बढ़ाने की दिशा में काफी मदद की है, खास कर कीमत की जानकारी देने तथा सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रकार की कंपनियों द्वारा टैरिफ में कमी लाने में। देखा गया है कि जहां हाल के वर्षों में वायरलेस कनेक्शनों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, वहीं वायरलाइन कनेक्शनों में गिरावट आई है। हालांकि इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मोबाइल सेवाओं और फल-फूल रहे निजी सेवाप्रदाताओं के आने से ग्रामीण टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या काफी बढ़ी है, खास कर गत पांच वर्षों में। वर्ष 2008-09 में ग्रामीण टेलिफोन कनेक्शनों की विकास दर 60 प्रतिशत के आसपास थी जबकि शहरी टेलिफोन कनेक्शनों की लगभग 35 प्रतिशत।

तालिका 4.32 में देखा जा सकता है कि बिहार में विकास के मामले में भारती एयरटेल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके कनेक्शनों की संख्या 2006-07 में 18 लाख थी जो 2010-11 में 137 लाख पहुंच गई। उसके बाद बीएसएनएल का स्थान था जिसके कनेक्शनों में इस दौरान लगभग पांचगुना उछाल आया।

तालिका 4.32 : मोबाइल कनेक्शनों में वृद्धि

(लाख में)

सेवाप्रदाता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (नवंबर 10 तक)
बीएसएनएल	11.49	14.15	22.47	35.42	51.57
भारती एयरटेल	18.30	36.52	66.57	100.52	137.11
रिलायंस टेलिकॉम	9.51	15.54	26.36	35.49	अनु.
डिशनेट वायरलेस		4.98	12.46	27.70	41.4
एबीटीएल (आइडिया)			2.69	24.97	40.87
वोडाफोन इस्सार			1.77	25.98	44.16
एस-टेल				0.57	10.00
यूनीनॉर				1.27	19.57

स्रोत : सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

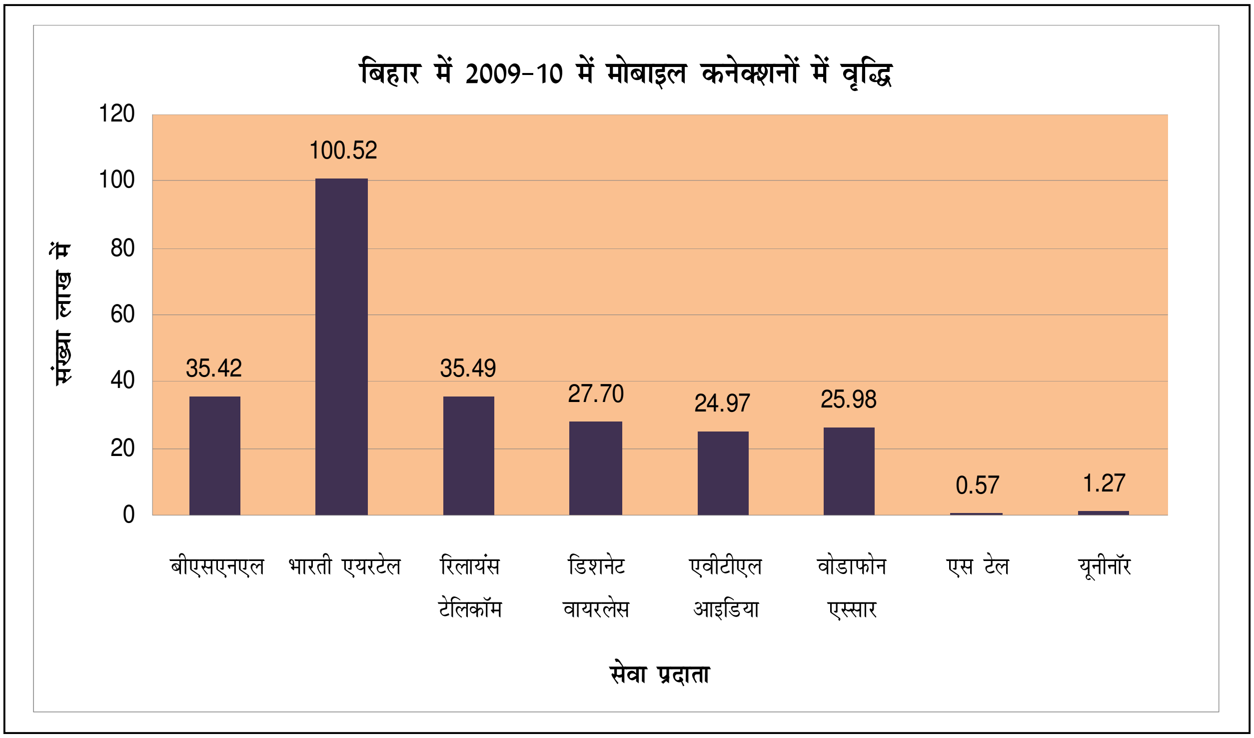

दूरसंचार-घनत्व

दूरसंचार-घनत्व (टेलिडेंसिटी) किसी क्षेत्र या अंचल में दूरसंचार के प्रवेश का महत्वपूर्ण सूचक होता है। इस लिहाज से देखने पर ऐसा लगता है कि लगभग 33 दूरसंचार-घनत्व वाला बिहार अभी भी अन्य राज्यों से काफी पीछे है। फिर ग्रामीण और शहरी दूरसंचार-घनत्व के मामले में अभी भी काफी अंतराल मौजूद है। शहरी बिहार का दूरसंचार-घनत्व 139 था जबकि ग्रामीण बिहार का 16 ही था। इसमें वायरलेस कनेक्शनों का स्पष्टतः प्रमुख हिस्सा था जिसका शहरी घनत्व 134 और ग्रामीण घनत्व 16 था। निस्संदेह निजी सेवाप्रदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों मे टेलिफोन सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिन्होंने लगभग 80 प्रतिशत कनेक्शन प्रदान किए।

तालिका 4.33 : 30 जून 2010 तक बिहार में दूरसंचार-घनत्व

श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	योग
सेवा क्षेत्र के आधार पर	16.16	139.44	32.94
वायरलेस दूरसंचार-घनत्व	15.71	134.37	31.86
वायरलाइन दूरसंचार-घनत्व	0.44	5.07	1.07

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

टिप्पणी : दूरसंचार घनत्व का आशय प्रति 100 आबादी पर टेलिफोनों की संख्या से है।

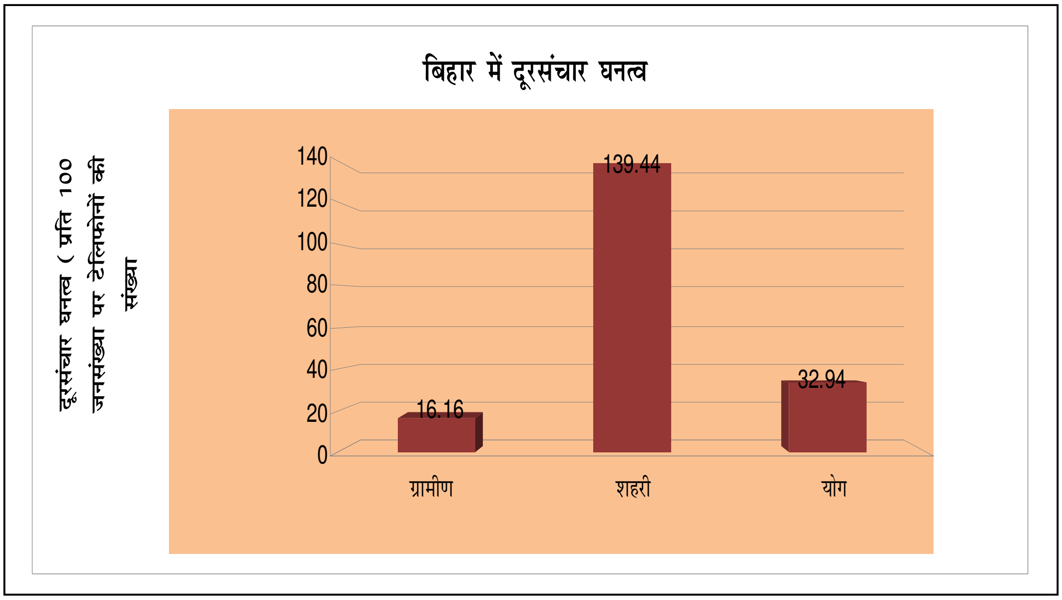

इंटरनेट/ ब्रॉडबैंड

यद्यपि बिहार में हाल के वर्षों में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, फिर भी इसके प्रसार में अनेक प्रौद्यगिकीय और व्यावसायिक चुनौतियां मौजूद हैं, खास कर अधिक कीमत के कारण व्यक्तिगत कंप्यूटरों की संख्या में कमी और बिजली की कमी या अनुपलब्धता की। केंद्र सरकार ने ब्रॉडबैंड वायरलेस पहुंच सेवाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और उनकी शुरुआत से ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ने की आशा है। इस सुविधा का विस्तार ग्रामीण बिहार में करने का यही उपयुक्त समय है।

भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सार्वजिक क्षेत्र का उपक्रम है जो दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखा गया है कि 2009-10 में बीएसएनएल के कनेक्शनों में गत वर्ष के मुकाबले तेज वृद्धि दर्ज की गई थी हालांकि डब्ल्यूएलएल के मामले में इस दौरान 14 प्रतिशत की ही मामूली गिरावट आई थी। लेकिन 2008-09 में मोबाइल कनेक्शनों की संख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई थी (तालिका 4.34)।

तालिका 4.34 : 2008-09 से 2010-11 (अक्तूबर 2010) तक बीएसएनएल की भौतिक उपलब्धि

(संख्या में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11*
लैंडलाइन	-9401	-2105	1164
डब्ल्यूएलएल	50239	43872	-710
मोबाइल	871883	1202595	467282

* अक्तूबर 2010 तक

स्रोत : भारत संचार निगम लिमिटेड

बीएसएनएल की 2000–01 से लेकर अब तक की स्थिति पर नजर डालने से पता चलता है कि 2004–05 से टेलिफोन एक्सचेंज की संख्या 12 हजार के आसपास स्थिर रही है जबकि टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या क्षमता से बहुत कम रही है जिसके बावजूद आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे (तालिका 4.35)। इसी प्रकार ऑटो ट्रंक एक्सचेंज की क्षमता 2007–08 से 2.22 लाख पर स्थिर रही है। लेकिन इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या 2009–10 तक बढ़ती रही है। डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों की संख्या 2004–05 से लगातार क्षमता से कम रही है। मोबाइल कनेक्शनों की संख्या में भी इन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है और पूरी अवधि में कनेक्शनों की संख्या क्षमता से अधिक रही है।

तालिका 4.35 : बीएसएनएल की वृद्धि

(लाख में)

विवरण	2000-01	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
टेलिफोन एक्सचेंज की संख्या	910	1155	1163	1202	1225	1235	1242	1218
कुल क्षमता (कनेक्शनों की संख्या)	7.71	16.71	21.73	13.54	13.37	13.37	13.38	13.22
कुल कनेक्शन	5.88	12.89	17.38	9.86	9.73	9.63	9.61	9.62
प्रतीक्षा सूची	0.65	0.97	0.74	0.62	0.47	0.81	0.02	0.01
ऑटो ट्रंक एक्सचेंज क्षमता	6.75	1.68	1.88	2.03	2.22	2.22	2.22	2.22
इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या	0.06	0.20	0.19	0.41	0.31	0.43	0.50	0.50
मोबाइल क्षमता (संख्या)		0.22	6.98	7.74	10.83	16.86	21.16	21.99
मोबाइल कनेक्शन (संख्या)		2.4	5.71	11.49	14.15	22.47	35.42	50.36
डब्ल्यूएलएल क्षमता (संख्या)		1.44	1.44	2.15	2.89	3.14	3.54	3.66
डब्ल्यूएलएल कनेक्शन (संख्या)		0.98	1.3	1.53	1.88	2.38	2.82	2.81

* आंकड़े अक्तूबर 2010 तक के हैं।

स्रोत : भारत संचार निगम लिमिटेड

दूरसंचार में अपनी भूमिका के अलावा बीएसएनएल ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार में भी अच्छा–खासा योगदान दिया है। इन पहलकदमियों से राज्य की आम जनता को लाभ हुआ है। बिहार राज्य की दूरसंचार संबंधी पहलकदमियों में बीएसएनएल का योगदान निम्नलिखित है :

- वसुधा केंद्र (सामान्य सेवा केंद्र)
- इंटरनेट ई–गवर्नेंस परियोजना के तहत
- मनरेगा परियोजना के लिए होस्टेड कॉल सेंटर
- महिला हेल्पलाइन के लिए टॉल फ्री नंबर (24 नंबर)
- अजा/ अजजा आयोग के लिए पीआरआइ/ टॉल फ्री नंबर
- स्वास्थ्य विभाग के लिए पीआरआइ/ टॉल फ्री नंबर
- बिस्वान परियोजना

- सूचना अधिकार कॉल सेंटर तथा हेल्पलाइन
- '102' कॉल सेंटर
- '1911' कॉल ए डॉक्टर सेवा
- विद्यालय संपर्क योजना
- प्रखंड सूचना केंद्र
- कॉर्पोरेट वीपीएल/ सीयूजी का प्रावधान

4.8 डाकघर

डाकघर विगत 150 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में लगे हैं और सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारतीय डाक पूरे देश में फैले 1.55 लाख डाकघरों का नेटवर्क है जिनमें से 1.39 लाख डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं और दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। विभाग का लक्ष्य विभिन्न अभिकरणों के साथ उपयुक्त संपर्क विकसित करके मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के जरिए इस नेट का प्रभावी उपयोग करना है।

डाकघर जिस प्रकार काम करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के तेज प्रसार ने उसमें बदलाव लाया है। भारतीय डाक कंप्यूटरीकरण तथा सभी विभागीय और शाखा डाकघरों का राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र से जुड़ा एकल समेकित नेटवर्क और मॉड्यूलर प्लेटफार्म बनाने की ग्यारहवीं योजना द्वारा अनुमोदित परियोजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। इस राष्ट्रीय अधिसंरचना से भारतीय डाक मोबाइल द्वारा मुद्राप्रेषण तथा कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर बैंकिंग सेवा सहित अत्याधुनिक सूचना, संवाद एवं संचार (आइसीटी) सेवाएं प्रदान करने में समर्थ होगा। इससे ग्रामीण, सुदूर तथा अब तक बैंक विहीन क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सेवा भी सुनिश्चित होगी।

डाक नेटवर्क का विस्तार (खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में) मुख्यत: विभागीय तथा विभागेतर डाकघरों के आरंभ/ क्षेत्र पुनर्निर्धारण/ क्षेत्र परिवर्तन के जरिए हुआ है। विभागेतर डाकघर प्रतिदिन अधिकतम पांच घंटे काम करते हैं। इनमें डाक सेवक काम करते हैं जिन्हें सेवा देने के लिए समय आधारित सातत्य भत्ता दिया जाता है। दूसरी ओर विभागीय डाकघर आठ घंटे तक काम करते हैं और उनमें नियमित विभागीय कर्मचारी होते हैं।

डाक संबंधी कामकाज

डाकघर के डाक संबंधी कामकाज में बुनियादी डाक सेवाओं के समस्त कामकाज शामिल होते हैं जिनमें शामिल हैं : (1) स्टांपों और लेखन सामग्रियों की बिक्री, (2) निर्बंधित सामग्रियों की बुकिंग, (3) बीमित सामग्रियों की बुकिंग, (4) मूल्य भुगतेय सामग्रियों की बुकिंग, (5) मुद्रादेशों तथा डाक आदेशों के जरिए मुद्राप्रेषण, (6) पार्सल की बुकिंग, तथा (7) बचत बैंक संबंधी कार्य।

पारंपरिक तौर पर ये सेवाएं लोगों द्वारा चलाए जाने वाले काउंटरों पर दी जाती थीं। उपभोक्ताओं को प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने की भारी जरूरत को देखते हुए उन्हें एक ही खिड़की से ढेर सारी तरह की सुविधाएं देने के लिए काउंटर के कामकाज को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि सेवाएं तेज और त्रुटिमुक्त हों।

बिहार में डाकघर

वर्ष 2008-09 और 2009-10 में डाकघरों की संख्या 9,056 पर स्थिर रहीं जिनमें से 8,623 गांवों में थीं और 433 शहरों में। इनमें से लगभग 88 प्रतिशत डाकघर विभागेतर थे और 12 प्रतिशत विभागीय। पुनः राज्य में मौजूद कुल 9,056 डाकघरों में से लगभग 99 प्रतिशत स्थायी थे और मात्र 1 प्रतिशत अस्थायी। पूरे राज्य में मात्र 6 रात्रिकालीन डाकघर मौजूद थे और सभी के सभी शहरी क्षेत्रों में थे। वर्ष 2009-10 में कुल मिलाकर 24,960 लेटर बॉक्स और लगभग 900 पोस्ट बॉक्स मौजूद थे (तालिका 4.36)।

तालिका 4.36 : बिहार में डाक सुविधाएं

(संख्या में)

डाक सुविधाएं	मार्च, 2009			मार्च, 2010		
	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल
डाकघर	433	8623	9056	433	8623	9056
विभागीय डाकघर	397	646	1043	398	645	1043
विभागेतर डाकघर	35	7979	8014	35	7978	8013
स्थायी डाकघर	411	8528	8939	411	8528	8939
अस्थायी डाकघर	23	92	115	22	95	117
रात्रि डाकघर	6	0	6	6	0	6
लेटर बॉक्स	2831	22129	24960	2831	22129	24960
पोस्ट बॉक्स	911	0	911	904	0	904

स्रोत : मुख्य महाडाकपाल, बिहार सर्किल

डाक के आकार में वृद्धि के साथ ही समय के साथ डाक के प्रोफाइल में काफी बदलाव आया है। तालिका 4.37 में देखा जा सकता है कि डाकघरों ने 2009-10 में लगभग 58 लाख अनिबंधित घरेलू पत्रों, पोस्टकार्ड, मुद्रित सामग्रियां, पैकेट आदि पहुंचाए थे। इसके अलावा, पत्र, वी.पी. पार्सल आदि सहित 6.56 लाख निबंधित घरेलू सामग्रियां भी इस वर्ष ले जाई गई थीं। यही नहीं, 82.65 हजार निबंधित-अनिबंधित पार्सल भी पहुंचाए गए थे। हालांकि अनिबंधित अंतर्राष्ट्रीय पत्रों की संख्या 2009-10 में 22 हजार के आसपास थी, लेकिन इस वर्ष दो-दो हजार अंतर्राष्ट्रीय निबंधित सामग्रियां और पार्सल भी ले जाए गए थे। यह भी देखा जा सकता है कि जहां घरेलू अनिबंधित सामग्रियों की संख्या 2009-10 में पिछले साल से थोड़ी ही बढ़ी, वहीं निबंधित सामग्रियों की संख्या में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई। बहरहाल पार्सलों की संख्या में लगभग चारगुनी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

तालिका 4.37 : डाक आवागमन

(संख्या में)

डाक आवागमन	2008-09		2009-10	
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
पत्र डाक की अनिबंधित सामग्रियां				
लिफाफा	4,468,045	4,146	4479606	4521
पोस्टकार्ड	257,774	3,236	265585	3529
लेटर कार्ड	275,456	4,132	284278	4356
मुद्रित पत्र	449,363	3,438	438752	3483
छोटे पॉकेट	333,430	6,561	340863	6440
नेत्रहीनों के लिए साहित्य	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
योग	**5,784,068**	**21,513**	**5,809,084**	**22,329**
पत्र डाक की निबंधित सामग्रियां				
साधारण निबंधित पत्र	534927	765	642676	831
बीमित पत्रों की संख्या	2,067		3012	
वी.पी. पत्रों की संख्या	4,076		2824	131
साधारण निबंधित पॉकेटों की संख्या	5,571	735	6128	1053
वीपी पैकेटों की संख्या	1,617		1689	39
बीमित वी.पी. पत्रों की संख्या	98		126	
योग	**548,356**	**1,500**	**656,455**	**2,054**
पार्सल				
अनिबंधित पार्सल	5,399	351	4932	528
साधारण निबंधित पार्सल	12,652	978	74507	1167
बीमित पार्सल	1,074	105	129	32
वीपी पार्सल	1,075		2384	
बीमित वीपी पार्सल	455		700	31
योग	**20,655**	**1,434**	**82,652**	**1,758**

स्रोत : पटना जीपीओ

इस बात का उल्लेख आवश्यक होगा कि 2009–10 में गत वर्ष की अपेक्षा मुद्रादेशों के परिमाण में 9 प्रतिशत और मुद्रादेशों के मूल्य में 5 प्रतिशत गिरावट आई है।ऐसा व्यावसायिक बैंकों द्वारा मुद्रा अंतरण की सुविधा बढ़ाने के कारण हुआ हो सकता है।

डाकघरों में जमा राशियां

डाक बचत बैंक देश में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंकिंग संस्था है। बचत योजनाएं अनेक प्रकार की हैं जिनमें बचत खाता, राष्ट्रीय बचत योजना खाता, आवर्ती जमा, सावधिक जमा, मासिक आय योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मनरेगा आदि शामिल हैं। इन

सबको मिलाकर 2009-10 में कुल 32 लाख खाते थे जिनमें कुल जमा राशि 11,474 करोड़ रु. थी। मनरेगा को छोड़ दें, तो डाकघरों में मौजूद सभी खातों में सर्वाधिक संख्या बचत खातों की थी और उनमें 9,677 करोड़ रु. जमा थे। दूसरी लोकप्रिय योजना मासिक आय योजना थी जिसके लगभग 2 लाख खातों में 994 करोड़ रु. जमा थे। इसी प्रकार, सावधिक जमा के 64,849 खाते थे जिनमें 241 करोड़ रु. जमा थे। विस्तृत विवरण तालिका 4.38 में देखे जा सकते हैं।

तालिका 4.38 : डाकघरों में जमा राशि के विवरण

विवरण	मार्च, 2010	
	खातों की संख्या	जमा राशि (करोड़ रु.)
बचत बैंक	225,912	9676.67
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	33,994	26.23
किसान विकास पत्र	53850	53.16
सावधिक जमा	64,849	241.14
आवर्ती जमा	44,471	288.00
मासिक आय योजना	199,494	994.14
राष्ट्रीय बचत योजना	575	6.43
मनरेगा	2,552,931	अनु.
सार्वजनिक भविष्य निधि	6,311	89.44
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	4,376	98.26

स्रोत : पटना जीपीओ

अन्य डाक सेवाएं

डाकघरों के नेटवर्क के जरिए भारतीय डाक वित्तीय संस्था की भी भूमिका निभा रहा है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। डाकघर डाक जीवन बीमा के नाम से सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के नाम से ग्रामीण आबादी को बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसी प्रकार, देश के 1,200 से भी अधिक शहरों में सेवा प्रदान करने वाले स्पीड पोस्ट जैसे प्रीमियम उत्पाद का कूरियर क्षेत्र में अच्छा बाजार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत डाक विभाग को मनरेगा लाभार्थियों के बीच डाक बचत खातों के जरिए मजदूरी भुगतान करने की जवाबदेही सौंपी गई है। यह योजना बिहार के लगभग सभी डाकघरों में प्रभावी है। इसके अलावा डाक विभाग नाबार्ड के साथ मिलकर चिन्हित डाकघरों के जरिए स्वयं सहायता समूहों को अभिकरण आधारित सूक्ष्मऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी डाकघर बचत खातों के जरिए किया जा रहा है। यह सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में भी सार्वजनिक प्राधिकरणों की सहायता करता है।

4.9 विमान सेवा

यात्री किरायों में तेज वृद्धि के कारण नागरिक विमानन क्षेत्र में यात्रियों के आवागमन में 2008 में गिरावट के लक्षण दिखे जिसमें आर्थिक मंदी का प्रभाव भी शामिल था। हालांकि घरेलू यातायात में वृद्धि होने से 2009 के उत्तरार्ध में स्थिति से उबरने के लक्षण दिखने लगे थे। यह प्रभाव बिहार में भी दिखा। बिहार में राजधानी पटना ही एयर इंडिया, जेट एयरवेज, एयर डक्कन, किंगफिशर, गो एयर और इंडिगो जैसी कुछ विमान सेवाओं की सीमित संख्या में उड़ानों के जरिए जुड़ा है। जहां एयर इंडिया और इंडिगो की पटना के लिए रोज तीन-तीन उड़ानें हैं, वहीं एयर डक्कन और किंगफिशर की चार-चार हैं और गो एयर की मात्र दो। इस प्रकार पटना से रोज 16 घरेलू उड़ानें हैं। हालांकि ये उड़ानें नियमित नहीं हैं क्योंकि बुरे मौसम या यात्रियों की कमी के कारण कभी-कभी उड़ानें रद्द रहती हैं।

तालिका 4.39 : विमान सेवाएं और उड़ानों की संख्या, 2010 (अक्तूबर 2010 तक)

विमान सेवाओं की संख्या	दैनिक उड़ानों की संख्या
इंडियन एयरलाइंस/ एयर इंडिया	3
जेट एयरवेज	4
एयर डक्कन/ किंगफिशर	4
गो एयर	2
इंडिगो	3
योग	16

स्रोत : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना

तालिका 4.40 में देखा जा सकता है कि विमानों की सर्वाधिक आवाजाही 2007-08 में थी (12,604) और उसके बाद 2009-10 में (10,726)। विमानों की सबसे कम आवाजाही 2004-05 में दर्ज हुई थी (3,814)। हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या सामान्यतः चलने वाले विमानों की संख्या पर निर्भर करती है। हालांकि घरेलू यात्रियों की सर्वाधिक संख्या (5.53 लाख) 2009-10 में दर्ज की गई थी और उसके बाद 2007-08 में (4.44 लाख) जब विमानों की उड़ानें अपेक्षाकृत कम थीं। घरेलू उड़ानों में बहुत कम माल ढुलाई होती रही है।

तालिका 4.40 : विमानों की उड़ानें यात्रियों संख्या और माल ढुलाई सहित

वर्ष	विमानों की उड़ानें (सं.)		यात्री (सं.)		माल (टन में)	
	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	घरेलू
2000-01	415	4163	9029	167887	1	2210
2001-02	141	4158	2545	153945	7	1840
2002-03	192	4536	1804	160996	20	1167
2003-04	24	4142	0	159683	0	1184
2004-05	30	3814	0	176234	0	1035
2005-06	20	4140	0	218824	0	1417
2006-07	16	9723	0	352434	0	1473
2007-08	0	12604	0	444458	0	1770
2008-09	0	9666	0	369408	0	1943
2009-10	8	10726	0	552542	0	2532
2010-11 (अक्तू. 10 तक)	4	9165	0	453276	0	2189

स्रोत : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना

यात्रियों के यातायात और राजस्व प्राप्ति के संबंध में सिर्फ एयर इंडिया के आंकड़े उपलब्ध हो सके जिसके अनुसार इसके दिल्ली-पटना मार्ग पर पटना-दिल्ली की अपेक्षा यात्रियों का अधिक आवागमन था। राजस्व के मामले में भी ऐसा ही था। हालांकि 2010-11 में (अक्तूबर 2010 तक) इसके पटना-दिल्ली और दिल्ली-पटना, दोनों मार्गों पर यात्रियों के आवागमन और राजस्व में तेज वृद्धि हुई है।

तालिका 4.41 : एयर इंडिया - आवागमन और राजस्व

वर्ष	यात्रियों का आवागमन (सं.)		राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	
	पटना-दिल्ली	दिल्ली-पटना	पटना-दिल्ली	दिल्ली-पटना
2004-05	33920	44000	16.5	18.7
2005-06	36030	45233	17.7	19.1
2006-07	39761	54400	28.5	32.7
2007-08	63835	68303	26.9	29.2
2008-09	59350	68065	22.8	29.1
2009-10	46302	62539	15.37	17.51
2010-11 (अक्तू. 10 तक)	121165	167381	45.94	63.67

स्रोत : एयर इंडिया

4.10 शहरी अधिसंरचना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में शहरी आबादी सिर्फ 10 प्रतिशत थी, फिर भी राज्य में शहरी क्षेत्रों का विकास बहुत अनियोजित रहा है। फलत: अधिकांश शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की कमी है। अतएव बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित शहरी अधिसंरचना का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह नगरपालिका संस्थाएं क्षमता और संसाधनों की भारी कमी झेल रहे हैं। वर्ष 2010 में बिहार में कुल 139 शहरी निकाय थे जिनमें से 10 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 87 नगर पंचायत थे।

तालिका 4.42 : बिहार में शहरी स्थानीय निकाय (2010)

शहरी स्थानीय निकाय	संख्या
1. नगर निगम	10
2. नगर परिषद	42
3. नगर पंचायत	87
योग	139

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरुआत 2005 में हुई थी। शहरी अधिसंरचना विकास हेतु राज्य सरकारों को सुधार से जुड़ी केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मिशन के तौर-तरीके वाला दृष्टिकोण (मिशन मोड अप्रोच) देश के चुनिंदा 63 शहरों में अपनाया गया था जिसमें राज्यों की राजधानियां और धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थल शामिल थे। मिशन के दो घटक हैं - शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन (यूआइजी) तथा शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)। मिशन ने शहरी क्षेत्रों में सुधार आरंभ करने में काफी प्रगति हासिल की है।

वर्ष 2009-10 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुल आबंटन 2,581 करोड़ रु. था जिसमें से 1,965.38 करोड़ रु. की परियोजनाएं स्वीकृत थीं। इस व्यय में केंद्र सरकार का हिस्सा 1,065.72 करोड़ रु. था और राज्य सरकार का 852 करोड़ रु.। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 358.59 करोड़ रु. और राज्य सरकार द्वारा 221.91 करोड़ रु. ही विमुक्त किए गए। ब्योरा तालिका 4.43 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.43 : मिशन के तहत आबंटनों और स्वीकृतियों की स्थिति

(करोड़ रु.)

योजना	आबंटन (केंद्रीय अंशदान)	अतिरिक्त केंद्रीय अंशदान आबंटन	आबंटन (केंद्र+ राज्य)	कुल स्वीकृत परियोजनाएं	केंद्र और राज्य का कार्यार्पित हिस्सा		भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	
					केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा
शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन (यूआइजी)	592.41	150.00	1094.82	758.41	420.10	338.35	111.26	103.67
शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा (बीएसयूपी)	496.54	35.00	993.08	709.98	312.75	391.4	78.19	70.93
छोटे-मंझोले शहर हेतु शहरी अधिसंरचना विकास (यूआइडीएसएसएमटी)	254.78	-	318.48	261.13	208.90	52.22	107.16	26.90
समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम (आइएचएसडीपी)	140.06	28.00	175.08	235.86	123.97	70.13	61.98	20.41
योग	1483.79	213.00	2581.46	1965.38	1065.72	852.10	358.59	221.91

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

मिशन के तहत पटना, दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ और बोधगया शहरों के अधिसंरचना विकास के लिए कुल 758.44 करोड़ रु. लागत वाली अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थीं। छोटे-मंझोले शहरों के लिए शहरी अधिसंरचना विकास योजना के तहत 11 शहरों में कुल 261.13 करोड़ रु. व्यय की परियोजनाएं आरंभ की गई थीं। जलापूर्ति में सुधार के लिए पटना, फुलवारीशरीफ, खगौल और बोधगया के शहरी स्थानीय निकायों को 2009-10 में कुल 498.39 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। राज्य सरकार ने जलापूर्ति योजना के तहत 26 शहरी स्थानीय निकायों में 315 करोड़ रु. के कुल व्यय का काम शुरू किया है।

तालिका 4.44 : जलापूर्ति में सुधार हेतु योजनाओं को स्वीकृति

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	परियोजना व्यय (करोड़ रु.)
पटना	426.98
फुलवारीशरीफ	24.70
खगौल	13.15
बोधगया	33.56
योग	498.39

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन सभी शहरी स्थानीय निकायों को करना है। तथापि, पटना, पटना शहरी संकुलन और आरा नगर निगम के लिए ही कुल 58.36 करोड़ रु. की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसमें से पटना के लिए 36.96 करोड़ रु., पटना संकुलन क्षेत्र के लिए 11.56 करोड़ रु. तथा आरा नगर परिषद के लिए 9. 84 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

तालिका 4.45 : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वीकृत परिव्यय

शहर	राशि (करोड़ रु.)
पटना	36.96
पटना शहरी संकुलन	11.56
आरा नगर निगम	9.84
कुल	58.36

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनेक पहलकदमियां ली गई हैं जिनमें प्रारूप परियोजना प्रस्तावों का निर्माण, अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन हेतु संविदा, कंपोस्ट संयंत्रों और लैंडफिल स्थलों का अनुश्रवण, लैंडफिल स्थलों की पहचान आदि शामिल हैं। ब्योरा परिशिष्ट 10 में दिया गया है।

बिहार के शहरों में बुनियादी अधिसंरचना के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता ली जा रही है। पहले चरण में दो उप-परियोजनाएं ली जानी हैं - (1) 325 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से भागलपुर हेतु जलापूर्ति योजना; तथा (2) 205 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से मुजफ्फरपुर हेतु मलजल निकासी योजना। दोनों उप-परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट के प्रारूप पेश कर दिए गए हैं।

समेकित किफायती स्वच्छता (आइएलसीएस) के तहत 10 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और काम शुरू हो गया है। कुल स्वीकृत 12,131 इकाइयों में से 3,545 सूखे शौचालयों को बदलने और 8,586 नए शौचालयों के निर्माण की हैं। इनमें से 4,167 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, 1,297 का निर्माण प्रगति पर है और 5,464 का काम अभी शुरू ही हुआ है। अभी तक 5.30 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

आइएचएसडीपी और शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा

शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा के भाग के बतौर राज्य के 21 शहरों में 833.31 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से 15,748 मकानों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। हर शहरी निकाय के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या और अनुमानित व्यय का ब्योरा तालिका 4.46 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.46 : आइएचएसडीपी और शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा

	शहरी स्थानीय निकाय	आकलित खर्च (करोड़ रु. में)	स्वीकृत आवासों की संख्या
समेकित आवास एवं मलिन-बस्ती विकास कार्यक्रम (आइएचएसडीपी)	कांटी	3.20	143
	औरंगाबाद	3.08	247
	नरकटियागंज	3.84	300
	मोतीपुर	5.44	520
	रोसड़ा	14.32	1562
	शेखपुरा	2.38	207
	भागलपुर	16.56	1188
	किशनगंज	12.02	552
	बहादुरपुर	5.00	294
	पूर्णियां	14.90	1487
	बेगूसराय	24.50	853
	बिहारशरीफ	24.54	810
	आरा	31.22	754
	जोगबनी	12.71	321
	मधेपुरा	12.43	319
	सुपौल	7.99	207
शहरी गरीब हेतु बुनियादी सेवा (बीएसयूपी)	पटना	625.95	19124
	फुलवारीशरीफ	11.57	496
	खगौल	2.28	96
	दानापुर	15.60	656
	बोधगया	54.57	2000
	योग	833.31	15748

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

बेघरों हो आश्रय

निम्नलिखित को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है :

- 9 शहरी स्थानीय निकायों - पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, छपरा, सहरसा, मुंगेर और पूर्णिया में बेघरों के लिए सर्वेक्षण आरंभ हो गया है।
- प्रशिक्षण संपन्न हो गया है और दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- 9 विद्यमान आश्रयों के उन्नयन तथा सर्वेक्षण के लिए मई 2010 में 9 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 186 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

शहरी स्थानीय निकाय	**स्वीकृत राशि (लाख रु. में)**
पटना नगर निगम	50.00
गया नगर निगम	17.00
मुजफ्फरपुर नगर निगम	17.00
दरभंगा नगर निगम	17.00
भागलपुर नगर निगम	17.00
मुंगेर नगर निगम	17.00
पूर्णिया नगर निगम	17.00
सहरसा नगर परिषद	17.00
छपरा नगर परिषद	17.00
योग	**186.00**

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार परियोजना

इस परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे बसे 21 शहरों में सुविधाओं में सुधार आरंभ किया गया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) इसके लिए नोडल अभिकरण है। इन परियोजनाओं के साथ-साथ गंगा नदी के पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए एक संस्था का गठन करना प्रस्तावित है। विचारित हस्तक्षेप हैं : (1) सम्यक मलजल निकासी एवं संबंधित परियोजनाएं, (2) पटना में नदी तट विकास, (3) समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं तथा मुक्तिधाम योजना। इस परियोजना के तहत विविध हस्तक्षेपों का ब्योरा तालिका 4.47 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.47 : राष्ट्रीय गंगा नदी बुनियादी सुविधा परियोजना की स्थिति

हस्तक्षेप	स्थिति

सम्यक मलजल निकासी एवं संबंधित परियोजनाएं,	▪ गंगा नदी के किनारे के 21 शहरों में क्रियान्वयन
	▪ हाजीपुर, बेगूसराय, बक्सर और मुंगेर के लिए कुल 441.86 करोड़ रु. की 4 परियोजनाएं अनुमोदित
	▪ बिहार शहरी अधिसंरचना विकास निगम (ब्यूडको) के जरिए निविदाकरण प्रक्रियाधीन, दिसंबर 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना
	▪ पटना (अंशत:), मोकामा, छपरा और कहलगांव के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समीक्षाधीन
	▪ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया में
	  ▪ 13 शहरी स्थानीय निकायों के लिए समेकित मलजल निकासी संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
	  ▪ 8 शहरी स्थानीय निकायों में धोबी घाटों और सामुदायिक शौचालयों के लिए प्रस्ताव
	  ▪ संभाव्यता अध्ययन - मार्च 2011, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट - जून 2011

पटना में नदी तट विकास	▪ संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश किया जा रहा है
समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं	▪ 18 शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वयन (मिशन के तहत शामिल पटना, दानापुर निजामत और आरा को छोड़कर) ▪ दिसंबर 2010 तक 3 परामर्शदाताओं का नगरीय सुधार हेतु सहायता कार्यक्रम (स्पर) के जरिए चयन ▪ फरवरी 2011 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मास्टर प्लान ▪ अप्रील 2011 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
मुक्तिधाम योजना	▪ क्रॉस सब्सिडी और वीजीएफ के घटकों सहित सार्वजनिक-निजी साझेदारी के विकल्प की तलाश

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

बिहार के विभिन्न शहरों में इस समय 22 परियोजनाएं चल रही हैं। ये परियोजनाएं निम्नलिखित से संबंधित हैं : (1) पटना शहरी क्षेत्र और आरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, (2) पटना, बोधगया और राजगिर में जलनिकासी और मलजल निकासी, (3) खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, बोधगया और पटना में जलापूर्ति, (4) बख्तियारपुर और मुरलीगंज में जलनिकासी युक्त सड़कें, (5) पटना में पार्कों का विकास, (6) पटना में नदी तट का विकास आदि। ब्योरा परिशिष्ट 11 में प्रस्तुत है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

मिशन के शहरी अधिसंरचना एवं अभिशासन के तहत 2005-06 से शुरू होने वाली मिशन की सप्तवर्षीय अवधि में छोटे-मंझोले शहरों के लिए शहरी अधिसंरचना विकास योजना की परियोजनाओं के लिए 11,400 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। इस सप्तवर्षीय आबंटन में से राज्य के पास कुछ शेष ही बचा है और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक धन की जरूरत है।

मिशन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को शहरी अधिसंरचना विकास की महत्वपूर्ण रणनीति के बतौर रेखांकित किया गया है। मिशन के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी में चलाई जा सकने वाली परियोजनाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन हैं। मिशन के तहत एक प्रमुख सुधार विभिन्न परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

शहरी विकास विषयक उपलब्धियां

शहरी विकास परियोजनाओं में उपलब्धि के लिए अनेक हस्तक्षेप किए गए हैं। ये हैं : (1) संस्थागत पुन:स्थितीयन, (2) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, (3) जीआइएस मानचित्रण, और (4) सूचना प्रौद्योगिकी। इन हस्तक्षेपों/ रणनीतियों के कारण हुई उपलब्धियां नीचे प्रस्तुत हैं :

तालिका 4.48 : अब तक की शहरी विकास विषयक उपलब्धियां

मद	अभी तक की उपलब्धियां
संस्थागत पुन:स्थितीयन	• बिहार शहरी अधिसंरचना विकास निगम (ब्यूडको) का निर्माण • 'बीयूडीए के पुनर्गठन' के लिए 'सिद्धांत रूप में' स्वीकृति • 'स्थानीय स्वशासी विभाग के डीएमए में पुनर्गठन, पुनर्जीवन और सुदृढ़ीकरण' हेतु 'सिद्धांत रूप में' स्वीकृति
प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास	• उद्घाटन सहित 'त्रिवर्षीय रणनीतिक प्रशिक्षण' की 'सिद्धांत रूप में' स्वीकृति • बिपार्ड को राज्य का मुख्य शहरी प्रशिक्षण केंद्र के बतौर सुदृढ़ करने के लिए उसके साथ काम • नगर प्रबंधकों के लिए कार्यारंभ प्रशिक्षण
जीआइएस मानचित्रण	• पटना और आसपास का आंचलिक आधारिक मानचित्र
सूचना प्रौद्योगिकी	• सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी जरूरतों का आकलन • मुख्यमंत्री समेकित शहरी योजना हेतु सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस) • कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु विशेष कार्यक्रम विकास

चुनौतियां और संभावनाएं

कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसंरचनात्मक क्षेत्रों में वांछित स्तर तक क्षमता विकास एक प्रमुख चुनौती है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक संबंधित पहलकदमियों की जरूरत पड़ सकती है। राज्य में अधिसंरचना में कमी के आयाम को देखते हुए अधिसंरचनात्मक क्षमता और सेवाओं के विकास में बड़े पैमाने पर तेजी लाने की जरूरत है।

परिशिष्ट 1 : बिहार में जिलावार सड़क नेटवर्क (2007-2010)

(लंबाई किमी में)

जिले	2007			2008			2009			2010		
श्रेणियां	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	प्रमुख जिला सड़कें	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	प्रमुख जिला सड़कें	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	प्रमुख जिला सड़कें	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	प्रमुख जिला सड़कें
पटना	395	143	516	395	151	369	395	151	369	395	151	422
नालंदा	177	115	151	177	157	168	177	157	168	177	157	179
रोहतास	145	197	546	145	235	371	145	235	371	145	235	408
कैमूर	52	46	284	52	99	208	52	99	208	52	99	211
बक्सर	55	53	142	55	80	100	55	80	100	55	79	108
भोजपुर	85	47	360	85	94	283	85	94	283	85	94	290
गया	120	231	291	120	227	257	120	227	257	120	227	255
औरंगाबाद	137	90	228	137	90	150	137	90	150	137	89	222
जहानाबाद/ अरवल	134	42	135	134	42	178	134	42	178	134	46	185
नवादा	84	66	168	84	138	106	84	138	106	84	141	102
सारण	181	70	271	181	118	204	181	118	204	181	117	185
सीवान	54	93	263	54	125	209	54	125	209	54	125	231
गोपालगंज	96	29	324	96	52	311	96	52	311	96	50	311
मुजफ्फरपुर	229	63	408	229	70	404	229	70	404	229	70	359
सीतामढ़ी	102	26	234	102	50	199	102	50	199	102	53	200
शिवहर	22	14	33	22	14	33	22	14	33	22	14	33
पश्चिम चंपारण	112	70	294	112	47	306	112	47	306	112	47	317
पूर्व चंपारण	94	70	288	94	96	286	94	96	286	94	100	285
वैशाली	128	87	154	128	84	169	128	84	169	128	81	188
दरभंगा	49	121	295	49	202	276	49	202	276	49	106	262
समस्तीपुर	66	87	380	66	132	317	66	132	317	66	137	393
मधुबनी	208	125	256	208	107	222	208	107	222	208	213	312
सहरसा	60	43	132	60	43	214	60	43	214	60	58	311
सुपौल	133	128	276	133	182	475	133	182	475	133	165	480
मधेपुरा	109	19	118	109	100	95	109	100	95	109	97	100
पूर्णिया	103	92	264	103	121	249	103	121	249	103	129	290
अररिया	85	102	221	85	112	267	85	112	267	85	112	266
किशनगंज	0	112	164	0	79	412	0	78.6	412	0	79	425
कटिहार	90	54	458	90	54	379	90	54	379	90	52	487
भागलपुर	146	48	156	146	82	124	146	82	124	146	81	213
बांका	0	173	197	0	175	128	0	175	128	0	175	254
मुंगेर	39	70	46	39	35	45	39	35	45	39	35	45
लखीसराय	45	59	19	45	59	32	45	59	32	45	59	33
बेगूसराय	96	41	218	96	42	199	96	42	199	96	42	199
जमुई	0	152	180	0	220	143	0	220	143	0	220	184
खगड़िया	92	4	231	92	0	185	92	0	185	92	0	130
शेखपुरा	12	39	114	12	53	87	12	53	87	12	52	92
योग	**3735**	**3021**	**8815**	**3735**	**3767**	**8160**	**3734**	**3767**	**8158**	**3734**	**3787**	**8965**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 2 : बिहार राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च पथों का सारांश (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)

क्रम सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	टर्मिनल	प्रमुख गंतव्य स्थल	लंबाई (किमी में)	एक लेन- 3.75 मी. चौड़ी (लंबाई किमी में)	मध्यवर्ती लेन- 5.5 मी. चौड़ी (लंबाई किमी में)	दो लेन वाली- 7 मी. चौड़ी (लंबाई किमी में)	7 मी. से अधिक चौड़ी (लंबाई किमी में)	अभ्युक्ति
1	2	नई दिल्ली- डानकुनी (कोलकाता)	नई दिल्ली- आगरा- कानपुर- इलाहाबाद- वाराणसी- मोहनिया- बरही- पानागढ़-पैसित	205.70	0	0	0	205.7	एनएचडीपी-1 मोहनिया 843.00 से झारखंड सीमा 1049.00
2	2ग	डेहरी (बिहार) - उ.प्र. सीमा	बिहार- उत्तर प्रदेश सीमा	105	60	5	40	0	डेहरी 0.00 से जरदाग 105
3	19	गाजीपुर(उ.प्र.)- पटना (बिहार)	गाजीपुर- बलिया- मांझी- छपरा- सोनपुर- हाजीपुर- पटना	93.08	0	23.5	55.58	14	मांझी 128.92 से पटना पहाड़ी 222.00
4	28	लखनऊ(उ.प्र.) - बरौनी (बिहार)	लखनऊ- बाराबंकी- फैजाबाद -बस्ती- गोरखपुर- गोपालगंज- मुजफ्फरपुर- बरौनी	266.30	0	0	106.00	160.30	गोपालगंज 360. 70 से बरौनी 627.00
5	30	रा.उ.-2 संगम (मोहनिया) से - रा.उ.- 19 का संगम	मोहनिया- पटना- बख्तियारपुर	217.70	0	0	211.70	6.00	मोहनिया 0.00 से बख्तियारपुर 230. 30 (12.60 किमी गुम) (166 से 178.60)
6	31	बरही में रा.उ.-2 और 33 के संगम से रा.उ. -37 का संगम	बख्तियारपुर- मोकामा- पूर्णिया-दालकोला- सिलिगुड़ी -सेवोक- कूचबिहार- काकराझोर- नलबाड़ी	406.80	0	0	346.80	60.00	बख्तियारपुर 154. 60 से दालकोला 445.00
7	28क	पिपरा (बिहार)- रक्सौल (बिहार)	पिपरा-कोठी-सुगौली रक्सौल	67.00	0.00	3.70	60.30	3.00	पिपरा-कोठी 0 से रक्सौल 67.0
8	28ख	छपरा (बिहार)- कुशीनगर (उ.प्र.)	छपरा- बेतिया- लौरिया- कुशीनगर	110.20	57.50	50.50	2.20	0.00	छपरा 0.0 से छितौनी 110.20
9	30क	फतुहा संगम से बाढ़ के पास रा. उ.-80	फतुहा- चंडी- हरनौत- बाढ़	69.50	27.50	23.93	16.45	1.62	फतुहा 0.0 से बाढ़ 69.50

10	57	मुजफ्फरपुर- पूर्णिया	दरभंगा- मुरिया- सकरी- झंझारपुर- नरहिया- नरपतगंज- फारबिसगंज- अररिया	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	एनएचडीपी-2 मुजफ्फरपुर 0 से पूर्णिया 310.0
11	57क	फारबिसगंज (रा. उ.-57 संगम) से जोगबनी	जोगबनी	12.60	0.00	11.00	1.00	0.6	फारबिसगंज 0 से जोगबनी 12.60
12	77	हाजीपुर-सोनबरसा	हाजीपुर- मुजफ्फरपुर- सीतामढ़ी	137	13	123.3	0.7	0	हाजीपुर 0 से सोनबरसा 137.0
13	80	मोकामा (बिहार) -फरक्का (प. बंगाल)	लखीसराय- मुंगेर- भागलपुर- कहलगांव- राजमहल	190.00	21.2	87.16	81.64	0	मोकामा बाटा मोड़ 0 से मिर्जा चौकी 190.0
14	81	कोढ़ा (रा.उ.-31 संगम)- मालदा (रा.उ.-34 के साथ संगम)	कटिहार	42.7	23.6	0	19.1	0	कोढ़ा 0 से लावा पुल 56 [53 से 56 और 19.12 किमी मुख्य जिला पथ (28.42 से 13.3) छोड़कर]
15	82	गया-मोकामा (बिहार)	बिहारशरीफ	148.3	27.3	14.75	106.25	0	गया 0 से मोकामा 148.30
16	83	पटना-डोभी (बिहार)	जहानाबाद- गया- बोधगया	125	4.95	23.3	96.75	0	पटना 0 से डोभी 125.0
17	84	आरा-बक्सर	आरा-बक्सर	73.4	0	63.4	10	0	आरा 0 से बक्सर 73.40
18	85	छपरा-गोपालगंज	छपरा-सीवान-गोपालगंज	92	0	91	0	1	छपरा 0 से गोपालगंज 92.0
19	98	पटना-राजहरा	अरवल-दाउदनगर- औरंगाबाद	151.62	13.73	71.17	51.47	15.25	2.60 गुम 127.52 से 130.12
20	99	डोभी (बिहार)- चंदवा (झार.)	डोभी-चतरा-चंदवा	11.5	0	11.5	0	0	डोभी 0 से गोसाइंडीह 11.5
21	101	छपरा- मोहम्मदपुर	बनियापुर	65	15.5	0	49.5	0	छपरा 0 से मोहम्मदपुर 65.0
22	102	छपरा- मुजफ्फरपुर	रेवाघाट	75	9	5	61	0	छपरा 0 से मुजफ्फरपुर 75
23	103	हाजीपुर- मुसरीघरारी	हजरत जंदाहा	58.51	0	0	58.51	0	हाजीपुर 0 से मुसरीघरारी 58.51
24	104	चकिया-नरहिया	सीतामढ़ी-जयनगर	216.25	179.25	4	33	0	चकिया 0 से नरहिया 216.25
25	105	दरभंगा- जयनगर	पोखरौनी	53.5	45	2.25	6.25	0	दरभंगा 0 से

									जयनगर 53.50
26	106	बीरपुर- बिहपुर	पिपरा- मधेपुरा- किशनगंज	136	78.15	57.85	0	0	बीरपुर 0 से बिहपुर 136.00
27	107	महेशखूंट- पूर्णिया	सोनबरसा राज- सिमरी बख्तियारपुर- सहरसा- मधेपुरा- बनमनखी	176.38	16.4	146	13.98	0	महेशखूंट 0 से पूर्णिया 178.28, 1.9 किमी गुम (94.72 से 96.60)
28	110	अरवल (रा.उ.-98 संगम)- बिहारशरीफ (रा.उ.-31)	जहानाबाद	88.4	37.7	15.7	35	0	बिहारशरीफ 0 से अरवल 88.40
	योग			**3704.44**	**629.78**	**834.01**	**1463.18**	**777.47**	

टिप्पणी : कुल गुम लंबाई 30.40 किमी, 3704+30.40=3734.40

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 3 : बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम 1 और 2

क्र. सं.	सड़क का नाम	राज्य उच्च्पथ की पथ संख्या	लंबाई (किमी में)
1	शिवगंज-बैदराबाद रोड	राज्य उच्चपथ-68	65.50
2	डुमरिया-रानीतालाब रोड	राज्य उच्चपथ-69	165.40
3	गया-रजौली रोड	राज्य उच्चपथ-70	57.00
4	जहानाबाद-पार्वतीपुर रोड	राज्य उच्चपथ-71	85.00
5	जमुई-बरियारपुर रोड	राज्य उच्चपथ-72	58.00
6	सीवान-शीतलपुर रोड	राज्य उच्चपथ-73	103.50
7	हाजीपुर-अरेराज रोड	राज्य उच्चपथ-74	127.20
8	दरभंगा-मधवापुर रोड	राज्य उच्चपथ-75	52.38
9	अररिया-भपटियाही रोड	राज्य उच्चपथ-76	123.00
10	कुरसेला-फार्बिसगंज रोड	राज्य उच्चपथ-77	105.00
11	बिहटा-नौबतपुर-नेवा-डुमरी-बेलदारीचक-दनियावां और चंडी-नूरसराय-बिंध-सरमेरा रोड	राज्य उच्चपथ-78	112.00
12	डुमरांव विक्रमगंज	राज्य उच्चपथ-79	44.40
13	भभुआ-अधौरा	राज्य उच्चपथ-80	53.00
14	सकरी-नासरीगंज	राज्य उच्चपथ-81	86.80
15	कादिरगंज-सोनो	राज्य उच्चपथ-82	94.00
16	बागी-बरबीघा	राज्य उच्चपथ-83	37.30
17	घोघा-बाराहाट	राज्य उच्चपथ-84	54.60
18	अकबरपुर-अमरपुर	राज्य उच्चपथ-85	34.00
19	सरिया-मोतीपुर	राज्य उच्चपथ-86	28.33
20	रुन्नीसैदपुर-भिसवा	राज्य उच्चपथ-87	64.75
21	रा.उ.-103 (बरुना पुल)-रसियारी	राज्य उच्चपथ-88	124.20
22	सीवान-सिसवन	राज्य उच्चपथ-89	33.00
23	मोहम्मदपुर-छपरा	राज्य उच्चपथ-90	68.50
24	वीरगंज-उदाकिसुनगंज	राज्य उच्चपथ-91	104.04
	योग		**1880.90**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 4 : रेल उपरिपुल और संपर्क पथ

इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा तैयार किए जाने वाले 14 रेल उपरिपुलों और संपर्क पथों के विवरण

क्र.सं.	लेवल क्रॉसिंग सं.	अवस्थिति	अनुमानित व्यय (लाख रु.)
1	72	पटना साहिब-गुलजारबाग	2228.41
2	31	फुलवारीशरीफ-सचिवालय हाल्ट	5818.37
3	52/1	कुदरा स्टेशन सीमा	5905.80
4	101	नारायण अनंत-मुजफ्फरपुर	1800.00
5	101क	नारायण अनंत-मुजफ्फरपुर	3200.00
6	27	दरभंगा स्टेशन सीमा	3600.00
7	2	गया-कष्ठा	2100.00
8	1 & 79 क	मीठापुर-पटना	5410.58
9	73	गुलजारबाग रेल उपरिपुल	3923.74
10	74	गुलजारबाग रेल उपरिपुल	4041.74
11	75	राजेंद्रनगर रेल उपरिपथ	4204.03
12	45	बिहटा-कोइलबर	2231.00
13	33	सोनपुर-डेहरी ऑन सोन	2384.00
14	43	सासाराम स्टेशन सीमा	2902.00
		योग	**49749.67**

इरकॉन द्वारा बनाए जा रहे 8 रेल उपरिपुलों के विवरण जिनके संपर्क पथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे हैं :

क्र.सं.	लेवल क्रॉसिंग सं.	अवस्थिति	अनुमानित व्यय (लाख रु.)
1	10ख (पू.रे.)	सुल्तानगंज (स्टेशन यार्ड)	2740.00
2	15ख (पू.रे.)	बरियारपुर (स्टेशन यार्ड)	2727.00
3	46क (पू.म.रे.)	जमुई (मलयपुर)	4005.00
4	60 ख (पू.म.रे.)	भभुआ	2870.00
5	92 (उ.सी.रे.)	सीवान स्टेशन यार्ड (सीवान-आंदर रोड)	3050.00
6	15/के.जे. (उ.सी.रे.)	पूर्णिया (रा.उ.-31 का शहरी हिस्सा)	2960.00
7	एस.के.-315(उ.सी.रे.)	किशनगंज-हथवार (के.टी.टी. लिंक रोड)	2870.00
8	एस.के.-316 (उ.सी.रे.)	किशनगंज-हथवार (के.टी.टी. लिंक रोड)	2960.00
		योग	**24182.00**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 5 : बिहार राज्य में 2009-10 में निबंधित वाहनों के आंकड़े

(संख्या)

जिला का नाम	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	तिपहिया	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
पटना	3845	349	9532	2759	3301	1210	41163	1854	782	20	64815
नालंदा	91	70	45	72	116	418	6004	651	175	53	7695
रोहतास	97	57	98	190	205	91	8466	485	327	171	10187
कैमूर	67	16	15	43	98	4	2822	234	193		3492
बक्सर	27	31	15	39	93	58	3794	433	376		4866
भोजपुर	43	46	27	130	254	223	6379	657	651	97	8507
गया	542	85	819	307	310	1122	972	541	505	2	5205
औरंगाबाद	49	56	81		251	603	3398	1152	18	19	5627
जहानाबाद	132	21	17	27	65	407	1115	375	247	35	2441
अरवल	9	5	27	5	14	49	229	95	77	8	518
नवादा	142	56	27	99	129	154	2451	414	346	9	3827
सारण	108	68	53	124	279	656	8076	978	167	19	10528
सीवान	132	36	59	112	383	84	9508	582	36		10932
गोपालगंज	79	78	11	64	265	52	6051	321	12	186	7119
मुजफ्फरपुर	1773	216	1458	1543	919	1875	20613	1100	372	167	30036
सीतामढ़ी	5	11	6	2	67	123	3892	270	28	6	4410
शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम चंपारण	31	13	61	44	274	67	13188	632	661		14971
पूर्व चंपारण	121	14	31	70	498	246	7385	388	578		9331
वैशाली	3	14	26	47	90	349	5321	278	233	19	6380
दरभंगा	91	38	170	78	163	539	9964	515	203	29	11790
समस्तीपुर	40	14	54	93	102	260	7735	665	418	28	9409
मधुबनी	5	21	15	40	177	29	4744	657	332	31	6051
सहरसा	47	16	31	90	109	156	3554	601	415	13	5032
सुपौल	24	7	21	65	48	34	2440	140	122	5	2906
मधेपुरा	9	3	23	191	111	274	4032	336	237	13	5229
पूर्णिया	315	59	381	396	631	1481	6337	1626	820		12046
अररिया	35	12	22	38	35	228	4203	441	275		5289
किशनगंज	4	0	17	5	2	9	1885	63	28		2013
कटिहार	20	10	73	32	43	107	9385	296	217		10183
भागलपुर	93	43	1024	19	360	1041	10423	884	499		14386
बांका	16	20	28	14	21	99	647	59	68	2	974
मुंगेर	71	6	33	79	44	112	3903	78	84		4410
लखीसराय	18	4	10	32	12	3	345	165	161	2	752
बेगूसराय	281	28	390	336	317	56	8841	401	294	19	10963
जमुई	7	4	82	44	5	35	1406	214	214	2	2013
खगड़िया	41	24	41	73	34	104	2202	714	265	14	3512
शेखपुरा	61	4	31	45	37	34	783	201	93		1289
योग	**8474**	**1555**	**14854**	**7347**	**9862**	**12392**	**233656**	**19496**	**10529**	**969**	**319134**

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : बिहार उप-संचरण योजना का चरणबद्ध कियान्वयन (आरएसवीवाइ)

चरण	अनुमोदित प्राक्कलित मूल्य (करोड़ रु.)	कार्यों की स्थिति	क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण	अभ्युक्ति
चरण-1	552.4	17 ग्रिड उप-स्टेशन, बनियापुर (सारण) में 1 पावर उप-स्टेशन और 876 किमी संचरण लाइन निर्माण का कार्य पूरा।	भारतीय पावर ग्रिड निगम	पूरा
चरण-2, भाग-1	1005.72	क) 1090/ 1090 एमवीए के वर्तमान ग्रिड उप-स्टेशन का क्षमता विस्तार संपन्न। ख) कांटी-1x100 एमवीए का क्षमता विस्तार प्रगति पर ग) 132 किलोवोल्ट लाइनों की रिकंडक्टरिंग- 362/362 किमी घ) 220/132 किलोवोल्ट के 10 (9 नए और 1 पहले के) ग्रिड उप-स्टेशनों का निर्माण होना था जिनमें से कटरा, टेकारी, हुलासगंज, बक्सर, नौगछिया में काम पूरा जबकि सिपारा, एकंगरसराय, रक्सौल, एसकेएमसीएच में काम प्रगति पर। च) बेगूसराय ग्रिड उप-स्टेशन का शेष काम पूरा। छ) बेगूसराय-पूर्णिया लाइन का शेष कार्य प्रगति पर। ज) 132/220 किलोवोल्ट की संबंधित संचरण लाइनें - 875/1179 सीकेएम	भारतीय पावर ग्रिड निगम और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	काम जारी
चरण-2, भाग-2	1240.86	क)क्षमतावर्धन- 17 ग्रिड (16 नए और 1 पुराना काम) ख) संबंधित संचरण लाइनें - 220 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट- 1985 सीकेएम, प्रगति - 369/ 1985 सीकेएम, 33 किलोवोल्ट- 300 किमी ग) पुरानी 132 किलोवोल्ट लाइनों की रिकंडक्टरिंग- 247 किमी (प्रगति पर) घ) वर्तमान ग्रिड उप-स्टेशन का क्षमता विस्तार 360/540 एमवीए (प्रगति पर) च) वजीरगंज में ग्रिड उप-स्टेशन का काम पूरा। मधेपुरा, औरंगाबाद, दीघा, पटना, करपी, हरनौत, रुन्नीसैदपुर, कुदरा, नालंदा, जगदीशपुर, गोह, दलसिंगसराय और मशरख ग्रिड उप-स्टेशनों का काम शुरू। जोड़ने वाली संचरण लाइनों का काम प्रगति पर। छ) हाजीपुर 220/132 केवी ग्रिड उप-स्टेशन का काम प्रगति पर (बचा काम) ज) फतुहा में गंगा के ऊपर से 220 केवी के क्रॉसिंग लाइन की क्षमता बहाली के संविदाकरण की तैयारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से चल रही है (शेष काम)।	भारतीय पावर ग्रिड निगम और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	काम जारी

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

परिशिष्ट 7 : बिहार की आगामी विद्युत परियोजनाएं

स्थान	क्षमता (मेगावाट)	अभिकरण
(क) सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत		
(i) बरौनी तापविद्युत-गृह का विस्तार - बेगूसराय	2x 250 मेगावाट	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
(ख) संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और राष्ट्रीय तापविद्युत निगम का संयुक्त उपक्रम)		
(i) मुजफ्फरपुर तापविद्युत-गृह का विस्तार - मुजफ्फरपुर	2x 195 मेगावाट	केबीयूएनएल
(ii) नबीनगर, जिला औरंगाबाद में नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी	3x 660 मेगावाट	एनपीजीसीपीएल
(ग) निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत टैरिफ आधारित बोली के जरिए		
(i) बक्सर तापविद्युत-गृह, चौसा, जिला - बक्सर	2x 660 मेगावाट	निजी- बिहार पावर इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (प्रा) लि.
(ii) लखीसराय तापविद्युत-गृह, कजरा, जिला - लखीसराय	2x 660 मेगावाट	पूर्वोक्त
(iii) पीरपैंती तापविद्युत-गृह, पीरपैंती, जिला - भागलपुर	2x 660 मेगावाट	पूर्वोक्त
(घ) समझौता पत्र हस्ताक्षर के जरिए आइपीपी के अंतर्गत		
(i) मे. जेएएस इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., नागपुर - बांका, भागलपुर में	4 x 660 मेगावाट	निजी- जेएएस
(ii) मे. नालंदा पावर कंपनी लि., कोलकाता - पीरपैंती, भागलपुर में	2000 मेगावाट	निजी-नालंदा
(iii) मे. गंगा पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लि., कोलकाता, पीरपैंती में	2x 660 मेगावाट	निजी-आधुनिक
(iv) मे. इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता, पूर्व चंपारण में	2x 660 मेगावाट	निजी-इंडिया पावर
(च) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित		
(i) मे. ट्राइटन इनर्जी लि., गुड़गांव, हरियाणा - बारुन, औरंगाबाद में	2x 660 मेगावाट	निजी-ट्राइटन
(ii) मे. एस्सार पावर लि., रांची - पीरपैंती, जिला भागलपुर में	3x 660 मेगावाट	निजी-एस्सार पावर
(iii) मे. उषा मार्टिन लि. - पीरपैंती, जिला भागलपुर में	1200-1320 मेगावाट	निजी-उषा मार्टिन
(iv) मे. सर्वोत्तम इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस लि. कोलकाता, कहलगांव में	540 मेगावाट	निजी-सर्वोत्तम
(v) मे. एर्रिसन पावर लि., कोलकाता, बांका में	2x660 मेगावाट	निजी-एर्रिसन
(vi) मे. ग्लोबल पावरमिन लि., कोलकाता, नवादा में	4x660 मेगावाट	निजी-ग्लोबल
(vii) मे. मिराक पावर प्रा. लि. हैदराबाद, लखीसराय में	2x660 मेगावाट	निजी-मिराक
(viii) मे. एईएस इंडिया प्रा. लि., गुड़गांव, जगदीशपुर, भागलपुर में	2x660 मेगावाट	निजी-एईएस
(छ) आणविक विद्युत परियोजना		
(i) भारतीय आणविक विद्युत निगम लि. को रजौली में आणविक विद्युत संयंत्र लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।	4x700 मेगावाट	भारतीय आणविक विद्युत निगम

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार सरकार

परिशिष्ट 8 : 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) और वार्षिक योजना (2010-11) के योजनावार प्रस्ताव

क्र. सं.	योजनाएं	11वीं पंचवर्षीय योजना का भौतिक लक्ष्य (योजनाओं की सं.)	सिंचाई क्षमता (लाख हे. में)	2010-11 की वार्षिक योजना का भौतिक लक्ष्य	सिंचाई क्षमता (लाख हे. में)
राज्य योजनाएं					
1	भूतल सिंचाई योजनाएं और मुख्यमंत्री आहर/पइन सिंचाई योजनाएं (आहर/ पइनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुन:स्थापना)	1256	1.65	110	0.55
2	राजकीय नलकूप योजनाएं (अकार्यशील राजकीय नलकूपों की पुन:स्थापना सहित)	500	0.2	80	0.064
3	भवन	15		5	
4	सर्वेक्षण एवं जांच				
	(i) भूमिगत जल	100		20	
	(ii) भूतल जल	5000		1000	
5	नाबार्ड (आरआइडीएफ)				
	(i) नलकूप योजनाएं	6000	2.4	1400	0.56
	(ii) भूतल योजनाएं	130	0.26	3	0.01
	(iii) बराज योजनाएं	1500	0.3	125	0.025
6	राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस) में निजी नलकूप (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	464000	9.28	100000	2
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं (3:1) जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुन:स्थापना की केंद्रीय योजना	6	0.01	20	0.02
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं (9:1) सूखाप्रवण क्षेत्रों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआइबीपी)	10	0.02	50	0.25
	योग		14.12		3.479

स्रोत : लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 9 : 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) और वार्षिक योजना (2010-11) के योजनावार परिव्यय

(लाख रु.)

क्र.सं.	योजनाएं	11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिव्यय	2010-11 की वार्षिक योजना हेतु परिव्यय (योजना आयोग द्वारा अनुमोदित)
	राज्य योजनाएं		
1	मुख्यमंत्री आहर/पइन सिंचाई योजना		3500
2	भूतल सिंचाई योजनाएं (आहर/ पइनों का जीर्णोद्धार और पुन:स्थापना)	48197.47	3011
3	राजकीय नलकूप योजनाएं (अकार्यशील राजकीय नलकूपों की पुन:स्थापना सहित)	5000	700.34
4	भवन	500	500
5	सर्वेक्षण एवं जांच		
	(i) भूमिगत जल	500	110
	(ii) भूतल जल	1000	200
6	नाबार्ड (आरआइडीएफ)		
	(i) नलकूप योजनाएं	49095.76	6150
	(ii) भूतल योजनाएं	9000	500
	(iii) बराज योजनाएं	4500	500
7	राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस) में निजी नलकूप (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता)	117000	0
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं (3:1) जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुन:स्थापना की केंद्रीय योजना	222	4000
8	केंद्र प्रायोजित योजनाएं (9:1) सूखाप्रवण क्षेत्रों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआइबीपी)	1983	5500
	योग	236998.23	24671.34

स्रोत : लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 10 : शहरी विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अवस्थिति, स्रोत तथा राशि सहित

क्र. सं.	परियोजना	अवस्थिति	वित्तपोषण स्रोत	स्वीकृत व्यय (करोड़ रु.)
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	पटना शहरी क्षेत्र	जेएनएनयूआरएम	11.56
2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	आरा	जेएनएनयूआरएम	9.84
3	पटना में 3 पार्कों का विकास	पटना	राज्य सरकार	2.20
4	जलनिकासी तथा मलजल निकासी	पटना का बाहरी निकास चैनल	राज्य सरकार	330.00
5	खगौल जलापूर्ति	खगौल	जेएनएनयूआरएम	13.15
6	दानापुर जलापूर्ति	दानापुर	जेएनएनयूआरएम	68.96
7	फुलवारीशरीफ जलापूर्ति	फुलवारीशरीफ	जेएनएनयूआरएम	24.70
8	मुजफ्फरपुर जलापूर्ति	मुजफ्फरपुर	जेएनएनयूआरएम	98.72
9	बोधगया जलापूर्ति	बोधगया	जेएनएनयूआरएम	33.56
10	बोधगया मलजल निकासी	बोधगया	जेएनएनयूआरएम	95.94
11	राजगिर मलजल निकासी	राजगिर	राज्य सरकार	77.67
12	राजगिर वर्षाजल निकासी	राजगिर	राज्य सरकार	
13	हाजीपुर मलजल उपचार संयंत्र	हाजीपुर	एनजीआरबीए	113.62
14	बेगूसराय मलजल उपचार संयंत्र	बेगूसराय	एनजीआरबीए	65.40
15	बक्सर मलजल उपचार संयंत्र	बक्सर	एनजीआरबीए	74.95
16	मुंगेर मलजल निकासी	मुंगेर	एनजीआरबीए	187.89
17	सड़क एवं नाली निर्माण	बख्तियारपुर	जेएनएनयूआरएम	5.11
18	नाली के साथ सड़क	मुरलीगंज	जेएनएनयूआरएम	11.44
19	पार्क का विकास	नूरानी बाग, पटना	राज्य सरकार	0.80
20	जलापूर्ति	पटना	जेएनएनयूआरएम	426.98
21	नदी तट विकास	पटना	एनजीआरबीए	149.00
22	बुद्ध स्मृति पार्क	पटना	राज्य सरकार	125.00
	शहरी विकास तथा आवास विकास कार्यालयों की साज-सज्जा	पटना	राज्य सरकार	2.00
	निर्माण/ साज-सज्जा/ जीर्णोद्धार	बिहार के 28 शहरी स्थानीय निकायों में	राज्य सरकार	16.00
23	सिविल निर्माण कार्य	बिहार के 28 शहरी स्थानीय निकायों में	राज्य सरकार	12.00

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 11 : शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पहलकदमियां

गतिविधि	स्थिति
विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी	• जेएनएनयूआरएन और यूआइडीएसएसटी के तहत पटना, पटना शहरी संकुलन के शहरों तथा आरा हेतु स्वीकृत • एनजीबीआरए के तहत 18 शहरों के लिए प्रस्ताव किए जा रहे हैं
अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु संविदाएं	• पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और बिहारशरीफ में कार्य प्रगति पर • दरभंगा के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया • फुलवारीशरीफ, दानापुर-निजामत, खगौल और आरा के लिए निविदाकरण प्रक्रियाधीन • पहले साल में 75 मरम्मत एवं रखरखाव खर्च हेतु स्पर सहायता; मरम्मत एवं रखरखाव खर्च हेतु 24.88 करोड़ तक सहायता हेतु 'सिद्धांत रूप में' स्वीकृति
अन्य शहरी स्थानीय निकाय	• सभी शहरी निकायों का चरणबद्ध रूप में आच्छादन • जारी योजनाओं/ राज्य योजनाओं से वित्तपोषण
अनुश्रवण तंत्र	• स्पर हेतु तंत्र विकसित • पटना नगर निमग हेतु उन्मुखीकरण संपन्न तथा अन्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए काम जारी
कंपोस्ट संयंत्र तथा लैंडफिल स्थल	• जेएनएनयूआरएन के तहत पटना और संकुलन शहरों के लिए आइएल एंड एफएस तथा पटना नगर निगम के जरिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार पर बोलियां आमंत्रित • शेष 138 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग के तहत स्थापना। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के आधार स्वीकृति।
आंचलिक लैंडफिल स्थलों की पहचान	• राज्य में 41 शहरों के लिए 4 आंचलिक लैंडफिल स्थलों की पहचान। शेष 101 शहरों के लिए अधिक स्थलों की पहचान का काम जारी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरण	• 13वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत अपशिष्ट संग्रहण तथा परिवहन हेतु उपकरण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000 के अनुसार) सभी शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराए जाने हैं।

स्रोत : शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 5

सामाजिक क्षेत्र

गत एक वर्ष के अंदर मानव विकास के दो महत्वपूर्ण पहलुओं – खाद्य सुरक्षा और शिक्षा को भारत में संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इस तथ्य से जूझने के लिहाज से पहले महत्वपूर्ण कदम हैं कि शेष विश्व की तुलना में पूरे भारत में मानव जीवन की ऐतिहासिक रूप से निम्न गुणवत्ता देश के त्वरित आर्थिक विकास के दौर में और भी नीचे चली गई है। ऐसी परिस्थितियों में बिहार में जन विकास के सामने दुहरे ऐतिहासिक अंतरालों की चुनौती है – वैश्विक औसत के साथ अंतराल की और सभी राज्यों के औसत के साथ अंतराल की। प्रति व्यक्ति विकास व्यय के मामले में देश के सभी राज्यों के औसत और विभाजनोत्तर बिहार के बीच मौजूद विकासमूलक अंतराल आरेख 5.1 में प्रस्तुत है।

आरेख 5.1

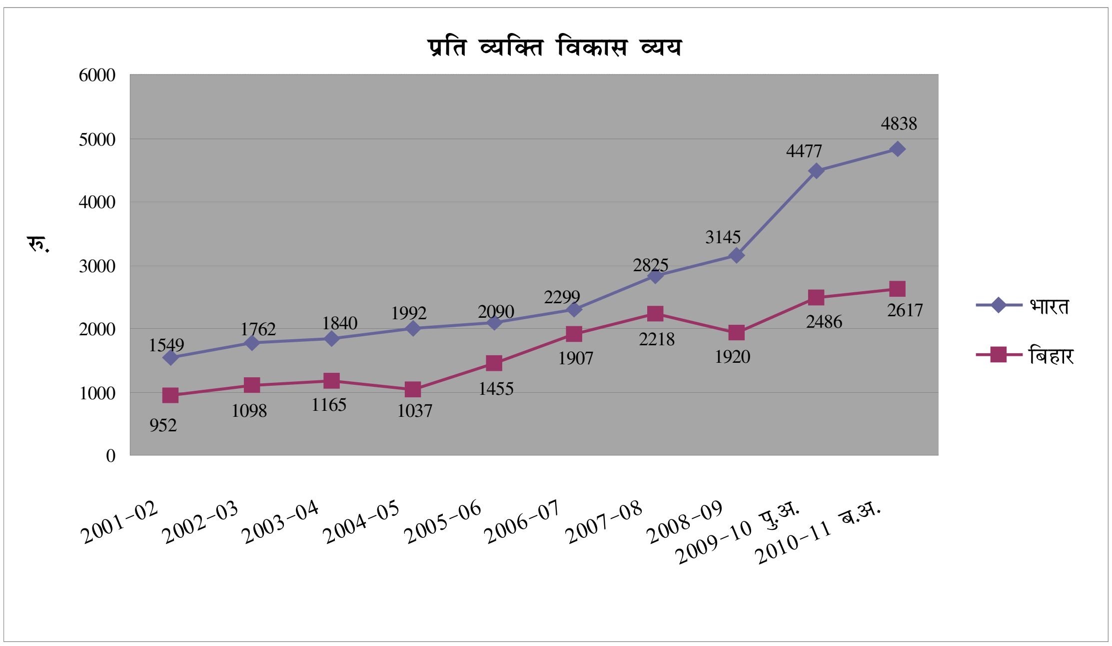

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

वर्ष 2001-02 में बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम था। यह अंतराल 2002-03 और 2004-05 के बीच और अधिक बढ़ा, लेकिन 2005-06 से 2007-08 के बीच इसमें कमी आने लगी। वर्ष 2008-09 में एक बार पुनः इसके पलटने का रुझान दिखा। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में उभार अनुमानित हुआ लेकिन कुल मिलाकर सभी राज्यों के औसत के साथ मौजूद अंतराल फिर से बढ़ने लगा है।

बाद के खंडों में बिहार में सामाजिक क्षेत्र में विकास का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आंचलिक तथा सामाजिक विकास पर खास फोकस रखते हुए शिक्षा, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य; श्रम, रोजगार और गरीबी; ग्रामीण विकास तथा दलित एवं सीमांत समूहों के लिए हस्तक्षेप जैसे इसके विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है।

5.1 साक्षरता और शिक्षा

साक्षरता

66 प्रतिशत समग्र साक्षरता दर वाला भारत अन्य विकासशील तथा अल्पविकसित देशों से काफी पीछे है। भारत में 77 प्रतिशत पुरुष साक्षता दर महिला साक्षरता दर (55 प्रतिशत) की अपेक्षा 22 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार साक्षरता में भारत का लैंगिक अंतराल अल्पविकसित देशों के औसत अंतराल 18 प्रतिशत से अधिक है (द ग्लोबल लिटरेसी चैलेंज, यूनेस्को, 2008)। आरेख 2 में भारत में साक्षरता दर में मौजूद जिलास्तरीय अंतराल दर्शाया गया है। साक्षरता के मामले में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल वाले जिले निम्न आय वाले हिंदी हृदयप्रदेश में संकेंद्रित हैं।

आरेख 2

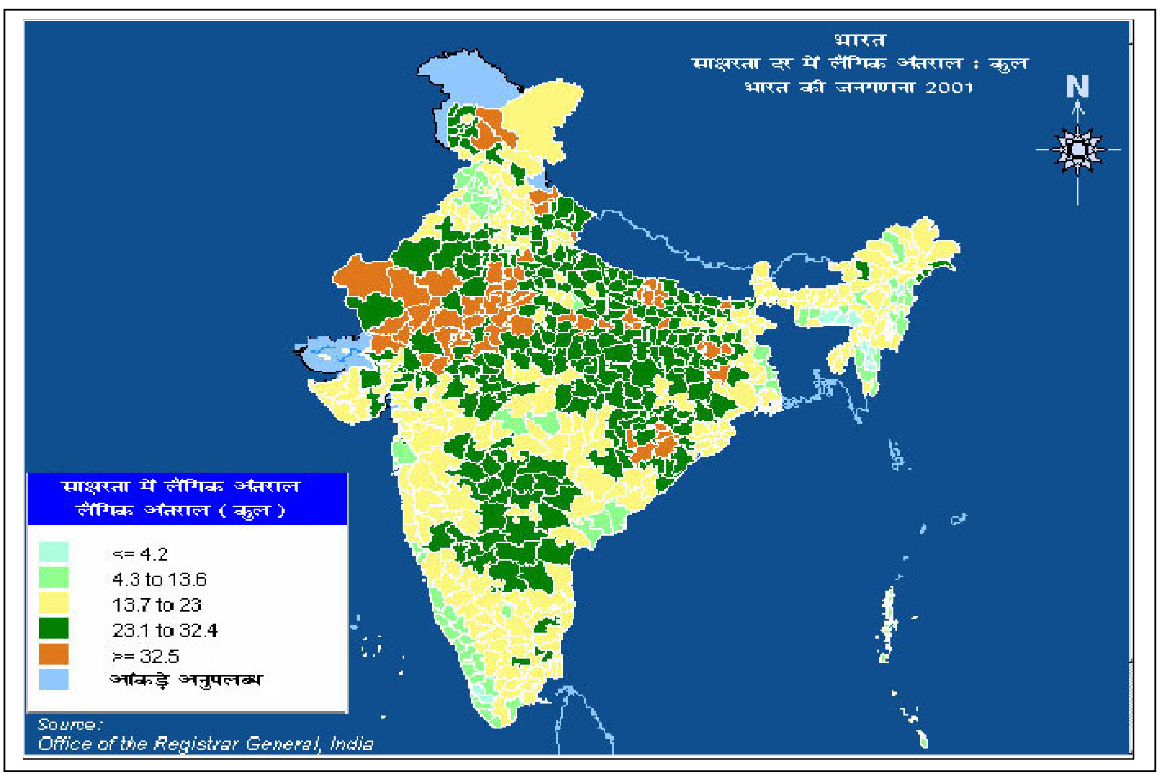

स्रोत : भारत की जनगणना (http://www.censusindia.gov.in/)

सौजन्य : भारतीय महानिबंधक कार्यालय

बिहार में 2001 की जनगणना में पुरुष साक्षरता 59.7 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 33.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वर्ष 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने पुरुष साक्षरता 70.4 प्रतिशत और महिला साक्षरता 37.4 प्रतिशत होने का अनुमान किया था। इस प्रकार गत दशक के पूर्वार्ध में साक्षरता बढ़ने के साथ-साथ लैंगिक अंतराल 26.1 प्रतिशत से काफी बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। तालिका 5.1 क में बिहार की विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के बीच मौजूद साक्षरता विषयक लैंगिक अंतराल की आधारिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जहां बिहार में समग्र साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी (परिशिष्ट 1), वहीं साक्षरता में लैंगिक अंतराल में जातीय तथा धार्मिक समुदायों के आधार पर भी अंतर था।

तालिका 5.1 क : साक्षरता में लैंगिक अंतराल

सामाजिक श्रेणी	लिंग अनुपात प्रति हजार	बाल लिंग अनुपात प्रति हजार	साक्षरता में लैंगिक अंतराल (प्रतिशत)	साक्षरता में लैंगिक अंतराल (ग्रामीण) (प्रतिशत)	साक्षरता में लैंगिक अंतराल (शहरी) (प्रतिशत)
समग्र	919	942	21.4	22.0	15.3
अनुसूचित जाति	923	963	24.6	-	-
अनुसूचित जनजाति	929	975	24.3	-	-
हिंदू	915	939	22.5	23.0	16.0
मुसलमान	943	958	16.0	16.4	12.4
ईसाई	974	918	7.2	13.5	2.0
सिख	879	919	11.0	17.7	6.6
बौद्ध	841	919	25.6	24.6	27.6
जैन	904	853	3.7	8.4	2.6
अन्य	935	944	21.3	21.4	19.6
धर्म अवर्णित	841	863	20.8	21.5	11.1

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका 5.1 ख में राज्य के औसत के साथ विभिन्न जिलों में सामाजिक समूहों के बीच मौजूद साक्षरता अंतराल की जानकारी के लिए साक्षरता का सामाजिक वर्गीकरण दर्शाया गया है। तालिका 5.1 ग में जिला स्तर पर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच मौजूद साक्षरता अंतराल दर्शाया गया है।

तालिका 5.1 ख : साक्षरता दरों का जिलावार वर्गीकरण

	औसत से ऊपर	औसत	औसत से नीचे
सभी समुदाय	पटना (शहरी), रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा	सारण, सीवान, पटना (ग्रामीण) वैशाली, गया, भागलपुर, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बेगूसराय, गोपालगंज, नवादा, समस्तीपुर, दरभंगा, बांका, जमुई, मधुबनी	खगड़िया, सहरसा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, पूर्णिया, कटिहार,अररिया, किशनगंज
अनुसूचित जाति	पटना (शहरी), मुंगेर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, सीवान	भागलपुर, सारण, जहानाबाााद, गोपालगंज, बेगूसराय, पटना (ग्रामीण), नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, बांका, लखीसराय, गया, कटिहार, शेखपुरा, समस्तीपुर,	दरभंगा, जमुई, खगड़िया, नवादा, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, शिवहर
अनुसूचित जनजाति	पटना (शहरी), बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, गया, सारण, भोजपुर, खगड़िया, बक्सर, शेखपुरा, सीवान	शिवहर, कैमूर, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी, पूर्व चंपारण, मधेपुरा, जहानाबाद, सीतामढ़ी, रोहतास	वैशाली, नालंदा, सुपौल, जमुई, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम चंपारण, बांका, समस्तीपुर, अररिया, नवादा, पटना (ग्रामीण), किशनगंज, लखीसराय
अल्पसंख्यक	पटना (शहरी), औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, भोजपुर, रोहतास, पटना (ग्रामीण), मुंगेर, कैमूर, बक्सर, नवादा, सीवान, वैशाली	सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय	पूर्व चंपारण, बांका, सहरसा, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया

टिप्पणी : 1] सभी समुदाय - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 59, मानक विचलन (एसडी) - 7, अंतर गुणांक (सीवी) - 12; औसत (सामूहिक मध्यमान - 48, एसडी - 3, सीवी - 7); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 37, एसडी - 3, सीवी - 7); 2] अनुसूचित जाति - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 41, एसडी - 7, सीवी - 18); औसत (सामूहिक मध्यमान - 29, एसडी - 3, सीवी - 10); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 21, एसडी - 3, सीवी - 13); 3] अनुसूचित जनजाति - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 53, एसडी - 13, सीवी - 25); औसत (सामूहिक मध्यमान - 35, एसडी - 3, सीवी - 9); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 23, एसडी - 5, सीवी - 22); 4] अल्पसंख्यक - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 62, एसडी - 5, सीवी - 8; औसत (सामूहिक मध्यमान - 46, एसडी - 3, सीवी - 6); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 32, एसडी - 5, सीवी - 15)।

तालिका 5.1 ग : साक्षरता में लैंगिक अंतराल का जिलावार वर्गीकरण

	उच्च लैंगिक अंतराल	औसत लैंगिक अंतराल	निम्न लैंगिक अंतराल
सभी समुदाय	भोजपुर, बक्सर, सुपौल, सारण, कैमूर, जमुई, गोपालगंज, जहानाबाद, मधुबनी, सीवान	रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, पटना (ग्रामीण), नालंदा, लखीसराय, मधेपुरा, वैशाली, बांका, गया, सहरसा, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्व चंपारण, किशनगंज, अररिया	बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, शिवहर, भागलपुर, पटना (शहरी)
अनुसूचित जाति	बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, सारण, सीवान, औरंगाबाद, गोपालगंज, जहानाबाद,	नालंदा, पटना (ग्रामीण), बांका, मुंगेर, किशनगंज, मधुबनी, भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय, शेखपुरा, सुपौल, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, जमुई, पटना (शहरी), समस्तीपुर,	गया, नवादा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, खगड़िया, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, शिवहर
अनुसूचित जनजाति	शिवहर, भोजपुर, कैमूर, सारण, सीवान, बक्सर, पूर्व चंपारण, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया	जमुई, रोहतास, मधुबनी, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पूर्णिया, भागलपुर, गया, पश्चिम चंपारण, अररिया, कटिहार, बांका, नालंदा, सहरसा	दरभंगा, बेगूसराय, वैशाली, लखीसराय, किशनगंज, नवादा, पटना (शहरी), पटना (ग्रामीण), समस्तीपुर
अल्पसंख्यक	जहानाबाद, बक्सर, शेखपुरा, गया, गोपालगंज, वैशाली, बांका, सुपौल	भोजपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, नवादा, समस्तीपुर, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, रोहतास, सारण, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, सीवान, जमुई, पूर्व चंपारण, नालंदा, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, पटना (ग्रामीण),	भागलपुर, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना (शहरी),

टिप्पणी : 1] सभी समुदाय - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 31, मानक विचलन (एसडी) - 1, अंतर गुणांक (सीवी) - 2); औसत (सामूहिक मध्यमान - 27, एसडी - 2, सीवी - 6); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 22, एसडी - 3, सीवी - 12); 2] अनुसूचित जाति - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 32, एसडी - 3, सीवी - 9); औसत (सामूहिक मध्यमान - 24, एसडी - 1, सीवी - 6); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 20, एसडी - 2, सीवी - 10); 3] अनुसूचित जनजाति - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 31, एसडी - 4, सीवी - 13); औसत (सामूहिक मध्यमान - 24, एसडी - 2, सीवी - 7); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 10, एसडी - 15, सीवी - 156); 4] अल्पसंख्यक - औसत से ऊपर (सामूहिक मध्यमान - 27, एसडी - 1, सीवी - 5); औसत (सामूहिक मध्यमान - 20, एसडी - 2, सीवी - 11); औसत से नीचे (सामूहिक मध्यमान - 15, एसडी - 2, सीवी - 17)।

तालिका 5.1 ख और 5.1 ग से पता चलता है कि :

- भोजपुर और बक्सर जैसे उच्च साक्षरता वाले जिलों में भी लैंगिक अंतराल सर्वाधिक है। दूसरी ओर पटना (शहरी) और मुंगेर उच्च साक्षरता वाले जिले हैं लेकिन लैंगिक अंतराल औसत से कम है जो शहरीकरण और लैंगिक अंतराल में कमी के बीच संबंध की संभावना दर्शाता है।

- समग्रत: उच्च साक्षरता दर वाले जिले सामान्यत: सीमांत समूहों में उच्च साक्षरता दरों वाले जिले भी हैं।
- सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के बीच साक्षरता संबंधी औसत लैंगिक अंतराल अन्य सामाजिक समूहों की अपेक्षा काफी कम है।

अतएव महिला साक्षरता में वृद्धि तथा साक्षरता में लैंगिक अंतराल और समूहों के बीच विषमता में कमी के लिए नीतिगत रणनीतियां तय करने में जिला स्तर पर फोकस जरूरी है।

साक्षरता में हस्तक्षेप

15 से 35 वर्ष उम्र समूह की 40 लाख महिलाएं मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत आच्छादित हैं।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा

तालिका 5.2 क : जनसंख्या के लिहाज से विद्यालयों की उपलब्धता

सूचक	2002	2009
1) प्रति 10 हजार आबादी पर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं.	**6.05**	6.98
क) प्रति 10 हजार आबादी पर प्राथमिक विद्यालयों की सं.	4.88	4.68
ख) प्रति 10 हजार आबादी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं.	1.17	2.29
2) प्रति 10 हजार आबादी पर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सं.	0.41	0.41
क) प्रति 10 हजार आबादी पर माध्यमिक विद्यालयों की सं.	0.37	0.28
ख) प्रति 10 हजार आबादी पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सं.	0.04	0.13

टिप्पणी : गणना 7वें तथा 8वें अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वेक्षण, एनसीईआरटी; मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार; भारत की जनगणना 2001; तथा योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के आंकड़ों पर आधारित है।

बिहार के विद्यालयों का विहंगावलोकन तालिका 5.2 क, 5.2 ख, और 5.2 ग में प्रस्तुत है। प्रति 10 हजार आबादी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या हाल के वर्षों में दूनी हो गई है। बिहार में प्रति 10 हजार आबादी पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कुल आच्छादन 6.05 से बढ़कर 6.98 हो गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है (तालिका 5.2 क)। लेकिन 2002 से 2009 के बीच प्रति 10 हजार आबादी पर माध्यमिक शिक्षा (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय) का समग्र आच्छादन 0.41

पर अपरिवर्तित है। इन श्रेणियों के लिए 2002 में राष्ट्रीय औसत इस प्रकार था - प्राथमिक 6.33, उच्च प्राथमिक 2.38, माध्यमिक 0.88 तथा उच्च माध्यमिक 0.42 ।

तालिका 5.2 ख में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जिला स्तर पर आच्छादन दर्शाया गया है। 38 जिलों में से पटना सहित 18 जिलों में प्रति 10 हजार आबादी पर लगभग 4 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसी प्रकार, 38 जिलों में से 17 जिलों में प्रति 10 हजार आबादी पर लगभग 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। प्रति 10 हजार आबादी पर अधिकतम उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या मधेपुरा (5) में है। प्राथमिक विद्यालयों के मामले में भी सर्वाधिक आच्छादन मधेपुरा (8) तथा जमुई (9) जिलों में है (परिशिष्ट 2 क)।

तालिका 5.2 ख : जिला स्तर पर विद्यालय (प्रति 10,000 जनसंख्या पर)

प्राथमिक विद्यालय	
औसत से ऊपर [सामूहिक मध्यमान- 7, मानक विचलन (एसडी)- 1.41, अंतर गुणांक (सीवी)- 21]	जमुई, मधेपुरा, बांका, पूर्व चंपारण, किशनगंज, कैमूर, सुपौल
औसत [सामूहिक मध्यमान- 5, एसडी- 0.3, सीवी- 6]	बक्सर, औरंगाबाद, मधुबनी, गया, कटिहार, जहानाबाद, अररिया, नवादा, रोहतास, अरवल, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा
औसत से नीचे [सामूहिक मध्यमान- 4, एसडी- 0.4, सीवी- 10]	नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, पटना, पूर्णिया, भोजपुर, सीवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, शिवहर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय
उच्च प्राथमिक विद्यालय	
औसत से ऊपर [सामूहिक मध्यमान- 3, एसडी- 0.57, सीवी- 18]	मधेपुरा, बांका, खगड़िया, जहानाबाद, मुंगेर, शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर, किशनगंज, वैशाली, भागलपुर, सीतामढ़ी, गया, सीवान, अरवल
औसत [सामूहिक मध्यमान- 2, एसडी- 0.24, सीवी- 11]	नालंदा, लखीसराय, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, रोहतास, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, कैमूर, पूर्व चंपारण, नवादा, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बक्सर, पश्चिम चंपारण
औसत से नीचे [सामूहिक मध्यमान- 1, एसडी- 0.09, सीवी- 8]	जमुई, अररिया, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, शिवहर

विद्यालयों-महाविद्यालयों के जरिए माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा का आच्छादन बहुत कम है और जिलों के बीच बहुत अंतर भी मौजूद है (तालिका 5.2 ग)। 38 में से 17 जिले ऐसे हैं जिनमें प्रति 10 लाख आबादी पर लगभग 5 माध्यमिक विद्यालय हैं। वहीं, 15 जिलों में प्रति 10 लाख आबादी पर औसतन 3 संस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों का आच्छादन पटना में सर्वाधिक है जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सर्वाधिक आच्छादन मधुबनी में है।

तालिका 5.2 ग : जिला स्तर पर विद्यालय (प्रति 10 लाख जनसंख्या पर)

माध्यमिक विद्यालय	
औसत से ऊपर [सामूहिक मध्यमान- 23, एसडी- 7, सीवी- 29]	पटना, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण, नालंदा, रोहतास, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, बेगूसराय
औसत [सामूहिक मध्यमान- 13, एसडी- 2, सीवी- 15]	मधेपुरा, औरंगाबाद, मुंगेर, सीवान, अररिया, पश्चिम चंपारण, बांका, कैमूर, जमुई, गोपालगंज, कटिहार, नवादा, गया
औसत से नीचे [सामूहिक मध्यमान- 5, एसडी- 3, सीवी- 48]	पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, जहानाबाद, वैशाली, शिवहर, अरवल, सहरसा, लखीसराय,
उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय	
औसत से ऊपर [सामूहिक मध्यमान- 21, एसडी- 6, सीवी- 28]	मधुबनी, पटना, गया, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, नवादा
औसत से नीचे [सामूहिक मध्यमान- 3, एसडी- 1.5, सीवी- 20]	रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, सीवान, सहरसा, अरवल, पूर्व चंपारण, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, मधेपुरा, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर
औसत [सामूहिक मध्यमान- 13, एसडी- 1.32, सीवी- 50]	पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज, सुपौल, बक्सर, कटिहार, कैमूर, पश्चिम चंपारण, जमुई, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, बांका

विद्यालय विषयक हस्तक्षेप

- माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
- माध्यमिक विद्यालयों के 2,900 शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षकों में प्रोन्नत किया गया है।
- भवन निर्माण के लिए 108 आदर्श विद्यालयों में से प्रत्येक को 308 लाख रु. दिए जा रहे हैं।
- 92 बालिका छात्रावासों में से प्रत्येक को भवन निर्माण हेतु 42.50 लाख रु. दिए जा रहे हैं।
- मेधा सह साधन आधारित शिक्षा नीति ने संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर आधारित अनुदान सुनिश्चित किया है।
- मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के तहत 22,350 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 108.97 लाख रु. प्रदान किए गए हैं।
- चहारदीवारी योजना के तहत 40,000 विद्यालयों को चहारदीवारी निर्माण हेतु 600 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं।

तालिका 5.3 क में बिहार में 2002-03 से 2008-09 के बीच प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका 5.3 क में इस बात पर अवश्य गौर करना चाहिए कि इस अवधि में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि हुई है - सभी विद्यार्थी 19.63 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 23.24 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति 27.87 प्रतिशत।

तालिका 5.3 क : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन

स्तर	कुल नामांकन (लाख में)							वार्षिक वृद्धि दर का रुझान (2002-03 से 2008-09)
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
सभी								
प्राथमिक (I-V)	92.28	97.32	109.17	112.34	125.27	146.3	132.01	7.51
उच्च प्राथमिक (VI-VIII)	11.7	14.82	19.36	21.63	25.62	30.34	35.22	19.63
योग (I-VIII)	103.97	112.15	128.53	133.97	150.89	176.64	167.23	9.32
अनुसूचित जाति								
प्राथमिक (I-V)	15.52	16.31	18.03	18.19	22.12	25.81	22.48	8.31
उच्च प्राथमिक (VI-VIII)	1.37	1.71	2.37	2.5	3.37	3.94	4.91	23.24
योग (I-VIII)	16.89	18.01	20.4	20.69	25.49	29.75	27.39	10.03
अनुसूचित जनजाति								
प्राथमिक (I-V)	0.96	1.29	1.22	1.5	2.28	3.55	1.49	15.23
उच्च प्राथमिक (VI-VIII)	0.09	0.12	0.17	0.22	0.28	0.48	0.3	27.87
योग (I-VIII)	1.05	1.42	1.39	1.72	2.56	4.03	1.79	16.59

स्रोत : मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार

प्राथमिक स्तर पर सभी बालकों का समग्रत: नामांकन इस अवधि में 7.67 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। अनुसूचित जाति के बालकों के मामले में वार्षिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति के बालकों के मामले में 12.76 प्रतिशत। प्राथमिक स्तर पर सभी बालिकाओं के मामले में वार्षिक वृद्धि दर 6.92 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के मामले में 8.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के मामले में 15.37 प्रतिशत है। इस अवधि में विकलांग बच्चों की नामांकन दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है (तालिका 5.3 ख)।

तालिका 5.3 ख : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के रुझान

वर्ष	बालक/ बालिकाएं	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक			
		योग	अजा	अजजा	विकलांग	योग	अजा	अजजा	विकलांग
2002-03	बालक	5299001	945249	58564	54828	753701	94931	6071	5243
	बालिकाएं	3928851	606454	37290	30144	415896	42180	3138	2374
	योग	9227852	1551703	95854	84972	1169597	137111	9209	7617
2003-04	बालक	5518444	982263	62886	57258	940534	116551	8191	7223
	बालिकाएं	4213913	648380	40673	32435	541926	54180	4049	3358
	योग	9732357	1630643	103559	89693	1482460	170731	12240	10581
2004-05	बालक	6136626	1071219	78270	59419	1205842	156130	11151	8808
	बालिकाएं	4779528	731651	52519	34992	730371	80376	5969	4416
	योग	10916154	1802870	130789	94411	1936213	236506	17120	13224
2005-06	बालक	6250321	1068680	88442	51188	1322578	164669	14048	9991
	बालिकाएं	4983267	750418	61343	30980	840875	85708	8053	5136
	योग	11233588	1819098	149785	82168	2163453	250377	22101	15127
2006-07	बालक	8801573	892437	67509	अनु.	3186991	455846	26466	अनु.
	बालिकाएं	3747360	604069	42747	अनु.	2180231	266555	15180	अनु.
	योग	12548933	1496506	110256	अनु.	5367222	722401	41646	अनु.
2007-08	बालक	7818837	1428353	193037	71434	1728223	238501	28315	14670
	बालिकाएं	6811372	1152197	161578	47404	1305790	155513	19959	9368
	योग	14630209	2580550	354615	118838	3034013	394014	48274	24038
2008-09	बालक	7426620	1313480	89336	30773	2065912	308115	18808	13741
	बालिकाएं	5774381	935323	60475	19429	1456203	183412	11737	8734
	योग	13201001	2248803	149811	50202	3522115	491527	30545	22475
वार्षिक वृद्धि दर का रुझान (बालक)		7.67	5.70	12.76	-6.56	20.47	24.05	27.20	22.38
वार्षिक वृद्धि दर का रुझान (बालिकाएं)		6.92	8.40	15.37	-3.31	26.64	31.73	33.46	32.09

स्रोत : मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार

टिप्पणी : वार्षिक वृद्धि दर के रुझान 2002-03 से 2008-09 की अवधि के लिए हैं।

इस अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बालकों के नामांकन में 20.47 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है; अनुसूचित जाति के बालकों के मामले में यह वृद्धि 24.05 प्रतिशत की दर से है और अनुसूचित जनजाति के बालकों के मामले में 27.20 प्रतिशत की दर से। इस दौरान सभी बालिकाओं के मामले में उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वार्षिक वृद्धि दर 26.64 प्रतिशत है; वार्षिक वृद्धि दर अनुसूचित जाति की बालिकाओं के मामले में 31.73 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के मामले में 33.46 प्रतिशत। इस अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर विकलांग विद्यार्थियों के नामांकन दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (तालिका 5.3 ख)।

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में जिलावार नामांकन के संबंध में विस्तृत सूचना परिशिष्ट 3 में प्रस्तुत है जबकि 2003-04 से 2008-09 तक की अवधि हेतु नामांकन की जिलावार वृद्धि दरें परिशिष्ट 4 में। इनसे और तालिका 5.3 क तथा 5.3 ख में प्रस्तुत सारांश के आंकड़ों से गत दशक में सीमांत तबकों के नामांकन में महत्वपूर्ण तथा निरंतर वृद्धि का पता चलता है।

नामांकन वृद्धि में जिला स्तर पर काफी अंतर है (तालिका 5.3 ग)। नामांकन वृद्धि में उछाल बिहार के 15 जिलों में संकेंद्रित है जबकि अन्य 16 जिले पिछड़ रहे हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की त्वरित नामांकन वृद्धि प्रक्रिया के मामले में कहीं अधिक जिले पिछड़ रहे हैं।

तालिका 5.3 ग : नामांकन में वार्षिक वृद्धि के रुझान के अनुसार जिलों का वर्गीकरण

	सभी	अनुसूचित जातियां *
औसत से ऊपर (12 प्रतिशत से अधिक)	अररिया, पूर्णिया, शिवहर, बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार, पश्चिम चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज	अररिया, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्व चंपारण, औरंगाबाद
औसत (7 से 12 प्रतिशत)	पूर्व चंपारण, जमुई, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बांका, बक्सर, सहरसा, लखीसराय, गोपालगंज, वैशाली, नवादा, सारण, भोजपुर, कैमूर, भागलपुर, गया, मधुबनी	सुपौल, नवादा, वैशाली, दरभंगा, बांका, सारण, सहरसा, जमुई, गोपालगंज, गया, खगड़िया,
औसत से नीचे (7 प्रतिशत से कम)	दरभंगा, नालंदा, खगड़िया, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, जहानाबाद, सीवान, रोहतास, मुंगेर	नालंदा, कैमूर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, मधेपुरा, जहानाबाद, पटना, रोहतास, मुंगेर, सीवान, शिवहर

* टिप्पणी : अनुसूचित जाति के नामांकन हेतु औसत वृद्धि- 8 से 12 प्रतिशत, औसत से अधिक- 12 प्रतिशत से अधिक तथा औसत से नीचे- 8 प्रतिशत से कम है।

तालिका 5.4 क में बिहार में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर 2001-02 से 2008-09 के बीच छीजन दरें दर्शाई गई हैं। इस अवधि में बिहार में प्राथमिक शिक्षा की छीजन दरों में 16.6 प्रतिशत गिरावट आई है। गिरावट बालिकाओं के मामले में बालकों की अपेक्षा अधिक है। छीजन दरों में सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत गिरावट 2003-04 से 2004-05 के बीच देखी गई। इसी अवधि में बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा में 8.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। वर्ष 2004-05 के बाद छीजन दरों में गिरावट की दर घटी है।

तालिका 5.4 क : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें

(प्रतिशत)

वर्ष	प्राथमिक (I to V)			उच्च प्राथमिक (I to VIII)			माध्यमिक (I to X)		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2001-02	63.1	60.7	61.6	अनु.	अनु.	74.8	अनु.	अनु.	82.9
2002-03	62.4	62.1	58.2	अनु.	अनु.	74.9	अनु.	अनु.	82.5
2003-04	57.6	57.7	57.7	अनु.	अनु.	74.6	अनु.	अनु.	82.5
2004-05	48.6	53.4	51.6	73.69	71.3	72.1	83.9	79.8	81.3
2005-06	45.2	47.4	46.6	68.9	68	68.3	83.8	79.7	81.3
2006-07	45.7	46.4	46.1	60.1	62.8	61.8	79.2	75.4	76.8
2007-08	45.2	45.6	45.4	61.1	61.5	61.4	75.6	72.6	73.7
2008-09	44.6	45.1	45.0	अनु.	अनु.	60.3	अनु.	अनु.	72.1
छीजन दरों में परिवर्तन (2001-02 से 2008-09)	-18.5	-15.7	-16.6			-14.6			-10.9
वार्षिक गिरावट का रुझान	-5.56	-5.11	-4.89			-3.66			-2.07

स्रोत : मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छीजन दरों में 2005-06 और 2006-07 के बीच तेज गिरावट आई। उच्च प्राथमिक स्तर पर मामूली गिरावट बालकों के बीच संकेंद्रित थी। हालांकि इसी अवधि में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छीजन दरों में गिरावट 5 प्रतिशत थी। माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छीजन दरों में सर्वाधिक गिरावट 2004-05 और 2005-6 के बीच आई थी (तालिका 5.4 ख)।

तालिका 5.4 ख : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें

(प्रतिशत)

अनुसूचित जातियां									
वर्ष	प्राथमिक (I to V)			उच्च प्राथमिक (I to VIII)			माध्यमिक (I to X)		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2004-05	56.1	54.6	55.2	82.7	80.2	81.1	90.8	89.1	89.5
2005-06	59.4	56.2	57.4	79.9	78.2	78.8	92.7	89.1	90.4
2006-07	51.2	51.6	51.5	77.8	72.8	72.8	86.7	85.4	85.9
अनुसूचित जनजातियां									
वर्ष	प्राथमिक (I to V)			उच्च प्राथमिक (I to VIII)			माध्यमिक (I to X)		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2004-05	30.2	34.8	33.4	74.2	77.2	76.2	86.5	90.6	89.3
2005-06	39.4	41.3	40.6	72.6	75.3	74.4	83.3	85.8	85
2006-07	32.4	35.7	34.5	61.6	79.8	66.9	81.9	83.8	83

स्रोत : मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.4 ग : छीजन दरें - कक्षा 6 से 8, 6 से 10 तथा 1 से 12 के लिए

(प्रतिशत)

VI से VIII									
वर्ष	सामान्य			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2004-05	16.12	15.1	15.8	17.8	17.1	17.5	16.8	16.3	16.4
2005-06	17.2	20.9	19.6	17.6	20.6	19.6	16.8	15	16
2006-07	14.5	12.5	13.3	15.3	15	15.1	16.2	17.2	17
2007-08	-3.89	2.9	0.3	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
VI से X									
वर्ष	सामान्य			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2004-05	37.8	32.4	34.2	56.5	51.7	52.3	19	46.2	39.4
2005-06	37.9	33.2	34.8	62.9	52.7	56	30.4	40.6	38
2006-07	28	24.3	25.6	22.7	24.7	23.2	26.4	36.2	32.2
2007-08	27.1	23.7	24.9	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
उच्च माध्यमिक (I से XII)									
वर्ष	सामान्य			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग	बालिकाएं	बालक	योग
2004-05	87.6	85.8	86.4	94.8	91.4	92.4	93.3	92.3	92.9
2005-06	86.3	84.6	85.2	93.8	91.6	92.3	85.5	87.2	87
2006-07	82.3	82.7	81.9	93.3	91.5	92.1	84.2	86.3	85.3
2007-08	83.7	82	82.6	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.

स्रोत : मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार

उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों की छीजन दरों में 2006-07 से 2007-08 के बीच महत्वपूर्ण गिरावट आई। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर सभी सामाजिक समूहों के लिए छीजन दरें समान रूप से काफी ऊंची रहीं (तालिका 5.4 ग)।

तालिका 5.5 : शिक्षा पर व्यय

(करोड़ रु.)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	12/13वें वित्त आयोग का लक्ष्य	व्यय	उपयोग का प्रतिशत	बजट	व्यय	उपयोग का प्रतिशत
2007-08	4581.02	300.44	6.56	4581.02	4700	102.60
2008-09	5016.00	1129.99	22.53	5256.89	5099.45	97.01
2009-10	5492.76	1420.42	25.86	6600.00	5745.00	87.05
2010-11	5719.72	1091.22	19.08	5719.72	2139.78	37.41

स्रोत : मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.5 में शिक्षा पर योजना और गैर-योजना व्ययों का गत चार वर्षों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच योजना और गैर-योजना, दोनों के शिक्षा बजट में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्त आयोग के लक्ष्यों की तुलना में मापने पर निम्न योजना व्यय के पैटर्न उपयोग में अवरोध की ओर इंगित करते हैं। लक्ष्यों के साथ तुलना करने पर गैर-योजना व्यय में भी लगातार गिरावट का पैटर्न दिखता है।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हस्तक्षेप

- मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत 67,694 मध्य विद्यालयों को 5,000 रु. प्रति विद्यालय की दर से 3,381.36 लाख रु. दिए गए हैं। 2,938 माध्यमिक विद्यालयों को भी इसके आच्छादन के तहत लाया जा रहा है।
- खेल-कूद के विकास के लिए 30,042 विद्यालयों के बीच 8,653.76 लाख रु. वितरित किए गए हैं।
- बालिका पोशाक योजना के तहत अभी तक 25,781.83 लाख रु. वितरित किए गए हैं। योजना से प्रति विद्यार्थी 700 रु. की पोशाक की दर से 36,82,845 लड़कियां इस लाभान्वित हुई हैं।
- मुख्यमंत्री पोशाक योजना से 88 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। प्रति विद्यार्थी 500 रु. की दर से 44,000 लाख रु. वितरित किए गए हैं।
- हुनर योजना के तहत 9,232 अल्पसंख्यक बालिकाओं को विभिन्न पेशों में कौशल विकास के लिहाज से प्रशिक्षण दिया गया है।
- औजार योजना के तहत 7,684 लड़कियों को औजार खरीदने के लिए 2,500 रु. प्रति व्यक्ति की दर से 230.80 लाख रु. दिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना के तहत कुल 17,436.80 रु. के व्यय से 2009-10 में 8,71,840 लड़कियों को दो-दो हजार रु. दिए गए। वर्ष 2010-11 में 9,800 लाख रु. के व्यय से 4,90,000 लड़कियों को दो-दो हजार रु. दिए जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री बालक साइकल योजना के तहत 2009-10 में कुल 11,293.27 लाख रु. के व्यय से 5,64,663 लड़कों को दो-दो हजार रु. दिए गए। वर्ष 2010-11 में 12,700 लाख रु. के व्यय से 6,35,000 लड़कों को दो-दो हजार रु. दिए जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी में माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली प्रत्येक बालिका को 10,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मध्याह्न भोजन योजना

बाल अधिकार के आधार पर पोषण वृद्धि, शैक्षिक अग्रगति, सामाजिक समानता तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिहाज से मध्याह्न भोजन योजना का सर्वव्यापीकरण बिहार में 2005 में किया गया था जिसके तहत शिक्षण केंद्र सहित सभी प्राथमिक विद्यालय आच्छादित थे। बाद के वर्षों में इसका विस्तार उच्च प्राथमिक स्तरों (कक्षा 6 से 8) तक भी कर दिया गया है।

तालिका 5.6 क में मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर बच्चों का कुल आच्छादन दर्शाया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर आच्छादित बच्चों की कुल संख्या 115.6 लाख है। वर्ष 2009-10 में कुल आच्छादन 2008-09 के 75.7 प्रतिशत से बढ़कर 79.9 प्रतिशत हो गया लेकिन इसमें जिलों के बीच काफी अंतर था। बहुत कम (50 प्रतिशत से कम) आच्छादन वाले जिले बांका (19.63 प्रतिशत), मधुबनी (34.30 प्रतिशत), तथा भागलपुर (46.45 प्रतिशत) हैं। सहरसा (58.03 प्रतिशत), गोपालगंज (63.32 प्रतिशत), खगड़िया (66.50 प्रतिशत), नवादा (67.52 प्रतिशत) तथा किशनगंज (68.57 प्रतिशत) कम (70 प्रतिशत से कम) आच्छादन वाले जिले हैं। उच्च आच्छादन (95 प्रतिशत से अधिक आच्छादन) वाले जिलों - मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में आच्छादन में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है। पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, नालंदा, गया, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया और अरवल जिलों में आच्छादन 5 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है।

मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार अब बिहार के सभी जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर भी कर दिया गया है। इसके तहत आच्छादित विद्यार्थियों का समग्र आच्छादन 85 प्रतिशत है। 38 में से 16 जिलों में आच्छादन 90 प्रतिशत से अधिक है। अररिया, कैमूर और पश्चिम चंपारण में सर्वोच्च आच्छादन है। सबसे कम आच्छादन वाला जिला बांका (27.6 प्रतिशत) है। अरवल, मधुबनी, रोहतास और मधेपुरा में 70 प्रतिशत से कम आच्छादन है। मधुबनी, शिवहर, सीवान, जमुई, शेखपुरा, अरवल, बेगूसराय, बक्सर और अररिया में उच्च प्राथमिक स्तर पर आच्छादन में 2008-09 और 2009-10 के बीच गिरावट दिखती है (तालिका 5.6 ख)।

तालिका 5.6 क : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)

जिला	कुल नामांकन	लाभान्वित बच्चों की सं.	आच्छादन प्रतिशत (2009-10)	आच्छादन प्रतिशत (2008-09)	आच्छादन में प्रतिशत परिवर्तन
पटना	608093	448485	73.75	69.50	4.25
नालंदा	316253	304639	96.33	91.00	5.33
रोहतास	409201	296627	72.49	68.64	3.85
कैमूर	208161	180893	86.90	82.70	4.20
बक्सर	208869	196642	94.15	89.50	4.65
भोजपुर	400123	330960	82.71	78.40	4.31
गया	566534	512399	90.44	85.10	5.34
औरंगाबाद	467787	367074	78.47	74.00	4.47
जहानाबाद	177967	162671	91.41	88.00	3.41
अरवल	114018	109432	95.98	89.90	6.08
नवादा	269875	182228	67.52	64.50	3.02
सारण	570926	438342	76.78	72.20	4.58
सीवान	413725	335004	80.97	76.00	4.97
गोपालगंज	318111	201436	63.32	60.40	2.92
मुजफ्फरपुर	693253	529598	76.39	72.20	4.19
सीतामढ़ी	429659	415889	96.80	96.20	0.60
शिवहर	113733	102658	90.26	87.80	2.46
पश्चिम चंपारण	555227	492489	88.70	83.40	5.30
पूर्व चंपारण	762544	631296	82.79	77.50	5.29
वैशाली	560391	503137	89.78	84.40	5.38
दरभंगा	540318	432847	80.11	75.60	4.51
समस्तीपुर	534347	506009	94.70	89.20	5.50
मधुबनी	594895	204048	34.30	32.30	2.00
सहरसा	240369	139496	58.03	55.10	2.93
सुपौल	344658	311667	90.43	85.70	4.73
मधेपुरा	303911	274687	90.38	85.80	4.58
पूर्णिया	470106	464738	98.86	92.90	5.96
अररिया	390801	382114	97.78	92.10	5.68
किशनगंज	307229	210678	68.57	64.10	4.47
कटिहार	432662	375508	86.79	81.80	4.99
भागलपुर	366850	170413	46.45	44.50	1.95
बांका	295938	58100	19.63	18.70	0.93
मुंगेर	189652	183686	96.85	98.00	-1.15
लखीसराय	157528	152308	96.69	97.80	-1.11
बेगूसराय	477080	395053	82.81	78.10	4.71
जमुई	283597	267335	94.27	89.60	4.67
खगड़िया	263746	175400	66.50	62.60	3.90
शेखपुरा	118551	113873	96.05	97.00	-0.95
योग	**14476688**	**11559859**	**79.85**	**75.70**	**4.15**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 5.6 ख : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)

जिला	कुल नामांकन	लाभान्वित बच्चों की सं.	आच्छादन प्रतिशत (2009-10)	आच्छादन प्रतिशत (2008-09)	आच्छादन में प्रतिशत परिवर्तन
पटना	162860	147310	90.45	86.21	4.25
नालंदा	121856	117160	96.15	92.27	3.87
रोहतास	132569	90546	68.30	64.75	3.56
कैमूर	111264	109821	98.70	97.23	1.48
बक्सर	90364	80663	89.26	89.87	-0.60
भोजपुर	126358	103291	81.74	80.39	1.35
गया	155498	144610	93.00	91.06	1.94
औरंगाबाद	123962	93991	75.82	72.55	3.28
जहानाबाद	41932	34719	82.80	78.71	4.09
अरवल	34562	21259	61.51	62.56	-1.05
नवादा	96987	69205	71.35	67.47	3.89
सारण	156761	153262	97.77	93.89	3.88
सीवान	193658	183818	94.92	98.59	-3.67
गोपालगंज	142272	101005	70.99	67.54	3.45
मुजफ्फरपुर	157962	152745	96.70	91.62	5.07
सीतामढ़ी	89678	75026	83.66	81.48	2.18
शिवहर	19632	16994	86.56	91.71	-5.14
पश्चिम चंपारण	86936	85535	98.39	94.90	3.48
पूर्व चंपारण	145632	135827	93.27	88.45	4.81
वैशाली	133621	129941	97.25	93.99	3.25
दरभंगा	129632	95657	73.79	73.51	0.28
समस्तीपुर	229852	191650	83.38	79.42	3.96
मधुबनी	202716	133609	65.91	72.82	-6.91
सहरसा	111966	106063	94.73	90.79	3.93
सुपौल	61362	47287	77.06	73.70	3.37
मधेपुरा	99377	69389	69.82	66.40	3.43
पूर्णिया	91630	85913	93.76	90.23	3.53
अररिया	296325	293589	99.08	99.10	-0.02
किशनगंज	89805	81283	90.51	88.04	2.47
कटिहार	122896	92076	74.92	71.69	3.23
भागलपुर	161527	129643	80.26	77.31	2.95
बांका	65776	18146	27.59	27.21	0.38
मुंगेर	51689	43436	84.03	80.70	3.34
लखीसराय	33994	32196	94.71	91.86	2.85
बेगूसराय	114856	108625	94.57	95.49	-0.92
जमुई	65199	53384	81.88	84.89	-3.01
खगड़िया	61843	46102	74.55	71.33	3.22
शेखपुरा	22508	19420	86.28	89.14	-2.86
योग	**4337317**	**3694196**	**85.17**	**83.39**	**1.78**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना के तहत तीन प्रमुख घटकों – एमआइएस समन्वयकों और आंकड़ा प्रविष्टिकर्ताओं समेत कर्मचारियों का वेतन; फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उपयोग सामग्रियां तथा अन्य अनुषंगिक व्यय; और वाह्य अनुश्रवण तथा मूल्यांकन – के तहत स्वीकृत राशि 2008-09 के 5.39 करोड़ रु. से बढ़कर 2009-10 में 11.00 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए स्वीकृत समस्त राशि का उपयोग कर लिया गया। हालांकि कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु समग्र आबंटन दोनों वर्षों में समान ही रहा (तालिका 5.7)। मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोईघरों की छावनी के निर्माण तथा उपकरणों की खरीद में 2006-07 से 2009-10 तक हुई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की जानकारी परिशिष्ट 5 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 5.7 : मध्याह्न भोजन योजना में राशि का उपयोग

विद्यालय स्तर पर खर्च	2008-09			2009-10		
	स्वीकृत (लाख रु.)	उपयोग (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत	स्वीकृत (लाख रु.)	उपयोग (लाख रु.)	उपयोग का प्रतिशत
वजन मशीन तथा ऊंचाई मापक	357.93	357.93	100	596.5	596.5	100
खाना पकाने के सामान, बर्तन, वजन मशीन आदि को बदलना/ मरम्मत/ रखरखाव	0	0	—	0	0	—
प्रबंधन पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण तथा आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2	2	100	3	3	100
एमआइएस समन्वयकों तथा डाटा इंट्री ऑपरेटरों के वेतन सहित कर्मचारियों का कुल वेतन	86.5	86.5	100	355.038	355.038	100
परिवहन तथा आकस्मिक व्यय	7	7	100	9	9	100
अन्य आनुषंगिक व्यय (राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरीय एसएमसी के कार्य से संबंधित व्यय सहित)	0	0	—	0	0	—
फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उपयोग सामग्रियां और अन्य आनुषंगिक व्यय	2.25	2.25	100	6	6	100
मध्याह्न भोजन में लगे कर्मियों का क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण	11.25	11.25	100	11.25	11.25	100
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संबंधित मैनुअल का निर्माण	0	0	—	0	0	—
वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	71.58	71.58	100	119.3	119.3	100
योग	**538.51**	**538.51**	100	**1100.09**	**1100.09**	100

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

इस बात को महसूस करते हुए कि मध्याह्न भोजन योजना की प्रभाविता सार्वजनिक सहभागिता और अपनत्व बोध पर निर्भर हैं, राज्य सरकार 2010 से 2015 के बीच लक्षित बच्चों के माता-पिता की सहभागिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना में सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने के प्रति कृतसंकल्प है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान की संकल्पना सबसे पहले अक्तूबर 1998 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में की गई थी। तब से आज तक यह बच्चों के लिए सबसे बड़े हस्तक्षेप के रूप में सामने आया है।

बिहार के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान 2001-02 में शुरू हुआ था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन अभिकरण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/ केंद्रशासित क्षेत्रों के बीच संशोधित वित्तपोषण पैटर्न ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात 2007-08 और 2008-09 में 65 : 35, तीसरे वर्ष अर्थात 2009-10 में 60 : 40 और चौथे वर्ष अर्थात 2010-11 में 55 : 45 होना माना गया था।

2007-10 की अवधि में मुख्य फोकस विद्यालय वाह्य बच्चों, लैंगिक और सामाजिक असमानता में कमी तथा वर्गकक्ष में संवाद बढ़ाने संबंधी हस्तक्षेपों पर रहा है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप

- स्कूल न जाने वाले विभिन्न श्रेणी के बच्चों के लिए अलग-अलग हस्तक्षेप विचारित-विकसित किए गए हैं : 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 'विद्यालय चलो केंद्र', 8 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए 'प्रयास केंद्र', 11 से 14 वर्ष के पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय 'उत्प्रेरण केंद्र' तथा अनावासीय 'उत्कर्ष केंद्र', और मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के लिए आवासीय 'उन्नयन केंद्र'।
- 'उत्थान केंद्र' सीमांत महादलित समूहों के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए, 'मकतब/ मदरसा केंद्र' सिर्फ दीनी मकतबों में नामांकित मुसलमान बच्चों के लिए तथा 'तालीमी मरकज' 6 से 10 वर्ष की स्कूल न जाने वाली मुसलमान बच्चियों के लिए विचारित-विकसित किया गया है।
- स्कूल न जाने वाले बच्चों की जरूरतों के अनुरूप सेतु पुस्तकें तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल विचारित-विकसित किए गए हैं।
- सामुदायिक संलग्नता से चलने वाला सघन अभियान 'संकल्प' चरणों में शुरू हुआ था - पहले चरण में 7 जिलों में, दूसरे चरण में 20 जिलों में तथा तीसरे चरण में सभी जिलों में।
- विद्यालय रहित बसाहटों में 18,000 से अधिक नए प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए हैं।
- स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को शामिल करने तथा उनकी 80 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की विशिष्टता वाले विद्यालयों, पंचायतों, प्रखंडों और जिलों के लिए मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा पुरस्कार नाम से एक पुरस्कार शुरू किया गया है।

तालिका 5.8 : वैकल्पिक नवाचारी केंद्रों की स्थिति

क्र.सं.	हस्तक्षेप	केंद्रों की सं.	आच्छादित बच्चे
1	उत्थान केंद्र	19442	515098
2	तालीमी मरकज	3770	75394
3	उत्प्रेरण केंद्र	1040	61671
4	मकतब/ मदरसा केंद्र	815	16309
5	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनावासीय पिछड़ा वर्ग नवाचारी सेतु केंद्र	254	6336
6	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आवासीय पिछड़ा वर्ग नवाचारी सेतु केंद्र	118	7260
7	योग	25439	682068

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

तालिका 5.8 : वित्तीय प्रगति (सर्व शिक्षा अभियान)

(लाख रु.)

हस्तक्षेप	2008-09			2009-10			2010-11 (अक्तू. 10 तक)		
	वर्तमान वर्ष का वित्तीय लक्ष्य विगत शेष सहित	संचयी वित्तीय उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (%)	वित्तीय लक्ष्य विगत शेष सहित	संचयी वित्तीय उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (%)	वित्तीय लक्ष्य विगत शेष सहित	संचयी वित्तीय उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (%)
नामांकित विद्यालय वाह्य बच्चे	25201.1	12757.4	50.6	14299.5	9151.7	64.0	26008.9	4088.5	15.7
उपचारी शिक्षण	4816.6	4127.1	85.7	1852.7	1574.7	85.0	0.0	0.014	
सिविल कार्य प्रगति पर/ पूर्ण	156346.1	77000.5	49.3	187824.5	73320.8	39.0	214658.4	58180.2	27.1
रखरखाव अनुदान (प्रा. तथा उ. प्रा. विद्यालय)	4801.4	3180.2	66.2	4940.0	3294.7	66.7	3775.3	3035.3	80.4
शिक्षक प्रशिक्षण	8389.2	4346.0	51.8	8328.0	1664.5	20.0	6401.6	710.8	11.1
शिक्षकों का वेतन	90492.6	83189.3	91.9	138112.8	86561.1	62.7	193940.3	62743.2	32.4
विद्यालय अनुदान	5061.1	4499.3	88.9	5316.2	4840.3	91.0	5523.1	4528.6	82.0
मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	24472.8	8318.3	34.0	25228.7	13866.9	55.0	26442.1	14143.8	53.5
शिक्षक अनुदान	1611.6	1457.7	90.4	1632.6	1544.0	94.6	1588.1	1241.6	78.2
सामुदायिक गोलबंदी	218.8	139.5	63.7	223.8	111.0	49.6	771.7	9.5	1.2
शिक्षण-अधिगम सामग्री	3888.6	1885.8	48.5	3279.8	1901.4	58.0	2393.2	202.4	8.5
प्रखंड संसाधन केंद्र	583.5	204.0	35.0	444.7	171.7	38.6	1905.6	303.9	15.9
संकुल संसाधन केंद्र	1175.5	372.5	31.7	924.3	337.3	36.5	2553.8	645.2	25.3
समेकित विकलांग शिक्षा	1881.0	931.4	49.5	2194.5	968.5	44.1	5956.5	1108.1	18.6
नवाचारी गतिविधियां	2377.0	1736.8	73.1	3663.9	1531.1	41.8	3800.0	318.2	8.4
शोध एवं मूल्यांकन	968.3	520.3	53.7	1248.7	679.7	54.4	1286.6	20.3	1.6
प्रबंधन, एमआइएस तथा मीडिया	7758.0	3618.4	46.6	13674.5	6154.8	45.0	15182.8	2451.9	16.1
	340043.3	**208284.4**	**61.3**	**413189.3**	**207674.3**	**50.3**	**512188.0**	**153731.4**	**30.0**

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले 24,439 केंद्रों द्वारा अभी तक 6,82,068 विद्यालय-वाह्य बच्चों का आच्छादन हुआ है (तालिका 5.8)। तालिका 5.9 में सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रगति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है जबकि परिशिष्ट 6 में प्रारंभिक शिक्षा की भौतिक प्रगति का विस्तृत विहंगावलोकन।

राज्य स्कूली शिक्षा दृष्टि 2010-15

सरकार सभी विद्यालय-वाह्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करेगी।

शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात और वर्गकक्ष-विद्याथी अनुपात को शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मानक स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास में कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार एवं क्रियान्वयन किया जाएगा।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को पोशाकें मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।

पूरे राज्य में माध्यमिक शिक्षा का आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए हर 5 किमी की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अति पिछड़े वर्गों में शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इन्हें व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :

1. सरकारी मानकों के अनुसार सभी बसाहटों में नए विद्यालय उपलब्ध कराना जो मापदंड को पूरे करें।
2. विद्यालय स्थापना का मापदंड पूरा नहीं करने वाली बस्तियों के बच्चों के आच्छादन के लिए परिवहन सुविधा/ भत्ता और आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों की योजना बनाना।
3. प्रवासी बच्चों का मानचित्रण तथा कार्यस्थल केंद्रों और मौसमी छात्रावासों के जरिए आच्छादन।
4. समुदाय की भागीदारी से सभी विद्यालय-वाह्य बच्चों को खोज निकालना।

उच्च शिक्षा

तालिका 5.10 में 2001 से बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति दर्शाई गई है। गौर किया जा सकता है कि बिहार में एक नया विश्वविद्यालय 2004 में तथा एक अन्य विश्वविद्यालय 2008 में खुला। वर्ष 2005 में तीन नए शोध संस्थान शामिल हुए और 2007 में एक। महाविद्यालयों की कुल संख्या 2004 और 2005 के बीच 743 से बढ़कर 800 हो गई। वर्ष 2007 में 15 और नए महाविद्यालय जुड़े जिससे कुल संख्या 815 हो गई। वर्ष 2008 और 2009 के बीच दो नए अभियंत्रण महाविद्यालय/ संस्थान खुले। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप 2008 और 2009 के बीच 9 शिक्षण/ प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए।

तालिका 5.10 : बिहार में उच्च शिक्षा संस्थान

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
विश्वविद्यालय	11	11	11	12	12	12	12	13	13
मुक्त विश्वविद्यालय	1	1	1	1	1	1	1	1	1
शोध संस्थान	11	11	11	11	14	14	15	15	15
महाविद्यालय/ संस्थान	742	742	742	743	800	800	815	815	815
सरकारी महाविद्यालय	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	451	451	451
स्थानीय निकाय महाविद्यालय	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	97	97	97
अन्य महाविद्यालय	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	268	267	267
शिक्षा/ अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र	15	15	15	15	15	15	15	15	23
अभियंत्रण/ तकनीकी महाविद्यालय	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	8	8	10
अन्य	63	63	63	63	63	36	62	164	164

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 7 में बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम आधारित नामांकन की स्थिति दर्शाई गई है। कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों के बीच महिला विद्यार्थियों की संख्या ऐतिहासिक रूप से पुरुष विद्यार्थियों की अपेक्षा कम रही है। वर्ष 2008-09 में भी यह रुझान जारी रहा। कला में 2007-08 की अपेक्षा 2008-09 में महिला विद्यार्थियों के नामांकन में 25.68 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस अवधि में विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग में महिला विद्यार्थियों का नामांकन 42.55 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि इसी अवधि में वाणिज्य में महिला विद्यार्थियों के नामांकन में 31.68 प्रतिशत गिरावट आई। पुरुष विद्यार्थियों का नामांकन कला में 25.87 प्रतिशत और विज्ञान में 27.99 प्रतिशत बढ़ा लेकिन वाणिज्य में 35.03 प्रतिशत गिरावट आई। अभियंत्रण में पुरुष नामांकन में 37.78 प्रतिशत वृद्धि हुई और महिला नामांकन में 20.56 प्रतिशत की। इनसे राज्य में उच्च शिक्षा में जारी लैंगिक अंतराल प्रतिबिंबित होता है।

कला में अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों का नामांकन 2008-09 में 2007-08 की अपेक्षा 16.28 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि वाणिज्य में नामांकन में 27.07 प्रतिशत की गिरावट आई और विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग में महिला विद्यार्थियों का नामांकन 19.64 प्रतिशत घटा। अनुसूचित जाति के पुरुष विद्यार्थियों का नामांकन कला में 18.14 प्रतिशत बढ़ा लेकिन विज्ञान में 38.84 प्रतिशत और वाणिज्य में 71.83 प्रतिशत घटा। अभियंत्रण में अनुसूचित जाति के पुरुष विद्यार्थयों के नामांकन में 2.99 प्रतिशत गिरावट आई और महिला

विद्यार्थियों के नामांकन में 29.21 प्रतिशत की। समग्रत: उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के पुरुष विद्यार्थियों के नामांकन का रुख पलट गया है। वहीं, अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों के मामले में कला, शिक्षा और पॉलीटेकनीक संस्थाओं में नामांकन बढ़ा है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बीच कला में महिला विद्यार्थियों का नामांकन 2008-09 में 2007-08 की अपेक्षा 44.69 प्रतिशत बढ़ा; पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 86.52 प्रतिशत था। वाणिज्य में महिला अजजा नामांकन 53.57 प्रतिशत बढ़ा, वहीं पुरुष अजजा नामांकन 27.63 प्रतिशत घटा। विज्ञान में पुरुष अजजा नामांकन मात्र 11.61 प्रतिशत बढ़ा वहीं महिला अजजा नामांकन 8.4 प्रतिशत घटा। अभियंत्रण में पुरुष अजजा नामांकन में 18.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और महिला नामांकन में 11.11 प्रतिशत की। चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में भारी गिरावट आई - पुरुषों के लिए 20.37 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 66.67 प्रतिशत की।

कुल मिलाकर उच्च शिक्षा में महिलाओं का बढ़ता हिस्सा अध्यापक प्रशिक्षण तथा शिक्षा में सर्वाधिक है और उसके बाद कला में। इनका हिस्सा विज्ञान में काफी कम है और वाणिज्य में उससे भी कम। पेशेवर पाठ्यक्रमों में महला नामांकन चिकित्सा में अधिक है किंतु अभियंत्रण और पॉलिटेकनीक संस्थानों में बहुत ही कम। इस प्रकार उच्च शिक्षा में नामांकन पैटर्न लैंगिक पूर्वाग्रह जारी रहने का संकेत देते हैं। राज्य के समग्र सामाजिक विकास में वृद्धि के लिए इन पैटर्नों को तोड़ने की दिशा में जोर लगाना अत्यंत आवश्यक है।

उच्च शिक्षा दृष्टि 2010-15

बिहार सरकार हर अनुमंडल में एक स्नातक महाविद्यालय खोलने के लिए कृतसंकल्प है।

राज्य के युवकों के लिए टिकाऊ जीविका सुनिश्चित करने के लिहाज से कौशल विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

बिहार को तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए नई नीति सूत्रबद्ध की जाएगी।

राज्य के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक लघु-आइटीआइ शुरू किया जाएगा।

प्रत्येक अनुमंडल में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा।

प्रत्येक जिले में पॉलीटेकनीक और प्रत्येक प्रमंडल में अभियंत्रण तथा चिकित्सा महाविद्यालय होंगे।

5.2 जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य

जनसांख्यिकी

जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व 880 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है और 38 में से 14 जिलों का जनसंख्या घनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से ऊपर है। पटना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व 1,471 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। 38 में से 25 जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिससे बिहार में देश के सभी बड़े राज्यों के बीच सबसे कम शहरीकरण है (तालिका 5.11 क तथा ख)।

बिहार में लिंग अनुपात 919 है। यह सर्वाधिक 1031 सीवान जिले में है जबकि 8 जिलों में 900 से कम है। पटना और मुंगेर जैसे अधिक शहरीकृत जिलों का लिंग अनुपात कम है। बिहार का बाल लिंग अनुपात 942 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसमें जिलों के बीच ज्यादा समरूपता है - अधिकतम 967 तो न्यूनतम 915 (तालिका 5.11 क तथा ख)।

राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का हिस्सा 15.7 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 0.9 प्रतिशत है जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों का 16.77 प्रतिशत। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा गया जिले में है (29.6 प्रतिशत) और सबसे कम किशनगंज जिले में (6.6 प्रतिशत)। अनुसूचित जातियों में भी महादलित आबादी का बांका, गया, कैमूर, नवादा और वैशाली में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 35 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में है और सबसे कम लखीसराय में - 4.4 प्रतिशत। कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति आबादी का 4 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कटिहार, पूर्णिया, बांका तथा जमुई जिलों में है (तालिका 5.11 क तथा ख)।

तालिका 5.11 क : बिहार की जनसांख्यिकी का विहंगावलोकन

घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	880
शहरीकरण अनुपात (प्रतिशत)	10.5
लिंग अनुपात प्रति हजार	919
बाल लिंग अनुपात प्रति हजार	942
अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत	15.7
अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत	0.9
अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत	16.6

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका 5.11 ख : बिहार का जिलावार जनसांख्यिक विवरण

	जनसंख्या (लाख)	घनत्व	ग्रामीण जनसंख्या (%)	लिंग अनुपात	बाल लिंग अनुपात	अजा जनसंख्या (%)	अजजा जनसंख्या (%)	अल्पसंख्यक जनसंख्या (%)	महादलित जनसंख्या (%)
बिहार	829.99	**880**	**89.5**	**919**	**942**	**15.7**	**0.9**	**16.6**	**15.69**
पटना	47.19	1471	58.4	873	923	15.5	0.2	10.1	15.45
नालंदा	23.71	1006	85.1	914	942	20	0	7.5	19.99
रोहतास	24.51	636	86.7	909	951	18.1	1	10.1	18.07
कैमूर	12.89	382	96.8	902	940	22.2	2.8	9.5	22.14
बक्सर	14.02	864	90.8	899	925	14.1	0.6	6.2	14.04
भोजपुर	22.43	903	86.1	902	940	15.3	0.4	7.3	15.31
गया	34.73	699	86.3	938	968	29.6	0.1	11.6	29.62
औरंगाबाद	20.13	607	91.6	934	943	23.5	0.1	9.7	23.46
जहानाबाद	15.14	963	92.6	929	917	18.9	0.1	8.2	18.89
नवादा	18.10	726	92.6	946	978	24.1	0.1	11.3	24.04
सारण	32.49	1231	90.8	966	949	12	0.2	10.4	11.97
सीवान	27.14	1221	94.5	1031	934	11.4	0.5	18.2	11.3
गोपालगंज	21.53	1057	93.9	1001	964	12.4	0.3	17.1	12.37
मुजफ्फरपुर	37.47	1180	90.7	920	928	15.9	0.1	15.3	15.85
सीतामढ़ी	26.83	1214	94.3	892	924	11.8	0.1	21.2	11.75
शिवहर	5.16	1161	95.9	885	916	14.4	0	15.5	14.41
पश्चिम चंपारण	30.43	582	89.8	901	953	14.3	1.5	21.2	14.22
पूर्व चंपारण	39.40	991	93.6	897	937	13	0.1	19.2	13.03
वैशाली	27.18	1332	93.1	920	937	20.7	0.1	9.5	20.67
दरभंगा	32.96	1442	91.9	914	915	15.5	0	22.7	15.49
समस्तीपुर	33.95	1175	96.4	928	938	18.5	0.1	10.5	18.51
मधुबनी	35.75	1020	96.5	942	939	13.5	0	17.9	13.47
सहरसा	15.08	885	91.7	910	912	16.1	0.3	14.4	16.07
सुपौल	17.33	724	94.9	920	925	14.8	0.3	17.4	14.79
मधेपुरा	15.27	853	95.5	915	927	17.1	0.6	11.4	17.04
पूर्णिया	25.44	787	91.3	915	967	12.3	4.4	36.8	12.2
अररिया	21.59	751	93.9	913	963	13.6	1.4	41.1	13.59
किशनगंज	12.96	687	90	936	947	6.6	3.6	67.6	6.52
कटिहार	23.93	782	90.9	919	966	8.7	5.9	42.5	8.67
भागलपुर	24.23	946	81.3	876	966	10.5	2.3	17.5	10.42
बांका	16.09	533	96.5	908	965	12.4	4.7	11.8	12.34
मुंगेर	11.38	800	72.1	872	914	13.3	1.6	7.9	13.24
लखीसराय	8.02	652	85.3	921	951	15.8	0.7	4.4	15.74
बेगूसराय	23.49	1222	95.4	912	946	14.5	0.1	13.4	14.51
जमुई	13.99	451	92.6	918	963	17.4	4.8	12.2	17.29
खगड़िया	12.80	859	94	885	932	14.5	0	10.3	14.45
शेखपुरा	5.26	762	84.5	918	955	19.7	0	7.2	19.74

स्रोत : जनगणना 2001

स्वास्थ्य

तालिका 5.12 क : चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक

सूचक	डीएलएचएस III (2007-08)			डीएलएचएस II (2002-04)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
प्रसव-पूर्व देखरेख						
प्रसव-पूर्व जांच सुविधा प्राप्त माताएं (%)	59.3	58.5	70.8	31.4	31.3	58.9
पहली तिमाही में प्रसव-पूर्व जांच सुविधा-प्राप्त माताएं (%)	24.2	22.9	40.7	18.5	16.3	38.4
तीन या अधिक प्रसव-पूर्व जांच सुविधा प्राप्त माताएं (%)	26.4	25.4	39.8	16	13.8	36.2
पूर्ण प्रसव-पूर्व जांच सुविधा प्राप्त माताएं (%)	4.6	4	11.7	4.3	3.4	12.4
प्रजनन स्वास्थ्य						
संस्थागत प्रसव (%)	27.7	25.6	54.3	18.8	15.8	45.8
घर में प्रसव (%)	71.5	73.5	45.3	80.9	83.9	54
सुरक्षित प्रसव (%)	31.9	29.7	59.9	25.2	21.8	54.1
प्रसव के दो सप्ताह के अंदर प्रसवोत्तर देखरेख प्राप्त माताएं (%)	26.2	24.9	42.6	अनु.	अनु.	अनु.
जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त माताएं (%)	9.7	9.4	14.1	अनु.	अनु.	अनु.
बाल प्रतिरक्षण						
12 से 23 माह के पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चे (%)	41.4	41.4	41.2	20.7	19.1	35.4
12 से 23 माह के प्रतिरक्षण न पाने वाले बच्चे (%)	1.6	1.5	2.7	51.8	53.5	36.2
12 से 23 माह के बीसीजी टीका लगवाने वाले बच्चे (%)	81.5	81.6	80.4	44.6	42.6	62.2
12 से 23 माह के डीपीटी टीका लगवाने वाले बच्चे (%)	54.4	54.5	53.8	31	29	49.1
12 से 23 माह के पोलियो की 3 खुराकें पाने वाले बच्चे (%)	53.1	53	54	30.5	28.5	48.1
12 से 23 माह के खसरा का टीका लगवाने वाले बच्चे (%)	54.2	54.1	55.8	24.4	22.7	40.1

स्रोत : फैक्टशीट बिहार; जिलास्तरीय परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण (डीएलएचएस)-3, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

बिहार में टीकाकरण के आच्छादन, संस्थागत प्रसव तथा बाल मृत्यु के मामले में 2002-04 और 2007-08 के बीच काफी नियमित सुधार दिखा है। प्रसवपूर्व देखरेख में इस अवधि में धीमा बदलाव देखा गया जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक अनुक्रियाशीलता देखी गई (तालिका 5.12 क)। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के बीच बिहार में अधिकांश मातृ स्वास्थ्य संबंधी सूचकों के मामले में राष्ट्रीय पैटर्न की तुलना में गिरावट देखी गई जबकि बाल स्वास्थ्य संबंधी सूचकों में इस दौरान सुधार हुआ है (तालिका 5.12 ख)।

तालिका 5.12 ख : मातृ तथा बाल स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव

बिहार और संपूर्ण भारत	**सूचक**	**2008-09**	**2007-08**	**प्रतिशत परिवर्तन**
	मातृ स्वास्थ्य			
बिहार	कुल निबंधित प्रसवपूर्व जांच	1624579	1424898	7.0
	कुल संस्थागत प्रसव	1144677	838481	11.0
	कुल गृहगत प्रसव	230464	411441	-44.0
	कुल सूचित प्रसवों में गृहगत प्रसवों का प्रतिशत	30.1		
संपूर्ण भारत	कुल निबंधित प्रसवपूर्व जांच	26297659	22406410	17.4
	कुल संस्थागत प्रसव	11559374	15121659	-23.6
	कुल गृहगत प्रसव	5477671	5424962	1.0
	कुल सूचित प्रसवों में गृहगत प्रसवों का प्रतिशत	32.2		
	बाल स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षण	अप्रील से मार्च तक उपलब्धि		
		2008-09	2007-08	**प्रतिशत परिवर्तन**
बिहार	बीसीजी का आच्छादन	2423973	2254381	7.5
	डीपीटी का आच्छादन	1783082	1277302	39.6
	खसरा	2012853	1914273	5.1
	पोलियो	1893280	1144965	65.4
संपूर्ण भारत	बीसीजी का आच्छादन	26769655	26479487	1.1
	डीपीटी का आच्छादन	23602667	24154480	-2.3
	खसरा	24363427	24129793	1.0
	पोलियो	24399768	23800562	2.5

स्रोत : हेल्थ मैनेजमेंट एंड इनफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआइएस) : एन एम्पावरमेंट मीडिया : प्रेलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा इस्सूज (अगस्त 2009), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; राज्य स्वास्थ्य समिति

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकों के मामले में राज्य में विगत वर्षों क्रमिक सुधार दिखा है। एसआरएस 2011 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर 2008 के 56 से गिरकर 2009 में 52 रह गया है। इस अवधि के लिए संपूर्ण भारत के संबंधित आंकड़े क्रमशः 53 और 50 हैं। इसी प्रकार, अशोधित जन्म दर 2008 में 28.9 थी जो 2009 में गिरकर 28.5 रह गई। संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े क्रमशः 22.8 और 22.5 हैं। अशोधित मृत्यु दर भी 2009 में 2008 के 7.3 से गिरकर 7 रह गई जबकि संपूर्ण भारत के आंकड़े क्रमशः 7.4 और 7.3 हैं।

आरेख 5.3 क : प्रति करोड़ आबादी पर स्वास्थ्य अधिसंरचना

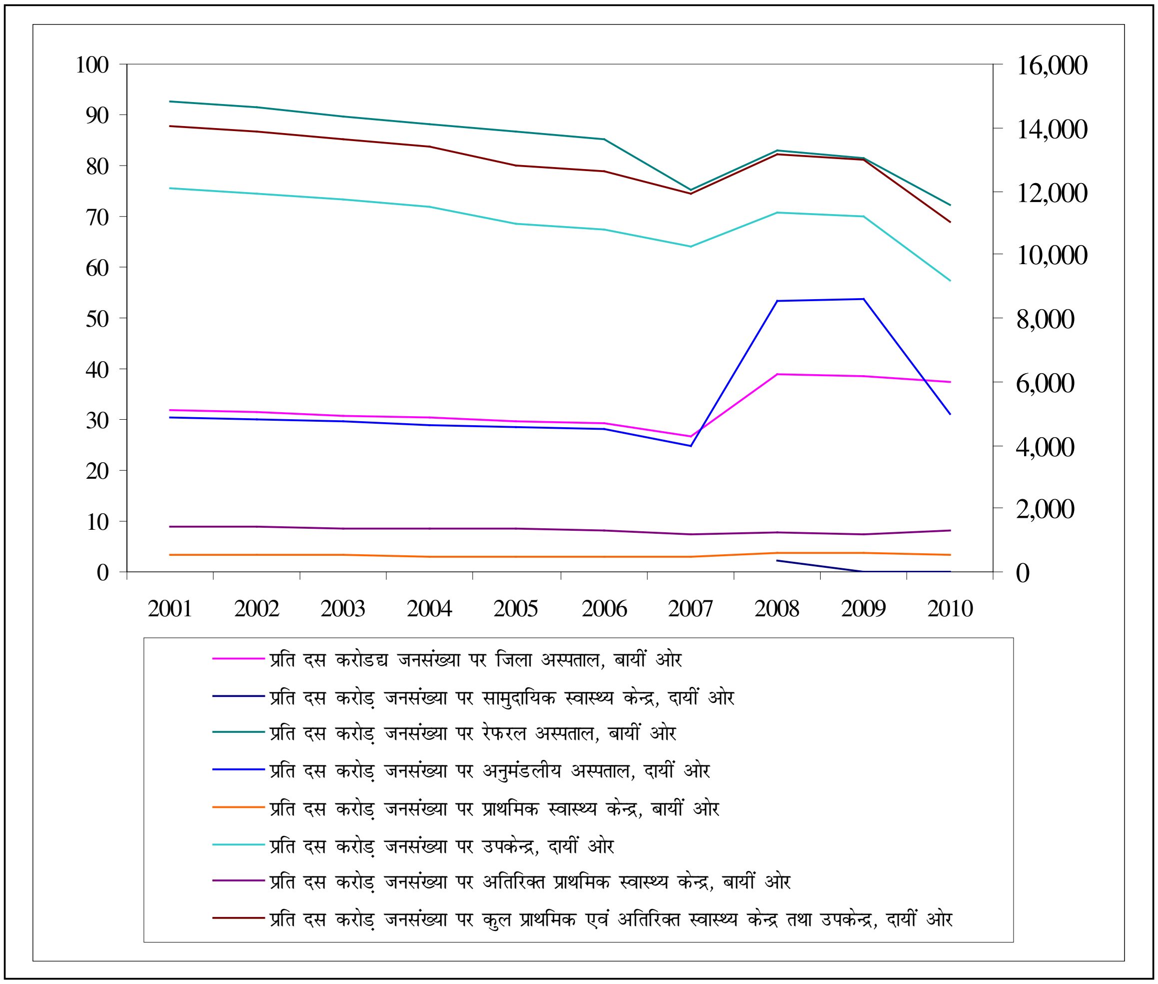

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति का सारांश आरेख 5.3 क और परिशिष्ट 8 में दिया गया है। आरेख 5.3 क से स्पष्ट है कि 2001 से 2006 के बीच स्वास्थ्य अधिसंरचना में आई दीर्घकालिक गिरावट की स्थिति 2007 और 2008 में बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप पलट गई थी। लेकिन यह रुझान उसके बाद से फिर पलट गया है। स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति में सुधार को 2001 के स्तर पर पहुंचना अभी भी बाकी है। अक्तूबर 2010 में राज्य में 10,632 स्वास्थ्य केंद्र ही थे जबकि दिसंबर 2008 में 11,107 थे। इनमें से 494 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8,858 स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा 1,243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। वर्ष 2009 और 2010 में प्रति लाख आबादी पर 11 स्वास्थ्य केंद्र थे जबकि 2008 में 13 थे। ऐसा गत दो वर्षों में उपकेंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में आई कमी के कारण है। जिला स्तर पर आच्छादन में भी काफी अंतर है (परिशिष्ट 8)। तालिका 5.13 में राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचना में आई कमी की झलक प्रस्तुत की गई है जबकि परिशिष्ट 9 से 12 तक जिला स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मियों की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.13 : स्वास्थ्य अधिसंरचना में कमी

श्रेणी	वांछित	पदस्थापित	कमी
उप-केंद्र	14959	8858	6101
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	2489	1774	715
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ रेफरल अस्पताल	622	70	552
एएनएम	10499	9639	860

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

तालिका 5.14 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या

महीना	रोगियों की संख्या प्रति सुविधा प्रतिदिन				
	2006	2007	2008	2009	2010 (अक्तूबर तक)
जनवरी	39	2243	2522	1597	3526
फरवरी	653	2224	2693	3161	4288
मार्च	1018	2257	2778	4264	4841
अप्रैल	1101	2120	2825	3595	4674
मई	1306	2784	3908	3155	4957
जून	1547	3508	3900	3875	5069
जुलाई	2758	4093	4905	4538	5857
अगस्त	3063	3851	4817	4591	5874
सितंबर	2685	4140	5521	4280	4406
अक्तूबर	2454	4513	4505	3991	4768
नवंबर	2638	3188	3884	4819	
दिसंबर	2565	1998	4000	4042	

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

हालांकि विद्यमान स्वास्थ्य सेवाप्रदान की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास तालिका 5.14 और आरेख 5.3 ख में साफ दिखते हैं जिसमें सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के लिए रोगियों के बढ़ी संख्या में आने का पता चलता है। स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सरकारी सुविधाओं के लिए पहुंचने वाले रोगियों की संख्या में 2006 से होने वाली माहवार प्रगति असाधारण थी और इसमें बढ़त का रुझान अगस्त 2009 तक जारी रहा। सितंबर और अक्तूबर 2009 में विगत वर्ष की अपेक्षा गिरावट आई लेकिन अक्तूबर 2010 तक रोगियों की संख्या 2009 की तुलना में हर महीने अधिक थी (आरेख 5.3 ख)। आरेख 5.3 ग से 5.3 च तक प्रति क्लीनिक, प्रतिदिन बाहरी रोगियों के आगमन तथा बिस्तर अधिभोग दर (बेड ऑक्यूपेंसी रेट) के लिहाज से जिलों के बीच अंतर का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

आरेख 5.3 ख : रोगियों की संख्या प्रति सुविधा प्रतिदिन (2001-02 से 2009-10)

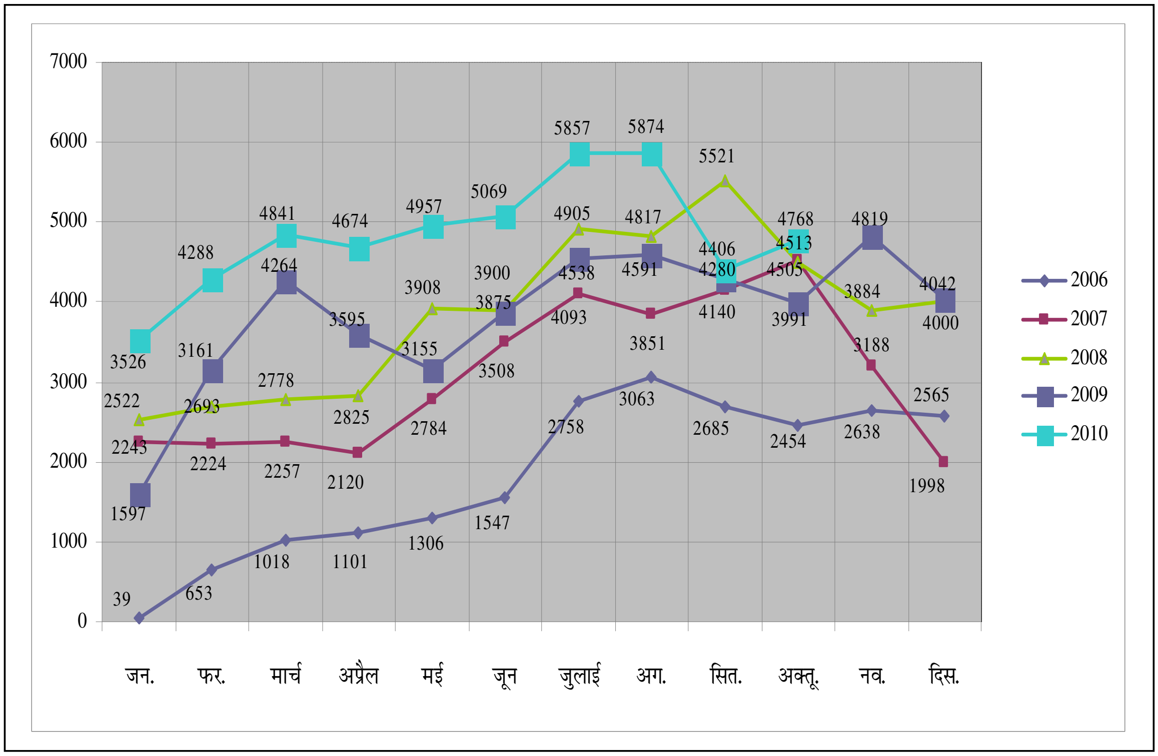

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

आरेख 5.3 ग : सार्वजनिक अस्पतालों में प्रति क्लीनिक रोगियों का औसत आगमन (अप्रील '10 से अक्तू. '10 तक)

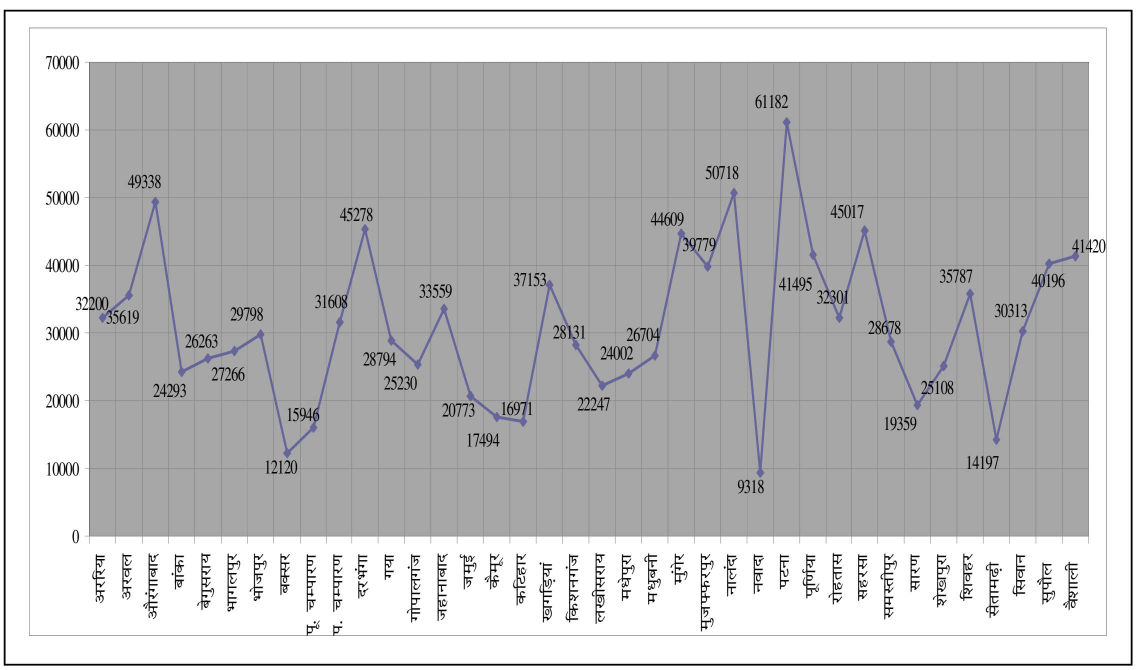

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

आरेख 5.3 घ : बाहरी रोगियों का औसत दैनिक आगमन (अप्रील '10 से अक्तू. '10 तक)

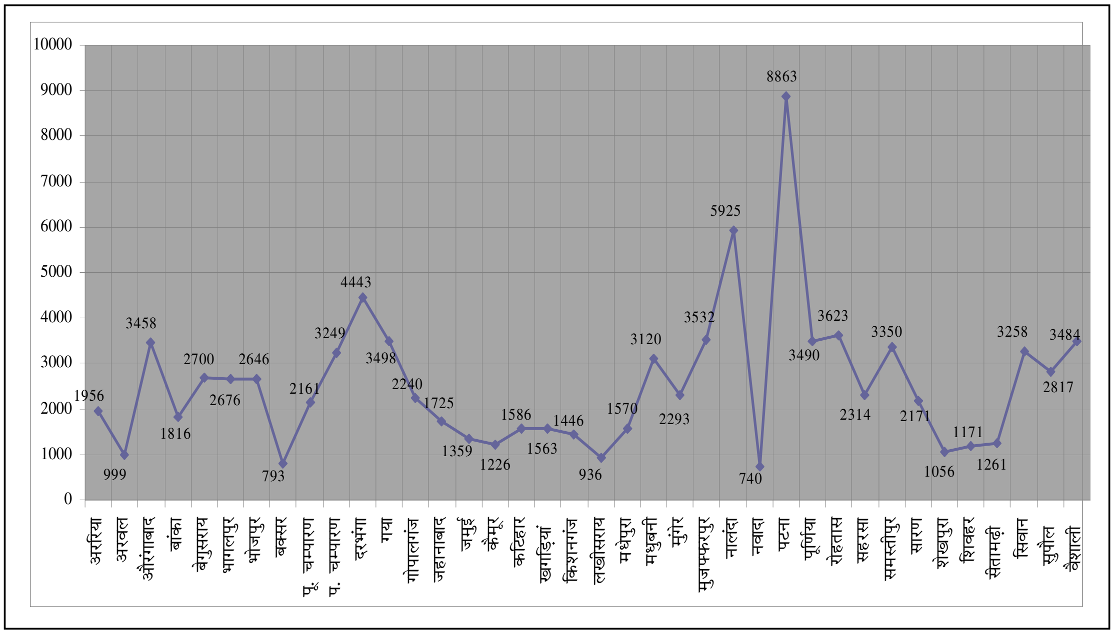

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

आरेख 5.3 च : भर्ती रोगियों की बिस्तर अधिभोग दर (अप्रील '10 से अक्तू. '10 तक)

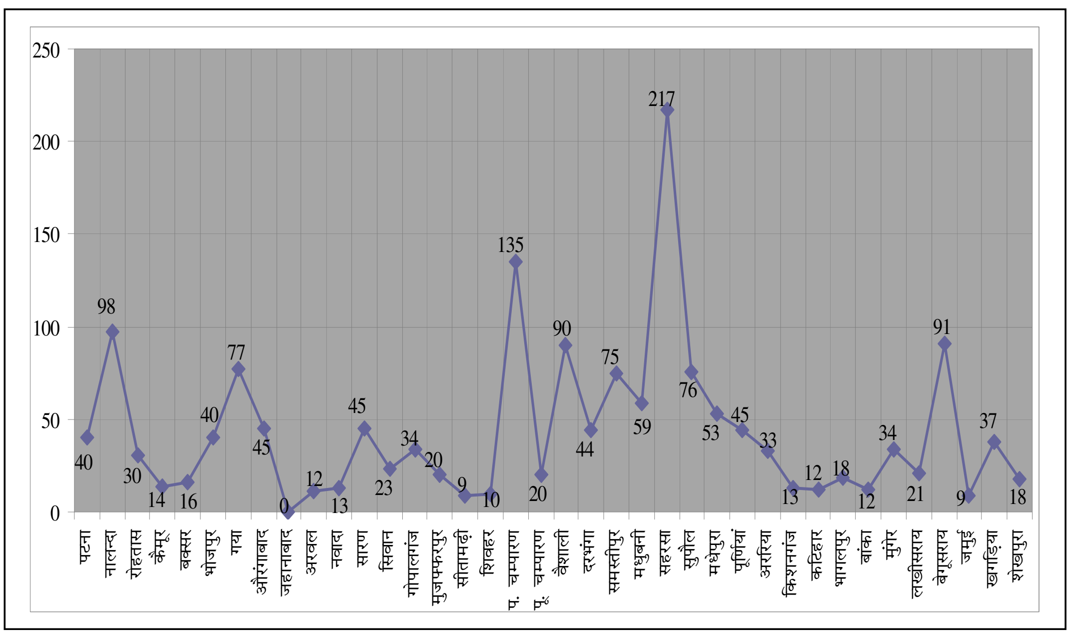

*** जहानाबाद अनुपलब्ध** स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

संस्थागत प्रसवों की संख्या भी 2006-07 से बहुत तेजी से बढ़ी है (आरेख 5.4 क)। मार्च 2007 से अक्तूबर 2010 तक संस्थागत प्रसवों के जिलावार मासिक आंकड़े परिशिष्ट 13 में दिए गए हैं। आरेख 5.4 ख में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना की जिलावार पहुंच दर्शाई गई है।

आरेख 5.4 क : संस्थागत प्रसव – जनवरी 2006 से अक्तूबर 2010 तक

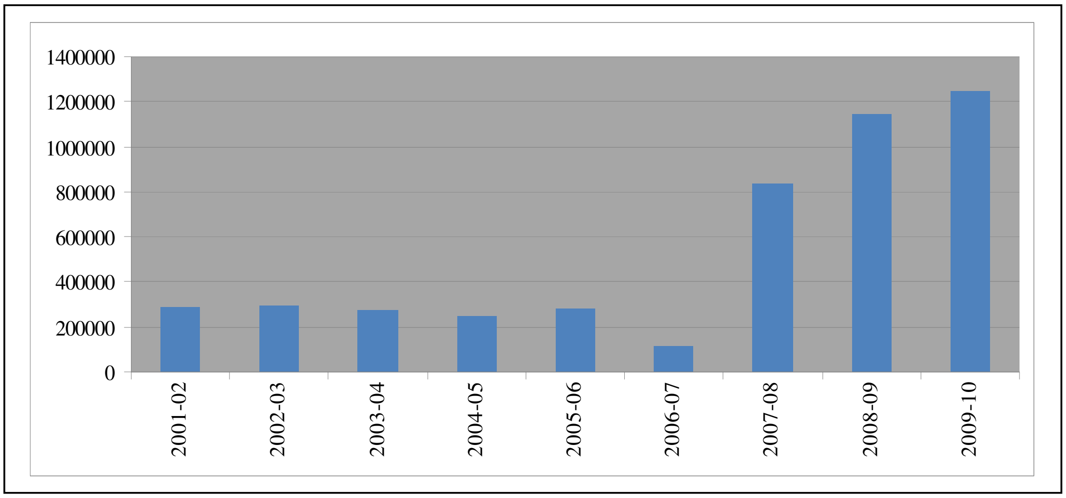

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

आरेख 5.4 ख : जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत जिला स्तरीय आच्छादन

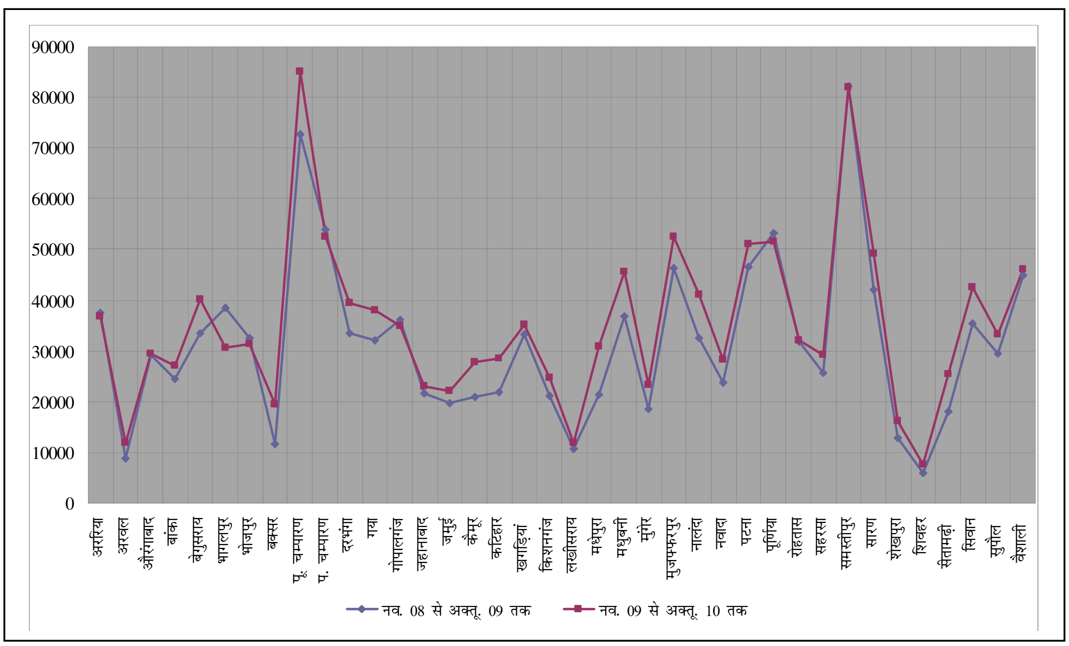

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

तालिका 5.15 : एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन का विहंगावलोकन

एंटीजेन का नाम	2008-09			2009-10			2010-11(अक्तूबर तक)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
टीटी (पी.डब्ल्यू)	3185540	2534557	79.56	3274719	3243807	99.06	3284787	2148749	65.42
बीसीजी	2895946	2219241	76.63	2977017	2307356	77.51	2986170	1148376	38.46
ओपीवी 0	2895946	1196215	41.31	2977017	1449233	48.68	2986170	797983	26.72
ओपीवी 1	2895946	2421993	83.63	2977017	2299714	77.25	2986170	1028036	34.43
ओपीवी 2	2895946	2152307	74.32	2977017	2286821	76.82	2986170	1012971	33.92
ओपीवी 3	2895946	1984844	68.54	2977017	2211685	74.29	2986170	936524	31.36
डीपीटी 1	2895946	2257791	77.96	2977017	2435279	81.80	2986170	1028036	34.43
डीपीटी 2	2895946	1962177	67.76	2977017	2413012	81.05	2986170	1053278	35.27
डीपीटी 3	2895946	1822770	62.94	2977017	2330656	78.29	2986170	1052447	35.24
खसरा	2895946	2163801	74.72	2977017	2087531	70.12	2986170	1053098	35.27

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी प्रतिरक्षण का आच्छादन 2008-09 और 2009-10 के बीच काफी बढ़ा है लेकिन इसी अवधि में ओपीवी का आच्छादन अपेक्षाकृत कम रहा है (तालिका 5.15)।

तालिका 5.15 : स्वास्थ्य व्यय का वित्तीय विहंगावलोकन

(करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित बजट	प्राप्त राशि		कुल प्राप्ति	कुल व्यय	प्राप्तियों के मुकाबले उपयोग का प्रतिशत	अनुमोदित बजट के मुकाबले उपयोग का प्रतिशत
		भारत सरकार (एनआरएचएम)	बिहार सरकार				
2005-06	398.22	124.33	-	124.33	38.62	31.1	9.7
2006-07	571.42	328.75	51.84	380.59	92.14	24.2	16.1
2007-08	680.7	240.2	175.37	415.57	237.8	57.2	34.9
2008-09	766.69	645.1	0.19	645.29	339.75	52.6	44.3
2009-10	1040.66	411.28	215.41	626.69	562.53	89.8	54.1
2010-11 (अक्तू. '10)	1029.15	271.63	95.72	367.35	273.83	74.5	26.6
योग	4486.84	2021.29	538.53	2559.82	1544.67	60.3	34.4

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

राज्य स्वास्थ्य समिति को आबंटित कुल राशि 2005-06 के 398.22 करोड़ रु. से बढ़कर 2009-10 में 1,040.66 करोड़ रु. हो गई थी जो 2010-11 में थोड़ा घटकर 1,029.15 करोड़ रु. रह गई। इसमें से वास्तविक विमुक्ति 2005-06 के 124.33 करोड़ रु. से बढ़कर 2008-08 में 645.29 करोड़ रु. और 2009-10 में 626.69 करोड़ रु. ही हुई। प्राप्तियों की तुलना में उपयोग 2005-06 में मात्र 31.1 प्रतिशत था जो 2009-10 में बढ़कर 89.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि अनुमोदित बजट की तुलना में उपयोग निम्न है

लेकिन 2005-06 के 9.7 प्रतिशत की तुलना में यह 2009-10 में 54.1 प्रतिशत हो गया (तालिका 5.16)। राशि वितरण के जिलावार पैटर्न परिशिष्ट 14 में वर्णित हैं।

<u>समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)</u>

समेकित बाल विकास योजना छोटे बच्चों तथा संभावित एवं दूध पिलाने वाले माताओं के लिए शिशु देखरेख, प्रारंभिक उत्प्रेरण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, जल एवं पर्यावरण स्वच्छता में दीर्घकालिक सुधार की ओर लक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारक हस्तक्षेप है। यह छोटे बच्चों, तथा संभावित एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए लक्ष्याधारित कार्यक्रम है। बिहार में सभी 38 जिलों के सभी विकास प्रखंडों को आच्छादित करती 544 समेकित बाल विकास योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत 86,237 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) तथा 5,440 लघु आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं (तालिका 5.17)।

तालिका 5.17 : समेकित बाल विकास परियोजनाओं का विहंगावलोकन

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	आंगनवाड़ी तथा अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.	लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.
2000-01 तक	203	30093	
2001-02	30	4767	-
2002-03	160	25662	-
2003-04	-	-	-
2004-05	-	-	-
2005-06	139	19602	-
2006-07	5	113	-
2007-08	7	560	-
2008-09	0	5440	5440
2009-10	0	0	0
2010-11 (अक्तू. '10 तक)	0	0	0
योग	544	86237	5440

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

चूंकि समेकित बाल विकास योजना मुख्यत: मानव पूंजी आधारित कार्यक्रम है इसलिए कार्यक्रम की सफलता के लिए कर्मचारियों की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण है (तालिका 5.18)। आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की कार्यरत क्षमता 2009-10 से 2010-11 के बीच स्वीकृत पदों के 99.3 प्रतिशत से गिरकर 87.5 प्रतिशत रह गई है। इसका कारण नए पदों का सृजन है जिन्हें भरा जाना अभी शेष ही है। प्रखंड स्तर पर कार्यकारी अधिकारी - बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के मामले में कार्यरत क्षमता

स्वीकृत पदों का 93.3 प्रतिशत है। हालांकि 2008-09 में महिला पर्यवेक्षक के 3,288 स्वीकृत पदों में 7.3 प्रतिशत ही भरे थे। यह 2007-08 से स्थिति का बिगड़ना ही दर्शाते हैं जिस समय संबंधित आंकड़ा 8.3 प्रतिशत था। यह स्थिति 2010-11 में भी पूर्ववत है। महिला पर्यवेक्षकों की भारी कमी दूर की जानी चाहिए क्योंकि लक्षित महिलाओं के बीच परियोजनाओं की स्वीकार्यता के लिए ये महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

तालिका 5.18 : समेकित बाल विकास योजना - कर्मियों की स्थिति

वर्ष	पद	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी सेविका	आंगनवाड़ी सहायिका
2008-09	स्वीकृत क्षमता	544	3288	80797	80797
	वास्तविक क्षमता	485	274	80211	80211
	रिक्त	59	3014	586	586
	वास्तविक क्षमता का प्रतिशत	89.15	8.33	99.27	99.27
2009-10	स्वीकृत क्षमता	544	3288	80797	80797
	वास्तविक क्षमता	508	254	80211	80211
	रिक्त	36	3034	586	586
	वास्तविक क्षमता का प्रतिशत	93.38	7.73	99.27	99.27
2010-11 (अक्तू. 10)	स्वीकृत क्षमता	544	3288	91677	91677
	वास्तविक क्षमता	508	254	80211	80211
	रिक्त	36	3034	11466	11466
	वास्तविक क्षमता का प्रतिशत	93.38	7.73	87.49	87.49

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार समेकित बाल विकास योजना के लिए संसाधनों का आबंटन और उपयोग, दोनों बढ़ा है। कुल बजट 2003-04 के 241.97 करोड़ रु. से बढ़कर 2009-10 में 934.40 करोड़ रु. हो गया है (तालिका 5.19)। वास्तविक राशि विमुक्ति के कम हिस्से का पूर्ववर्ती पैटर्न तोड़ते हुए 2007-08 में 85 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई थी जो 2008-09 में घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी। लेकिन 2009-10 में यह पुनः बढ़कर 75 प्रतिशत पहुंच गई। बजट के प्रतिशत के बतौर व्यय 2008-09 के 78 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 92 प्रतिशत पहुंच गया है। इस प्रकार 2009-10 में 2008-09 के मुकाबले राशि के समग्र आबंटन और उपयोग, दोनों में वृद्धि हुई है। तालिका 5.20 में समेकित बाल विकास योजना संबंधी परियोजनाओं की जिला स्तर पर स्थिति दर्शाई गई है।

तालिका 5.19 : समेकित बाल विकास योजना - संसाधन का उपयोग

वर्ष	बिहार में समेकित बाल विकास योजना के लिए कुल बजट (लाख रु.)	बिहार हेतु भारत सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (लाख रु.)	बिहार द्वारा बताया गया कुल व्यय (लाख रु.)	विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर	व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर	व्यय बजट के प्रतिशत के बतौर
2003-04	24197.17	8980.54	14242.24	37.11	158.59	58.86
2004-05	23874.20	15524.40	14234.40	65.03	91.69	59.62
2005-06	26290.94	18393.30	19536.65	69.96	106.22	74.31
2006-07	40270.05	36931.00	30497.14	91.71	82.58	75.73
2007-08	48358.72	41101.73	34910.82	84.99	84.94	72.19
2008-09	61621.07	27457.93	48244.68	44.56	175.70	78.29
2009-10	93440.07	69660.60	85870.65	74.55	123.27	91.90
2010-11 (अक्तू. 10)	88023.51	42198.20	24148.29	47.94	57.23	27.43
योग	406075.73	260247.70	271684.87	64.09	104.39	66.90

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 5.20 : समेकित बाल विकास योजना का जिला स्तर पर विहंगावलोकन

जिला	आइसीडीएस परियोजनाओं की सं.		स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की स.	जिला	आइसीडीएस परियोजनाओं की सं.		स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की स.
	स्वीकृत	कार्यशील			स्वीकृत	कार्यशील	
पटना	23	23	3937	दरभंगा	19	19	3213
नालंदा	20	20	2319	समस्तीपुर	20	21	3438
रोहतास	20	20	2309	मधुबनी	21	21	3569
कैमूर	11	11	1286	सहरसा	11	10	1464
बक्सर	10	10	1403	सुपौल	11	11	1743
भोजपुर	15	15	2137	मधेपुरा	13	13	1524
गया	25	25	3334	पूर्णिया	15	15	2482
औरंगाबाद	11	11	2004	अररिया	9	9	2125
जहानाबाद	7	7	925	किशनगंज	7	7	1295
अरवल	5	5	587	कटिहार	16	15	2325
नवादा	14	14	1810	भागलपुर	17	17	2215
सारण	21	21	3187	बांका	11	11	1609
सीवान	19	19	2618	मुंगेर	10	10	1074
गोपालगंज	14	14	2152	लखीसराय	6	6	802
मुजफ्फरपुर	17	17	3701	बेगूसराय	18	18	2308
सीमामढ़ी	18	18	2642	जमुई	10	10	1397
शिवहर	5	5	513	खगड़िया	7	7	1276
पश्चिम चंपारण	17	17	2980	शेखपुरा	6	6	526
पूर्व चंपारण	28	29	3896	**योग**	**544**	**544**	**80797**
वैशाली	17	17	2672				

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

जलापूर्ति और स्वच्छता लोक स्वास्थ्य के अभिन्न अंग हैं। राज्य और केंद्रीय योजनाओं के जरिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु बसाहटों के आच्छादन में वर्ष 2006-07 से अक्तूबर 2010 तक की जिलावार वार्षिक प्रगति परिशिष्ट 15 में प्रस्तुत है। आरेख 5.5 में चापाकल लगाने के मामले में 2007-08 और 2008-09 में जिला स्तर पर मौजूद अंतरों को दर्शाया गया है।

आरेख 5.5 : केंद्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत चापाकलों की स्थापना

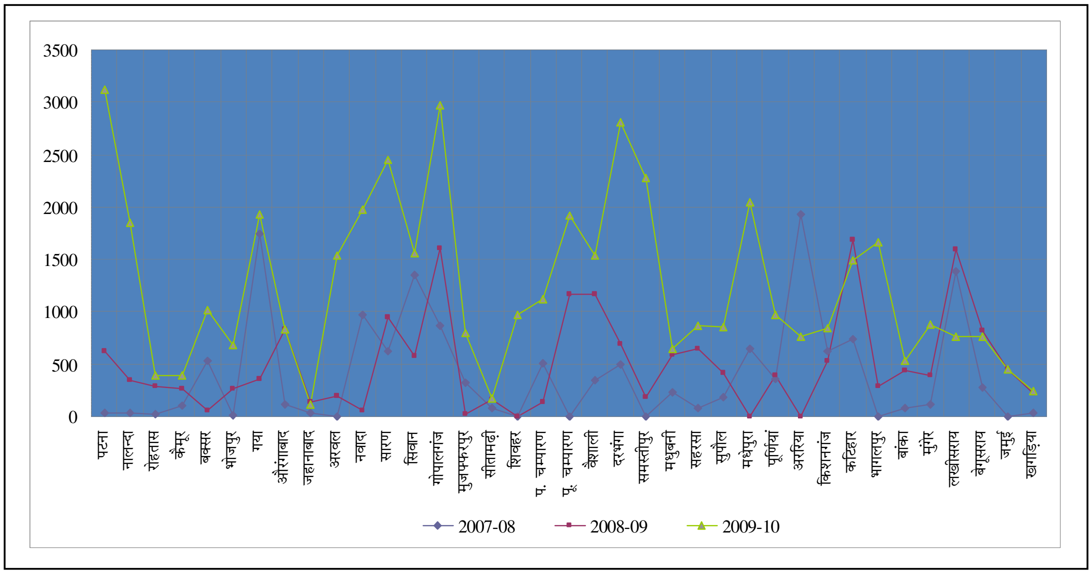

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के जरिए आच्छादन 2007-08 में लक्ष्य का 25 प्रतिशत था जो 2009-10 में बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया है। पुराने चापाकलों को बदलने के मामले में उपलब्धि 2008-09 में लक्ष्य का 25 प्रतिशत थी जो 2009-10 में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2009-10 में अनाच्छादित टोलों में स्वच्छता के आच्छादन विस्तार के लक्ष्य के बरअक्स उपलब्धि 2008-09 के 80 प्रतिशत से गिरकर 65 प्रतिशत रह गई। वित्तीय प्रगति में साल-दर-साल भिन्नता दिखती है; व्यय 2007-08 में परिव्यय का 92.4 प्रतिशत, 2008-09 में 32.5 प्रतिशत और 2009-10 में 71.6 प्रतिशत था (तालिका 5.21)।

तालिका 5.21 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु राज्य योजनागत योजनाओं में वित्तीय तथा भौतिक प्रगति

वित्तीय प्रगति				(लाख रु.)
वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू.10 तक)
परिव्यय	16027.85	42527.85	22700.00	27290.74
व्यय	14812.84	13801.8	16258.51	8186.70
व्यय का प्रतिशत	92.42	32.45	71.62	30.00

भौतिक प्रगति

योजनाएं	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (अक्तू. 10 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि (उपलब्धि का %)	लक्ष्य	उपलब्धि (उपलब्धि का %)	लक्ष्य	उपलब्धि (उपलब्धि का %)	लक्ष्य	उपलब्धि (उपलब्धि का %)
ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	80	20 (25%)	70	17 (24 %)	56	20 (36 %)	39	3 (8 %)
पुराने चापाकलों को बदलना	अनु.	अनु.	27238	6887 (25 %)	20351	12298 (60%)	8053	1589 (20%)
अनाच्छादित टोलों का आच्छादन	2000	7761	24579	19705 (80%)	40508	26285 (65%)	18749	4822 (26%)

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

5.3 श्रम, नियोजन और गरीबी

आरेख 5.6 क

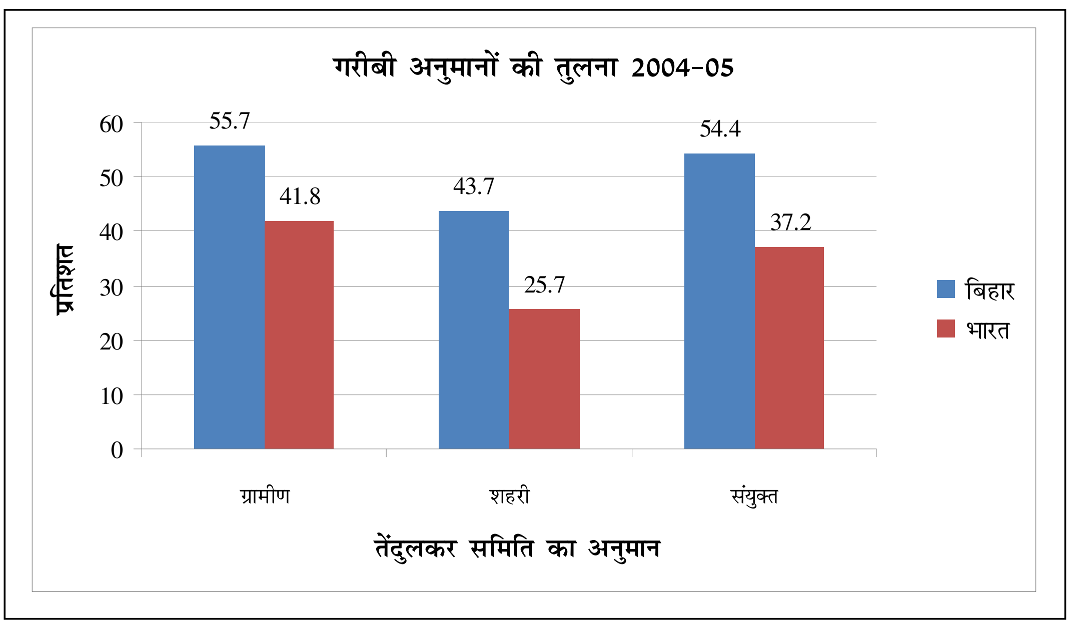

तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग के अनुमानों में प्रतिबिंबित होने वाली गरीबी की बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगातार उच्च उपस्थिति बनी हुई है। बिहार में ग्रामीण गरीबी 2004-05 में 55.7 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण भारत का औसत 41.8 प्रतिशत था। वहीं शहरी गरीबी 25.7 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में 43.7 प्रतिशत थी। बिहार की समग्र जनसंख्या के लिए गरीबी अनुपात 54.4 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 37.2 प्रतिशत। बिहार की संपूर्ण जनसंख्या के लिए गरीबी अनुपात 54.4 प्रतिशत था और राष्ट्रीय औसत 37.2 प्रतिशत (आरेख 5.6 क)। कुल शहरी बेरोजगारी 10 प्रतिशत थी जबकि ग्रामीण बेरोजगारी 6.8 प्रतिशत (आरेख 5.6ख)।

आरेख 5.6 ख

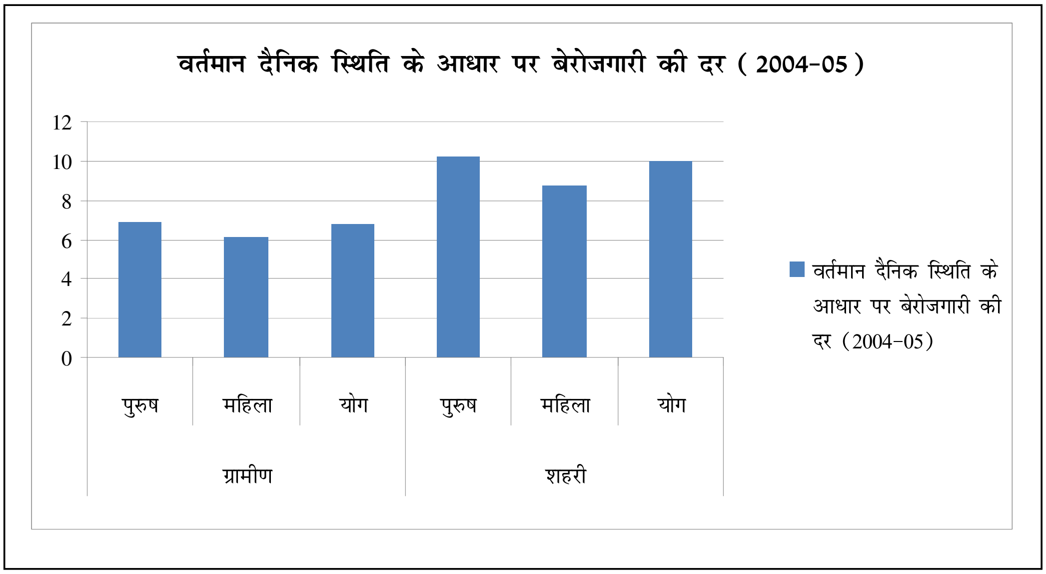

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 61वां चक्र

आरेख 5.6 ग

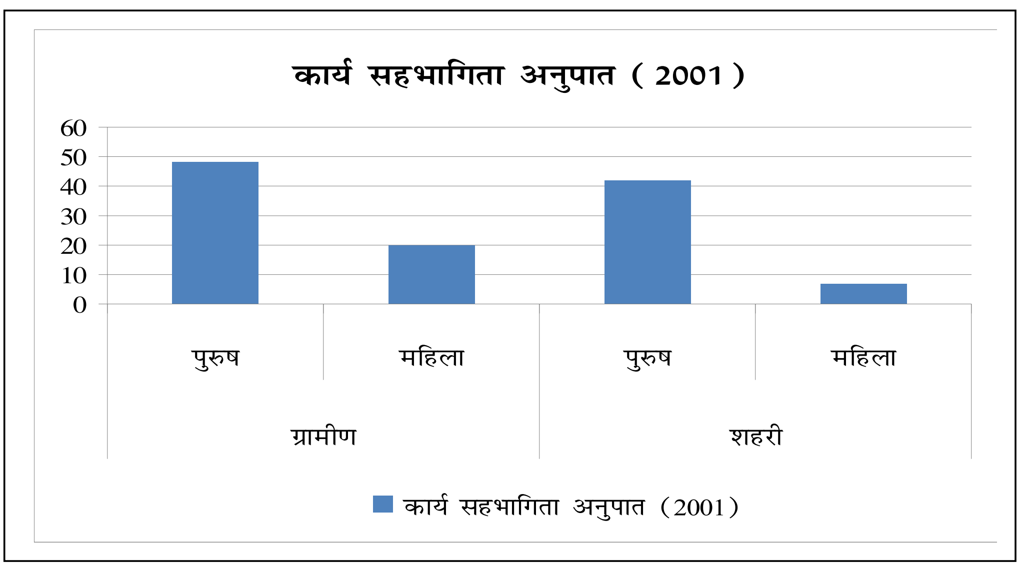

जनगणना 2001

बिहार में कार्य सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) 32.9 प्रतिशत है। 14 जिलों में यह 30 प्रतिशत से अधिक है। अनुसूचित जाति आबादी में कार्य सहभागिता दर 38.2 प्रतिशत है – 17 जिलों में तो 45 प्रतिशत से भी अधिक। अनुसूचित जनजाति आबादी में कार्य सहभागिता दर और भी अधिक – 45.2 प्रतिशत है। राज्य में कार्य सहभागिता दर में लैंगिक अंतराल अधिक है – महिला कार्य सहभागिता दर 18.4 प्रतिशत है और पुरुष कार्य सहभागिता दर 46.3 प्रतिशत। लैंगिक अंतराल अनुसूचित जातियों में कम है – महिला कार्य सहभागिता दर 28.2 प्रतिशत है और पुरुष कार्य सहभागिता दर 47.5 प्रतिशत; अनुसूचित जनजातियों में यह और भी कम है – क्रमशः 36.9 प्रतिशत और 52.9 प्रतिशत (परिशिष्ट 16)। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि बिहार में शहरी महिला कार्य सहभागिता दर 7.0 प्रतिशत है जबकि पूरे भारत के लिए यह आंकड़ा 9.4 प्रतिशत है। वर्ष 1991 और 2001 के बीच 38 में से 20 जिलों में ग्रामीण महिला कार्य सहभागिता दर वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक थी – जमुई में सर्वाधिक 20.3 प्रतिशत। आर्थिक रूप से असुरक्षित जिलों में कार्य सहभागिता दर में वृद्धि की व्याख्या का मुख्य कारक गरीबी और पुरुषों का पलायन है जहां अधिकांश महिलाएं कृषि श्रमिक हैं (आरेख 5.6 ख, ग और घ)।

आरेख 5.6 घ : क्षेत्र के आधार पर नियोजन

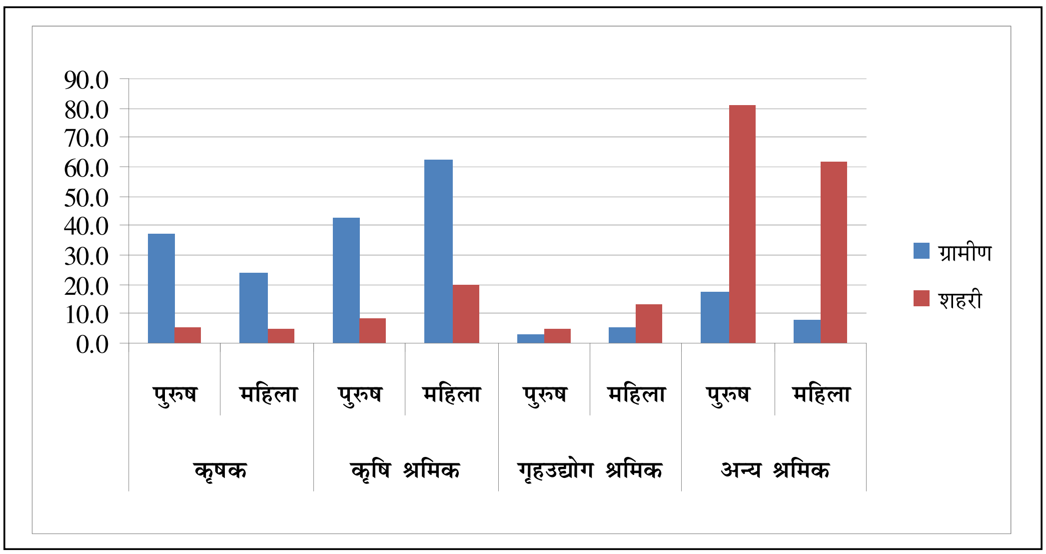

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 61वां चक्र

बिहार में जीविका देने, रोजगार के अवसर पैदा करने तथा गरीबों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के कार्यक्रमों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत है।

<u>स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ)</u>

यह स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के जरिए समुदायों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की एक योजना है। इसमें व्यक्तिगत स्वरोजगार योजनाओं का भी एक घटक है जिसे चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1,58,061 व्यक्तियों को सहायता दी गई थी। लगभग 40 प्रतिशत लाभान्वित महिलाएं थीं और 62 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के। वर्ष 2009-10 में 6,090 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी इस योजना के जरिए सहायता दी गई थी जिनमें 32 प्रतिशत लाभान्वित महिलाएं थीं और 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के थे। वर्ष 2009-10 में इस योजना के

तहत 2,38,359 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था। इनमें से 38 प्रतिशत महिलाएं थीं और 66 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के। वर्ष 2010 में कुल 1,349 प्रशिक्षित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 43 प्रतिशत और 24 प्रतिशत थे (परिशिष्ट 17 क)।

वर्ष 2010-11 के पहले छः महीनों में कुल मिलाकर राशि का उपयोग 52.5 प्रतिशत था जिस मामले में जिलों के बीच काफी अंतर था। लखीसराय, जहानाबाद, शेखपुरा और खगड़िया जिलों में 30 प्रतिशत से भी कम राशि का उपयोग हुआ। दूसरी ओर, बेगूसराय, बक्सर, सहरसा और पटना में 70 प्रतिशत से भी अधिक राशि का उपयोग हुआ। पटना में राशि का उपयोग सर्वाधिक 90 प्रतिशत था जबकि सबसे कम 11 प्रतिशत लखीसराय में। सर्वाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण वैशाली में हुआ (3,712) और उसके बाद पटना (2,045) तथा सीवान (2,029) में। दूसरी ओर सबसे कम मात्र 37 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण लखीसराय में हुआ।

<u>इंदिरा आवास योजना</u>

इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य मुख्यतः अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे स्थित गैर-अजा/ अजजा ग्रामीण परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण/ उत्क्रमण में सहयोग देना है। इस योजना के तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को देना जरूरी है।

वर्ष 2009-10 में इस योजना के तहत 69.4 प्रतिशत राशि का उपयोग करके 59 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल हुआ था। उस वर्ष पूरा हुए कुल मकानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 51 प्रतिशत था। यह 60 प्रतिशत के निर्धारित मानक से ही कम नहीं था, गत वर्ष से भी कम था। अल्पसंख्यकों का हिस्सा भी गिरकर 9.32 प्रतिशत रह गया था जो योजना के मानक से कम था (परिशिष्ट 19 क)। योजना के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर भी अंतर दिखता है। अररिया और मधेपुरा में 30 प्रतिशत से भी कम लक्ष्य हासिल हुए जबकि राशि का उपयोग क्रमशः 51 प्रतिशत और 75.5 प्रतिशत है। 9 जिलों में भौतिक उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम है। पांच जिलों - मधुबनी, गया, अररिया, अरवल और पूर्णिया में राशि का उपयोग 60 प्रतिशत से कम है। दूसरी छोर पर भागलपुर, बक्सर, पूर्व चंपारण और खगड़िया हैं जिनमें से प्रत्येक में 90 प्रतिशत से अभी अधिक राशि का उपयोग कर लिया गया था लेकिन भौतिक उपलब्धि 58 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच थी। रोहतास, नवादा और सुपौल में भौतिक उपलब्धियां लक्ष्य से अधिक थीं जबकि राशि का उपयोग 61 से 84 प्रतिशत के बीच था (परिशिष्ट 19 ख)।

<u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा)</u>

मनरेगा एक मांग आधारित गारंटीशुदा रोजगार कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य सभी रोजगार चाहने वालों को ग्राम स्तर पर 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार (विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त) उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मृदा एवं जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि विकास संबंधी कार्य, ग्रामीण संपर्क पथ संबंधी कार्य के साथ-साथ व्यक्तिगत बीपीएल/ अजा/ अजजा लाभार्थियों से संबंधित

आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए खाद्य सुरक्षा भी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कोई भी आवेदक 100 दिनों का रोजगार पाने का हकदार है।

इस कार्यक्रम के लिए 2009-10 में 124.1 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए जिनमें से 41.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार थे। 33.3 प्रतिशत जॉब-कार्डधारी परिवारों ने 2009-10 में रोजगार की मांग की थी और 33.26 प्रतिशत जॉब-कार्डधारी परिवारों को रोजगार मिला था। रोजगार पाने वाले 6.95 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया था (तालिका 5.22)।

रोजगार मांगने वाले परिवारों के अनुपात के मामले में जिला स्तर पर काफी अधिक भिन्नता है। पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सारण और सीवान में 20 प्रतिशत से भी कम जॉब-कार्डधारियों ने रोजगार की मांग की। बिहार में बड़े पैमाने पर गरीबी वाले जिले भी हैं। दूसरी ओर, सीतामढ़ी और शिवहर में 70 प्रतिशत से भी अधिक जॉब-कार्डधारियों ने रोजगार की मांग की (परिशिष्ट 18 क)।

इस कार्यक्रम के तहत 2009-10 में 41.27 लाख परिवारों के लिए 1,137.53 लाख कार्यदिवस का रोजगार सृजित हुआ है। इसमें से 30 प्रतिशत कार्यदिवस महिलाओं के लिए थे। वर्ष 2009-10 में लगभग 7 प्रतिशत परिवार इंदिरा आवास योजना अथवा भूमि सुधारों के मामले में भी लाभान्वित थे। इस कार्यक्रम में धन के उपयोग और रोजगार सृजन के मामले में जिलों के बीच काफी अधिक अंतर बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में धन के 95 प्रतिशत उपयोग के साथ सर्वाधिक 96.2 लाख कार्यदिवस रोजगार सृजित हुआ। पटना, सीतामढ़ी और पूर्व चंपारण में 60 से 75 प्रतिशत राशि का उपयोग करके 60 लाख से अधिक कार्यदिवस का रोजगार सृजित हुआ। दूसरी ओर 12 जिलों में धन के 60 से 90 प्रतिशत उपयोग के जरिए 4.46 से 17.51 लाख कार्यदिवस का ही रोजगार सृजित हुआ। वर्ष 2009-10 में पूरे राज्य के मामले में धन का उपयोग 75.8 प्रतिशत था (परिशिष्ट 18 ख)।

तालिका 5.22 : मनरेगा का विहंगावलोकन

संख्या	2009-10	2010-11 (सितंबर 10 तक)
जॉबकार्ड-धारी परिवार	12406518	4127311
जॉबकार्ड-धारी अजा परिवार	5202033	1137.53
रोजगार मांगने वाले परिवार	4131450	341.33
रोजगार पाने वाले परिवार	4127311	287757
100 दिन का रोजगार पाने वाले परिवार	287019	239670.91
कुल जॉबकार्ड-धारी परिवारों में अजा परिवार (%)	41.93	181773.58
जॉबकार्ड-धारी परिवारों में रोजगार मांगने वाले परिवार (%)	33.3	75.84
रोजगार पाने वाले परिवारों में 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवार (%)	6.95	30.01

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

<u>खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली</u>

आवश्यक वस्तु हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) राज्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उपाय रही है। लक्षित लाभार्थियों के लिए संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों के जरिए

लाइसेंसधारी दूकानदारों द्वारा चार आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी तथा किरासन तेल) का वितरण किया जाता है।

तालिका 5.23 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण का विहंगावलोकन

पीडीएस दूकानदारों की सार्वजनिक पृष्ठभूमि	पीडीएस दूकानों की संख्या	प्रतिशत हिस्सा
अनुसूचित जाति	8462	20.0
अनुसूचित जनजाति	324	0.8
पिछड़ी जाति	14182	33.6
अति पिछड़ी जाति	2967	7.0
मुसलमान	2576	6.1
महिला	2606	6.2
महिला स्वयं सहायता समूह	--	--
हेल्पर समिति	689	1.6
सहकारी समिति (पूर्व सैनिक)	3	0.0
विकलांग	75	0.2
सामान्य	10323	24.5
अन्य	--	--
योग	42207	100

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुल 42,207 दूकानदार हैं जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का सारांश तालिका 5.23 में प्रस्तुत है। इसका जिलावार विवरण परिशिष्ट 20 क में प्रस्तुत है। गत वर्ष दूकानों की कुल संख्या 42,726 थी जिससे 2001 से इनमें कमी का रुझान जारी रहने का पता चलता है (परिशिष्ट 20 क)।

राज्य सरकार द्वारा 2006 में कराए गए मौलिक सर्वेक्षण में संशोधन के आधार पर उपभोक्ताओं को गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), दो श्रेणियों में बांटा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तीन योजनाएं चलती हैं : (1) बीपीएल – बीपीएल परिवारों को प्रति माह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (25 कि.ग्रा. चावल और 10 कि.ग्रा. गेहूं) उपलब्ध कराने के लिए, (2) अंत्योदय – अत्यंत गरीब बीपीएल परिवारों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 21 कि.ग्रा. चावल तथा 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से 14 कि.ग्रा. गेहूं) उपलब्ध कराने के लिए, तथा (3) अन्नपूर्णा – गृहविहीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 कि.ग्रा. गेहूं और 4 कि.ग्रा. चावल मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए।

तालिका 5.24 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कामकाज (2001-02 से 2009-10)

(आंकड़े हजार टन में)

योजना		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अंत्योदय										
केंद्र सरकार द्वारा आबंटन	चावल	60	168	168	168	182.01	386.75	611.99	611.99	611.99
	गेहूं	90	252	252	252	273.01	275.33	407.99	408	408.00
राज्य सरकार द्वारा आबंटन	चावल	0	0	0	0	0	0	0	620.69	अनु.
	गेहूं	0	0	0	0	0	0	0	413.79	अनु.
पीडीएस दूकानदारों द्वारा उठाव	चावल	46.52	98.09	1570.07	155.11	166.59	300.42	514.01	461.53	543.17
	गेहूं	68.8	152.61	243.01	237.06	258.39	238.27	366.58	322.41	385.41
उठाव केंद्र सरकार द्वारा आबंटन के % में	चावल	77.54	58.38	93.5	92.33	92	78	83.99	75.41	88.75
	गेहूं	76.45	60.56	96.43	94.07	95	87	89.85	79.02	94.46
बीपीएल										
केंद्र सरकार द्वारा आबंटन	चावल	887.71	887.71	887.71	887.71	1001.02	1313.29	1198.19	1272.06	1272.06
	गेहूं	1331.47	1331.47	1331.47	1331.47	1148.94	622.98	479.28	447.74	447.74
राज्य सरकार द्वारा आबंटन	चावल	0	0	0	0	0	0	0	1532.78	अनु.
	गेहूं	0	0	0	0	0	0	0	968.6	अनु.
पीडीएस दूकानदारों द्वारा उठाव	चावल	66.16	45.11	59.64	132.29	147.51	184.42	479.64	470.27	741.56
	गेहूं	310.56	401.64	603.46	672.49	523.98	227.44	273.79	289.94	410.31
उठाव केंद्र सरकार द्वारा आबंटन के % में	चावल	7.45	5.08	6.71	14.9	15	14	40.03	36.97	58.30
	गेहूं	23.32	30.16	45.32	66.67	46	37	57.13	64.76	91.64
अन्नपूर्णा										
केंद्र सरकार द्वारा आबंटन	चावल	7.99	7.53	7.5	7.68	8.02	8.00	8.00	8.00	7.99
	गेहूं	12	11.31	11.26	10.92	12.03	12.00	12.00	12.00	11.99
राज्य सरकार द्वारा आबंटन	चावल	0	0	0	0	0	0	0	8	अनु.
	गेहूं	0	0	0	0	0	0	0	12	अनु.
पीडीएस दूकानदारों द्वारा उठाव	चावल	6.88	5.56	6.72	6.73	6.94	6.38	6.32	6.79	6.10
	गेहूं	10.1	8.43	10.27	10.06	10.66	9.62	9.61	10.45	9.15
उठाव केंद्र सरकार द्वारा आबंटन के % में	चावल	86.14	73.83	89.69	87.69	86.53	80	79.05	84.95	76..35
	गेहूं	84.14	74.6	91.19	92.13	88.63	80	80.14	87.16	76.31

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2007-08 तक बिहार में जन वितरण प्रणाली का आबंटन केंद्र सरकार पर पूरी तरह निर्भर था। वर्ष 2008-09 से राज्य सरकार ने भी जन वितरण प्रणाली की तीनों योजनाओं के तहत आबंटन करना शुरू किया

है। वर्ष 2001-02 से लेकर 10 वर्षों की अवधि में अंत्योदय में आवंटनों के प्रतिशत के बतौर उठाव 2005-06 में सर्वाधिक था जिसके बाद से 2009-10 तक चावल और गेहूं, दोनों के आबंटन में भारी गिरावट दिखी। इसके विपरीत, बीपीएल के लिए चावल और गेहूं का उठाव इस अवधि में काफी बढ़ा। अन्नपूर्णा के लिए उठाव 2001-02 से 2008-09 तक लगभग समरूप रहा लेकिन 20099-10 में उसमें तेज गिरावट दर्ज हुई (तालिका 5.24)।

वर्ष 2008-09 के लिए चावल और गेहूं के उठाव के प्रतिशत के जिलावार आंकड़े परिशिष्ट 20 ख में दर्ज हैं। जिलों के बीच और जिलों के अंदर, दोनों स्तर पर खाद्यान्नों के उठाव के मामले में तीनों योजनाओं के लिए एक ही खाद्यान्न हेतु काफी अंतर है। बीपीएल योजना के लिए बहुत कम उठाव वाले जिले मधुबनी, सारण, और भोजपुर हैं जहां चावल और गेहूं, दोनों का उठाव 20 प्रतिशत से भी कम रहा है। चावल के मामले में 20 प्रतिशत से कम उठाव मधुबनी, बांका, जमुई और दरभंगा जिलों में रहा है। अंत्योदय के लिए उठाव अधिक समरूप है। वर्ष 2009-10 में अन्नपूर्णा के लिए सीवान और मधेपुरा में उठाव हुआ ही नहीं है। नालंदा और गोपालगंज जिलों में अन्नपूर्णा के लिए चावल और गेहूं, दोनों का उठाव 2009-10 में 20 प्रतिशत से कम रहा था (परिशिष्ट 20 ख)।

5.4 सीमांत तबकों के लिए हस्तक्षेप

<u>अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति</u>

बिहार में 22 जातियां अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं जिनका राज्य की आबादी में 15.7 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं अनुसूचित जनजातियां बिहार की आबादी में 0.9 प्रतिशत हैं। वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नामक एक अलग विभाग गठित किया है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमुख हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं :

- विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफे
- 18,343 स्कूली छात्राओं के लिए पोशाकें
- 10,696 अजा बच्चों के लिए 51 तथा 2,512 अजजा बच्चों के लिए 15 आवासीय विद्यालयों के प्रावधान
- छात्रावास तथा पुस्तक बैंक के प्रावधान
- परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण सुविधा
- उत्पीड़न अधिनियम के तहत आच्छादित उत्पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता तथा मदद
- अनुसूचित जनजाति में 2003 में शामिल थारू जनजाति के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

अजा/ अजजा कल्याण हेतु कुल परिव्यय 2009-10 के 311.2 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 403.36 करोड़ रु. हो गया (तालिका 5.25)। राज्य में 2008-09 और 2009-10 के लिए अजा/ अजजा कल्याण में प्रमुख भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का जिला स्तरीय विहंगावलोकन परिशिष्ट 21 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.25 : अजा एवं अजजा कल्याण हेतु आबंटन का विहंगावलोकन

(लाख रु.)

मद	प्रमुख शीर्ष	बजट 2009-10			बजट 2010-11		
		योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
अजा एवं अजजा	2225	21398.00	8154.86	29552.86	27769.15	9533.57	37302.72
सचिवालय सेवाएं	2251	0.00	182.63	182.63	0.00	188.70	188.70
पूंजीगत परिव्यय	4225	1285.00	0.00	1285.00	2745.00	0.00	2745.00
सहकारी समितियों पर पूंजीगत परिव्यय	4425	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
योग		**22783.00**	**8337.49**	**31120.49**	**30614.15**	**9722.27**	**40336.42**

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

<u>महादलित</u>

बिहार महादलित विकास मिशन ने राज्य महादलित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनसूचित जाति की बीस सर्वाधिक वंचित जातियों के विकास के लिए अनेक लक्ष्य आधारित योजनाएं आरंभ की हैं :

- मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना के जरिए 2009-10 तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 8,42,537 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंग के बतौर महादलित परिवारों को महादलित विकास मिशन के सहयोग से मुफ्त शौचालय निर्माण की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के लिए मिशन के जरिए 7 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।
- पांच गैर सरकारी संगठनों के जरिए जनवरी 2010 से 13,530 शिक्षित महादलितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य सरकार महादलित विकास योजना के तहत गृहनिर्माण के लिए हर भूमिहीन महादलित परिवार को 3 डि. जमीन देने की व्यवस्था कर रही है।
- महादलितों के लिए राज्य सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं में महादलित आवास योजना, महादालित जलापूर्ति योजना, महादलित बस्ती संपर्क योजना, महादलित आंगनवाड़ी, महादलित शिशुशाला, विशेष महादलित विद्यालय या छात्रावास, मुख्यमंत्री नारी ज्योति योजना, धन्वंतरी चलंत आयुर्वेदिक चिकित्सा, चलंत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, सार्वजनिक भवन सह कार्यशाला निर्माण, महादलित स्वास्थ्य कार्ड योजना तथा मुख्यमंत्री जीवन-दृष्टि योजना शामिल हैं।

<u>महिला सशक्तीकरण</u>

919 लिंग अनुपात वाले बिहार में लैंगिक अंतराल में भेदभाव, सीमांतीकरण तथा उत्पीड़न के अनेक आयाम शामिल हैं। निस्संदेह लैंगिक अंतराल लैंगिक संबंधों में ही अंतर्निर्मित है जिस पर संतुलित सामाजिक विकास के लिहाज से काबू पाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार 2008-09 से अपना जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए जेंडर बजट का संक्षिप्त अवलोकन तालिका 5.26 क में प्रस्तुत है।

तालिका 5.26 क : जेंडर बजट का सारांश

(करोड़ रु.)

विवरण	2009-10	2010-11
महिलाओं के लिए श्रेणी-1 की योजनाएं (100% लाभार्थी)	1118.13	1650.46
महिलाओं के लिए श्रेणी-2 की योजनाएं (30% लाभार्थी)	2238.81	3008.11
महिलाओं के लिए कुल परिव्यय	3356.94	4658.57
संबंधित विभागों के लिए परिव्यय	20354.35	21652.72
महिला हेतु परिव्यय संबंधित विभागों के कुल परिव्यय के % में	16.49	21.51
राज्य बजट का कुल आकार	47446.34	53758.56
राज्य बजट में परिव्ययों का हिस्सा (%)	7.07	8.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	129433.35	168302.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा (%)	2.59	2.76

स्रोत : जेंडर बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच श्रेणी-2 की योजनाओं में परिव्ययों में भारी वृद्धि के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के बतौर जेंडर बजट में 6.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस पर अवश्य गौर करना चाहिए कि दोनों वर्षों के लिए श्रेणी-2 (वैसे बजट परिव्यय जिनमें 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हों) से संबंधित पूरे आंकड़ों की गणना यह मानकर की गई है कि सारी लिंग-निरपेक्ष कल्याणकारी योजनाओं में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। अभी श्रेणी-2 में सूचीबद्ध योजनाओं में महिलाओं के वास्तविक अनुपात के सत्यापन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है।

तालिका 5.26 ख दर्शाती है कि श्रेणी-2 के परिव्ययों में अधिक वृद्धि मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और पंचायती राज में है। दूसरी ओर योजना एवं राजस्व तथा भूमिसुधार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में परिव्यय कम हुआ दिखा है।

तालिका 5.26 क : जेंडर बजट का अवलोकन

(करोड़ रु.)

विभाग का नाम	2009-10 (पु.अ.)			2010-11 (ब.अ.)		
	कुल बजट परिव्यय	श्रेणी-1 का परिव्यय	श्रेणी-2 का परिव्यय	कुल बजट परिव्यय	श्रेणी-1 का परिव्यय	श्रेणी-2 का परिव्यय
समाज कल्याण	2167.64	661.78	182.97	2491.90	677.39	261.92
अजा एवं अजजा कल्याण	311.20	80.51	28.62	403.36	105.07	39.83
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1266.95	67.20		1129.91	73.06	
अल्पसंख्यक कल्याण	211.86	4.60	2.00	367.82	10.60	0.50
मानव संसाधन विकास	8731.19	969.58	98.38	9379.72	1425.44	246.40
स्वास्थ्य	1809.37	7.43	188.19	2099.92	10.52	263.98
ग्रामीण विकास	1400.39	129.00	601.68	1404.62	104.50	780.00
शहरी विकास एवं आवास	1764.44	218.25		1790.78	500.92	
पंचायती राज	1192.69	37.64		1465.69	40.85	
श्रम संसाधन	171.79	12.48	1.54	177.98	13.62	0.65
योजना एवं विकास	804.05	24.75		406.60	18.00	
पिछड़ा एवं अति पिछड़ी वर्ग कल्याण	103.28	16.32	14.75	101.94	28.15	5.18
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	590.11	0.00	50.00	432.49	0.00	52.01
योग	20524.96	2229.54	1168.13	21652.72	3008.11	1650.46

स्रोत : जेंडर बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.27 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं

(लाख रु.)

योजना	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (2007)	0.00	0.00	4879.65	6814.37	2092.00	6542.90
नारी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00	1500.48	2672.00	2007.00
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	194.60	969.00	3482.97	6000.00	6000.00
कन्या सुरक्षा योजना	0.00	0.00	200.00	2600.00	1200.00	4200.00
मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	1.81	0.29	3492.01	8.23	11452.49	13200.00
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	12.94	3588.92	25.27	0.00	0.00	9800.00

स्रोत : जेंडर बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक भेदभाव से निपटने हेतु राज्य सरकार के हस्तक्षेपों को तीन मुख्य शीर्षों के तहत समेटा जा सकता है : शिक्षा (बालिका साइकिल तथा पोशाक योजना), बाल रक्षा (कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना) तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना तथा नारी शक्ति योजना) (तालिका 5.27)।

महिला विकास निगम राज्य में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसने हर जिले में कार्यक्रम प्रबंधक का पद सृजित कर रखा है। सभी जिलों में हेल्पलाइन स्थापित करने तथा अल्पावास गृह बनाने के अलावा 2009-10 में इसने 71 नए प्रखंडों में अपने कार्यक्रमों का विस्तार किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भरी जिंदगी जीने के लिए महिलाओं का संवेदनीकरण और सशक्तीकरण करना तथा उन्हें सहायता देना है। कार्यक्रम में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण की योजनाएं शामिल हैं।

<u>आर्थिक सशक्तीकरण</u>

- वर्ष 2009-10 में बिहार के 27 जिलों के 176 प्रखंडों, 1,519 पंचायतों और 4,819 गांवों में 16,367 महिला स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया गया। इस प्रयास के जरिए 15.19 करोड़ रु. की बचत की गई है। जीविका निर्माण/ खाद्य सुरक्षा/ कौशल विकास/ रोजगार सृजन के लिए 61 महिला स्वयं सहायता समूहों को 535.8 लाख रु. प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, 52,095 विकास स्वयंसेवकों को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की रणनीति संचालित करने के लिहाज से सक्षम बनाया गया है।
- दरभंगा, गया, नालंदा, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में 310 लाभार्थियों (पिछड़े समुदायों की किशोरियों और वयस्क महिलाओं) को सेवा क्षेत्र के कंप्यूटर, गृह व्यवस्था, ब्यूटीशियन प्रशिक्षण और बिक्री प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। दूसरे चरण में 1,936 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के मकसद से सममुदाय आधारित खुदरा उद्यम शुरू किए गए हैं। अभी 534 स्वयं सहायता समूह इस प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं।
- 750 थारू परिवारों की महिलाओं को 66 स्वयं समूहों में संगठित किया गया है।

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चावल सघनीकरण सहकारी समितियों के जरिए 82,471 रु. आय होने से 2,654 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। शुद्ध आलू बीज प्रौद्योगिकी के जरिए हुई 14,729 रु. आय से 72 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
- 15 प्रखंडों में पट्टे पर ली गई 814 बीघा जमीन पर सामूहिक खेती शुरू की गई है।

सामाजिक सशक्तीकरण

- हेल्पलाइन और अल्पावासों गृहों के अलावा, बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा और जादू-टोना आदि मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से 11,564 नुक्कड़ नाटकों के जरिए 33 लाख लोगों से संपर्क किया गया है।
- सामाजिक पुनर्वास कोष के लिए जिला स्तर पर 95 लाख रु. वितरित किए गए हैं।
- विभिन्न माध्यमों के जरिए जेंडर संबंधी मुद्दों पर जागरूकता वृद्धि अभियान।

सांस्कृतिक सशक्तीकरण

- 6 जिलों के 20 महिला विद्यालयों में 'सपनों को चली छूने' कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी सह जेंडर मेला आयोजित किए गए हैं।
- जेंडर आधारित पारंपरिक विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सांस्कृतिक सर्वेक्षण की संकल्पना की जा रही है।
- बक्खो समुदाय की महिलाओं के क्षमता विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- नारी शक्ति उत्सव का आयोजन।

पंचायती राज संस्थाएं

पंचायती राज में महिलाओं के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व वाले बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को सामाजिक विकास और परिवर्तन के मुख्य वाहक के बतौर देखा गया है। तालिका 5.28 में बिहार की पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे का विहंगावलोकन किया गया है।

तालिका 5.28 : पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे का विहंगावलोकन

विवरण	संख्या
जिला परिषद	38
पंचायत समिति	531
ग्राम पंचायत	8463
ग्राम कचहरी	8463
ग्राम पंचायत सदस्य	115876
ग्राम पंचायतों के मुखिया	8463
पंचायत समिति सदस्य	11566
जिला परिषद सदस्य	1162
ग्राम कचहरी के सदस्य	115876
ग्राम पंचायत के सरपंच	8463
ग्राम पंचायत सचिव	8463
न्याय मित्र	8463
ग्राम कचहरी के सचिव	8463
जिला पंचायती राज अधिकारी	38
पंचायत राज अधिकारी	516

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

विभिन्न योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं का व्यय/ परिव्यय अनुपात 2009-10 में 80 और 100 प्रतिशत के बीच था। अपवाद सिर्फ कार्यबल की स्थापना था जिसके लिए अनुपात 29.9 प्रतिशत पर पिछड़ रहा था। पंचायती राज संस्थाओं के भवन के तहत विभिन्न घटकों के लिए अनुपात लगभग 92 प्रतिशत था जबकि प्रशासनिक प्रयासों पर व्यय का अनुपात 85 से 92 प्रतिशत के बीच था (तालिका 5.29)।

तालिका 5.29 : पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रगति का विहंगावलोकन (2009-10)

(लाख रु.)

योजना का नाम	परिव्यय	व्यय	व्यय का प्रतिशत
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत एकीकृत अनुदान	59516.36	49321.00	82.87
सीवान के लिए क्षमतावृद्धि तथा एकीकृत विकास अनुदान (राज्य निधि से)	1600.00	1598.00	99.88
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत क्षमतावृद्धि	3598.64	3566.14	99.10
पंचायती राज संस्था/ ग्राम कचहरी सदस्यों का प्रशिक्षण	259.48	259.48	100.00
जापान नीति एवं मानव संसाधन विकास	276.91	276.91	100.00
पंचायती राज संस्थाओं/ ग्राम कचहरियों के निर्वाचित सदस्यों के लिए भत्ते	8774.74	8498.84	96.86
ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	423.15	416.38	98.40
ग्राम कचहरियों का सुदृढ़ीकरण	423.15	418.73	98.96
पंचायतों के कार्यों और उपलब्धि के प्रति जागरूकता वृद्धि	18.80	18.25	97.07
कार्यबल की स्थापना	24.50	7.34	29.96
ग्राम कचहरी भवनों के लिए किराया	215.27	180.18	83.70
योग	**75131.00**	**64561.25**	**85.93**
गैर-योजना			
मुख्यालय की स्थापना	256.51	237.24	92.49
जिला पंचायत की स्थापना	11440.64	10618.32	92.81
प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	177.23	161.19	90.95
कर्मचारियों के वेतन के लिए जिला परिषदों को अनुदान	1100	936.96	85.18
न्यायमित्रों और ग्राम कचहरी सचिवों के लिए अनुदान	4519.44	4018.74	88.92
जिला परिषद को अनुरूपयोजी (मैचिंग) अनुदान	1073.6	1073.6	100.00
ग्राम पंचायत के लिपिक सह नाजिर के लिए मानदेय	2327.31	-	-
12वां वित्त आयोग अनुशंसित अनुदान	32484.37	32484.37	100.00
ग्रामीण सड़कों का अनुरक्षण/ निर्माण	200	-	-
योग	**53579.1**	**49530.42**	92.44
चुनाव मुख्यालय का स्थापना व्यय	145.71	138.24	94.87
जिला परिषद/ पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव पर व्यय	575.98	508.75	88.33
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	52.62	44.73	85.01

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग की पहलकदमियां

मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम : बिहार ग्रामीण अनुदान निधि के तहत आच्छादित सभी ग्राम पंचायतों में गलियों के पक्कीकरण तथा नालियों और आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु तय रकम में राज्य योजना परिव्यय से समान रकम जोड़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। इस कार्यक्रम में सीवान के ग्राम पंचायत भी शामिल हैं जो बिहार ग्रामीण अनुदान निधि के तहत आच्छादित नही हैं।

समेकित कार्य योजना : सात जनजातीय तथा पिछड़े जिलों - अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, जमुई, नवादा और रोहतास में बिहार ग्रामीण अनुदान निधि के तहत अधिसंरचना निर्माण तथा सेवा प्रदान के मकसद से यह कार्यक्रम 2010-11 में शुरू किया गया था। जिलों को 125 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

बिहार में 131 पिछड़ी जातियों का आबादी में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। पिछड़ी तथा अतिपिछड़ी जातियों के लिए बिहार में विभिन्न कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं :

- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वजीफे
- आवासीय विद्यालयों की स्थापना
- विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व वजीफे
- बालिका एवं बालक छात्रावासों का निर्माण
- पिछड़ी जाति विकास निगम हेतु हिस्सा पूंजी का प्रावधान
- तकनीकी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को वजीफे
- मेरिट उन्नयन योजना

पिछड़े तथा अति पिछड़े वर्गों के कल्याण का पैटर्न दर्शाता है कि अनुमोदित राशि के प्रतिशत के बतौर व्यय सामान्यत: काफी अधिक होता है (तालिका 5.30)। व्यय का विस्तृत अवलोकन परिशिष्ट 22 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.30 : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति (करोड़ रु.)

विवरण	2008-09	2009-10 (अक्तू. 09 तक)
कुल परिव्यय	6150.6	6742.0
कुल अनुमोदित राशि	6022.5	6742.0
कुल व्यय	4785.8	6684.0
व्यय अनुमोदित राशि के प्रतिशत में	79.5	99.1
व्यय कुल परिव्यय के प्रतिशत में	77.8	99.1

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

आरेख 5.7 क और ख में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग शिक्षा ऋण तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण संबंधी विहंगावलोकन प्रस्तुत है। शिक्षा ऋण संबंधी लाभान्वितों की संख्या में 2007-08 से गिरावट आ रही है।

आरेख 5.7 क

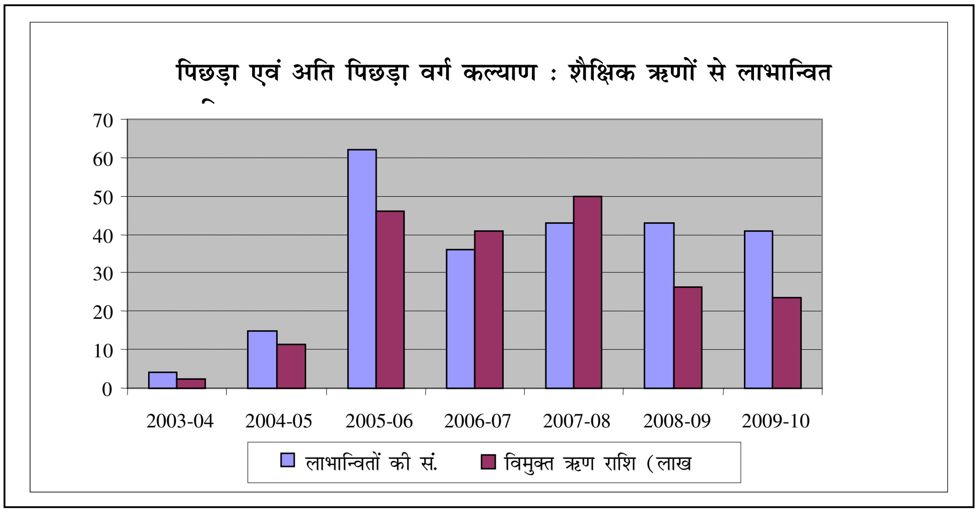

आरेख 5.7 ख

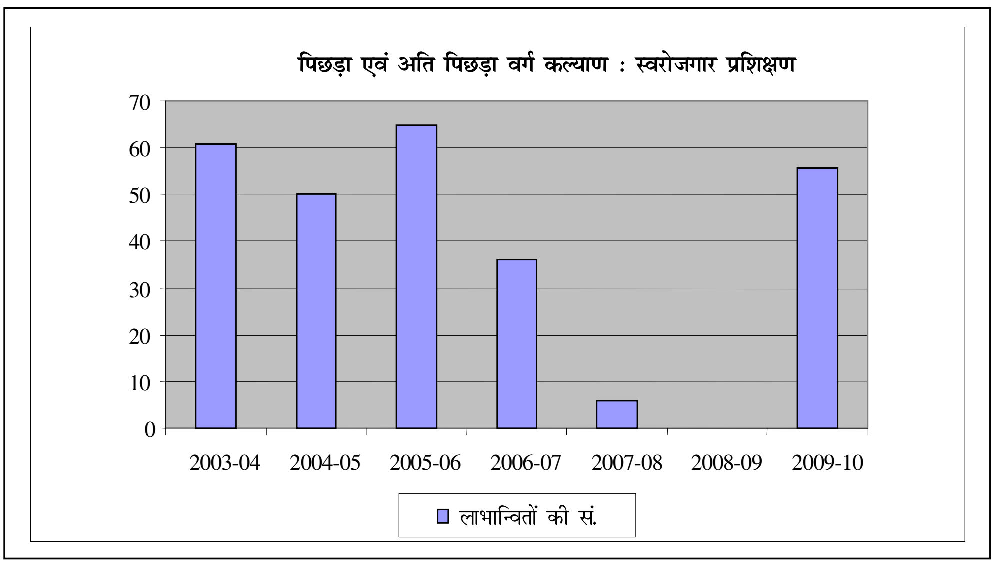

<u>अल्पसंख्यक</u>

बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 16.77 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.53 प्रतिशत मुसलमान, 0. 03 प्रतिशत ईसाई तथा 0.21 प्रतिशत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा झेली जाने वाली विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के लिहाज से राज्य सरकार ने उनकी उन्नति हेतु लक्ष्य आधारित कार्यक्रम के बतौर अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।

- राज्य के 14 जिलों में पटना में एक बालिका छात्रावास सहित 15 छात्रावासों का निर्माण 2009-10 में पूरा हो गया है।
- राज्य की उल्लेखनीय हस्तियों की स्मृति में भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की हिस्सा पूंजी के लिए 200 लाख रु. का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के लिए 2009-10 में 100 लाख रु. आबंटित किए गए।

- वर्ष 2009-10 में मुसलमान परित्यक्ताओं के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए वित्तीय सहायता हेतु 200 लाख रु. आबंटित किए गए।
- वर्ष 2009-10 में वक्फ की संपत्ति के विकास के लिए राज्य वक्फ बोर्ड को परिचक्रण निधि (रिवॉल्विंग फंड) हेतु 55 लाख रु. सहायता अनुदान का प्रावधान किया गया।
- वक्फ संपत्ति के रखरखाव और सुरक्षा के लिए 5 लाख रु. का प्रावधान किया गया।
- अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेधा सह गरीबी आधार पर छात्रवृत्ति के लिए 100 लाख रु. आबंटित किए गए और इस योजना से 2008-09 में 300 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के जरिए 2009 में 10.45 करोड़ रु. वितरित किए गए जिससे 4,011 लड़कियों सहित 10,354 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- गरीब परिवारों के कॉलेज पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रवृत्ति के बतौर 63 लाख रु. अनुमोदित किए गए।

तालिका 5.31 में 2009-10 में राज्य योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण की वित्तीय प्रगति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.31 : अल्पसंख्यक कल्याण हेतु योजना का वित्तीय अवलोकन (2009-10)

(लाख रु.)

राज्य योजना	बजट की राशि	स्वीकृत राशि	व्यय	उपलब्धि का प्रतिशत
बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण	900.0	900.0	900.0	100
हज भवन आदि का निर्माण	459.0	459.0	459.0	100
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम हेतु राज्य की हिस्सा पूंजी का प्रावधान	200.0	200.0	200.0	100
राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम हेतु हिस्सा पूंजी	0.0	0.0	0.0	0
वक्फ की संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण तथा सर्वेक्षण	40.0	40.0	40.0	100
मेधा सह गरीबी आधार पर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	100.0	100.0	100.0	100
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	1363.8	1299.9	1299.9	100
कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए राज्य सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु छात्रवृत्ति	100.0	100.0	100.0	100
वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव और सुरक्षा	0.0	0.0	0.0	0
राज्य वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान	55.0	55.0	55.0	100
परित्यक्ताओं को सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए वित्तीय सहायता	200.0	200.0	200.0	100
अल्पसंख्यक कारीगरों आदि को प्रशिक्षण	100.0	100.0	100.0	100
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का राज्यांश (केंद्रीय योजना)	166.1	166.1	166.1	100
बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का राज्यांश (केंद्र प्रायोजित योजना)	1335.4	1335.4	1335.4	100
योग	5019.4	4955.5	4955.5	100

<u>श्रमिक एवं सामाजिक कल्याण</u>

श्रमिक

बिहार की श्रमशक्ति कृषि, असंगठित उद्यम तथा सेवा क्षेत्र में संकेंद्रित हैं। बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी बिहार के सामाजिक विकास के लिए चुनौती बने हुए हैं। राज्य में श्रम संसाधन के सुधार हेतु ली गई पहलकदमियों का विहंगावलोकन इस प्रकार है :

- शिक्षित बेरोजगार युवा-युवतियों को प्रशिक्षण देने के मकसद से 36 सामान्य तथा 9 महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) 34 पेशों (ट्रेड) में नियमित आधार पर प्रशिक्षण चला रहे हैं। वर्ष 2008 और 2009 के बीच इन संस्थानों में नामांकन 7,943 से घटकर 7,699 हो गया था किंतु 2010 में बढ़कर 10,000 हो गया है। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए तमाम सुविधाविहीन जिलों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है।
- 23 नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल (एमईएस) कार्यक्रम शुरू किया गया।
- 350 से भी अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- घरेलू वित्तपोषण के तहत 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्क्रमण हेतु चुना गया।
- 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत उत्क्रमण हेतु चुना गया।
- केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता के अंतर्गत 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र हेतु चुना गया।
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 212 व्यावसायिक अनुदेशकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई जिनमें से 201 अनुदेशकों को विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्त किया गया।
- साथ ही 290 व्यावसायिक अनुदेशकों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआइ) योजना के तहत बिहार में 19 ईएसआइ अस्पताल मौजूद हैं।
- आम आदमी बीमा योजना के तहत 2008-09 में 3.80 लाख व्यक्तियों का बीमा कराया गया। वर्ष 2009-10 में 14 लाख नए लोगों का बीमा कराया गया।
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत 2009-10 में 21,255 अधिष्ठानों की जांच की गई जिनमें से 2,019 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
- बाल श्रम कार्यक्रम के तहत 1,728 सरकारी विद्यालयों और 1,456 एनसीएलपी विद्यालयों के जरिए 80,788 बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया।
- औद्योगिक श्रमिक विवाद अधिनियम (2009-10) के तहत
  क) मध्यस्थता (कंसिलिएशन) के कुल लंबित मामले : 4,551
  ख) 2009-10 में श्रम न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों में भेजे गए कुल संदर्भ : 263
  ग) 2009-10 में सुलझाए गए मामले : 456
  घ) वर्ष के अंत तक मध्यस्थता के कुल लंबित मामले : 4,358

श्रम संसाधनों पर राज्य में कुल योजना परिव्यय तथा व्यय का सारांश तालिका 5.32 क में प्रस्तुत है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना निबंधित इकाइयों के कर्मचारियों के लिए एक समेकित सामाजिक सुरक्षा प्रावधान है। योजना

के तहत लाभान्वितों की संख्या 2007-08 से 52,409 ही है जबकि चिकित्साप्राप्त बीमित व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है (तालिका 5.32 ख)।

तालिका 5.32 क : श्रम संसाधनों पर योजना परिव्यय तथा व्यय का अवलोकन

(लाख रु.)

वर्ष	परिव्यय	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2008-09	3058.21	3017.30	98.66
2009-10	7674.60	6390.00	83.26
2010-11 (दिसंबर 10 तक)	7900.36	2846.36	36.03

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.32 ख : श्रम संसाधनों पर व्यय का अवलोकन

वर्ष	बीमित व्यक्तियों की सं.	योजना के तहत चिकित्सित बीमित लाभार्थी	योजना के तहत चिकित्सित बीमित लाभार्थियों के परिजन
2006-07	42562	51073	63074
2007-08	52409	55983	50743
2008-09	52409	42076	59762
2010-11 (दिसंबर 10 तक)	अनु.	37078	58762

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

समाज कल्याण

समाज कल्याण का परिव्यय 2010-11 में 1,775.57 करोड़ रु. था। समाज कल्याण के व्यय में 52 प्रतिशत का अकेले सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा का था जिसके बाद बाल विकास (34.4 प्रतिशत) और महिला सशक्तीकरण (12.7 प्रतिशत) का हिस्सा था (तालिका 5.33)। तालिका में यह बात भी नजर आती है कि नवंबर 2010 तक परिव्यय का 86.8 प्रतिशत खर्च कर लिया गया था।

तालिका 5.33 : समाज कल्याण में वित्तीय प्रगति का विहंगावलोकन

(लाख रु.)

	बजट	परिव्यय	व्यय	व्यय परिव्यय के प्रतिशत में	व्यय बजट के प्रतिशत में	कुल व्यय में प्रतिशत हिस्सा
महिला सशक्तीकरण	21042.01	25599.85	19792.01	94.1	77.3	12.7
बाल विकास	73764.39	69206.55	53472.37	72.5	77.3	34.4
किशोर न्याय	350.00	350.00	87.11	24.9	24.9	0.1
विकलांगता	2005.28	1455.28	1299.28	64.8	89.3	0.8
सामाजिक सुरक्षा	81930.60	80945.32	80825.60	98.7	99.9	52.0
कुल योग	**179092.28**	**177557.00**	**155476.37**	86.8	87.6	100

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

भूमि

बिहार की अधिकांश सामाजिक समस्याएं इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन – भूमि और आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु इस संसाधन के अधिकाधिक उपयोग संबंधी ऐतिहासिक अवरोधों के साथ नथी–गुथीं हैं। नीचे दिए गए आरेख 5.6 क से छ तक में प्रस्तुत आंकड़े भूमि के राजस्व, पुनर्वितरण तथा बंदोबस्ती से संबंधित मुद्दों के विविध पक्षों पर राज्य सरकार की पहलकदमियों का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

आरेख 5.8 क : बासगीत जमीन

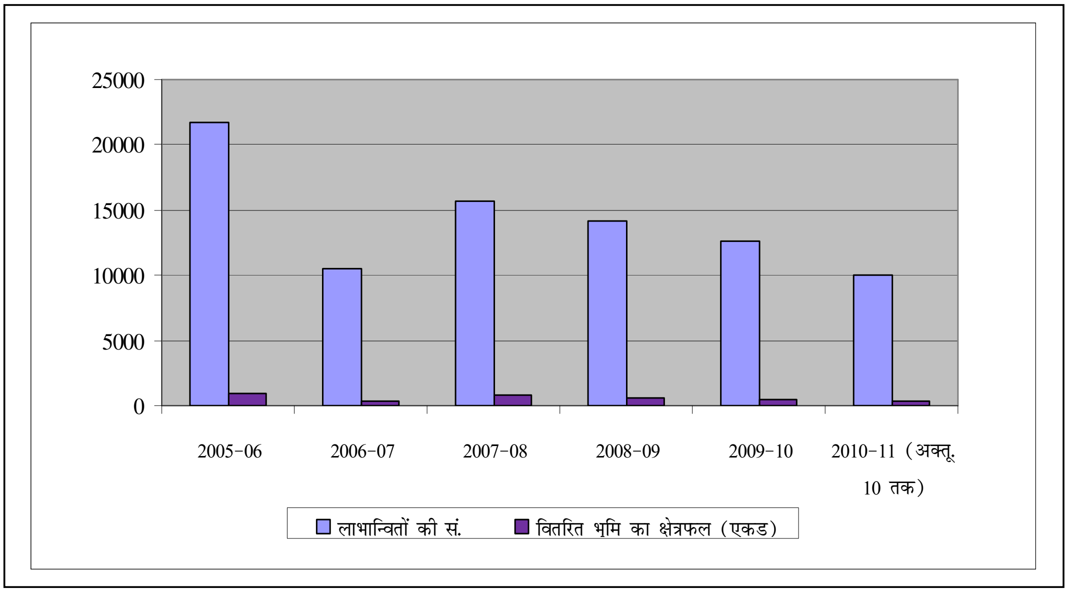

आरेख 5.6 ख : भूमि राजस्व संग्रहण

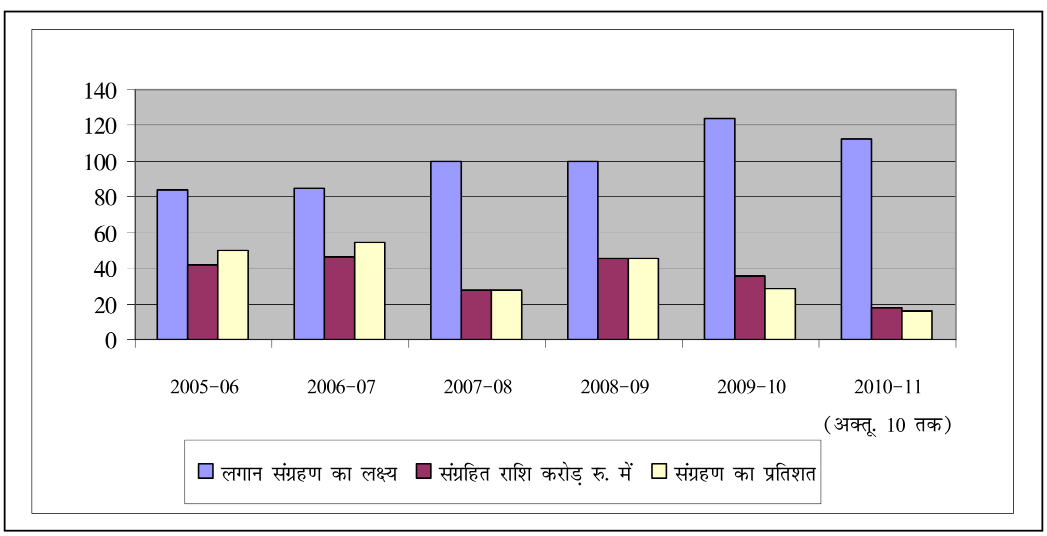

आरेख 5.8 ग : भूदान

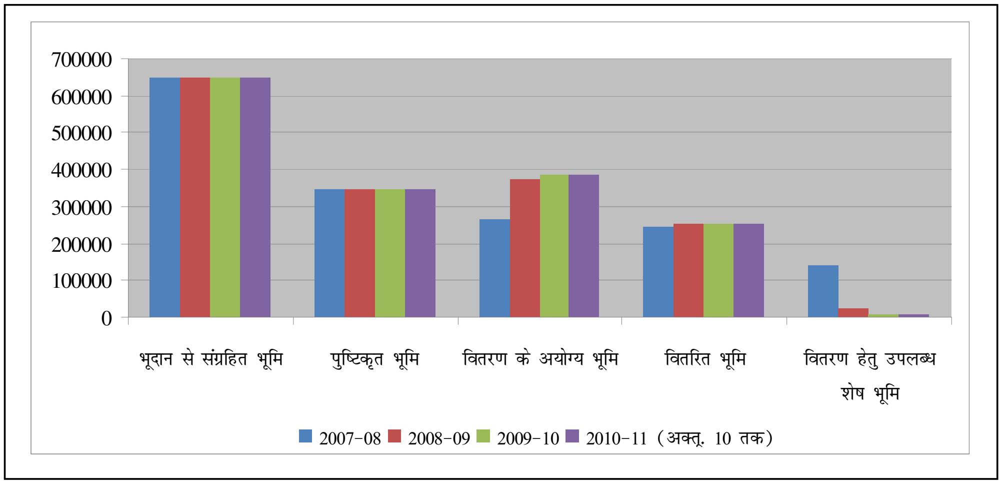

आरेख 5.8 घ : सरकारी जमीन की बंदोबस्ती

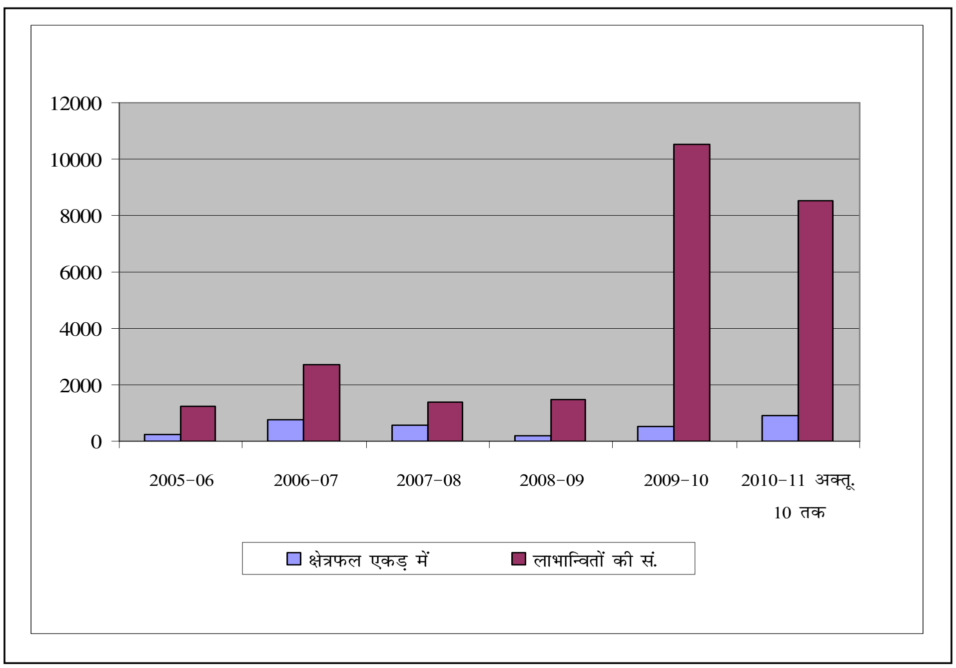

आरेख 5.8 च : सैरातों की बंदाबस्ती

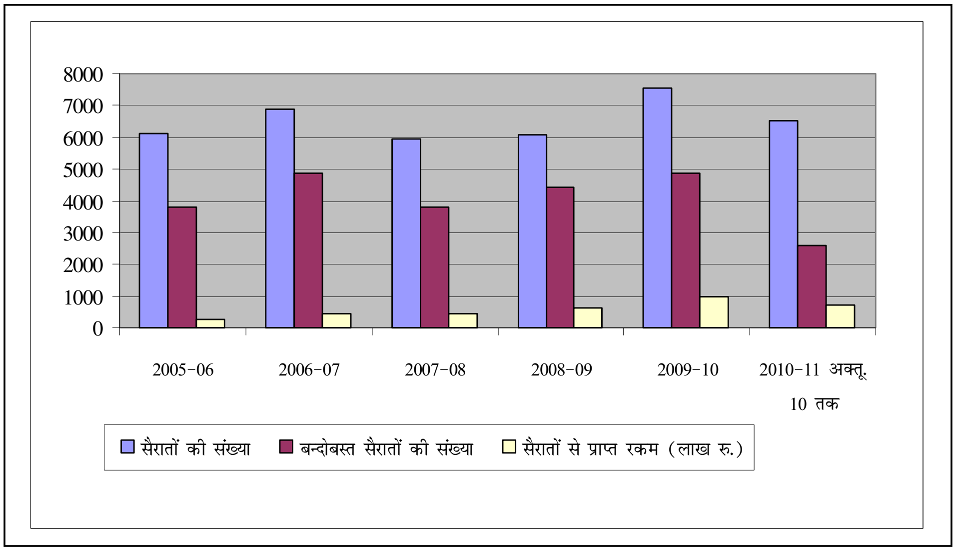

आरेख 5.8 छ : दाखिलखारिज

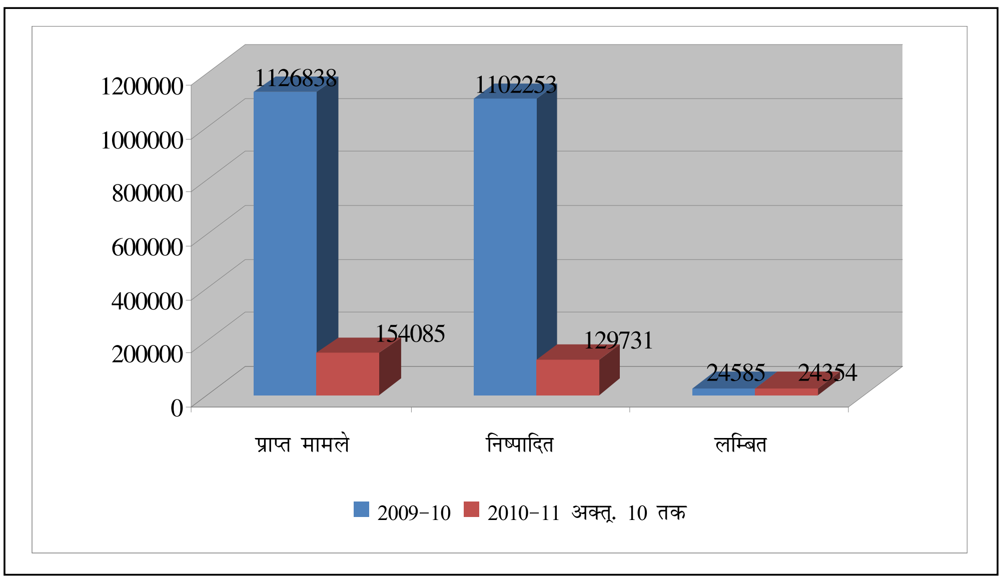

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

बिहार के सभी जिलों में गत पांच वित्त वर्षों के दौरान राजस्व के लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उगाही का प्रतिशत परिशिष्ट 23 में प्रस्तुत है। राजस्व की उगाही 2008-09 में 51.6 प्रतिशत थी जो 2009-10 में गिरकर 28.5 प्रतिशत हो गई है।

परिशिष्ट 24 में 2008-09 में विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों के बीच गैरमजरुआ जमीन की बंदोबस्ती और वितरण का जिलावार ब्योरा प्रस्तुत है। वर्ष 2008-09 में कुल मिलाकर 203.88 एकड़ जमीन का वितरण किया गया। भूमि पुनर्वितरण का समुदाय/ श्रेणी-वार ब्योरा परिशिष्ट 25 में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट 1 : बिहार में जिलावार साक्षरता दरें (2001)

जिला	साक्षरता दर प्रतिशत में											
	सभी समुदाय			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अल्पसंख्यक		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
पटना (ग्रामीण)	64.5	36.6	51.4	43.8	17.2	31.3	17.1	12.3	15.7	69.9	52.7	61.7
पटना (शहरी)	84.7	70.2	78.1	68.6	46	58.3	89.2	76.2	83.4	77.7	67.2	72.8
नालंदा	66.4	38.6	53.2	42	15.4	29.4	39.3	18.2	29.8	66.3	48.6	63.5
रोहतास	75.3	45.7	61.3	57	23.7	41.3	42.1	16.2	30	35.4	15.6	62.1
कैमूर	69.7	38.8	55.1	56.6	22.2	40.5	54.7	20.4	38.6	35.3	17.6	58.6
बक्सर	71.9	39.9	56.8	55.6	17.6	37.9	58.6	27.6	44.6	71.5	43.7	58.3
भोजपुर	74.3	41.8	59	55.3	20.7	39.1	63.4	27.2	46.7	74.1	50.2	62.6
गया	63.3	36.7	50.4	36.8	15	26.3	60.5	36.8	49.1	64.6	37.7	63.7
औरंगाबाद	71.1	41.9	57	49.9	20.3	35.7	61.3	36.2	49.7	77.3	59.6	68.5
जहानाबाद	70.1	39.4	55.3	46.5	17.4	32.6	46	16.6	32.4	72.1	43.8	63.3
नवादा	60.6	32.2	46.8	32.9	11.1	22.4	27.5	12.7	20.5	53.7	32.1	57.7
सारण	67.3	35.8	51.8	48.8	17.5	33.6	64.6	31.7	48.5	56.2	36.6	51
सीवान	67.3	36.9	51.6	51.3	20.3	35.6	60	28.7	44	41.7	23.4	55.1
गोपालगंज	63	32.2	47.5	46.7	17.3	32.1	53	23.8	37.8	58.2	31.7	50.8
मुजफ्फरपुर	59.1	35.8	48	39	17.9	28.9	63.7	36.2	50.4	69.8	56.8	47
शिवहर	45.3	23.9	35.3	24.4	8.3	16.9	60	16.7	38.8	71.1	54.5	31.3
पश्चिम चंपारण	51.1	25.2	38.9	33.1	10.3	22.3	35.2	12.1	24.1	64.3	43.5	43.4
पूर्वी चंपारण	49.3	24.3	37.5	30.3	9.7	20.6	48.9	18.1	34.3	72.4	54.7	38.1
वैशाली	63.2	36.6	50.5	40.8	16.8	29.4	37.4	21.8	29.9	44.6	18.9	54
दरभंगा	56.7	30.8	44.3	35.5	12.8	24.7	58.1	38.5	49.5	55.4	36.1	46
सीतामढ़ी	49.4	26.1	38.5	31.8	11.1	22.1	42.8	18.1	31.4	38.4	23.7	32.9
मधुबनी	56.8	26.2	42	33.8	9.7	22.2	48.1	22.3	35.8	66.8	51	35.1
सहरसा	51.7	25.3	39.1	27.4	8.9	18.5	34.4	13.9	24.5	73.2	49.8	37.3
सुपौल	52.4	20.8	37.3	30.8	7.5	19.6	41.1	12	26.9	67.8	43	32.2
मधेपुरा	48.8	22.1	36.1	25.9	7.7	17.1	47.5	19.8	33.6	46.8	23	26.8
पूर्णिया	45.6	23.4	35.1	26.6	9.7	18.5	36.3	11.9	24.5	48.5	26.8	25.9
अररिया	46.4	22.4	35	27.6	9.4	18.9	33.1	10.1	21.9	36.6	17.8	27.6
किशनगंज	42.7	18.6	31.1	40	15.5	28.2	22.6	7.5	15.3	54.6	35.8	27
कटिहार	45.3	23.8	35.1	36.5	15.2	26.3	35.3	12.5	24.2	44.8	27.2	26.8
भागलपुर	59.2	38.1	49.5	44.7	20.7	33.7	48.5	24.1	37.2	52.6	35.9	44.7
समस्तीपुर	57.6	31.7	45.1	35.7	13.6	25.1	17.1	46.1	22	47.6	26.3	46.6
बांका	55.3	28.7	42.7	39.7	14.1	27.6	33.3	10.5	22.2	49.2	24.4	37.4
मुंगेर	69.9	47.4	59.5	54.1	29.3	42.6	52	21.8	37.3	56.4	37.3	59.5
लखीसराय	60.7	34	48	37.8	14.8	26.8	20.2	4.9	12.9	37	15.8	45.5
बेगूसराय	59.1	35.6	48	42.8	18.8	31.4	87	68.9	78.6	52.4	33.4	43.3
जमुई	57.1	26.3	42.4	35.4	12.8	24.5	39.5	13	26.7	72.1	53.9	45.5
खगड़िया	51.8	29.3	41.3	33.6	13.6	24.2	58.2	31.2	46.7	37.7	15.7	36.6
शेखपुरा	61.9	33.9	48.6	36.3	12.7	25.2	59.2	29.8	45.6	64.9	37.3	63.1
योग	**59.7**	**33.1**	**47**	**40.2**	**15.6**	**28.5**	**39.8**	**15.5**	**28.2**	**51.8**	**31.4**	**41.9**

स्रोत : 2001 की जनगणना

परिशिष्ट 2 क : प्रति दस हजार जनसंख्या पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय (2009)

जिला	प्राथमिक विद्यालय	मध्य विद्यालय
पटना	4	2
नालंदा	4	2
रोहतास	5	2
कैमूर	6	2
बक्सर	5	2
भोजपुर	4	3
गया	5	3
औरंगाबाद	5	3
जहानाबाद	5	3
अरवल	5	3
नवादा	5	2
सारण	4	2
सीवान	4	3
गोपालगंज	4	2
मुजफ्फरपुर	5	2
सीतामढ़ी	4	3
शिवहर	4	1
पश्चिम चंपारण	4	2
पूर्वी चंपारण	6	2
वैशाली	4	3
दरभंगा	4	1
समस्तीपुर	4	2
मधुबनी	5	2
सहरसा	5	2
सुपौल	6	2
मधेपुरा	8	5
पूर्णिया	4	2
अररिया	5	1
किशनगंज	6	3
कटिहार	5	1
भागलपुर	4	3
बांका	6	4
मुंगेर	4	3
लखीसराय	5	2
बेगूसराय	3	1
जमुई	9	1
खगड़िया	3	3
शेखपुरा	4	3

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 2 ख : प्रति दस लाख जनसंख्या पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय (2009)

जिले	माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय
पटना	40	27
नालंदा	23	9
रोहतास	21	10
कैमूर	13	3
बक्सर	17	3
भोजपुर	26	6
गया	10	26
औरंगाबाद	15	6
जहानाबाद	4	9
अरवल	3	8
नवादा	10	13
सारण	28	8
सीवान	14	9
गोपालगंज	12	4
मुजफ्फरपुर	23	9
सीतामढ़ी	6	14
शिवहर	3	1
पश्चिम चंपारण	14	3
पूर्वी चंपारण	23	8
वैशाली	4	20
दरभंगा	16	8
समस्तीपुर	6	23
मधुबनी	7	28
सहरसा	2	8
सुपौल	9	3
मधेपुरा	15	6
पूर्णिया	9	5
अररिया	14	2
किशनगंज	7	2
कटिहार	10	3
भागलपुर	21	5
बांका	13	1
मुंगेर	15	6
लखीसराय	1	9
बेगूसराय	16	6
जमुई	12	3
खगड़िया	9	2
शेखपुरा	6	1

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 3 : जिला स्तर पर नामांकन (2006-07)

जिला	2006-07								
	सभी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	555109	137617	692726	115050	17374	132424	1209	309	1518
नालंदा	368569	98536	467105	78855	16330	95185	1612	436	2048
रोहतास	318133	103915	422048	70881	16020	86901	4162	707	4869
कैमूर	235704	67504	303208	53644	13266	66910	6635	806	7441
बक्सर	219882	66050	285932	41426	10814	52240	0	0	0
भोजपुर	462756	110813	573569	112967	23272	136239	501	16	517
गया	533684	100177	633861	182897	22362	205259	1824	144	1968
औरंगाबाद	308789	81808	390597	78338	13959	92297	2200	709	2909
जहानाबाद	215808	55172	270980	44024	7651	51675	357	0	357
नवादा	241003	39419	280422	60983	5783	66766	1041	133	1174
सारण	457116	115964	573080	62372	11949	74321	1202	466	1668
सीवान	381068	109171	490239	48669	10742	59411	348	192	540
गोपालगंज	320466	72303	392769	46850	8996	55846	772	827	1599
मुजफ्फरपुर	640827	130348	771175	97825	14962	112787	429	57	486
सीतामढ़ी	360064	61963	422027	48205	5164	53369	328	155	483
शिवहर	72744	10001	82745	11875	884	12759	293	3	296
पश्चिम चंपारण	426473	75961	502434	59641	7802	67443	26411	3628	30039
पूर्वी चंपारण	563602	104218	667820	73541	9719	83260	1198	135	1333
वैशाली	428311	92351	520662	94846	12653	107499	489	58	547
दरभंगा	424538	87489	512027	66113	8367	74480	3016	575	3591
समस्तीपुर	648690	115609	764299	148023	20512	168535	7591	480	8071
मधुबनी	554057	123964	678021	77555	10889	88444	1526	81	1607
सहरसा	220160	42487	262647	27130	3215	30345	641	108	749
सुपौल	249616	43982	293598	39396	4165	43561	1377	302	1679
मधेपुरा	253369	45129	298498	64771	8524	73295	1441	260	1701
पूर्णिया	456595	57038	513633	59778	6029	65807	31851	3442	35293
अररिया	408060	36586	444646	65796	5892	71688	59130	5805	64935
किशनगंज	157648	24231	181879	14172	1884	16056	6608	583	7191
कटिहार	352796	57535	410331	56297	9312	65609	28880	3464	32344
भागलपुर	352016	45115	397131	31073	3801	34874	9280	1181	10461
बांका	223117	37597	260714	21739	3180	24919	9155	874	10029
मुंगेर	164189	39723	203912	21580	4609	26189	3608	508	4116
लखीसराय	109686	27283	136969	16340	2452	18792	710	15	725
बेगूसराय	405328	65635	470963	52251	5703	57954	1278	198	1476
जमुई	194143	33773	227916	29723	4120	33843	8677	433	9110
खगड़िया	176828	33318	210146	24425	3075	27500	1953	546	2499
शेखपुरा	66173	12533	78706	13040	1539	14579	448	30	478
योग	**12527117**	**2562318**	**15089435**	**2212091**	**336970**	**2549061**	**228181**	**27666**	**255847**

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 3 (जारी) : जिला स्तर पर नामांकन (2007-08)

जिलों के नाम	2007-08								
	सभी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	558606	125119	683725	121607	17127	138734	6894	1607	8501
नालंदा	336663	93979	430642	77095	14519	91614	4382	1606	5988
रोहतास	375410	117923	493333	86826	18690	105516	5978	1071	7049
कैमूर	245710	71953	317663	59906	14907	74813	8738	846	9584
बक्सर	239872	84377	324249	41422	13780	55202	4333	1354	5687
भोजपुर	440266	117639	557905	89475	23986	113461	2866	562	3428
गया	583209	133041	716250	183269	28054	211323	5515	1458	6973
औरंगाबाद	357521	92713	450234	91208	17521	108729	5192	1058	6250
जहानाबाद	261688	63390	325078	58187	9625	67812	1699	36	1735
नवादा	297442	57590	355032	76370	9523	85893	3746	88	3834
सारण	544446	108354	652800	71201	12608	83809	16542	620	17162
सीवान	457842	110301	568143	58467	11038	69505	9366	2154	11520
गोपालगंज	372306	92355	464661	55325	8154	63479	2921	305	3226
मुजफ्फरपुर	687881	147987	835868	118078	18931	137009	7317	639	7956
सीतामढ़ी	531315	80710	612025	76601	7616	84217	5404	436	5840
शिवहर	109718	16711	126429	18594	1534	20128	1379	118	1497
पश्चिम चंपारण	510091	90079	600170	83358	9575	92933	32454	4262	36716
पूर्वी चंपारण	716452	122437	838889	103860	11092	114952	33872	5824	39696
वैशाली	512142	121238	633380	119850	18598	138448	4690	2037	6727
दरभंगा	480556	108069	588625	83339	12755	96094	2126	463	2589
समस्तीपुर	690618	134612	825230	143070	20387	163457	6488	660	7148
मधुबनी	688887	141571	830458	103467	14675	118142	10037	916	10953
सहरसा	291460	51409	342869	49940	4393	54333	3436	214	3650
सुपौल	325822	55521	381343	55660	6352	62012	4715	566	5281
मधेपुरा	291395	46416	337811	49339	5296	54635	5774	1123	6897
पूर्णिया	494240	68481	562721	63807	6336	70143	34895	4409	39304
अररिया	439669	62342	502011	68723	7175	75898	24216	2528	26744
किशनगंज	276379	46019	322398	19286	2727	22013	9172	750	9922
कटिहार	483008	82093	565101	39744	5563	45307	29451	3310	32761
भागलपुर	383798	70336	454134	48432	7213	55645	12817	2069	14886
बांका	284487	53126	337613	38528	5146	43674	14389	1538	15927
मुंगेर	180887	43467	224354	27625	5417	33042	5725	554	6279
लखीसराय	134072	29617	163689	24148	2971	27119	2434	88	2522
बेगूसराय	469213	87965	557178	72066	8803	80869	3763	877	4640
जमुई	256975	43749	300724	47534	5613	53147	18530	1372	19902
खगड़िया	239735	44842	284577	35822	4186	40008	2143	541	2684
शेखपुरा	80428	16482	96910	19321	2128	21449	1216	215	1431
योग	**14630209**	**3034013**	**17664222**	**2580550**	**394014**	**2974564**	**354615**	**48274**	**402889**

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 3 (जारी) : जिला स्तर पर नामांकन (2008-09)

जिलों के नाम	2008-09								
	सभी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	438650	151422	590072	77236	18312	95548	2022	306	2328
नालंदा	308517	146236	454753	73547	26344	99891	0	0	0
रोहतास	282343	87991	370334	46728	10651	57379	1734	524	2258
कैमूर	226991	93915	320906	54095	26389	80484	4628	1184	5812
बक्सर	249392	91275	340667	34530	13703	48233	0	0	0
भोजपुर	323808	89082	412890	55071	15887	70958	273	121	394
गया	617597	168053	785650	208299	39566	247865	36	52	88
औरंगाबाद	284234	130169	414403	90743	18755	109498	5063	1091	6154
जहानाबाद	169753	43115	212868	37139	6665	43804	27	1	28
नवादा	178115	72534	250649	49220	13055	62275	436	62	498
सारण	544923	177167	722090	83923	20527	104450	0	0	0
सीवान	327136	95022	422158	26138	8707	34845	0	0	0
गोपालगंज	315094	139538	454632	43423	20156	63579	0	0	0
मुजफ्फरपुर	720308	177179	897487	126950	25550	152500	2725	516	3241
सीतामढ़ी	489531	84211	573742	73817	10529	84346	0	0	0
शिवहर	99293	20847	120140	568	202	770	2	2	4
पश्चिम चंपारण	563931	184212	748143	122764	32241	155005	27943	9400	37343
पूर्वी चंपारण	781684	140897	922581	126660	17472	144132	2607	204	2811
वैशाली	430971	122044	553015	103591	19516	123107	99	9	108
दरभंगा	335610	131192	466802	89361	13637	102998	1599	172	1771
समस्तीपुर	516730	113321	630051	80144	13567	93711	193	78	271
मधुबनी	571009	139499	710508	81707	11720	93427	1539	92	1631
सहरसा	231703	47734	279437	33804	8253	42057	1093	294	1387
सुपौल	349447	81389	430836	34963	14218	49181	1423	422	1845
मधेपुरा	270138	31172	301310	31077	4669	35746	3016	992	4008
पूर्णिया	489476	74584	564060	65652	7893	73545	22723	4030	26753
अररिया	374164	110369	484533	54848	12783	67631	5520	1393	6913
किशनगंज	184305	24486	208791	13340	2017	15357	4576	506	5082
कटिहार	384949	65800	450749	36950	5899	42849	22487	3902	26389
भागलपुर	306967	95331	402298	36366	6193	42559	10393	2543	12936
बांका	267338	48669	316007	26867	5477	32344	12106	1041	13147
मुंगेर	167151	57817	224968	23226	6188	29414	3065	521	3586
लखीसराय	139096	33649	172745	26041	3202	29243	2840	102	2942
बेगूसराय	456562	84610	541172	75051	9831	84882	38	17	55
जमुई	233757	71152	304909	34000	5144	39144	9605	968	10573
खगड़िया	182669	37636	220305	28206	6785	34991	0	0	0
शेखपुरा	88906	26570	115476	19902	4811	24713	0	0	0
अरवल	98753	32126	130879	22856	5013	27869	0	0	0
योग	**13001001**	**3522015**	**16523016**	**2248803**	**491527**	**2740330**	**149811**	**30545**	**180356**

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 4 : जिला स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर का रुझान : (2002-03 से 2008-09)

(प्रतिशत)

जिला	सभी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	2.94	19.82	5.63	0.20	18.90	2.22	1.38	8.99	2.23
नालंदा	2.90	20.85	6.41	4.75	26.68	7.89	अनु.*	अनु.	अनु.
रोहतास	2.48	5.55	3.13	1.23	5.34	1.87	-1.01	3.24	-0.28
कैमूर	4.46	21.38	7.66	3.84	25.90	7.82	0.87	26.11	3.05
बक्सर	6.29	23.21	9.48	10.70	35.04	14.81	अनु.	अनु.	अनु.
भोजपुर	5.48	21.01	7.86	12.12	32.42	15.07	-18.30	-13.55	-16.66
गया	5.37	17.75	7.26	6.73	24.04	8.44	-3.46	2.14	0.17
औरंगाबाद	6.19	28.98	10.12	10.01	28.74	12.01	48.52	112.04	48.94
जहानाबाद	2.38	13.22	4.02	2.57	12.71	3.72	अनु.	अनु.	अनु.
नवादा	5.64	22.63	8.38	9.42	24.40	10.86	2.96	46.53	3.11
सारण	6.02	19.11	8.13	8.56	21.34	10.20	अनु.	अनु.	अनु.
सीवान	2.15	8.63	3.36	-4.45	7.03	-2.52	अनु.	अनु.	अनु.
गोपालगंज	4.82	29.94	8.84	4.79	32.59	8.84	अनु.	अनु.	अनु.
मुजफ्फरपुर	8.00	23.08	10.06	5.16	24.58	7.13	अनु.	अनु.	अनु.
सीतामढ़ी	12.09	16.16	12.62	15.07	26.22	16.05	अनु.	अनु.	अनु.
शिवहर	12.88	30.37	14.76	-18.71	7.19	-16.16	अनु.	अनु.	अनु.
पश्चिम चंपारण	9.78	34.95	12.94	13.70	40.74	16.38	33.42	91.00	37.93
पूर्वी चंपारण	9.23	20.77	10.59	11.21	25.72	12.42	39.83	36.26	38.65
वैशाली	7.23	14.16	8.47	9.96	16.37	10.78	अनु.	अनु.	अनु.
दरभंगा	3.61	21.00	6.55	9.61	18.66	10.58	24.78	46.45	26.62
समस्तीपुर	12.52	18.43	13.42	12.94	21.86	13.94	-11.38	-13.12	-10.91
मधुबनी	5.82	14.76	7.20	5.94	18.14	7.10	35.17	12.11	32.70
सहरसा	7.78	18.92	9.21	8.12	24.95	10.00	17.47	30.24	19.34
सुपौल	11.34	20.42	12.63	8.40	30.80	11.66	5.87	18.85	7.82
मधेपुरा	4.93	13.33	5.80	4.76	24.41	6.28	15.86	40.81	19.18
पूर्णिया	14.16	21.72	14.97	18.55	30.97	19.51	26.66	35.01	27.56
अररिया	17.50	32.98	19.68	26.08	47.53	28.30	39.86	62.07	42.36
किशनगंज	10.80	22.76	12.00	5.43	18.33	6.65	5.84	15.41	6.53
कटिहार	12.54	15.65	12.95	13.68	17.88	14.17	16.85	17.59	16.97
भागलपुर	5.16	23.25	7.64	6.25	20.97	7.69	3.72	18.12	5.36
बांका	7.82	27.03	9.81	8.35	31.91	10.52	10.15	33.27	11.21
मुंगेर	-2.96	6.79	-1.26	-2.84	8.14	-1.30	6.62	25.62	8.05
लखीसराय	8.10	14.05	9.00	14.19	12.76	13.91	13.76	-7.12	11.67
बेगूसराय	13.10	26.23	14.65	12.05	24.56	13.11	-29.64	NA	-27.24
जमुई	7.92	24.35	10.26	8.05	19.94	9.16	10.28	24.21	11.10
खगड़िया	4.40	18.22	6.08	6.27	27.46	8.43	अनु.	अनु.	अनु.
शेखपुरा	3.92	17.37	5.98	10.82	24.48	12.48	अनु.	अनु.	अनु.
योग	7.24	19.52	9.08	8.19	23.13	9.92	9.89	27.61	16.68

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 5

मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोईघरों का छावनी निर्माण

	प्रगति		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
प्राथमिक	भौतिक	निर्मित इकाइयां	16050	0	31078	0	47128
		निर्मित	16050	0	5777	0	21827
		प्रगति पर	0	0	0	0	0
		आरंभ नहीं	0	0	25301	0	25301
	वित्तीय (लाख रु.)	स्वीकृत राशि	9626.75		18646.8		28273.55
		व्यय	9629.75		3466.2		13095.95
उच्च प्राथमिक	भौतिक	निर्मित इकाइयां	0	15059	0	0	15059
		निर्मित	0	15059	0	0	15059
		प्रगति पर	0	0	0	0	0
		आरंभ नहीं	0	0	0	0	0
	वित्तीय (लाख रु.)	स्वीकृत राशि	0	9035.4	0	0	9035.4
		व्यय	0	9035.4	0	0	9035.4

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोई की सामग्रियों की खरीद

	प्रगति		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
प्राथमिक	भौतिक	निर्मित इकाइयां	16780	29689	4777	18867	70113
		पूरी	16780	29689	4777	0	51246
		प्रगति पर	0	0	0	0	0
		आरंभ नहीं	0	0	0	18867	18867
	वित्तीय (लाख रु.)	स्वीकृत राशि	838.97	1484.45	238.85	943.35	3505.62
		व्यय	838.97	1484.45	238.85	0	2562.27
उच्च प्राथमिक	भौतिक	निर्मित इकाइयां	0	0	16316	0	16316
		पूरी	0	0	16316	0	16316
		प्रगति पर	0	0	0	0	0
		आरंभ नहीं	0	0	0	0	0
	वित्तीय (लाख रु.)	स्वीकृत राशि	0	0	815.8	0	815.8
		व्यय	0	0	815.8	0	815.8

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : सर्व शिक्षा अभियान – भौतिक प्रगति

हस्तक्षेप	सर्व शिक्षा अभियान – संचयी भौतिक प्रगति					
	2007-08			2008-09		
	भौतिक इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य विगत शेष सहित	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि (%)
भर्ती विद्यालय-वाह्य बच्चों की सं.						
औपचाारिक विद्यालय	बच्चे	573096	156510	0	9691	
सेतु पाठ्यक्रम (आवासीय तथा अनावासीय)	बच्चे	765702	391228	649498	354608	55
नवाचारी योजनाएं (चरवाहा आदि)	बच्चे	149413	64077	101735	53961	53
उपचारी प्रशिक्षण	बच्चे	874351	89533	862273	966910	112
नए आरंभ हुए विद्यालयों/ ईजीएस की सं.						
नए प्राथमिक विद्यालय	संख्या	18301	15999	2843	1123	40
प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण	संख्या	11861	8247	6755	1883	28
अनाच्छादित बस्तियों की सं.	बस्ती	2753	861	2374	168	7
निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण						
प्रखंड संसाधन केंद्र	प्रखंड संसाधन केंद्र	288	168	120	75	63
संकुल संसाधन केंद्र	संकुल संसाधन केंद्र	1475	1312	163	56	34
नए विद्यालय भवन – प्राथमिक	विद्यालय	6657	107	6550	5041	77
भवनहीन						
(क) प्राथमिक	विद्यालय	2832	2127	705	260	37
(ख) उच्च प्राथमिक	विद्यालय	178	164	14	14	100
अतिरिक्त वर्गकक्ष		97380	49502	47878	24586	51
पेयजल सुविधा (चापाकल)	विद्यालय	11503	11419	84	0	0
शौचालय/ मूत्रालय	विद्यालय	25470	24206	1264	16	1
विद्युतीकरण	वर्गकक्ष	3812	3666	146	0	0
प्रधानाध्यापक कक्ष	वर्गकक्ष	1431	1227	204	50	25
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	विद्यालय	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	
निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण						
शहरी प्रखंड संसाधन केंद्र	प्रखंड संसाधन केंद्र			3	1	33
नए विद्यालय भवन				8343	2212	27
अतिरिक्त वर्गकक्ष				23071	8693	38
पेयजल सुविधा (शहरी)	विद्यालय			565	301	53
शौचालय/ मूत्रालय (शहरी)	विद्यालय			939	687	73
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	विद्यालय	0	0	115	75	65
अनुरक्षण अनुदान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालय	112054	87705	71136	51641	73
शिक्षक प्रशिक्षण	व्यक्ति	576644	380485	524583	294788	56
विद्यालय अनुदान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालय	154697	142478	92221	80019	87
मुफ्त पाठ्यपुस्तकें						
कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक)						
(क) बच्चों की सं.	कुल	12641326	7171251	12522814	7711195	62
	लड़कियां	0	579475	0	568167	
	अजा	0	240907	0	108564	
	अजजा	0	3860	0	135	
(ख) पुस्तकों के पूरे सेट से लाभन्वित बच्चों की सं.	बच्चे	0	474417	0	760443	
(ग) पाठ्यपुस्तकों की सं	पाठ्यपुस्तकें	0	6098691	0	2286421	
कक्षा 6 से 8 (प्राथमिक)						
(क) बच्चों की सं.	कुल	3617637	2083933	4722701	2522144	53
	लड़कियां	0	204408	0	105274	
	अजा	0	136832	0	26550	
	अजजा	0	2207	0	80	
(ख) पुस्तकों के पूरे सेट से लाभन्वित बच्चों की सं.	बच्चे	0	117189	0	163015	
(ग) पाठ्यपुस्तकों की सं	पाठ्यपुस्तकें	0	2027118	0	2297879	

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : सर्व शिक्षा अभियान - भौतिक प्रगति (जारी)

हस्तक्षेप	सर्व शिक्षा अभियान – संचयी भौतिक प्रगति					
	2007-08			2008-09		
	भौतिक इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य विगत शेष रकम सहित	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि (%)
शिक्षक अनुदान (आच्छादन - प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षक)	शिक्षक	531664	447505.6	322327	267264	83
विद्यालय शिक्षा समिति						
गठित	संख्या	3201	11122	0	1079	
खाते खुले	संख्या	3201	8179	0	1003	
शिक्षण-अधिगम सामग्री						
नए प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय	18548	7240	11849	2419	20
नए/ उत्क्रमित उच्च प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय	5875	3100	5916	2367	40
कार्यशील प्रखंड संसाधन केंद्र	संख्या	0	0	0	43	
कार्यशील संकुल संसाधन केंद्र	संख्या	0	0	0	344	
विकलांग हेतु समेकित शिक्षा						
चिन्हित विकलांग बच्चे	संख्या	182655	38728	0	5481	
औपचारिक विद्यालयों में नामांकित विकलांग बच्चे	संख्या	0	20567	0	0	
संसाधन शिक्षक कार्यरत	संख्या	16	106	0	73	
नवाचारी गतिविधियां						
शिशु देखरेख एवं शिक्षा						
[i] समेकित बाल विकास योजना–कर्मियों/ प्रशिक्षित बाल दीदियों की सं.	संख्या	36	2120	37	1478	
[iii] बाल–वर्ग शुरू/ चालू	संख्या	38	3626	0	1317	
अजा/ अजजा हस्तक्षेप (लाभान्वित बच्चे)	संख्या	73	5214	37	357	
बालिका शिक्षा						
[i] आवासीय बालिका शिक्षा केंद्र	संख्या	73	121	37	1705	
[iv] चयनित तथा प्रशिक्षित संयोजिकाएं	संख्या	0	115	0	174	
[v] साइकल पाने वाली लड़कियां	संख्या	0	0	0	1500	
[vi] स्कूली पोशाक पाने वाली लड़कियां	संख्या	0	2100	0	0	
कंप्यूटर समर्थित शिक्षा						
[i] (जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा चालित) चिन्हित/ चयनित (उ.प्रा.वि./ सं.सा. केंद्र)	संख्या	72	45	37	23	62
[ii] शिक्षक प्रशिक्षित	संख्या	0	62	0	0	
[iii] कंप्यूटर समर्थित शिक्षा पा रहे बच्चे	संख्या	0	1803	0	2292	
[iv] कार्यशील केंद्र	संख्या	0	58	0	23	
[v] बूट मॉडल के अनुसार निजी/ एनजीओ की साझेदारी में शुरू केंद्र	संख्या	0	87	0	99	
प्रबंधन, एमआइएस और मीडिया						
कुल पदस्थापित कर्मचारी	व्यक्ति	1	74	0	79	
कंप्यूटर उपकरण (जिला स्तरीय कार्यालय में)	संख्या	77	4	35	5	14
कंप्यूटर उपकरण/ हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर बीआइसी में	संख्या	1	167	0	83	
संकुल संसाधन केंद्र में सांस्कृतिक, क्रीड़ा तथा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन	संख्या	10183	3160	4229	2519	60
प्रखंड संसाधन केंद्र में सांस्कृतिक, क्रीड़ा तथा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन	संख्या	1163	359	494	307	62

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : सर्व शिक्षा अभियान - भौतिक प्रगति (जारी)

हस्तक्षेप	सर्व शिक्षा अभियान - संचयी भौतिक प्रगति			
	भौतिक इकाई	2009-10		
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि (%)
भर्ती विद्यालय-वाह्य बच्चों की सं.				
औपचाारिक विद्यालय	बच्चे	0	0	0
सेतु पाठ्यक्रम (आवासीय तथा अनावासीय)	बच्चे	311885	195137	63
नवाचारी योजनाएं (चरवाहा आदि)	बच्चे	अनु.	अनु.	
उपचारी प्रशिक्षण	बच्चे	926360	1082427	117
नए आरंभ हुए विद्यालयों/ ईजीएस की सं.				
नए प्राथमिक विद्यालय	संख्या	385	100	26
प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण	संख्या	4331	2821	65
अनाच्छादित बस्तियों की सं.	बस्ती	0	0	0
गत वर्ष स्वीकृत निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण				
प्रखंड संसाधन केंद्र	प्रखंड संसाधन केंद्र	75	60	80
संकुल संसाधन केंद्र	संकुल संसाधन केंद्र	56	40	71
नए विद्यालय भवन - प्राथमिक	विद्यालय	7094	3611	51
भवनहीन				
(क) प्राथमिक	विद्यालय	403	137	34
(ख) उच्च प्राथमिक	विद्यालय	14	4	29
अतिरिक्त वर्गकक्ष		48622	23520	48
पेयजल सुविधा (चापाकल)	विद्यालय	473	0	0
शौचालय/ मूत्रालय	विद्यालय	870	0	0
विद्युतीकरण	वर्गकक्ष	0	0	0
प्रधानाध्यापक कक्ष	वर्गकक्ष	55	10	18
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	विद्यालय	115	0	0
इस वर्ष स्वीकृत निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण				
शहरी प्रखंड संसाधन केंद्र	प्रखंड संसाधन केंद्र	0	0	0
नए विद्यालय भवन		6286	1791	28
अतिरिक्त वर्गकक्ष		10229	8981	88
पेयजल सुविधा शहरी	विद्यालय	545	204	37
शौचालय/ मूत्रालय (शहरी)	विद्यालय	884	512	58
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	विद्यालय	131	114	87
अनुरक्षण अनुदान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालय	71286	52035	73
शिक्षक प्रशिक्षण	व्यक्ति	574737	340016	59
विद्यालय अनुदान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालय	96052	80657	84
मुफ्त पाठ्यपुस्तक				
कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक)				
(क) बच्चों की संख्या	कुल	14994515	13194406	88
	लड़कियां	0	140380	
	अजा	0	90462	
	अजजा	0	3198	
(ख) पुस्तकों के पूरे सेट से लाभन्वित बच्चों की सं.	बच्चे	0	986773	
(ग) पाठ्यपुस्तकों की सं.	पाठ्यपुस्तकें	0	1050371	

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : सर्व शिक्षा अभियान - भौतिक प्रगति (जारी)

हस्तक्षेप	सर्व शिक्षा अभियान - संचयी भौतिक प्रगति			
	भौतिक इकाई	2009-10		
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि (%)
शिक्षक अनुदान (आच्छादन - प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	शिक्षक	326524	307661	94
विद्यालय शिक्षा समिति				
गठित	संख्या	0	469	
खाते खुले	संख्या	0	2072	
शिक्षण-अधिगम सामग्री				
नए प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय	9433	1336	14
नए/ उत्क्रमित उच्च प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय	6562	3463	53
कार्यशील प्रखंड संसाधन केंद्र	संख्या	0	0	0
कार्यशील संकुल संसाधन केंद्र	संख्या	0	0	0
विकलांग हेतु समेकित शिक्षा				
चिन्हित विकलांग बच्चे	संख्या	0	1637	
औपचारिक विद्यालयों में नामांकित विकलांग बच्चे	संख्या	0	205	
कार्यरत संसाधन शिक्षक	संख्या	0	99	
नवाचारी गतिविधियां				
शिशु देखरेख एवं शिक्षा				
[i] समेकित बाल विकास योजना-कर्मियों/ प्रशिक्षित बाल दीदियों की सं.	संख्या	0	0	
[iii] बाल-वर्ग शुरू/ चालू	संख्या	0	123	
अजा/ अजजा हस्तक्षेप (लाभान्वित बच्चे)	संख्या	0	100	
बालिका शिक्षा				
[i] आवासीय बालिका शिक्षा केंद्र	संख्या	अनु.	अनु.	
[iv] चयनित तथा प्रशिक्षित संयोजिकाएं	संख्या	अनु.	अनु.	
[v] साइकल पाने वाली लड़कियां	संख्या	अनु.	अनु.	
[vi] स्कूली पोशाक पाने वाली लड़कियां	संख्या	अनु.	अनु.	
कंप्यूटर समर्थित शिक्षा				
[i] (जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा चालित) चिन्हित/ चयनित (उ.प्रा.वि./ सं.सा. केंद्र)	संख्या	अनु.	अनु.	
[ii] शिक्षक प्रशिक्षित	संख्या	0	45	
[iii] कंप्यूटर समर्थित शिक्षा पा रहे बच्चे	संख्या	0	1760	
[iv] कार्यशील केंद्र	संख्या	0	67	
[v] बूट मॉडल के अनुसार निजी/ एनजीओ की साझेदारी में शुरू केंद्र	संख्या	37	136	
प्रबंधन, एमआइएस और मीडिया				
कुल पदस्थापित कर्मचारी	व्यक्ति	0	63	
कंप्यूटर उपकरण (जिला स्तरीय कार्यालय में)	संख्या	37	3	8
कंप्यूटर उपकरण/ हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर बीआइसी में	संख्या	0	0	
संकुल संसाधन केंद्र में सांस्कृतिक, क्रीड़ा तथा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन	संख्या	4479	2772	62
प्रखंड संसाधन केंद्र में सांस्कृतिक, क्रीड़ा तथा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन	संख्या	534	332	62

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : सर्व शिक्षा अभियान – भौतिक प्रगति (जारी)

हस्तक्षेप	सर्व शिक्षा अभियान – संचयी भौतिक प्रगति			
	भौतिक इकाई	2010-11 (अक्तू. 10 तक)		
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि (%)
भर्ती विद्यालय-वाह्य बच्चे				
औपचारिक विद्यालय	बच्चे	0	0	0
सेतु विद्यालय (आवासीय तथा अनावासीय)	बच्चे	502596	124279	25
नवाचारी विद्यालय (चरवाहा आदि)	बच्चे	अनु.	अनु.	
उपचारी शिक्षण	बच्चे	0	0	0
नए आरंभ हुए विद्यालयों/ ईजीएस की सं.				
नए प्राथमिक विद्यालय	संख्या	1106	155	14
प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण	संख्या	3230	285	9
अनाच्छादित बस्तियों की सं.	बस्ती	0	0	0
गत वर्ष स्वीकृत निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण				
प्रखंड संसाधन केंद्र	प्रखंड संसाधन केंद्र	60	54	90
संकुल संसाधन केंद्र	संकुल संसाधन केंद्र	40	36	90
नए विद्यालय भवन – प्राथमिक	विद्यालय	5735	4560	80
भवनहीन				
(क) प्राथमिक	विद्यालय	263	115	44
(ख) उच्च प्राथमिक	विद्यालय	4	4	100
अतिरिक्त वर्गकक्ष		41885	29904	71
पेयजल सुविधा (चापाकल)	विद्यालय	304	0	0
शौचालय/ मूत्रालय	विद्यालय	688	5	1
विद्युतीकरण	वर्गकक्ष	0	0	0
प्रधानाध्यापक कक्ष	वर्गकक्ष	10	8	80
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	विद्यालय	114	25	22
इस वर्ष स्वीकृत निर्माण कार्य प्रगति पर/ पूर्ण				
शहरी प्रखंड संसाधन केंद्र	प्रखंड संसाधन केंद्र	0	0	0
नए विद्यालय भवन		0	0	0
अतिरिक्त वर्गकक्ष		9230	0	0
पेयजल सुविधा शहरी	विद्यालय	543	85	16
शौचालय/ मूत्रालय (शहरी)	विद्यालय	426	0	0
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	विद्यालय	1056	325	31
अनुरक्षण अनुदान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालय	52299	40281	77
शिक्षक प्रशिक्षण	व्यक्ति	525083	183238	35
विद्यालय अनुदान (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालय	98972	65832	67
मुफ्त पाठ्यपुस्तक				
कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक)				
(क) बच्चों की संख्या	कुल	14759606	5061033	34
	लड़कियां	0	279075	
	अजा	0	132786	
	अजजा	0	3508	
(ख) पुस्तकों के पूरे सेट से लाभन्वित बच्चों की सं.	बच्चे	0	572270	
(ग) पाठ्यपुस्तकों की सं.	पाठ्यपुस्तकें	0	0	

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार सरकार

परिशिष्ट 6 : सर्व शिक्षा अभियान – भौतिक प्रगति (जारी)

हस्तक्षेप	सर्व शिक्षा अभियान – संचयी भौतिक प्रगति			
	भौतिक इकाई	2010-11 (अक्तू. 10 तक)		
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि (%)
शिक्षक अनुदान (आच्छादन – प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)	शिक्षक	317613	221838	70
विद्यालय शिक्षा समिति				
गठित	संख्या	0	0	0
खाते खुले	संख्या	0	0	0
शिक्षण-अधिगम सामग्री				
नए प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय	8918	852	10
नए/ उत्क्रमित उच्च प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय	4819	489	10
कार्यशील प्रखंड संसाधन केंद्र	संख्या	0	0	
कार्यशील संकुल संसाधन केंद्र	संख्या	0	0	
विकलांग हेतु समेकित शिक्षा				
चिन्हित विकलांग बच्चे	संख्या	0	0	
औपचारिक विद्यालयों में नामांकित विकलांग बच्चे	संख्या	0	0	
कार्यरत संसाधन शिक्षक	संख्या	1659	677	41
नवाचारी गतिविधियां				
शिशु देखरेख एवं शिक्षा				
[i] समेकित बाल विकास योजना-कर्मियों/ प्रशिक्षित बाल दीदियों की सं.	संख्या	0	0	
[iii] बाल-वर्ग शुरू/ चालू	संख्या	0	0	
अजा/ अजजा हस्तक्षेप (लाभान्वित बच्चे)	संख्या	0	0	
बालिका शिक्षा				
[i] आवासीय बालिका शिक्षा केंद्र	संख्या	अनु.	अनु.	
[iv] चयनित तथा प्रशिक्षित संयोजिकाएं	संख्या	अनु.	अनु.	
[v] साइकल पाने वाली लड़कियां	संख्या	अनु.	अनु.	
[vi] स्कूली पोशाक पाने वाली लड़कियां	संख्या	अनु.	अनु.	
कंप्यूटर समर्थित शिक्षा				
[i] (जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा चालित) चिन्हित/ चयनित (उ.प्रा.वि./ सं.सा. केंद्र)	संख्या	अनु.	अनु.	
[ii] शिक्षक प्रशिक्षित	संख्या	0	0	
[iii] कंप्यूटर समर्थित शिक्षा पा रहे बच्चे	संख्या	0	0	
[iv] कार्यशील केंद्र	संख्या	0	2	
[v] बूट मॉडल के अनुसार निजी/ एनजीओ की साझेदारी में शुरू केंद्र	संख्या	0	20	
प्रबंधन, एमआइएस और मीडिया				
कुल पदस्थापित कर्मचारी	व्यक्ति	0	0	
कंप्यूटर उपकरण (जिला स्तरीय कार्यालय में)	संख्या	37	0	0
कंप्यूटर उपकरण/ हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर बीआइसी में	संख्या	0	0	
संकुल संसाधन केंद्र में सांस्कृतिक, क्रीड़ा तथा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन	संख्या	4479	1107	25
प्रखंड संसाधन केंद्र में सांस्कृतिक, क्रीड़ा तथा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन	संख्या	537	100	19

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

परिशिष्ट 7 : बिहार में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन (हजार में)											
	पीएच.डी/ एम.फिल			स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम			स्नातक डिग्री कार्यक्रम			योग		
	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)
कला												
लड़के	912	818	-10.31	23951	28172	17.62	212209	269420	26.96	237072	298410	25.87
लड़कियां	407	526	29.24	10748	12467	15.99	114319	144699	26.57	125474	157692	25.68
योग	1319	1344	1.90	34699	40639	17.12	326528	414119	26.82	362546	456102	25.81
वाणिज्य												
लड़के	32	31	-3.13	4188	2142	-48.85	74982	49287	-34.27	79202	51460	-35.03
लड़कियां	5	7	40.00	524	816	55.73	15332	10013	-34.69	15861	10836	-31.68
योग	37	38	2.70	4712	2958	-37.22	90314	59300	-34.34	95063	62296	-34.47
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग (अप्लीकेशन)												
लड़के	108	334	209.26	8792	8378	-4.71	85446	112037	31.12	94346	120749	27.99
लड़कियां	18	135	650.00	1508	2824	87.27	28511	39858	39.80	30037	42817	42.55
योग	126	469	272.22	10300	11202	8.76	113957	151895	33.29	124383	163566	31.50
अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी												
लड़के							5730	7895	37.78	5730	7895	37.78
लड़कियां							788	950	20.56	788	950	20.56
योग							6518	8845	35.70	6518	8845	35.70
चिकित्सा												
लड़के	अनु.	14		अनु.	183		6139	7299	18.90	6139	7496	22.10
लड़कियां	अनु.	6		अनु.	65		1618	2555	57.91	1618	2626	62.30
योग	अनु.	20		अनु.	248		7757	9854	27.03	7757	10122	30.49
शिक्षा												
लड़के				28	2078	7321.43	1223	2665	117.91	1251	4743	279.14
लड़कियां				12	985	8108.33	1330	1605	20.68	1342	2590	93.00
योग				40	3063	7557.50	2553	4270	67.25	2593	7333	182.80
पॉलिटेकनिक संस्थान												
लड़के							6386	8181	28.11	6386	8181	28.11
लड़कियां							922	1079	17.03	922	1079	17.03
योग							7308	9260	26.71	7308	9260	26.71
अन्य												
लड़के	7	48	585.71	1490	2285	53.36	28891	20546	-28.88	30388	22879	-24.71
लड़कियां	4	6	50.00	490	747	52.45	7151	8635	20.75	7645	9388	22.80
योग	11	54	390.91	1980	3032	53.13	36042	29181	-19.04	38033	32267	-15.16

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 7 (जारी) : बिहार में उच्च शिक्षा में अजा विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन (हजार में)											
	पीएच.डी/ एम.फिल			स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम			स्नातक डिग्री कार्यक्रम			योग		
	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)
कला												
लड़के	27	56	107.41	2491	2816	13.05	20413	24219	18.64	22931	27091	18.14
लड़कियां	5	26	420.00	756	867	14.68	8122	9436	16.18	8883	10329	16.28
योग	32	82	156.25	3247	3683	13.43	28535	33655	17.94	31814	37420	17.62
वाणिज्य												
लड़के	0	4		470	181	-61.49	10521	2911	-72.33	10991	3096	-71.83
लड़कियां	0	0		85	31	-63.53	1016	772	-24.02	1101	803	-27.07
योग	0	4		555	212	-61.80	11537	3683	-68.08	12092	3899	-67.76
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग (अप्लीकेशन)												
लड़के	0	10		907	342	-62.29	12533	7868	-37.22	13440	8220	-38.84
लड़कियां	0	2		187	90	-51.87	1463	1234	-15.65	1650	1326	-19.64
योग	0	12		1094	432	-60.51	13996	9102	-34.97	15090	9546	-36.74
अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी												
लड़के							735	713	-2.99	735	713	-2.99
लड़कियां							178	126	-29.21	178	126	-29.21
योग							913	839	-8.11	913	839	-8.11
चिकित्सा												
लड़के							748	406	-45.72	748	406	-45.72
लड़कियां							491	88	-82.08	491	88	-82.08
योग							1239	494	-60.13	1239	494	-60.13
शिक्षा												
लड़के				6	189	3050.00	1303	178	-86.34	1309	367	-71.96
लड़कियां				2	60	2900.00	22	36	63.64	24	96	300.00
योग				8	249	3012.50	1325	214	-83.85	1333	463	-65.27
पॉलिटेकनिक संस्थान												
लड़के							908	792	-12.78	908	792	-12.78
लड़कियां							144	162	12.50	144	162	12.50
योग							1052	954	-9.32	1052	954	-9.32
अन्य												
लड़के	0	1		65	117	80.00	3572	2013	-43.65	3637	2131	-41.41
लड़कियां	0	0		9	40	344.44	935	851	-8.98	944	891	-5.61
योग	0	1		74	157	112.16	4507	2864	-36.45	4581	3022	-34.03

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 7 (जारी) : बिहार में उच्च शिक्षा में अजजा विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आधारित कुल नामांकन

पाठ्यक्रम	नामांकन (हजार में)											
	पीएच.डी/ एम.फिल			स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम			स्नातक डिग्री कार्यक्रम			योग		
	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)	2007-08	2008-09	परिवर्तन (%)
कला												
लड़के	5	6	20.00	701	778	10.98	3604	7255	101.30	4310	8039	86.52
लड़कियां	1	1	0.00	247	301	21.86	1164	1741	49.57	1412	2043	44.69
योग	6	7	16.67	948	1079	13.82	4768	8996	88.67	5722	10082	76.20
वाणिज्य												
लड़के	2	31	1450.00	50	33	-34.00	281	177	-37.01	333	241	-27.63
लड़कियां	0	7		6	3	-50.00	50	76	52.00	56	86	53.57
योग	2	38	1800.00	56	36	-35.71	331	253	-23.56	389	327	-15.94
विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग (अप्लीकेशन)												
लड़के	0	1		36	79	119.44	929	997	7.32	965	1077	11.61
लड़कियां	0	0		11	20	81.82	358	318	-11.17	369	338	-8.40
योग	0	1		47	99	110.64	1287	1315	2.18	1334	1415	6.07
अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी												
लड़के							38	45	18.42	38	45	18.42
लड़कियां							9	10	11.11	9	10	11.11
योग							47	55	17.02	47	55	17.02
चिकित्सा												
लड़के							54	43	-20.37	54	43	-20.37
लड़कियां							36	12	-66.67	36	12	-66.67
योग							90	55	-38.89	90	55	-38.89
शिक्षा												
लड़के				6	81	1250.00	53	108	103.77	59	189	220.34
लड़कियां				1	22	2100.00	31	12	-61.29	32	34	6.25
योग				7	103	1371.43	84	120	42.86	91	223	145.05
पॉलिटेकनीक संस्थान												
लड़के							54	69	27.78	54	69	27.78
लड़कियां							9	16	77.78	9	16	77.78
योग							63	85	34.92	63	85	34.92
अन्य												
लड़के				74	36	-51.35	279	408	46.24	353	444	25.78
लड़कियां				14	12	-14.29	89	192	115.73	103	204	98.06
योग				88	48	-45.45	368	600	63.04	456	648	42.11

स्रोत : मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 8 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति -2009-10

जिला	जनसंख्या लाख में	सीचएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) की सं.		रेफरल अस्पतालों की सं.		अनुंडल अस्पताल	पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) की सं.		एचएससी (स्वास्थ्य उप केंद्र)	एपीएचसी (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)	पीएचसी, एपीएचसी और एचएससी का योग	प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों का आच्छादन
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	शहरी				
पटना	47.19	0	0	4	0	3	19	4	418	70	511	11
नालंदा	23.71	0	0	3	0	1	16	4	302	36	358	15
रोहतास	24.51	0	0	2	0	1	17	2	186	17	222	9
कैमूर	12.89	0	0	3	0	1	10	0	107	40	157	12
बक्सर	14.02	0	0	0	0	1	10	1	158	20	189	13
भोजपुर	22.43	0	0	3	0	0	14	0	284	20	318	14
गया	34.73	0	0	1	1	0	23	0	439	49	511	15
औरंगाबाद	20.13	0	0	3	0	0	10	1	207	58	276	14
जहानाबाद	9.25	0	0	1	1	1	7	0	81	25	113	12
अरवल	5.89	0	0	0	0	0	5	0	46	23	74	13
नवादा	18.10	0	0	2	0	0	13	1	129	27	170	9
सारण	32.49	0	0	2	1	0	19	1	413	45	478	15
सीवान	27.14	0	0	3	0	0	18	1	370	34	423	16
गोपालगंज	21.53	0	0	3	0	1	11	3	186	22	222	10
मुजफ्फरपुर	37.47	0	0	2	0	0	16	0	473	47	536	14
सीतामढ़ी	26.83	0	0	1	0	0	17	0	213	38	268	10
शिवहर	5.16	0	0	0	0	1	5	0	34	7	46	9
प. चंपारण	30.43	0	0	2	0	1	16	2	389	25	432	14
पू. चंपारण	39.40	0	0	1	0	0	26	1	315	46	388	10
वैशाली	27.18	0	0	0	0	1	16	0	336	36	388	14
दरभंगा	32.96	0	0	2	0	0	18	0	261	51	330	10
समस्तीपुर	33.95	0	0	1	0	3	19	1	354	59	433	13
मधुबनी	35.75	0	0	2	0	1	21	0	430	76	527	15
सहरसा	15.08	0	0	0	0	0	8	2	152	33	195	13
सुपौल	17.33	0	0	1	1	1	11	0	178	28	217	13
मधेपुरा	15.27	0	0	0	0	0	12	1	115	23	151	10
पूर्णिया	25.44	0	0	3	0	0	13	1	278	34	326	13
अररिया	21.59	0	0	2	0	1	7	2	200	30	239	11
किशनगंज	12.96	0	0	2	0	1	7	0	136	8	151	12
कटिहार	23.93	0	0	3	0	0	15	1	257	32	305	13
भागलपुर	24.23	0	0	0	2	1	14	2	280	46	342	14
बांका	16.09	0	0	2	1	1	9	2	227	24	262	16
मुंगेर	11.38	0	0	1	0	0	7	2	123	13	145	13
लखीसराय	8.02	0	0	1	0	1	5	1	102	13	121	15
बेगूसराय	23.49	0	0	2	0	0	18	0	288	31	337	14
जमुई	13.99	0	0	2	1	1	10	0	166	21	197	14
खगड़िया	12.80	0	0	1	0	0	6	1	151	18	176	14
शेखपुरा	5.26	0	0	0	1	1	6	0	74	18	98	19
योग	**829.99**	**0**	**0**	**61**	**9**	**24**	**494**	**37**	**8858**	**1243**	**10632**	**13**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट (जारी) 8 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति - 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)

जिला का नाम	जनसंख्या लाख में	सीचएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) की सं.		रेफरल अस्पतालों की सं.		अनुमंडल अस्पताल	पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) की सं.		एचएससी (स्वास्थ्य उप केंद्र)	एपीएचसी (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)	पीएचसी, एपीएचसी और एचएससी का योग	प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों का आच्छादन
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	शहरी				
पटना	54.96	0	0	4	0	4	19	4	418	70	511	9
नालंदा	27.64	0	0	3	0	1	16	4	302	36	358	13
रोहतास	28.58	0	0	2	0	2	17	2	186	17	222	8
कैमूर	14.99	0	0	3	0	1	10	0	107	40	157	10
बक्सर	16.38	0	0	0	0	2	10	1	158	20	189	12
भोजपुर	26.06	0	0	3	0	1	14	0	284	20	318	12
गया	40.43	0	0	1	1	0	23	0	439	49	511	13
औरंगाबाद	23.40	0	0	3	0	0	10	1	207	58	276	12
जहानाबाद	10.53	0	0	1	1	1	7	0	81	25	113	11
अरवल	7.11	0	0	0	0	0	5	0	46	23	74	10
नवादा	21.12	0	0	2	0	0	13	1	129	27	170	8
सारण	37.94	0	0	2	1	0	19	1	413	45	478	13
सीवान	31.61	0	0	3	0	0	18	1	370	34	423	13
गोपालगंज	25.08	0	0	3	0	1	11	3	186	22	222	9
मुजफ्फरपुर	43.69	0	0	2	0	0	16	0	473	47	536	12
सीतामढ़ी	31.16	0	0	1	0	0	17	0	213	38	268	9
शिवहर	6.00	0	0	0	0	1	5	0	34	7	46	8
प. चंपारण	35.51	0	0	2	0	1	16	2	389	25	432	12
पू. चंपारण	45.90	0	0	1	0	0	26	1	315	46	388	8
वैशाली	31.65	0	0	0	0	0	16	0	336	36	388	12
दरभंगा	38.34	0	0	2	0	1	18	0	261	51	330	9
समस्तीपुर	39.83	0	0	1	0	3	19	1	354	59	433	11
मधुबनी	41.67	0	0	2	0	1	21	0	430	76	527	13
सहरसा	17.58	0	0	0	0	0	8	2	152	33	195	11
सुपौल	20.36	0	0	1	1	1	11	0	178	28	217	11
मधेपुरा	17.79	0	0	0	0	0	12	1	115	23	151	8
पूर्णिया	29.65	0	0	3	0	0	13	1	278	34	326	11
अररिया	24.80	0	0	2	0	1	7	2	200	30	239	10
किशनगंज	15.10	0	0	2	0	1	7	0	136	8	151	10
कटिहार	27.88	0	0	3	0	0	15	1	257	32	305	11
भागलपुर	28.36	0	0	0	2	2	14	2	280	46	342	12
बांका	18.77	0	0	2	1	1	9	2	227	24	262	14
मुंगेर	13.25	0	0	1	0	0	7	2	123	13	145	11
लखीसराय	9.35	0	0	1	0	1	5	1	102	13	121	13
बेगूसराय	27.34	0	0	2	0	1	18	0	288	31	337	12
जमुई	16.31	0	0	2	1	1	10	0	166	21	197	12
खगड़िया	14.90	0	0	1	0	0	6	1	151	18	176	12
शेखपुरा	6.13	0	0	0	1	1	6	0	74	18	98	16
योग	967.15	0	0	61	9	30	494	37	8858	1243	10632	11

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट (जारी) 8 : 2009-10 और 2010-11 में अधिसंरचना उन्नयन और नवनिर्माण का विवरण

जिला	शय्याओं/ कमरों की सं.	शल्य चिकित्सा कक्षों की सं.	प्रसव कक्षों की सं.	गहन चिकित्सा कक्ष की शय्याओं जैसी विशेष सेवाएं			औषधि कक्ष	शौचालय	रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र
				उपलब्धता	कार्यशील	शय्याओं की सं.			
पटना	328	24	24	1	हां		0		
नालंदा		23	20	0	नहीं		20	16	16
रोहतास	280	19	19	1	नहीं	0	0	62	19
कैमूर	18	11	11	0	नहीं		11	11	11
बक्सर		1		0	नहीं				
भोजपुर	374	16	16	1	हां	0	16	19	16
गया	138	19	20	0	नहीं	0	22	23	23
औरंगाबाद		0		1	हां				
जहानाबाद	170	7	8	1	नहीं		9		3
अरवल	30	5	5	0	नहीं	0	0	5	4
नवादा	264	14	14	1	नहीं		15	18	14
सारण	546	17	16	0	नहीं	0	16	32	17
सीवान	280	24	20	0	नहीं	0	21	40	20
गोपालगंज	326	15	15	1	हां	0	14	64	14
मुजफ्फरपुर	320	3	16	0	नहीं				17
सीतामढ़ी	160	3	13	0	नहीं	0	0	25	13
शिवहर	67	2	2	0	नहीं	0	0	6	6
प. चंपारण	448	16	16	1	हां	1		19	18
पू. चंपारण	310	21	21	1	हां	0	0	21	0
वैशाली	264	17	17	1	हां	8	17	36	17
दरभंगा	184	2	15	0	नहीं	0	15	18	3
समस्तीपुर	312	21	20	0	नहीं	0	0	60	20
मधुबनी		0		1	हां				
सहरसा		1		1	हां				
सुपौल	238	11	11	0	नहीं	0	1	32	11
मधेपुरा	116	14	14	1	हां		14	17	14
पूर्णिया	368	14	15	1	नहीं	0	1	50	15
अररिया	220	2	7	0	नहीं	0	0	26	10
किशनगंज		9	9	0	नहीं		9	45	
कटिहार		16	16	1	हां	3	16		
भागलपुर	210	12	15	0	नहीं	0	15	15	15
बांका		3		0	नहीं				
मुंगेर		0		1	हां				
लखीसराय		6	5	0	नहीं				
बेगूसराय		5		1	हां				
जमुई	154	11	10	0	नहीं		11		11
खगड़िया		7	7	0	नहीं		7		
शेखपुरा	160	7	7	1	नहीं	0	7	30	7
योग	6285	398	424	18	0	12	257	690	334

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट (जारी) 8 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति

जिला	सार्वजनिक				निजी
	अस्पताल	शय्या	रक्त बैंक	एंबुलेस	एंबुलेस
पटना	31	513	4	8	10
नालंदा	25	515	1	3	15
रोहतास	24	359	1	5	5
कैमूर	15	310	1	7	3
बक्सर	14	271	1	0	8
भोजपुर	19	346	1	7	8
गया	26	258	1	5	12
औरंगाबाद	15	236	1	11	0
जहानाबाद	11	232	1	2	4
अरवल	6	130	0	2	3
नवादा	17	204	1	3	7
सारण	24	396	1	10	2
सीवान	23	269	1	6	12
गोपालगंज	19	354	1	2	4
मुजफ्फरपुर	19	374	2	1	13
सीतामढ़ी	19	222	1	1	12
शिवहर	7	160	0	1	2
पश्चिम चंपारण	22	568	1	6	11
पूर्वी चंपारण	29	292	0	3	15
वैशाली	18	291	1	7	7
दरभंगा	21	243	1	7	8
समस्तीपुर	25	340	1	13	5
मधुबनी	25	386	1	12	6
सहरसा	11	160	1	9	2
सुपौल	15	326	0	7	4
मधेपुरा	14	129	1	13	0
पूर्णिया	18	414	1	9	6
अररिया	13	274	0	7	3
किशनगंज	11	262	1	3	3
कटिहार	20	286	1	9	5
भागलपुर	21	336	1	4	11
बांका	16	316	0	4	14
मुंगेर	11	234	1	4	6
लखीसराय	9	226	1	3	2
बेगूसराय	22	351	1	4	15
जमुई	14	250	1	1	32
खगड़िया	9	172	1	1	11
शेखपुरा	9	266	1	3	3
योग	667	11271	36	203	289

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट (जारी) 8 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति

जिला	एक्स-रे सुविधा वाले अस्पतालों की सं.					अल्ट्रासाउंड सुविधा वाले अस्पतालों की सं.				
	सरकारी	अन्य	रेफरल	पीएचसी	योग	सरकारी	अन्य	रेफरल	पीएचसी	योग
पटना	0	1	2	11	14	0	0	1	1	2
नालंदा	1	1	3	3	8	0	0	0	0	0
रोहतास	1	1	0	4	6	1	0	0	0	1
कैमूर	1	0	1	1	3	1	0	0	0	1
बक्सर	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
भोजपुर	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0
गया	1	0	1	2	4	1	0	0	0	1
औरंगाबाद	1	0	0	6	7	1	0	0	0	1
जहानाबाद	1	0	0	5	6	1	0	0	0	1
अरवल	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
नवादा	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1
सारण	1	0	2	6	9	1	0	1	0	2
सीवान	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
गोपालगंज	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	1	0	1	4	6	1	0	0	0	1
सीतामढ़ी	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0
शिवहर	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
पश्चिम चंपारण	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0
पूर्वी चंपारण	1	0	1	2	4	1	0	0	0	1
वैशाली	1	0	1	12	14	1	0	0	0	1
दरभंगा	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
समस्तीपुर	1	3	1	1	6	0	0	0	0	0
मधुबनी	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
सहरसा	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0
सुपौल	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0
मधेपुरा	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
पूर्णिया	1	0	1	7	9	1	0	0	0	1
अररिया	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0
किशनगंज	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0
कटिहार	1	0	1	1	3	1	0	0	0	1
भागलपुर	1	1	2	5	9	1	0	0	0	1
बांका	1	0	2	2	5	0	0	0	0	0
मुंगेर	1	0	1	2	4	1	0	0	0	1
लखीसराय	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
बेगूसराय	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0
जमुई	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
खगड़िया	1	0	0	4	5	1	0	0	0	1
शेखपुरा	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1
योग	33	9	23	109	174	16	0	2	1	19

परिशिष्ट 9 : नियमित और संविदा आधारित चिकित्सकों की स्थिति - 2009-10

जिला	नियमित			संविदा आधारित			प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की सं.	प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की सं. (2008-09)
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त		
पटना	304	259	45	92	73	19	7	6
नालंदा	137	84	53	95	69	26	6	7
रोहतास	162	48	114	89	52	37	4	5
कैमूर	93	38	55	48	23	25	5	4
बक्सर	82	60	22	54	17	37	5	5
भोजपुर	171	80	91	60	44	16	6	6
गया	198	96	102	106	85	21	5	4
औरंगाबाद	177	57	120	49	32	17	4	6
जहानाबाद	99	58	41	45	43	2	11	11
अरवल	67	20	47	20	14	6	6	5
नवादा	113	52	61	45	20	25	4	5
सारण	163	88	75	94	26	68	4	4
सीवान	137	51	86	89	37	52	3	5
गोपालगंज	101	52	49	69	34	35	4	4
मुजफ्फरपुर	172	95	77	70	66	4	4	4
सीतामढ़ी	124	73	51	52	31	21	4	4
शिवहर	51	30	21	19	10	9	8	7
पश्चिम चंपारण	132	71	61	83	50	33	4	4
पूर्वी चंपारण	184	83	101	128	107	21	5	5
वैशाली	130	125	5	67	32	35	6	5
दरभंगा	146	68	78	72	66	6	4	5
समस्तीपुर	192	124	68	95	54	41	5	6
मधुबनी	218	72	146	81	53	28	3	3
सहरसा	95	57	38	45	23	22	5	5
सुपौल	111	72	39	48	20	28	5	5
मधेपुरा	106	42	64	67	22	45	4	4
पूर्णिया	131	72	59	64	30	34	4	4
अररिया	112	56	56	37	10	27	3	3
किशनगंज	68	33	35	28	9	19	3	3
कटिहार	120	99	21	78	41	37	6	4
भागलपुर	195	51	144	75	59	16	5	7
बांका	103	63	40	47	33	14	6	6
मुंगेर	69	47	22	44	28	16	7	8
लखीसराय	58	43	15	30	13	17	7	9
बेगूसराय	122	69	53	94	56	38	5	5
जमुई	99	29	70	38	23	15	4	5
खगड़िया	91	26	65	44	27	17	4	5
शेखपुरा	85	36	49	24	14	10	10	9
योग	**4918**	**2579**	**2339**	**2385**	**1446**	**939**	**5**	**5**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 9 (जारी) : नियमित और संविदा आधारित चिकित्सकों की स्थिति - 2010-11 (अक्तूबर 2011 तक)

जिला	नियमित			संविदा आधारित			प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकों की सं.
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	
पटना	304	257	47	92	89	3	7
नालंदा	137	84	53	95	93	2	7
रोहतास	162	41	121	89	57	32	4
कैमूर	93	49	44	48	26	22	6
बक्सर	82	60	22	54	30	24	6
भोजपुर	171	78	93	60	52	8	6
गया	198	96	102	106	92	14	5
औरंगाबाद	177	58	119	49	32	17	4
जहानाबाद	99	58	41	45	41	4	11
अरवल	67	21	46	20	14	6	6
नवादा	113	52	61	45	29	16	4
सारण	163	79	84	94	46	48	4
सीवान	137	51	86	89	52	37	4
गोपालगंज	101	53	48	69	48	21	5
मुजफ्फरपुर	172	95	77	70	67	3	4
सीतामढ़ी	124	73	51	52	31	21	4
शिवहर	51	30	21	19	11	8	8
पश्चिम चंपारण	132	71	61	83	55	28	4
पूर्वी चंपारण	184	83	101	128	107	21	5
वैशाली	130	123	7	67	66	1	7
दरभंगा	146	68	78	72	71	1	4
समस्तीपुर	192	115	77	95	44	51	5
मधुबनी	218	75	143	81	53	28	4
सहरसा	95	57	38	45	22	23	5
सुपौल	111	67	44	48	26	22	5
मधेपुरा	106	42	64	67	23	44	4
पूर्णिया	131	72	59	64	44	20	5
अररिया	112	47	65	37	11	26	3
किशनगंज	68	33	35	28	9	19	3
कटिहार	120	69	51	78	36	42	4
भागलपुर	195	62	133	75	53	22	5
बांका	103	63	40	47	33	14	6
मुंगेर	69	47	22	44	32	12	7
लखीसराय	58	37	21	30	13	17	6
बेगूसराय	122	69	53	94	56	38	5
जमुई	99	29	70	38	23	15	4
खगड़िया	91	30	61	44	24	20	4
शेखपुरा	85	38	47	24	13	11	10
योग	4918	2532	2386	2385	1624	761	5

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 10 : 'ए' श्रेणी के नर्सों की जिलावार की स्थिति - 2009-10

जिला	नियमित			संविदा आधारित		
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त
पटना	43	28	15	212	0	212
नालंदा	36	33	3	110	88	22
रोहतास	28	10	18	88	18	70
कैमूर	26	9	17	82	4	78
बक्सर	2	2	0	30	4	26
भोजपुर	29	6	23	30	7	23
गया	25	16	9	146	70	76
औरंगाबाद	22	8	14	128	20	108
जहानाबाद	13	9	4	62	35	27
अरवल	25	10	15	52	10	42
नवादा	25	14	11	82	46	36
सारण	25	10	15	142	26	116
सीवान	16	6	10	114	12	102
गोपालगंज	28	7	21	128	10	118
मुजफ्फरपुर	21	16	5	152	69	83
सीतामढ़ी	17	12	5	120	37	83
शिवहर	23	2	21	22	14	8
पश्चिम चंपारण	37	28	9	120	13	107
पूर्वी चंपारण	24	16	8	165	63	102
वैशाली	26	20	6	118	6	112
दरभंगा	8	4	4	154	86	68
समस्तीपुर	24	22	2	146	88	58
मधुबनी	34	14	20	114	34	80
सहरसा	30	21	9	82	24	58
सुपौल	36	2	34	82	40	42
मधेपुरा	8	3	5	58	15	43
पूर्णिया	30	19	11	110	64	46
अररिया	17	8	9	96	25	71
किशनगंज	26	7	19	40	17	23
कटिहार	28	17	11	104	69	35
भागलपुर	18	17	1	112	104	8
बांका	18	11	7	72	58	14
मुंगेर	20	20	0	38	24	14
लखीसराय	10	7	3	38	0	38
बेगूसराय	23	23	0	102	71	31
जमुई	34	11	23	64	57	7
खगड़िया	13	6	7	48	42	6
शेखपुरा	10	4	6	56	56	0
योग	**878**	**478**	**400**	**3619**	**1426**	**2193**
कुल स्वीकृत पदों का प्रतिशत		58.84	41.16		49.86	100.57

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 10 : 'ए' श्रेणी के नर्सों की जिलावार की स्थिति - 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)

जिला	नियमित			संविदा आधारित		
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त
पटना	43	25	18	212	0	212
नालंदा	36	28	8	110	80	30
रोहतास	28	8	20	88	20	68
कैमूर	26	7	19	82	7	75
बक्सर	2	2	0	30	14	16
भोजपुर	29	6	23	30	11	19
गया	25	16	9	146	71	75
औरंगाबाद	22	8	14	128	39	89
जहानाबाद	13	9	4	62	39	23
अरवल	25	0	25	52	11	41
नवादा	25	14	11	82	45	37
सारण	25	10	15	142	26	116
सीवान	16	6	10	114	10	104
गोपालगंज	28	8	20	128	8	120
मुजफ्फरपुर	21	16	5	152	19	133
सीतामढ़ी	17	12	5	120	61	59
शिवहर	23	1	22	22	14	8
पश्चिम चंपारण	37	28	9	120	29	91
पूर्वी चंपारण	24	16	8	165	52	113
वैशाली	26	20	6	118	74	44
दरभंगा	8	4	4	154	25	129
समस्तीपुर	24	22	2	146	88	58
मधुबनी	34	14	20	114	10	104
सहरसा	30	21	9	82	24	58
सुपौल	36	2	34	82	51	31
मधेपुरा	8	3	5	58	23	35
पूर्णिया	30	19	11	110	71	39
अररिया	17	4	13	96	46	50
किशनगंज	26	2	24	40	18	22
कटिहार	28	17	11	104	72	32
भागलपुर	18	17	1	112	84	28
बांका	18	11	7	72	58	14
मुंगेर	20	20	0	38	26	12
लखीसराय	10	9	1	38	16	22
बेगूसराय	23	23	0	102	71	31
जमुई	34	11	23	64	57	7
खगड़िया	13	8	5	48	36	12
शेखपुरा	10	4	6	56	56	0
योग	878	451	427	3619	1462	2157
कुल स्वीकृत पदों का प्रतिशत		51.37	48.63		40.40	59.60

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 11 : ए.एन.एम. का जिलावार विवरण - 2009-10

जिला	नियमित			संविदा आधारित			प्रति लाख आबादी पर ए.एन.एम. की सं.
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	
पटना	545	520	25	628	393	235	19
नालंदा	405	405	0	370	291	79	29
रोहतास	286	286	0	308	267	41	23
कैमूर	197	147	50	167	167	0	24
बक्सर	212	208	4	208	87	121	21
भोजपुर	370	360	10	350	190	160	25
गया	583	530	53	541	322	219	25
औरंगाबाद	340	306	34	285	188	97	25
जहानाबाद	216	132	84	151	101	50	25
अरवल	87	58	29	64	36	28	16
नवादा	200	157	43	223	133	90	16
सारण	512	487	25	507	137	370	19
सीवान	370	193	177	438	268	170	17
गोपालगंज	266	207	59	284	52	232	12
मुजफ्फरपुर	583	583	0	583	302	281	24
सीतामढ़ी	300	202	98	341	115	226	12
शिवहर	46	28	18	172	103	69	25
पश्चिम चंपारण	457	353	104	477	264	213	20
पूर्वी चंपारण	419	291	128	503	285	218	15
वैशाली	421	418	3	418	245	173	24
दरभंगा	358	256	102	419	186	233	13
समस्तीपुर	476	456	20	486	311	175	23
मधुबनी	584	371	213	544	69	475	12
सहरसा	189	172	17	212	175	37	23
सुपौल	212	89	123	246	72	174	9
मधेपुरा	240	96	144	191	39	152	9
पूर्णिया	356	271	85	370	235	135	20
अररिया	274	158	116	290	245	45	19
किशनगंज	166	132	34	186	21	165	12
कटिहार	362	216	146	345	83	262	12
भागलपुर	394	367	27	362	235	127	25
बांका	280	273	7	265	193	72	29
मुंगेर	167	165	2	165	138	27	27
लखीसराय	132	132	0	126	72	54	25
बेगूसराय	366	359	7	360	227	133	25
जमुई	230	213	17	212	158	54	27
खगड़िया	206	171	35	193	148	45	25
शेखपुरा	121	111	10	86	67	19	34
योग	**11928**	**9879**	**2049**	**12076**	**6620**	**5456**	20

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 11 (जारी) : ए.एन.एम. का जिलावार विवरण - 2010-11 (जनवरी 2011 तक)

जिला	ए.एन.एम.						
	नियमित			संविदा आधारित			प्रति लाख आबादी पर ए.एन.एम. की सं.
	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थापित	रिक्त	
पटना	544	537	7	418	393	25	20
नालंदा	396	396	0	370	289	81	29
रोहतास	286	238	48	308	267	41	21
कैमूर	144	144	0	287	167	120	24
बक्सर	212	208	4	208	84	124	21
भोजपुर	361	324	37	284	199	85	23
गया	583	530	53	541	322	219	25
औरंगाबाद	340	306	34	285	202	83	25
जहानाबाद	156	150	6	151	101	50	27
अरवल	125	61	64	64	48	16	18
नवादा	200	157	43	223	133	90	16
सारण	512	368	144	507	137	370	16
सीवान	370	193	177	438	268	170	17
गोपालगंज	266	223	43	186	57	129	13
मुजफ्फरपुर	583	583	0	583	366	217	25
सीतामढ़ी	300	202	98	341	115	226	12
शिवहर	46	25	21	172	112	60	27
पश्चिम चंपारण	457	353	104	457	264	193	20
पूर्वी चंपारण	419	291	128	503	285	218	15
वैशाली	421	418	3	418	348	70	28
दरभंगा	358	256	102	419	183	236	13
समस्तीपुर	476	456	20	486	299	187	22
मधुबनी	584	371	213	429	166	263	15
सहरसा	189	172	17	152	50	102	15
सुपौल	212	89	123	246	70	176	9
मधेपुरा	196	96	100	153	49	104	9
पूर्णिया	356	251	105	370	235	135	19
अररिया	275	148	127	290	145	145	14
किशनगंज	166	97	69	186	40	146	11
कटिहार	362	211	151	345	220	125	18
भागलपुर	394	367	27	362	235	127	25
बांका	280	273	7	265	195	70	29
मुंगेर	167	165	2	165	135	30	26
लखीसराय	132	132	0	102	72	30	25
बेगूसराय	366	359	7	360	227	133	25
जमुई	230	213	17	212	179	33	28
खगड़िया	206	165	41	193	148	45	24
शेखपुरा	121	111	10	85	80	5	36
योग	**11791**	**9639**	**2152**	**11564**	**6885**	**4679**	**20**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 12 : आशा कर्मियों का जिलावार विवरण - 2009-10

जिला	आशा के चयन का लक्ष्य (सं.)	अभी तक आशा का चयन	मॉड्यूल 1 के जरिए प्रशिक्षित आशा की सं.	चयन का प्रतिशत	मॉड्यूल 1 के जरिए प्रशिक्षित आशा का प्रतिशत	प्रति लाख आबादी पर आशा की सं.	प्रति लाख आबादी पर प्रशिक्षित आशा की सं.
पटना	3233	2620	2193	81.04	83.7	56	46
नालंदा	2365	2295	1974	97.04	86.01	97	83
रोहतास	2490	2050	1945	82.33	94.88	84	79
कैमूर	1462	1247	1247	85.29	100.00	97	97
बक्सर	1493	1413	974	94.64	68.93	101	69
भोजपुर	2264	1827	1766	80.70	96.66	81	79
गया	3514	2925	2345	83.24	80.17	84	68
औरंगाबाद	2160	2157	1805	99.86	83.68	107	90
जहानाबाद	871	868	769	99.66	88.59	94	83
अरवल	773	734	630	94.95	85.83	125	107
नवादा	1959	1768	1284	90.25	72.62	98	71
सारण	3459	2763	2595	79.88	93.92	85	80
सीवान	3008	2538	2327	84.38	91.69	94	86
गोपालगंज	2371	2050	1945	86.46	94.88	95	90
मुजफ्फरपुर	3984	3337	3082	83.76	92.36	89	82
सीतामढ़ी	2965	2223	1781	74.97	80.12	83	66
शिवहर	580	473	380	81.55	80.34	92	74
पश्चिम चंपारण	3206	2816	2180	87.84	77.41	93	72
पूर्वी चंपारण	4326	3210	2598	74.20	80.93	81	66
वैशाली	2969	2532	2530	85.28	99.92	93	93
दरभंगा	3550	2446	2415	68.90	98.73	74	73
समस्तीपुर	3835	3143	3096	81.96	98.50	93	91
मधुबनी	4046	3034	2734	74.99	90.11	85	76
सहरसा	1622	903	646	55.67	71.54	60	43
सुपौल	1928	1563	1510	81.07	96.61	90	87
मधेपुरा	1711	1459	1409	85.27	96.57	96	92
पूर्णिया	2723	2374	2030	87.18	85.51	93	80
अररिया	2376	2026	2026	85.27	100.00	94	94
किशनगंज	1368	1146	1126	83.77	98.25	88	87
कटिहार	2549	2331	1729	91.45	74.17	97	72
भागलपुर	2311	1971	1971	85.29	100.00	81	81
बांका	1820	1684	1498	92.53	88.95	105	93
मुंगेर	961	906	820	94.28	90.51	80	72
लखीसराय	802	557	415	69.45	74.51	69	52
बेगूसराय	2629	2148	2117	81.70	98.56	91	90
जमुई	1520	1370	1320	90.13	96.35	98	94
खगड़िया	1412	1356	851	96.03	62.76	106	66
शेखपुरा	521	453	433	86.95	95.58	86	82
योग	**87136**	**72716**	**64496**	**83.45**	**88.70**	**88**	**78**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 12 (जारी) : आशा कर्मियों का जिलावार विवरण - 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)

जिला	आशा के चयन का लक्ष्य (सं.)	अभी तक आशा का चयन	मॉड्यूल 1 के जरिए प्रशिक्षित आशा की सं.	चयन का प्रतिशत	मॉड्यूल 1 के जरिए प्रशिक्षित आशा का प्रतिशत	प्रति लाख आबादी पर आशा की सं.	प्रति लाख आबादी पर प्रशिक्षित आशा की सं.
पटना	3233	2706	2302	83.70	85.07	57	49
नालंदा	2365	2334	2217	98.69	94.99	98	94
रोहतास	2490	2276	1950	91.41	85.68	93	80
कैमूर	1462	1417	1247	96.92	88.00	110	97
बक्सर	1493	1492	1274	99.93	85.39	106	91
भोजपुर	2264	2099	1766	92.71	84.14	94	79
गया	3514	3352	2631	95.39	78.49	97	76
औरंगाबाद	2160	2160	1805	100.00	83.56	107	90
जहानाबाद	871	871	769	100.00	88.29	94	83
अरवल	773	773	635	100.00	82.15	131	108
नवादा	1959	1959	1284	100.00	65.54	108	71
सारण	3459	2363	2701	68.31	114.30	73	83
सीवान	3008	2655	2538	88.26	95.59	98	94
गोपालगंज	2371	2034	1945	85.79	95.62	94	90
मुजफ्फरपुर	3984	3558	3115	89.31	87.55	95	83
सीतामढ़ी	2965	2204	1995	74.33	90.52	82	74
शिवहर	580	473	473	81.55	100.00	92	92
पश्चिम चंपारण	3206	3063	2247	95.54	73.36	101	74
पूर्वी चंपारण	4326	3410	2686	78.83	78.77	87	68
वैशाली	2969	2582	2532	86.97	98.06	95	93
दरभंगा	3550	3546	2415	99.89	68.10	108	73
समस्तीपुर	3835	3409	3096	88.89	90.82	100	91
मधुबनी	4046	3472	2734	85.81	78.74	97	76
सहरसा	1622	1242	667	76.57	53.70	82	44
सुपौल	1928	1690	1510	87.66	89.35	98	87
मधेपुरा	1711	1561	1459	91.23	93.47	102	96
पूर्णिया	2723	2270	2210	83.36	97.36	89	87
अररिया	2376	2336	2026	98.32	86.73	108	94
किशनगंज	1368	1334	1126	97.51	84.41	103	87
कटिहार	2549	2514	1779	98.63	70.76	105	74
भागलपुर	2311	2114	1971	91.48	93.24	87	81
बांका	1820	1722	1506	94.62	87.46	107	94
मुंगेर	961	947	945	98.54	99.79	83	83
लखीसराय	802	701	551	87.41	78.60	87	69
बेगूसराय	2629	2310	2117	87.87	91.65	98	90
जमुई	1520	1488	1488	97.89	100.00	106	106
खगड़िया	1412	1376	851	97.45	61.85	107	66
शेखपुरा	521	458	433	87.91	94.54	87	82
योग	**87136**	**78271**	**66996**	**89.83**	**85.59**	**94**	**81**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 13 : जिलावार विवरण - संस्थागत प्रसव 2009-10

जिला	अप्रैल '09	मई '09	जून '09	जुलाई '09	अगस्त '09	सितंबर '09	अक्तूबर '09	नवंबर '09	दिसंबर '09	जनवरी '10	फरवरी '10	मार्च '10
पटना	2720	2604	2340	3393	4363	5883	6598	5587	4652	5095	3506	3468
नालंदा	1876	1695	1799	2326	3172	3770	3938	3485	3109	2880	2640	2481
रोहतास	1846	1781	1766	2637	3404	3402	3782	3626	3342	3057	2272	2023
कैमूर	1064	1052	1115	1582	2159	2815	3581	3654	3837	2762	1906	1789
बक्सर	748	784	786	788	788	1345	1759	1615	1614	1345	1146	1162
भोजपुर	1992	2175	1848	2467	3545	3704	3585	2916	3009	2334	1978	2121
गया	1962	1820	1896	2679	3489	4191	3888	3584	3314	2998	2566	2642
औरंगाबाद	1152	2302	1759	2191	2875	3082	3422	3238	2739	2311	2135	1852
जहानाबाद	1139	992	1135	1705	1894	2216	2589	2423	2004	1677	1522	1481
अरवल	467	417	432	615	801	810	1053	868	846	710	567	554
नवादा	1379	1544	1410	1852	2589	3047	2793	2360	2349	2425	1673	1465
सारण	2485	2305	2061	2773	4118	5010	4584	3340	3651	2987	3272	3354
सीवान	2367	2130	2039	2947	3805	3775	3597	3336	3286	3361	3114	3209
गोपालगंज	2446	2120	2108	3095	3787	3613	3586	2955	2874	2958	2805	2788
मुजफ्फरपुर	3500	3022	2323	3241	3946	4169	3978	4077	3765	3667	3722	4142
सीतामढ़ी	1278	1172	1208	1367	1904	2175	2666	2281	1876	1491	1538	1574
शिवहर	195	161	152	209	367	426	451	351	233	219	221	235
पश्चिम चंपारण	3688	3597	3302	4413	5155	6107	5631	4538	4318	4068	3911	4286
पूर्वी चंपारण	5390	4799	5193	6342	6751	6990	7205	7619	7851	8048	8205	9271
वैशाली	3277	2752	2662	3949	4947	4517	4050	3689	3486	3555	3442	3400
दरभंगा	1744	2207	2148	2807	3152	3254	3376	3403	3141	4298	4649	4742
समस्तीपुर	5741	4799	4624	6610	8263	8651	8632	7953	7385	6979	6792	6447
मधुबनी	2429	3090	1558	2223	2977	3594	3834	4174	4555	3708	4247	3865
सहरसा	1523	1484	1403	2024	2777	3241	3499	2940	2358	1882	1847	1835
सुपौल	1884	1693	1571	2005	3091	3485	4063	3599	2714	2265	2136	2101
मधेपुरा	1399	1203	1177	1358	2543	3274	3973	3546	2468	1795	1725	1604
पूर्णिया	6007	3179	2746	3485	5536	6085	6870	4728	4142	3726	3950	3672
अररिया	2528	1878	1990	2536	3398	4694	4804	3428	2839	2694	2835	2726
किशनगंज	1500	1258	1274	1432	1590	2189	2402	2117	1968	2223	1984	2096
कटिहार	1563	1582	1442	1747	2023	2425	2822	2503	2822	1976	2117	1729
भागलपुर	2644	2348	2059	2970	3869	4481	4764	3513	2925	2501	2467	2376
बांका	1727	1566	1408	1860	2591	3185	3155	2327	1951	1621	1399	1445
मुंगेर	1099	877	910	1384	1958	2580	2420	2024	1679	1415	1265	1237
लखीसराय	510	523	654	799	1204	1263	1160	1070	980	754	613	604
बेगूसराय	2528	1887	1948	2920	3919	4031	3672	3420	3567	3319	3036	3013
जमुई	1257	1142	1142	1814	2535	2705	2565	2366	1820	1713	1406	1835
खगड़िया	2080	1974	1803	2664	3347	3588	3699	3166	3006	3104	2834	2708
शेखपुरा	679	659	704	990	1464	1628	1732	1540	1249	975	829	757
योग	79813	72573	67895	92199	120096	135400	140178	123359	113724	104896	98272	98089

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 13 (जारी) : जिलावार विवरण - संस्थागत प्रसव 2008-09

जिला	अप्रैल '08	मई '08	जून '08	जुलाई '08	अगस्त '08	सितंबर '08	अक्तूबर '08	नवंबर '08	दिसंबर '08	जनवरी '09	फरवरी '09	मार्च '09
पटना	अनु.	4875	2681	4150	3685	6285	7435	5886	4715	2460	2381	3227
नालंदा	2250	2025	2080	2791	3950	4020	4199	3299	3749	2040	2885	2073
रोहतास	2029	2177	1906	2785	3752	3958	4033	3968	4137	1221	1700	2237
कैमूर	1060	1185	1203	1605	2048	2445	2403	2357	1979	885	1133	1206
बक्सर	990	1095	1141	1322	1420	1631	1654	1384	1333	112	628	872
भोजपुर	1858	1736	1835	2089	3019	3445	3381	4603	3221	1048	1571	2670
गया	1451	1467	1379	2012	2967	3358	3718	3559	3248	1440	1828	2157
औरंगाबाद	1234	1914	1850	2090	2855	3140	3456	4017	3396	1238	1234	2576
जहानाबाद	1418	1394	1254	1711	1997	2388	2466	1964	1748	1108	971	1389
अरवल	531	552	537	770	1109	1201	1400	1097	1090	777	571	554
नवादा	1310	132	1342	अनु.	2179	2568	2725	2705	2386	1369	1175	1408
सारण	2020	2681	2480	3081	4388	5191	5505	4780	5375	2323	2992	3344
सीवान	1297	NA	1200	1443	1997	2673	2962	2737	3676	2989	2752	2630
गोपालगंज	2118	2286	2161	2841	3658	3925	3896	3407	3325	2273	3287	2966
मुजफ्फरपुर	1044	1070	1106	1620	3001	3693	4171	5099	4934	4204	3916	3861
सीतामढ़ी	246	217	117	196	296	398	480	365	2075	833	1692	1385
शिवहर	1618	2216	2262	2936	3904	3642	3642	3331	327	63	138	166
पश्चिम चंपारण	2908	3244	3346	4018	4461	6006	5432	4799	4612	4233	4158	4196
पूर्वी चंपारण	2236	2231	1993	2605	4062	6044	6959	7682	6582	5693	4177	5840
वैशाली	3534	3215	2972	4225	5772	6363	4887	4129	4812	2120	3141	4604
दरभंगा	2295	3078	2470	2813	3359	3873	6450	4202	4021	1299	2585	2611
समस्तीपुर	5226	4911	4183	6034	8603	9223	9484	8373	8493	4494	6455	6993
मधुबनी	1807	1586	1504	1921	2784	91	4274	4548	4172	2135	2802	3397
सहरसा	732	842	913	1052	1711	0	3027	2621	2013	1539	1630	1878
सुपौल	अनु.	1236	3904	1786	अनु.	2980	3462	3115	2635	1947	1842	2187
मधेपुरा	1010	1755	1017	974	अनु.	अनु.	1494	1642	1414	611	1204	1493
पूर्णिया	2512	2324	2306	2897	4685	6252	6398	5231	4365	2878	3250	3488
अररिया	1588	1576	1515	1812	2254	3486	3919	3494	3743	3830	2554	2136
किशनगंज	1398	1274	1124	अनु.	1314	2025	2116	1697	2143	1387	2036	2119
कटिहार	585	671	612	1175	1587	2137	2412	2057	1847	1330	1461	1622
भागलपुर	2834	2635	2046	3088	4342	5382	5889	4683	3636	1379	2367	3281
बांका	1715	1615	1329	1801	2539	3286	3839	3152	2564	522	997	1839
मुंगेर	1132	1080	984	1353	1874	2261	2545	1976	1749	979	1214	1284
लखीसराय	690	713	643	939	1317	1456	1354	1242	1126	870	631	737
बेगूसराय	2821	2756	2881	4113	5197	5291	4862	3866	3625	अनु.	2141	2884
जमुई	900	864	864	1200	1691	2131	2563	2343	2232	1600	1592	1417
खगड़िया	1585	अनु.	1328	2058	2901	3290	3417	3509	3564	2536	2293	2136
शेखपुरा	650	757	728	949	1490	1797	1693	1461	1252	804	752	804
योग	**60632**	**65385**	**65196**	**80255**	**108168**	**127335**	**144002**	**130380**	**121314**	**68569**	**80136**	**91667**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 14 : जिला स्वास्थ्य समिति को संवितरित जिलावार राशि (2009-10) (रु. में)

जिला	एनआरएचएम-ए	एनआरएचएम-बी	एनआरएचएम-सी	योग
पटना	107375714	181974027	74671678	364021419
नालंदा	88679355	22162565	25063096	135905016
रोहतास	123769923	50529803	14186572	188486298
कैमूर	63644844	40294613	12041905	115981362
बक्सर	46312130	41145665	7940426	95398221
भोजपुर	69461082	57317690	19176756	145955528
गया	93536803	70603509	24922459	189062771
औरंगाबाद	76662445	47165110	11798065	135625620
जहानाबाद	46215798	26519585	12667764	85403147
अरवल	36200553	8235169	4275700	48711422
नवादा	17058211	14975632	4650893	36684736
सारण	146836594	18008163	15268584	180113341
सीवान	96659726	62622617	10700390	169982733
गोपालगंज	76322458	30204526	9932520	116459504
मुजफ्फरपुर	168182161	62290880	43913352	274386393
सीतामढ़ी	66599647	43899500	30853985	141353132
शिवहर	10080466	16053593	5061727	31195786
पश्चिम चंपारण	171903551	1998520	24619053	198521124
पूर्वी चंपारण	51567051	6449864	28853013	86869928
वैशाली	154552756	54169625	21962874	230685255
दरभंगा	131182668	65881844	26884795	223949307
समस्तीपुर	123683390	55621423	35809781	215114594
मधुबनी	146546475	0	34408624	180955099
सहरसा	62475535	0	24448655	86924190
सुपौल	90176090	36389582	20395831	146961503
मधेपुरा	47173212	2844845	26914656	76932713
पूर्णिया	138120474	64608491	34100746	236829711
अररिया	79653693	39514598	48549763	167718054
किशनगंज	63406620	41285549	13870359	118562528
कटिहार	73417872	74737645	24147793	172303310
भागलपुर	85119476	59142512	26634757	170896745
बांका	65024737	77076128	10491520	152592385
मुंगेर	44913585	28629624	10735869	84279078
लखीसराय	31217593	4103126	10335075	45655794
बेगूसराय	142690536	70151587	30085504	242927627
जमुई	58899121	68998427	8373131	136270679
खगड़िया	73178400	13236278	19784012	106198690
शेखपुरा	37991171	18988086	5832050	62811307
पीएमसीएच, पटना	6505600	0	0	6505600
एनएमसीएच, पटना	3100000	0	0	3100000
जेएलएनएमसीएच, भागलपुर	1120000	0	0	1120000
एएनएमसीएच, गया	2670000	0	0	2670000
डीएमसीएच, दरभंगा	2704000	0	0	2704000
राजवंशी नगर	0	0	0	0
एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर	5060000	0	0	5060000
सीडीपीओ वेहिकल	0	0	0	0
योग	**3227651516**	**1577830401**	**814363733**	**5619845650**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 14 (जारी) : जिला स्वास्थ्य समिति को संवितरित जिलावार राशि (2010-11, अक्तू. 10 तक) (रु. में)

जिला	एनआरएचएम-ए	एनआरएचएम-बी	एनआरएचएम-सी	अन्य	योग
पटना	88108859	0	36380453	1591424	126080736
नालंदा	54602337	32803317	17146740	1624542	106176936
रोहतास	27958757	25848043	7242460	999315	62048575
कैमूर	52811323	20666634	3748279	685348	77911584
बक्सर	36771194	15186702	3697596	1261748	56917240
भोजपुर	38195770	38045093	9454278	1381730	87076871
गया	66972144	43687884	5806381	446551	116912960
औरंगाबाद	18404976	25383223	3704676	1083398	48576273
जहानाबाद	25123232	25410469	6013754	23640	56571095
अरवल	16859280	12211517	1357389	574886	31003072
नवादा	54982415	5056464	12206957	829680	73075516
सारण	22807248	31922291	16516739	798242	72044520
सीवान	71084671	28304349	6406173	913665	106708858
गोपालगंज	56956536	39882507	4669053	1550030	103058126
मुजफ्फरपुर	42931575	45883003	0	728484	89543062
सीतामढ़ी	176235	20697164	12379814	703411	33956624
शिवहर	15232045	530716	2905782	458208	19126751
पश्चिम चंपारण	46695935	23018269	9331170	2135538	81180912
पूर्वी चंपारण	91075453	44552094	31047742	2060482	168735771
वैशाली	0	25352525	6822255	1092659	33267439
दरभंगा	76134830	1881511	14984086	1168788	94169215
समस्तीपुर	130246736	29973035	23123742	5568792	188912305
मधुबनी	57648955	24315114	21637144	1193065	104794278
सहरसा	48393684	21096815	11536164	1125271	82151934
सुपौल	117490	0	10782466	664448	11564404
मधेपुरा	58730959	13647859	12801527	557902	85738247
पूर्णिया	111419676	12793196	20638480	3243680	148095032
अररिया	67951262	9459099	7768228	928294	86106883
किशनगंज	36398080	5434839	4692020	711440	47236379
कटिहार	55768028	7973821	22705872	658084	87105805
भागलपुर	65488174	21845052	18490797	1252084	107076107
बांका	37186921	16915694	3542939	741448	58387002
मुंगेर	43668623	12501797	7918687	794094	64883201
लखीसराय	15559183	10766642	3049038	620140	29995003
बेगूसराय	40964016	13471063	15065739	1263238	70764056
जमुई	36861678	6361159	4809818	720471	48753126
खगड़िया	59369550	22550475	7944324	1060140	90924489
शेखपुरा	12889112	3412147	2645451	23640	18970350
पीएमसीएच, पटना	0	0	0	0	0
एनएमएसीएच, पटना	0	0	0	0	0
जेएलएनएमसीएच, भागलपुर	0	0	0	0	0
एएनएमसीएच, गया	0	0	0	0	0
डीएमसीएच, दरभंगा	0	0	0	0	0
राजवंशी नगर	0	0	0	0	0
सीडीपीओ वेहिकल	0	0	0	0	0
योग	**1782546942**	**738841582**	**410974213**	**43238000**	**2975600737**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति

परिशिष्ट 15 : अनाच्छादित और अंशतः आच्छादित बसाहटों के लिए हासिल जिलावार आच्छादन

जिला	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10	2010-11	पूर्णतः आच्छादित
	अना.	अंश.	योग	अना.	अंश.	योग	अना.	अंश.	योग	योग *	योग *	
पटना	160	134	294	0	0	0	162	477	639	830	379	2142
नालंदा	184	184	368	3	29	32	271	382	653	526	171	1750
रोहतास	150	132	282	0	0	0	173	322	495	798	61	1636
कैमूर	181	60	241	23	54	77	30	241	271	414	70	1073
बक्सर	198	30	228	121	30	151	400	86	486	455	428	1748
भोजपुर	70	53	123	0	0	0	36	428	464	824	189	1600
गया	790	419	1209	19	0	19	670	327	997	1305	221	3751
औरंगाबाद	173	157	330	25	25	50	206	202	408	468	5	1261
जहानाबाद और अरवल	48	194	242	0	13	13	52	266	318	374	93	1040
नवादा	52	134	186	5	24	29	101	243	344	721	68	1348
सारण	276	261	537	5	21	26	124	891	1015	878	434	2890
सीवान	216	94	310	395	176	571	603	131	734	712	58	2385
गोपालगंज	674	654	1328	342	610	952	10	335	345	747	0	3372
मुजफ्फरपुर	362	198	560	34	317	351	198	208	406	1272	99	2688
सीतामढ़ी	109	305	414	14	47	61	113	485	598	239	156	1468
शिवहर	0	*73*	73	0	0	0	0	79	79	20	34	206
प. चंपारण	0	43	43	0	0	0	0	394	394	701	207	1345
पू. चंपारण	333	384	717	130	123	253	303	868	1171	664	112	2917
वैशाली	60	103	163	10	7	17	488	555	1043	823	60	2106
दरभंगा	167	342	509	0	215	215	141	734	875	803	93	2495
समस्तीपुर	0	405	405	0	370	370	0	889	889	1007	242	2913
मधुबनी	107	218	325	15	41	56	267	776	1043	1175	436	3035
सहरसा	0	599	599	0	147	147	0	501	501	620	93	1960
सुपौल	0	954	954	0	34	34	0	660	660	543	0	2191
मधेपुरा	0	301	301	0	37	37	0	623	623	932	54	1947
पूर्णिया	853	208	1061	134	66	200	419	318	737	1263	10	3271
अररिया	95	186	281	77	83	160	65	481	546	279	36	1302
किशनगंज	200	90	290	804	459	1263	201	88	289	1491	276	3609
कटिहार	55	174	229	4	25	29	46	328	374	1046	98	1776
भागलपुर	372	161	533	139	84	223	339	261	600	923	208	2487
बांका	236	172	408	0	0	0	200	220	420	576	74	1478
मुंगेर	0	22	22	0	0	0	0	117	117	197	26	362
लखीसराय	125	65	190	29	22	51	256	54	310	443	56	1050
बेगूसराय	945	0	945	200	276	476	202	155	357	801	43	2622
जमुई	570	125	695	75	10	85	259	170	429	565	130	1904
खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	73	800
शेखपुरा	0	35	35	0	0	0	1	74	75	123	29	262
योग	7761	7669	15430	2603	3345	5948	6336	13369	19705	26285	4822	72190

*योग : नहीं जोड़ी गई बस्तियां/ जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं शामिल

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

परिशिष्ट 15 (जारी) : चापाकलों का निर्माण

जिला का नाम	लोक स्वच्छता प्रभाग	भौतिक उपलब्धि			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. '10 तक)
पटना	पूर्वी पटना	32	620	3118	1025
नालंदा	बिहारशरीफ	31	347	1846	1798
रोहतास	सासाराम	26	294	390	634
कैमूर	भभुआ	109	261	397	525
बक्सर	बक्सर	534	53	1014	1611
भोजपुर	आरा	14	270	679	426
गया	गया	1746	357	1931	1839
औरंगाबाद	औरंगाबाद	120	829	835	878
जहानाबाद एवं अरवल	जहानाबाद	30	142	119	302
नवादा	नवादा	5	201	1537	866
सारण	छपरा	969	54	1970	1162
सीवान	सीवान	627	949	2451	734
गोपालगंज	गोपालगंज	1357	579	1557	331
मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	863	1603	2964	2206
सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	319	27	792	564
शिवहर	सीतामढ़ी	83	158	170	167
पश्चिम चंपारण	बेतिया	0	0	970	361
पूर्वी चंपारण	मोतिहारी	504	143	1122	867
वैशाली	हाजीपुर	1	1171	1922	1190
दरभंगा	दरभंगा	341	1168	1537	336
समस्तीपुर	समस्तीपुर	502	691	2812	701
मधुबनी	मधुबनी	0	180	2277	1139
सहरसा	सहरसा	227	590	647	209
सुपौल	सहरसा	83	652	871	159
मधेपुरा	मधेपुरा	184	414	860	454
पूर्णिया	पूर्णिया	650	0	2039	715
अररिया	अररिया	357	387	967	216
किशनगंज	पूर्णिया	1926	0	761	349
कटिहार	कटिहार	622	530	843	83
भागलपुर	पूर्वी भागलपुर	744	1682	1489	1454
बांका	बांका	0	284	1666	904
मुंगेर	मुंगेर	79	440	531	348
लखीसराय	शेखपुरा	116	392	881	144
बेगूसराय	बेगूसराय	1384	1597	767	458
जमुई	जमुई	279	823	759	444
खगड़िया	खगड़िया	5	450	452	199
शेखपुरा	शेखपुरा	29	214	245	296
योग		**14898**	**18552**	**46188**	**26094**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

परिशिष्ट 15 (जारी) : पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट

जिला	2009-10						
	पारिवारिक शौचालय			स्वच्छता परिसर	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	ग्रामीण स्वच्छता बाजार/ उत्पाकन केंद्र
	बीपीएल	एपीएल	योग				
पटना	9653	5019	14672	0	835	0	0
नालंदा	17127	5480	22607	0	152	20	0
रोहतास	163	37	200	0	30	0	0
कैमूर	2342	0	2342	2	12	1	0
बक्सर	2985	2972	5957	0	0	0	0
भोजपुर	8202	6677	14879	0	0	0	0
गया	31207	7515	38722	0	601	12	0
औरंगाबाद	3872	2210	6082	5	0	0	0
जहानाबाद	936	48	984	0	70	0	0
अरवल	1370	12	1382	3	0	0	0
नवादा	8545	2981	11526	0	193	0	0
सारण	16070	9343	25413	0	85	0	0
सीवान	21653	9602	31255	0	214	66	0
गोपालगंज	10899	5165	16064	0	1	5	0
मुजफ्फरपुर	81203	37400	118603	0	906	0	0
सीतामढ़ी	4058	663	4721				0
शिवहर	2328	557	2885	0	1	0	0
पश्चिम चंपारण	22830	4298	27128	0	42	0	0
पूर्वी चंपारण	26974	3674	30648	1	33	0	82
वैशाली	19032	21363	40395	0	17	27	0
दरभंगा	12121	1875	13996	0	26	0	0
समस्तीपुर	32832	6877	39709	0	551	70	0
मधुबनी	12520	2270	14790	0	42	0	0
सहरसा	8867	507	9374	0	135	0	0
सुपौल	2845	339	3184	0	27	0	0
मधेपुरा	14689	5001	19690	0	12	0	0
पूर्णिया	5721	427	6148	1	4	0	0
अररिया	3600	185	3785	0	0	0	0
किशनगंज	2773	0	2773	0	2	0	0
कटिहार	19884	1328	21212	0	8	0	0
भागलपुर	10756	9944	20700	0	516	0	0
बांका	300	473	773	1	1	0	0
मुंगेर	182	178	360	0	33	0	0
लखीसराय	3912	1564	5476	0	30	0	0
बेगूसराय	19529	4493	24022	1	24	0	0
जमुई	5431	2050	7481	0	20	2	0
खगड़िया	5719	5573	11292	6	26	0	0
शेखपुरा	2045	765	2810	0	4	0	0
योग	**455175**	**168865**	**624040**	**20**	**4653**	**203**	**82**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

परिशिष्ट 15 (जारी) : पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट

जिला	2010-11 (अक्तू. '10 तक)						
	पारिवारिक शौचालय			स्वच्छता परिसर	स्कूली शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	ग्रामीण स्वच्छता बाजार/ उत्पाकन केंद्र
	बीपीएल	एपीएल	योग				
पटना	39444	516	39960	0	59	0	0
नालंदा	8459	911	9370	0	13	20	0
रोहतास	5720	3780	9500	0	73	0	0
कैमूर	305	1381	1686	0	2	0	0
बक्सर	0	25373	25373	9	51	12	0
भोजपुर	8382	6884	15266	0	5	0	0
गया	7189	2397	9586	0	204	20	0
औरंगाबाद	6748	1601	8349	4	30	0	0
जहानाबाद	2295	907	3202	0	0	0	0
अरवल	5247	225	5472	0	62	0	0
नवादा	933	373	1306	5	0	0	0
सारण	11610	8261	19871	0	73	0	0
सीवान	3758	1439	5197	0	25	0	0
गोपालगंज	766	570	1336	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	15350	0	15350	0	0	0	0
सीतामढ़ी	5591	1166	6757	0	11	0	0
शिवहर	2924	899	3823	0	7	0	0
पश्चिम चंपारण	9326	2068	11394	0	0	0	0
पूर्वी चंपारण	11673	2607	14280	0	0	0	93
वैशाली	7092	9957	17049	0	24	3	0
दरभंगा	21511	2459	23970	0	0	0	0
समस्तीपुर	2842	0	2842	0	12	0	0
मधुबनी	1870	1661	3531	0	144	0	0
सहरसा	10949	2407	13356	0	152	0	0
सुपौल	4782	311	5093	0	94	0	0
मधेपुरा	18259	4881	23140	0	0	0	0
पूर्णिया	18980	3404	22384	0	24	0	0
अररिया	3186	22	3208	0	0	0	0
किशनगंज	4278	0	4278	0	84	0	0
कटिहार	3297	1063	4360	1	0	0	0
भागलपुर	8664	0	8664	2	42	0	0
बांका	1514	838	2352	0	4	1	0
मुंगेर	3287	539	3826	0	5	10	0
लखीसराय	2265	947	3212	0	18	0	0
बेगूसराय	15615	1975	17590	1	16	0	0
जमुई	2670	189	2859	0	0	1	0
खगड़िया	2161	259	2420	12	6	0	0
शेखपुरा	3581	1743	5324	1	0	0	0
योग	**282523**	**94013**	**376536**	**35**	**1240**	**67**	**93**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

परिशिष्ट 16 : बिहार में कार्य सहभागिता दरें

(प्रतिशत)

जिला	समस्त			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बिहार	**32.9**	**46.3**	**18.4**	**38.2**	**47.5**	**28.2**	**45.2**	**52.9**	**36.9**
पटना	30.2	44.9	13.3	37.6	47.4	26.5	46.1	58.1	29.5
नालंदा	38.1	48.3	27	44.7	50.3	38.5	54.3	63.9	43
रोहतास	30.4	45.7	13.5	36.1	47.5	23.4	39.4	50.9	26.8
कैमूर	34.4	46.6	20.7	39.3	47	30.8	42.6	51.8	32.6
बक्सर	29.1	44.6	11.9	35.1	46.6	22.3	31.3	46.6	13.2
भोजपुर	29.1	44.1	12.6	35.8	47.1	23.1	30.2	44.8	13.4
गया	36.8	47.4	25.5	43.7	50.1	36.9	41.2	51.2	30.4
औरंगाबाद	0	0	0	39.1	48	29.6	41	51.8	29
जहानाबाद	38.4	48.1	27.9	44.8	50.3	38.9	61	67.6	53.3
नवादा	37.3	48.1	25.8	0	0	0	48	54.4	41
सारण	26.5	42.1	10.4	32.3	43.5	20.6	30.2	42.6	17.4
सीवान	26.9	41.5	12.8	32.8	42.6	23	30.2	42.2	18.3
गोपालगंज	29.8	44.6	15.1	36.5	46.6	26.1	36	47.5	25.2
मुजफ्फरपुर	30.4	46.7	12.7	35.2	48.5	20.9	31.9	45.1	17.8
सीतामढ़ी	31.9	50.3	11.2	35.9	52.1	17.8	31.6	50.1	10.6
शिवहर	31.2	50.3	9.8	35	51.7	16.2	23.4	40	3.4
पश्चिम चंपारण	37.9	50.8	23.6	44.8	53.5	35.3	46.3	53.7	38.5
पूर्वी चंपारण	32.7	48.8	14.7	38.3	50.9	24.3	37.5	52.1	21.5
वैशाली	28.8	45.3	10.9	33.4	47.3	18.4	45.9	55.7	35.3
दरभंगा	31.2	46.1	14.9	36.1	47.9	23.2	44.2	56.7	28.6
समस्तीपुर	31.6	46.8	15.1	35.7	48.1	22.3	62.9	71	28.2
मधुबनी	34.3	47.8	20.1	39.6	49.8	28.7	30.6	47.4	12.7
सहरसा	39.1	48.9	28.4	46.3	51.3	40.9	47.2	51.8	42.2
सुपौल	42	50.4	33	46.6	51.7	41.1	45.8	49.9	41.5
मधेपुरा	44.8	51.7	37.3	49.6	52.6	46.5	51.6	53.4	49.7
पूर्णिया	37.8	51	23.3	46.9	52.8	40.5	47.1	53.1	40.7
अररिया	39.5	52.1	25.8	48.2	53.9	42	51.1	55.7	46.2
किशनगंज	32.2	52.7	10.2	36.6	53	19.1	50	60	39.6
कटिहार	37.5	50.9	23.1	42.3	50.9	33.1	45.8	53.7	37.4
भागलपुर	35.3	47.4	21.4	38.4	47.5	28	40.8	48.5	32.1
बांका	39.6	49.9	28.2	42.5	50.7	33.7	48.6	54.7	42.1
मुंगेर	29.1	42.9	13.4	34	44.7	21.9	39.1	48.7	29
लखीसराय	36.5	48.6	23.3	44.9	51.5	37.8	49.6	53.9	44.9
बेगूसराय	31.8	46.2	15.9	35.5	47	23	27.6	41.9	10.4
जमुई	42.7	49.9	34.8	47.7	52.7	42.5	47.4	52.1	42.4
खगड़िया	36.5	48.5	22.9	42.2	50.1	33.5	53	64.3	39.3
शेखपुरा	37	48.1	25	46.1	50.7	41	48.3	60.9	33.3

स्रोत : 2001 की जनगणना

परिशिष्ट 17 क : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विहंगावलोकन (2009-10)

जिला का नाम	सहायता-प्राप्त समूह सदस्यो की सं.			सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं.			प्रशिक्षित समूह सदस्यों की सं			प्रशिक्षित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं.		
	आर्थिक गतिविधि हेतु			आर्थिक गतिविधि हेतु								
	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अजा	महिला
पटना	8371	3131	4114	110	10	0	7872	2419	5193	0	0	0
नालंदा	2479	749	1291	67	27	12	9108	4884	6138	0	0	0
रोहतास	3530	1776	1575	0	0	0	5083	2614	2807	0	0	0
कैमूर	1980	1025	670	61	31	11	1741	1010	897	0	0	0
बक्सर	2530	1270	1110	0	0	0	2621	1315	2359	0	0	0
भोजपुर	5118	2673	2775	431	198	87	4096	1997	2386	0	0	0
गया	2204	1146	608	364	181	85	2204	1146	608	364	181	85
औरंगाबाद	5098	2681	4669	0	0	0	2511	1470	2511	0	0	0
जहानाबाद	732	439	269	14	1	2	732	439	269	14	1	2
नवादा	982	684	760	20	13	6	2733	1929	2699	0	0	0
सारण	3231	1312	3151	148	29	9	8603	4980	8046	46	10	8
सीवान	3694	1545	3694	0	0	0	3694	1545	3694	0	0	0
गोपालगंज	3067	1083	2339	146	8	1	17551	3990	10131	66	19	5
मुजफ्फरपुर	3244	1583	1495	51	25	0	9200	3663	3641	80	40	0
सीतामढ़ी	7138	3712	5782	0	0	0	11438	5948	9264	0	0	0
शिवहर	4340	2185	3038	309	153	168	10105	5068	5950	0	0	0
प. चंपारण	1620	405	1068	94	34	43	1620	405	1068	94	34	43
पू. चंपारण	7220	3600	7190	1486	218	0	3700	1600	3700	0	0	0
वैशाली	5695	1588	4514	0	0	0	17716	5203	14607	0		0
दरभंगा	2920	1168	1512	0	0	0	16367	6029	9186	0	0	0
समस्तीपुर	6010	2410	6010	626	250	0	450	180	450	0	0	0
मधुबनी	13572	5567	5291	0	0	0	5429	3009	163	0	0	0
सहरसा	6709	1790	3750	238	131	55	6709	1790	3750	238	131	55
सुपौल	4250	1028	2903	321	110	73	15691	4464	11530	139	78	50
मधेपुरा	15977	8875	6393	0	0	0	25035	9771	14450	0	0	0
पूर्णिया	912	220	556	56	35	23	912	220	556	56	35	23
अररिया	5544	1500	2460	104	16	69	2436	984	1068	31	4	18
किशनगंज	2076	129	2076	0	0	0	6232	226	6262	0	0	0
कटिहार	1637	125	648	470	62	172	2164	454	1155	0	0	0
भागलपुर	3160	500	1410	118	34	30	750	130	240	0	0	0
बांका	5730	1688	3185	89	0	0	6369	1648	3972	89	0	0
मुंगेर	5922	1924	2927	0	0	0	8062	2806	3597	0	0	0
लखीसराय	1904	259	1562	132	51	30	1904	259	1562	132	51	30
बेगूसराय	532	81	317	36	10	22	879	0	849	0	0	0
जमुई	3935	1016	3095	479	265	357	9180	2520	5626	0	0	0
खगड़िया	2718	1293	2437	120	42	11	4121	2701	3908	0	0	0
शेखपुरा	1740	870	1740	0	0	0	192	96	192	0	0	0
पटना	540	190	311	0	0	0	3149	1123	1975	0	0	0
योग	**158061**	**63220**	**98695**	**6090**	**1934**	**1266**	**238359**	**90035**	**156459**	**1349**	**584**	**319**
योग का %		40.0	62.4		31.8	20.8		37.8	65.6		43.3	23.6

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 17 क (जारी) : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विहंगावलोकन (2010-11, सितंबर 10 तक)

जिला का नाम	सहायता-प्राप्त समूह सदस्यो की सं. आर्थिक गतिविधि हेतु			सहायता-प्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं. आर्थिक गतिविधि हेतु			प्रशिक्षित समूह सदस्यों की सं.			प्रशिक्षित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं.		
	योग	अजा	महिला	योग	अज	महिला	योग	अजा	महिला	योग	अज	महिला
पटना	3137	1100	1449	14	14	0	0	0	0	0	0	0
नालंदा	1385	125	190	27	6	1	4228	1416	2935	0	0	0
रोहतास	994	526	612	0	0	0	870	313	482	0	0	0
कैमूर	1013	519	322	78	47	17	1394	708	389	0	0	0
बक्सर	920	616	750	0	0	0	920	595	790	0	0	0
भोजपुर	3478	1571	2342	70	28	20	4070	1546	3125	0	0	0
गया	731	436	307	186	114	77	731	436	307	186	114	77
औरंगाबाद	1207	675	1163	0	0	0	251	122	251	0	0	0
जहानाबाद	348	180	144	0	0	0	348	180	144	0	0	0
नवादा	568	308	328	36	21	14	144	76	102	0	0	0
सारण	2127	821	2006	271	31	44	6235	3035	6042	285	0	0
सीवान	501	110	501	0	0	0	501	110	501	0	0	0
गोपालगंज	389	44	375	0	0	0	1114	134	655	0	0	0
मुजफ्फरपुर	500	200	225	0	0	0	561	219	419	0	0	0
सीतामढ़ी	1710	445	1570	0	0	0	706	153	698	0	0	0
शिवहर	1260	540	783	57	25	28	4105	2005	2670	0	0	0
प. चंपारण	840	356	758	0	0	0	840	356	758	0	0	0
पू. चंपारण	2590	1170	2590	136	116	0	1225	543	1225	0	0	0
वैशाली	1580	426	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दरभंगा	2040	910	1095	0	0	0	6252	2165	3476	0	0	0
समस्तीपुर	3200	1600	3200	138	18	30	2500	1500	2500	0	0	0
मधुबनी	8112	4138	3162	0	0	0	3245	1799	97	0	0	0
सहरसा	2506	591	1524	66	30	10	2506	591	1524	66	30	10
सुपौल	1231	310	735	40	5	6	6945	1790	5580	0	0	0
मधेपुरा	763	299	659	0	0	0	2783	1167	2483	0	0	0
पूर्णिया	1302	447	873	55	47	30	1302	447	873	55	47	30
अररिया	2127	752	1102	0	0	0	2625	1010	1342	0	0	0
किशनगंज	404	10	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कटिहार	589	67	589	132	32	29	1221	157	1158	0	0	0
भागलपुर	440	90	300	0	0	0	170	30	70	0	0	0
बांका	1550	536	733	25	0	0	1528	524	759	25	0	0
मुंगेर	2695	996	1313	0	0	0	660	286	198	0	0	0
लखीसराय	1466	153	1326	59	5	10	1466	153	1326	0	0	0
बेगूसराय	263	26	153	24	10	11	410	26	304	0	0	0
जमुई	2110	435	793	286	91	95	476	267	210	36	19	13
खगड़िया	1700	712	1643	109	54	5	3034	1368	3000	120	92	14
शेखपुरा	576	288	576	8	4	0	334	151	334	0	0	0
पटना	141	52	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**58493**	**22580**	**37803**	**1817**	**698**	**427**	**65700**	**25378**	**46727**	**773**	**302**	**144**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 17 ख : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भौतिक एवं वित्तीय विहंगावलोकन (2009-10)

जिला	उपलब्ध/ प्रयुक्त धन का विवरण (लाख रु.)			भौतिक उपलब्धियां		
	उपलब्ध	प्रयुक्त	उपयोग दर	वर्ष में गठित समूहों की सं.	वर्ष में गठित महिला समूहों की सं.	महिला समूहों का प्रतिशत
पटना	1134.27	1026.04	90.46	2045	853	41.71
नालंदा	1256.72	582.63	46.36	1070	456	42.62
रोहतास	1162.82	590.78	50.81	792	544	68.69
कैमूर	720.54	449.24	62.35	561	215	38.32
बक्सर	607.54	463.48	76.29	872	528	60.55
भोजपुर	1891.09	1063.26	56.22	1014	585	57.69
गया	1775.3	861.71	48.54	291	268	92.10
औरंगाबाद	1065.02	642.59	60.34	335	327	97.61
जहानाबाद	767.74	173.89	22.65	297	231	77.78
अरवल	115.29	43.91	38.09	165	165	100.00
नवादा	1432.06	831.45	58.06	788	741	94.04
सारण	1874.54	1084.16	57.84	1024	1024	100.00
सीवान	1223.43	732.91	59.91	2029	1356	66.83
गोपालगंज	883.24	578.95	65.55	177	118	66.67
मुजफ्फरपुर	3433.02	2011.2	58.58	945	945	100.00
सीमामढ़ी	2612.91	913.94	34.98	728	405	55.63
शिवहर	573.88	305.51	53.24	326	265	81.29
पश्चिम चंपारण	2118.15	1226.21	57.89	790	780	98.73
पूर्व चंपारण	2571.12	1361.4	52.95	1041	924	88.76
वैशाली	1299.24	803.89	61.87	3712	1267	34.13
दरभंगा	2644.14	1583.89	59.90	1746	1746	100.00
समस्तीपुर	3072.22	1303.12	42.42	1047	169	16.14
मधुबनी	5035.21	2008.53	39.89	695	539	77.55
सहरसा	1020.76	769.46	75.38	1111	345	31.05
सुपौल	2614.25	1671.14	63.92	277	277	100.00
मधेपुरा	852.77	212.8	24.95	338	206	60.95
पूर्णिया	2226.25	1072.14	48.16	961	422	43.91
अररिया	1521.13	589.19	38.73	292	292	100.00
किशनगंज	1070.75	662.37	61.86	387	116	29.97
कटिहार	1771.14	984.17	55.57	1120	350	31.25
भागलपुर	1765.09	934.95	52.97	509	246	48.33
बांका	1060.98	620.85	58.52	1202	875	72.80
मुंगेर	660.61	454.41	68.79	214	214	100.00
लखीसराय	947.6	106.82	11.27	37	37	100.00
बेगूसराय	1715.57	1240.11	72.29	900	688	76.44
जमुई	909.71	499.68	54.93	375	335	89.33
खगड़िया	1025.66	299.91	29.24	270	145	53.70
शेखपुरा	425.72	107.51	25.25	218	74	33.94
योग	**58857.48**	**30868.20**	**52.45**	**30701**	**19073**	**62.13**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 17 ख (जारी) : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का भौतिक एवं वित्तीय विहंगावलोकन
(2010-11, सितंबर 10 तक)

जिला	उपलब्ध/ प्रयुक्त धन का विवरण (लाख रु.)			भौतिक उपलब्धियां		
	उपलब्ध	प्रयुक्त	उपयोग दर	वर्ष में गठित समूहों की सं.	वर्ष में गठित महिला समूहों की सं.	महिला समूहों का प्रतिशत
पटना	1134.27	1026.04	90.46	2045	853	41.71
नालंदा	1256.72	582.63	46.36	1070	456	42.62
रोहतास	1162.82	590.78	50.81	792	544	68.69
कैमूर	720.54	449.24	62.35	561	215	38.32
बक्सर	607.54	463.48	76.29	872	528	60.55
भोजपुर	1891.09	1063.26	56.22	1014	585	57.69
गया	1775.3	861.71	48.54	291	268	92.10
औरंगाबाद	1065.02	642.59	60.34	335	327	97.61
जहानाबाद	767.74	173.89	22.65	297	231	77.78
अरवल	115.29	43.91	38.09	165	165	100.00
नवादा	1432.06	831.45	58.06	788	741	94.04
सारण	1874.54	1084.16	57.84	1024	1024	100.00
सीवान	1223.43	732.91	59.91	2029	1356	66.83
गोपालगंज	883.24	578.95	65.55	177	118	66.67
मुजफ्फरपुर	3433.02	2011.2	58.58	945	945	100.00
सीमामढ़ी	2612.91	913.94	34.98	728	405	55.63
शिवहर	573.88	305.51	53.24	326	265	81.29
पश्चिम चंपारण	2118.15	1226.21	57.89	790	780	98.73
पूर्व चंपारण	2571.12	1361.4	52.95	1041	924	88.76
वैशाली	1299.24	803.89	61.87	3712	1267	34.13
दरभंगा	2644.14	1583.89	59.90	1746	1746	100.00
समस्तीपुर	3072.22	1303.12	42.42	1047	169	16.14
मधुबनी	5035.21	2008.53	39.89	695	539	77.55
सहरसा	1020.76	769.46	75.38	1111	345	31.05
सुपौल	2614.25	1671.14	63.92	277	277	100.00
मधेपुरा	852.77	212.8	24.95	338	206	60.95
पूर्णिया	2226.25	1072.14	48.16	961	422	43.91
अररिया	1521.13	589.19	38.73	292	292	100.00
किशनगंज	1070.75	662.37	61.86	387	116	29.97
कटिहार	1771.14	984.17	55.57	1120	350	31.25
भागलपुर	1765.09	934.95	52.97	509	246	48.33
बांका	1060.98	620.85	58.52	1202	875	72.80
मुंगेर	660.61	454.41	68.79	214	214	100.00
लखीसराय	947.6	106.82	11.27	37	37	100.00
बेगूसराय	1715.57	1240.11	72.29	900	688	76.44
जमुई	909.71	499.68	54.93	375	335	89.33
खगड़िया	1025.66	299.91	29.24	270	145	53.70
शेखपुरा	425.72	107.51	25.25	218	74	33.94
योग	**58857.48**	**30868.20**	**52.45**	**30701**	**19073**	**62.13**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 18 क : मनरेगा का विहंगावलोकन (2009-10)

जिला	जॉबकार्ड जारी परिवारों की सं.	जॉबकार्ड जारी अजा परिवारों की सं.	रोजगार मांगने वाले परिवारों की सं.	रोजगार पाने वाले परिवारों की सं.	100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की सं.	जॉबकार्ड जारी परिवारों में अजा परिवारों का %	जॉबकार्ड जारी परिवारों के बीच रोजगार मांगने वालों का %	रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का %
पटना	558206	257284	178385	178385	14962	46.09	31.96	8.39
नालंदा	379302	185094	99449	99449	14443	48.80	26.22	14.52
रोहतास	332059	160014	99782	99782	1092	48.19	30.05	1.09
कैमूर	214615	106681	32629	32629	294	49.71	15.20	0.90
बक्सर	216523	87460	55896	55896	1725	40.39	25.82	3.09
भोजपुर	313941	150966	137722	137722	5115	48.09	43.87	3.71
गया	425632	280579	159129	159129	921	65.92	37.39	0.58
औरंगाबाद	296054	169585	139048	139048	3766	57.28	46.97	2.71
जहानाबाद	118209	53550	68615	68615	3100	45.30	58.05	4.52
अरवल	88857	39754	24837	24837	384	44.74	27.95	1.55
नवादा	288509	177312	109328	109328	1015	61.46	37.89	0.93
सारण	476201	236662	87822	87822	3311	49.70	18.44	3.77
सीवान	440102	121403	87051	87051	11252	27.59	19.78	12.93
गोपालगंज	330365	102221	46823	46823	2807	30.94	14.17	5.99
मुजफ्फरपुर	635147	330276	349541	349541	25241	52.00	55.03	7.22
सीमामढ़ी	377542	151701	275350	275350	61860	40.18	72.93	22.47
शिवहर	79708	29564	61974	61974	2418	37.09	77.75	3.90
प. चंपारण	354536	140233	166104	166104	12365	39.55	46.85	7.44
पू. चंपारण	496379	175387	176655	176655	29546	35.33	35.59	16.73
वैशाली	475556	243373	112848	112848	15014	51.18	23.73	13.30
दरभंगा	443148	171902	204426	204426	9303	38.79	46.13	4.55
समस्तीपुर	517311	273379	166272	166272	16304	52.85	32.14	9.81
मधुबनी	628059	253330	131460	131460	90	40.34	20.93	0.07
सहरसा	269675	153085	135093	135093	154	56.77	50.09	0.11
सुपौल	302691	105522	86197	86197	4318	34.86	28.48	5.01
मधेपुरा	256551	148421	102182	102182	949	57.85	39.83	0.93
पूर्णिया	389168	126400	43362	43362	17	32.48	11.14	0.04
अररिया	363965	108782	87409	87409	576	29.89	24.02	0.66
किशनगंज	218980	26894	66070	61931	1299	12.28	30.17	2.10
कटिहार	367294	62440	41686	41686	0	17.00	11.35	0.00
भागलपुर	338990	76334	79678	79678	2548	22.52	23.50	3.20
बांका	289065	75247	115069	115069	9556	26.03	39.81	8.30
मुंगेर	167631	40158	44491	44491	2813	23.96	26.54	6.32
लखीसराय	132319	39873	75709	75709	125	30.13	57.22	0.17
बेगूसराय	324300	141400	124000	124000	23162	43.60	38.24	18.68
जमुई	208440	79943	81570	81570	4118	38.35	39.13	5.05
खगड़िया	211472	77763	48577	48577	407	36.77	22.97	0.84
शेखपुरा	80016	42061	29211	29211	649	52.57	36.51	2.22
योग	**12406518**	**5202033**	**4131450**	**4127311**	**287019**	**41.93**	**33.30**	**6.95**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 18 क : मनरेगा का विहंगावलोकन (2010-11, सितंबर 10 तक)

जिला	जॉबकार्ड जारी परिवारों की सं.	जॉबकार्ड जारी अजा परिवारों की सं.	रोजगार मांगने वाले परिवारों की सं.	रोजगार पाने वाले परिवारों की सं.	100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की सं.	जॉबकार्ड जारी परिवारों में अजा परिवारों का %	जॉबकार्ड जारी परिवारों के बीच रोजगार मांगने वालों का %	रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का %
पटना	558754	257440	89668	89668	3238	46.07	16.05	3.61
नालंदा	389232	195677	80989	80989	2672	50.27	20.81	3.30
रोहतास	337741	163335	95884	95884	327	48.36	28.39	0.34
कैमूर	217171	107172	26334	26334	117	49.35	12.13	0.44
बक्सर	222429	88597	37112	37112	174	39.83	16.68	0.47
भोजपुर	320377	155797	65461	65461	539	48.63	20.43	0.82
गया	438971	289383	71252	71252	155	65.92	16.23	0.22
औरंगाबाद	299483	172284	69227	69227	419	57.53	23.12	0.61
जहानाबाद	123510	55845	44314	44314	1909	45.21	35.88	4.31
अरवल	89220	39785	12984	12984	18	44.59	14.55	0.14
नवादा	400100	179335	55599	55599	214	44.82	13.90	0.38
सारण	476401	231577	60152	60152	0	48.61	12.63	0.00
सीवान	440102	118977	35427	35427	940	27.03	8.05	2.65
गोपालगंज	334892	103588	32843	32843	194	30.93	9.81	0.59
मुजफ्फरपुर	680109	353657	315568	315568	13272	52.00	46.40	4.21
सीमामढ़ी	445718	186938	157340	157340	19100	41.94	35.30	12.14
शिवहर	83494	31010	44223	44223	1074	37.14	52.97	2.43
प. चंपारण	362180	143259	147761	147761	6550	39.55	40.80	4.43
पू. चंपारण	500467	177350	91570	91570	6680	35.44	18.30	7.29
वैशाली	483884	247772	70218	70218	4377	51.20	14.51	6.23
दरभंगा	464353	178567	106485	106485	2409	38.46	22.93	2.26
समस्तीपुर	534337	277783	175760	175760	16304	51.99	32.89	9.28
मधुबनी	635429	257296	68416	68416	39	40.49	10.77	0.06
सहरसा	283942	155405	122252	98873	64	54.73	43.06	0.06
सुपौल	309973	103135	42818	42818	68	33.27	13.81	0.16
मधेपुरा	272436	135028	38853	38801	135	49.56	14.26	0.35
पूर्णिया	396079	127206	63495	63495	7	32.12	16.03	0.01
अररिया	377834	112172	49683	40771	41	29.69	13.15	0.10
किशनगंज	221829	27009	21969	21969	585	12.18	9.90	2.66
कटिहार	371922	63227	66658	66658	0	17.00	17.92	0.00
भागलपुर	340715	77348	25930	25930	528	22.70	7.61	2.04
बांका	297814	77279	63019	63019	2060	25.95	21.16	3.27
मुंगेर	172676	40468	22507	22507	531	23.44	13.03	2.36
लखीसराय	137734	41740	32158	32158	0	30.30	23.35	0.00
बेगूसराय	336900	143400	95200	95200	3801	42.56	28.26	3.99
जमुई	213729	81383	45130	45130	1174	38.08	21.12	2.60
खगड़िया	212286	78066	26472	26472	2	36.77	12.47	0.01
शेखपुरा	82427	43727	12284	12284	26	53.05	14.90	0.21
योग	**12866650**	**5319017**	**2683015**	**2650672**	**89743**	**41.34**	**20.85**	**3.39**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 18 ख : मनरेगा - भौतिक एवं वित्तीय विहंगावलोकन (2009-10)

जिला	कुल लाभान्वित परिवार	रोजगार (लाख कार्य दिवस)	महिला रोजगार (लाख कार्यदिवस)	भूमि सुधार की सं. (इंदिरा आवास योजना	कुल उपलब्ध धन (लाख रु.)	कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.)	धन का उपयोग (%)	महिला हेतु सृजित कार्यदिवस (%)
पटना	178385	63.29	21.33	11972	13452.5	9875.6	73.41	33.70
नालंदा	99449	39.41	14.71	5754	8132.55	6635.18	81.59	37.33
रोहतास	99782	20.23	3.01	7511	3633.09	3119.08	85.85	14.88
कैमूर	32629	9.17	3.27	917	1732.25	1226.85	70.82	35.66
बक्सर	55896	17.33	4.2	1688	2660.26	2394.24	90.00	24.24
भोजपुर	137722	33.18	9.53	5389	5967.53	5176.35	86.74	28.72
गया	159129	22.32	7.81	2083	5273.04	3786.89	71.82	34.99
औरंगाबाद	139048	36.9	10.76	5761	7364.6	5880	79.84	29.16
जहानाबाद	68615	17.47	5.79	4218	3562.4	2568.86	72.11	33.14
अरवल	24837	7.92	2.46	6940	1383.76	1209.17	87.38	31.06
नवादा	109328	17.01	6.15	1561	3779.26	2647.11	70.04	36.16
सारण	87822	21.13	3.14	0	6803.42	3385.59	49.76	14.86
सीवान	87051	36.79	4.3	8455	8111.16	5947.67	73.33	11.69
गोपालगंज	46823	16.41	0.38	6996	5339.5	3305.68	61.91	2.32
मुजफ्फरपुर	349541	96.2	30.79	13199	17153.05	16287.06	94.95	32.01
सीमामढ़ी	275350	63.91	21.86	16390	14034.66	10827.02	77.14	34.20
शिवहर	61974	10	3.95	10857	1950.64	1415.05	72.54	39.50
प. चंपारण	166104	30.2	9.08	6197	5535.56	4253.76	76.84	30.07
पू. चंपारण	176655	64.77	12.5	11649	16661.49	10389.11	62.35	19.30
वैशाली	112848	33.34	7.3	6943	8441.01	5717.35	67.73	21.90
दरभंगा	204426	45.66	22.73	22477	10303.71	7756.45	75.28	49.78
समस्तीपुर	166272	32.09	9.75	1848	5379.19	4763.44	88.55	30.38
मधुबनी	131460	17.51	5.49	10943	3833.76	2790.64	72.79	31.35
सहरसा	135093	57.6	19.01	7459	10705.51	9390.76	87.72	33.00
सुपौल	86197	26.17	8.35	24886	6373.84	4002.77	62.80	31.91
मधेपुरा	102182	17.16	5.67	13306	2991.67	2911.93	97.33	33.04
पूर्णिया	43362	7.67	2.3	1897	1538	1327.32	86.30	29.99
अररिया	87409	25.87	6.73	5399	4466.08	3645.64	81.63	26.01
किशनगंज	61931	17.06	5.18	5982	3750.02	3020.62	80.55	30.36
कटिहार	41686	42.1	13.89	0	7301.26	5658.15	77.50	32.99
भागलपुर	79678	29.39	6.09	6421	5581.09	4755.87	85.21	20.72
बांका	115069	27.9	7.28	12479	5782.12	4998.5	86.45	26.09
मुंगेर	44491	14.35	4.87	2885	3820.56	2401.43	62.86	33.94
लखीसराय	75709	33.72	11.55	2795	6018.56	4402.11	73.14	34.25
बेगूसराय	124000	45.1	15.06	26877	12837.58	7590.64	59.13	33.39
जमुई	81570	22.66	8.2	4428	4255.25	3379.8	79.43	36.19
खगड़िया	48577	14.08	5.22	2152	2750.14	2273.6	82.67	37.07
शेखपुरा	29211	4.46	1.64	1043	1010.84	656.29	64.93	36.77
योग	**4127311**	**1137.53**	**341.33**	**287757**	**239670.91**	**181773.58**	**75.84**	**30.01**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 18 ख (जारी) : मनरेगा - भौतिक एवं वित्तीय विहंगावलोकन (2010-11, सितंबर 2010 तक)

जिला	कुल लाभान्वित परिवार	रोजगार (लाख कार्य दिवस)	महिला रोजगार (लाख कार्यदिवस)	भूमि सुधार की सं. (इंदिरा आवास योजना	कुल उपलब्ध धन (लाख रु.)	कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.)	धन का उपयोग (%)	महिला हेतु सृजित कार्यदिवस (%)
पटना	89668	36.21	11.51	4339	7701.77	6018.69	78.15	31.79
नालंदा	80989	27.91	10.62	2515	6055.72	5626.82	92.92	38.05
रोहतास	95884	18.63	2.23	5639	5358.52	3074.87	57.38	11.97
कैमूर	26334	8.53	2.33	562	3335.95	1252.54	37.55	27.32
बक्सर	37112	11.47	3.44	453	3173.31	2212.28	69.72	29.99
भोजपुर	65461	17.1	5.32	3248	3669.35	2874.94	78.35	31.11
गया	71252	17.83	6.24	1093	7946.73	2988.23	37.60	35.00
औरंगाबाद	69227	17.78	4.65	1642	4667.32	3259.31	69.83	26.15
जहानाबाद	44314	18.22	5.95	2736	2357.7	1780.45	75.52	32.66
अरवल	12984	5.25	1.55	522	1328.36	624.44	47.01	29.52
नवादा	55599	12.68	3.72	1006	4345.75	1638.6	37.71	29.34
सारण	60152	13	1.79	0	6754.97	2511.1	37.17	13.77
सीवान	35427	10.03	1.24	2802	6654.71	1838.61	27.63	12.36
गोपालगंज	32843	16.18	0.31	3250	5031.81	2408.11	47.86	1.92
मुजफ्फरपुर	315568	101.01	32.32	0	13818.79	12514.67	90.56	32.00
सीमामढ़ी	157340	33.06	11.36	31	8922.83	4971.7	55.72	34.36
शिवहर	44223	9.42	3.66	4440	1902.4	1243.58	65.37	38.85
प. चंपारण	147761	19.61	5.37	3297	8698.7	3722.86	42.80	27.38
पू. चंपारण	91570	35.87	8.77	130	9837.03	5000.46	50.83	24.45
वैशाली	70218	24.01	5.44	3156	6868.53	5006.49	72.89	22.66
दरभंगा	106485	36.6	12.76	7570	9133.13	4601.89	50.39	34.86
समस्तीपुर	175760	36.41	11.93	764	6684.45	3971.57	59.42	32.77
मधुबनी	68416	8.67	2.61	3115	2243.08	1734.91	77.34	30.10
सहरसा	98873	22.33	7.37	2570	4817.08	4008.13	83.21	33.00
सुपौल	42818	9.36	2.86	7129	6533.35	1466.07	22.44	30.56
मधेपुरा	38801	10.86	3.58	9024	2037.74	1871.01	91.82	32.97
पूर्णिया	63495	10.37	3.16	207	8177.68	1265.19	15.47	30.47
अररिया	40771	9.83	2.15	1253	7035.38	1759.21	25.01	21.87
किशनगंज	21969	6.5	1.99	4784	4280.06	1261.04	29.46	30.62
कटिहार	66658	16.6	5.48	0	7435.66	2790.7	37.53	33.01
भागलपुर	25930	11.67	3.25	2147	6376.99	2052.42	32.18	27.85
बांका	63019	16.18	3.96	2408	4665.26	2710.31	58.10	24.47
मुंगेर	22507	7.6	2.73	3485	2856.34	1609.16	56.34	35.92
लखीसराय	32158	13.63	4.51	1187	4287.96	1451.08	33.84	33.09
बेगूसराय	95200	39.17	13.87	3480	11634.89	7125.52	61.24	35.41
जमुई	45130	15.64	5.87	1621	3703.87	2453.05	66.23	37.53
खगड़िया	26472	11.73	4.16	671	3470.7	1938.21	55.84	35.46
शेखपुरा	12284	1.92	0.71	156	1230.2	334.08	27.16	36.98
योग	**2650672**	**738.87**	**220.77**	**92432**	**215034.1**	**114972.3**	**53.47**	**29.88**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 19 क : इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2009-10)

क्र.स.	इंदिरा आवास योजना के घटक	इंदिरा आवास योजना नई	इंदिरा आवास योजना उत्क्रमित	इंदिरा आवास योजना ऋण सह अनुदान	योग	योजना में श्रेणियों का % हिस्सा
1	कुल लक्ष्य	1098001	0	0	1098001	-
2	आवास निर्मित	645621	944	67	646632	-
3	आवास निर्मित (अजा)	316912	334	9	317255	49.06
4	आवास निर्मित (अजजा)	18763	0	0	18763	1.71
5	आवास निर्मित (अन्य)	207665	592	58	208315	18.97
6	आवास निर्मित (अल्पसंख्यक)	102281	18	0	102299	9.32
7	कुल उपलब्ध धन (लाख रु.)	426727.623	778.937	392.322	427898.882	-
8	कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.)	296802.269	129.723	21.850	296953.842	-
9	उपयोग का प्रतिशत	69.55	16.65	5.57	69.40	-

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2010-11, अक्तूबर 2010 तक)

क्र.स.	इंदिरा आवास योजना के घटक	इंदिरा आवास योजना नई	इंदिरा आवास योजना उत्क्रमित	इंदिरा आवास योजना ऋण सह अनुदान	योग	योजना में श्रेणियों का % हिस्सा
1	कुल लक्ष्य	758904	0	0	758907	-
2	आवास निर्मित	237407	17	0	237424	-
3	आवास निर्मित (अजा)	110503	10	0	110513	46.55
4	आवास निर्मित (अजजा)	6216	0	0	6216	2.62
5	आवास निर्मित (अन्य)	83191	5	0	83196	35.04
6	आवास निर्मित (अल्पसंख्यक)	37497	2	0	37499	15.79
7	कुल उपलब्ध धन (लाख रु.)	319932.24	421.274	183.803	320537.32	-
8	कुल प्रयुक्त धन (लाख रु.)	118189.84	2.07	1.625	118193.54	-
9	उपयोग का प्रतिशत	36.94	0.49	0.88	36.87	-

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 19 ख : इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2009-10) (नई+ उत्क्रमण+ ऋण सह अनुदान)

जिला	वार्षिक लक्ष्य	निर्मित मकान	भौतिक उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के प्रतिशत में	उपलब्ध धन का प्रतिशत उपयोग
पटना	18225	12230	67.11	85.23
नालंदा	11964	10559	88.26	89.25
रोहतास	12713	12853	101.10	83.45
कैमूर	8108	7833	96.61	70.09
बक्सर	8456	7703	91.10	92.72
भोजपुर	13889	10485	75.49	84.28
गया	25910	8968	34.61	50.15
औरंगाबाद	12431	5280	42.47	61.07
जहानाबाद	4683	2938	62.74	60.70
अरवल	3292	2689	81.68	57.48
नवादा	10711	11277	105.28	80.13
सारण	27252	16212	59.49	62.45
सीवान	24588	13942	56.70	69.15
गोपालगंज	30728	13671	44.49	66.35
मुजफ्फरपुर	67533	35950	53.23	68.06
सीमामढ़ी	45721	25878	56.60	69.33
शिवहर	15048	9238	61.39	64.14
पश्चिम चंपारण	61318	30476	49.70	73.99
पूर्व चंपारण	66099	38448	58.17	93.10
वैशाली	36741	26477	72.06	70.71
दरभंगा	42796	21617	50.51	75.70
समस्तीपुर	44683	35998	80.56	82.79
मधुबनी	71865	36055	50.17	45.97
सहरसा	35090	27294	77.78	70.36
सुपौल	51011	62026	121.59	61.84
मधेपुरा	41904	9602	22.91	75.52
पूर्णिया	73945	30989	41.91	59.85
अररिया	65457	17200	26.28	50.94
किशनगंज	26683	15432	57.83	80.16
कटिहार	46100	22371	48.53	74.04
भागलपुर	18657	13662	73.23	91.45
बांका	9128	7316	80.15	84.21
मुंगेर	7211	4910	68.09	64.18
लखीसराय	4512	2827	62.66	77.09
बेगूसराय	22779	10360	45.48	77.51
जमुई	8994	6952	77.30	74.31
खगड़िया	19344	17211	88.97	94.43
शेखपुरा	2432	1703	70.02	67.87
योग	1098001	646632	58.89	69.40

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 19 ग : इंदिरा आवास योजना का विहंगावलोकन (2010-11, सितंबर 2010 तक)
(नई+ उत्क्रमण+ ऋण सह अनुदान)

जिले	वार्षिक लक्ष्य	निर्मित मकान	भौतिक उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के प्रतिशत में	उपलब्ध धन का प्रतिशत उपयोग
पटना	12596	7398	58.73	41.81
नालंदा	8269	4915	59.44	62.18
रोहतास	8787	5577	63.47	67.67
कैमूर	5604	1355	24.18	51.82
बक्सर	5845	3658	62.58	75.60
भोजपुर	9599	3042	31.69	49.95
गया	17908	4671	26.08	32.17
औरंगाबाद	8592	2092	24.35	34.08
जहानाबाद	3237	412	12.73	23.69
अरवल	2276	1040	45.69	30.83
नवादा	7403	5571	75.25	73.58
सारण	18836	6897	36.62	36.57
सीवान	16994	3653	21.50	36.08
गोपालगंज	21238	9697	45.66	19.71
मुजफ्फरपुर	46677	25145	53.87	38.18
सीमामढ़ी	31600	7877	24.93	67.64
शिवहर	10400	3219	30.95	23.82
पश्चिम चंपारण	42382	21891	51.65	41.24
पूर्व चंपारण	45685	18495	40.48	24.86
वैशाली	25396	4615	18.17	38.59
दरभंगा	29579	3592	12.14	24.37
समस्तीपुर	30883	10547	34.15	31.69
मधुबनी	49671	8884	17.89	16.08
सहरसा	24253	13322	54.93	66.55
सुपौल	35257	4259	12.08	14.25
मधेपुरा	28962	9762	33.71	50.55
पूर्णिया	51108	3686	7.21	38.21
अररिया	45242	3590	7.94	19.43
किशनगंज	18443	8879	48.14	55.57
कटिहार	31863	14219	44.63	48.52
भागलपुर	12895	3207	24.87	77.42
बांका	6309	2169	34.38	51.97
मुंगेर	4984	2114	42.42	45.46
लखीसराय	3118	1231	39.48	29.23
बेगूसराय	15744	1858	11.80	51.89
जमुई	6217	2700	43.43	85.08
खगड़िया	13370	1201	8.98	62.63
शेखपुरा	1682	984	58.50	37.21
योग	758904	237424	31.29	36.87

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 क : सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूकानदारों की जिलावार सामाजिक पृष्ठभूमि (जून 2009)

जिला	दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि							
	अनुसूचित जाति/ जनजाति	पिछड़ी जाति	अति पिछड़ी जाति	मुसलमान	महिला/ महिला स्वयं सहायता समूह	अन्य विशेष श्रेणियां	सामान्य	योग
पटना अनुभाजन	78	218	398	31	88	0	98	911
पटना ग्रामीण	444	653	47	42	165	45	339	1735
नालंदा	192	510	30	44	95	31	179	1081
रोहतास	258	371	92	53	30	49	155	1008
कैमूर	156	234	44	46	41	8	107	636
बक्सर	164	243	57	21	49	26	196	756
भोजपुर	230	493	104	20	85	21	372	1325
गया	724	645	65	85	73	35	346	1973
औरंगाबाद	221	378	72	72	36	12	411	1202
जहानाबाद	114	122	45	25	58	14	139	517
अरवल	69	115	6	14	21	12	57	294
नवादा	143	301	28	44	91	37	213	857
सारण	321	705	142	65	332	41	854	2460
सीवान	255	585	55	249	76	64	540	1824
गोपालगंज	120	328	44	74	104	44	390	1104
मुजफ्फरपुर	520	877	0	119	0	37	602	2155
सीतामढ़ी	216	437	74	86	70	16	173	1072
शिवहर	32	79	4	13	14	1	91	234
पश्चिम चंपारण	416	754	167	159	90	28	580	2194
पूर्वी चंपारण	359	583	151	131	83	17	370	1694
वैशाली	256	593	42	24	100	45	311	1371
दरभंगा	190	406	48	165	123	22	390	1344
समस्तीपुर	339	566	46	26	74	33	354	1438
मधुबनी	362	534	96	128	74	11	335	1540
सहरसा	161	337	48	0	0	14	122	682
सुपौल	99	348	94	71	6	2	97	717
मधेपुरा	117	0	0	33	36	20	413	619
पूर्णिया	279	479	88	143	100	9	152	1250
अररिया	203	384	179	0	120	9	103	998
किशनगंज	123	122	52	174	61	15	122	669
कटिहार	218	327	65	222	58	107	59	1056
भागलपुर	278	352	91	151	97	57	381	1407
बांका	152	491	78	0	65	20	131	937
मुंगेर	67	372	51	38	0	18	118	664
लखीसराय	45	69	28	10	30	9	102	293
बेगूसराय	290	266	64	31	83	12	259	1005
जमुई	164	227	63	32	28	16	194	724
खगड़िया	106	297	68	28	143	4	68	714
शेखपुरा	53	104	10	8	13	0	78	266
योग	**8534**	**14905**	**2836**	**2677**	**2812**	**961**	**10001**	**42726**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 क (जारी) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूकानदारों की जिलावार सामाजिक पृष्ठभूमि (अगस्त 2010)

जिला	दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि								जून 2009 की अपेक्षा गिरावट	2001 में आबंटित दूकानदारों की सं.
	अनुसूचित जाति/ जनजाति	पिछड़ी जाति	अति पिछड़ी जाति	मुसलमान	महिला/ महिला स्वयं सहायता समूह	अन्य विशेष श्रेणियां	सामान्य	योग		
पटना अनुभाजन	78	218	398	31	88	0	98	911	0	1152
पटना ग्रामीण	444	653	47	42	198	12	327	1723	-12	1752
नालंदा	192	510	30	44	123	2	189	1090	9	1324
रोहतास	258	0	0	22	64	0	664	1008	0	1350
कैमूर	155	234	44	45	51	0	107	636	0	687
बक्सर	164	0	0	22	66	0	484	736	-20	766
भोजपुर	230	493	104	20	106	0	372	1325	0	1247
गया	686	645	65	85	106	2	228	1817	-156	1931
औरंगाबाद	221	378	72	72	48	0	411	1202	0	1096
जहानाबाद	112	120	45	24	68	0	141	510	-7	511
अरवल	69	131	10	0	34	0	49	293	-1	310
नवादा	177	368	35	30	38	0	249	897	40	983
सारण	374	591	130	76	351	15	914	2451	-9	1774
सीवान	263	598	43	147	122	4	558	1735	-89	1461
गोपालगंज	120	328	44	74	147	1	390	1104	0	1161
मुजफ्फरपुर	472	600	188	0	54	0	676	1990	-165	2047
सीतामढ़ी	216	437	74	86	86	0	173	1072	0	1445
शिवहर	32	79	4	13	15	0	91	234	0	276
प. चंपारण	435	603	157	252	121	5	304	1877	-317	1668
पू. चंपारण	416	754	167	159	106	11	581	2194	500	2128
वैशाली	256	593	42	24	131	14	311	1371	0	1471
दरभंगा	206	406	48	165	141	4	369	1339	-5	1792
समस्तीपुर	339	534	46	24	106	0	310	1359	-79	1813
मधुबनी	478	501	0	127	71	0	299	1476	-64	1908
सहरसा	161	337	48	0	14	0	122	682	0	821
सुपौल	99	348	94	71	6	0	99	717	0	930
मधेपुरा	92	275	39	30	43	1	58	538	-81	818
पूर्णिया	215	406	62	184	118	0	154	1139	-111	1387
अररिया	196	327	231	0	152	0	114	1020	22	1164
किशनगंज	123	122	52	174	74	2	103	650	-19	710
कटिहार	222	327	65	222	66	3	110	1015	-41	1306
भागलपुर	253	503	113	142	150	0	174	1335	-72	1372
बांका	164	429	106	0	56	0	161	916	-21	859
मुंगेर	67	372	51	38	18	0	112	658	-6	667
लखीसराय	80	102	52	12	19	0	153	418	125	447
बेगूसराय	368	314	75	53	4	0	309	1123	118	1260
जमुई	164	227	63	32	42	2	194	724	0	758
खगड़िया	131	221	111	25	71	0	83	642	-72	691
शेखपुरा	58	98	12	9	21	0	82	280	14	294
योग	**8786**	**14182**	**2967**	**2576**	**3295**	**78**	**10323**	**42207**	**-519**	**45537**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का उठाव प्रतिशत (2009-10)

जिला	गेहूं			चावल		
	बीपीएल	अंत्योदय	अन्नपूर्णा	बीपीएल	अंत्योदय	अन्नपूर्णा
पटना	40.57	101.39	125.00	71.83	97.65	125.00
नालंदा	38.37	99.50	12.31	39.12	86.56	15.29
रोहतास	28.57	103.85	62.43	40.02	93.12	62.32
कैमूर	24.68	92.19	91.59	48.33	95.37	91.59
बक्सर	21.65	99.80	50.00	30.79	100.46	50.00
भोजपुर	19.03	94.00	100.00	40.96	90.89	100.00
गया	33.87	92.27	78.53	46.44	91.46	78.52
औरंगाबाद	32.10	96.38	99.65	79.51	95.86	99.65
जहानाबाद	47.59	96.42	87.23	70.44	89.92	87.22
अरवल	36.89	106.18	99.79	45.74	92.79	100.00
नवादा	47.82	98.43	72.55	70.66	97.73	113.49
सारण	18.04	91.89	31.94	21.73	93.33	33.33
सीवान	21.61	100.86	0.00	20.77	101.17	0.00
गोपालगंज	22.71	104.29	17.49	23.18	98.45	17.49
मुजफ्फरपुर	75.69	97.40	77.07	68.09	94.64	77.07
सीतामढ़ी	29.65	79.42	49.48	26.52	73.02	49.47
शिवहर	54.00	77.17	41.67	53.80	82.69	41.67
पश्चिम चंपारण	26.56	105.26	77.60	55.04	101.19	77.28
पूर्वी चंपारण	37.39	89.08	97.61	48.19	90.15	91.01
वैशाली	49.78	103.37	58.33	58.41	91.58	58.20
दरभंगा	28.54	89.90	63.89	9.58	67.11	66.67
समस्तीपुर	52.23	94.81	79.65	72.90	89.54	79.55
मधुबनी	16.38	77.84	25.00	7.34	40.72	25.66
सहरसा	58.24	104.29	66.67	67.09	99.25	66.66
सुपौल	48.17	92.78	54.05	51.47	90.19	54.06
मधेपुरा	45.18	89.23	0.00	51.74	89.23	0.00
पूर्णिया	30.15	78.92	102.21	28.02	85.21	97.53
अररिया	25.99	80.76	100.00	29.97	73.91	91.67
किशनगंज	46.48	75.02	50.00	41.17	74.68	50.00
कटिहार	56.17	92.18	53.45	72.81	91.15	53.42
भागलपुर	26.00	75.04	28.05	20.84	82.00	25.44
बांका	25.68	80.82	64.65	17.46	72.53	43.37
मुंगेर	24.87	66.44	58.57	33.01	61.72	57.29
लखीसराय	22.44	49.77	73.27	29.86	60.01	56.62
बेगूसराय	70.74	100.75	45.75	87.12	102.88	49.98
जमुई	22.52	89.96	74.33	16.81	82.01	74.33
खगड़िया	53.33	123.07	109.37	76.24	118.85	94.26
शेखपुरा	24.82	62.53	74.99	20.82	69.49	75.02
योग	36.97	92.43	67.18	44.59	86.76	66.73

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख (जारी) : बीपीएल : 2009-10 (क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	543117.2	220348.5	40.57	814675.8	585152.7	71.83
नालंदा	335899	128873.8	38.37	503848.5	197094.1	39.12
रोहतास	298382.2	85241.8	28.57	447573.3	179110.1	40.02
कैमूर	166876.4	41191.4	24.68	250314.6	120968	48.33
बक्सर	174817.8	37844.47	21.65	262226.7	80736.5	30.79
भोजपुर	257914.6	49072.9	19.03	386871.9	158456.1	40.96
गया	352487.6	119378.7	33.87	528731.4	245540.1	46.44
औरंगाबाद	213913.4	68666.9	32.10	320870.1	255121.5	79.51
जहानाबाद	93107.8	44311	47.59	139661.7	98373.9	70.44
अरवल	70416.8	25979.1	36.89	105625.2	48314.4	45.74
नवादा	182159.4	87115.3	47.82	273239.1	193065.6	70.66
सारण	397007.6	71612.4	18.04	595511.4	129398.6	21.73
सीवान	312944.6	67616.5	21.61	469416.9	97497.9	20.77
गोपालगंज	249305.2	56627.7	22.71	373957.8	86672.8	23.18
मुजफ्फरपुर	548506.8	415137.6	75.69	822760.2	560181.3	68.09
सीतामढ़ी	442042.4	131085.8	29.65	663063.6	175847.8	26.52
शिवहर	81023	43753.4	54.00	121534.5	65382.2	53.80
पश्चिम चंपारण	510865.5	135688.49	26.56	766298.25	421745.02	55.04
पूर्वी चंपारण	501814.7	187612.61	37.39	752722.05	362750.18	48.19
वैशाली	484978.8	241425.2	49.78	727468.2	424893.9	58.41
दरभंगा	361301.6	103119.7	28.54	541952.4	51918.2	9.58
समस्तीपुर	412531.6	215458.3	52.23	618797.4	451108.8	72.90
मधुबनी	598643.8	98079.1	16.38	897965.7	65908	7.34
सहरसा	222713.6	129707.3	58.24	334070.4	224141.3	67.09
सुपौल	305808	147308.5	48.17	458712	236093.2	51.47
मधेपुरा	235618	106447.5	45.18	353427	182872.9	51.74
पूर्णिया	393882.6	118774.6	30.15	590823.9	165546.8	28.02
अररिया	291033.4	75641.1	25.99	436550.1	130818.1	29.97
किशनगंज	254527.2	118295.5	46.48	381790.8	157171.2	41.17
कटिहार	308768	173437.5	56.17	463152	337203	72.81
भागलपुर	311731.2	81035.2	26.00	467596.8	97456.3	20.84
बांका	205178.8	52687.3	25.68	307768.2	53733.8	17.46
मुंगेर	154826.2	38501.2	24.87	232239.3	76651.6	33.01
लखीसराय	88070.4	19766.7	22.44	132105.6	39447.4	29.86
बेगूसराय	289304.6	204644	70.74	433956.9	378077.9	87.12
जमुई	185315.4	41731.9	22.52	277973.1	46729.2	16.81
खगड़िया	192838.2	102844	53.33	289257.3	220542	76.24
शेखपुरा	66662.8	16549	24.82	99994.2	20822.2	20.82
योग	11096336	4102612	36.97	16644504	7422544.6	44.59

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख (जारी) : बीपीएल : 2010-11, सितंबर 2010 तक (क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	282117	106960.5	37.91	423175.5	381840.3	90.23
नालंदा	176448	75567.2	42.83	264672	179773.1	67.92
रोहतास	156546	66717	42.62	234819	164582	70.09
कैमूर	88255.8	39418.6	44.66	132383.7	89087.8	67.30
बक्सर	91788.6	30333.6	33.05	137682.9	49275.4	35.79
भोजपुर	135537	51788.9	38.21	203305.5	141510.1	69.60
गया	185510.4	65307.1	35.20	278265.6	178212	64.04
औरंगाबाद	112774.2	66600.3	59.06	169161.3	158109.1	93.47
जहानाबाद	49026	17900.5	36.51	73539	53920.7	73.32
अरवल	37270.2	15855.4	42.54	55905.3	39186.9	70.10
नवादा	96039	36412	37.91	144058.5	127653.7	88.61
सारण	208726.2	82122.6	39.34	313089.3	115019.1	36.74
सीवान	164583.6	63216	38.41	246875.4	152176.1	61.64
गोपालगंज	131470.2	48059.2	36.56	197205.3	81959.8	41.56
मुजफ्फरपुर	288889.8	118222.3	40.92	433334.7	360649.8	83.23
सीतामढ़ी	232463.4	83057	35.73	348695.1	153721.7	44.08
शिवहर	42583.2	16059.7	37.71	63874.8	34516	54.04
पश्चिम चंपारण	244606.2	93181.3	38.09	366909.3	334258.8	91.10
पूर्वी चंपारण	289334.4	105353	36.41	434001.6	209025	48.16
वैशाली	254580	121817	47.85	381870	320119.2	83.83
दरभंगा	190181.4	64361.4	33.84	285272.1	51803.7	18.16
समस्तीपुर	218076.6	83820	38.44	327114.9	207030.3	63.29
मधुबनी	316344.6	71531.4	22.61	474516.9	79749.6	16.81
सहरसा	116820	46942.3	40.18	175230	155912.7	88.98
सुपौल	160767.6	40706.9	25.32	241151.4	131962	54.72
मधेपुरा	123858	53800.4	43.44	185787	134474.6	72.38
पूर्णिया	197682	75636.2	38.26	296523	177775.1	59.95
अररिया	153343.8	55648.7	36.29	230015.7	106098.1	46.13
किशनगंज	134006.4	46040.5	34.36	201009.6	96996.3	48.25
कटिहार	162102	61458.6	37.91	243153	166131	68.32
भागलपुर	163044	34888.2	21.40	244566	48360.4	19.77
बांका	107910.6	32297.9	29.93	161865.9	44001.6	27.18
मुंगेर	80921.4	27974.3	34.57	121382.1	47106.8	38.81
लखीसराय	46007.4	15970.8	34.71	69011.1	31492.4	45.63
बेगूसराय	152854.2	57952.5	37.91	229281.3	206327.8	89.99
जमुई	97671.6	30772.7	31.51	146507.4	55463.5	37.86
खगड़िया	99480.6	38027	38.23	149220.9	124543	83.46
शेखपुरा	34861.2	14835.6	42.56	52291.8	30153	57.66
योग	**5824482.6**	**2156614.6**	**37.03**	**8736724**	**5219979**	**59.75**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख (जारी) : अंत्योदय : 2009-10 (क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	197893.24	200637.70	101.39	296839.86	289862.10	97.65
नालंदा	139253.32	138556.60	99.50	208879.98	180811.40	86.56
रोहतास	90164.52	93634.70	103.85	135246.78	125945.80	93.12
कैमूर	71523.96	65941.50	92.19	107285.94	102321.90	95.37
बक्सर	52427.84	52324.80	99.80	78641.76	79007.40	100.46
भोजपुर	107278.64	100838.40	94.00	160917.96	146256.80	90.89
गया	148276.04	136811.80	92.27	222414.06	203409.70	91.46
औरंगाबाद	90368.48	87099.70	96.38	135552.72	129938.90	95.86
जहानाबाद	39201.40	37798.10	96.42	58802.10	52873.30	89.92
अरवल	30269.68	32140.90	106.18	45404.52	42128.70	92.79
नवादा	76877.68	75669.10	98.43	115316.52	112694.90	97.73
सारण	165440.24	152016.10	91.89	248160.36	231615.70	93.33
सीवान	93635.44	94443.40	100.86	140453.16	142102.60	101.17
गोपालगंज	105249.76	109763.70	104.29	157874.64	155426.90	98.45
मुजफ्फरपुर	232825.88	226767.30	97.40	349238.82	330526.50	94.64
सीतामढ़ी	132164.88	104970.90	79.42	198247.32	144753.60	73.02
शिवहर	24222.52	18691.90	77.17	36333.78	30042.60	82.69
पश्चिम चंपारण	217212.98	228634.80	105.26	325819.47	329686.00	101.19
पूर्वी चंपारण	209983.02	187059.30	89.08	314974.53	283964.50	90.15
वैशाली	144981.68	149860.40	103.37	217472.52	199160.60	91.58
दरभंगा	150975.72	135730.60	89.90	226463.58	151980.80	67.11
समस्तीपुर	176329.96	167186.50	94.81	264494.94	236820.40	89.54
मधुबनी	255434.96	198836.30	77.84	383152.44	156031.90	40.72
सहरसा	66629.48	69486.90	104.29	99944.22	99196.20	99.25
सुपौल	91366.64	84771.10	92.78	137049.96	123611.20	90.19
मधेपुरा	70390.56	62806.80	89.23	105585.84	94211.20	89.23
पूर्णिया	118454.80	93483.50	78.92	177682.20	151411.70	85.21
अररिया	122370.80	98828.20	80.76	183556.20	135667.40	73.91
किशनगंज	106617.80	79983.70	75.02	159926.70	119429.70	74.68
कटिहार	92561.72	85325.60	92.18	138842.58	126560.30	91.15
भागलपुर	94246.60	70723.10	75.04	141369.90	115918.20	82.00
बांका	61198.84	49463.00	80.82	91798.26	66582.10	72.53
मुंगेर	62995.80	41853.80	66.44	94493.70	58317.20	61.72
लखीसराय	26516.64	13196.10	49.77	39774.96	23870.40	60.01
बेगूसराय	123303.96	124224.00	100.75	184955.94	190278.70	102.88
जमुई	79377.40	71406.50	89.96	119066.10	97646.20	82.01
खगड़िया	81769.60	100632.10	123.07	122654.40	145776.70	118.85
शेखपुरा	20014.32	12515.30	62.53	30021.48	20861.80	69.49
योग	4169806.80	3854114.20	92.43	6254710.20	5426702.00	86.76

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख (जारी) : अंत्योदय : (सितंबर 2010 तक) (क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	102720.24	100239	97.58	154080.36	150293.7	97.54
नालंदा	71919.12	70858.9	98.53	107878.68	106953.5	99.14
रोहतास	44094.12	50040.8	113.49	66141.18	74954	113.32
कैमूर	36102.36	37584.6	104.11	54153.54	54679	100.97
बक्सर	25574.64	24833.3	97.10	38361.96	37250.3	97.10
भोजपुर	55260.24	53925.4	97.58	82890.36	80888.5	97.58
गया	75693.24	69641.1	92.00	113539.86	111351.8	98.07
औरंगाबाद	46054.68	44819.8	97.32	69082.02	67080	97.10
जहानाबाद	20008.8	19901.1	99.46	30013.2	31475.2	104.87
अरवल	15251.88	13598.9	89.16	22877.82	19185.9	83.86
नवादा	39221.28	38463.4	98.07	58831.92	55558.9	94.44
सारण	85155.84	93079.3	109.30	127733.76	114625.6	89.74
सीवान	45218.04	44344.1	98.07	67827.06	66516.7	98.07
गोपालगंज	53700.36	52403.1	97.58	80550.54	78605.1	97.58
मुजफ्फरपुर	118030.08	130305.2	110.40	177045.12	200818.2	113.43
सीतामढ़ी	63904.68	72429.6	113.34	95857.02	99979.2	104.30
शिवहर	11766.72	11482.6	97.59	17650.08	16507.7	93.53
पश्चिम चंपारण	99832.32	101608.6	101.78	149748.48	149189.5	99.63
पूर्वी चंपारण	118235.88	122161	103.32	177353.82	184215	103.87
वैशाली	71074.08	78927	111.05	106611.12	116761.9	109.52
दरभंगा	77605.92	82808.5	106.70	116408.88	117744.5	101.15
समस्तीपुर	89186.16	86599	97.10	133779.24	121629.6	90.92
मधुबनी	129350.76	115031.2	88.93	194026.14	163826.8	84.44
सहरसा	32824.68	33327.8	101.53	49237.02	56971.2	115.71
सुपौल	44319.24	37688.9	85.04	66478.86	56127.1	84.43
मधेपुरा	34166.16	35113.1	102.77	51249.24	49764	97.10
पूर्णिया	55074.6	52898.1	96.05	82611.9	78822.2	95.41
अररिया	62605.2	50659	80.92	93907.8	91186.2	97.10
किशनगंज	54688.2	53401.7	97.65	82032.3	79801.6	97.28
कटिहार	45425.52	44328.4	97.58	68138.28	66492.9	97.59
भागलपुर	46918.2	33738.7	71.91	70377.3	45687.9	64.92
बांका	29640.24	17076.1	57.61	44460.36	22649.1	50.94
मुंगेर	32898.6	22263.8	67.67	49347.9	30916.6	62.65
लखीसराय	13373.64	9328.1	69.75	20060.46	15446.5	77.00
बेगूसराय	62495.16	60684	97.10	93742.74	90186.7	96.21
जमुई	40761	39499	96.90	61141.5	56248.4	92.00
खगड़िया	40643.4	34856	85.76	60965.1	65136	106.84
शेखपुरा	10044.72	11362.3	113.12	15067.08	14699.2	97.56
योग	**2100840**	**2051311**	**97.64**	**3151260**	**3040226**	**96.48**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख (जारी) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली : अन्नपूर्णा : 2009-10 (क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	9953.28	12441.40	125.00	6635.52	8294.60	125.00
नालंदा	3751.20	461.75	12.31	2500.80	382.42	15.29
रोहतास	2937.60	1834.00	62.43	1958.40	1220.40	62.32
कैमूर	1765.44	1617.00	91.59	1176.96	1078.00	91.59
बक्सर	2576.88	1288.40	50.00	1717.92	859.00	50.00
भोजपुर	2689.20	2689.30	100.00	1792.80	1792.80	100.00
गया	3958.56	3108.68	78.53	2639.04	2072.12	78.52
औरंगाबाद	1872.00	1865.46	99.65	1248.00	1243.60	99.65
जहानाबाद	1992.24	1737.82	87.23	1328.16	1158.38	87.22
अरवल	1418.40	1415.40	99.79	945.60	945.60	100.00
नवादा	2655.36	1926.52	72.55	1770.24	2008.98	113.49
सारण	4132.80	1320.10	31.94	2755.20	918.40	33.33
सीवान	1997.10	0.00	0.00	1331.40	0.00	0.00
गोपालगंज	3186.00	557.10	17.49	2124.00	371.40	17.49
मुजफ्फरपुर	4788.00	3689.97	77.07	3192.00	2460.00	77.07
सीतामढ़ी	3369.60	1667.20	49.48	2246.40	1111.20	49.47
शिवहर	579.60	241.50	41.67	386.40	161.00	41.67
पश्चिम चंपारण	5182.50	4021.50	77.60	3455.00	2669.90	77.28
पूर्वी चंपारण	4755.66	4641.80	97.61	3170.44	2885.50	91.01
वैशाली	2968.56	1731.70	58.33	1979.04	1151.80	58.20
दरभंगा	4784.40	3056.70	63.89	3189.60	2126.40	66.67
समस्तीपुर	4254.48	3388.80	79.65	2836.32	2256.30	79.55
मधुबनी	5942.88	1485.60	25.00	3961.92	1016.80	25.66
सहरसा	2826.72	1884.60	66.67	1884.48	1256.20	66.66
सुपौल	2831.04	1530.14	54.05	1887.36	1020.30	54.06
मधेपुरा	2080.80	0.00	0.00	1387.20	0.00	0.00
पूर्णिया	3236.40	3308.00	102.21	2157.60	2104.20	97.53
अररिया	2991.60	2991.60	100.00	1994.40	1828.20	91.67
किशनगंज	1609.20	804.60	50.00	1072.80	536.40	50.00
कटिहार	2232.72	1193.28	53.45	1488.48	795.12	53.42
भागलपुर	3095.28	868.32	28.05	2063.52	525.06	25.44
बांका	2980.80	1927.10	64.65	1987.20	861.80	43.37
मुंगेर	2377.44	1392.50	58.57	1584.96	908.10	57.29
लखीसराय	1882.08	1379.00	73.27	1254.72	710.40	56.62
बेगूसराय	4327.20	1979.90	45.75	2884.80	1441.90	49.98
जमुई	1581.12	1175.20	74.33	1054.08	783.50	74.33
खगड़िया	2290.32	2504.86	109.37	1526.88	1439.24	94.26
शेखपुरा	671.04	503.20	74.99	447.36	335.60	75.02
योग	118525.50	79630.00	67.18	79017.00	52730.62	66.73

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 20 ख (जारी) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली : अन्नपूर्णा : (सितंबर 2010 तक) (क्विंटल में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	4820.76	5624.3	116.67	3213.84	3749.7	116.67
नालंदा	955.44	1307	136.80	636.96	848.2	133.16
रोहतास	1170.36	980.1	83.74	780.24	780.4	100.02
कैमूर	882.72	735.1	83.28	588.48	490.1	83.28
बक्सर	1288.44	1288.4	100.00	858.96	859	100.00
भोजपुर	1344.6	1344.6	100.00	896.4	896.4	100.00
गया	1979.28	989.7	50.00	1319.52	659.7	50.00
औरंगाबाद	884.88	442.5	50.01	589.92	294.9	49.99
जहानाबाद	542.88	271.5	50.01	361.92	180.9	49.98
अरवल	653.76	327	50.02	435.84	217.8	49.97
नवादा	1327.68	663.9	50.00	885.12	442.5	49.99
सारण	2066.4	1568.6	75.91	1377.6	950.6	69.00
सीवान	0	0	0	0	0	0
गोपालगंज	956.88	956.8	99.99	637.92	638	100.01
मुजफ्फरपुर	1883.16	1255.6	66.68	1255.44	836.8	66.65
सीतामढ़ी	1109.52	1109.5	100.00	739.68	739.7	100.00
शिवहर	289.8	289.8	100.00	193.2	193.2	100.00
पश्चिम चंपारण	1844.28	1844.3	100.00	1229.52	1229.5	100.00
पूर्वी चंपारण	3124.8	2968.2	94.99	2083.2	2083.2	100.00
वैशाली	1484.28	1483.4	99.94	989.52	1018.6	102.94
दरभंगा	2392.2	2392.2	100.00	1594.8	1594.8	100.00
समस्तीपुर	2127.24	2152.3	101.18	1418.16	1863.6	131.41
मधुबनी	2971.44	2190.7	73.73	1980.96	1441.1	72.75
सहरसा	1413.36	1413.5	100.01	942.24	942.1	99.99
सुपौल	1195.92	1077.1	90.06	797.28	718.1	90.07
मधेपुरा	1040.4	0	0.00	693.6	0	0.00
पूर्णिया	1618.2	1618.2	100.00	1078.8	1078.8	100.00
अररिया	1304.28	1304.4	100.01	869.52	869.4	99.99
किशनगंज	804.6	938.7	116.67	536.4	625.8	116.67
कटिहार	1116.36	1116.5	100.01	744.24	744.1	99.98
भागलपुर	872.28	867.9	99.50	581.52	581.4	99.98
बांका	1490.4	1289.4	86.51	993.6	943.6	94.97
मुंगेर	928.44	309.4	33.32	618.96	206.4	33.35
लखीसराय	941.04	156.8	16.66	627.36	209.2	33.35
बेगूसराय	2163.6	721.2	33.33	1442.4	480.8	33.33
जमुई	696.6	232.2	33.33	464.4	154.8	33.33
खगड़िया	1145.16	1145.7	100.05	763.44	763.5	100.01
शेखपुरा	267.12	89	33.32	178.08	59.4	33.36
योग	**53098.56**	**44465.5**	**83.74**	**35399.04**	**30386.1**	**85.84**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 21 : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय विहंगावलोकन

जिला	अजा एवं अजजा वजीफे				अजा बालिकाओं को पोशाकें			
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)		वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
पटना	684.1	929.45	113957	165032	5.77	16.22	1154	3244
नालंदा	428.42	553	102766	112482	3.79	10.53	758	0
रोहतास	366.12	435.03	93817	94108	3.38	9.87	676	1974
कैमूर	393.93	497.58	87661	87524	2.71	6.36	542	1272
बक्सर	288.88	335.83	58230	79588	2.17	4.4	434	880
भोजपुर	229.4	258.81	42336	61168	1.83	7.65	0	1530
गया	856.69	1262.6	128021	139916	8.93	22.89	1786	4578
औरंगाबाद	264.81	327.75	62467	92599	3.94	10.51	788	2102
जहानाबाद	152.2	173.05	41366	36767	1.49	3.89	0	0
अरवल	72.25	78.06	10965	12960	1	2.47	0	0
नवादा	226.56	208.89	41506	73608	3.47	9.69	1388	0
सारण	449.3	497.24	103491	128850	3.44	8.67	688	1734
सीवान	287.71	329.35	74559	72363	2	6.87	400	1374
गोपालगंज	227.13	266.33	50039	76116	2.45	5.93	0	1186
मुजफ्फरपुर	536.69	641.79	104516	133469	4.05	13.22	810	2644
सीतामढ़ी	188.33	212.16	52929	51860	2.36	7.02	472	1404
शिवहर	58.79	78.17	17213	20156	0.4	1.64	80	0
पश्चिम चंपारण	568.24	645.54	115707	148698	3.42	9.67	684	1934
पूर्वी चंपारण	309.25	355.64	94347	66561	2.48	11.42	0	2284
वैशाली	324.01	392.9	87210	109850	4.08	12.5	0	293
दरभंगा	406.51	458.66	89709	124266	4.31	11.36	862	2272
समस्तीपुर	368.28	427.72	76647	102099	5.39	13.98	1078	2796
मधुबनी	365.41	431.3	105051	157191	2.9	10.71	580	2142
सहरसा	144.12	166.96	22904	47231	1.63	5.4	326	1080
सुपौल	167.55	196.12	38263	54251	1.45	5.69	290	1138
मधेपुरा	212.43	246.37	86900	75033	1.56	5.78	312	1156
पूर्णिया	401.75	455.03	91653	106581	2.83	6.93	0	1386
अररिया	117.75	141.91	25756	47392	2.25	6.51	450	0
किशनगंज	79.83	94.3	12829	20373	0.57	1.91	114	382
कटिहार	221.12	264.17	56145	59705	1.79	4.62	358	924
भागलपुर	456.81	455.4	72047	103887	3.08	5.67	616	1134
बांका	129.44	171.35	41953	39883	1.18	4.44	236	888
मुंगेर	146.81	166.63	33712	46580	1.1	3.36	220	672
लखीसराय	95.71	119.15	20781	31287	0.8	2.82	160	564
बेगूसराय	161.42	196.4	54569	67124	2.44	7.58	488	1516
जमुई	209.95	243.76	54191	57613	1.39	5.4	278	1080
खगड़िया	126.26	150.74	20439	30425	1.47	4.11	152	822
शेखपुरा	81.65	104.52	22967	16842	0.7	2.31	140	0
योग	163	127.33	485	382	0	0		0
पटना	**10968.61**	**13097**	**2410104**	**2951820**	**100**	**290**	**17320**	**48385**

स्रोत : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 21 (जारी) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय विहंगावलोकन

जिला	आवासीय विद्यालयों का अनुरक्षण (अजा)				छात्रावासों का अनुरक्षण (अजा)			
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)		वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
पटना	223.83	271.5	590	679	37.76	37.54	450	450
नालंदा	131.56	151.1	496	492	7.36	9.25	0	0
रोहतास	143.48	156.4	496	496	14.63	16.09	187	202
कैमूर	135.86	141.4	408	408	6.17	8.29	200	200
बक्सर	71.94	75.63	248	248	7.03	9.45	0	0
भोजपुर	147.64	162.8	496	496	12.05	17.65	207	207
गया	428.32	490.8	1732	1767	7.26	7.63	543	487
औरंगाबाद	0	0	0	0	9.56	12.15	45	45
जहानाबाद	0	0	0	0	6.13	7.1	52	52
अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0
नवादा	88.53	106.4	348	348	12.69	13.79	100	265
सारण	57.44	59.46	248	248	6.14	7.79	154	154
सीवान	0	0	0	0	12.35	13.63	150	150
गोपालगंज	64.69	71.32	248	248	9.31	11.51	90	90
मुजफ्फरपुर	186.94	207.2	696	730	11.98	13.8	210	210
सीतामढ़ी	56.49	63.69	248	255	11.5	12.74	237	237
शिवहर	0	0	0	0	0.45	0.44	0	0
पश्चिम चंपारण	117.22	118.2	496	496	7.69	7.93	0	6
पूर्वी चंपारण	67.94	60.6	248	248	16.07	19.51	0	0
वैशाली	76.8	89.79	248	248	9.53	10.65	0	0
दरभंगा	0	0	0	0	18.65	22.76	200	0
समस्तीपुर	67.11	84.24	248	248	9.51	11.17	150	0
मधुबनी	202.36	218.6	744	744	12.48	15.01	0	200
सहरसा	66.69	77.24	248	274	3.86	5.2	75	150
सुपौल	0	0	0	0	7.28	9.23	25	75
मधेपुरा	0	0	0	0	4.42	4.28	75	25
पूर्णिया	72.52	83.21	247	248	13.09	15.8	75	78
अररिया	64.85	79.03	248	248	10.9	13.38	0	75
किशनगंज	59.1	65.58	248	271	1.59	1.91	0	0
कटिहार	73.56	75.37	248	286	11.42	13.55	0	0
भागलपुर	74.6	84.47	248	248	10.52	15.42	165	211
बांका	0	0	0	0	6.14	7.76	50	50
मुंगेर	70.54	80.92	243	248	8.87	11.18	50	50
लखीसराय	0	0	0	0	1.59	3.37	0	0
बेगूसराय	71.75	78.95	248	248	0.45	0.69	75	75
जमुई	0	0	0	0	1.3	0.69	50	50
खगड़िया	70.42	75.77	248	248	8.42	10.68	0	5
शेखपुरा	0	0	0	0	1.59	1.9	0	25
योग	2892.18	3230	10464	10718	337.74	400.9	3615	3824

स्रोत : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 21 (जारी) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय विहंगावलोकन

जिला	परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केंद्र (अजा)				उत्पीड़न अधिनियम (अजा)			
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)		वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
पटना	31.46	54.28	220	300	8	12.5	40	56
नालंदा	0	0	0	0	23.6	25	0	207
रोहतास	0	0	0	0	3.25	5	46	32
कैमूर	0	0	0	0	7	0	5	0
बक्सर	0	0	0	0	0	20	0	80
भोजपुर	0	0	0	0	11	7.225	78	57
गया	0	0	0	0	10	0	52	0
औरंगाबाद	0	0	0	0	5.4	7.31	23	67
जहानाबाद	0	0	0	0	5	0	6	0
अरवल	0	0	0	0	2	2	9	32
नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0
सारण	0	0	0	0	0	0	0	0
सीवान	0	0	0	0	8	2	34	32
गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	3	8.34	12	0
सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम चंपारण	0	0	0	0	7.99	0	55	0
पूर्वी चंपारण	0	0	0	0	0	0.35	0	1
वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0
दरभंगा	14.18	19.7	173	74	0	17	0	169
समस्तीपुर	0	0	0	0	0.25	1.5	0	14
मधुबनी	0	0	0	0	0	18.93	0	30
सहरसा	0	0	0	0	0	19	0	57
सुपौल	0	0	0	0	5.55	0.75	6	3
मधेपुरा	0	0	0	0	1.15	2.5	15	40
पूर्णिया	0	0	0	0	7	3	2	0
अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0
किशनगंज	0	0	0	0	0	4.25	0	7
कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
भागलपुर	14.18	17.65	130	100	0	5	0	0
बांका	0	0	0	0	10	0	6	0
मुंगेर	0	0	0	0	5	0	1	0
लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0
बेगूसराय	0	0	0	0	2	7	16	93
जमुई	0	0	0	0	0	9	0	0
खगड़िया	0	0	0	0	3	0.6	8	0
शेखपुरा	0	0	0	0	6.81	1.75	57	28
योग	59.82	91.63	523	474	135	180	471	1005

स्रोत : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 21 (जारी) : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण का जिलास्तरीय विहंगावलोकन

जिला	कानूनी सहायता (अजा)				पुस्तक बैंक (अजा)			
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)		वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		उपलब्धि (भौतिक)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
पटना	0.06	0.06	0	6	2.96	2.96	0	0
नालंदा	0.04	0.04	0	0	0		0	0
रोहतास	0.03	0.03	0	0	0		0	0
कैमूर	0.02	0.02	0	0	0		0	0
बक्सर	0.02	0.02	0	0	0		0	0
भोजपुर	0.03	0.03	0	0	0		0	0
गया	0.08	0.08	0	0	0.53	0.53	0	0
औरंगाबाद	0.04	0.04	0	0	0		0	0
जहानाबाद	0.01	0.01	0	7	0		0	0
अरवल	0.01	0.01	0	0	0		0	0
नवादा	0.03	0.03	0	0	0		0	0
सारण	0.03	0.03	3	3	0		0	0
सीवान	0.02	0.02	0	2	0		0	0
गोपालगंज	0.02	0.02	0	0	0		0	0
मुजफ्फरपुर	0.04	0.04	1	1	1.3	1.3	5	4
सीतामढ़ी	0.02	0.02	0	0	0		0	0
शिवहर	0.01	0.01	0	0	0		0	0
पश्चिम चंपारण	0.03	0.03	0	0	0		0	0
पूर्वी चंपारण	0.04	0.04	0	8	0		0	0
वैशाली	0.04	0.04	0	1	0		0	0
दरभंगा	0.04	0.04	0	0	1.03	1.03	0	0
समस्तीपुर	0.05	0.05	0	6	0		0	0
मधुबनी	0.04	0.04	0	6	0		0	0
सहरसा	0.02	0.02	1	2	0.13	0.13	0	0
सुपौल	0.02	0.02	0	0	0		0	0
मधेपुरा	0.02	0.02	0	1	0		0	0
पूर्णिया	0.02	0.02	0	0	0.12	0.12	0	0
अररिया	0.02	0.02	0	0	0		0	0
किशनगंज	0.01	0.01	0	0	0		0	0
कटिहार	0.02	0.02	2	0	0		0	0
भागलपुर	0.02	0.02	0	0	1.8	1.8	0	4
बांका	0.02	0.02	0	0	0		0	0
मुंगेर	0.01	0.01	0	0	0		0	0
लखीसराय	0.01	0.01	0	0	0		0	0
बेगूसराय	0.03	0.03	0		0.13	0.13	0	4
जमुई	0.01	0.01	0	0	0		0	0
खगड़िया	0.01	0.01	0	0	0		0	0
शेखपुरा	0.01	0.01	0	2	0		0	0
योग	1	1	7	45	8	8	5	12

स्रोत : अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 22 : पिछड़ी जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पर व्यय का विहंगावलोकन

(लाख रु.)

मद	2009-10					
	योजना परिव्यय	लक्षित व्यय	वास्तविक व्यय	केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति	वास्तविक व्यय लक्षित व्यय के % के बतौर	वास्तविक व्यय राशि प्राप्ति के % के बतौर
राज्य योजना						
क. वजीफा पिछड़ी जाति : प्राथमिक, मध्य तथा उच्च विद्यालय	2000	2000	2000	2000	100	100
ख. आवासीय विद्यालय की स्थापना		38.2	38.2	38.2	100	100
ग. पिछड़ा वर्ग विकास निगम की हिस्सा पूंजी	100	100	100	100	100	100
घ. प्रवेशिकोत्तर वजीफा	1000	1000	1000	1000	100	100
च. तकनीकी वजीफा	17.4	17.4	17.4	17.4	100	100
छ. मेधा उन्नयन	900	900	900	900	100	100
केंद्र प्रायोजित योजनाएं						
क. प्रवेशिका-पूर्व वजीफा (50:50)	100	100	100	100	100	100
ख. बालिका छात्रावास निर्माण (50:50)	1149.8	0	0	0		
ग. बालक छात्रावास निर्माण (50:50)	1149.8	0	0	0		
कुल योग	**6417**	**4155.6**	**4155.6**	**4155.6**	**100**	**100**

मद	2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)					
	योजना परिव्यय	लक्षित व्यय	वास्तविक व्यय	केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति	वास्तविक व्यय लक्षित व्यय के % के बतौर	वास्तविक व्यय राशि प्राप्ति के % के बतौर
राज्य योजना						
क. वजीफा पिछड़ी जाति : प्राथमिक, मध्य तथा उच्च विद्यालय	2000	2000	2000	-	100	-
ख. आवासीय विद्यालय की स्थापना	517.83	517.83	459.07	-	88.65	-
ग. पिछड़ा वर्ग विकास निगम की हिस्सा पूंजी	100	100	100	-	100.00	-
घ. प्रवेशिकोत्तर वजीफा	2000	2000		-		-
च. तकनीकी वजीफा	17.4	17.4	17.4	-	100.00	-
छ. मेधा उन्नयन	2800	2800	1500	-	53.57	-
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (50:50)						
क. प्रवेशिका-पूर्व वजीफा (50:50)	-	-	-	-	-	-
ख. बालिका छात्रावास निर्माण (50:50)	-	-	-	-	-	-
ग. बालक छात्रावास निर्माण (50:50)	-	-	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (50:50)						
क. प्रवेशिकोत्तर वजीफा	2000	2000	1757	1757	87.85	87.85

स्रोत : पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 23 : भूमि राजस्व संग्रह का विहंगावलोकन

(प्रतिशत)

जिला	राजस्व संग्रह लक्ष्य के प्रतिशत में				
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तूबर 2010 तक)
पटना	123.62	97.65	79.83	32.90	6.84
नालंदा	28.56	54.6	30.1	18.39	30.26
रोहतास	67.52	44.39	47.4	25.18	14.76
कैमूर	66.53	50.88	41.62	32.39	अनु.
बक्सर	66	55.33	64.88	60.15	अनु.
भोजपुर	22.9	17.12	20.96	1.04	अनु.
गया	52.36	48.49	39.4	31.78	5.89
औरंगाबाद	21.54	25.38	25.25	19.01	28.54
जहानाबाद	16.92	18.49	17.88	1.31	5.87
अरवल	29.06	28.91	23.71	7.99	अनु.
नवादा	51.54	37.29	42.62	27.15	11.62
सारण	97.95	111.69	116.95	39.40	14.51
सीवान	90.8	90.8	115.52	48.10	21.38
गोपालगंज	109.31	82.55	88.53	54.03	23.99
मुजफ्फरपुर	48.06	37.1	49.91	37.05	4.98
सीतामढ़ी	47.01	46.74	44.68	36.19	19.19
शिवहर	87.24	106.14	48.13	43.51	6.43
पश्चिम चंपारण	62.66	43.2	50.17	49.15	19.00
पूर्वी चंपारण	53.9	49.92	41.68	25.67	अनु.
वैशाली	24.09	23.01	18.63	10.45	अनु.
दरभंगा	25.23	54.02	39.88	3.76	4.75
समस्तीपुर	116.86	148	124.01	88.68	32.44
मधुबनी	78.15	78.29	69.84	49.81	अनु.
सहरसा	96.34	97.03	108.29	72.43	अनु.
सुपौल	95.74	95.88	112.5	94.94	26.73
मधेपुरा	99.8	95.37	79.97	9.07	14.32
पूर्णिया	99.43	90.41	89.5	43.06	2.52
अररिया	90.59	94.82	104.66	57.00	अनु.
किशनगंज	58.59	74.74	63.14	32.93	13.44
कटिहार	160.84	114.45	124.66	72.36	48.02
भागलपुर	71.59	85.37	72.99	80.22	20.61
बांका	92.88	85.86	52.51	2.69	अनु.
मुंगेर	64.14	48.94	46.97	26.71	1.61
लखीसराय	49.89	34.22	39.28	17.44	अनु.
बेगूसराय	98.69	81.17	74.9	55.20	26.66
जमुई	82.09	83.54	77.64	389.95	10.31
खगड़िया	56.52	61.51	54.27	35.43	289.32
शेखपुरा	102.3	83.89	67.37	33.01	7.47
कुल योग	**54.69**	**55.29**	**51.61**	**28.46**	**16.12**

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 23 (जारी) : भूमि राजस्व संग्रह का विहंगावलोकन

(रुपए में)

जिला	2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पटना	26538063	8732201	26638063	1823277
नालंदा	50819179	9347763	50819179	15376475
रोहतास	35445161	8923499	25645161	3785122
कैमूर	25235429	8174434	25535429	
बक्सर	19088209	11481538	20088209	
भोजपुर	71787694	745146	71728794	
गया	42832413	13612588	43532413	2565312
औरंगाबाद	54874671	10433558	49962935	14261574
जहानाबाद	30157597	394437	30157597	1771215
अरवल	14685926	1173638	14685926	
नवादा	35796842	9717968	36096842	4195348
सारण	20120795	7928305	20620795	2991322
सीवान	17383104	8360928	18083104	3865868
गोपालगंज	20840822	11259807	21540822	5167938
मुजफ्फरपुर	59619872	22087189	60119872	2994063
सीतामढ़ी	42824049	15496345	43524049	8352797
शिवहर	9138565	3975773	9238565	593833
पश्चिम चंपारण	26575456	13061374	27073456	5142687
पूर्वी चंपारण	34770716	8925096	35070716	
वैशाली	80782706	8440926	80782706	
दरभंगा	47392333	1781901	50392333	2395530
समस्तीपुर	17325123	15364335	20682373	6708425
मधुबनी	28816315	14352945	30016315	
सहरसा	12889149	9335596	12989149	
सुपौल	14908767	14154453	18743801	5010987
मधेपुरा	14302521	1297229	15444596	2212016
पूर्णिया	32710286	14084600	33510286	845114
अररिया	27272462	15546000	28272462	
किशनगंज	26105273	8595229	26505273	3563105
कटिहार	20527360	14852633	23063637	11074425
भागलपुर	30671762	24604996	31071732	6404149
बांका	171061375	4593781	17261375	
मुंगेर	16251782	4340379	16551782	267251
लखीसराय	12966007	2261000	13066007	
बेगूसराय	20735505	11446306	21235505	5660469
जमुई	1275379	4973330	13057379	1346100
खगड़िया	20416122	7233892	20816122	60225880
शेखपुरा	7575240	2500700	8075240	603125
कुल योग	**1242520030**	**353591818**	**1111700000**	**179203407**

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 24 : गैरमजरुआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती का विहंगावलोकन (मार्च 2009 तक)

जिला	राजस्व अभिलेखों के आधार पर कुल उपलब्ध क्षेत्रफल (एकड़)			वितरित जमीन (2008-09)		वितरित जमीन (31/03/08 तक)	
	कुल जमीन	वितरण हेतु उपयुक्त	वितरण हेतु अनुपयुक्त	क्षेत्रफल (एकड़)	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़)	संख्या
पटना	33814.56	21832.09	11982.47	0	0	1736.58	2608
नालंदा	20241.24	5999.12	14242.12	0	0	353.01	1585
रोहतास	64795	17511.25	47283.75	11.99	341	10.94	311
कैमूर	57353.79	13984.02	43369.77	32.11	214	14.39	58
बक्सर	7685.74	1986.67	5699.07	6.21	35	147.98	500
भोजपुर	29148.92	5148.41	24000.51	0	0	204.91	1863
गया	122339.1	83413.05	38926.05	0	0	39.12	211
औरंगाबाद	89321.15	49050.79	40270.36	0	0	579.59	1327
जहानाबाद	18286.51	441.53	17844.98	5.87	123	5180.04	6372
अरवल	4564.8	2306.65	2258.15	3.08	77	406.76	337
नवादा	49212.36	31382.63	17829.73	0	0	54.59	118
सारण	8540.18	7308.44	1231.74	0	0	0	0
सीवान	25090.49	3657.57	21432.92	0	0	22.63	33
गोपालगंज	19959.46	13501.58	6457.88	0.27	5	0	0
मुजफ्फरपुर	21777.74	5373	16404.74	0	0	27.49	91
सीतामढ़ी	13559.86	1939.21	11620.65	0	0	0	0
शिवहर	2590.15	2590.15	0	0	0	6.12	18
पश्चिम चंपारण	197076.02	143097.36	53978.66	0	0	0	0
पूर्वी चंपारण	101331.89	76165.83	25166.06	1.46	15	5544.98	0
वैशाली	25980.14	4634.82	21345.32	0	0	17.62	162
दरभंगा	44910.09	31595.11	13314.98	0	0	5401.85	11094
समस्तीपुर	25137.86	16476.44	8661.42	0	0	2947.69	5260
मधुबनी	54052.65	31497.7	22554.95	0	0	4897.67	6186
सहरसा	22531.15	7199.68	15331.47	0.34	7	45.54	95
सुपौल	24443.6	16003.19	8440.41	0	0	375.17	282
मधेपुरा	14491	4512.63	9978.37	0	0	146.05	489
पूर्णिया	31269.14	24756.49	6512.65	0	0	30.97	269
अररिया	30238.23	20214.67	10023.56	9.04	27	0	0
किशनगंज	48635.3	31637.63	16997.67	68.92	135	0	0
कटिहार	55350.86	28250.96	27099.9	0	0	198.82	678
भागलपुर	49155.39	8574.5	40580.89	0	0	28.08	54
बांका	84006.34	23250.9	60755.44	0	0	0	0
मुंगेर	37875.04	15497.71	22377.33	0	0	339.96	278
लखीसराय	51158	5941	45217	4.33	5	147.7	1764
बेगूसराय	39968.95	32818.93	7150.02	0	0	1171.22	1696
जमुई	222474.57	68434.13	154040.44	47.4	84	0	0
खगड़िया	39030.88	30165.54	8865.34	12.86	385	254.6	289
शेखपुरा	2710.11	2000.26	709.85	0	0	1.13	63
योग	1790108.3	890151.64	899956.62	203.88	1453	30333.2	44091

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 25: भूमि वितरण का विहंगावलोकन

जिला	2009-10 में जमीन का समुदायवार वितरण												2008-09 से कमी		वितरण हेतु शेष भूमि (ए.)
	अजा		अजजा		सैनिक		पिछड़ा वर्ग		अन्य		कुल क्षेत्र. (ए.)	कुल सं.			
	क्षेत्र. (एकड़)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.			कुल क्षेत्र. (ए.)	कुल सं.	
पटना	51.16	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	51.16	1578	-1685.4	-1030	683.2
नालंदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.0	-1585	859.0
रोहतास	90.51	207	5.05	12	0	0	0	0	0	0	95.56	219	74.6	-93	9858.1
कैमूर	5.17	112	1.04	7	0	0	2.69	20	0	0	8.9	139	-5.5	81	231.7
बक्सर	0	0	5.55	203	0	0	0	0	0	0	5.55	203	-142.4	-297	187.8
भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.9	-1863	477.0
गया	142.89	3334	0	0	0	0	0	0	0	0	142.89	3334	103.8	3123	7274.2
औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-579.6	-1327	58.6
जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5180.0	-6372	14.1
अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.8	-337	362.9
नवादा	24.27	703	0	0	0	0	0	0	0	0	24.27	703	-36.8	435	11571.2
सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	44.4
सीवान	12.24	423	0	0	0	0	0	0	0	0	12.24	423	-10.4	390	213.9
गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1926.0
मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.5	-91	939.1
सीतामढ़ी	16.78	199	0	0	0	0	0	0	0	0	16.78	199	16.8	199	378.1
शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.1	-18	1386.4
प. चंपारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1816.0
पू. चंपारण	1.49	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.49	16	-5543.5	16	40.1
वैशाली	2.13	78	0	0	0	0	0	0	0	0	2.13	78	-15.5	-84	638.8
दरभंगा	1.22	44	0	0	0.16	1	1.24	38	0	0	2.62	83	-5399.2	-11011	157.0
समस्तीपुर			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2947.7	-5260	360.0
मधुबनी	25.6	777	0	0	0	0	0	0	0	0	25.6	777	-4872.1	-5409	407.2
सहरसा	1.5	36	0	0	0	0	0.16	5	0	0	1.66	41	-43.9	-54	347.1
सुपौल	12.72	607	0	0	0	0	0	0	0	0	12.72	607	-362.5	325	64.6
मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.1	-489	350.3
पूर्णिया	16.88	537	0	0	0	0	0	0	0	0	16.88	537	-14.1	268	1264.6
अररिया	13.59	380	0	0	0	0	0	0	0	0	13.59	380	13.6	380	917.8
किशनगंज	9.78	133	6	5	0	0	24.51	34	0.34	4	40.63	176	40.6	176	566.5
कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.8	-678	8146.6
भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.1	-54	1010.3
बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	80.5
मुंगेर	9.07	327	0	0	0	0	0	0	0.03	1	9.1	328	-330.9	50	173.0
लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.7	-1764	134.4
बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1171.2	-1696	76.3
जमुई	2.6	5	0	0	0	0	0.8	2	0	0	3.4	7	3.4	7	54736.9
खगड़िया	3.62	174	0	0	0	0	0	0	0	0	3.62	174	-251.0	-115	1930.6
शेखपुरा	0.57	23	0	0	0	0	0.12	0	0	0	0.69	23	-0.4	-40	49.1
योग	443.79	9693	17.64	227	0.16	1	29.52	99	0.37		491.48	10025	-29858.2	-34217	109733.2

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 25 (जारी) : भूमि वितरण का विहंगावलोकन

जिला	2008-09 में जमीन का समुदायवार वितरण												
	अजा		अजजा		सैनिक		पिछड़ा वर्ग		अन्य		कुल क्षेत्र. (ए.)	कुल सं.	वितरण हेतु शेष भूमि (ए.)
	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.	क्षेत्र. (ए.)	सं.			
पटना	1392.85	1659	0	0	0	0	326.56	778	17.17	171	1736.6	2608	0
नालंदा	164.05	956	0	0	4.36	5	125.25	431	59.35	193	353.01	1585	478.81
रोहतास	9.56	273	0	0	0	0	0	0	11.38	39	20.94	312	45.04
कैमूर	11.96	54	0	0	2.4	3	0	0	0.03	1	14.39	58	4060.85
बक्सर	73.29	305	0	0	12.88	24	36.37	108	25.44	63	147.98	500	265.57
भोजपुर	87.59	987	9.18	43	12.71	19	40.96	386	54.47	428	204.91	1863	232.21
गया	38.14	189	0	0	0	0	0.98	22	0	0	39.12	211	3048.91
औरंगाबाद	335.56	953	0	0	0	0	136.82	193	107.2	181	579.59	1327	61.65
जहानाबाद	3309.36	4216	0	0	0	0	1278.54	1923	592.1	233	5180	6372	39.26
अरवल	289.55	227	0	0	0	0	117.21	110	0	0	406.76	337	45.18
नवादा	27.32	215	0	0	0	0	30.01	50	3.72	3	61.05	268	1294.8
सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीवान	1.5	3	0	0	3.25	4	9.8	13	8.08	13	22.63	33	0
गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	20.97	86	0	0	0	0	0.03	1	6.49	4	27.49	91	146.22
सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.61
शिवहर	0.3	15	0	0	4.75	1	0.24	1	0.83	1	6.12	18	615.6
प. चंपारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पू. चंपारण	0	0	0	0	0	0	0	0	5545	0	5545	0	18040.8
वैशाली	9.29	98	0	0	0.27	2	6.41	48	1.65	14	17.62	162	53.84
दरभंगा	2257.49	4231	0	0	38.16	21	1448.2	3083	1658	3759	5401.9	11094	95.54
समस्तीपुर	2325.48	3832	0	0	118.65	69	384.81	882	118.8	477	2947.7	5260	84.39
मधुबनी	2520.84	3613	0	0	24.25	24	1489.51	1639	863.1	910	4897.7	6186	55.3
सहरसा	28.17	45	0	0	0	0	7.35	20	10.02	30	45.54	95	0
सुपौल	87.61	105	5.25	8	14.34	6	249.9	125	18.07	38	375.17	282	12.4
मधेपुरा	106.89	419	0	0	0	0	27.01	61	12.15	9	146.05	489	143.97
पूर्णिया	12.37	88	1.02	8	0	0	15.23	141	2.35	32	30.97	269	21.63
अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19436.8
किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कटिहार	90.61	151	53.05	170	0	0	32.38	182	22.78	175	198.82	678	208.71
भागलपुर	3.62	8	0.11	1	0	0	24.35	45	0	0	28.08	54	358.88
बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मुंगेर	71.45	77	75.25	63	0	0	102.1	94	91.16	44	339.96	278	1720.25
लखीसराय	105.4	1147	0	0	0	0	42.3	617	0	0	147.7	1764	25.68
बेगूसराय	520.2	823	0	0	104.05	42	254.16	348	292.8	483	1171.2	1696	7.06
जमुई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खगड़िया	254.6	289	0	0	0	0	0	0	0	0	254.6	289	2580.63
शेखपुरा	1.13	63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.13	63	0
योग	14157.15	25127	143.86	293	340.07	220	6186.48	11301	9522	7301	30350	44242	53447.5

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 6

बैंकिंग तथा सहवर्ती क्षेत्र

वर्ष 2007-08 वैश्विक आर्थिक ह्रास के आरंभिक वर्ष के रूप में चिन्हत हुआ था जिसने जीवंत स्मृति की सर्वाधिक बुरी आर्थिक महामंदी का आरंभ किया था। हालांकि जैसा कि हमने विगत आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज किया है, वैश्विक आर्थिक गिरावट का भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए विशेष बुरा प्रभाव नहीं रहा था। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद की ऊंची दर में 2008-09 में कमी आई थी और 2009-10 में भी। लेकिन सौभाग्यवश, स्थिति में बदलाव आना 2009-10 में शुरू हो गया था और 'औद्योगिक क्षेत्र के उत्फुल्ल प्रदर्शन', गत वर्ष की अपेक्षा मॉनसून के अच्छे प्रदर्शन तथा सेवा क्षेत्र में मौजूद लोच के कारण भारतीय रिजर्व बैंक 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि के प्रति आशावान था।

भारत के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों ने अभी तक वित्तीय संकट का सामना करने में अच्छा-खासा लचीलापन दर्शाया था और उससे अपेक्षाकृत अप्रभावित रहे थे। लेकिन आज की सुसंपर्कित दुनिया में किसी भी देश की कोई भी वित्तीय संस्था मंदी के दुष्प्रभावों से अपना पूरी तरह बचाव नहीं कर सकती थी। अतएव अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के तुलनपत्र और उनके वित्तीय प्रदर्शन में अवत्वरण हुआ जिससे सभी क्षेत्रों के सभी प्रकार के ग्राहकों को ऋण देने का कार्य भी प्रभावित हुआ। इसने 'अभिकरणों के बीच आपसी समन्वय' की जरूरत 'जो केंद्रीय बैंकों, नियामकों, पर्यवेक्षकों, और राजकोषीय प्राधिकारों की वित्तीय स्थायित्व संबंधी समझ महसूस करने की जरूरत' के साथ-साथ बाजार में मजबूत नियामक तंत्र के विकास की अत्यावश्यकता को भी फोकस में लाया।

मूल्य के नवोन्मेष, विकास और सृजन हेतु दुर्लभ क्षमताएं दर्शाते हुए भारतीय बैंकों ने संकट के बीच अपनी सामर्थ्य दिखलाई है। लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं जिनसे पार पाना है। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ पर आने के पहले भारतीय रिजर्व बैंक की 'भारतीय बैंकिंग रुझान एवं प्रगति रिपोर्ट, 2009-10' (रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एवं प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2009-10) में गौर किया गया था कि ''2009-10 में परिसंपत्ति की गुणवत्ता और मुनाफे में थोड़ी कमी के साथ अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के तुलनपत्र की वृद्धि में गिरावट थी। बैंक ऋण में 2009-10 में 16.6 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर दर्ज हुई थी लेकिन सकल अग्रिम के साथ अनुपात के बतौर सकल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 2008-09 के 2.25 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 2.39 प्रतिशत हो गई थीं। साथ ही, परिसंपत्ति विवरणी (आरओए) में प्रतिबिंबित भारतीय बैंकों का मुनाफा 2009-10 में उसके पिछले वर्ष के 1.13 प्रतिशत के मुकाबले 1.05 प्रतिशत था।''

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ वित्त की भूमिका में वृद्धि अभी तक हमारी वित्तीय सुधार प्रक्रिया का प्रतीक चिन्ह रही है। सुधारों के परिणाम अर्थव्यवस्था में अपवादस्वरूप ऊंची विकास दर

से स्पष्ट हैं लेकिन विकास के लाभों को समाज के विभिन्न तबकों और अंचलों के बीच फैलाने के लिए आवश्यक न्यायपूर्ण वितरण तंत्र का अभाव इसे कुंद करता रहा है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को, संभावित ग्राहकों के विशाल आधार को बहिष्कृत कर रखा है जिन्होंने अब तक हासिल विकास को और भी आवेग प्रदान किया होता। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की 'भारतीय बैंकिंग रुझान एवं प्रगति रिपोर्ट, 2009-10' में गौर किया गया है कि ''वित्तीय समावेश जनता, बैंकों और राष्ट्र - सबके लिए बेहतर प्रस्ताव है। वित्तीय क्षेत्र के सुधार की विशेषताओं को इस चश्मे से देखने की जरूरत है कि वित्त स्थायित्व के साथ विकास की संभावना के दोहन के लिए क्या कर सकता था और वित्तीय समावेश नीतिगत प्रकिया के एक अन्यंत महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो वित्तीय प्रणाली से वास्तविक अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी कराना चाहता है।

आज की वित्तीय प्रणाली बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति कंपनियों, म्यूचल फंडों, वित्तीय कंपनियों और पेंशन निधियों जैसे बिचौलियों, उन संस्थाओं द्वारा वित्त के प्रवाह के जरिए वाहित है बचत करने वालों के संसाधनों को निवेश करने वालों की ओर मोड़ते हैं। सहकारी बैंक और व्यावसायिक बैंक मिलकर भारत की वित्तीय संस्थाओं की कुल परिसंपत्तियों में लगभग 70 प्रतिशत के भागीदार हैं। चूंकि आर्थिक विकास और बैंकों के कामकाज आपस में गहराई से नथे-गुंथे हैं जिसमें दोनों एक-दूसरे के विकास के इनपुट का काम करते हैं, इसलिए बिहार भी पूर्वोक्त वैश्विक गिरावट और राष्ट्रीय रुझानों के प्रभाव से खुद को पूरी तरह बचा नहीं सका। इन रुझानों ने बिहार में बैंकों द्वारा ऋणप्रवाह में विस्तार के लिए वस्तुतः गंभीर अवरोध का काम किया।

बिहार के वित्तीय प्रक्षेत्र के परवर्ती विश्लेषण में राज्य में कार्यरत तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को ध्यान में रखा गया है : (1) बैंक, जिसमें व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ-साथ अन्य सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, (2) राजकीय वित्तीय संस्थाएं तथा (3) राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। सहकारी संस्थाएं मोटे तौर पर कृषि प्रक्षेत्र का ध्यान रखती हैं, व्यावसायिक बैंक उद्योग के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी वित्त उपलब्ध कराते हैं, राजकीय वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्र के हितों का धयान रखती हैं तथा बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध कराती हैं।

6.1 बैंकिंग अधिसंरचना

व्यावसायिक बैंक

तालिका 6.1 में बिहार में 2005 से 2010 तक व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों के वितरण और उनकी वृद्धि को दर्शाया गया है। मार्च 2010 के अंत तक बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 4,156 शाखाओं में से 57.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में, 22.45 प्रतिशत अर्धशहरी क्षेत्रों में और 19.83 प्रतिशत शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में स्थित थीं। वर्ष 2010 के दौरान शाखाओं की कुल संख्या में 5.43 प्रतिशत की अच्छी-खासी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। बैंक शाखाओं में गत 2007 से देखे गए गतिरोध के लिहाज से यह स्वागत योग्य बदलाव है। तथापि नई खुली 214 शाखाओं में से 44 को छोड़ शेष सभी शहरी क्षेत्रों में खुलीं (90 शाखाएं) या अर्धशहरी क्षेत्रों में

(102 शाखाएं)। और अधिकांश शाखाएं निजी अराष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गईं। गत वर्षों के दौरान बैंक शाखाओं की कुल संख्या में शहरी शाखाओं का हिस्सा निस्संदेह लगातार बढ़ता रहा है। इसका हिस्सा 2005 में 15.13 प्रतिशत था जो 2010 में बढ़कर 19.83 प्रतिशत हो गया। इसके साथ-साथ अर्धशहरी शाखाओं का हिस्सा भी इस अवधि में 20 प्रतिशत से बढ़कर 22.45 प्रतिशत हो गया। तालिका 6.2 में देखा जा सकता है कि मार्च 2009 के अंत में देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा मात्र 4.76 प्रतिशत था जो उत्तर प्रदेश के हिस्से लगभग 12 प्रतिशत और महाराष्ट्र के हिस्से के 9.62 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा गत कुछ वर्षों के दौरान लगभग अपरिवर्तित भी रहा है - 5 प्रतिशत से कम।

तालिका 6.1 : बिहार में व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण

वर्ष (अंतिम मार्च)	योग	वार्षिक वृद्धि दर (%)	योगफल में हिस्सा (%)		
			ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी
2005	3648	0.69	64.80	20.07	15.13
2006	3675	0.74	63.59	20.60	15.81
2007	3712	1.01	62.80	20.66	16.54
2008	3792	2.16	61.63	20.97	17.41
2009	3942	3.96	59.72	21.66	18.62
2010	4156	5.43	57.72	22.45	19.83

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.2 : विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की संख्या तथा वितरण (2008-09)

राज्य	राज्य के योगफल में हिस्सा (%)			राज्य का योगफल	संपूर्ण भारत में हिस्सा (%)
	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी		
आंध्र प्रदेश	35.52	22.87	41.61	6746	8.15
बिहार	**59.72**	**21.66**	**18.62**	**3942**	**4.76**
गुजरात	33.04	22.04	44.92	4492	5.43
हरियाणा	31.26	21.64	47.11	2214	2.67
हिमाचल प्रदेश	75.8	16.72	7.48	963	1.16
झारखंड	55.17	21.37	23.46	1769	2.14
कर्नाटक	35.19	20	44.81	6010	7.26
केरल	7.84	64.9	27.26	4211	5.09
मध्य प्रदेश	42.9	23.85	33.25	4096	4.95
महाराष्ट्र	26.87	18.13	55.01	7961	9.62
उड़ीसा	60.07	18.6	21.33	2752	3.32
पंजाब	33.52	28.8	37.67	3371	4.07
राजस्थान	43.33	24.64	32.02	4050	4.89
तमिलनाडु	27.75	30.22	42.04	6159	7.44
उत्तर प्रदेश	48.54	18.04	33.41	9921	11.98
उत्तराखंड	51.53	26.17	22.3	1112	1.34
पश्चिम बंगाल	44.5	12.03	43.47	5211	6.29
संपूर्ण भारत	**31676**	**19213**	**31905**	**82794**	**100**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

सहकारी बैंक

राज्य तथा जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों के आंकड़े तालिका 6.3 में दर्शाए गए हैं। इसमें देखा जा सकता है कि पूरे देश में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन 2009 में दोनों बैंकों की संख्या में कोई विस्तार नहीं हुआ है और उनकी संख्या 2008 जितनी ही है।

तालिका 6.3 : राज्य तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या (31 मार्च को)

क्षेत्र/ राज्य	राजकीय सहकारी बैंक		जिला केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
हरियाणा	13	13	586	594	599	607
पंजाब	19	19	806	806	825	825
राजस्थान	13	13	398	400	411	413
बिहार	**14**	**14**	**279**	**279**	**293**	**293**
उड़ीसा	14	14	311	338	325	352
पश्चिम बंगाल	46	43	268	281	314	324
छत्तीसगढ़	5	5	198	198	203	203
मध्य प्रदेश	21	21	833	756	854	777
उत्तर प्रदेश	29	29	1300	1306	1329	1335
उत्तराखंड	2	2	201	201	203	203
गुजरात	1	1	1153	1165	1154	1166
महाराष्ट्र	53	53	3656	3663	3709	3716
आंध्र प्रदेश	26	24	569	574	595	598
कर्नाटक	31	31	596	598	627	629
केरल	14	20	643	643	657	663
तमिलनाडु	46	46	727	729	773	775
संपूर्ण भारत	**920**	**943**	**12769**	**12939**	**13689**	**13882**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

संसाधनों को कृषि और ग्रामीण ऋण की ओर उन्मुख करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के प्रख्यापन के जरिए अस्तित्व में आए। केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50, 15 और 35 के अनुपात में धारित इक्विटी वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण ऋण के लिए एक बहु-अभिकरण पहुंच (मल्टी एजेंसी अप्रोच) उपलब्ध कराते हैं।

तालिका 6.4 में 2007 से 2009 तक की अवधि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े दर्शाए गए हैं। दिसम्बर 2009 में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1,451 शाखाएं थीं। तालिका 6.4 से पता चलता है कि जहां शाखाओं की कुल संख्या में इन वर्षों के दौरान बहुत मामूली वृद्धि हुई है, वहीं हाल के वर्षों में बिहार में इनके कुल जमा में लगभग 3,200 करोड़ रु. की अच्छी-खासी वृद्धि हुई है जो 2007 के लगभग 7,200 करोड़ रु. से बढ़कर 2009 में 10,400 करोड़ रु. हो गई है। लेकिन इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में लगभग 1,600 करोड़ रु. की ही वृद्धि हुई है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने दो वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 3,200 करोड़ रु. अतिरिक्त जमा किए, वहीं ऋण के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका लगभग आधा ही प्रवाहित हुआ।

दिसंबर 2009 में देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल जमा का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा था। बिहार के लिए यह अनुपात लगभग 43 प्रतिशत है (तालिका 6.5)। वर्ष 2007-08 में बिहार के कुल बैंक जमा में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का हिस्सा मात्र 24 प्रतिशत था। वर्ष 2009-10 में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का हिस्सा लगभग लगभग 6 प्रतिशत था और बिहार में इन बैंकों द्वारा ग्रामीण जमा की कुल राशि 24,192 करोड़ रु. थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा की वृद्धि दर 2009-10 में धीमी रही है - 2008-09 के 23 प्रतिशत के मुकाबले 17 प्रतिशत। दिसंबर 2009 में बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल जमा का परिमाण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अनेक राज्यों की अपेक्षा अधिक था।

तालिका 6.4 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या और जमा

	दिसंबर 2007			दिसंबर 2008			दिसंबर 2009		
	शाखाओं की संख्या	कुल जमा (करोड़ रु.)	कुल ऋण (करोड़ रु.)	शाखाओं की संख्या	कुल जमा (करोड़ रु.)	कुल ऋण (करोड़ रु.)	शाखाओं की संख्या	कुल जमा (करोड़ रु.)	कुल ऋण (करोड़ रु.)
संपूर्ण भारत[1]	13846	76389	49381	14091	91289	55739	14374	108926	68707
बिहार	**1429**	**7245**	**3027**	**1439**	**8917**	**3661**	**1451**	**10426**	**4612**
मध्य प्रदेश	975	5237	2971	986	5988	3394	1004	6909	4028
महाराष्ट्र	547	2192	1362	497	2120	1368	547	2850	1764
राजस्थान	975	5000	3543	992	6016	4096	998	7227	4985
उत्तर प्रदेश	2735	16529	8571	2774	19831	9576	2820	23140	12160
पश्चिम बंगाल	848	5258	3027	850	6119	2482	842	7467	2937

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कि www.indiastat.com में उद्धृत है।

[1] भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 2007-08 में 15,029 और 2008-09 में 15,384 थीं।

तालिका 6.5 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का कुल ग्रामीण जमा

(करोड़ रु.)

	मार्च 2007	दिसंबर 2009	राज्यों का प्रतिशत हिस्सा: 2009-10
भारत	253,014	393436	100.00
बिहार	**15,149**	**24192**	**6.15**
मध्य प्रदेश	9,427	14222	3.61
महाराष्ट्र	12,219	21475	5.45
राजस्थान	10314	15608	3.97
उत्तर प्रदेश	39,872	57412	14.59
पश्चिम बंगाल	19,030	32711	7.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कि www.indiastat.com में उद्धृत है।

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारी

तालिका 6.6 क में देखा जा सकता है कि मार्च 2008 में बिहार में बैंककर्मियों की कुल संख्या 28,960 थी, जिनमें से एक-तिहाई से अधिक अधिकारी संवर्ग के थे। भारत में कार्यरत अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के समस्त कर्मियों कुल संख्या का मात्र 3.45 प्रतिशत ही बिहार में है। तालिका 6.6 ख में देखा जा सकता है कि एक वर्ष बाद कर्मियों की कुल संख्या बढ़कर 29,858 हो गई। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि 2008 में कर्मचारियों की कुल संख्या में 1,700 से भी अधिक की कमी आई थी - गैर अधिकारियों में (1,216) और अधिकारियों में 519 की।

तालिका 6.6 क : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2008)

राज्य	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्मचारी		योग	
	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)
हरियाणा	9263	2.77	8096	2.43	3853	2.26	21212	2.53
पंजाब	14146	4.22	12783	3.83	6306	3.7	33235	3.96
राजस्थान	13821	4.13	11533	3.46	7317	4.29	32671	3.9
बिहार	**10893**	**3.25**	**10943**	**3.28**	**7124**	**4.18**	**28960**	**3.45**
उड़ीसा	8831	2.64	8414	2.52	5026	2.95	22271	2.66
पश्चिम बंगाल	22380	6.68	31071	9.32	14975	8.78	68426	8.16
झारखंड	5673	1.69	5774	1.73	3262	1.91	14709	1.75
छत्तीसगढ़	4073	1.22	2853	0.86	1963	1.15	8889	1.06
मध्य प्रदेश	13381	4	11999	3.6	7375	4.33	32755	3.91
उत्तर प्रदेश	32593	9.73	32500	9.75	18961	11.12	84054	10.02
उत्तराखंड	3630	1.08	3460	1.04	2181	1.28	9271	1.11
गुजरात	18053	5.39	20248	6.07	10642	6.24	48943	5.84
महाराष्ट्र	43176	12.89	45054	13.51	21414	12.56	109644	13.07
आंध्र प्रदेश	26314	7.86	21310	6.39	11625	6.82	59249	7.06
कर्नाटक	24378	7.28	24779	7.43	11227	6.59	60384	7.2
केरल	16266	4.86	18305	5.49	7707	4.52	42278	5.04
तमिलनाडु	28972	8.65	30456	9.13	12512	7.34	71940	8.58
संपूर्ण भारत	**334884**	**100**	**333414**	**100**	**170471**	**100**	**838769**	**100**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2008-09, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 6.6 ख : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (31 मार्च, 2009)

राज्य	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्मचारी		योग	
	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)	संख्या	हिस्सा (%)
हरियाणा	9498	2.70	8724	2.54	4197	2.40	22419	2.58
पंजाब	15169	4.31	13296	3.88	1627	0.93	35061	4.03
राजस्थान	14206	4.04	11607	3.38	7202	4.12	33015	3.80
बिहार	**11421**	**3.25**	**11015**	**3.21**	**7422**	**4.25**	**29858**	**3.43**
उड़ीसा	9425	2.68	8652	2.52	4915	2.81	22992	2.64
पश्चिम बंगाल	22848	6.49	29771	8.68	15136	8.67	67755	7.79
झारखंड	6230	1.77	5996	1.75	3270	1.87	15496	1.78
छत्तीसगढ़	4406	1.25	3783	1.10	2028	1.16	10217	1.18
मध्य प्रदेश	14713	4.18	14172	4.13	7974	4.57	36859	4.24
उत्तर प्रदेश	33526	9.53	32731	9.54	18991	10.87	85248	9.81
उत्तराखंड	3927	1.12	3777	1.10	2287	1.31	9991	1.15
गुजरात	19182	5.45	21243	6.19	10729	6.14	51154	5.88
महाराष्ट्र	43836	12.46	44906	13.09	21161	12.12	109903	12.64
आंध्र प्रदेश	28877	8.21	23766	6.93	13364	7.65	66007	7.59
कर्नाटक	25531	7.26	25654	7.48	11806	6.76	62991	7.25
केरल	17484	4.97	18927	5.52	7785	4.46	44196	5.08
तमिलनाडु	31132	8.85	30965	9.03	12954	7.42	75051	8.63
संपूर्ण भारत	**351841**	100	**342930**	100	**174641**	100	**869412**	100

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

6.2 जमा और ऋण

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के प्रति व्यक्ति जमा एवं ऋण

तालिका 6.7 में बिहार और अन्य राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा एवं ऋण राशियों तथा देश के कुल जमा एवं ऋण राशियों में उनके हिस्सों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि जहां बिहार में 2009-10 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की अपेक्षा 14,800 करोड़ रु. से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। साथ ही, 2009-10 में ऋण के प्रसार में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है - 2008-09 के मात्र 2,751 करोड़ रु. के मुकाबले 5,400 करोड़ रु. का। वर्ष 2008-09 में ऋण का प्रसार उस वर्ष अतिरिक्त संग्रहित जमा राशि का मात्र 15 प्रतिशत था। वर्ष 2009-10 में ऋण का प्रसार गत वर्ष के मुकाबले 36 प्रतिशत अधिक है। इन दो वर्षों में देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा तो 2.2 प्रतिशत प्रतिशत पर स्थिर रहा, लेकिन इस दौरान ऋण में कुल हिस्सा 0.83 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 0.87 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 6.7 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)

राज्य	जमा				ऋण			
	रकम (करोड़ रु.)	योग में % हिस्सा	रकम (करोड़ रु.)	योग में % हिस्सा	रकम (करोड़ रु.)	योग में % हिस्सा	रकम (करोड़ रु.)	योग में % हिस्सा
	2009		2010		2009		2010	
हरियाणा	87204	2.21	109577	2.38	53617	1.88	69067	2.06
पंजाब	120667	3.06	133571	2.9	79064	2.77	94980	2.84
राजस्थान	91914	2.33	107021	2.33	73680	2.58	94408	2.82
बिहार	**86653**	2.2	**101452**	2.2	**23624**	0.83	**29025**	0.87
झारखंड	55513	1.41	64826	1.41	17789	0.62	22329	0.67
उड़ीसा	70626	1.79	83446	1.81	35856	1.25	44361	1.33
पश्चिम बंगाल	228649	5.81	276704	6.01	138969	4.86	169698	5.07
छत्तीसगढ़	39437	1	48417	1.05	21018	0.74	25540	0.76
मध्य प्रदेश	100971	2.56	119335	2.59	57957	2.03	71358	2.13
उत्तर प्रदेश	264369	6.71	314778	6.84	111185	3.89	134015	4.01
उत्तराखंड	45162	1.15	42395	0.92	11575	0.41	14328	0.43
गुजरात	187906	4.77	216470	4.7	118684	4.15	141316	4.22
महाराष्ट्र	1004898	25.52	1224329	26.6	912368	31.93	995343	29.75
आंध्र प्रदेश	217453	5.52	249467	5.42	212178	7.43	262286	7.84
कर्नाटक	256709	6.52	291655	6.34	196719	6.88	224359	6.71
केरल	135173	3.43	150619	3.27	81612	2.86	95785	2.86
तमिलनाडु	246992	6.27	285337	6.2	268963	9.41	321418	9.61
संपूर्ण भारत	**3937337**	100	**4601924**	100	**2857526**	100	**3345618**	100

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

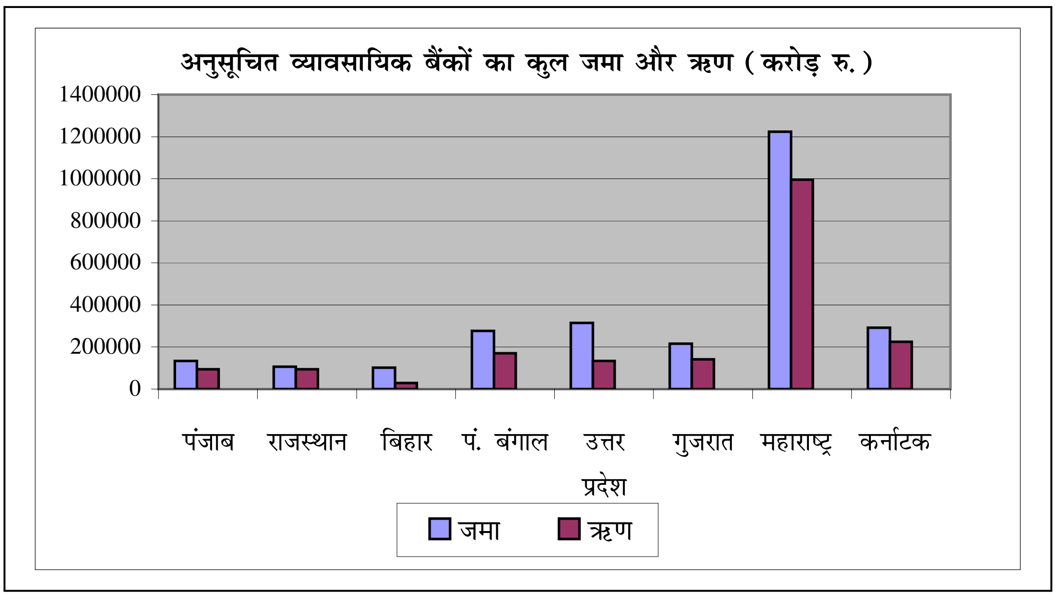

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में प्रमुख भारतीय राज्यों के प्रति व्यक्ति जमा और ऋण को तालिका 6.8 में दर्शाया गया है। प्रति व्यक्ति जमा और प्रति व्यक्ति ऋण, दोनों मामलों में बिहार का स्थान देश के प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सबसे नीचे है। देश के अंदर प्रति बैंक कार्यालय सेवित सर्वाधिक जनसंख्या भी बिहार में ही है। जहां बिहार में 2009-10 में प्रति व्यक्ति जमा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है - गत वर्ष के 1,437 रु. के मुकाबले 1,406 रु.। वहीं प्रति व्यक्ति ऋण के मामले में वृद्धि मात्र एक-चौथाई है, अर्थात 103 रु. जो गत वर्ष 63 रु. थी। किसी अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह उसकी अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है जिसका निर्धारण भौतिक अधिसंरचना द्वारा होता है। फिर भी शाखाविहीन क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलकर तथा अपने कुछ सख्त ऋण मानकों को शिथिल करके ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों को अधिक सकारात्मक उपाय करने की जरूरत है। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार में बैंक शाखाओं का विस्तार शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों के पक्ष में झुका है जहां बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता पहले से ही अधिक है।

तालिका 6.8 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति जमा और ऋण (31 मार्च)

राज्य	प्रति शाखा जनसंख्या		प्रति व्यक्ति जमा (रु. में)		प्रति शाखा जमा (लाख रु. में)		प्रति व्यक्ति ऋण (रु. में)		प्रति शाखा ऋण (लाख रु. में)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
हरियाणा	11478	10597	35453	43796	4069	4641	21798	27605	2502	2925
पंजाब	8377	7910	44612	48806	3737	3860	29231	34705	2449	2745
राजस्थान	16825	16320	14001	16033	2356	2617	11223	14144	1888	2308
बिहार	**24837**	**23924**	**9119**	**10525**	**2265**	**2518**	**2486**	**3011**	**617**	**720**
झारखंड	**17943**	**17206**	**18135**	**20885**	3254	3593	5811	7194	1043	1238
उड़ीसा	14991	14333	17645	20661	2645	2961	8958	10983	1343	1574
पश्चिम बंगाल	17487	17052	26030	31206	4552	5321	15821	19138	2767	3263
छत्तीसगढ़	**19849**	**18478**	**16711**	**20234**	3317	3739	**8906**	**10673**	1768	1972
मध्य प्रदेश	17918	17191	14446	16796	2588	2887	8292	10043	1486	1727
उत्तर प्रदेश	20194	19357	13644	15957	2755	3089	5738	6793	1159	1315
उत्तराखंड	**8924**	**8333**	**46771**	**43260**	4174	3605	**11987**	**14620**	1070	1218
गुजरात	13410	12737	32717	37174	4387	4735	20664	24268	2771	3091
महाराष्ट्र	14816	14016	91727	110183	13591	15443	83281	89575	12339	12555
आंध्र प्रदेश	12910	12083	26143	29711	3375	3590	25509	31238	3293	3774
कर्नाटक	10179		44122	49598	4491	4821	33812	38154	3442	3708
केरल	8482	8119	39683	43890	3366	3563	23959	27912	2032	2266
तमिलनाडु	11396	10784	37105	42580	4229	4592	40405	47964	4605	5172
संपूर्ण भारत	**14683**	**14009**	**33919**	**39107**	**4980**	**5479**	**24617**	**28431**	**3615**	**3983**

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

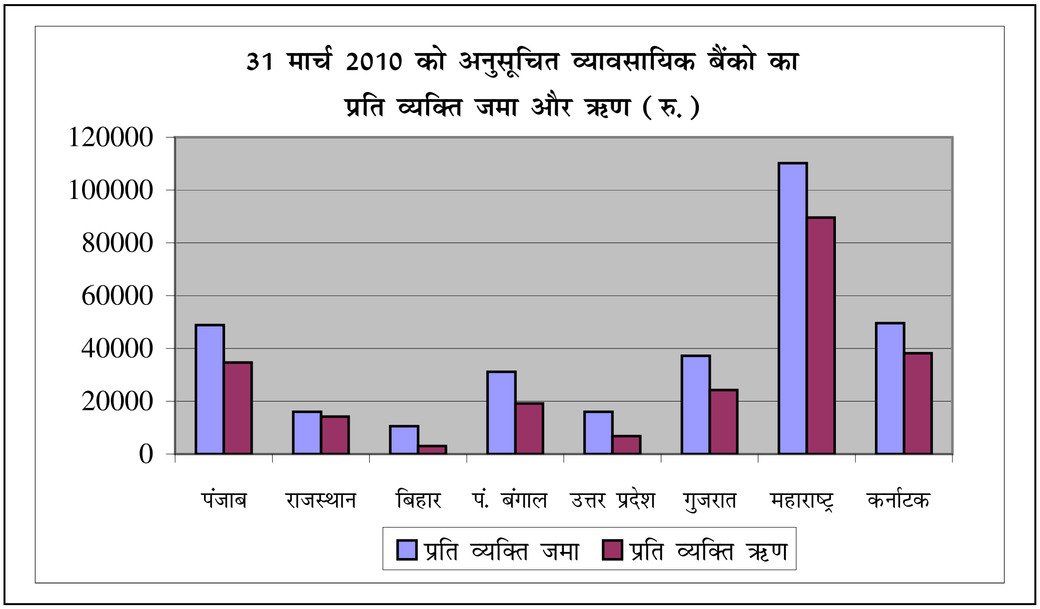

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2001-02 से बिहार के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़े तालिका 6.9 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 6.9 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

वर्ष	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात
2001-02	30,482	6,946	22.79
2002-03	33,815	8,089	23.92
2003-04	35,824	9,604	26.81
2004-05	40,295	12,031	29.86
2005-06	46,134	14,808	32.10
2006-07	56,342	19,048	33.81
2007-08	68,244	22,077	32.35
2008-09	83,048	24,051	28.96
2009-10[2]	98,588	31,679	32.13
2010-11 (जून 2010 तक)	99,636	32,109	32.23

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

[2] तालिका 6.7 में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2010 तक यह मात्र 28.60 प्रतिशत है। अंतर मुख्यत: आरआइडीएफ योजना (खंड 6.7.2 में विचारित) के तहत बैंकों द्वारा ऋणप्रदान की राशि के समावेश के कारण है। साथ ही, तालिका 6.7 में आंकड़े सिर्फ बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के हैं जबकि तालिका 6.9 में बिहार में सभी बैंकों के हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं।

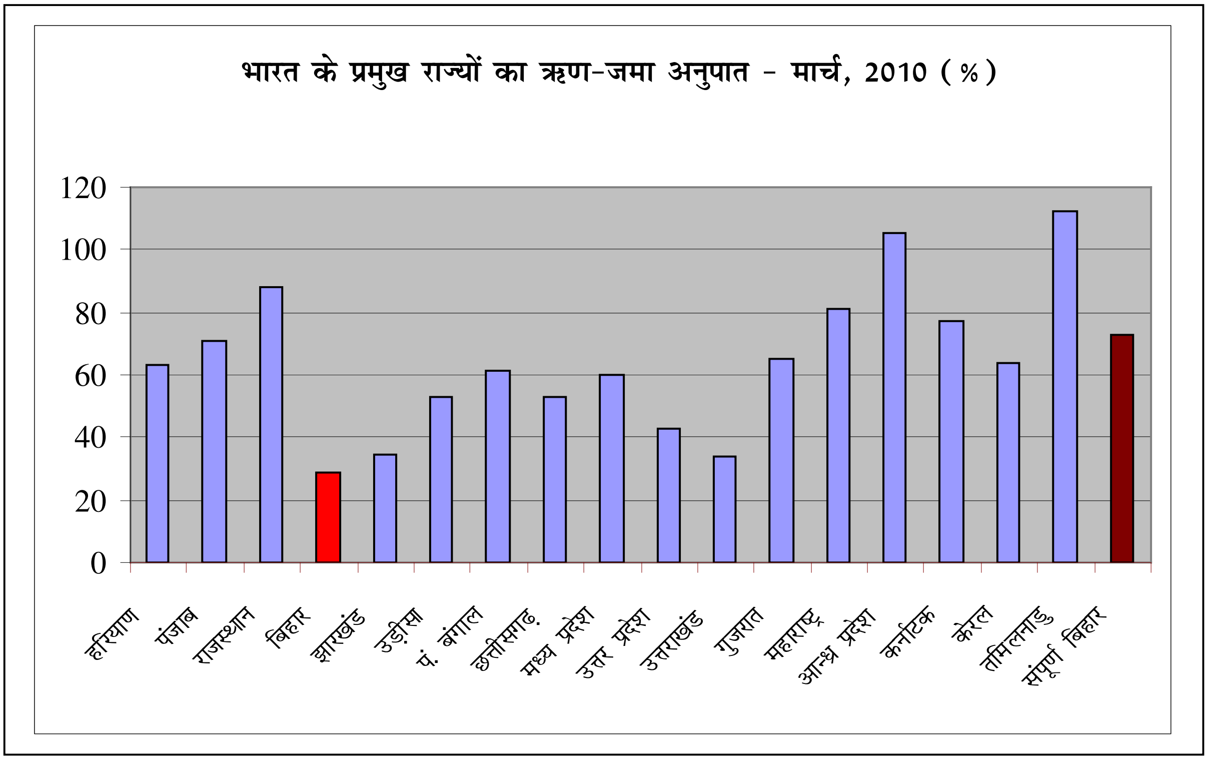

पहले भी उल्लेख किया गया है कि व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात मुख्य रूप से किसी राज्य की आर्थिक गतिविधि के स्तर और ऋण अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है और यह उसके आर्थिक विकास में बैंकों की संलिप्तता का सूचक भी है। 1990 के दशक तक बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात देश में लगभग सबसे कम था और राज्य में ऋण-जमा अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि 2000-01 के बाद ऋण-जमा अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन 2008-09 में भी देश के प्रमुख राज्यों के बीच यह सबसे कम है। इसके अलावा, 2006-07 से ऋण-जमा अनुपात में फिर से लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 2008-09 में 28.96 प्रतिशत हो गया। उसके बाद से इसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और अभी लगभग 32 प्रतिशत है लेकिन 2006-07 में हासिल स्तर 34 प्रतिशत से काफी पीछे है। बिहार का ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत 72.7 प्रतिशत से काफी नीचे बना हुआ है और तमिलनाडु (113 प्रतिशत), महाराष्ट्र (81 प्रतिशत), राजस्थान (88 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (61 प्रतिशत) या मध्य प्रदेश (60 प्रतिशत) से काफी पीछे है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश का 43 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात भी बिहार से काफी अच्छा है।

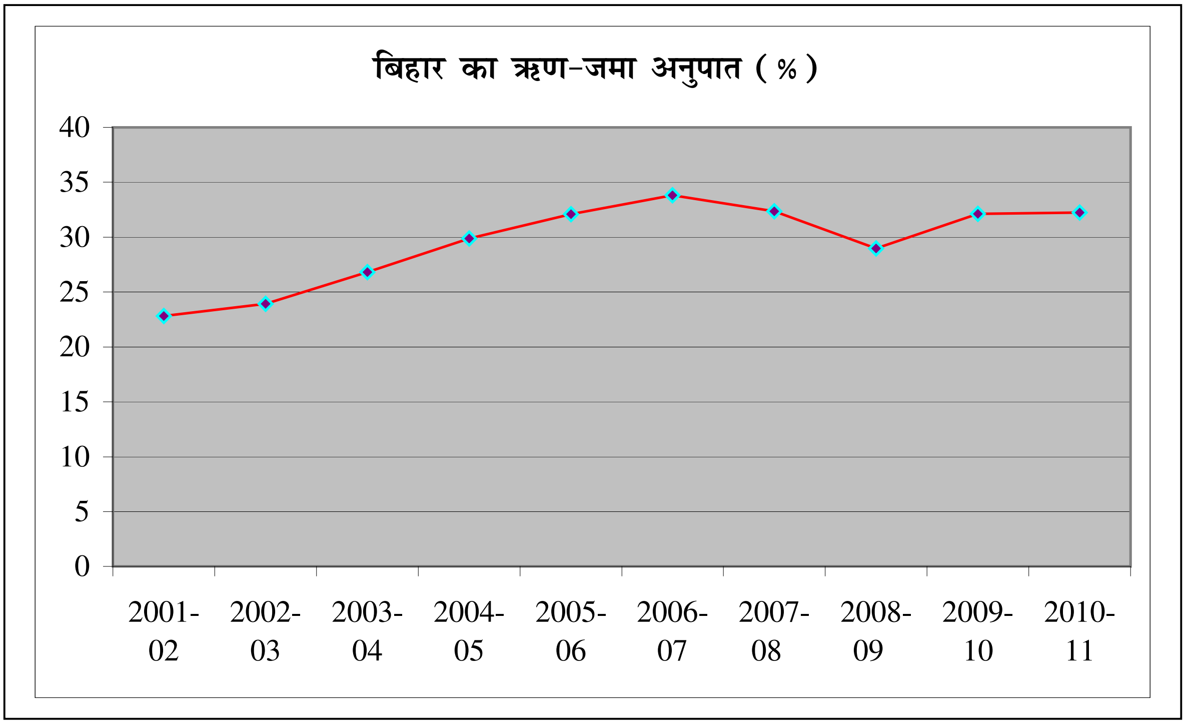

रकम के बतौर देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के लगभग 32 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात को लगभग 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने पर राज्य में 41,000 करोड़ रु. का निवेश बढ़ जाता जो राज्य के वर्तमान वार्षिक योजना परिव्यय से भी अधिक है। यह राशि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को अतिवांछित बल प्रदान करती। यहां तक कि 50 प्रतिशत का मध्यवर्ती ऋण-जमा अनुपात होने पर भी राज्य में निवेश में 18,000 करोड़ रु. की वृद्धि होती। ऋण का कम वितरण यह भी दर्शाता है कि राज्य में ऋण संबंधी जरूरतों की पूर्ति निजी ऋणदाता अभिकरणों के उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों के जरिए हो रही है जो राज्य के उद्यमों का मुनाफा हड़प जा रहे हैं। यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिहाज से स्वाभाविक रूप में एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा यह पूंजी के राज्य के बाहर पलायन को भी सूचित करता है।

बैंक समूहों और जनसंख्या समूहों के अनुसार बिहार में ऋण-जमा अनुपात को तालिका 6.10 में दर्शाया गया है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात तालिका 6.11 में दर्शाया गया है। बिहार में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों का है (41 प्रतिशत) जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का (38 प्रतिशत) और अंत में व्यावसायिक बैंकों का (28 प्रतिशत)। हालांकि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने-अपने अनुपातों में गत वर्ष की अपेक्षा मामूली सुधार किया है, लेकिन राज्य में निवेश के उत्साहवर्धक माहौल के अभाव में अनुपात में अधिक सुधार नहीं किया जा सकता है।

तालिका 6.10 : बिहार में बैंक समूह तथा क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (31.06.2010)

बैंक समूह	क्षेत्र	जमा (करोड़ रु.)	अग्रिम/ निवेश (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात (%)
व्यावसायिक बैंक	ग्रामीण	17385	6317[3]	36.33
	अर्धशहरी	22858	6611	28.92
	शहरी-महानगरीय	45557	11898	26.12
	योग	**85800**	**24826**	**28.93**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण	8701	3671	42.19
	अर्धशहरी	2390	738	30.86
	शहरी-महानगरीय	1221	352	28.85
	योग	**12312**	**4760**	**38.66**
सहकारी बैंक	ग्रामीण	अनु.	अनु.	अनु.
	अर्धशहरी	अनु.	अनु.	अनु.
	शहरी-महानगरीय	1525	632	41.42
	योग	**1525**	**632**	**41.42**
सभी बैंक	ग्रामीण	26086	9987	38.29
	अर्धशहरी	25248	7348	29.10
	शहरी-महानगरीय	48302	12882	26.67
	योग	**99636**	**30217**	**30.33**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

जून 2010 में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 99,636 करोड़ रु. था जबकि ऋण 32,109 करोड़ रु.; फलत: ऋण-जमा अनुपात 32.23 प्रतिशत था जो 2009-10 के 32.13 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर था। 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के पहले भी बिहार का ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत के आसपास हुआ करता था। देश में व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार का हिस्सा 2.2 प्रतिशत है और कुल ऋण में 0.87 प्रतिशत जो सभी बड़े राज्यों के बीच लगभग सबसे कम है। उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के लिए राज्य में पर्याप्त निवेश आवश्यक है, लेकिन इस दर पर राज्य में किसी सार्थक निवेश के आने में काफी लंबा वक्त लगेगा। गत पांच वर्षों के दौरान देश के कुल जमा में बिहार का हिस्सा 2.6 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत रह गया है और कुल ऋण में 1.0 प्रतिशत से गिरकर 0.87 प्रतिशत। ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि की जगह वस्तुत: गिरावट आई है जो 2006-07 में 34.38 प्रतिशत के शीर्ष पर था जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है।

ऋण-जमा अनुपात की गणना पारंपरिक रूप से ऋण स्वीकृतियों के आधार पर होती है। इससे उस परिमाण का पता चलता है जिस तक बैंक किसी राज्य में एकत्र किए गए जमा को ऋण की मांग पूरी करने के लिए उपयोग में लाते हैं। हालांकि ऋण स्वीकृति पर आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात से किसी राज्य से दूसरे राज्य को हुआ जमा का पलायन सूचित होता है जबकि ऋण उपयोग आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात ऋण के पलायन को सूचित करेगा। अतएव इन दोनों प्रकार के ऋण-जमा अनुपातों की तुलना महत्वपूर्ण हो जाती है, खास कर विभिन्न

[3] इसमें 1891 करोड़ रु. की आरआइडीएफ राशियां शामिल नहीं हैं।

राज्यों के बीच ऋण-जमा अनुपातों की तुलना में। और यहां उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात अधिक उपयुक्त सूचक होगा। पूरे देश के मामले में ये दोनों अनुपात स्पष्टत: एक होंगे। लेकिन कम विकसित राज्यों के मामले में उपयोग अनुपात अधिक होगा। शाखाओं में, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी विस्तार के साथ-साथ वास्तविक उपयोग के स्थानों पर अवस्थित बैंकों से ऋण प्राप्त करने की ऋणार्थियों की मनोवृत्ति के कारण भी इन दोनों अनुपातों के बीच अंतर में हाल के वर्षों में काफी कमी आई है। तालिका 6.11 में देखा जा सकता है कि बिहार के उपयोग अनुपात में गिरावट आने लगी है जो 2006-07 में 49 प्रतिशत से 2007-08 में गिरकर यह 45 प्रतिशत हो गया और 2008-09 में तो अचानक गिरकर मात्र 26 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2007-08 तक उच्च अनुपात राज्य उस वर्ष ऋण के कम पलायन को इंगित करता था।

तालिका 6.11 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

	मार्च-07		मार्च-08		मार्च-09		मार्च-10
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार
हरियाणा	56.9	68.4	60.1	67.2	61.4	74.0	63.0
पंजाब	65.6	65.3	67.2	76.1	65.7	65.5	71.1
राजस्थान	82.9	90.9	82.4	100.0	80.6	87.5	88.2
बिहार	**32.4**	**49.0**	**28.2**	**45.0**	**26.8**	**26.6**	**28.6**
झारखंड	32.8	33.3	35.3	40.2	32.0	35.7	34.4
उड़ीसा	64.6	72.6	56.3	62.4	50.8	55.7	53.2
पश्चिम बंगाल	64.7	68.4	62.4	65.8	60.7	62.2	61.3
छत्तीसगढ़	50.0	58.3	49.8	66.0	46.3	52.3	52.8
मध्य प्रदेश	61.8	64.6	60.1	65.9	57.4	61.9	59.8
उत्तर प्रदेश	45.1	50.4	43.7	52.6	42.2	46.5	42.6
उत्तराखंड	26.7	32.1	26.2	31.6	25.3	28.6	33.8
गुजरात	63.7	88.4	66.5	97.8	63.7	74.6	65.3
महाराष्ट्र	96.8	76.5	93.9	73.1	91.2	78.7	81.3
आंध्र प्रदेश	87.3	91.2	90.4	97.2	96.4	104.9	105.1
कर्नाटक	76.3	99.8	78.1	94.3	77.3	82.8	76.9
केरल	60.9	63.8	63.4	66.4	59.7	61.7	63.6
तमिलनाडु	114.5	118.6	114.7	117.0	108.1	115.2	112.6
संपूर्ण भारत	**75.0**	**75.0**	**74.4**	**74.4**	**72.6**	**72.6**	**72.7**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देकर ही सहायता नहीं करते, अपनी निवेश योग्य निधियों के बड़े हिस्से का राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्धसरकारी निकायों तथा संयुक्त पूंजी कंपनियों के शेयरों और बांडों में निवेश करके भी सहायता करते हैं। अतएव किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की पूरी संलग्नता वास्तविक रूप में अकेले ऋण-जमा अनुपातों से नहीं, बल्कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात (आइसीडी रेशियो) से अभिव्यक्त होती है। तालिका 6.12 में देखा जा सकता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात पर गौर करने पर राज्यों के बीच ऋण-जमा अनुपात संबंधी असमानता में कमी दिखती है। अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों के मामले में निवेश सह ऋण-जमा अनुपात उनके ऋण-जमा अनुपात के मुकाबले काफी अधिक थे। वहीं

विकसित राज्यों के मामले में यह अंतर उतना अधिक नहीं था। दूसरे शब्दों में, निवेश सह ऋण-जमा अनुपात के मामले में राज्यों के बीच अंतर ऋण-जमा अनुपात के मुकाबले कम हैं। मार्च 2010 में बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 37 प्रतिशत था जबकि स्वीकृति के आधार पर ऋण-जमा अनुपात 32 प्रतिशत। बिहार का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात राजस्थान (98 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (70 प्रतिशत) और उड़ीसा (64 प्रतिशत) के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत (80 प्रतिशत) के मुकाबले काफी कम है।

तालिका 6.12 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

	मार्च-07		मार्च-08		मार्च-09		मार्च-10	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
हरियाणा	73.2	61.7	63.6	70.7	67.3	80.0	64.7	71.8
पंजाब	71.5	71.8	75.4	84.3	75.0	74.8	76.6	85.6
राजस्थान	104.5	96.4	95.9	113.6	96.2	103.0	97.8	115.5
बिहार	**57.9**	**41.3**	**36.0**	**52.8**	**35.0**	**34.8**	**37.0**	**53.8**
झारखंड	37.3	36.8	38.8	43.6	37.5	41.2	40.2	45.0
उड़ीसा	82.4	74.4	62.4	68.5	55.3	60.2	63.8	69.9
पश्चिम बंगाल	76.0	72.3	71.1	74.5	71.1	72.6	71.9	75.3
छत्तीसगढ़	62.6	54.2	53.1	69.3	48.9	54.9	55.0	71.2
मध्य प्रदेश	74.4	71.5	67.5	73.3	66.7	71.2	69.9	75.7
उत्तर प्रदेश	59.4	54.2	52.1	61.0	51.5	55.8	53.0	61.9
उत्तराखंड	39.2	33.8	33.6	38.9	32.9	36.3	35.2	40.6
गुजरात	94.3	69.6	74.3	105.6	73.4	84.3	76.4	107.7
महाराष्ट्र	78.2	98.5	95.8	75.0	94.1	81.6	95.9	75.2
आंध्र प्रदेश	99.3	95.5	99.0	105.7	106.2	114.8	100.8	107.6
कर्नाटक	103.4	79.9	81.2	97.3	82.2	87.7	81.7	97.9
केरल	70.7	67.7	71.4	74.4	68.8	70.8	72.1	75.0
तमिलनाडु	123.7	119.6	120.4	122.8	115.5	122.7	121.5	123.9
संपूर्ण भारत	**79.8**	**79.8**	**79.2**	**79.2**	**78.7**	**78.7**	**80.2**	**80.2**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

जिलों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.13 में जून 2010 तक बिहार के सभी 38 जिलों में सभी व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात प्रदर्शित किया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। सीवान में यह 19 प्रतिशत है तो पड़ोसी पश्चिमी चंपारण में 45 प्रतिशत और किशनगंज में 51 प्रतिशत। राज्य के 38 में से 17 जिलों में यह 30 प्रतिशत से कम है। ये जिले हैं औरंगाबाद, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, मधेपुरा, सुपौल, पटना, दरभंगा, लखीसराय, गोपालगंज, मधुबनी, सारण, मुंगेर, शेखपुरा, शिवहर और सीवान। वहीं 9 जिलों - अररिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्व चंपारण और पश्चिम चंपारण में यह 40 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि कई जिलों के ऋण-जमा अनुपात पूर्ववर्ती ऋणों के संचित ब्याजों के कारण अधिक है। वे ऋण प्रवाह बढ़ाने की बैंकों की इच्छा को अनिवार्यत: व्यक्त नहीं करते। बिहार के अधिकांश जिलों (38 में से 23 जिलों) में ऋण-जमा अनुपात में 2007-08 के मुकाबले गिरावट आई है।

तालिका 6.13 : जिलावार ऋण-जमा अनुपात

जिला	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11[4]
पटना	29.00	29.64	32.18	27.64	25.11	24.18	23.70
अरवल	17.56	23.51	26.66	26.80	26.35	32.06	30.59
औरंगाबाद	25.98	28.31	26.65	23.76	23.22	27.95	28.23
भोजपुर	22.14	23.61	24.95	24.51	20.74	24.50	25.19
बक्सर	25.12	28.39	31.08	30.99	24.17	31.48	33.60
गया	23.60	25.89	28.37	28.46	28.67	31.45	32.42
जहानाबाद	21.99	21.71	23.62	25.28	23.78	28.84	29.53
कैमूर	42.83	44.65	46.06	43.04	47.13	48.16	52.01
लखीसराय	24.21	25.88	24.40	24.23	22.83	24.26	24.90
नालंदा	25.28	26.99	27.44	25.77	24.59	27.13	28.10
नवादा	24.23	24.38	27.16	26.06	22.91	31.66	33.42
रोहतास	31.58	35.24	39.79	40.50	36.24	36.02	37.15
अररिया	53.57	54.26	51.69	50.72	38.03	38.57	41.93
जमुई	25.79	28.63	29.18	28.30	25.61	25.85	26.98
किशनगंज	43.43	51.66	53.17	52.77	49.10	49.85	51.19
मधेपुरा	44.89	44.59	42.63	42.29	26.43	28.06	29.91
पूर्णिया	51.45	41.62	51.33	51.53	45.09	49.79	51.02
सहरसा	36.77	37.1	33.90	36.31	29.03	37.52	34.09
सुपौल	34.90	34.84	32.38	35.66	28.16	31.99	29.54
दरभंगा	28.50	28.82	29.31	26.45	22.99	26.40	25.82
पूर्व चंपारण	38.48	40.63	43.68	42.34	36.87	38.94	41.85
गोपालगंज	24.92	27.45	29.12	30.19	25.68	25.65	26.79
मधुबनी	34.07	33.25	32.68	30.32	25.55	28.32	26.79
मुजफ्फरपुर	31.12	33.84	36.21	34.29	43.33	45.34	47.80
सारण	21.72	23.73	26.18	23.12	23.85	26.25	23.45
सीवान	17.35	20.10	22.07	20.68	18.78	20.08	18.54
वैशाली	26.75	29.70	31.90	32.17	28.45	30.72	30.27
प. चंपारण	58.47	56.85	51.69	48.99	47.31	47.12	44.65
कटिहार	69.48	59.85	58.19	55.59	43.98	45.59	46.04
शेखपुरा	26.38	27.04	27.61	26.72	24.94	29.77	29.19
बांका	42.96	39.97	44.62	40.55	33.86	35.83	36.64
बेगूसराय	43.66	43.72	44.95	40.32	35.59	37.83	39.64
भागलपुर	32.01	32.98	37.77	35.79	30.98	30.09	31.56
मुंगेर	19.64	21.34	23.35	23.17	23.28	21.02	20.98
शिवहर	35.24	28.05	30.06	29.44	38.29	42.31	25.77
सीतामढ़ी	34.97	40.39	40.24	35.16	32.23	32.91	32.64
खगड़िया	34.88	38.57	38.34	32.70	32.37	36.55	36.48
समस्तीपुर	36.67	37.65	38.50	36.05	37.09	39.69	40.58

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

[4] 2010-11 के लिए आंकड़े जून 2010 तक के हैं।

बिहार में व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

तालिका 6.14 क में बिहार में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है और तालिका 6.14 और ख में निजी व्यावसायिक बैंकों का। लीड (अगुआ) बैंकों के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 36.48 प्रतिशत है जबकि गत वर्ष 36.62 प्रतिशत था। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात - लगभग 41 प्रतिशत - सिंडीकेट बैंक का है जो उसके गत वर्ष के अनुपात (लगभग 45 प्रतिशत) से कम है। कुछ बैंकों के ऋण-जमा अनुपात अत्यंत कम थे, जैसे कॉर्पोरेशन बैंक का 8 प्रतिशत और ओवरसीज बैंक का 12 प्रतिशत। जहां 2009-10 के दौरान सभी जिलों में ऋण-जमा अनुपात 27 प्रतिशत के ऊपर थे, वहीं 11 राष्ट्रीकृत बैंकों के ऋण-जमा अनुपात अगले साल 27 प्रतिशत से नीचे थे।

तालिका 6.14 क : राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंक	2010-11 में शाखाओं की सं.	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11[5]
लीड बैंक								
भारतीय स्टेट बैंक	657	27.58	29.19	27.10	27.99	24.72	27.17	27.76
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	349	27.66	30.87	32.58	30.92	35.52	36.62	36.48
पंजाब नेशनल बैंक	446	28.36	28.74	26.63	24.98	27.13	29.03	28.63
कनारा बैंक	100	31.21	32.86	34.88	33.80	30.80	32.50	30.49
यूको बैंक	179	31.37	40.42	41.21	41.10	32.52	23.96	32.04
बैंक ऑफ बड़ौदा	98	21.93	52.94	52.04	30.91	31.42	34.78	33.57
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	74	45.39	47.78	42.17	35.28	26.93	27.06	26.82
अन्य बैंक								
बैंक ऑफ इंडिया	193	22.27	30.88	33.19	33.77	30.38	35.11	35.08
इलाहाबाद बैंक	169	38.66	40.61	38.76	32.92	27.39	30.72	27.55
आंध्र बैंक	9	10.50	11.28	20.47	20.35	24.44	19.90	0.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4	72.12	49.92	40.29	24.21	17.18	14.78	15.74
कॉर्पोरेशन बैंक	6	10.27	16.21	8.99	अनु.	16.49	8.47	7.54
देना बैंक	10	21.36	25.17	24.73	21.33	18.78	10.45	12.07
इंडियन बैंक	35	17.93	22.25	23.74	27.17	25.15	23.02	21.69
इंडियन ओवरसीज बैंक	17	23.76	16.50	13.11	11.92	11.29	10.96	12.12
ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	15	55.53	33.20	50.07	41.47	37.67	28.38	33.32
पंजाब एंड सिंध बैंक	0	अनु.	39.24	46.82	अनु.	अनु.	10.52	10.74
सिंडिकेट बैंक	27	39.47	49.06	57.37	54.23	45.27	45.46	40.78
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	80	26.56	32.97	32.39	28.27	24.36	28.74	28.29
विजया बैंक	8	19.41	20.89	23.19	23.43	21.64	21.20	19.86
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	6	30.67	43.09	52.41	29.22	25.84	24.91	23.50
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	25.67	33.87	46.29	35.85	अनु.	76.83	83.39
राज्य का औसत	2483	29.86	33.50	33.75	31.62	28.96	27.30	26.70

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

[5] 2010-11 के लिए आंकड़े जून 2010 तक के हैं।

बिहार में निजी व्यावसायिक बैंकों के लिए अलग से उल्लेख जरूरी है। बिहार में पांच निजीं बैंकों की 69 शाखाएं हैं जैसा कि तालिका 6.14 ख में दर्शाया गया है। इनके ऋण-जमा अनुपात 2 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के बीच हैं। जून 2010 तक इनमें से किसी की कोई ग्रामीण शाखा नहीं थी और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी उनकी उपस्थिति बहुत सीमित थी।

तालिका 6.14 ख : निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (जून 2010)

बैंक	अर्धशहरी			शहरी			योग			
	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	ऋण-जमा अनुपात
आइसीआइसीआइ बैंक	9	6906	1934	21	93097	1109	30	100003	3043	3.04
फेडरल बैंक	0	0	0	1	8365	648	1	8365	648	7.75
जम्मू कश्मीर बैंक	0	0	0	1	2799	990	1	2799	990	35.37
साउथ इंडियन बैंक	0	0	0	1	5549	1241	1	5549	1241	22.36
वैश्य बैंक लि.	1	574	0	1	5888	114	2	6462	114	1.76
ऐक्सिस बैंक	13	36242	2336	2	38036	14777	15	74278	17113	23.04
एचडीएफसी बैंक	2	2839	9	14	89025	17827	16	91864	17836	19.42
इंडसइंड बैंक	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0.00
कर्नाटक बैंक	0	0	0	1	406	229	1	406	229	56.40
बैंक ऑफ राजस्थान	0	0	0	1	1534	78	1	1534	78	5.08

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

6.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

बिहार में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इनमें से प्रत्येक किसी खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। ये हैं : पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तालिका 6.15 में इन पांचों बैंकों के ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हैं। समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 53 प्रतिशत है जो सर्वाधिक है। वहीं बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात 36 प्रतिशत है जो सबसे कम है।

तालिका 6.15 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऋण-जमा अनुपात				निवेश सह ऋण-जमा अनुपात			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11[6]
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	40.89	38.71	39.73	40.2	65.02	69.96	39.75	40.23
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	37.57	33.89	35.26	35.63	42.6	38.32	35.26	35.63
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	49.38	45.52	50.35	52.69	49.38	45.52	50.35	52.69
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	38.3	32.02	36.21	37.56	38.3	32.02	36.21	37.56
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56.31	-	-	-	56.52	-	-	-
योग	41.7	34.66	37.64	38.66	49.43	44.28	37.65	38.67

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

6.4 बैंक ऋण में उद्योग का हिस्सा

तालिका 6.16 में बिहार में 2002-03 से 2006-07 के बीच अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ऋण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। मार्च 2007 तक कुल ऋण में कृषि (24.2 प्रतिशत), उद्योग और विनिर्माण (22 प्रतिशत), व्यक्तिगत ऋण (31.7 प्रतिशत) तथा व्यापार (14.4 प्रतिशत) का संयुक्त हिस्सा 92 प्रतिशत था। शेष ऋण पेशेवर तथा अन्य सेवाओं, वित्त तथा विविध गतिविधियों के लिए दिए गए थे। विभिन्न क्षेत्रों के बीच ऋण के वितरण में गत वर्षों के दौरान बहुत मामूली अंतर देखा गया। राज्य के अंदर ऋण के पैटर्न में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर गौर किया जा सकता है कि ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत ऋणों के मामले में था जिसका राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर कोई खास प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका 6.16 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण में उद्योग का हिस्सा[7]

क्षेत्र	ऋण का प्रतिशत हिस्सा				
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि	20.9	19.9	23.1	22.7	24.2
उद्योग एवं विनिर्माण	14.2	12.8	16.5	22.2	22.0
परिवहन संचालक	2.4	1.7	1.5	1.1	0.93
व्यक्तिगत ऋण	27.5	33.0	33.5	31.8	31.7
पेशेवर तथा अन्य सेवाएं	2.8	2.7	2.7	2.9	3.5
व्यापार	21.4	18.1	16.6	14.8	14.4
वित्त	0.8	0.5	0.6	0.3	0.3
विविध	9.9	11.3	5.5	4.2	3.6
कुल बैंक ऋण	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : मनी एंड बैंकिंग, सितंबर 2008, सीएमआइई

[6] **2010-11 के लिए आंकड़े जून 2010 तक के हैं।**

[7] इस पर बाद के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये आंकड़े वही हैं जो विगत आर्थिक सर्वेक्षण में थे।

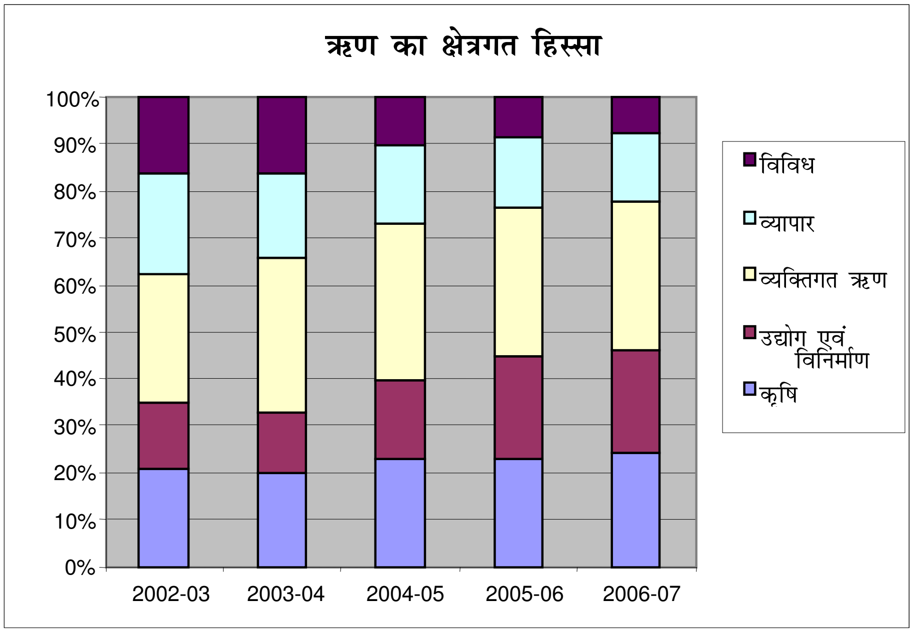

6.5 बैंक अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा

वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

तालिका 6.17 में 2009-10 में ऋण वितरण का क्षेत्रगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 66 प्रतिशत हिस्सा था। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा लगभग दो-तिहाई था जो राज्य के अंदर कुल अग्रिमों के 41 प्रतिशत से अधिक है। यह देखा जा सकता है कि लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का कुल वितरित ऋण में मात्र 17 प्रतिशत हिस्सा था। इस प्रक्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए औद्योगिक परिसरों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ बिजली और सड़कमार्ग के मामले में अधिसंरचना का विकास आवश्यक होगा। वार्षिक ऋण योजना के तहत उपलब्धि विगत वर्ष के 83 प्रतिशत से अधिक थी और इसमें क्षेत्रों के बीच काफी भिन्नता दिखी।

तालिका 6.17 : अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2009-10)

क्षेत्र	वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	अग्रिमों में हिस्सा (%)
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रगत ऋण	13920	11560	83	66
कृषि	8727	7163	82	41
लघु उद्योग	1322	1352	102	8
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रगत ऋण	3871	3045	79	17
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रगत ऋण	7207	5977	83	34
योग	21128	17537	83	100

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत बिहार में कुल ऋण प्रवाह 29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2008-09 के 13,548 करोड़ रु. से बढ़कर 2009-10 में 17,537 करोड़ रु. हो गया है। गत चार वर्षों के दौरान बिहार में हुए कुल ऋण प्रवाह को तालिका 6.18 और 6.19 में दर्शाया गया है। उपलब्धि में 2008-09 तक लगातार गिरावट आ रही थी लेकिन 2009-10 में स्थिति सुधरी है। देखा जा सकता है कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच उपलब्धि दर के मामले में भारी अंतर मौजूद है जो सहकारी बैंकों के मामले में 30 प्रतिशत है, तो व्यावसायिक बैंकों के मामले में 89 प्रतिशत।

तालिका 6.18 : वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियां - सभी बैंक

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2003-04	4842	4287	88.54
2004-05	6022	5041	83.71
2005-06	7334	6055	82.56
2006-07	10001	8738	87.37
2007-08	13100	10763	82.16
2008-09	17492	13548	77.45
2009-10	21128	17537	83.00
2010-11[8]	37000	4161	11.25

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 6.19 : वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण (2009-10)

अभिकरण	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
व्यावसायिक बैंक	16374	14495	88.53
सहकारी बैंक	1182	353	29.87
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3575	2689	75.21
योग	21131	17537	83.00

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बकाया कृषि अग्रिम

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के बीच पांच वर्षों के दौरान कृषिगत ऋण प्रवाह तिगुना से भी अधिक हो गया है। बिहार में बैंकों द्वारा इस संबंध में हासिल प्रगति को तालिका 6.20 और 6.21 में दर्शाया गया है। बकाया अग्रिम भी इस अवधि में दूने से अधिक हो गए हैं।

[8] जून 2010 तक।

तालिका 6.20 : कृषिगत ऋण प्रवाह

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य
2005-06	1646.00	1489 (91)	644.00	450 (70)	408.00	235 (58)	2698.00	2174 (81)
2006-07	2274.00	1916 (84)	939.00	797 (85)	509.00	272 (53)	3722.00	2985 (80)
2007-08	3004.00	2447 (81)	1256.00	952 (76)	620.00	356 (57)	4880.00	3755 (77)
2008-09	4355.00	3943 (91)	1822.00	1438 (79)	899.00	317 (35)	7076.00	5697 (81)
2009-10	5425.14	4959.62 (91)	2219.87	1851.09(83)	1082.16	352.55(33)	8727.17	7163 (82)
2010-11[9]	9111.14	1104.42 (12)	5228.25	189.9 (4)	1528.72	31.7 (2)	15868.11	1326 (8)

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 6.21 : बकाया कृषिगत अग्रिम

वर्ष	बकाया कृषिगत अग्रिम (करोड़ रु.)				वार्षिक वृद्धि दर
	व्यावसायिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी तथा भूमि विकास बैंक	योग	
2005-06	3506.00	1195.00	379.00	5080.00	31.74
2006-07	4257.00	1694.00	272.00	6223.00	22.50
2007-08	5085.00	2249.00	384.00	7718.00	24.02
2008-09	6409.00	2206.00	308.00	8923.00	15.61
2009-10	8520.74	3103.60	291.64	11915.98	33.54
2010-11[10]	8196.84	2907.86	310.80	11415.50	-

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के चुनिंदा सूचक

तालिका 6.22 में विभिन्न राज्यों में कार्यशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कुछ चुनिंदा सूचक दर्शाए गए हैं। यद्यपि बिहार में 8,463 पैक्स हैं जिनका संपूर्ण भारत के पैक्स में लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन जमा और ऋणप्रदान के मामले में बिहार अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। और यह भी कि कुल 8,463 पैक्स में से 3,962 घाटे में चल रहे हैं जिनका कुल घाटा 1 करोड़ रु. है जबकि मात्र 1,180 पैक्स ने 6 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है। उनका कुल जमा महज 67 करोड़ रु. है। 31 मार्च 2009 को उन पर बकाया ऋण 432 करोड़ रु. था और कुल ऋणप्रदान 501 करोड़ रु.।

[9] 2010-11 के आंकड़े जून 2010 तक से संबंधित हैं।

[10] 2010-11 के आंकड़े जून 2010 तक से संबंधित हैं।

तालिका 6.22 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2009)

राज्य	पैक्स की संख्या	जमा (करोड़ रु.)	ऋणप्रदान (करोड़ रु.)	बकाया ऋण एवं अग्रिम (करोड़ रु.)		लाभ वाले पैक्स		घाटा वाले पैक्स	
				कृषि	गैर-कृषि	संख्या	रकम (करोड़ रु.)	संख्या	रकम (करोड़ रु.)
हरियाणा	620	311	4340	3982	345	145	0	475	3
पंजाब	3990	908	4020	128	-	2504	92	970	13
राजस्थान	5255	460	2651	2739	152	3596	44	1346	31
बिहार	**8463**	**67**	**501**	**432**	**-**	**1180**	**6**	**3962**	**1**
झारखंड	208	13	3	3	7	60	1	-	-
उड़ीसा	3564	2377	2256	2978	56	1223	11	2285	58
पश्चिम बंगाल	8028	1125	1529	1104	262	2437	23	4495	17
छत्तीसगढ़	1213	218	418	397	56	745	17	468	25
मध्य प्रदेश	4633	463	2644	1811	155	1777	77	2465	212
उत्तराखंड	1163	325	518	542	33	354	10	437	10
उत्तर प्रदेश	8929	68	971	800	-	4536	18	1968	2
गुजरात	8044	252	3568	3579	141	4885	80	2605	274
महाराष्ट्र	21199	129	10851	6264	452	6187	136	14520	401
आंध्र प्रदेश	2748	1106	4900	3625	187	828	21	1782	226
कर्नाटक	4806	1465	3145	3141	639	2205	57	2342	98
केरल	1608	13088	2005	3581	8439	855	81	661	145
तमिलनाडु	4530	2866	4410	2424	2126	1078	76	3226	239
संपूर्ण भारत	**95633**	**26245**	**48938**	**37951**	**13131**	**37291**	**843**	**45869**	**1915**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

तालिका 6.23 में देश के प्रमुख राज्यों में राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में ऋण वसूली का प्रतिशत अत्यंत निम्न बना हुआ है। यह 2008 और 2009, दोनों वर्षों में मात्र 36 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत क्रमशः 85 प्रतिशत और 92 प्रतिशत था। इसके अलावा, बिहार में 2008-09 में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का परिमाण कुल बकाया ऋणों का 42.5 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 12 प्रतिशत था। अनंतिम आंकड़ों में बिहार में 2009 में 2008 से कोई अंतर नहीं दिखता है।

तालिका 6.23 : राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

राज्य	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में		वसूली (प्रतिशत) अंतिम जून तक	
	2008	2009अ	2008	2009अ	2008	2009अ	2008	2009अ
हरियाणा	5	11	3	2	0.1	0.1	99.8	97.7
पंजाब	10	12	53	55	1.3	1.2	99.0	99.2
राजस्थान	17	16	68	33	3.0	1.9	96.1	96.5
बिहार	**6**	**6**	**267**	**267**	**42.5**	**42.5**	**36.1**	**36.1**
झारखंड	10	10	123	136	6.1	6.9	92.6	95.6
उड़ीसा	15	15	130	88	5.9	4.0	85.2	91.1
पश्चिम बंगाल	5	2	50	62	14.2	16.7	77.4	59.2
छत्तीसगढ़	26	30	161	92	6.6	4.0	96.3	96.2
उत्तर प्रदेश	32	35	577	444	15.9	13.6	71.8	92.9
उत्तराखंड	2	1	32	9	23.5	6.3	93.7	93.7
गुजरात	6	-53	105	301	4.8	16.9	97.9	86.8
महाराष्ट्र	24	18	2,187	1,907	23.4	21.6	57.2	82.2
आंध्र प्रदेश	6	61	931	949	15.6	20.2	72.2	93.3
कर्नाटक	10	13	209	192	7.4	5.5	91.1	96.3
केरल	-18	20	480	338	22.0	14.0	89.4	88.8
तमिलनाडु	15	34	80	103	2.4	3.1	99.8	99.8
संपूर्ण भारत	**221**	**314**	**6,191**	**5,764**	**12.4**	**12.0**	**84.6**	**91.8**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी : अ - अनंतिम परिणाम

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम

तालिका 6.24 में देश के प्रमुख राज्यों में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। यहां भी बिहार में 2007-08 में वसूली का प्रतिशत अत्यंत कम, मात्र 16.9 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 49.9 प्रतिशत था। बिहार में 2008-09 में तो वसूली का प्रतिशत गिरकर मात्र 1.9 प्रतिशत रह गया। बिहार में अनिष्पादित परिसंपत्तियों की मात्रा इन दो वर्षों में 79 करोड़ रु. से घटकर 59 करोड़ रु. रह गई जो 2009 में कुल बकाया ऋणों का लगभग 85.3 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 30.1 प्रतिशत था।

तालिका 6.24 : राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम (अंतिम मार्च, 2008, 2009)

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	शाखाएं	लाभ/ हानि		कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां		अनिष्पादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में		वसूली (प्रतिशत)	
	2008	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
हरियाणा		28	13	162	232	9.5	13.3	74.8	63.1
पंजाब	-	29	25	1	1	0.04	0.04	79.8	80.8
राजस्थान	7	16	24	427	419	27.6	28.9	30.0	59.2
बिहार	**131**	**-**	**-1**	**79**	**59**	**91.8**	**85.3**	**16.9**	**1.9**
झारखंड	5	-3	-1	176	110	98.3	99.9	59.9	48.9
उड़ीसा	2	-	2	190	190	26.8	25.7	33.1	36.4
पश्चिम बंगाल	-	-11	-	84	89	39.7	44.5	25.1	42.2
छत्तीसगढ़	7	-	-75	252	391	16.9	31.6	70.4	27.4
उत्तर प्रदेश	342	-161	283	2,419	1,244	59.7	42.0	70.7	38.3
गुजरात	181	19	26	437	264	65.8	43.1	30.3	38.1
महाराष्ट्र	-	-203	-203	1,132	1,117	87.4	95.7	2.7	13.3
कर्नाटक	23	-15	-62	341	382	26.3	28.7	33.6	30.6
केरल	14	16	17	161	92	9.1	5.1	77.1	88.4
तमिलनाडु	18	41	2	419	221	40.9	41.3	18.9	4.9
संपूर्ण भारत	**844**	**-243**	**49**	**6,435**	**4,938**	**34.8**	**30.1**	**49.9**	**40.0**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998-99 में आरंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य किसानों को लचीले तथा किफायती ढंग से फसल ऋण उपलब्ध कराना है।[11] सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना का क्रियान्वयन सारे व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत शामिल प्रत्येक लाभार्थी को एक क्रेडिट कार्ड और एक पासबुक या एक क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी किया जाता है जिसमें उसके नाम, पता तथा जमीन का विवरण, ऋणग्रहण सीमा, तथा वैधता अवधि का उल्लेख रहता है। उत्पादन ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे एक वर्ष के लिए उनकी पूरी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं तथा फसल उत्पादन संबंधी आनुषंगिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेकाधीन उप-सीमाएं भी तय की जाती हैं। फसल ऋण/ अल्पावधि ऋण चक्रानुसारी नगद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के रूप में होता है जिसमें कार्यकारी जोत, फसल पैटर्न तथा वित्त के परिमाण के आधार पर निर्धारित सीमा के तहत किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की स्वीकृति होती है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के साथ-साथ फसल उत्पादन हेतु वांछित कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है।

---

[11] योजना संबंधी सूचना का स्रोत : http:/indiabudget.nic.in

तालिका 6.25 में बिहार में बैंकों द्वारा 1999 से 2009 के बीच जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या दर्शाई गई है। वर्ष 2008-09 को छोड़कर पूरी अवधि में व्यावसायिक बैंकों द्वारा उपलब्धि संबंधी आंकड़े काफी अधिक थे। वर्ष 2006-07 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया। हालांकि ऋणमूलक सहकारी बैंक 2008-09 तक अपने लक्ष्यों से पिछड़े रहे लेकिन 2009-10 में अपने लक्ष्य का 175 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करके उनलोगों ने अपनी पिछली कमियों की अंशतः भरपाई की है। इसका उल्लेख किया जा सकता है कि सहकारी बैंकों द्वारा लक्ष्यों से कम उपलब्धि हासिल करने के कारण 2008-09 लक्ष्यों को संशोधित करके काफी बढ़ा दिया गया था। मार्च 2010 तक राज्य में समग्र उपलब्धि लक्ष्य के 89 प्रतिशत के आसपास रही है।

तालिका 6.25 : बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (1999-00 से 2010-11 तक)[12]

वर्ष	व्यावसायिक बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1999-00	99667	42756	42.90	46900	4591	9.79
2000-01	101501	65750	64.78	28617	13576	47.44
2001-02	110207	123465	112.03	52738	14256	27.03
2002-03	98180	77543	78.98	60918	24441	40.12
2003-04	105530	95587	90.58	64535	30864	47.83
2004-05	174850	140793	80.52	150500	76891	51.09
2005-06	143866	131618	91.49	129719	66332	51.14
2006-07	250000	203935	81.57	190000	140071	73.72
2007-08	300000	222478	74.16	228000	168529	73.92
2008-09	861429	505008	58.62	478571	310257	64.83
2009-10	**861429**	**660997**	**76.73**	**478571**	**397420**	**83.04**
2010-11	861430	89236	10.36	478570	25485	5.33
योग	**3106659**	**1702243**	**54.79**	**1909069**	**871173**	**45.63**
	केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1999-00	अनु.	अनु.	अनु.	146567	47347	32.30
2000-01	180000	107094	59.50	310118	186420	60.11
2001-02	277204	42086	15.18	440149	179807	40.85
2002-03	600000	112580	18.76	759098	214564	28.27
2003-04	425839	229051	53.79	595904	355502	59.66
2004-05	470350	245907	52.28	795700	463591	58.26
2005-06	293166	120653	41.16	566751	318603	56.22
2006-07	160000	55374	34.61	600000	399380	66.56
2007-08	160000	75533	47.21	688000	466540	67.81
2008-09	160000	81725	51.08	1500000	896990	59.80
2009-10	**160000**	**281122**	**175.70**	**1500000**	**1339539**	**89.30**
2010-11	160000	4601	2.88	1500000	119322	7.95
योग	**3046559**	**1355726**	**44.50**	**9402287**	**4987605**	**53.05**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

[12] 2010-11 के लिए आंकड़े जून 2010 तक से संबंधित हैं।

6.6 निवेश

तालिका 6.26 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा 2008 और 2009 के 31 मार्च तक राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार प्रायोजित कंपनियों के शेयर/ डिबेंचर/ बांड में निवेश दर्शाया गया है। देश में हुए कुल निवेश में बिहार का हिस्सा 2007-08 में 3.36 प्रतिशत था जो 2008-09 में गिरकर 3.04 प्रतिशत रह गया।

तालिका 6.26 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के निवेश का राज्यवार वितरण

राज्य	कुल निवेश (करोड़ रु.)		देश के कुल योग में राज्यों का % हिस्सा	
	2008	2009	2008	2009
आंध्र प्रदेश	15239	21514	9.63	9.13
बिहार	**5321**	**7169**	**3.36**	**3.04**
गुजरात	11764	18125	7.44	7.69
हरियाणा	2648	5191	1.67	2.20
झारखंड	1484	3006	0.94	1.28
कर्नाटक	6393	12698	4.04	5.39
केरल	8804	12307	5.57	5.22
मध्य प्रदेश	6009	9353	3.80	3.97
महाराष्ट्र	16281	28400	10.29	12.05
उड़ीसा	3295	3151	2.08	1.34
पंजाब	8211	11230	5.19	4.76
राजस्थान	9885	14259	6.25	6.05
तमिलनाडु	11456	18242	7.24	7.74
उत्तर प्रदेश	18084	24619	11.43	10.45
पश्चिम बंगाल	16736	23797	10.58	10.10
संपूर्ण भारत	158188	235681	100.00	100.00

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

6.7 वित्तीय संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के जरिए ऋण प्रवाह में मदद हेतु अधिदेशित है। यह प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के कामकाज का समन्वय भी करता है। साथ ही, यह ग्रामीण अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋणप्रदान में कमी को पूरा करने तथा राज्य सरकार को सिंचाई, मृदा संरक्षण, पनढाल (वाटरशेड) प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीतगृह श्रृंखला

संबंधी परियोजनाओं तथा ग्रामीण अधिसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिहाज से निर्मित ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का प्रबंधन भी करता है।

नाबार्ड द्वारा दिसंबर 2010 तक किए गए क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन के विवरण तालिका 6.27क में दर्शाए गए हैं। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन में लगातार वृद्धि हो रही है और 2009-10 के अंत में इसका परिमाण 826 करोड़ रु. है। अधिकांश सहायता आरआइडीएफ ऋणों के जरिए उपलब्ध कराई गई है जिस पर अगले खंड में चर्चा की गई है। नाबार्ड द्वारा निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण तालिका 6.27ख में दर्शाए गए हैं।

तालिका 6.27 क : नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन

(करोड़ रु.)

वर्ष	फसल ऋण पुनर्वित्तीयन	निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन	आरआइडीएफ ऋण	कुल वित्तीय सहायता
2005-06	73.46	117.21	120.74	311.41
2006-07	45.57	168.04	201.13	414.74
2007-08	68.18	184.05	296.96	549.19
2008-09	109.32	105.59	495.17	710.08
2009-10	226.86	56.79	541.94	825.59
2010-11 (दिसंबर 2010)	179.79	283.84	225.00	688.63

स्रोत : नाबार्ड

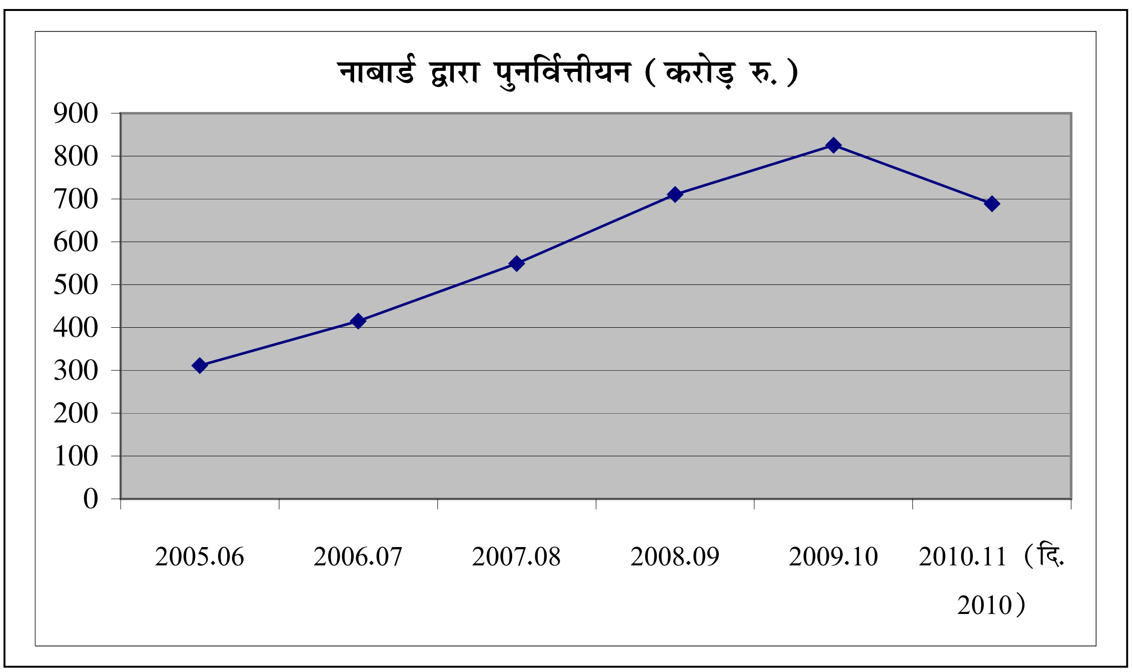

तालिका 6.27 ख : नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (दिसंबर 10 तक)
लघु सिंचाई	55.55	11.52	11.23	0.00	1.08	39.38
कृषि यंत्रीकरण	0.06	40.78	23.99	26.65	47.41	81.92
स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना	51.49	24.62	33.91	1.55	0.00	2.45
दुग्धशाला	0.08	2.21	10.48	0.33	2.89	90.56
अजा/ अजजा कार्ययोजना	1.27	0.48	0.00	0.00	0.00	0.05
स्वयं सहायता समूह	5.90	8.64	19.86	19.31	0.00	40.57
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	0.90	3.22	3.62	5.57	0.00	0.55
ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र	1.88	16.50	10.21	11.68	0.00	13.29
अन्य	0.08	60.07	70.75	40.50	5.42	15.08
योग	**117.21**	**168.04**	**184.05**	**105.59**	**56.80**	**283.84**

स्रोत : नाबार्ड

वर्ष 2009-10 में नाबार्ड द्वारा ली गई पहलकदमियों में निम्नलिखित शामिल थीं :

- उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए चावल सघनीकरण प्रणाली (श्री) कार्यक्रम तथा गेहूं सघनीकरण प्रणाली को प्रोत्साहन;
- टिकाऊ कृषि व्यवहार आत्मसात करने के जरिए प्रमुख फसलों/ गतिविधियों की उत्पादकता में वृद्धि;
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन छत्रकरण कार्यक्रम (यूपीएनआरएम) के जरिए सामुदायिक सहभागिता द्वारा ऋण आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहन;
- बिहार में कृषि हेतु जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सभी अभिकरणों को 100 प्रतिशत पुनर्वित्तीयन;
- पशुपालन के तहत छः नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन;
- दुग्धशाला उद्यमिता विकास योजनाओं (डीईडीएस) जैसी दुग्ध विकास योजनाओं में जोखिम पूंजी निधि के संशोधित संस्करण का क्रियान्वयन;
- किसान क्लबों के जरिए तकनीकी हस्तांतरण, ऋण परामर्श तथा बाजार पक्षपोषण पर मार्गदर्शी परियोजना;
- संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों को प्रोत्साहन का सघनीकरण;
- सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में प्रियदर्शिनी कार्यक्रम के आरंभ हेतु तैयारी; तथा
- जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत सौर ऑफ-ग्रिड (फोटो-वोल्टाइक और तापीय) की स्थापना तथा विकेंद्रित उपयोगों के लिए पूंजीगत सब्सिडी सह पुनर्वित्तीयन योजना।

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना 1995-96 में जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी। कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। घरेलू व्यावसायिक

बैंक इस कोष में उस हद तक योगदान करते हैं जिस हद तक वे कृषि हेतु अनुबद्ध (स्टीपुलेटेड) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रगत ऋण प्रदान के मामले में पीछे रह जाते हैं। कोष का मुख्य उद्देश्य जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ होने के लिए राज्य सरकारों और राजकीय स्वामित्व वाले निगमों को ऋण उपलब्ध कराना है। वर्ष 2009–10 के अंत तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 15 ट्रेंच जारी किए गए हैं जिनमें 1,03,718 करोड़ रु. की संचयी स्वीकृति शामिल रही है। इसमें से मात्र 68,440 करोड़ रु. (66 प्रतिशत) का वितरण किया गया है जिसे तालिका 6.28 में देखा जा सकता है। हालांकि मार्च 2010 तक बिहार के लिए कुल 1,815 करोड़ रु. का ही वितरण किया जा सका था जो कुल स्वीकृति 3,835 करोड़ रु. का मात्र 47 प्रतिशत है।

तालिका 6.28 : मार्च 2010 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत संचयी वितरण

(करोड़ रु.)

	स्वीकृति	वितरण	वितरण का प्रतिशत
संपूर्ण भारत	103718	68440	66
आंध्र प्रदेश	11750	8090	69
कर्नाटक	5555	3491	63
केरल	2951	1911	65
तमिलनाडु	7194	5585	78
गुजरात	8210	6281	77
महाराष्ट्र	6634	4643	70
हरियाणा	2621	1816	69
पंजाब	3925	2915	74
राजस्थान	6332	4197	66
उत्तर प्रदेश	8747	6223	71
उत्तराखंड	1703	1076	63
छत्तीसगढ़	1569	1195	76
मध्य प्रदेश	7532	4734	63
बिहार	**3835**	**1815**[13]	**47**
झारखंड	2480	1283	52
उड़ीसा	4871	2617	54
पश्चिम बंगाल	6260	3826	61

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2009–10, भारतीय रिजर्व बैंक

सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण संपर्क (सड़क एवं पुल), सामाजिक क्षेत्रगत निवेश (ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल), मृदा एवं जल संरक्षण, जल छाजन आदि समेत कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को शामिल करने के लिए ग्रामीण अधिसंरचना निवेश कोष का दायरा बढ़ाया गया है। अन्य गतिविधियों में शामिल है – ग्रामीण बाजार प्रांगण,

[13] राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आंकड़े।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक विद्यालय, लघु जलविद्युत संयंत्र, शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी, तथा ऊर्जा प्रक्षेत्र में व्यवस्था सुधार, बाढ़ संरक्षा, पनढाल विकास/ जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों की जलजमाव से मुक्ति, जलनिकासी, वन विकास, बाजार प्रांगण/ गोदाम, अपनी मंडी, ग्रामीण हाट तथा अन्य विपणन अधिसंरचना, शीतगृह, बीज/ कृषि/ बागवानी फार्म, वृक्षारोपण तथा बागवानी, परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशाला जैसे श्रेणीकरण एवं प्रमाणन रचनातंत्र, संपूर्ण ग्राम के लिए सिंचाई प्रयोजन हेतु सामुदायिक सिंचाई कूप, मत्स्याखेट बंदरगाह/ जेटी, नदी मत्स्याखेट, पशुपालन तथा आधुनिक वधशाला।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के विभिन्न ट्रेंचों में बिहार हेतु किए गए कुल वितरण को तालिका 6.29 में दर्शाया गया है। मार्च 2009 तक कुल स्वीकृत राशि 2,899 करोड़ रु. में से मात्र 1,242 करोड़ रु. (43 प्रतिशत) का वितरण किया गया है जिसके कारण स्वीकृति और वितरण के बीच भारी अंतर है। मार्च 2010 तक वितरण में मामूली सुधार हुआ है और इसका हिस्सा 46.5 प्रतिशत पहुंचा है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के वितरण में स्वीकृति के मुकाबले ऐसा अंतर पहले से ही जारी मामला है और इस कोष के क्रियान्वयन में चिंता का विषय रहा है।

तालिका 6.29 : मार्च 2010 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत स्वीकृति और वितरण

(करोड़ रु.)

आरआइडीएफ ट्रेंच	स्वीकृति	वितरण
आरआइडीएफ I	22	13
आरआइडीएफ III	58	27
आरआइडीएफ VII	58	38
आरआइडीएफ VIII	199	161
आरआइडीएफ IX	97	62
आरआइडीएफ X	75	52
आरआइडीएफ XI	459	377
आरआइडीएफ XII	649	186
आरआइडीएफ XIII	589	418
आरआइडीएफ XIV	752	284
आरआइडीएफ XV	877	167
योग मार्च 2010 तक[14]	**3835**	**1784**
योग मार्च 2009 तक	**2899**	**1242**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2009-10, भारतीय रिजर्व बैंक

[14] राज्यस्तरीय बैंकर समिति के अनुसार, यह आंकड़ा 30 जून, 2010 को 1,891 करोड़ रु. था।

6.8 सूक्ष्मवित्त

तीसरी दुनिया के अनेक देश उत्तरोत्तर महसूस कर रहे हैं कि पारंपरिक गरीबी उन्मूलन योजनाएं गरीबी पर गंभीर असर डाल नहीं डाल सकतीं, खास कर मजबूत ग्रामीण अधिसंरचना के अभाव से उत्पन्न गरीबी पर। बिहार के लिए यह खास तौर पर सही है जहां ये कार्यक्रम गरीबी से ग्रस्त आबादी के एक अंश को ही मदद पहुंचाते हैं। इस परिदृश्य में, सूक्ष्मवित्त (माइक्रो-फाइनांस) गरीबी उन्मूलन का एक सक्षम विकल्प है। समय पर और पर्याप्त ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं की समाज के असुरक्षित और कमजोर तबकों को किफायती खर्च पर उपलब्धता समाज के समग्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

सफल होने के लिए सूक्ष्मवित्त को ऐसे नवोन्मेषी (इन्नोवेटिव) ऋण वितरण तंत्र से युक्त होना चाहिए जो राज्य में अतिलघु उद्यमजन्य विकल्पों का वास्तविक आकलन करके जरूरतमंद लोगों के लिए सक्षम वित्तीय सेवा सुनिश्चित करे। हालांकि संभावित लाभार्थियों के बीच इसके लिए पर्याप्त जागरूकता पैदा करना ऐसे कार्यक्रमों की सफलता की पहली पूर्वशर्त है। स्वयं सहायता समूह और व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के रूप में उभरे हैं। स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध के मामले में बिहार क्रमशः अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंच रहा है। 30 जून 2010 तक कुल 1,85,600 स्वयं सहायता समूहों का बैंक के साथ ऋण-संबंध हो चुका था और इन स्वयं सहायता समूहों तक हुआ कुल ऋण प्रवाह 1,003 करोड़ रु. था। स्वयं सहायता समूहों के ऋण-संबंध में हुई वर्षवार प्रगति तालिका 6.30 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.30 : बिहार में सूक्ष्मवित्तीयन

वर्ष	बैंक संबंध वाले स्वयं सहायता समूहों की सं.	ऋण राशि (करोड़ रु.)
2004 तक	16246	52
2004-05	11769	37
2005-06	18206	31
2006-07	26417	83
2007-08	49738	241
2008-09	25696	211
2009-10	30241	295
2010-11[15]	7287	53
योग	**185600**	**1003**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 6.31 में कुछ चुनिंदा राज्यों में हुआ स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2009-10 के बीच बिहार में इसकी वृद्धि दर मात्र 13 प्रतिशत रही है जबकि पूरे देश के स्तर पर 66 प्रतिशत। 31 मार्च 2010 तक देश के कुल स्वयं सहायता समूहों में बिहार का हिस्सा मात्र 1.69 प्रतिशत था। बिहार में सूक्ष्मवित्त की पैठ देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके अनेक कारण हैं -

[15] 2010-11 के लिए आंकड़े अंतिम जून 2010 से संबंधित हैं।

जैसे जिलों के बीच स्वयं सहायता समूहों का असमान वितरण, समूहों की पहुंच और प्रभावी सहायता में बाधक कमजोर अधिसंरचना, बढ़ता व्यय और घटती कार्यक्षमता, उग्रवादी गतिविधियां, जातिगत संघर्ष, गैर-सरकारी संगठनों/ सूक्ष्मवित्त संस्थाओं में सूक्ष्मवित्तीयन हेतु अनुभव और क्षमता की कमी, अनुदान-वाहित मॉडल से राजस्व आधारित मॉडल में संक्रमण से संबंधित मुद्दे, स्वयं सहायता समूहों के प्रति बैंकों का दकियानूसी रवैया, आरंभ हेतु धन की कमी आदि।

तालिका 6.31 : भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क की वृद्धि[16]

	2007	2010
महाराष्ट्र	225856	384765
राजस्थान	137837	96206
उत्तर प्रदेश	198587	338357
पश्चिम बंगाल	181563	507782
उड़ीसा	234451	372646
मध्य प्रदेश	70912	76928
बिहार	**72638**	**82215**
भारत	2924973	4851356

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति और नाबार्ड से संग्रहित आंकड़े

तालिका 6.32 में 31 मार्च 2010 तक स्वयं सहायता समूहों के ऊपर बैंकों का बकाया ऋण दर्शाया गया है। 31 मार्च 2010 तक बिहार के 82,215 समूहों के पास व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का 557 करोड़ रु. ऋण बकाया था। वहीं 1,40 लाख स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत मात्र 85 करोड़ रु. थी जैसा कि तालिका 6.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.32 : 31 मार्च 2010 तक स्वयं सहायता समूहों पर बैंकों का कुल बकाया ऋण

(करोड़ रु.)

	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		सहकारी बैंक		योग	
	समूहों की सं.	बकाया ऋण	समूहों की सं.	बकाया ऋण	समूहों की सं.	बकाया ऋण	समूहों की सं.	बकाया ऋण
महाराष्ट्र	272010	926	29482	113	83273	164	384765	1203
राजस्थान	38241	269	30539	101	27426	92	96206	463
उत्तर प्रदेश	223422	1005	110270	601	4665	30	338357	1636
पश्चिम बंगाल	250108	729	134250	453	123424	145	507782	1327
उड़ीसा	208898	1014	135055	407	28693	96	372646	1516
मध्य प्रदेश	45557	319	18102	77	13269	50	76928	445
बिहार	**56630**	**376**	**25585**	**181**	**--**	**--**	**82215**	**557**
भारत	3237263	20165	1103980	6145	510113	1729	4851356	28038

स्रोत : नाबार्ड

[16] ऋणसंपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या।

तालिका 6.33 : 31 मार्च 2010 तक स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के पास बचत जमा

(करोड़ रु.)

	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		सहकारी बैंक		योग	
	समूहों की सं.	बचत	समूहों की सं.	बचत	समूहों की सं.	बचत	समूहों की सं.	बचत
महाराष्ट्र	410864	294	91762	7	268069	267	770695	568
राजस्थान	96442	75	61355	34	55498	33	213295	143
उत्तर प्रदेश	189374	167	237942	96	2444	3	429760	265
पश्चिम बंगाल	304693	155	171226	294	171140	147	647059	595
उड़ीसा	248873	106	185309	189	68990	70	503172	365
मध्य प्रदेश	98015	57	60616	34	19595	10	178226	102
बिहार	**92616**	**61**	**48208**	**24**	**--**	**--**	**140824**	**85**
भारत	4052915	3674	1820870	1299	1079465	1225	6953250	6199

स्रोत : नाबार्ड

स्वयं सहायता समूह-बैंक संबंध कार्यक्रम के विस्तार संबंधी प्रमुख अवरोधों में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों का अभाव और हितधारियों के बीच स्वयं सहायता समूहों के ऋण प्रदान के मामले में जागरूकता की कमी शामिल है। आशा है कि संवेदनीकरण कार्यक्रम के लिए नाबार्ड और अन्य क्रियान्वयनकारी बैंकों द्वारा ली गई पहलकदमियों की परिणति राज्य में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की दिशा में अनुकूल वातावरण निर्माण में होगी।

तालिका 6.34 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तीयन दर्शाया गया है। मार्च 2010 तक चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 111.82 करोड़ रु. की कुल रकम से 10,237 स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण किया था जो बिहार में समूहों को कुल 1,008 करोड़ रु. की वित्तपोषित राशि का लगभग 11 प्रतिशत है।

तालिका 6.34 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्मवित्तीयन (मार्च 2010)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक संबंध वाले स्वयं सहायता समूहों की सं.	ऋण राशि (लाख रु.)
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2015	1398
समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	452	202
कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1134	886
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6636	8696
योग	10237	11182

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

6.9 बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना - जीविका

विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना (बीआरएलपी), 2007-12, गरीबी न्यूनीकरण तथा अन्य समान परियोजनाओं के प्रति बिहार सरकार के प्रयासों से उभरे अनुभवों और सबकों का उपयोग कर रही है। 'जीविका' के नाम से ज्ञात इस परियोजना के उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक गोलबंदी के जरिए ग्रामीण गरीबों की जीविका में सुधार लाना और ऋण, परिसंपत्तियों तथा व्यावसायिक बैंकों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अभिकरणों की सामाजिक सुरक्षा संजाल जैसी सेवाएं हासिल करने में उन्हें सक्षम बनाना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार ने 'बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति' (बीआरएलपीएस) की स्थापना की है।

बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना के लिए कुल अनुमानित परियोजना व्यय 7.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर में विश्व बैंक (आइडीए) का सहयोग 6.3 करोड़ डॉलर है। इसमें बिहार सरकार से 70 लाख डॉलर और समुदाय से 30 लाख डॉलर अंशदान की अपेक्षा है। बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना का लक्ष्य बिहार के 6 जिलों के 42 प्रखंडों में 5,90,000 परिवारों को शामिल करते हुए 44,000 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना है। इसके अलावा, कोशी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास परियोजना के भाग के बतौर बैंक से 3 करोड़ डॉलर पाकर परियोजना अपने कार्य का विस्तार अन्य 3 जिलों के 13 प्रखंडों में भी करने जा रही है। इन बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,60,000 परिवारों को शामिल करते हुए 15,000 स्वयं सहायता समूहों के निर्माण का लक्ष्य है।

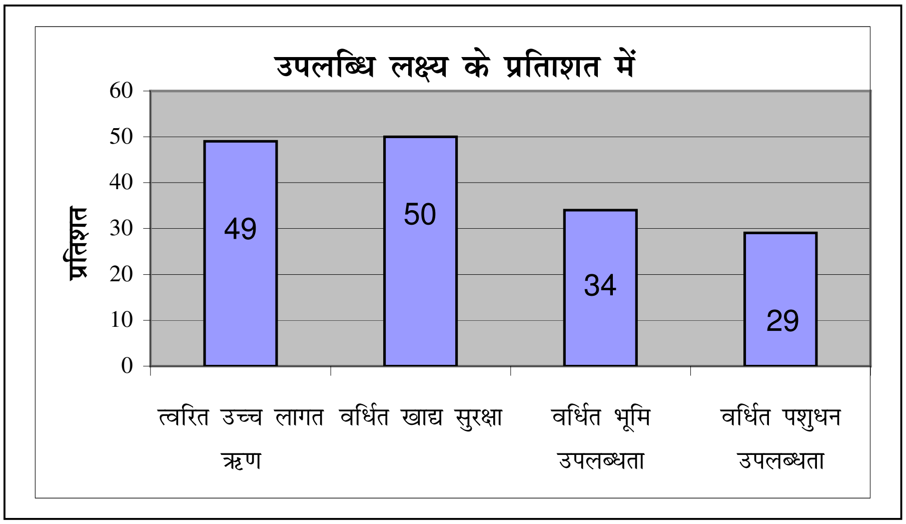

6.10 चुनिंदा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

भारत सरकार ने पहले से चल रही दो योजनाओं – प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक नया ऋण-संबंधित उपदान कार्यक्रम (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम) आरंभ करने का निर्णय लिया है जो 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी है। इसका मकसद ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैधानिक संस्था 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग' (केवीआइसी) द्वारा पूरी तरह क्रियान्वित है। राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत सरकारी उपदान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लाभार्थियों/ उद्यमियों के बैंक खाते में अंतिम वितरण के लिए चिन्हित बैंकों के माध्यम से भेजा जाएगा।

क्रियान्वयनकारी अभिकरणों अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों को इस योजना के क्रियान्वयन में, खास कर लाभार्थियों और क्षेत्र आधारित सक्षम परियोंजनाओं की पहचान तथा उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी), राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों (आरजीयूएमवाइ), पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संबंधित निकायों को जोड़ना है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा 2009-10 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य आबंटित किए गए हैं।

तालिका 6.35 : 2009-10 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य

लक्ष्य	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र	योग
परियोजनाओं की संख्या	1878	1877	2,503	6,258
मार्जिन मनी (लाख रु.)	2628	2628	3,504	8,761
रोजगार (संख्या)	18,780	18,770	25,030	62,580

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ)

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं के बीच स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण गरीबी विरोधी कार्यक्रम है। गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी के प्रभावी उन्मूलन के लिए सरकार ने देश में जारी स्वरोजगार कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने का निर्णय किया था। फलत: 1999 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के नाम से एक नए कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्वयं सहायता समूहों के रूप में गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के बतौर संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, अधिसंरचना और विपणन आदि स्वरोजगार के सभी पक्ष शामिल हैं। बिहार में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय में बैंक इस योजना में बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं।

मापनीय एवं अनुश्रवणीय परिणामों के लिहाज से सभी प्रमुख कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक तंत्र निर्मित किया है। स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के मामले में एक चीज मापनीय और अत्यंत महत्व की है - वह है सहायता-प्राप्त स्वरोजारियों की कुल संख्या (स्वयं सहायता समूह और व्यक्ति, दोनों)। स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय लक्ष्यों के अलावा व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों, दोनों के लिए भौतिक लक्ष्य भी बैंकों को आबंटित किए जाते हैं। स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों के प्रदर्शन तालिका 6.35 और 6.36 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2007-08 में स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत 15,040 स्वयं सहायता समूहों और 1,88,600 व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे 2009-10 में बढ़ाकर क्रमश: 22,836 और 2,28,360 कर दिया गया है। उपलब्धि के आंकड़े पहले पूरी योजना के मामले में ही अपेक्षाकृत असंतोषजनक थे। लेकिन 2009-10 में उनमें काफी सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूहों के लिए तीनों वर्ष के उपलब्धि के आंकड़े अच्छे रहे हैं।

तालिका 6.36 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन

(रकम करोड़ रु. में)

सूचक	2007-08		2008-09		2009-10	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
लक्ष्य	1,88,000	470	1,96,260	491	2,28,360	571
प्राप्त प्रस्ताव	85460	-----	75015	-----	1,39,403	-----
स्वीकृत प्रस्ताव	79951	212	69027	183	1,38,392	344
प्रस्तावों पर ऋण वितरण	**76720**	**188**	**68156**	**170**	**1,38,017**	**334**
स्वीकृति/ लक्ष्य (प्रतिशत)	43	45	35	37	61	60
वितरण/ लक्ष्य (प्रतिशत)	41	40	35	35	60	59
वापस/ अस्वीकृत प्रस्ताव	5509	--	4991	--	302	
वितरण हेतु लंबित प्रस्ताव	3231	--	997	--	709	

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 6.37 : स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन : स्वयं सहायता समूह

सूचक	2007-08	2008-09	2009-10
लक्ष्य	15,040	19,626	22,836
उपलब्धि	18,499	17463	23548
उपलब्धि/ लक्ष्य (%)	123.00	88.98	103.12

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस)

योजना आयोग द्वारा मिलियन शैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम खास कर बिहार के लिए ही अनुमोदित था। इसका लक्ष्य दसवीं योजना के अंत तक अर्थात 2001-02 से लेकर मार्च 2007 तक डीजल पंपसेट समेत 6,97,111 नलकूप स्थापित कराना था। योजना में कुल परियोजना व्यय को 50:30:20 के अनुपात में बैंक ऋण, उपदान तथा पात्र किसानों के मार्जिन अंशदान से पूरा होना था। कार्यक्रम वस्तुत: बिहार के सभी 38 जिलों में लागू हुआ। वर्ष 2006-07 के अंत तक 4,05,259 पंपसेट (लक्ष्य का 58.33 प्रतिशत) लगाने का लक्ष्य हासिल हुआ। कार्यक्रम अप्रैल 2008 से बंद हो गया।

अप्रैल 2009 से नाबार्ड के समन्वय से बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस) के नाम से एक नई योजना की संकल्पना की गई। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं तालिका 6.38 में दर्शाई गई हैं। नई योजना में सभी प्रकार के लाभार्थियों को उनकी श्रेणी से निरपेक्ष 45 प्रतिशत की समान दर से उपदान दिया जाता है, बैंक ऋण का हिस्सा 45 प्रतिशत रहता है और शेष 10 प्रतिशत ऋणी का हिस्सा रहता है। राज्य सरकार द्वारा बैंकों तथा नाबार्ड के परामर्श से कार्यसंचालन दिशानिर्देश सूत्रबद्ध किया जा चुका है और 2009-10 से बैंकों द्वारा क्रियान्वयन के लिए योजना आरंभ कर दी गई है।

बिहार में इस योजना का क्रियान्वयन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा नाबार्ड के साथ समन्वय से किया जाता है। अभी तक 33.43 करोड़ रु. के ऋण हेतु 6,659 आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इनमें से 5,276 आवेदकों को कुल 21.72 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया गया था। गत वर्ष राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाने की जरूरत है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग लक्ष्य नहीं तय किए गए हैं जो बैंकों द्वारा तेजी से ऋण स्वीकृति में बाधक हो रहा है।

तालिका 6.38 : बिहार भूजल सिंचाई योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं

योजना का नाम	बिहार भूजल सिंचाई योजना (बिगविस)
अनुमानित राशि	2393.34 करोड़ रु.
परियोजनाओं की संख्या	4,64,000 नलकूप
उपदान राशि	1,055.89 करोड़ रु. (45%)
बैंक ऋण	1,055.89 करोड़ रु. (45%)
लाभार्थी का हिस्सा	234.64 करोड़ रु. (10%)
सिंचाई क्षमता का सृजन	9.28 लाख हेक्टेयर जमीन
योजना का परिव्यय	नलकूप : 4'' व्यास, 70 मी. गहराई; कुआं (डगवेल) : 3 मी. व्यास, 12 मी. गहराई
वित्तीय प्रबंधन	
उपदान	प्रति इकाई व्यय का 45%
बैंक ऋण	प्रति इकाई व्यय का 45%
लाभार्थी की हिस्सा राशि	प्रति इकाई व्यय का 10%
लॉक-इन अवधि	2 वर्ष
पात्रता	इस योजना में सभी प्रकार के किसान लक्षित हैं। तथापि, औसत 16 प्रतिशत लाभार्थी अजा/ अजजा श्रेणी के होने चाहिए।
परिसंपत्तियों की जांच	योजना के तहत ऋण से सृजित परिसंपत्तियों की जांच का जिम्मा तीसरे पक्ष को दिया गया है।
बीमा आच्छादन	योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बीमा आच्छादन प्रदान किया जाना है।
सेवा क्षेत्र विषयक दृष्टिकोण	इस योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए बैंक सेवा क्षेत्र विषयक दृष्टिकोण का पालन करेंगे।
आवेदन	इस योजना के तहत नाबार्ड द्वारा तैयार आवेदनपत्र योजना को लागू करने वाले सभी बैंकों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना

इस योजना में चिन्हित सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों को बैंक ऋणों/ उपदानों के माध्यम से वित्तीय सहयोग दिया जाना है। बिहार की राज्यस्तरीय बैंकर समिति ने सभी लीड जिला प्रबंधकों को जिलावार लक्ष्य से अवगत करा दिया है। राज्य में इस योजना के तहत 15,268 सफाइकर्मियों को सहयोग दिया जाना है। इस संबंध में अजा/ अजजा कल्याण विभाग द्वारा योजना के तहत विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों की सूची तैयार की गई है। उनके त्वरित निष्पादन हेतु सूची राज्यस्तरीय बैंकर समिति द्वारा बैंकों को भी भेज दी गई है। मार्च 2010 तक इस योजना के तहत 1,851 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। समिति ने सूचना दी है कि शेष आवेदन आवेदकों द्वारा वापस ले लिए गए हैं और मार्च 2010 तक बैंकों के पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

6.11 बिहार में निगमजन्य वातावरण[17]

तालिका 6.39 में मार्च 2007 और मार्च 2009 में विभिन्न राज्यों में कार्यरत कुल कंपनियों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि मार्च 2007 में बिहार में कुल 8,731 निबंधित लिमिटेड कंपनियां थीं (देश की कुल कंपनियों का 1.17 प्रतिशत)। इनमें से 7,552 (86.5 प्रतिशत) निजी क्षेत्र की थीं और मात्र 1,179 (13.5 प्रतिशत) सार्वजनिक क्षेत्र की। दो वर्ष की अवधि में बिहार में कंपनियों की कुल संख्या 90 इकाइयों की वृद्धि दर्ज करते हुए 8,821 हो गई (देश के योग का 1.07 प्रतिशत)। मार्च 2009 तक बिहार में कार्यरत कुल लिमिटेड कंपनियों में निजी क्षेत्र का हिस्सा 87 प्रतिशत हो गया, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संख्या 27 घट गई थी। मार्च 2008 तक देश में 2,593 विदेशी कंपनियां कार्यरत थीं जबकि बिहार में सिर्फ एक। हालांकि बेहतर अधिसंरचना की उपलब्धता और कानून-व्यवस्था की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के कारण बिहार में जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन निगमजन्य वातावरण पर इसका प्रभाव महसूस होना अभी शेष है।

तालिका 6.39 : भारत में कार्यरत लिमिटेड कंपनियों की राज्यवार संख्या

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	मार्च, 2007			मार्च, 2009		
	सार्वजनिक	निजी	योग	सार्वजनिक	निजी	योग
आंध्र प्रदेश	6235	43775	50010	6789	54393	61182
असम	370	4995	5365	708	5290	5998
बिहार	**1179**	**7552**	**8731**	**1151**	**7670**	**8821**
छत्तीसगढ़	278	1493	1771	348	3323	3671
गुजरात	6691	42588	49279	5874	41300	47174
हरियाणा	975	6292	7267	992	8541	9533
हिमाचल प्रदेश	352	1880	2232	329	2304	2633
झारखंड	459	2959	3418	348	3935	4283
कर्नाटक	2603	35987	38590	2960	38738	41698
केरल	2511	15082	17593	1522	16567	18089
मध्य प्रदेश	1632	9573	11205	1347	11260	12607
महाराष्ट्र	20173	146886	167059	15646	164081	179727
उड़ीसा	1006	7529	8535	840	7420	8260
पंजाब	2339	12644	14983	2231	13882	16113
राजस्थान	1858	19595	21453	1796	23734	25530
तमिलनाडु	7909	51644	59553	7187	58226	65413
उत्तर प्रदेश	5114	21296	26410	4671	23609	28280
उत्तराखंड	264	1503	1767	278	1885	2163
पश्चिम बंगाल	10384	80719	91103	10004	87746	97750
दिल्ली	15337	124639	139976	15802	148159	163961
भारत	90654	653024	743678	83010	738202	821212

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कि www.indiastat.com में उद्धृत है।

[17] यह खंड कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है। अन्य स्रोतों से उपलब्ध आंकड़े अक्सर अविश्वसनीय और अतिरंजित होते हैं फलतः उनका उपयोग नहीं किया गया है। इस खंड को महज निवेश आकर्षित करने में राज्य की प्रगति तथा उनके अस्तित्व और राज्य के अंतर कंपनी हेतु माहॉल को इंगित करने के लिए शामिल किया गया है

6.12 वित्तीय समावेश

वित्तीय रोडमैप बैंकों द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप जिलास्तरीय समन्वय समिति से समुचित रूप से अनुमोदित होता है। इसका लक्ष्य शाखाओं के ईंट-गारे के माध्यम से या वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में व्यावसायिक पत्राचार सहित सूचना-सेवा और संचार (आइसीटी) आधारित किसी प्रकार के मॉडल के जरिए बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। इसके अनरूप, 8,947 गांवों की पहचान की गई है और बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिहाज से बैंकों के बीच उनका बंटवारा कर दिया गया है। बैंकों ने 2,132 गावों में 2010-11 में और शेष 6,514 गांवों में 2011-12 में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। सितंबर 2010 तक बैंकिंग आउटलेट खोलने के जरिए इनमें से 301 गांवों को आच्छादित किया जा चुका है (जैसा कि तालिका 6.40 में दर्शाया गया है)।

तालिका 6.40 : वित्तीय समावेश का रोडमैप

(2000 से अधिक आबादी वाले गोवों में बैंकिंग सेवा के प्रसार के तहत बैंकों का 30.09.2010 तक प्रदर्शन)

क्र. सं.	बैंक	आबंटित गांवों की सं.	बैंकिंग आउटलेट खोलने से आच्छादित गांवों की सं.	2010-11 में आच्छादित होने वाले शेष गांवों की सं.	2011-12 में आच्छादित होने वाले शेष गांवों की सं.
1	भारतीय स्टेट बैंक	1554	28	600	926
2	पंजाब नेशनल बैंक	891	24	533	334
3	कनारा बैंक	137	15	0	122
4	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	869	45	429	395
5	यूको बैंक	386	3	55	328
6	बैंक ऑफ बड़ौदा	215	5	100	110
7	यूनियन बैंक	171	0	90	81
8	बैंक ऑफ इंडिया	362	56	112	194
9	इलाहाबाद बैंक	298	0	50	248
10	यूनाइटेड बैंक	70	0	30	40
11	देना बैंक	3	0	0	3
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	3	0	0	3
13	इंडियन बैंक	36	0	0	36
14	सिंडिकेट बैंक	33	0	0	33
15	ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9	0	0	9
16	आंध्रा बैंक	1	0	0	1
17	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	227	26	10	191
18	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	366	46	12	308
19	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2389	4	111	2274
20	मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	927	49	0	878
योग		8947	301	2132	6514

स्रोत : संस्थागत वित्त विभाग, बिहार सारकार

6.12 समाहार

वर्ष 2009-10 भारत में बैंकों के लिए पर्याप्त स्थिति-स्थापन, नवोन्मेष, विकास और मूल्य निर्माण के जरिए सामान्यत: वित्तीय संकट से उबरने का वर्ष था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का अधिक विस्तार और अधिक वित्तीय समावेश आज ऐसे कार्यभार हैं जिनका बिहार में बैंक सामना कर रहे हैं। वर्ष 2009-10 में बिहार में बैंकों की 214 नई शाखाएं खुलीं जो 2007-08 तक दिख रहे गतिरोध के बाद से स्वागत योग्य शुरुआत है। लेकिन नई खुली बैंक शाखाओं में से 44 को छोड़कर शेष शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुलीं। अभी बिहार में लगभग 42 प्रतिशत बैंक शाखाएं शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं जो 2005-06 में 35 प्रतिशत थीं। कई वर्षों से बिहार में देश की कुल बैंक शाखाओं का 5 प्रतिशत से कम हिस्सा रहा है जबकि देश की 8 प्रतिशत से भी अधिक आबादी बिहार में रहती है। बिहार का देश की कुल शाखाओं में तो 5 प्रतिशत से थोड़ा ही कम हिस्सा है, लेकिन अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल कर्मियों में तो 3 प्रतिशत, कुल जमा में 2 प्रतिशत तथा कुल बैंक ऋणों में तो 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। बिहार बैंकिंग के मामले में अभी भी देश का एक सर्वाधिक सुविधावंचित राज्य बना हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 1,500 शाखाएं राज्य में हर साल लगभग 1,600 करोड़ रु. एकत्र करती हैं, लेकिन इसमें से लगभग आधी रकम ही ऋण के रूप में गामीण अर्थव्यवस्था में वापस पहुंच पाती है। हाल के वर्षों में परिस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन बैंकों द्वारा काफी हद तक गढ़ा जा रहा है। बिहार में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का है और देश में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में लगभग 6.0 प्रतिशत। बिहार में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का कुल ग्रामीण जमा लगभग 24,000 करोड़ रु. है जो अधिकांश अन्य राज्यों से अधिक है। लेकिन प्रति व्यक्ति जमा और ऋणों के मामले में बिहार लगभग सबसे नीचे है और प्रति बैंक कार्यालय द्वारा सेवित जनसंख्या देश में लगभग सर्वाधिक। बिहार में 2009-10 में कुल जमा में गत वर्ष के मुकाबले 14,000 करोड़ रु. से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन गत वर्ष की अपेक्षा यह फिर भी कम है। लेकिन ऋण में इस वर्ष 5,400 करोड़ रु. का विस्तार हुआ है जो पिछले वर्ष से लगभग दूना है। यह राज्य में ऋण-जमा अनुपात में सुधार के स्वागत योग्य परिवर्तन का संकेत हो सकता है।

राज्य में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का 32.23 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात देश में सबसे कम बना रहा और अर्थव्यवस्था के तेज विस्तार में यह एक प्रमुख बाधा है। यह 2006-07 में हासिल स्तर 33.81 प्रतिशत से काफी नीचे था और देश के प्रमुख राज्यों में सबसे कम था - देश के राष्ट्रीय औसत 73 प्रतिशत से तो बहुत ही कम। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के ऋण-जमा अनुपात 43 प्रतिशत के स्तर पर भी राज्य में 11,000 करोड़ रु. का शानदार निवेश बढ़ जाता और अर्थव्यवस्था में रूपांतर की संभावना पैदा हो जाती। बिहार में सर्वाधिक 41 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों का है जिनके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 38 प्रतिशत और सबसे पीछे अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को मात्र 28 प्रतिशत। वर्ष 2007-08 तक निम्न ऋण-जमा अनुपात पूंजी के पलायन का कारण बना था जिसका प्रमाण था उपभोग आधारित अधिक ऋण-जमा अनुपात। लेकिन यह रुझान अब रुक गया दिखता है जिसका मुख्य कारण राज्य में सुधरी कानून-व्यवस्था की स्थिति द्वारा समर्थित निवेश के वातावरण

में सुधार है। निवेश सह ऋण-जमा अनुपात राज्य में ऋण-जमा अनुपात से अधिक था लेकिन वह भी देश में सबसे कम था। बिहार के जिलों में ऋण-जमा अनुपात के मामले में काफी भिन्नता दिखी - 19 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत तक। राज्य के 38 में से 17 जिलों में यह 30 प्रतिशत से नीचे था और मात्र 9 जिलों में 40 प्रतिशत से ऊपर। अलग-अलग बैंकों में भी ऋण-जमा अनुपात के मामले में काफी अंतर दिखा लेकिन निजी व्यावसायिक बैंकों में तो अन्यंत निम्न था। लगातार निम्न ऋण-जमा अनुपात गंभीर चिंता का विषय है और इसमें यथाशीघ्र सुधार की जरूरत है। ऋण तो इसकी अवशोषण क्षमता पर निर्भर करेगा जिसका निर्धारण भौतिक अधिसंरचना द्वारा होता है, लेकिन ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों को अपने रवैए तथा जोखिम के अनुमान में बदलाव लाने की जरूरत है। खास कर शाखाविहीन क्षेत्रों में उन्हें अधिक शाखाएं खोलनी चाहिए और अपने कुछ कठोर ऋण मानकों में ढील देनी चाहिए।

राज्य में 2009-10 के दौरान बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 66 प्रतिशत हिस्सा था जिसमें अकेले कृषि क्षेत्र का हिस्सा 41 प्रतिशत है। गत कुछ वर्षों के दौरान इस स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम का कुल वितरित ऋण में मात्र 17 प्रतिशत हिस्सा था। इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रांगणों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ बिजली और सड़कमार्ग संबंधी अधिसंरचना का विकास जरूरी होगा।

बिहार में 8,463 पैक्स हैं जो देश में मौजूद कुल पैक्स के 9 प्रतिशत हैं। लेकिन जमा और ऋण-प्रदान के लिहाज से अन्य राज्यों से ये काफी पीछे हैं। लगभग आधे पैक्स घाटे में चल रहे हैं हालांकि घाटा बहुत अधिक नहीं है। राज्य की राजकीय सहकारी समितियों के मामले में ऋण वसूली का प्रतिशत मात्र 36 प्रतिशत था जो देश के राज्यों के बीच सबसे कम है; राष्ट्रीय औसत भी 90 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2008-09 में बिहार में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत देश में सर्वाधिक था। यह कुल बकाया ऋणों का 42.5 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 12 प्रतिशत है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में बिहार का हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है जो अन्य राज्यों से बहुत कम है।

राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के अंतर्गत नाबार्ड का ऋण वितरण कुल स्वीकृत राशि का आधा भी नहीं था। राज्य में सूक्ष्मवित्त के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन तब भी यह अन्य राज्यों के मुकाबले महत्वहीन बना हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जगह बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिहाज से सूक्ष्मवित्त में भारी संभावनाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जैसी गरीबी विरोधी योजनाओं में हासिल उपलब्धियां वसूली की अत्यंत निम्न दर के कारण मिट्टी में मिल गईं। वार्षिक ऋण योजना और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागज पर हासिल उपलब्धियां मापनीय-गणनीय परिणामों रूप में वास्तव में परिवर्तित हो जायं, एक उचित अनुश्रवण व्यवस्था को संस्थाबद्ध करना एक तात्कालिक आवश्यकता है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बिहार में निवेश का वातावरण निर्मित करने के लिहाज से बैंकों के लिए अभी शुरुआत करना ही बाकी है।

मानचित्र-1

व्यावसायिक बैंकों के कार्यालयों का राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश-वार वितरण 2009

(31 मार्च को)

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स ऑफ इंडिया, 2008-09

मानचित्र-2

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश-वार
ऋण-जमा अनुपात 2009
(31 मार्च को)

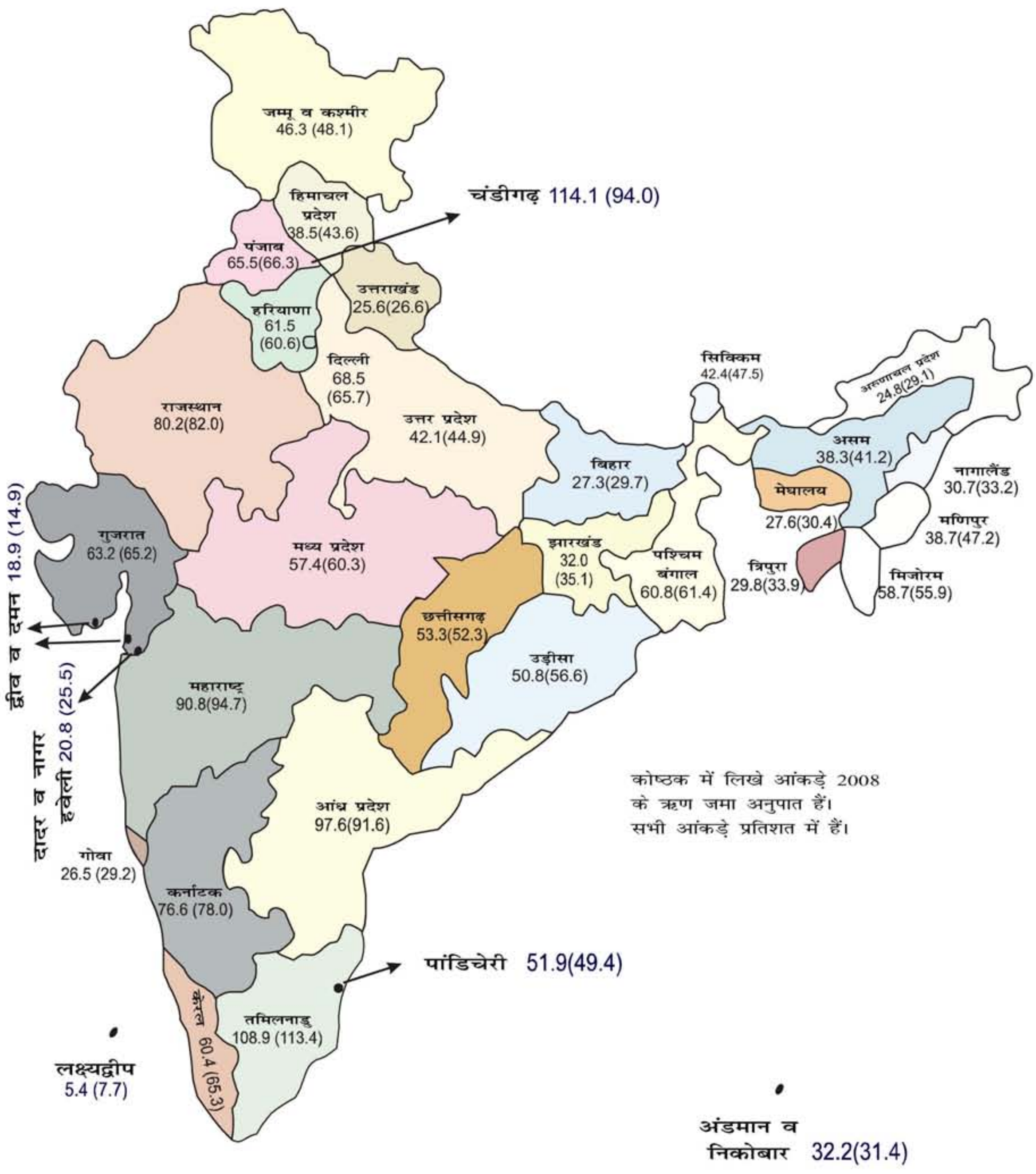

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स ऑफ इंडिया, 2008-09

परिशिष्ट-1 : 30 जून 2010 तक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन

क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

जिला	कृषि			लघु एवं मध्यम उद्यम			अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			योग (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
पटना	55277	22299	40.34	28519	12419	43.55	101159	23682	23.41	184955	58400	31.58
नालंदा	47810	7604	15.90	3133	1722	54.96	6035	1120	18.56	56978	10446	18.33
रोहतास	63386	6180	9.75	12143	736	6.06	13189	1727	13.09	88718	8643	9.74
कैमूर	46565	3725	8.00	8060	582	7.22	4400	772	17.55	59025	5079	8.60
बक्सर	75829	3941	5.20	4743	485	10.23	7760	1043	13.44	88332	5469	6.19
भोजपुर	72363	5456	7.54	3834	831	21.67	10800	1861	17.23	86997	8148	9.37
गया	73962	4200	5.68	6639	2171	32.70	12228	1984	16.23	92829	8355	9.00
औरंगाबाद	53924	3782	7.01	3991	955	23.93	7950	1255	15.79	65865	5992	9.10
जहानाबाद	17109	1164	6.80	1394	328	23.53	4062	672	16.54	22565	2164	9.59
अरवल	10900	946	8.68	670	146	21.79	1426	212	14.87	12996	1304	10.03
नवादा	21909	2540	11.59	509	1612	316.70	6925	1664	24.03	29343	5816	19.82
सारण	64339	2158	3.35	8650	961	11.11	12070	1136	9.41	85059	4255	5.00
सीवान	46480	2757	5.93	4837	745	15.40	12781	851	6.66	64098	4353	6.79
गोपालगंज	60117	3057	5.09	2026	310	15.30	9798	526	5.37	71941	3893	5.41
मुजफ्फरपुर	68592	4208	6.13	13956	2191	15.70	19133	3376	17.64	101681	9775	9.61
सीतामढ़ी	32433	2515	7.75	2287	744	32.53	4859	1330	27.37	39579	4589	11.59
शिवहर	4795	363	7.57	335	64	19.10	780	73	9.36	5910	500	8.46
प. चंपारण	59682	9402	15.75	18050	367	2.03	5184	758	14.62	82916	10527	12.70
पू. चंपारण	58276	4953	8.50	5885	2004	34.05	19565	2365	12.09	83726	9322	11.13
वैशाली	34540	2897	8.39	4642	834	17.97	9956	1036	10.41	49138	4767	9.70
दरभंगा	25943	3292	12.69	2155	1638	76.01	11348	2227	19.62	39446	7157	18.14
समस्तीपुर	64701	3737	5.78	9066	1043	11.50	11738	1676	14.28	85505	6456	7.55
मधुबनी	49241	3475	7.06	6604	829	12.55	9412	1611	17.12	65257	5915	9.06
सहरसा	25374	1735	6.84	1295	172	13.28	6407	800	12.49	33076	2707	8.18
सुपौल	22911	1169	5.10	1173	95	8.10	7340	791	10.78	31424	2055	6.54
मधेपुरा	25872	385	1.49	908	62	6.83	3423	361	10.55	30203	808	2.68
पूर्णिया	55364	2112	3.81	3921	561	14.31	11805	1575	13.34	71090	4248	5.98
अररिया	41924	1219	2.91	6008	466	7.76	4253	522	12.27	52185	2207	4.23
किशनगंज	41931	1470	3.51	4635	445	9.60	6555	539	8.22	53121	2454	4.62
कटिहार	47292	3163	6.69	2462	456	18.52	7369	939	12.74	57123	4558	7.98
भागलपुर	41223	2416	5.86	4010	3039	75.79	14970	2228	14.88	60203	7683	12.76
बांका	22662	1946	8.59	2066	1671	80.88	11495	778	6.77	36223	4395	12.13
मुंगेर	16530	1290	7.80	2639	1390	52.67	13850	1312	9.47	33019	3992	12.09
लखीसराय	14696	1816	12.36	2336	741	31.72	4996	1255	25.12	22028	3812	17.31
बेगूसराय	69098	5196	7.52	5887	2265	38.47	25500	3964	15.55	100485	11425	11.37
जमुई	13678	1490	10.89	1354	1362	100.59	7926	980	12.36	22958	3832	16.69
खगड़िया	30707	1938	6.31	3370	263	7.80	4500	779	17.31	38577	2980	7.72
शेखपुरा	9376	606	6.46	538	653	121.38	1415	961	67.92	11329	2220	19.60
बिहार	1586811	132602	8.36	194730	47358	24.32	434362	70741	16.29	2215903	250701	11.31

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

ख. 30.06.10 को गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

जिला	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			कुल योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
पटना	368212	64262	17.45	553167	122662	22.17
नालंदा	33743	6206	18.39	90721	16652	18.36
रोहतास	33734	2144	6.36	122452	10787	8.81
कैमूर	17980	1416	7.88	77005	6495	8.43
बक्सर	24277	1838	7.57	112609	7307	6.49
भोजपुर	37448	2277	6.08	124445	10425	8.38
गया	52630	4837	9.19	145459	13192	9.07
औरंगाबाद	26470	1993	7.53	92335	7985	8.65
जहानाबाद	11707	433	3.70	34272	2597	7.58
अरवल	7059	282	3.99	20055	1586	7.91
नवादा	20224	2879	14.24	49567	8695	17.54
सारण	44269	2449	5.53	129328	6704	5.18
सीवान	42835	2101	4.90	106933	6454	6.04
गोपालगंज	28088	2685	9.56	100029	6578	6.58
मुजफ्फरपुर	71265	7267	10.20	172946	17042	9.85
सीतामढ़ी	33376	2580	7.73	72955	7169	9.83
शिवहर	6029	193	3.20	11939	693	5.80
पश्चिमी चंपारण	38301	2513	6.56	121217	13040	10.76
पूर्वी चंपारण	49462	3696	7.47	133188	13018	9.77
वैशाली	35866	2373	6.62	85004	7140	8.40
दरभंगा	48354	3970	8.21	87800	11127	12.67
समस्तीपुर	46644	3939	8.44	132149	10395	7.87
मधुबनी	42756	4818	11.27	108013	10733	9.94
सहरसा	20685	2054	9.93	53761	4761	8.86
सुपौल	22345	1356	6.07	53769	3411	6.34
मधेपुरा	20923	994	4.75	51126	1802	3.52
पूर्णिया	32594	3464	10.63	103684	7712	7.44
अररिया	22619	1613	7.13	74804	3820	5.11
किशनगंज	15993	1370	8.57	69114	3824	5.53
कटिहार	46870	3540	7.55	103993	8098	7.79
भागलपुर	41081	4624	11.26	101284	12307	12.15
बांका	16483	1626	9.86	52706	6021	11.42
मुंगेर	34553	2522	7.30	67572	6514	9.64
लखीसराय	12049	2426	20.13	34077	6238	18.31
बेगूसराय	34841	6654	19.10	135326	18079	13.36
जमुई	18087	2061	11.39	41045	5893	14.36
खगड़िया	16307	1718	10.54	54884	4698	8.56
शेखपुरा	7938	2219	27.95	19267	4439	23.04
बिहार	1484097	165392	11.14	3700000	416093	11.25

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

परिशिष्ट-2 : जिलावार उपलब्धि - किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)

जिला	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
पटना	9939	27779	15259	23113	20036	10801	26204	18048	26233	60143	237555
नालंदा	9023	18518	9820	20562	18229	13266	16297	16175	22281	34946	179117
रोहतास	9368	16368	11772	22363	7777	6674	15272	19590	33141	56523	198848
कैमूर	4060	8810	4314	5685	15015	5205	9624	12094	24102	31488	120397
बक्सर	2351	4253	2438	2862	4279	4051	8824	6775	10916	38447	85196
भोजपुर	7275	18386	19283	32437	21830	4833	17683	15918	27575	50759	215979
गया	3907	13618	12292	22998	18865	8601	19716	16371	52571	40101	209040
औरंगाबाद	5093	11189	7593	31358	17569	12707	9272	8638	28077	42494	173990
जहानाबाद	1595	3462	2029	1807	3818	2381	5681	5348	12261	16095	54477
अरवल			923	1275	2058	1052	2698	2932	4443	6691	22072
नवादा	6782	15756	13622	27525	11264	7668	11281	11217	25992	24837	155944
सारण	6276	9290	6246	4677	8845	9190	8881	14127	24233	32706	124471
सीवान	6367	17482	10134	18995	10809	7074	10551	14545	27750	38536	162243
गोपालगंज	2418	7285	7164	19734	12938	5413	11205	13396	29824	42890	152267
मुजफ्फरपुर	4723	6946	7851	14331	22390	7517	15170	20050	36197	61028	196203
सीतामढ़ी	3546	17901	15796	29720	9027	6814	10883	24403	19944	34675	172709
शिवहर	228	140	140	173	425	1309	1538	2617	6646	6036	19252
पश्चिमी चंपारण	8562	22470	16341	26005	27614	31407	35212	32431	47446	70194	317682
पूर्वी चंपारण	4967	6768	8077	19515	19279	14701	21053	26210	45138	74330	240038
वैशाली	3826	12469	7121	18707	15312	12409	15141	17144	30629	38763	171521
दरभंगा	2911	11867	9053	1459	6751	3816	7783	8011	20738	43993	116382
समस्तीपुर	14169	20043	16300	38406	20970	21759	14954	22783	38363	79075	286822
मधुबनी	4498	17535	11425	29187	25258	12656	9559	15598	35420	38578	199714
सहरसा	1738	1019	939	1118	2906	2135	5513	7250	13835	21763	58216
सुपौल	1957	1840	1553	1216	3424	2838	5593	6296	57130	22830	104677
मधेपुरा	6392	6722	4537	854	2844	2962	4679	6056	11620	12307	58973
पूर्णिया	26975	29687	19063	39782	25036	11791	12350	13477	27434	51210	256805
अररिया	741	1923	1511	1988	6264	13238	9170	8558	16384	20225	80002
किशनगंज	1104	871	1140	1287	4977	8952	5484	7393	13680	14645	59533
कटिहार	5611	8840	13472	26457	23531	12329	9565	12213	19833	29760	161611
भागलपुर	7468	42207	20957	40851	9366	4726	9223	11477	22734	44740	213749
बांका	441	1847	1145	896	3395	3138	4141	4282	9463	21232	49980
मुंगेर	3190	6575	7727	19611	10244	2869	3967	5608	10756	16559	87106
लखीसराय	258	1417	764	1225	2447	2353	3422	4587	10054	11401	37928
बेगूसराय	3469	16433	12431	24782	35001	21426	9352	14712	20694	57130	215430
जमुई	957	1381	1485	1828	3352	4113	3777	7382	13458	15779	53512
खगड़िया	4034	12421	9365	18483	19707	9028	5528	9296	12375	30313	130550
शेखपुरा	201	1197	649	880	1503	2216	2317	3532	7882	6315	26692
बिहार	**186420**	**422715**	**311731**	**594152**	**474355**	**315418**	**398563**	**466540**	**897252**	**1339537**	**5406683**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

टिप्पणी : 2010-11 के लिए आंकड़े अंतिम जून, 2010 से संबंधित हैं।

अध्याय 7

राजकीय वित्तव्यवस्था

7.1 भूमिका

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार में हुए शांतिपूर्ण चुनाव ने पुनरुत्थान के मार्ग पर अग्रसर राज्य के लिए आवश्यक कारकों पर बल दिया - आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी। शिक्षा और स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाओं, गांवों को शहरों से जोड़ने वाले बेहतर सड़कों-पुलों तथा कानून-व्यवस्था के लिहाज से एक सुचारु ढंग से कार्यरत राज्य की आधारभूत नींव स्थापित हो गई है। अनेक रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षकों, चिकित्सकों तथा पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर दी गई है। ये छोटी-मोटी उपलब्धियां नहीं हैं। इन्होंने राज्य सरकार के प्रदर्शन के संबंध में उच्च अपेक्षाओं को जन्म दिया है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा, राज्य का कार्यभार अब वैसी स्थितियां पैदा करना है जिसमें आम आदमी की जीवनदशा में सुधार ही नहीं हो, उसका रूपांतर भी हो। रूपांतर की इस प्रक्रिया में निजी निवेश और निजी सहभागिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सार्वजनिक निवेश। साथ ही, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम अधिसंरचना - अबाध विद्युत आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण सड़कें, सामान्य अधिसंरचना तथा स्वच्छता सुविधाएं, और जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख तथा शिक्षा प्रदान - निर्मित करने की चुनौती पूरी करना भी आवश्यक है जो निजी क्षेत्र का निवेश भी आकर्षित कर सकता है और तेज आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

किसी सरकार का, खास कर बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य के विकास का प्रयास मुख्यत: उसके लोक वित्त पर निर्भर करता है। लोक वित्त का संबंध कुछ पैरामीटर को केंद्र में रखकर चातुर्यपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से होता है जो राजकीय वित्तव्यवस्था की समुचित जांच, विश्लेषण, निदान तथा उससे संबंधित नीतिगत हस्तक्षेप के लिए अनिवार्य होता है। ऐसे पैमाने प्रभावी सेवा प्रदान सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिहाज से प्रशासन में सुधार लाने के जरिए सरकार की क्षमता का सुदृढ़ीकरण करके भविष्य के प्रति आशा पैदा करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के बिल्कुल अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधनों का आबंटन और पूरे सार्वजनिक व्यय के परिणाम का अनुश्रवण किसी भी सरकार के अनिवार्य कार्य हैं और इन सबके लिए संबंधित पैरामीटरों को सावधानीपूर्वक मापने की जरूरत होती है।

जबसे राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन) अधिनियम लागू किया गया है, इसके लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिहाज से राजकोषीय समंजन तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्राप्ति के लिए इसके अंतर्गत अनेक व्यवहारिक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 2007-08 तक अधिनियम में सूचित सारे राजकोषीय लक्ष्य हासिल भी कर लिए गए हैं। खास तौर पर इसमें ऋण समस्या को प्रबंधनीय सीमा के अंदर लाना शामिल है जिसके एक समय नियंत्रण के बाहर हो जाने का खतरा दिख रहा था। परंतु उसी समय

वैश्विक आर्थिक मंदी का झटका लगा जिसने पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम ही सही, लेकिन भारत को भी प्रभावित किया। उसके दुष्परिणामों से बिहार भी खुद को पूरी तरह बचा नहीं पाया। वर्ष 2009-10 में अधिकांश समय उसका दंश झेलना पड़ा। राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष में कमी आई और राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई 4 प्रतिशत की सीमा के बिल्कुल अंदर रहा। लेकिन 2009-10 को अगर हम विवेच्य वर्ष के रूप में लें, तो 2010-11 स्थिति में सुधार का वर्ष रहा है और अर्थव्यवस्था फिर से उछाल भरने लगी है। राज्य सरकार गत पांच वर्षों से जिन नीतियों का पालन कर रही है और जिस प्रकार की व्यवस्था के निर्माण का प्रयास वह कर रही थी, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं जो राज्य सरकार के लिए व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु और भी पहलकदमियां लेने के लिहाज से उत्साहवर्धक हैं।

वर्तमान वित्तवर्ष में राज्य सरकार द्वारा ली गई महत्वपूर्ण पहलकदमियां निम्नलिखित थीं :

- पिछड़ी जाति के लिए 12 आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण,
- प्राथमिक शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
- विभिन्न मुख्यमंत्री पोशाक योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराना,
- मुख्यमंत्री साइकिल योजनाओं के अंतर्गत लड़कियों को साइकल उपलब्ध कराना,
- पूर्वी क्षेत्र विज्ञान शिविरों का आयोजन,
- डुमरांव में पशु चिकित्सा सहायक प्रशिक्षण विद्यालय,
- पूर्णिया में कृषि महाविद्यालय,
- राष्ट्रीय अशक्त पेंशन योजना का आरंभ,
- राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन,
- कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण,
- राज्य आंकड़ा केंद्र के लिए सुविधाओं का उन्नयन,
- भंडारगृहों तथा भंडारों का विकास,
- ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों को सहायता,
- बिहार वाणिज्य विकास कोष के तहत व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए बुनियादी अधिसंरचना का विकास एवं रखरखाव तथा बाजारों एवं आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों-पुलों का निर्माण, तथा
- वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पुलिस अकादमी तथा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, महादलितों के प्रशिक्षण हेतु आंगनवाड़ी केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पंचायती राज संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, नई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का आरंभ आदि।

व्यय और सामाजिक प्रतिफलों के बीच कमजोर कड़ी ने बिहार में सेवा की गुणवत्ता को ऐतिहासिक रूप से क्षति पहुंचाई है। अतएव राज्य सरकार जिस सर्वप्रमुख चुनौती का सामना कर रही है, वह है सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और लोगों के लिए सेवा प्रदान में आमूल सुधार लाना। ऐसा करने के लिए कम संसाधनों का प्रभावी उपयोग और अधिक दक्षतापूर्वक संग्रह करना है तथा राज्य में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। विकास आबंटित धन के समुचित क्रियान्वयन तथा प्रभावी उपयोग के जरिए ही सुनिश्चित किया जा सकता है जिसका अंतिम प्रतिफल यह होगा कि आर्थिक विकास मानवोचित बेहतरी में रूपांतरित हो। इस बाबत सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार के अपर्याप्त संसाधनों को खाली करने वाला मरनासन्न सार्वजनिक क्षेत्र है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा की है कि राज्य सरकारों को मार्च 2011 तक सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यशील इकाइयों की बंदी के लिए विशेष रोडमैप तैयार करने की जरूरत है और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश तथा निजीकरण पर सक्रियतापूर्वक विचार और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। दूसरा अवरोध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पास बकाया सरकारी प्रतिभूतियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती पेंशन देनदारियों के रूप में है। यह समय संभवत: पेंशन योजनाओं के प्रबंधन हेतु वैकल्पिक मॉडलों पर विचार करने का भी है। इसके अलावा, जिलों के बीच विकास के मामले में भारी असमानता राज्य सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और उतना ही चिंता की बात है योजनागत योजनाओं का समुचित अनुश्रवण – चाहे वे योजनाएं राज्य योजना की हों या केंद्रीय योजना की अथवा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की। इसके अलावा, कुछ प्रक्रियागत कठिनाइयां ऐसी हैं कि उनके कारण विकास योजनाओं के संबंध में निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब होता है।

गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने अपने लोक वित्त का बहुत अच्छी तरह प्रबंधन किया है। इसने व्यय में महत्वपूर्ण राजकोषीय अनुशासन लागू किया है, कम तरजीह वाले व्यय में कमी लाई है और बढ़े पूंजीगत परिव्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए अपना राजस्व बढ़ाया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध होने तथा पूंजीगत परिव्ययों में प्रचुर वृद्धि करने के कारण राज्य सरकार आगे बढ़ने और बिहार को देश के सर्वाधिक तेज विकास वाले राज्यों में एक में बदल डालने के कगार पर है।

तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने आम तौर पर देश के तमाम राज्यों को प्रभावित करने वाले उदग्र और क्षैतिज असंतुलनों को प्रकाश में लाया है, पिछड़ापन के ऐतिहासिक कारकों के कारण बिहार जिसका खास तौर पर शिकार है। राज्य सरकार के करों में कम उत्फुल्लता के कारण अंतरणों का राज्यों के बीच मौजूद असंतुलनों के साथ जोड़ना अपरिहार्य बन जाता है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट में इस मुद्दे को प्रभावीशाली ढंग से नहीं उठाया गया है और अनुशंसाएं भी अनेक मामलों में बिहार के लिए खास तौर पर अनुकूल नहीं हैं। खास कर बिहार अब गैर–योजना राजस्व घाटा हेतु अनुदानों का पात्र नहीं रहा क्योंकि केंद्रीय करों की सुपुर्दगी के बाद तेरहवें वित्त आयोग द्वारा शामिल वर्षों में बिहार के राजस्व लेखे में कोई घाटा नहीं रहेगा। इसके अलावा, इसकी अनुशंसाएं राज्यों के बीच आर्थिक अवसरों की समानता के कार्यभार को अनदेखा करती दिखती हैं।

राज्य सरकार को उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर–कर राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियां, केंद्रीय करों में राज्य सरकार के लिए तय हिस्सा, केंद्र सरकार से मिलने वाले ऋण और अनुदान, खुले बाजार से ऋणग्रहण, तथा राज्य सरकार के लेखे में रखी जाने वाली भविष्य निधि के संग्रहण तथा अन्य जमा राशियां शामिल होती हैं। इन संसाधनों का उपयोग या तो विकास के मकसद से योजना व्यय हेतु होता है या गैर–योजना हेतु प्रशासन, ब्याज भुगतान, और बकाया ऋणों के भुगतान तथा स्थानीय निकायों, सरकारी कंपनियों और निगमों को अनुदान और ऋण देने तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अग्रिम देने के लिए।

संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी करने से प्राप्त सारे ऋण, ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम, और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को राज्य सरकार की संचित निधि में रखा जाता है। विधानमंडल के अनुमोदन के बगैर इस निधि से कोई राशि खर्च नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित दो अन्य कोष भी होते हैं। एक तो आकस्मिक निधि होती है और नियत कॉर्पस वाली और अर्थदाय की प्रकृति की होती है। विधानमंडल द्वारा उसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत असंभावित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। विधानमंडल द्वारा उसका बाद में प्रमाणीकरण किया जाता है तथा संचित निधि से उसे पूरा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा या उसके निमित्त प्राप्त अन्य सारी राशियों को राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत निर्मित लोकलेखा में रखा जाता है। लोकलेखा से निकासी के लिए न तो विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है न उसका शेष अलग रखा जाता है; इसकी बजाय उसे राज्य सरकार के नगद शेष के साथ मिला दिया जाता है। संचित निधि से उधार लेने के बाद राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा लोकलेखा के शेष से पूरा किया जाता है।

यहां पर राज्य सरकार के वित्तीय और राजकोषीय प्रदर्शन[1] का विश्लेषण किया गया है – सबसे पहले तो राज्य सरकार की प्राप्ति तथा व्यय का सार–संक्षेप प्रस्तुत करके (तालिका 7.1) और उसके बाद बिहार तथा 14 अन्य प्रमुख राज्यों से संबंधित दस प्रमुख प्रदर्शन सूचकों[2] की तुलना करके (तालिका 7.2)। उसके बाद राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था का विश्लेषण इनके संबंध में किया गया है : (1) राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन सुभेद्यता; (2) घाटा प्रबंधन; (3) राजस्व प्राप्तियां तथा व्यय; (4) संसाधन एकत्रीकरण; (5) व्यय प्रबंधन; (6) वेतन तथा पेंशन व्यय; (7) व्यय की गुणवत्ता; (8) क्षेत्रगत व्यय; (9) सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर प्रति

[1] वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक के आंकड़े वास्तविक लेखों के आंकड़े हैं जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा संबंधित वर्षों के लिए तैयार राज्य सरकार के आंकड़ों से लिया गया है। वर्ष 2009–10 के आंकड़े महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2010–11 के आंकड़े राज्य सरकार के बजट अनुमान के हैं। लेखों के आंकड़े वित्तीय लेखे के हैं, किसी अन्य स्रोत के नहीं। वास्तविक आंकड़े संबंधित राज्यों के महालेखाकारों द्वारा तैयार उनके वित्तीय लेखों से लिए गए हैं।

[2] अन्य राज्यों के मामले में इस सर्वेक्षण में प्रयुक्त सारे पैरामीटर से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे जिस कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

व्यक्ति[3] व्यय तथा (10) ऋण प्रबंधन। बाद में कुछ क्षेत्रों से संबंधित व्यय का भी सूक्ष्मस्तरीय विश्लेषण किया गया है।

7.2 वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन

विगत पांच वर्ष बिहार के इतिहास में कई लिहाज से अप्रत्याशित रहे हैं। खास कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित करने वाली मंदी के बीच राज्य में पुनरुत्थान की आशा जगाते हुए इसने असाधारण आर्थिक विकास के असंदिग्ध संकेत दिए। तालिका 7.1 बिहार की सतत आर्थिक बेहतरी की कहानी कहती है। बिहार में राजस्व अधिशेष 2006-07 में मात्र 2,498 करोड़ रु. था जो 2010-11 में बढ़कर 6,557 करोड़ रु. हो गया है। यह अधिशेष 2006-07 से लगातार बढ़ा है जिसमें अपवादस्वरूप 2009-10 में अस्थायी गिरावट आई जब पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया भयंकर आर्थिक गिरावट से पीड़ित थी। यह वित्तीय बेहतरी राजकीय वित्तव्यवस्था की बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक योजना निर्माण के जरिए क्रमश: हासिल की गई है। पूर्ववर्ती आर्थिक सर्वेक्षणों में भी इंगित किया गया है कि ये बुनियादी समस्याएं विकास को गति देने वाली आर्थिक अधिसंचना के निर्माण हेतु पर्याप्त निवेश की कमी, राजस्व व्यय (विशेषत: प्रशासनिक सेवाओं पर भारी अनुत्पादक गैर-योजना गैर-विकास व्यय) में वृद्धि और राज्य सरकार की ऋण संबंधी असुविधाजनक स्थिति थीं। जैसे ही इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा गया, विकास उसकी अनिवार्य परिणति हुई जैसा कि तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2001-02 में में पूंजीगत परिव्यय महज 742 करोड़ रु. था और राजस्व लेख में 1,320 करोड़ रु. का घाटा था। वर्ष 2006-07 और 2010-11 के बीच पूंजीगत परिव्यय व्यवस्थित रूप से बढ़ते हुए 5,211 करोड़ रु. से 10,434 करोड़ रु. हो गया। पहले भी कहा गया है कि इसी अवधि में राजस्व लेखे में अधिशेष 2,498 करोड़ रु. से बढ़कर 6,557 करोड़ रु. हो गया। इसी अवधि में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकास व्यय 17.2 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 35.6 हजार करोड़ रु. हो गया जबकि गैर-विकास व्यय 10.1 हजार करोड़ रु. से मामूली बढ़कर 18.2 करोड़ रु. पहुंचा जिसमें बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतानों और पुराने ऋणों का था।

वर्ष 2001-02 में राज्य सरकार पर 29.0 हजार करोड़ रु. का बकाया ऋण था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 53 प्रतिशत के बराबर था। इस कारण अप्रतिवर्ती ऋण फांस में फंसने का खतरा पैदा हो गया था जिसमें लिए गए तमाम नए ऋणों का उपयोग पुराने ऋण भार के भुगतान में करना होता है। वर्ष 2001-02 में ब्याज सहित ऋण सेवा भुगतान 9.7 हजार करोड़ रु. था। वर्ष 2006-07 तक बकाया ऋण बढ़कर 44.2 हजार करोड़ रु. हो गया था लेकिन ऋण सेवा भुगतान घटकर 4.8 करोड़ रु. रह गया था और बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 44 प्रतिशत ही रह गया था। यह स्पष्ट संकेत था कि ऋण समस्या अप्रबंधनीय नहीं थी। वर्ष 2010-11 तक बकाया ऋण और भी बढ़कर 57.7 हजार करोड़ रु. और ऋण सेवा भुगतान 7.5 हजार करोड़ रु. हो गया है, लेकिन फिर भी यह 2001-02 के स्तर से कम ही है। बकाया ऋण अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 29 प्रतिशत है

---

[3] जहां भी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का उपयोग हुआ है, वे वर्ष के मध्य के हैं जिन्हें 2001 की जनगणना के आंकड़ों तथा उस पर आधारित अनुमानों के आधार पर निकाला गया है।

और ऋण फांस में फंसने का स्पष्ट रूप से अब कोई खतरा नहीं है। मूलधन की अदायगी 2001-02 के 7,100 करोड़ रु. से घटकर 2010-11 में 3,010 करोड़ रु. रह गई है, वहीं इस अवधि में ब्याज भुगतान 2.6 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 4.3 हजार करोड़ रु. हो गया है।

राजस्व लेखे में हुए अधिशेष ने बिहार की विकास गाथा में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजस्व अधिशेष हासिल करने में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और राजस्व व्यय बढ़ने पर रोक, दोनों की भूमिका है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के बीच कुल राजस्व प्राप्ति 23.1 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 47.2 करोड़ रु. हो गई, वहीं इस अवधि में राजस्व व्यय 20.6 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 40.7 हजार करोड़ रु. ही पहुंचा जिस कारण 2010-11 में राजस्व अधिशेष 6.6 हजार करोड़ रु. हो गया। इसके विपरीत, कुल राजस्व प्राप्ति 2001-02 में 9.8 हजार करोड़ रु. थी और राजस्व व्यय 11.2 हजार करोड़ रु. जिस कारण राजस्व लेखे में भारी घाटा दिखता था। राजस्व अधिशेष में सतत वृद्धि के कारण ही राज्य सरकार अपना पूंजीगत परिव्यय 2006-07 के 5.2 हजार करोड़ रु. बढ़ाकर 2010-11 में 10.4 हजार करोड़ रु. तक पहुंचाने में सक्षम हो सकी जो विकास की गति त्वरित करने के लिए अनिवार्य था।

वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में राज्य सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल विकासमूलक राजस्व व्यय 2006-07 के 11.9 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 25.2 हजार करोड़ रु. हो गया है। अकेले इसी वित्त वर्ष में इसमें 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जबकि गत वित्त वर्ष में यह वृद्धि 14 प्रतिशत ही थी। इसी प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष में पूंजीगत परिव्यय 42 प्रतिशत बढ़ा है जबकि गत वर्ष यह वृद्धि मात्र 14 प्रतिशत थी। राज्य सरकार पूंजीगत परिव्यय और विकासमूलक राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि दर बनाए रखना चाहती है।

राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व भी काफी बढ़ा है जो 2006-07 के 17.3 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 के बजट अनुमान में 34.2 हजार करोड़ रु. हो गया है। वहीं, इस अवधि में इसका गैर-कर राजस्व 511 करोड़ रु. से बढ़कर 1,207 करोड़ रु. हो गया है। गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई ऋण राहत के कारण है - 2009-10 में यह रकम लगभग 770 करोड़ रु. थी और वर्तमान वित्त वर्ष में यह 385 करोड़ रु. से भी अधिक है। यह देखते हुए कि बिहार में कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है, यहां राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की काफी संभावना मौजूद है।

पहले भी कहा गया है कि दक्ष ऋण प्रबंधन और ब्याज भुगतान को 4.5 हजार करोड़ के आसपास रोक रखना गत 5 वर्षों में राजस्व अधिशेष कायम करने में काफी मददगार रहा है। वस्तुतः 2009-10 में ब्याज भुगतान में थोड़ी गिरावट ही आई थी जो 2010-11 में फिर से बढ़ गया क्योंकि राज्य सरकार बाजार से भारी मात्रा में उधार लेने के लिए बाध्य थी। विगत चार वर्षों में ऋण में वृद्धि - 2007-08 में 44.5 हजार करोड़ रु. से 2010-11 में 57. 7 हजार करोड़ रु. - मुख्यतः इसी कारण है। लेकिन राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण कुल

ऋण भार तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में ब्याज भुगतान में काफी गिरावट ही आई है। अभी ऋण : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 28.59 प्रतिशत है जो वित्त आयोग द्वारा तय 30 प्रतिशत सीमा के नीचे है।

विगत 5 वर्षों में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ा है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की वार्षिक वृद्धि दर 19.8 प्रतिशत के मुकाबले देश का सकल घरेलू उत्पाद 14.6 प्रतिशत की दर से ही बढ़ा है। गत पांच वर्षों के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर उससे पिछले पांच वर्षों के मुकाबले भी काफी अधिक रही है – उस समय विकास दर महज 12.8 प्रतिशत थी। यह देखते हुए कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अकेले राज्य सरकार के व्यय का ही एक–चौथाई से अधिक हिस्सा है, यह लगभग निश्चित है कि लोक वित्त के दक्ष प्रबंधन ने राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज विकास में प्रत्यक्ष योगदान किया है।

वर्ष 2006–07 बिहार के लोक वित्त में सुधार प्रक्रिया के आरंभ का साक्षी बना। उसी साल से राज्य सरकार ने पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर बढ़–चढ़कर खर्च करना शुरू किया था। सामान्य सेवाओं पर मामूली वृद्धि मुख्यत: जिला प्रशासन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण के साथ-साथ पेंशन और ब्याज भुगतान के कारण थी। भारित व्यय होने के कारण पेंशन और ब्याज भुगतान बजटीय नियंत्रण से बाहर होते हैं। योजना और गैर–योजना व्ययों के बीच अंतराल भी 2005–06 से कम होने लगा। उस साल गैर–योजना व्यय योजना व्यय का 3.6 गुना था जो 2006–07 में 1.9 गुना ही रह गया। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान में गैर–योजना व्यय योजना व्यय का मात्र 1.2 गुना है। वर्ष 2006–07 बिहार में राजकोषीय अनुशासन के आरंभ का भी साक्षी बना जो राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की एफआरबीएम अधिनियम द्वारा नियत सीमा के भीतर रोक रखने में दिखा। वर्ष 2005–06 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.53 प्रतिशत था जो 2009–10 को छोड़ शेष वर्षों में 3 प्रतिशत की सीमा के काफी नीचे रहा। वर्ष 2009–10 में भी यह उससे थोड़ा ही अधिक – 3.06 प्रतिशत था लेकिन एफआरबीएम अधिनियम की वर्धित सीमा 4 प्रतिशत से काफी नीचे था। रकम के रूप में देखें, तो सकल राजकोषीय घाटा 2006–07 में 3.0 हजार करोड़ रु. था जो 2007–08 में घटकर 1.7 हजार करोड़ रु. रह गया था। लेकिन सर्वव्यापी वित्तीय संकट के कारण 2010–11 के बजट अनुमान में काफी बढ़कर यह 4.6 हजार करोड़ रु. हो गया है।

सारत: यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का लोक वित्त अब अधिक स्वस्थ और मजबूत है। राज्य सरकार अभी भी सुधार के एजेंडा पर आगे बढ़ रही है इसलिए वह आश्वस्त है कि आने वाले वर्षों में वह पूंजीगत परियोजनाओं में अपने व्यय का स्तर कायम रखने में ही नहीं, उसे बढ़ाने में भी सक्षम होगी। अभी उसकी प्राथमिकता पर्याप्त भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचना निर्मित करनी है ताकि राज्य विकास की गति बढ़ा सके, गरीबी में कमी ला सके।

तालिका 7.1 : बिहार सरकार की प्राप्ति तथा व्यय

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**17838**	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**	**47235**
क	कर राजस्व	13983	17325	21852	23865	26292	34244
ख	गैर-कर राजस्व	522	511	526	1153	1670	1207
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3333	5247	5832	7962	7564	11784
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**17756**	**20585**	**23563**	**28512**	**32584**	**40678**
क	सामान्य सेवाएं, जिसमें	8523	8643	9252	10530	12202	15448
	ब्याज भुगतान	3649	3416	3707	3753	3685	4513
ख	सामाजिक सेवाएं	6862	7917	9868	12252	13186	17816
ग	आर्थिक सेवाएं	2367	4021	4438	5726	7088	7410
3	**राजस्व घाटा**	**-82**	**-2498**	**-4647**	**-4469**	**-2943**	**-6557**
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**3821**	**2365**	**1638**	**5939**	**6148**	**6515**
क	लोक ऋण आदि	3770	2358	1612	5928	6134	6501
ख	ऋण एवं अग्रिम वसूली	51	7	26	11	13	14
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**4812**	**6551**	**8008**	**8670**	**10211**	**13080**
	पूंजीगत परिव्यय	2084	5211	6104	6436	7332	10434
6	**कुल व्यय**	**22568**	**27136**	**31571**	**37181**	**42795**	**53759**
क	योजना व्यय	4899	9397	10946	13815	16194	24076
ख	गैर-योजना व्यय	17670	17740	20625	23367	26601	29682
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**3700**	**3021**	**1703**	**2507**	**5273**	**4593**
8	**प्राथमिक घाटा**	**51**	**-395**	**-2004**	**-1246**	**1587**	**80**
9	**कुल उधार**	**3770**	**2358**	**1612**	**5928**	**6134**	**6501**
क	आंतरिक ऋणग्रहण	3769	2355	1144	5778	5370	5096
ख	केंद्र सरकार से ऋण	2	3	468	150	764	1405
10	**लोक ऋण अदायगी***	**1703**	**1642**	**2447**	**2691**	**2953**	**3010**
11	**बकाया ऋण**	**42498**	**44226**	**44475**	**48865**	**52753**	**57664**
12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**81682**	**101500**	**118357**	**145019**	**172138**	**201677**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर							
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**21.84**	**22.74**	**23.83**	**22.74**	**20.64**	**23.42**
क	कर राजस्व	17.12	17.07	18.46	16.46	15.27	16.98
ख	गैर-कर राजस्व	0.64	0.50	0.44	0.80	0.97	0.60
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.08	5.17	4.93	5.49	4.39	5.84
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**21.74**	**20.28**	**19.91**	**19.66**	**18.93**	**20.17**
क	सामान्य सेवाएं, जिसमें	10.43	8.52	7.82	7.26	7.09	7.66
	ब्याज भुगतान	4.47	3.37	3.13	2.62	2.14	2.24
ख	सामाजिक सेवाएं	8.40	7.80	8.34	8.45	7.66	8.83
ग	आर्थिक सेवाएं	2.90	3.96	3.75	3.95	4.12	3.67
3	**राजस्व घाटा**	**-0.10**	**-2.46**	**-3.93**	**-3.08**	**-1.71**	**-3.25**
4	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**4.68**	**2.33**	**1.38**	**4.10**	**3.57**	**3.23**
क	लोक ऋण आदि	4.62	2.32	1.36	4.09	3.56	3.22
ख	ऋण एवं अग्रिम वसूली	0.06	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**5.89**	**6.45**	**6.77**	**5.98**	**5.93**	**6.49**
	पूंजीगत परिव्यय	2.55	5.13	5.16	4.44	4.26	5.17
6	**कुल व्यय**	**27.63**	**26.73**	**26.67**	**25.64**	**24.86**	**26.66**
क	योजना व्यय	6.00	9.26	9.22	9.53	9.41	11.94
ख	गैर-योजना व्यय	21.63	17.48	17.46	16.11	15.45	14.72
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**4.53**	**2.98**	**1.44**	**1.73**	**3.06**	**2.28**
8	**प्राथमिक घाटा**	**0.06**	**-0.39**	**-1.69**	**-0.94**	**0.92**	**0.04**
9	**कुल उधार**	**4.62**	**2.32**	**1.36**	**4.09**	**3.56**	**3.22**
क	आंतरिक ऋणग्रहण	4.61	2.32	0.97	3.98	3.12	2.53
ख	केंद्र सरकार से ऋण	0.00	0.00	0.40	0.10	0.44	0.70
10	**लोक ऋण अदायगी**	**2.08**	**1.62**	**2.07**	**1.86**	**1.72**	**1.49**
11	**बकाया ऋण**	**52.03**	**43.57**	**37.58**	**33.70**	**30.65**	**28.59**

टिप्पणी : * इसमें बिहार के लोक लेखा के तहत लघु बचत और भविष्य निधि की प्राप्ति तथा भुगतान शामिल हैं।
ब. अ. - बजट अनुमान

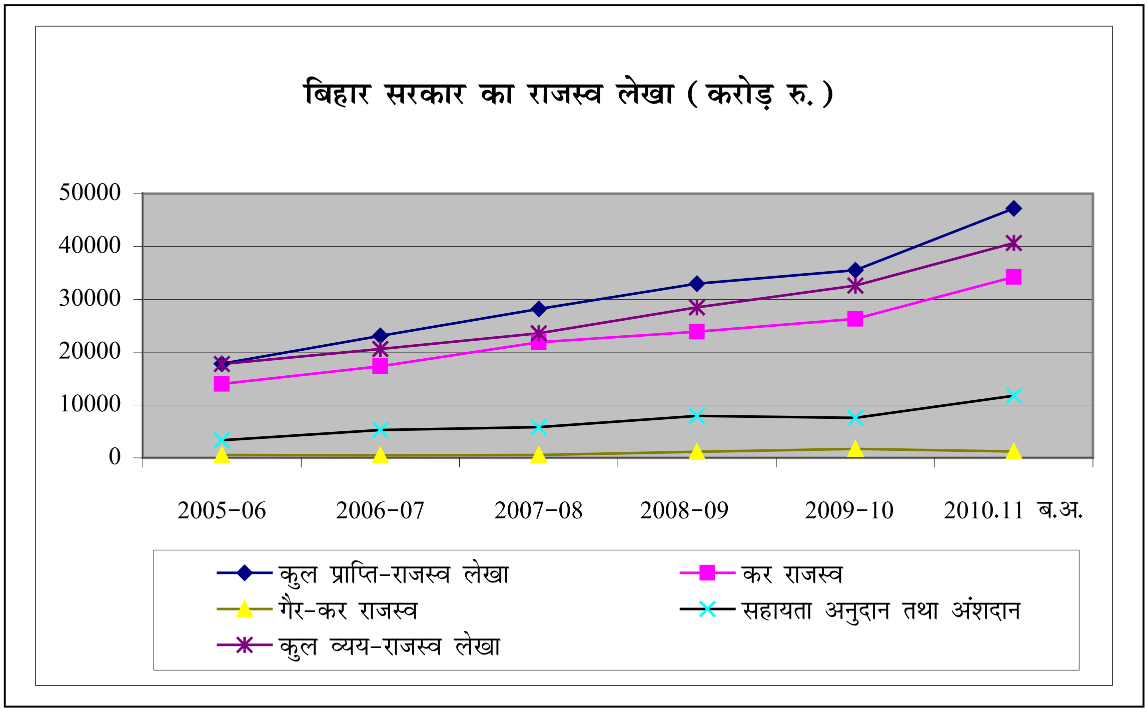

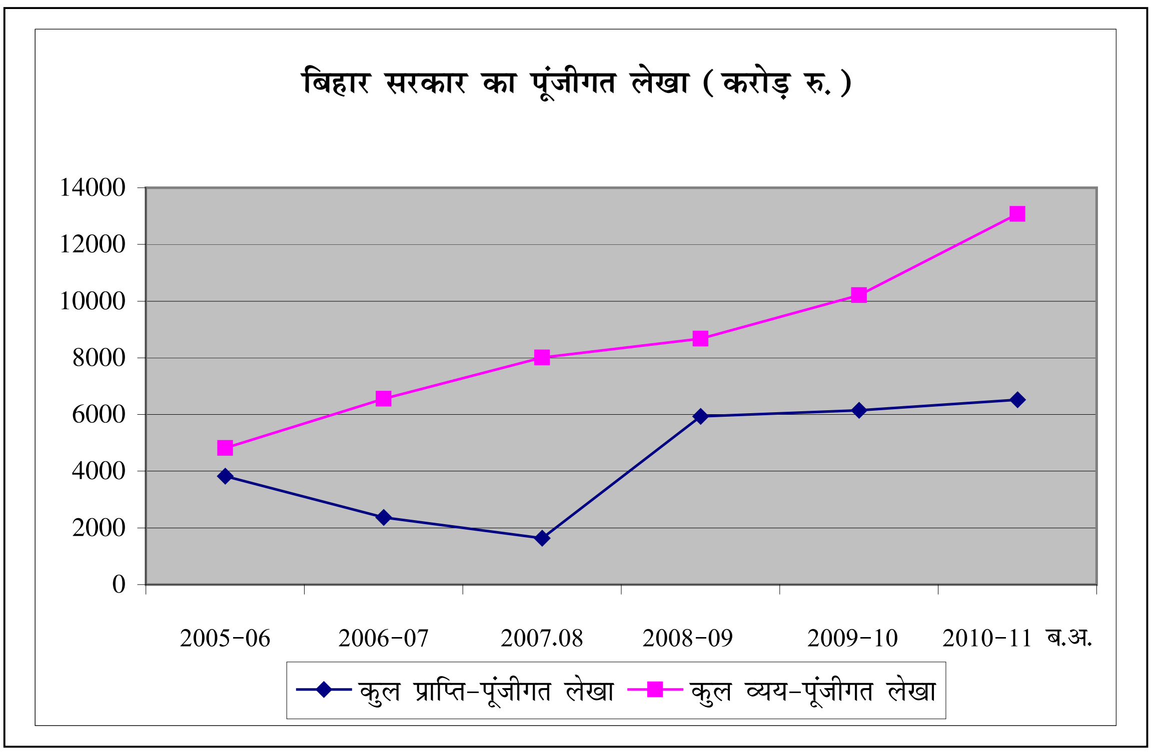

7.3 राजकोषीय प्रदर्शन

राजस्व घाटा राजस्व लेखे में और पूंजीगत घाटा पूंजी लेखे में प्राप्तियों के मुकाबले व्यय की अधिकता को अभिव्यक्त करता है। पारंपरिक बजट घाटा राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा का बीजगणितीय जोड़ होता है। लेकिन

यह वस्तुतः अर्थव्यवस्था में कुल संसाधन अंतराल को नहीं दर्शाता है क्योंकि इसमें पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत उधार की रकम भी शामिल होती है। समग्र संसाधन अंतराल सकल राजकोषीय घाटे से अभिव्यक्त होता है जिसे उधार लेकर या किसी अन्य साधन से पाटना होता है। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए वर्तमान विश्लेषण में निम्नलिखित 10 सूचकों का उपयोग किया गया है :

(1) सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात

(2) सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात

(3) सकल राजकोषीय घाटा के साथ निवल ऋण-प्रदान का अनुपात

(4) समूहित (एॅग्रीगेट) व्यय के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात

(5) राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात

(6) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात

(7) राजस्व व्यय के साथ राज्य के कर राजस्व का अनुपात

(8) राजस्व व्यय के साथ राज्य के गैर-कर राजस्व का अनुपात

(9) समूहित व्यय के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात

(10) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात

(1) <u>सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात</u> : इस अनुपात से पता चलता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व घाटे का किस हद तक योगदान है। आदर्श स्थिति में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राजस्व लेखे में अधिशेष होना चाहिए। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार के राजस्व लेखे में 2004-05 से 2010-11 के बीच प्रचुर अधिशेष थे जिससे राज्य सरकार पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाने सक्षम हुआ। इन वर्षों के दौरान बहुत कम राज्य ही लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रख पाए हैं। देश के बड़े राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान लगातार प्रचुर राजस्व अधिशेष था। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों का राजस्व अधिशेष बहुत मामूली था। वहीं, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के राजस्व लेखों में गत तीन वर्षों के दौरान घाटे की स्थिति थी। उड़ीसा और तमिलनाडु इस अवधि में राजस्व अधिशेष वाले राज्य से राजस्व घाटा वाले राज्य में बदल गए हैं।

(2) <u>सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात</u> : अपने राजस्व लेखे में सुधार के स्वाभाविक परिणामस्वरूप बिहार में पूंजीगत परिव्यय का परिमाण गत तीन वर्षों में काफी अधिक है। वर्ष 2009-10 में पूंजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटे का 1.4 गुना था जो अगले वर्ष उसका 2.27 गुना हो गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे कुछ बड़े राज्य ही इस

उपलब्धि को दुहरा सके। इन सभी राज्यों के पास प्रचुर राजस्व अधिशेष थे जिससे वे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश कर पाने में सक्षम हुए। उड़ीसा ने 2008-09 में उल्लेखनीय प्रगति की थी लेकिन बाद के वर्षों में वह यह स्थिति कायम नहीं रख सका। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और कुछ अन्य इस लिहाज से पिछड़े ही रहे।

(3) सकल राजकोषीय घाटा के साथ निवल ऋण-प्रदान का अनुपात : सकल राजकोषीय घाटे का एक अंश राज्य सरकार द्वारा निवल ऋण-प्रदान के कारण होता है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निकायों तथा प्राधिकारों को दिया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के लिए यह अनुपात लगातार घटता गया है और 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार अभी यह 16 प्रतिशत है। उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए यह अनुपात गत तीन वर्षों के दौरान निम्न तथा ऋणात्मक रहा है जो इंगित करता है कि इन राज्यों द्वारा लिए गए नए ऋणों की तुलना में पुराने ऋणों की अधिक अदायगी की गई है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए इस संबंध में स्थिति कमोबेश संतोषजनक है क्योंकि निवल ऋण प्रदान का उनके सकल राजकोषीय घाटे में अधिक हिस्सा नहीं है। अधिकांश अन्य राज्यों का पैटर्न इस अनुपात के संबंध में एक जैसा नहीं है।

(4) समूहित संवितरण के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात : मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं के कारण होने वाले गैर-विकास व्यय कुल संवितरणों का छोटा हिस्सा ही हों तो बेहतर है। बिहार में 2010-11 के बजट अनुमान में मुख्यतः गैर-योजना व्यय के स्वरूप वाला गैर-विकास व्यय कुल व्यय का 29 प्रतिशत था जो लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर ही था। छत्तीसगढ़ को छोड़कर, जिसने इस लिहाज से बेहतर प्रदर्शन किया, अधिकांश अन्य राज्यों के आंकड़े भी लगभग वैसे ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के आंकड़े उच्च स्तर पर हैं जो विकासमूलक व्यय के निम्न हिस्से को दर्शाते हैं।

(5) राजस्व प्राप्ति के साथ गैर-विकास व्यय का अनुपात : यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक विकास प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका। इस अनुपात का नीचे ही रहना बेहतर है। बिहार में 2010-11 के बजट अनुमान में गैर-योजना व्यय के स्वरूप वाले गैर-विकास व्यय का कुल राजस्व प्राप्ति का 33 प्रतिशत हिस्सा चला गया जो एक वर्ष पूर्व 35 प्रतिशत था। अधिकांश राज्यों की स्थिति इस मामले में प्रतिकूल है लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ का अनुपात अन्य राज्यों से बेहतर है। केरल और पश्चिम बंगाल के लिए यह अनुपात काफी ऊंचा, 60 प्रतिशत के आसपास था जिस कारण विकासगत प्रयोजनों के लिए उनके राजस्व में बहुत कम राशि बची।

(6) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात : अधिक ऋणग्रस्ता के कारण अधिकांश राज्यों के लिए ब्याज भुगतान स्थायी बोझ बने हुए हैं। हालांकि बिहार में 2004-05 से राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा लगातार गिरता गया है। राज्य के 2010-11 के बजट अनुमान में यह कुल राजस्व व्यय के मात्र 11 प्रतिशत के आसपास दिखता है जो गत वर्ष जितना ही है। इन अनुपात में दृष्टिगम्य गिरावट 2005-06 के बाद से आई है।

अन्य राज्यों में भी ऐसे ही अनुपात दिखते हैं। हां, पश्चिम बंगाल के लिए यह अनुपात काफी ऊंचा, लगभग 24 प्रतिशत है जिसके बाद 18 प्रतिशत अनुपात हिमाचल प्रदेश और गुजरात का है। छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जिसका अनुपात मात्र 7 प्रतिशत है।

(7-8) राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने कर और गैर-कर राजस्व का अनुपात : ये दोनों अनुपात स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों की तुलना में उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। वर्ष 2006-07 से लेकर 2008-09 तक की अवधि में राज्य सरकार की अपनी कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियां मिलकर उसके कुल राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों का मुश्किल से एक-चौथाई हिस्सा ही पूरा कर पाती थीं। इस अनुपात में बाद के वर्षों में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी यह 30 प्रतिशत से कम है। यह बताता है कि अपने संसाधनों के बूते अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल कर पाना राज्य के लिए अभी दूर की बात है। अन्य प्रमुख राज्यों की स्थिति इस मामले में काफी अच्छी है। पश्चिम बंगाल (36 प्रतिशत) और उड़ीसा (40 प्रतिशत) को छोड़ दें, तो अधिकांश राज्य अपने कुल राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अपने गैर एवं गैर-कर प्राप्तियों से पूरा करते हैं। अनेक राज्य जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र उल्लेखनीय हैं, अपनी राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक भाग अपने संसाधनों से पूरा करते हैं।

(9) समूहित व्यय के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात : यह अनुपात बाहरी संसाधनों पर राज्य सरकार की निर्भरता को सामने लाता है। अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए केंद्र सरकार पर बिहार की काफी अधिक निर्भरता है। वर्ष 2003-04 में यह अनुपात लगभग 40 प्रतिशत था जो लगातार बढ़ते हुए 2007-08 में 72 प्रतिशत हो गया था। उसके बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हुई और 2010-11 में यह 68 प्रतिशत है। कोई भी अन्य प्रमुख राज्य केंद्र सरकार पर इतना अधिक निर्भर नहीं है।

(10) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात : वर्ष 2003-04 तक केंद्र सरकार से बिहार को होने वाले सकल अंतरणों का काफी बड़ा हिस्सा ऋण सेवा में चला जाता था। हालांकि बेहतर ऋण प्रबंधन के कारण इस अनुपात को काफी नीचे ले लाया गया - 2003-04 के 100 प्रतिशत से भी अधिक से घटाकर 2006-07 में 33 प्रतिशत तक। उसके बाद इसमें और भी कमी आई और 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार में यह मात्र 18 प्रतिशत है। इस मामले में बिहार का प्रदर्शन अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात के मामले में स्थिति चिंताजनक है क्योंकि यह अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है जो ऋण सेवा के प्रयोजन में नई उधारियों का ही नहीं, केंद्र सरकार से प्राप्त संसाधनों का भी प्रयोग होना इंगित करता है। इससे अपनी विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अतिवांछित धन के मामले में राज्य सरकारें स्वभावत: वंचित हो जाती हैं। इस महत्वपूर्ण राजकोषीय सूचक के मामले में महाराष्ट्र का अनुपात भी 100 प्रतिशत के आसपास है।

तालिका 7.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक[4]

राज्य	क. राजस्व घाटा : सकल राजकोषीय घाटा (%)			ख. पूंजीगत परिव्यय : सकल राजकोषीय घाटा (%)		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**-178**	**-56**	**-143**	**257**	**139**	**227**
झारखंड	-11	-147	-527	103	210	568
पश्चिम बंगाल	108	84	74	17	14	24
उड़ीसा	-1024	28	23	1131	77	79
उत्तर प्रदेश	-9	-8	-2	109	106	101
मध्य प्रदेश	-91	-80	-20	151	123	100
राजस्थान	12	40	13	85	56	88
महाराष्ट्र	-40	41	32	135	55	67
गुजरात	1	27	24	100	74	77
पंजाब	58	63	62	43	55	40
कर्नाटक	-14	-5	-5	103	97	92
आंध्र प्रदेश	-26	-81	-58	128	185	161
केरल	58	61	42	27	29	48
तमिलनाडु	-17	39	21	107	67	76
हिमाचल प्रदेश	6	-43	-141	91	130	219
छत्तीसगढ़	-182	-6	-1	286	108	102

राज्य	ग. निवल ऋण-प्रदान : सकल राजकोषीय घाटा (%)			घ. गैर-विकास व्यय : समूहित संवितरण (%)		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**22**	**17**	**16**	**28**	**29**	**29**
झारखंड	9	36	59	29	29	26
पश्चिम बंगाल	-36	2	2	30	36	32
उड़ीसा	-8	-5	-1	27	32	34
उत्तर प्रदेश	0	3	2	21	26	26
मध्य प्रदेश	41	58	19	30	28	30
राजस्थान	4	4	-1	30	32	31
महाराष्ट्र	5	3	1	28	28	30
गुजरात	-1	-1	-1	24	26	26
पंजाब	0	-18	-2	32	28	29
कर्नाटक	11	8	13	30	27	29
आंध्र प्रदेश	-1	-4	-3	26	25	28
केरल	15	10	9	41	42	34
तमिलनाडु	10	-6	3	33	34	35
हिमाचल प्रदेश	3	14	22	31	31	34
छत्तीसगढ़	-4	-1	-1	23	20	22

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

[4] बिहार के लिए 2008-09 और 2009-10 के सारे आंकड़े संबंधित वर्षों में अभिव्यक्त राजस्व लेखों के वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय संबंधी आंकड़ों पर आधारित हैं। वर्ष 2010-11 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अन्य सभी राज्यों के लिए 2008-09 के लिए वित्तीय लेखों के वास्तविक आंकड़ों का, 2009-10 के लिए पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.) का और 2010-11 के लिए बजट अनुमान का उपयोग किया गया है।

राज्य	च. गैर-विकास व्यय : राजस्व प्राप्तियां (%)			छ. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय (%)		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**32**	**35**	**33**	**14**	**11**	**11**
झारखंड	38	33	29	15	13	13
पश्चिम बंगाल	57	74	58	23	22	24
उड़ीसा	30	41	42	14	14	13
उत्तर प्रदेश	28	34	35	15	13	12
मध्य प्रदेश	36	34	40	14	13	12
राजस्थान	39	43	39	18	17	17
महाराष्ट्र	34	39	40	16	14	15
गुजरात	34	37	38	20	18	18
पंजाब	46	43	44	20	18	17
कर्नाटक	36	34	35	10	11	12
आंध्र प्रदेश	30	29	32	13	12	12
केरल	61	60	57	17	18	17
तमिलनाडु	41	45	46	12	12	12
हिमाचल प्रदेश	42	38	39	20	19	18
छत्तीसगढ़	26	25	28	9	6	7

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

राज्य	ज. राज्य का कर राजस्व : राजस्व व्यय (%)			झ. राज्य का गैर-कर राजस्व : राजस्व व्यय (%)		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**22**	**25**	**26**	**4**	**5**	**3**
झारखंड	29	32	36	15	18	19
पश्चिम बंगाल	38	32	36	5	5	5
उड़ीसा	38	31	32	15	10	8
उत्तर प्रदेश	38	37	38	9	16	13
मध्य प्रदेश	46	46	45	11	16	10
राजस्थान	44	40	44	11	12	11
महाराष्ट्र	69	55	61	13	7	10
गुजरात	61	55	56	13	11	11
पंजाब	45	47	49	24	21	20
कर्नाटक	69	64	68	5	5	5
आंध्र प्रदेश	54	54	54	16	19	18
केरल	57	57	60	6	6	7
तमिलनाडु	63	60	62	11	7	6
हिमाचल प्रदेश	24	32	38	19	17	15
छत्तीसगढ़	48	38	34	16	18	22

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

राज्य	ट. सकल अंतरण : समूहित संवितरण (%)			ठ. ऋण सेवा : सकल अंतरण (%)		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**69**	**62**	**68**	**22**	**21**	**18**
झारखंड	44	50	49	37	29	33
पश्चिम बंगाल	26	24	29	146	145	122
उड़ीसा	52	48	49	31	33	31
उत्तर प्रदेश	40	37	36	42	43	57
मध्य प्रदेश	44	40	38	35	38	50
राजस्थान	35	31	35	58	62	57
महाराष्ट्र	20	22	19	83	70	99
गुजरात	19	19	18	102	97	104
पंजाब	14	15	14	177	198	219
कर्नाटक	25	26	24	39	43	50
आंध्र प्रदेश	28	27	30	65	75	48
केरल	21	22	18	132	117	194
तमिलनाडु	25	22	23	52	61	59
हिमाचल प्रदेश	43	44	46	52	47	47
छत्तीसगढ़	40	37	35	24	23	25

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

बिहार के राजकोषीय पैरामीटरों के लिए चार्ट (इन चार्टों में सभी अनुपातों को प्रतिशत में दर्शाया गया है)

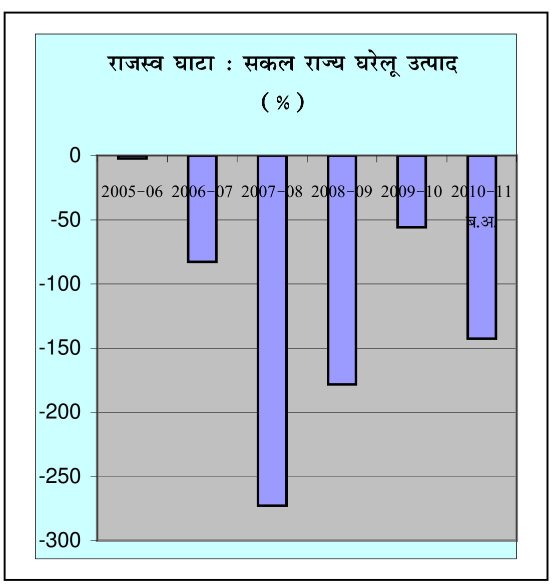

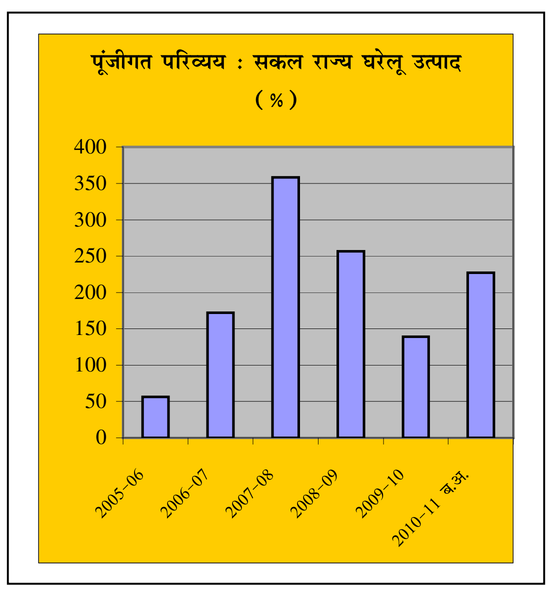

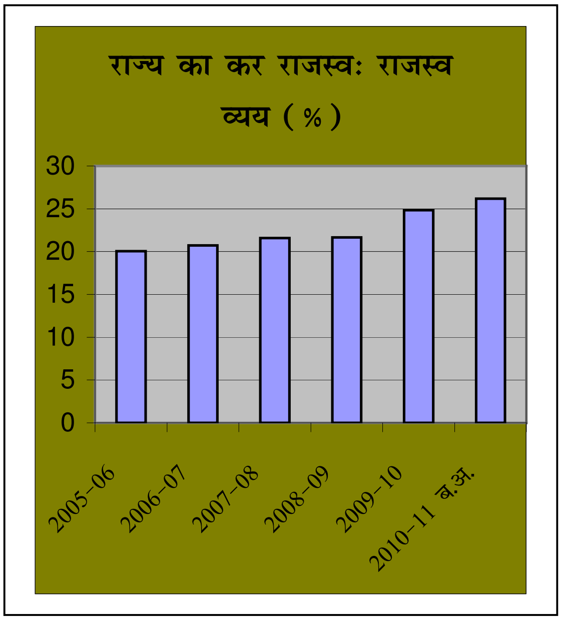
राज्य का कर राजस्वः राजस्व व्यय (%)
30
25
20
15
10
5
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 ब.अ.

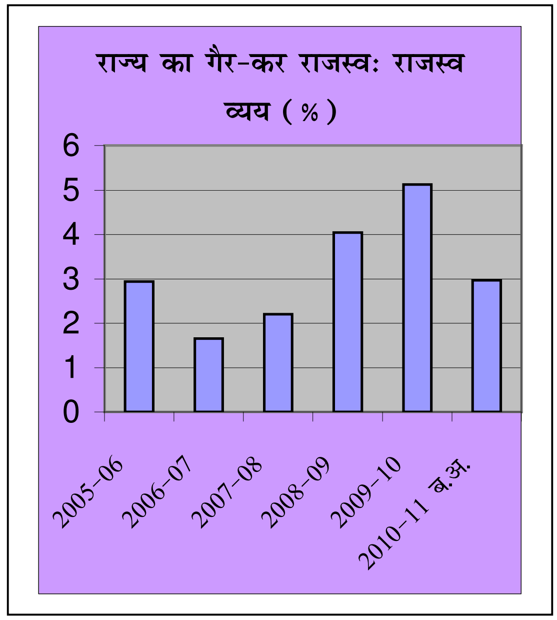
राज्य का गैर-कर राजस्वः राजस्व व्यय (%)
6
5
4
3
2
1
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 ब.अ.

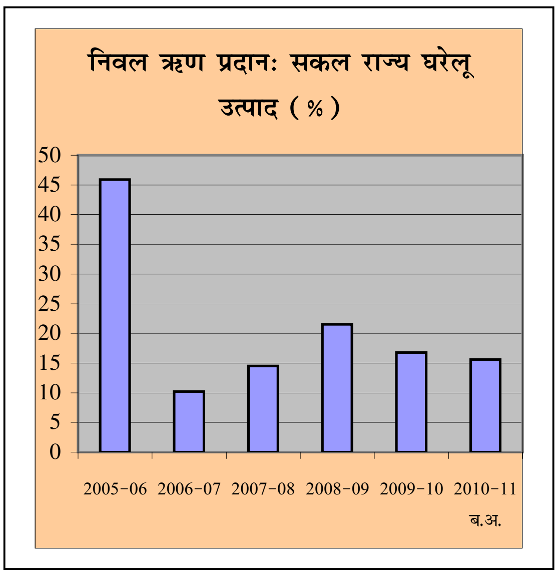
निवल ऋण प्रदानः सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 ब.अ.

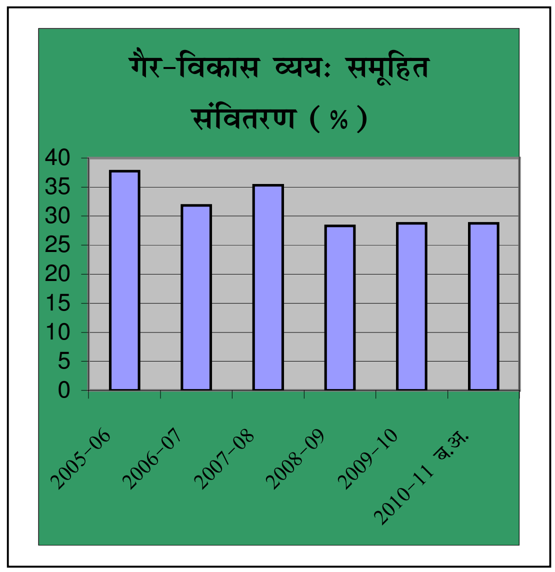
गैर-विकास व्ययः समूहित संवितरण (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 ब.अ.

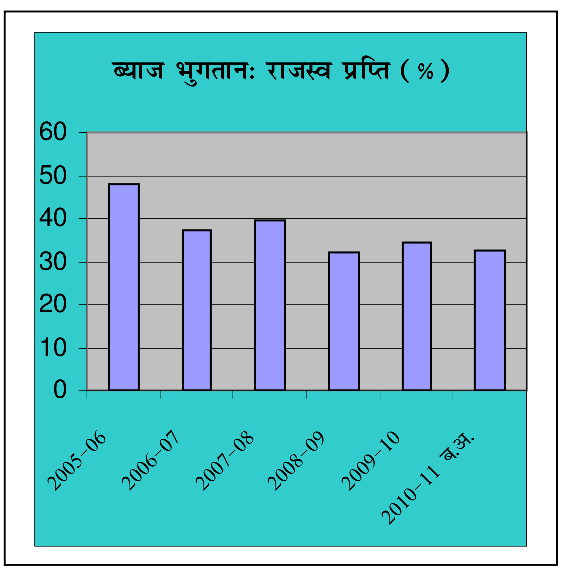
ब्याज भुगतानः राजस्व प्रप्ति (%)
60
50
40
30
20
10
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 ब.अ.

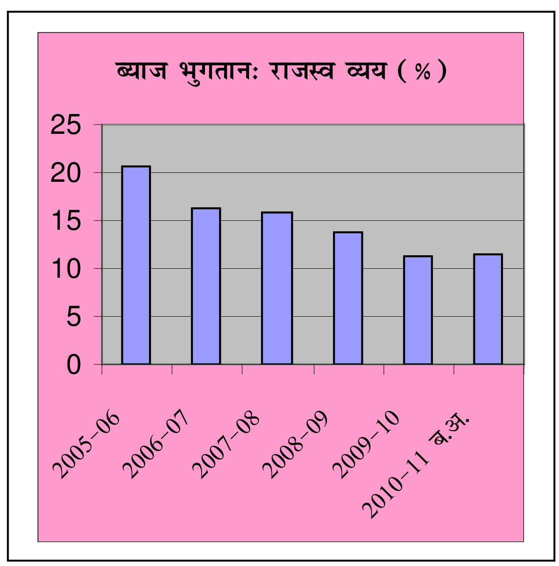
ब्याज भुगतानः राजस्व व्यय (%)
25
20
15
10
5
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 ब.अ.

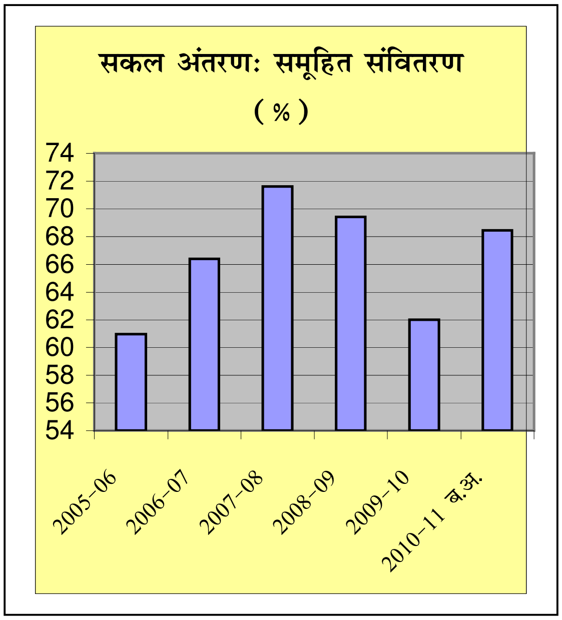

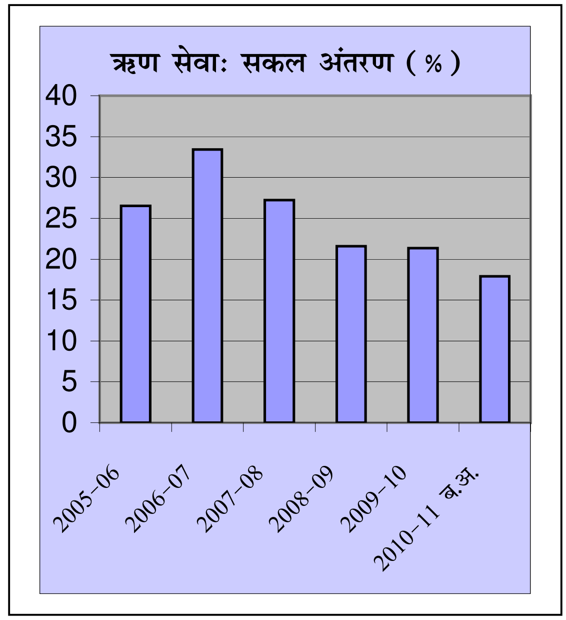

7.4 राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता

पूर्ववर्ती विश्लेषण का विस्तार उन कारकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो राज्य को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाते हैं और उसका सतत विकास सुनिश्चित करते हैं। विकास के लिए आवश्यक है कि सरकार अपनी गतिविधियों का विस्तार करे। तब यह जानना आवश्यक होगा कि उन गतिविधियों के वित्तपोषण के साधन टिकाऊ हैं या नहीं अर्थात वे ऋण भार में प्रचुर वृद्धि किए बिना राज्य सरकार की व्यय संबंधी बढ़ी जरूरतें पूरी करते हैं या नहीं। अगर सरकार अपनी गतिविधियों का स्तर बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए वित्तपोषण के साधनों (राजस्व बढ़ाकर या उधार लेकर) के लचीलापन की जांच करना प्रासंगिक होगा और यह भी कि गतिविधियों का बढ़ा स्तर राज्य के लिए अधिक जोखिम तो नहीं पैदा करता है और उसे वित्तपोषण के स्रोतों के समक्ष असुरक्षित तो नहीं बना देता है। राज्य सरकारें अपनी गतिविधियों का स्तर मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए बढ़ाती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं में बदल जाती हैं और राज्यों के बजट में उनके लिए प्रावधान किए जाते हैं। इस लिहाज से मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि गैर-योजना व्यय गतिविधियों के मौजूदा स्तर के रखरखाव को अभिव्यक्त करता है जबकि योजना व्यय गतिविधियों के स्तर के विस्तार को। राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता को मापने के कुछ कारक तालिका 7.3 में दर्शाए गए हैं और उन पर परवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(1) <u>वर्तमान राजस्व शेष</u> (बीसीआर) : इसकी गणना राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों, केंद्रीय करों में हिस्से तथा गैर-योजना अनुदानों के योगफल में से गैर-योजना राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। वर्तमान राजस्व शेष का सकारात्मक होना दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व में अपने योजना व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष राशि मौजूद है। वर्ष 2009-10 में बिहार के पास 6,368 करोड़ रु. का अच्छा-खासा वर्तमान राजस्व शेष मौजूद था जो 2010-11 में बढ़कर 10,521 करोड़ रु. हो गया है।

(2) <u>ब्याज अनुपात</u> : इसकी गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर में कुल राजस्व और ब्याज प्राप्तियों के अंतर से भाग देकर की जाती है। इसका ऊंचा अनुपात ताजा ऋण सेवा की तथा अपनी राजस्व प्राप्तियों से अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की कमजोर क्षमता को इंगित करता है। बिहार के लिए यह अनुपात 2006-07 में 18 प्रतिशत था जो 2010-11 में काफी गिरकर लगभग 12 प्रतिशत हो गया है।

(3) <u>पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां</u> : यह अनुपात बताता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का पूंजी निर्माण में किस हद तक उपयोग किया जाता है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात दीर्घकालिक रूप में टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि यह बताएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में पहली बार बिहार का अनुपात 220 प्रतिशत के स्वस्थ आंकड़े पर पहुंचा था। इस सकारात्मक रुझान को कायम रखा गया और 2007-08 में यह अनुपात बढ़कर 373 प्रतिशत हो गया जिसके बाद दो वर्षों तक इसमें गिरावट आई। सौभाग्य वश, 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार यह फिर से बढ़ा है। इसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए कि 2005-06 के पूर्व यह 20 प्रतिशत से भी नीचे रहा करता था जिसका मुख्य कारण उच्च ऋण सेवा भुगतान होता था जो अधिकांश पूंजीगत (ऋण) प्राप्तियों को चट कर जाया करता था। वर्तमान वित्त वर्ष में बजटित ऋणग्रहण में यद्यपि लगभग 400 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है लेकिन पूंजीगत परिव्यय में 3,000 करोड़ रु. से भी अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में यह 7,332 करोड़ रु. था जो 2010-11 के बजट अनुमान में बढ़कर 10,433 करोड़ रु. हो गया है।

(4) <u>राज्य की कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद</u> : यह राज्य के कर प्रयासों और उसकी कर क्षमता के बीच अंतराल का एक महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न अनुपात से निम्न कर अनुपालन का भी पता चलता है। फिर राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों के जरिए गणना करके प्राप्त अनुपात से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार केंद्रीय करों में अपने हिस्से पर किस हद तक निर्भर है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ उसकी कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 2004-05 से 2010-11 तक की अवधि में 17 प्रतिशत के आसपास स्थिर बना हुआ है। हालांकि इसका अधिकांश भाग केंद्रीय अंतरणों से आया है इसलिए राज्य के अपने कर प्रयासों का यह सही सूचक नहीं है। सही सूचक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ उसकी अपनी कर प्राप्तियों का अनुपात होगा जो 2006-07 के 3.97 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2010-11 में 5.28 प्रतिशत हो गया है। चूंकि यह अनुपात अभी भी कम है इसलिए कर क्षमता को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

(5) <u>बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद</u> : यह अनुपात सूचित करता है कि राज्य सरकार कहीं ऋण फांस में तो नहीं जकड़ गई है जिससे अपने बूते निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो। उच्च अनुपात से राज्य सरकार के लिए वित्तीय फेरबदल की बहुत कम गुंजाइश बचती है और लचीलापन की कमी व्यक्त होती है। यहां गौर किया जा सकता है कि 2006-07 में कुल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 44 प्रतिशत था जो 2010-11 में घटकर मात्र 29 प्रतिशत रह गया है। इस ऋण भार के सुस्थिर होने के कारण बिहार इस मामले में सुरक्षित स्थिति में है।

(6) पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण : यह अनुपात बताता है कि किस हद तक पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग परिसंपत्ति निर्माण हेतु नहीं किया जा सका। उच्च अनुपात से पता चलता है कि पूंजीगत प्राप्तियों के अधिक हिस्से का उपयोग अतिरिक्त परिसंपत्ति निर्माण की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर पूंजीगत अदायगी के लिए किया गया है। बिहार के लिए यह अनुपात 2006-07 में 57 प्रतिशत था 2010-11 में गिरकर 41 प्रतिशत रह गया। इससे पता चलता है कि लगभग 60 प्रतिशत पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग वास्तव में राज्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु हो रहा है। हालांकि 2007-08 में कुल पूंजीगत अदायगी कुल पूंजीगत ऋणग्रहण से अधिक थी। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य अब बाहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित डीसीआरएफ योजना के तहत ऋण मुक्ति का लाभ ले सकता है। यह लाभ 384 करोड़ रु. था।

(7) प्राथमिक घाटा : इसे सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इससे अतीत की देनदारियों पर विचार किए बिना, जिसके लिए अभी ब्याज भुगतान किया जाना है, राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों के प्रभाव की माप होती है। वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक बिहार में प्राथमिक अधिशेष था। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का प्राथमिक घाटा 2009-10 के 1,587 करोड़ रु. से घटकर 80 करोड़ रु. रह गया है।

(8) राज्य के कर और गैर-कर राजस्वों में उत्फुल्लता : जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता (बायोएंसी) का सवाल है, तो राज्य सरकार ने इस मामले में एक हद तक निरंतरता दर्शाई है लेकिन गैर-कर प्राप्तियों के मामले में कोई निरंतरता नहीं है। वस्तुत: राज्य सरकार के अपने कर राजस्वों की उत्फुल्लता में 2007-08 में हुई अचानक तथा झटकेदार वृद्धि को देखते हुए ज्यादा संभावना इस बात की है कि ऐसा राज्य की आय के स्तर के कारण न होकर अतिरिक्त कर प्रयासों के कारण हुआ है। हालांकि 2008-09 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य सरकार के अपने कर राजस्वों की उत्फुल्लता में गिरावट आई लेकिन अगले दो वर्षों में इसमें वृद्धि का रुझान दिखा है। गत दो वर्षों के दौरान अपने कर राजस्वों की उत्फुल्लता में लगातार वृद्धि इस बात का सूचक है कि राज्य सरकार के अतिरिक्त संसाधन संग्रह के प्रयासों के परिणाम अंतत: मिलने लगे हैं।

सारत:, 2006-07 से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार दिखना शुरू हो गया है जो ऊपर वर्णित पैरामीटरों से प्रतिबिंबित होता है। बाद के वर्षों में भी सुधार जारी रहा और केंद्रीय अनुदानों तथा करों के हिस्से में प्रचुर वृद्धि के साथ-साथ बेहतर संसाधन संग्रहण, व्यय प्रबंधन तथा ऋण प्रबंधन के कारण 2007-08 में राजकोषीय स्थिति पूरी तरह बदल गई। वर्ष 2007-08 के अंत में राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था का धरातल विगत वर्षों की किसी भी अवधि की तुलना में अधिक ठोस था। सारे प्रमुख सूचक गत 5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की ओर संकेत करते हैं। टिकाऊपन के पैरामीटरों में लगातार सुधार हुआ। राज्य के कर राजस्व में उत्फुल्लता की स्थिति थी हालांकि गैर-कर राजस्वों पर राज्य की बढ़ी आय का कोई असर नहीं

दिखा। काफी अच्छे ऋण प्रबंधन के कारण राज्य सरकार ने गत वर्षों के दौरान वर्धित लचीलापन दर्शाया था और वह सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं और भौतिक अधिसंरचना के मानकों में सुधार हेतु अपने संसाधनों को मोड़ पाने के लिहाज से काफी अच्छी स्थिति में थी। हालांकि सुभेद्यता के मामले में देखें, तो अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय राशियों पर अत्यधिक निर्भर है। बहरहाल, समग्र स्थिति अभी भी सकारात्मक है और इसे बाद में भी अच्छा रहना चाहिए क्योंकि राज्य में प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार तथा सक्षम अधिसंरचना के निर्माण की दिशा में काफी निवेश किया गया है। आशा है कि इनके सुस्थापित होते ही आने वाले वर्षों में बिहार समृद्धि और विकास के पथ पर कदम बढ़ाने के कगार पर होगा।

तालिका 7.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक

सूचक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
क. सुस्थिरता					
वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.)	2999	5124	6337	6368	10521
ब्याज अनुपात	18.35	15.92	14.13	12.07	12.19
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां	220	373	108	119	160
राज्य की अपनी कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.97	4.30	4.26	4.70	5.28
राज्य की अपनी कर गैर-प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.50	0.44	0.80	0.97	0.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता	0.55	1.57	0.95	1.66	1.84
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी गैर-कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता	-0.09	0.17	5.30	2.40	-1.62
बकाया देनदारियों में वृद्धि	4.07	0.56	9.87	7.96	9.31
कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि	29.41	22.21	16.91	7.72	32.96
ख. लचीलापन					
ब्याज अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण	57	116	38	47	41
कुल कर प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.07	18.46	16.46	15.27	16.98
सरकारी ऋणग्रहण पर औसत ब्याज दर	7.15	7.15	अनु.	अनु.	7.82
बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	43.57	37.58	33.70	30.65	28.59
ग. सुभेद्यता					
राजस्व घाटा (करोड़ रु.)	-2498	-4647	-4469	-2943	-6557
राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	3021	1703	2507	5273	4593
प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)	-395	-2004	-1246	1587	80
प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा	-13	-118	-51	30	2
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	-83	-273	-178	-56	-143
बकाया राजस्व (करोड़ रु.)	**1477**	**अनु.**	**अनु.**	**अनु.**	**अनु.**
बकाया राजस्व/ कुल कर राजस्व (%)	**32.51**	**अनु.**	**27.59**	**अनु.**	**अनु.**

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार का बजट, बिहार सरकार

7.5 घाटा प्रबंधन

तालिका 7.4 में 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखों और राजस्व एवं पूंजी लेखों की संयुक्त स्थिति दर्शाई गई है। पहले भी गौर किया गया है कि बिहार के राजस्व लेखे में 2004-05 से 2008-09 तक लगातार राजस्व अधिशेष था जिसके बाद आर्थिक मंदी के कारण राजस्व लेखा घाटे

की स्थिति में आ गया। लेकिन राजस्व अधिशेष बढ़ने का रुझान वर्तमान वित्त वर्ष में फिर से कायम हो गया है और बजट अनुमान के अनुसार 2010-11 में राजस्व अधिशेष 6,557 करोड़ रु. होगा जो अब तक की अधधि में सर्वाधिक है। यह रकम सभी प्रमुख राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है।

तालिका 7.4 : राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति

(करोड़ रु.)

राज्य	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)			पारंपरिक घाटा (+)/ अधिशेष (-)		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**-4469**	**-2943**	**-6557**	**-1739**	**1122**	**8**
झारखंड	-338	-2614	-3551	1366	0	0
पश्चिम बंगाल	14709	23054	16819	2422	8784	8857
उड़ीसा	-3420	1564	1206	925	3247	2093
उत्तर प्रदेश	-1862	-1988	-554	10529	8892	9022
मध्य प्रदेश	-4063	-5308	-1581	-134	-252	533
राजस्थान	827	3993	1098	1932	4022	1542
महाराष्ट्र	-5577	12730	7655	-3471	10805	1838
गुजरात	66	4357	4502	5434	4439	5141
पंजाब	3856	4152	4788	2547	448	2306
कर्नाटक	-1151	-538	-500	86	-314	-51
आंध्र प्रदेश	-1004	-2942	-3548	-8166	-8124	-12238
केरल	3712	4082	3630	1084	742	829
तमिलनाडु	-1452	5020	3396	-1078	-72	6016
हिमाचल प्रदेश	129	-704	-1130	914	279	-444
छत्तीसगढ़	-1869	-179	-46	1131	271	1818

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

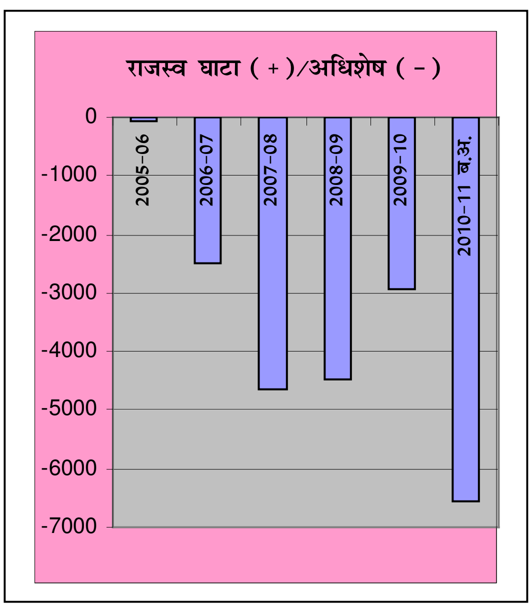

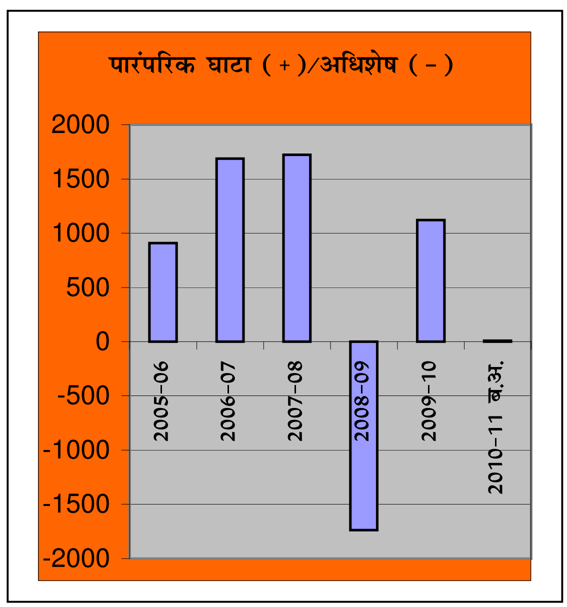

पहले भी देखा गया है कि किसी राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का एक संवेदनशील सूचक है क्योंकि यह उसके कुल संसाधन अंतराल को अभिव्यक्त करता है। तालिका 7.5 में देश के अधिकांश प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा प्रदर्शित है। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2008-09 में 2,507 करोड़ रु. के आसपास था जो तेजी से बढ़कर अगले वर्ष 5,273 करोड़ रु. हो गया था। लेकिन 2010-11 के बजट अनुमान में थोड़ा घटकर यह 4,594 करोड़ रु. रह गया। सकल राज्य घरेलू उत्पद के प्रतिशत के बतौर यह 2007-08 के 1.06 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 1.73 प्रतिशत हो गया जिसके बाद अगले वर्ष तेजी से बढ़कर 3.06 प्रतिशत तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद वह पुनः 2.28 प्रतिशत पर आ गया। अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का राजकोषीय घाटा काफी अधिक - 20,000 करोड़ रु. से भी अधिक है जिनके ठीक पीछे गुजरात और तमिलनाडु हैं। झारखंड और हिमाचल प्रदेश अपने राजकोषीय घाटों को 1,000 करोड़ रु. से भी कम भी अति निम्न सीमा तक रोक पाने में सक्षम रहे हैं।

तालिका 7.5 : सकल राजकोषीय घाटा

(करोड़ रु.)

राज्य	सकल राजकोषीय घाटा		
	2008-09 (वास्तविक)	2009-10 (पु.अ.)	2010-11 (ब.अ.)
बिहार	**2507**	**5273**	**4594**
झारखंड	2939	1783	674
पश्चिम बंगाल	13558	27466	22701
उड़ीसा	334	5579	5282
उत्तर प्रदेश	20513	23870	22742
मध्य प्रदेश	4458	6593	8003
राजस्थान	6978	9900	8461
महाराष्ट्र	14017	30904	24294
गुजरात	13135	15955	19077
पंजाब	6691	6554	7706
कर्नाटक	8493	11266	9708
आंध्र प्रदेश	3846	3629	6135
केरल	6355	6703	8553
तमिलनाडु	8548	12860	16222
हिमाचल प्रदेश	2277	1627	803
छत्तीसगढ़	1028	2771	3993

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 7.6 में बिहार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है जिसमें दिखता है कि 2005-06 से 2010-11 तक सकल राजकोषीय घाटे में अधिकांश योगदान पूंजीगत परिव्यय का था, खास कर बाद के वर्षों में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2005-06 में 4.5 प्रतिशत था जो 2010-11

में घटकर 2.28 प्रतिशत रह गया। इस परिदृश्य के लिए वैश्विक वित्तीय उथलपुथल के प्रभावों से रक्षा हेतु राज्य सरकारों द्वारा पेश वित्तीय प्रोत्साहन जवाबदेह है। बिहार में 2009–10 में बढ़ा घाटा अतिवांछित पूंजीगत निवेश और प्रशासन तंत्र की कार्य क्षमता में, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हेतु आवश्यक व्ययों का परिणाम था। लेकिन 2010–11 में स्थिति में काफी सुधार हुआ है, यहां तक कि 3,102 करोड़ रु. के अतिरिक्त पूंजीगत परिव्यय के बावजूद 6,557 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष है।

तालिका 7.6 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
राजस्व घाटा	-82	-2498	-4647	-4469	-2943	-6557
पूंजीगत परिव्यय	2084	5211	6104	6436	7332	10434
निवल ऋण–प्रदान	1697	308	247	540	884	716
सकल राजकोषीय घाटा	**3699**	**3021**	**1703**	**2507**	**5273**	**4594**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	81682	101500	118357	145019	172138	201677
सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	**4.53**	**2.98**	**1.44**	**1.73**	**3.06**	**2.28**

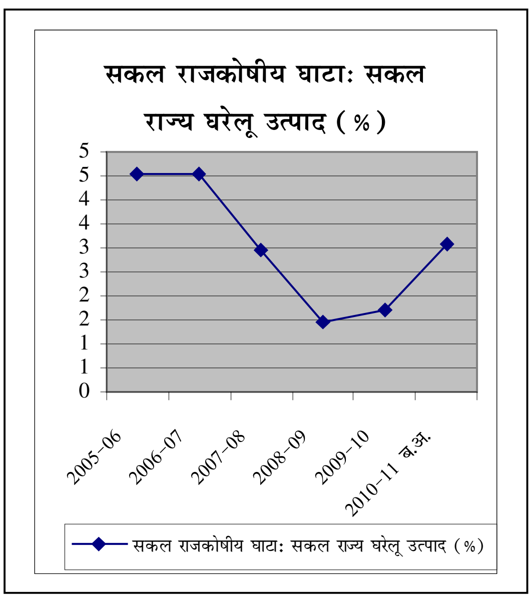

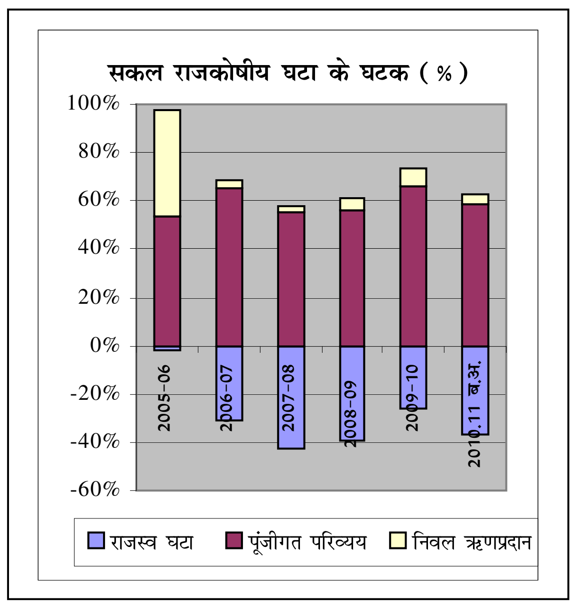

तालिका 7.7 में दर्शाया गया है कि इन सभी वर्षों के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण किस तरह किया गया था। निवल उधारियों में मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक बाजार के ऋण और केंद्रीय ऋण शामिल थे। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की लोक लेखा प्राप्तियों के अलावा मुख्यत: आंतरिक बाजार से ऋण लेने के जरिए हुआ। वर्ष 2005–06 से सकल राजकोषीय

घाटे के वित्तपोषण में केंद्र सरकार के ऋणों की व्यवहारतः कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली हमेशा नगण्य रही है। वर्ष 2007-08 और 2009-10 में वित्तपोषण कोषागार विपत्रों के विरुद्ध ऋणग्रहण के जरिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य के नगद शेष से आहरण करके करना पड़ा।

तालिका 7.7 : बिहार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
निवल लोक लेखा	1209	1785	352	-78	-675	353
निवल ऋणग्रहण	2790	1333	-20	4246	4151	4585
नगद शेष में निवल गिरावट (आरंभिक शेष - अंतिम शेष)	-299	-97	1372	-1660	1796	-345
सकल राजकोषीय घाटा	**3700**	**3021**	**1703**	**2507**	**5273**	**4594**

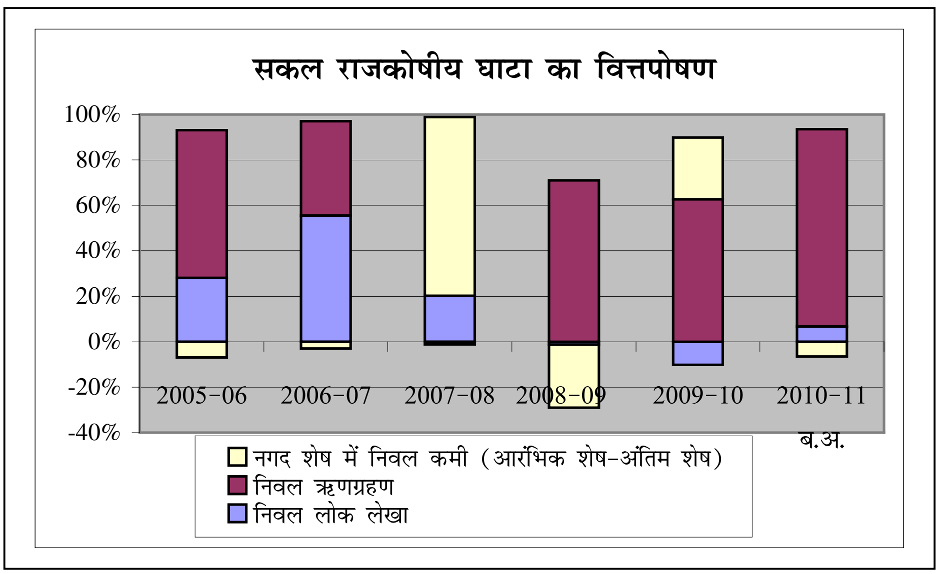

7.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति तथा व्यय

बिहार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का सारांश तालिका 7.8 में दर्शाया गया है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय के मुकाबले अधिक तेज वृद्धि हुई जिस कारण इन तमाम वर्षों में राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही। कर और गैर-कर, दोनों मिलाकर राज्य सरकार का अपना राजस्व 2005-06 तक इसके राजस्व व्यय का मुश्किल से चौथाई भाग ही जुटा पाता था जो अब इसके 29 प्रतिशत भाग को पूरा करता है। राज्य का कुल राजस्व 2006-2011 की अवधि में दूने से भी अधिक हो गया है - 23,083 करोड़ रु. से 47,235 करोड़ रु.। इस अवधि में राज्य का अपना राजस्व भी, जिसमें कर और गैर-कर, दोनों प्रकार के राजस्व शामिल हैं, और भी तेज दर से बढ़ा है - 4,544 करोड़ रु. से बढ़कर 11,851 करोड़ रु.।

तालिका 7.8 में राज्य सरकार के कुल कर एवं गैर-कर राजस्वों की इसके अपने कर एवं गैर-कर राजस्वों के साथ तुलना करते हुए राज्य की वित्तव्यवस्था के कुछ और पैरामीटरों पर विचार किया गया है। राज्य के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में उसका हिस्सा शामिल होता है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसके अपने कर राजस्व का हिस्सा 2005-06 के 23 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2010-11 में 25 प्रतिशत हो गया और पूरी विवेचित अवधि में यह इसके कुल राजस्व व्यय के समान हिस्से का ही वित्तपोषण कर सका। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर बनी हुई है और उसकी नीतियों तथा मानसिकता में परिवर्तनों के लिहाज से असुरक्षित स्थिति में है।

तालिका 7.8 : बिहार का राजस्व लेखा

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
राजस्व प्राप्तियां	17838	23083	28210	32981	35527	47235
राजस्व व्यय	17756	20585	23563	28512	32584	40678
राजस्व घाटा	-82	-2498	-4647	-4469	-2943	-6557
राज्य का अपना कर + गैर-कर राजस्व	4083	4543	5611	7326	9760	11851
राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के % के बतौर	**23**	**20**	**20**	**22**	**27**	**25**
राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के % के बतौर	**23**	**22**	**24**	**26**	**30**	**29**

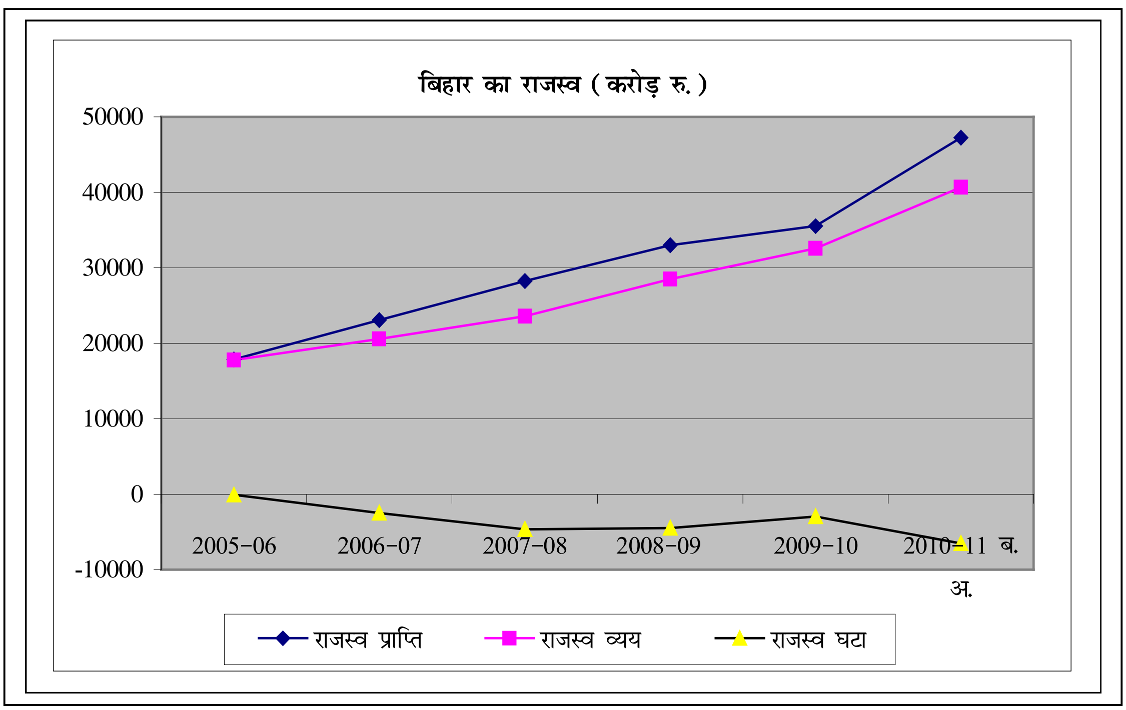

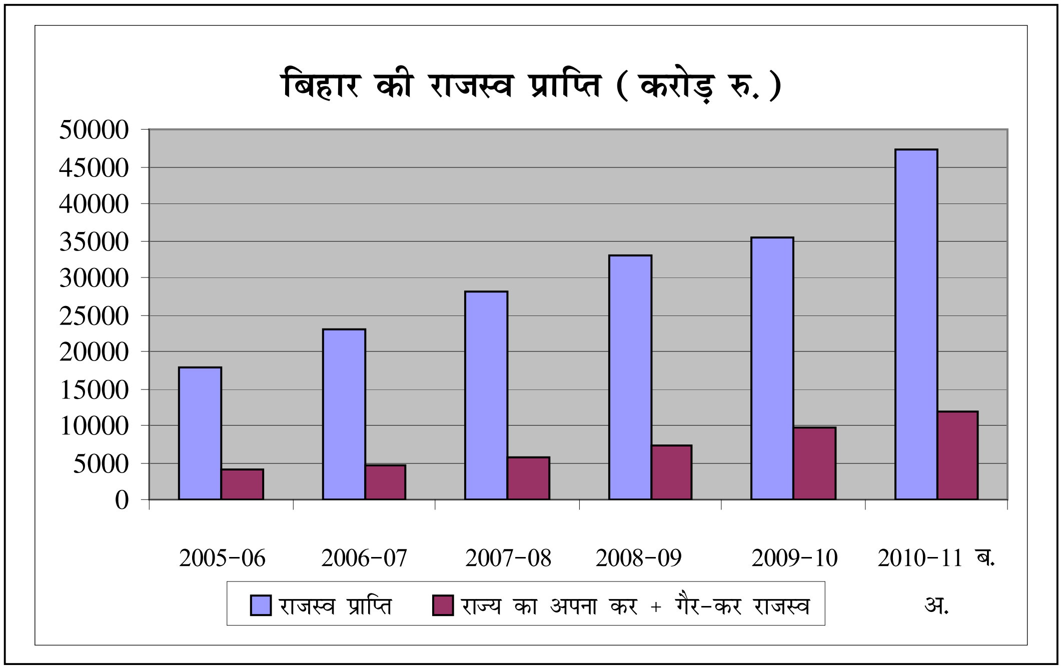

तालिका 7.9 में राज्य सरकार के कुल व्यय को दर्शाया गया है जिसमें इसके विकास और गैर-विकास व्ययों के साथ-साथ योजना और गैर-योजना व्ययों को भी दर्शाया गया है। योजना व्यय अधिकांशत: विकासमूलक होता है जबकि गैर-योजना व्यय अधिकांशत: गैर-विकासमूलक। तार्किक आधार पर व्ययों के योजना और गैर-योजना व्ययों में वर्गीकरण के किसी स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में दोनों में अंतर संदिग्ध बना रहता है। गैर-विकास शीर्ष के तहत सारे व्यय गैर-योजना व्यय होते हैं लेकिन गैर-योजना व्यय में विकासमूलक घटक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि व्यय के इस विश्लेषण को शब्दों की पारंपरिक परिभाषा तक ही सीमित रखा गया है और इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि गैर-योजना व्यय हमेशा अनुत्पादक होते हैं।

तालिका 7.9 को देखने पर यह गौर किया जा सकता है कि बिहार का विकास व्यय काफी बढ़ा है और 2005-06 से 2010-11 के बीच कुल व्यय के 50 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया है। रकम के रूप में देखें तो विकास व्यय तीनगुना से भी अधिक बढ़ा है जो तेज वृद्धि को इंगित करता है। पहले भी गौर किया गया है कि योजना व्यय नई विकास परियोजनाएं आरंभ करने हेतु किया जाता है। बिहार में 2005-06 तक राज्य सरकार के कुल व्यय में गैर-योजना व्यय का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद योजना व्यय का हिस्सा लगातार बढ़ता गया और अब 2010-11 में 45 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है। लगभग 60 प्रतिशत गैर-योजना व्यय गैर-विकासमूलक प्रवृत्ति का है। वर्ष 2005-06 में गैर-योजना व्यय का 21 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान के लिए था जो अब मात्र 15 प्रतिशत है। वर्ष 2005-06 से 2010-11 के बीच कुल योजना व्यय 19.0 हजार करोड़ रु. बढ़ा और कुल गैर-योजना व्यय 12.0 हजार करोड़ रु.। यह भी इंगित करता है कि राज्य सरकार के व्यय में अतीत में रहने वाला असंतुलन काफी हद तक दूर कर दिया गया है।

तालिका 7.9 : बिहार सरकार का व्यय

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
विकास व्यय	11251	17149	20410	24414	27606	35665
गैर-विकास व्यय	11323	9984	11157	12763	15081	18094
कुल व्यय	22564	27133	31566	37177	42687	53759
विकास व्यय कुल व्यय के % के बतौर	**49**	**63**	**65**	**66**	**65**	**66**
योजना व्यय	4899	9397	10946	13815	16194	24076
गैर-योजना व्यय	17670	17740	20625	23367	26601	29683
ब्याज भुगतान	3649	3416	3707	3753	3685	4513

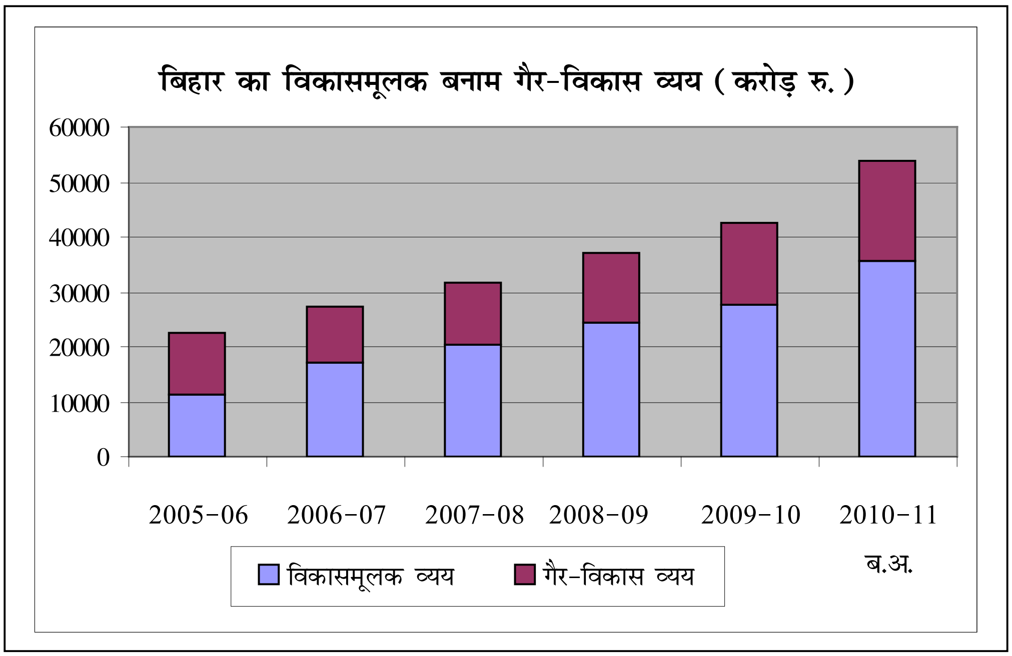

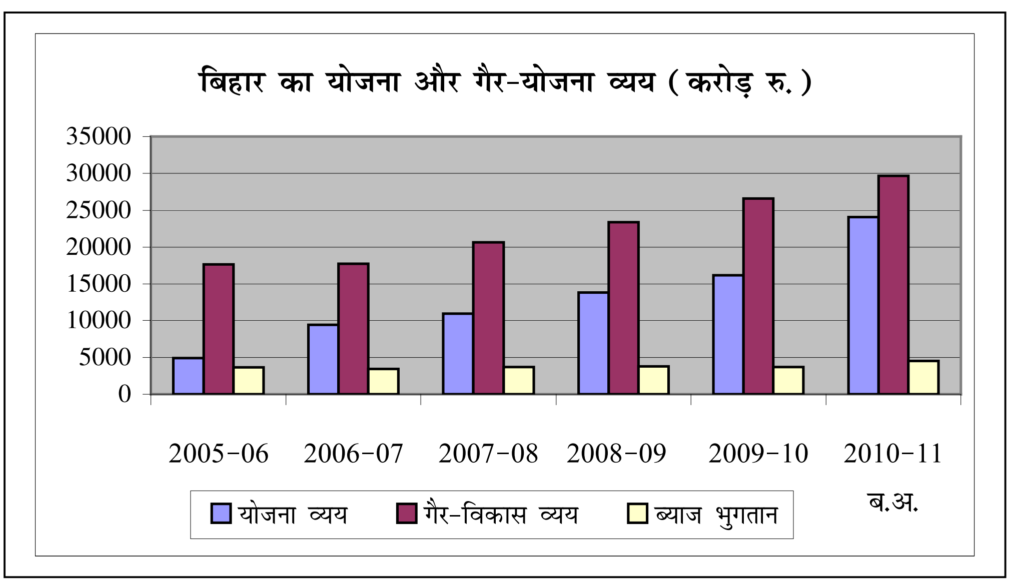

अगर ब्याज भुगतान के महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, तो तालिका 7.10 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांशत: घाटे में चलने वाले अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज बहुत कम वसूल होने के कारण सकल और निवल ब्याज भुगतानों के बीच बहुत मामूली अंतर है। इनमें से अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की संचित हानियां उनके इक्विटी आधार और संचित कोष (रिजर्व) से कई गुना बढ़ गई हैं। पहले भी जोर देकर कहा गया है, जिसे तालिका 7.11 में हम देख सकते हैं कि पूंजीगत परिव्यय काफी बढ़ा है। राजस्व लेखे से प्रचुर अधिशेष पाकर और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रबलित करते हुए यह 2005-06 के मामूली 9 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में कुल व्यय के 19 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

तालिका 7.10 : ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
सकल ब्याज भुगतान	3649	3416	3707	3753	3685	4513
निवल ब्याज भुगतान	3433	3240	3536	3448	3332	4297

तालिका 7.11 : व्यय के अन्य पैरामीटर

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
कुल कर राजस्व	13983	17325	21852	23865	26292	34244
अपना कर राजस्व	3561	4033	5086	6173	8090	10644
कुल गैर-कर राजस्व	522	511	526	1153	1670	1207
अपना कर + गैर-कर राजस्व	4083	4544	5612	7326	9760	11851
अपना गैर-कर राजस्व	522	511	526	1153	1670	1207
वास्तविक पूंजीगत परिव्यय	2084	5211	6104	6436	7332	10434
पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % के बतौर	9	19	19	17	17	19

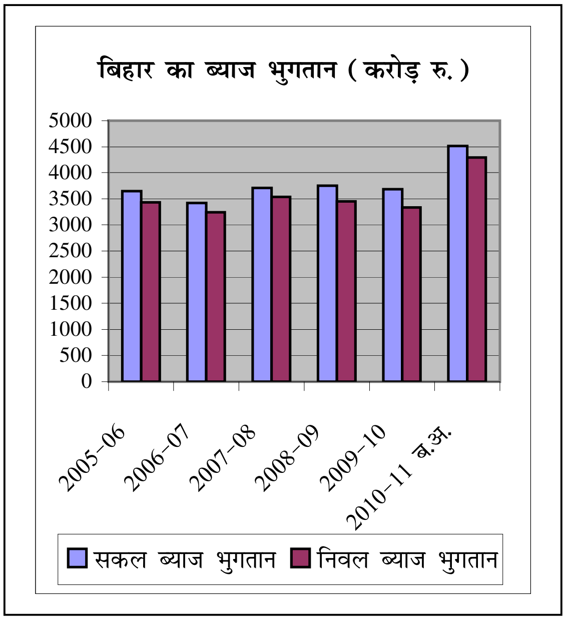

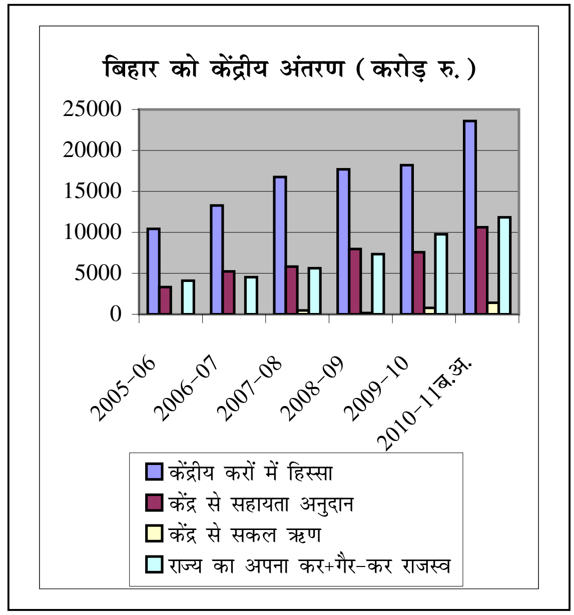

केंद्रीय संसाधनों पर राज्य सरकार की निर्भरता को तालिका 7.12 में देखा जा सकता है जिसमें 2005-06 से 2010-11 के बीच बिहार को हुआ संसाधनों का सकल अंतरण प्रस्तुत किया गया है। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान तथा केंद्रीय ऋण शामिल होते हैं। बिहार को संसाधनों का सकल अंतरण इस पूरी अवधि में इसके कुल व्यय के दो-तिहाई के आसपास रहा है। इस अवधि में राज्य सरकार के संवितरणों में इसके अपने संसाधनों का योगदान 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार के कुल संवितरण में इसकी पूंजीगत प्राप्तियों (आंतरिक ऋण तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा था। शेष लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा या तो लोक लेखा से उधार लिया गया था या नगद शेष से निकाला गया था। राज्य सरकार को हुए सकल अंतरणों में लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा संबंधित वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत केंद्रीय करों में इसके हिस्से का था और शेष केंद्रीय अनुदानों तथा ऋणों का।

तालिका 7.12 : केंद्र से बिहार को होने वाला संसाधनों का अंतरण

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
समस्त संवितरण	22568	27136	31571	37181	42796	53759
केंद्रीय करों में हिस्सा	10421	13292	16766	17693	18203	23600
केंद्र से सहायता अनुदान	3333	5247	5832	7962	7564	11784
केंद्र से सकल ऋण	2	3	468	150	764	1405
संसाधनों का सकल अंतरण	13756	18542	23066	25804	26531	36789
केंद्र से निवल ऋण	-486	-314	40	-279	-49	893
संसाधनों का निवल अंतरण	13268	18225	22638	25376	25717	36277
अपना कर + गैर-कर राजस्व	4083	4544	5612	7326	9760	11851

7.7 ऋण प्रबंधन

तालिका 7.13 में राज्य सरकार की बकाया ऋण देनदारियों को दर्शाया गया है (प्रतिभूतियों को छोड़कर)। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया ऋणों का प्रतिशत लगातार घटा है और 2005-06 के 52 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 29 प्रतिशत रह गया है।

तालिका 7.13 : बकाया देनदारियां

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
आंतरिक ऋण	25182	26829	26769	31293	35494	39187
केंद्रीय ऋण	8551	8237	8277	7998	7948	8841
कुल लोक ऋण	33733	35066	35046	39291	43442	48028
लोक लेखा	8766	9161	9429	9573	9311	9637
योग	42499	44227	44475	48864	52753	57664
बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	52	44	38	34	31	29

तालिका 7.13 में देखा जा सकता है कि 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 57,664 करोड़ रु. पहुंच गई हैं। यह आंकड़ा 2005-06 से लगभग 6.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते विगत ऋणग्रहण का संचित प्रभाव है। तालिका 7.13 यह भी दर्शाती है कि इस बकाया ऋण में लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का है और लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से 2010-11 में मिले ऋणों का। वर्ष 2005-06 में कुल बकाया देनदारियों में केंद्र सरकार के बकाया ऋणों का हिस्सा 20 प्रतिशत था।

तालिका 7.14 : अदायगी संबंधी देनदारियां[5]

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
आंतरिक ऋण की अदायगी	493	708	1203	1254	1169	1403
केंद्रीय ऋणों की अदायगी	488	317	429	429	814	512
अन्य देनदारियों की अदायगी	723	617	817	1009	970	1094
कुल अदायगी	1703	1642	2449	2692	2953	3009
कुल ब्याज भुगतान	3649	3416	3707	3753	3685	4513
कुल ऋण सेवा बोझ	5352	5058	6156	6445	6639	7522

[5] इसमें बिहार सरकार के लोक लेखा के तहत लघु बचत और भविष्य निधि की प्राप्ति और भुगतान शामिल हैं।

तालिका 7.14 में राज्य सरकार की बकाया ऋण की अदायगी संबंधी दायित्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली मूलधन की कुल अदायगी 3,009 करोड़ रु. है, वहीं ब्याज भुगतान 4,513 करोड़ रु. के उच्च स्तर पर था। अतीत के भारी ऋणग्रहण के कारण विगत पांच वर्षों में ब्याज के बोझ में लभगग 900 करोड़ रु. वृद्धि हुई है। ऋण सेवा का कुल बोझ 2005-06 में 5,352 करोड़ रु. था जो 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2010-11 में 7,522 करोड़ रु. हो गया है।

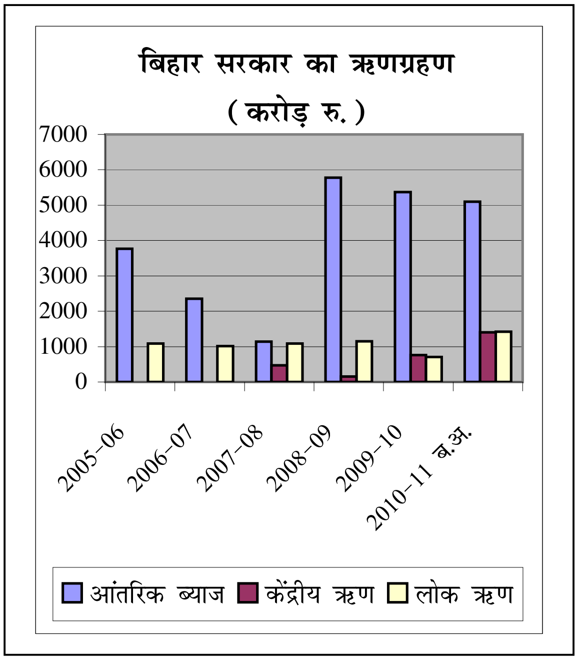

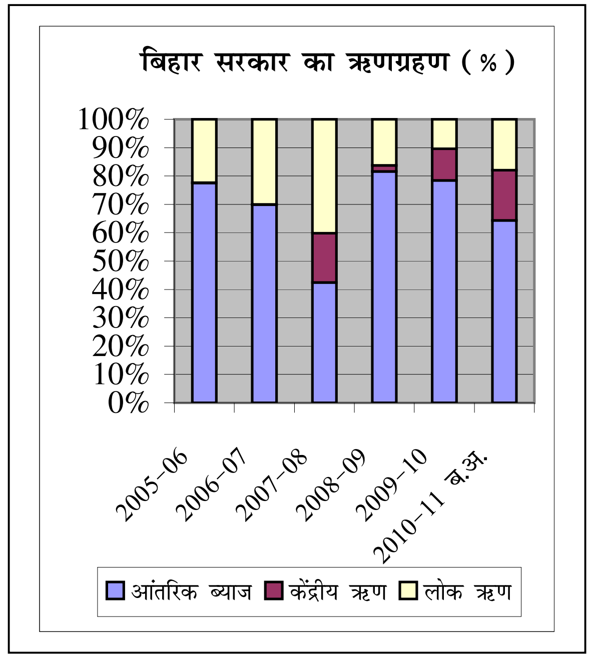

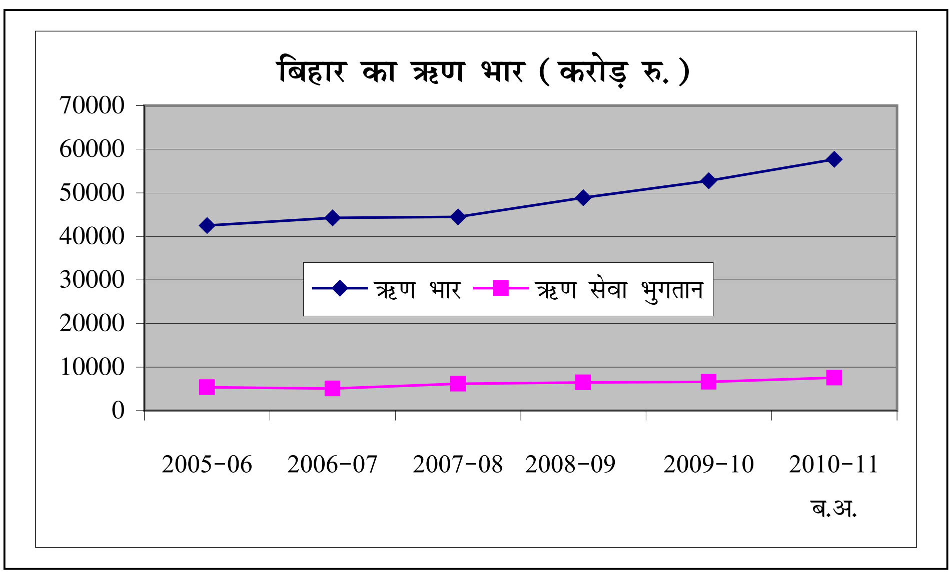

अगर लोक ऋण का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया जाय, तो यह आर्थिक विकास का एक उपयोगी जरिया है। तालिका 7.15 (क) में देखा जा सकता है कि 2007-08 तक राज्य सरकार द्वारा ऋण संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं किया जा सका जब उनका उपयोग विद्यमान ऋण दायित्वों की अदायगी के लिए किया गया था। राज्य के खजाने से इस लेखे में निवल उद्भवन (ऍक्रूअल) वस्तुत: नकारात्मक रहा था। इस

परिदृश्य में अब सुधार हो चुका है। उदाहरणस्वरूप 2010–11 में ली गई उधार की कुल 7,921 करोड़ रु. राशि में से 3,009 करोड़ रु. का उपयोग महज विद्यमान ऋण का मूलधन चुकाने के लिए और 4,513 करोड़ रु. का ब्याज भुगतान के लिए किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि में से उत्पादक उपयोग हेतु एक छोटा हिस्सा ही बचा। अगर इसके द्वारा विभिन्न उपक्रमों को दिए गए ऋणों की वसूली और ब्याज प्राप्तियों की छोटी राशि को भी ध्यान में रखें, तो राज्य के खजाने में 629 करोड़ रु. आए जो राज्य के कुल ऋणग्रहण – 7,921 करोड़ रु. का लगभग 8 प्रतिशत ही है। वर्ष 2008–09 में में यह 13 प्रतिशत था। हालांकि समग्र परिस्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद के बिना इस परिस्थिति में और सुधार करना बहुत कठिन होगा। अपने ऋण बोझ में कमी के लिहाज से राज्य सरकार की तेरहवें वित्त आयोग पर काफी आशा भरी नजर है। ऋण में अदला–बदली के बारहवें वित्त आयोग के सूत्र से सभी राज्य सरकारों को अपना ऋण बोझ हल्का करने में सचमुच मदद मिली। तेरहवें वित्त आयोग ने भी राज्यों सरकारों को ऋण बोझ में कमी लाने की कुछ विधियां सुझाई हैं जिन्हें काफी आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। इसी अध्याय में उन पर बाद में चर्चा की जाएगी।

तालिका 7.15 (क) : प्राप्त निवल ऋण

(करोड़ रु.)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण	2	3	468	150	764	1405
प्राप्त आंतरिक ऋण	3769	2355	1144	5778	5370	5096
भविष्य निधि की लघु बचतें	1088	1012	1084	1153	707	1420
प्राप्त कुल ऋण	**4858**	**3370**	**2696**	**7081**	**6841**	**7921**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	51	7	26	11	13	14
ब्याज भुगतान	3649	3416	3707	3753	3685	4513
प्राप्त ब्याज	216	176	171	305	353	216
चुकाया गया ऋण	1703	1642	2449	2692	2953	3009
प्राप्त निवल ऋण	**-227**	**-1505**	**-3263**	**952**	**568**	**629**
प्राप्त निवल ऋण कुल ऋणग्रहण के प्रतिशत के बतौर	**-5**	**-45**	**-121**	**13**	**8**	**8**

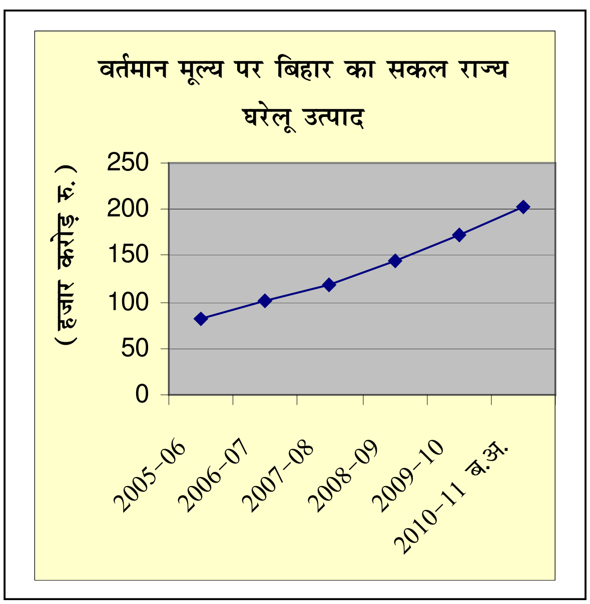

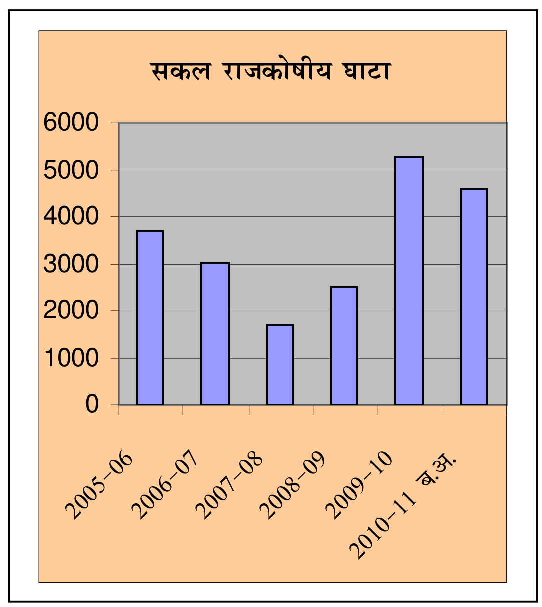

तालिका 7.15 (ख) में 2009–10 के लिए विभिन्न राज्यों के कर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपातों की तुलना दर्शाई गई है। वर्ष 2008–09 तक बिहार के अपने कर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात सभी राज्यों के बीच सबसे कम था। अब बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल ने ले लिया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अपने करों का सकल राज्य घरेलू उत्पादों के साथ अनुपात सर्वाधिक है – 10 प्रतिशत है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व के अनुपात के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपरी पायदान पर है जिसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने राजस्व का अनुपात मात्र 5 प्रतिशत है जो इंगित करता है कि कर संग्रहण में सुधार की काफी गुंजाइश है। इससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व के अनुपात में भी सुधार होगा जो अभी मात्र 21 प्रतिशत है।

तालिका 7.15 (ख) : राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कर का अनुपात (2009–10)

राज्य	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर (करोड़ रु.)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्ति	राज्य का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल राजस्व : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
बिहार	**35527**	**8090**	**172138**	**23**	**5**	**21**
झारखंड	19841	5561	83798	28	7	24
पश्चिम बंगाल	36904	14419	352967	39	4	10
उड़ीसा	27678	8920	150946	32	6	18
उत्तर प्रदेश	98124	35255	437451	36	8	22
मध्य प्रदेश	43284	17442	166151	40	10	26
राजस्थान	37207	16663	219769	45	8	17
महाराष्ट्र	88498	55711	740931	63	8	12
गुजरात	43449	26353	403178	61	7	11
पंजाब	25452	13857	192364	54	7	13
कर्नाटक	46406	29339	304813	63	10	15
आंध्र प्रदेश	78406	40664	406641	52	10	19
केरल	26526	17403	213268	66	8	12
तमिलनाडु	54290	35396	378076	65	9	14
हिमाचल प्रदेश	11395	3463	41003	30	8	28
छत्तीसगढ़	18913	7029	107848	37	7	18

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

7.8 संसाधन संग्रहण

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर–कर राजस्व, दोनों स्रोतों का योगदान रहता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल में उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, गैर–कर राजस्व में राज्य सरकार के अपने गैर–कर राजस्व के

साथ-साथ योजना और गैर-योजना प्रयोजन के केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है :

(1) आयजनित कर जिसमें कृषि आय कर और वाणिज्य कर शामिल हैं;
(2) संपत्ति तथा पूंजीगत अंतरणों पर कर जिसमें भूमि राजस्व, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा शहरी अचल संपदा कर शामिल होते हैं; और
(3) वस्तु एवं सेवा कर जो निस्संदेह राज्य सरकार के अपने कर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर, लेनदेन कर (टर्नओवर टैक्स), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, माल एवं यात्री कर, विद्युत शुल्क, मनोरंजन कर जैसे विविध कर शामिल होते हैं।

केंद्रीय करों में हिस्से में मुख्यत: आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपत्ति कर शामिल हैं जिनका संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पांच साल पर गठित होने वाले वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है।

राज्य सरकार के अपने गैर-कर राजस्व को भी विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अर्ध-व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों, उनसे प्राप्त लाभांशों एवं मुनाफों, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-कर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाल के वर्षों में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को मिली ऋण राहत भी गैर-कर प्राप्ति के तहत शामिल है और यह इसके गैर-कर राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है।

केंद्र सरकार से योजना और गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए अनुदान प्राप्त होता है। योजनागत अनुदानों में राज्य की अपनी योजनागत योजनाओं के लिए, केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग-अलग अनुदान होते हैं। गैर-योजना अनुदानों में वैधानिक अनुदान के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाजन्य अनुदान और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य अनुदान शामिल होते हैं।

तालिका 7.16 में 2005-06 से 2010-11 तक राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का तकरीबन तीन-चौथाई भाग सहायता अनुदानों तथा करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से के जरिए केंद्र सरकार से आया। राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2005-06 के 3,561 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 10,644 करोड़ रु. हो गया है और इसी अवधि में गैर-कर राजस्व 522 करोड़ रु. से बढ़कर 1,207 करोड़ रु.। गैर-कर राजस्व 2008-09 और 2009-10 में असामान्य ढंग से बढ़ा। यह बढ़त 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप दोनों वर्षों में मिली 385

करोड़ रु. और 770 करोड़ रु. की ऋण राहत के कारण थी।[6] वर्ष 2008-09 में मिली 385 करोड़ रु. की राहत वस्तुतः 2005-06 के लिए मिली थी और 2009-10 में मिली 770 करोड़ रु. की राहत संयुक्त रूप से 2006-07 तथा 2007-08 के लिए। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में 385 करोड़ रु. की इस राशि को 2008-09 के इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों और करों में राज्य का हिस्सा समेत राज्य सरकार का कुल राजस्व 21.5 प्रतिशत की प्रभावी विकास दर से 2005-06 के 17,838 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 47,235 करोड़ रु. हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी राजस्व प्राप्ति इस अवधि में 23. 7 प्रतिशत की दर से बढ़ी। 2005-11 की अवधि में केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा 17.8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा जबकि केंद्रीय अनुदान 28.7 प्रतिशत की दर से बढ़े।

तालिका 7.16 : राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
I. राज्य का अपना राजस्व	4083	4544	5612	7326	9760	11851
क) कर राजस्व	3561	4033	5086	6173	8090	10644
ख) गैर-कर राजस्व	522	511	526	1153	1670	1207
II. केंद्र से प्राप्तियां	13754	18539	22598	25655	25767	35384
क) विभाज्य करों का हिस्सा	10421	13292	16766	17693	18203	23600
ख) सहायता अनुदान	3333	5247	5832	7962	7564	11784
III. कुल राजस्व प्राप्तियां	17838	23083	28210	32981	35527	47235
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	23	20	20	22	27	25

[6] बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्यों के लिए राजस्व घाटा में कमी लाने के साथ जुड़ी ऋण माफी योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत 31.3.04 तक दिए गए केंद्रीय ऋणों पर 2005-06 से 2009-10 तक की जाने वाली अदायगी को माफी के योग्य समझा गया था बशर्ते कि राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम लागू किया हो। अदायगी की माफी की मात्रा को आयोग की कार्यावधि (2005-06 से 2010-11) में हर साल राजस्व घाटा में कमी की जाने वाली राशि के साथ जोड़ दिया गया था और पूर्वशर्त यह थी कि राजस्व घाटा में की जाने वाली कमी दी जाने वाली अनुशंसित ब्याज राहत योग्य संचयी कमी से संचयी रूप से अधिक हो। साथ ही, राज्य का राजकोषीय घाटा 2004-05 के स्तर से भी कम होना चाहिए। राजस्व घाटा को वस्तुतः शून्य तक भी ले लाया जाता, तो भी इस पूरी अवधि में पूरी अदायगी माफ की जानी थी। एफआरबीएम अधिनियम लागू करने और पूरी अवधि में राजस्व अधिशेष कायम रखने के कारण बिहार केंद्रीय ऋणों पर ब्याज समेत 385 करोड़ रु. की अदायगी वाली देनदारी की पूरी राशि की माफी का पात्र था। यह माफी लेखाशीर्ष 0075-800-0001, विविध सामान्य सेवाएं - अन्य प्राप्तियां के तहत मिली।

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर, व्यापार कर, राज्य उत्पाद कर, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक इन करों से प्राप्तियों का विवरण तालिका 7.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.17 : विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	1734	2081	2535	3016	3839	5628
माल एवं यात्री कर	613	783	938	1279	1613	1624
राज्य उत्पाद कर	319	382	525	679	1082	1400
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	505	455	654	716	998	1215
वाहन कर	302	181	273	298	345	550
भूमि राजस्व	55	75	82	102	124	112
विद्युत कर एवं शुल्क	18	63	64	68	67	90
अन्य वस्तु एवं सेवा कर	15	13	15	14	22	25
कृषि आय कर	0	0	0	0	0	0
योग	3561	4033	5086	6173	8090	10644

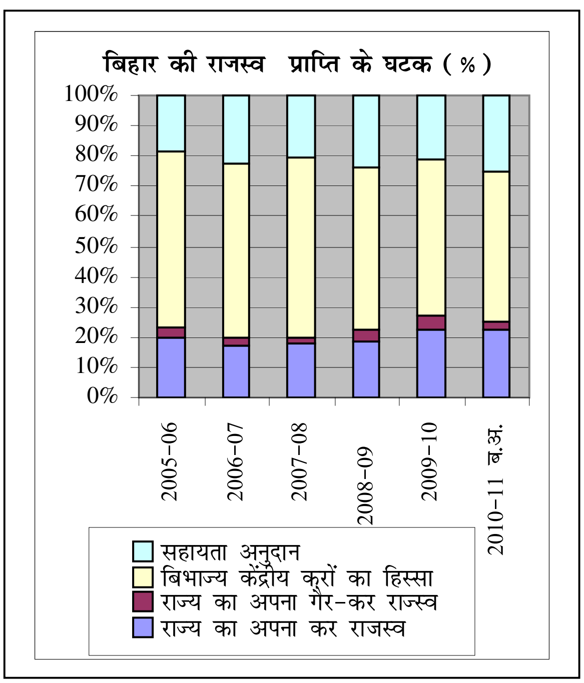

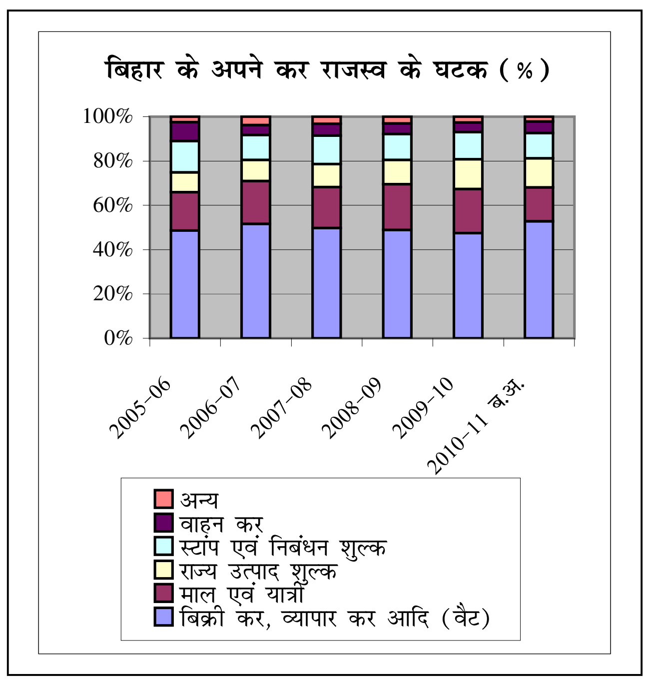

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर हैं। वर्ष 2010-11 में इन पांचों करों का संयुक्त हिस्सा इसकी कुल कर प्राप्तियों का 98 प्रतिशत था। इनमें से अकेले बिक्री कर का हिस्सा 53 प्रतिशत था जिसके बाद माल एवं यात्री कर का स्थान है (15 प्रतिशत)। ये कर ऊंची उछाल वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका 7.18 में दर्शाई गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका 7.19 में। बिक्री कर, व्यापार कर आदि का सर्वाधिक योगदान तो है ही, इनकी वृद्धि दरें भी काफी नियमित रही हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान इनमें 47 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है जो 2005-11 की 27 प्रतिशत वृद्धि दर से काफी अधिक है। वर्ष 2010-11 में राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा माल एवं यात्री कर में भी विगत वर्षों की तरह अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। इस अवधि में अन्य करों में भी अच्छी-खासी वृद्धि हुई है लेकिन उनके विकास पैटर्न में कोई निरंतरता नहीं है।

तालिका 7.18 : कर राजस्व का प्रतिशत वितरण

राजस्व के स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	49	52	50	49	47	53
माल एवं यात्री कर	17	19	18	21	20	15
राज्य उत्पाद कर	9	9	10	11	13	13
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	14	11	13	12	12	11
वाहन कर	8	4	5	5	4	5
भूमि राजस्व	2	2	2	2	2	1
विद्युत कर एवं शुल्क	1	2	1	1	1	1
योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

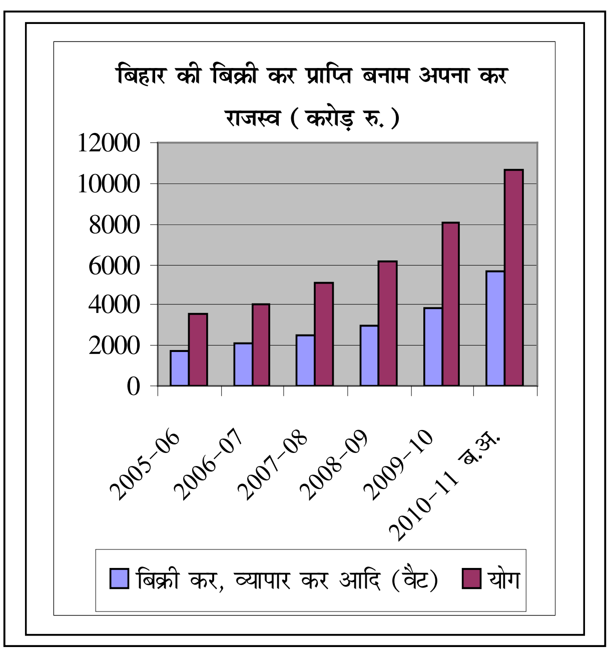

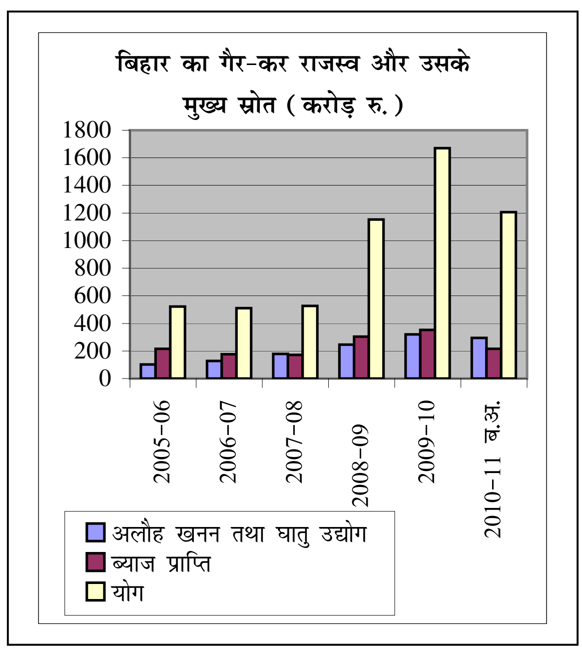

वर्ष 2009–10 और 2010–11 में माल एवं यात्री कर से हुई प्राप्तियां लगभग समान रहीं। इसमें मात्र 11 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। इस कर में पथकर, यात्री कर और माल कर से संग्रह (जहां वे लगाए जाते हों), खपत, उपयोग या बिक्री हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर लगने वाला प्रवेश कर और अंतर्राज्य संचरण शुल्क (चुंगी) शामिल होता है। बिहार में इस कर से होने वाला पूरा संग्रहण खपत हेतु स्थानीय क्षेत्रों में आने वाले मालों के प्रवेश से होता है। इसका संग्रहण बिहार स्थानीय क्षेत्र में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के तहत और प्रबंधन राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा होता है।

तालिका 7.19 : कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दरें

राजस्व के स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.	औसत वृद्धि दर (2005-11)
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	-8	20	22	19	27	47	27
माल एवं यात्री कर	30	28	20	36	26	1	22
राज्य उत्पाद कर	17	20	38	29	59	29	34
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	18	-10	44	9	39	22	19
वाहन कर	42	-40	51	9	16	59	13
भूमि राजस्व	67	36	10	24	22	-10	15
विद्युत कर एवं शुल्क	80	249	2	6	-1	35	38
अन्य वस्तु एवं सेवा कर एवं शुल्क	-32	-15	14	-1	52	15	11
योग	**7**	**13**	**26**	**21**	**31**	**32**	**24**

तालिका 7.20 में देखा जा सकता है कि 2010–11 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा मात्र 18 प्रतिशत था और अप्रत्यक्ष करों का 82 प्रतिशत। यह वितरण गत वर्ष की तरह ही विषम रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार की राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया को इसके कर ढांचे में अभिव्यक्त होना अभी भी बाकी है। निस्संदेह, 2005–06 की अपेक्षा वर्तमान कर ढांचा कहीं अधिक विषम लगता है।

तालिका 7.20 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	25	19	21	19	19	18
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	75	81	79	81	81	82
योग	100	100	100	100	100	100

तालिका 7.21 में राज्य सरकार के प्रमुख गैर–कर राजस्व दर्शाए गए हैं। तालिका 7.22 में उनकी संरचना को दर्शाया गया है और तालिका 7.23 में उनकी वृद्धि दरों को। राज्य सरकार के गैर–कर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व खानों एवं खनिजों से रॉयल्टी है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ब्याज प्राप्तियां हैं। वर्ष 2007–08 तक राज्य के कुल गैर–कर राजस्व में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत था। अब कुल गैर–कर प्राप्तियों में इन दोनों का संयुक्त हिस्सा गिरकर मात्र 42 प्रतिशत रह गया है। ब्याज प्राप्तियों का हिस्सा 2005–2011 की छ:वर्षीय अवधि में 41 प्रतिशत से गिरकर 18 प्रतिशत रह गया है जबकि रॉयल्टी का हिस्सा इस अवधि में 19 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार से ऋण राहत मिलने के कारण गत तीन वर्षों में विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्तियों में नाटकीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2010–11 में अन्य प्रशासनिक सेवाओं से प्राप्तियों में भी काफी वृद्धि दर्ज हुई है। लेकिन कुल मिलाकर न तो राज्य सरकार गैर–कर राजस्व स्रोतों के ढांचे में कोई नियमितता है न इनकी वृद्धि में।

तालिका 7.21 : बिहार के प्रमुख गैर-कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	101	128	179	245	320	294
ब्याज प्राप्तियां	216	176	171	305	353	216
विविध सामान्य सेवाएं	12	21	3	385	770	385
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	34	20	12	8	9	39
पुलिस	6	11	23	9	12	57
वृहत सिंचाई	2	2	2	3	3	26
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	33	28	21	24	17	24
सड़क और पुल	12	17	18	26	30	28
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	15	18	21	17	14	18
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10	14	7	10	29	11
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	15	19	3	1	1	1
अन्य	67	60	65	119	112	108
योग	**522**	**511**	**526**	**1152**	**1670**	**1207**

तालिका 7.22 : गैर-कर राजस्वों का प्रतिशत वितरण

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	19	25	34	21	19	24
ब्याज प्राप्तियां	41	34	32	26	21	18
विविध सामान्य सेवाएं	2	4	1	33	46	32
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7	4	2	1	1	3
अन्य गैर-कर राजस्व	31	33	31	18	13	23
योग	100	100	100	100	100	100

तालिका 7.23 : गैर-कर राजस्वों की वृद्धि दरें

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	25	27	40	37	31	-8
ब्याज प्राप्तियां	188	-19	-3	78	16	-39
विविध सामान्य सेवाएं	30	77	-86	12675	100	-50
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	-68	-41	-41	-33	16	318
अन्य गैर-कर राजस्व	9	5	-3	30	4	25
योग	25	-2	3	119	45	-28

बजट में प्रस्तावित राजस्व अनुमान के सहीपन की ओर मुड़ने पर अलग-अलग शीर्षों के मामले में बजट अनुमानों और राजस्वों की वास्तविक वसूली के बीच कुछ अंतर देखा जा सकता है, यद्यपि कर राजस्वों से समग्र वसूली लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक थी (तालिका 7.24)। अलग-अलग करों के मामले में विचलन अधिकतम 63 प्रतिशत था और न्यूनतम -4 प्रतिशत। गैर-कर प्राप्तियों के मामले में संग्रहण बजट अनुमानों की अपेक्षा 123 प्रतिशत बढ़ गया जो गत वर्ष 173 प्रतिशत था। ऐसा मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्तियों में अस्वाभाविक वृद्धि के कारण है।

तालिका 7.24 : कर और गैर कर राजस्व की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2009-10) (करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	% अंतर अधिकता (+), कमी (-)
अपना कर राजस्व			
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	3948	3839	-3
माल एवं यात्री कर	1270	1613	27
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	750	998	33
राज्य उत्पाद कर	850	1082	27
वाहन कर	355	345	-3
भूमि राजस्व	76	124	63
अन्य वस्तु एवं सेवा कर तथा शुल्क	23	22	-4
विद्युत कर एवं शुल्क	63	67	6
योग	**7336**	**8090**	**10**
अपना गैर-कर राजस्व			
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	180	320	78
ब्याज प्राप्तियां	54	353	559
विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्तियां	3	770	23971
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3	1	-71
योग	**541**	**1670**	**209**

विभिन्न करों का संग्रहण व्यय तालिका 7.25 में दर्शाया गया है। सभी प्रमुख करों के मामले में संग्रहण व्यय सभी प्रमुख राज्यों के कुल संग्रहण के मुकाबले बहुत कम था। तालिका में देखा जा सकता है कि अधिसंरचना के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण 2010-11 में सभी प्रमुख राज्यों के संग्रहण व्यय में काफी कमी आई है। कर संग्रह तंत्र को दुरुस्त करने और कर प्रणाली तथा ढांचे का युक्तिकरण करने से संग्रहण व्यय में और भी कमी आएगी।

तालिका 7.25 : कर संग्रहण व्यय

कर प्राप्तियों के शीर्ष	वर्ष	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के % के बतौर
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	2001-02	1412.96	18.81	1.33
	2002-03	1647.61	21.3	1.29
	2003-04	1637.23	21.46	1.31
	2004-05	1890.54	21.46	1.14
	2005-06	1733.6	25.47	1.47
	2006-07	2081.49	27.3	1.31
	2007-08	2534.79	42.73	1.69
	2008-09	3016.47	46.65	1.55
	2009-10	3839.29	48.27	1.26
	2010-11 ब.अ.	**5627.69**	**56.73**	**1.01**
राज्य उत्पाद कर	2001-02	238.9	13.72	5.74
	2002-03	241.95	13.75	5.68
	2003-04	240.01	16.2	6.75
	2004-05	272.47	16.19	5.94
	2005-06	318.59	14.78	4.64
	2006-07	381.93	18.31	4.79
	2007-08	525.41	22.14	4.21
	2008-09	679.14	24.15	3.56
	2009-10	1081.68	44.02	4.07
	2010-11 ब.अ.	**1400**	**53.163**	**3.80**
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2001-02	304.44	18.22	5.98
	2002-03	348.2	17.56	5.04
	2003-04	417.56	22.52	5.39
	2004-05	429.14	22.02	5.13
	2005-06	505.29	22.48	4.45
	2006-07	455.02	36.86	8.10
	2007-08	654.14	34.02	5.20
	2008-09	716.19	37.68	5.26
	2009-10	997.9	45.9	4.60
	2010-11 ब.अ.	**1215**	**37.86**	**3.12**
वाहन कर	2001-02	141.53	4.14	2.93
	2002-03	177.98	4.11	2.31
	2003-04	209.5	3.94	1.88
	2004-05	212.78	3.85	1.81
	2005-06	302.44	5.09	1.68
	2006-07	181.38	6.03	3.32
	2007-08	273.2	5.95	2.18
	2008-09	297.74	6.95	2.33
	2009-10	345.13	10.41	3.02
	2010-11 ब.अ.	**550**	**24.26**	**4.41**

तालिका 7.26 में राज्य सरकार के अपने कर और गैर-कर राजस्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है जो अधिक संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता की एक माप है। बिहार के अपने कर एवं गैर-कर राजस्वों में 2006-07 से धीमी गति से किंतु निरंतर वृद्धि हो रही है। दोनों मिलकर अब भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत के आसपास ही ठहरते हैं जो अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है जिसका जिक्र खंड 7.2 के तहत पहले भी किया जा चुका है। वर्ष 2010-11 में गत वर्षों की अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ है जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर राज्य के अपने राजस्व ने 5 प्रतिशत की सीमा पहली बार लांघी है। खुद सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भी प्रभावशाली दर से वृद्धि हो रही है और उसके साथ करों में भी वृद्धि हो रही है जिसकी दर कभी-कभी तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद से भी तेज हो जाती है जैसा कि 2010-11 में हुआ है। वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय अंतरणों एवं अनुदानों सहित कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 23 प्रतिशत के आसपास ठहरता है। पहले भी चिन्हित किया गया है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने कर का अनुपात देश में लगभग सबसे कम था जबकि केंद्रीय अनुदानों तथा अन्य अंतरणों के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व का अनुपात काफी ऊंचा।

तालिका 7.26 : कर और गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	4.36	3.97	4.30	4.26	4.70	5.28
अपना गैर-कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	0.64	0.50	0.44	0.80	0.97	0.60
कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	21.84	22.74	23.83	22.74	20.64	23.42
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल राजस्व की उत्फुल्लता (अनुपात)	1.68	1.21	1.34	0.75	0.41	1.92
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य के अपने करों की उत्फुल्लता (अनुपात)	0.82	0.55	1.57	0.95	1.66	1.84

तालिका 7.27 में राज्य सरकार के प्रमुख कर और गैर-कर राजस्वों तथा राजस्व व्यय के संदर्भ में उत्फुल्लता अनुपात प्रस्तुत किया गया है। तालिका 7.27 में हम देख सकते हैं कि 2010-11 में बिक्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर तथा राज्य उत्पाद कर राज्य सरकार के कुल कर राजस्व की अपेक्षा अधिक उत्फुल्ल थे। ऐसा पहले भी था। हाल के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अच्छी-खासी वृद्धि दरों को देखते हुए और आने वाले वर्षों में इस रुझान के जारी रहने की आशा करते हुए इन करों में और अधिक योगदान की काफी संभावना है। गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों ने ऐसी उत्फुल्लता नहीं दिखाई है।

तालिका 7.27 : महत्वपूर्ण कर तथा गैर-कर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	-1.03	0.83	1.31	0.84	1.46	2.71
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2.21	-0.41	2.64	0.42	2.10	1.27
माल एवं यात्री कर	3.68	1.14	1.19	1.62	1.39	0.04
राज्य उत्पाद कर	2.15	0.81	2.26	1.30	3.17	1.71
वाहन कर	5.20	-1.65	3.05	0.40	0.85	3.46
भूमि राजस्व	8.30	1.47	0.60	1.06	1.17	-0.55
विद्युत कर एवं शुल्क	9.96	10.27	0.12	0.25	-0.08	2.04
कुल कर राजस्व	**0.82**	**0.55**	**1.57**	**0.95**	**1.66**	**1.84**
अलौह धातु	3.23	1.09	2.41	1.65	1.64	-0.47
ब्याज प्राप्तियां	23.39	-0.76	-0.18	3.48	0.86	-2.26
कुल गैर-कर राजस्व	**3.12**	**-0.09**	**0.17**	**5.30**	**2.40**	**-1.62**

तालिका 7.28 में केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों एवं अंशदानों को दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में कुल अनुदान 11,784 करोड़ रु. है। इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान राज्य योजनागत योजनाओं के लिए है, जिसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा गैर-योजना अनुदानों का स्थान है। वर्ष 2005-06 से 2010-11 के बीच 6 वर्षों में कुल अनुदान लगभग चारगुने बढ़े हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान में 2010-11 में गत वर्ष की अपेक्षा 2,373 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है, वहीं राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान लगभग 2,184 करोड़ रु. बढ़ा है।

तालिका 7.28 : केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान

(करोड़ रु.)

स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
कुल अनुदान	**3333**	**5247**	**5832**	**7962**	**7564**	**11784**
राज्य योजनागत योजना हेतु अनुदान	1556	2445	2914	3600	3721	5905
केंद्रीय योजनागत योजना हेतु अनुदान	90	144	53	135	138	244
केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	486	974	1360	1677	1449	3822
गैर-योजना अनुदान	1201	1683	1505	2550	2256	1812
वर्तमान राजस्व शेष (बीसीआर)	686	3000	5122	6198	5933	9623

7.9 राजकीय कर विभागों का प्रदर्शन विश्लेषण

7.9.1 वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग सात अधिनियमों के तहत राजस्व संग्रह करता है :

1. बिहार मूल्यवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2005,
2. बिहार स्थानीय क्षेत्र उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री जन्य प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (ईटी),
3. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी),
4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (ईडी),
5. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (ईएनटी),
6. होटल विलासिता अधिनियम, 1988 (एचएलटी), तथा
7. बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (एडीवी)।

तालिका 7.29 में 2001-02 से 2009-10 तक और 2010-11 के लिए अक्तूबर, 2010 तक संग्रहित कर दर्शाए गए हैं। वैट (जिसने बिक्री कर की जगह ले ली है) मुख्य योगदाता है और बिहार के कुल वाणिज्य कर संग्रह में इसका लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा है। परिशिष्ट क, ख और ग में विभिन्न कर-सर्किलों के लिए इन आंकड़ों का रुझान विश्लेषण दर्शाया गया है।

तालिका 7.29 विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण (2001-02 से 2010-11)

(करोड़ रु.)

वर्ष	बीएसटी/ वैट	सीएसटी	ईएनटी	ईडी	एडीवी	एचएलटी	ईटी	योग
2001-02	1361	53	15	14	0	1	159	**1604**
2002-03	1607	89	15	14	0	2	211	**1938**
2003-04	1560	74	14	16	0	2	311	**1977**
2004-05	1815	72	14	9	0	2	482	**2393**
2005-06	1650	84	11	18	0	2	625	**2390**
2006-07	2004	80	9	62	0	3	792	**2950**
2007-08	2523	54	10	64	0	3	979	**3633**
2008-09	3057	46	10	68	0	3	1284	**4470**
2009-10	3805	38	14	64	0	4	1608	**5533**
2010-11 (अक्तू. 10 तक)	2137	28	8	1	0	2	883	3059

तालिका 7.30 में कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों के प्रतिशत हिस्से का वर्षवार रुझान दर्शाया गया है। अनुपात 2007–08 तक 13 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा लेकिन उसके बाद से यह बढ़ने लगा और 2009–10 में 16 प्रतिशत तक पहुंच गया। राज्य सरकार के अपने कुल करों में उनका हिस्सा 2005–10 के दौरान 70 प्रतिशत के आसपास बना रहा।

तालिका 7.30 : कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का वर्षवार प्रतिशत हिस्सा

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब. अ. (अक्तू. 10 तक)
राज्य का कुल राजस्व (करोड़ रु.)	**17838**	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**	**47235**
राज्य का अपना कर राजस्व (करोड़ रु.)	3561	4033	5086	6173	8090	10644
वाणिज्यिक करों से राजस्व (करोड़ रु.)	2390	2950	3633	4470	5533	3059
कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (%)	13	13	13	14	16	6
राज्य के अपने करों में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (%)	67	73	71	72	68	29

बिक्री करों का सामग्रीवार संग्रहण तालिका 7.31 में प्रस्तुत है जिसमें देखा जा सकता है कि अकेले पेट्रॉलियम उत्पादों का ब्रिकी कर में सर्वाधिक योगदान है – कुल संग्रहण के एक–चौथाई से अधिक। गत दो वर्षों में इसमें लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि भी दर्ज हुई है। अन्य योगदाताओं के मुकाबले इसका लगभग दसगुना योगदान है। अन्य महत्वपूर्ण योगदाता हैं : सेमेंट, कच्चा तेल, बिजली के सामान, एफएमसीजी, विदेशी शराब (भारत निर्मत), औषधियां तथा औषधि–दव्य, मोटरवाहन, टेलिफोन तथा अन्य निर्माणजन्य संविदाएं। सेमेंट, विद्युत सामग्रियों, मोटरवाहनों तथा दोपहियों एवं तिपहियों के मामले में 2009–10 में भारी वृद्धि दर्ज हुई है।

तालिका 7.31 : बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्रीवार संग्रहण[7]

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संग्रहण (करोड़ रु.)						वृद्धि दर (%)			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	विज्ञापन कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	एसबेस्टस	4	6	7	13	14	8	42	19	93	8
3	वाहनों के कलपुर्जे	12	15	16	16	26	16	25	4	3	61
4	बैटरी	23	25	31	36	41	27	8	23	16	15
5	पेय पदार्थ	7	7	9	15	22	22	3	22	69	48
6	भुजिया	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	साइकल	3	5	6	7	10	7	63	26	27	42
8	बिस्कुट	24	37	46	57	69	42	55	24	25	19
9	ईंट	4	7	6	8	10	4	79	-2	28	17
10	सेमेंट	120	173	208	255	420	233	44	20	23	64
11	कोयला	35	47	78	88	111	62	34	66	14	25
12	कंप्यूटर	5	8	12	14	19	13	46	54	15	39
13	टिकाऊ उपभोग सामगियां	21	28	35	36	50	30	34	25	2	39
14	देशी शराब	21	27	46	61	99	62	27	68	33	64
15	क्रॉकरी, कटलरी, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन	1	2	2	1	1	1	14	11	-28	19
16	कच्चा तेल	110	132	154	187	166	98	20	17	22	-12
17	डीजल	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
18	औषधियां एवं औषधि-द्रव्य	78	118	136	152	178	115	52	15	12	17
19	मेवे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	खाद्य तेल	6	8	10	13	16	10	44	20	31	28
21	बिजली के सामान	110	106	117	113	154	75	-4	10	-3	37
22	विद्युत शुल्क	2	2	2	12	2	1	4	12	566	-85
23	इलक्ट्रॉनिक सामान	12	17	20	29	43	26	38	23	40	51
24	इंजन और मोटर	4	5	6	6	8	7	36	7	8	35
25	मनोरंजन कर	9	8	9	9	13	8	-12	23	-3	46
26	ईथेनॉल					1	7	0	0	0	0
27	फास्ट फूड और पका भोजन	15	18	24	23	28	17	17	31	-2	23

[7] वित्तीय लेखों में इस शीर्ष के तहत लिखित राशि 2006-07 के लिए 2,081 करोड़ रु., 2007-08 के लिए 2,535 करोड़ रु. और 2008-09 के लिए 3,016 करोड़ रु. थी। अंतरों का समाधान-संशोधन नहीं किया गया है।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संग्रहण (करोड़ रु.)						वृद्धि दर (%)			
		2005 -06	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11*	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009-10
28	उर्वरक और कीटनाशक	60	63	73	81	82	41	5	16	10	1
29	पटाखे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एफएमसीजी	97	128	148	181	210	120	32	16	23	16
31	खाद्यान्न	56	31	35	44	61	38	-45	15	25	38
32	जूता-चप्पल	5	5	6	7	10	6	-3	30	17	39
33	चारपहिया वाहन तथा वाहनों की चेसिस	57	110	141	158	248	105	95	27	12	57
34	फर्नीचर	3	5	7	11	13	8	46	42	62	16
35	घी और वनस्पति घी	6	9	16	27	31	21	50	72	70	18
36	कांच	1	2	2	3	3	2	15	33	30	18
37	बंदूक-राइफल	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
38	हार्डवेयर	4	4	5	6	8	5	9	31	18	33
39	हवाई चप्पल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	चमड़ा और खाल	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
41	होजियरी तथा रेडीमेड वस्त्र	9	11	15	19	27	16	33	29	32	42
42	भारत निर्मित विदेशी शराब	69	100	102	163	254	186	46	1	60	56
43	लोहा-इस्पात	33	47	59	70	93	58	39	28	19	32
44	आभूषण	1	1	2	3	3	2	46	27	40	33
45	किरासन तेल	3	3	4	4	4	2	18	3	2	-1
46	किराना सामान	6	8	9	11	13	7	28	8	22	19
47	एलपीजी	8	3	3	2	2	1	-57	-15	-42	17
48	स्नेहक	11	15	18	22	32	17	35	20	27	42
49	लक्जरी तथा होटल	2	2	3	3	4	3	37	42	6	18
50	संगमरमर और ग्रेनाइट	1	2	2	3	4	3	21	38	46	37
51	दियासलाई	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
52	मोल्डेड लगेज	2	3	3	2	3	2	22	22	-30	43
53	टैगरहित	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
54	किसी सामान के टैग से रहित	15	10	5	49	10	6	-30	-51	869	-79
55	अन्य 12.5% की दर से	8	11	11	14	16	7	43	-1	32	11
56	अन्य 4% की दर से	2	2	2	2	3	2	8	4	-24	127
57	अन्य (कररहित)	7	4	4	6	4	2	-39	-12	58	-35
58	पेंट	11	14	17	20	24	18	22	23	18	21
59	पान मसाला	1	1	5	14	22	11	38	280	162	59
60	कागज	6	6	9	12	16	8	4	50	26	42

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संग्रहण (करोड़ रु.)						वृद्धि दर (%)			
		2005 -06	2006-07	2007 -08	2008 -09	2009 -10	2010 -11*	2006 -07	2007 -08	2008 -09	2009 -10
61	पेट्रॉलियम उत्पाद	927	1044	1217	1452	1657	924	13	17	19	14
62	पेट्रॉल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	प्लास्टिक के सामान	44	32	17	8	11	7	-26	-46	-53	33
64	प्लाई बोर्ड	1	1	1	1	2	1	54	31	-10	26
65	प्लाईवुड	2	2	3	3	3	2	23	12	2	24
66	प्रसंस्कृत सब्जियां एवं आहार	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
67	सैनिटरी फिटिंग और टाइल	4	5	7	9	17	8	18	30	36	84
68	सिलाई मशीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	चश्मा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	खेल के सामान	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
71	स्टेपल धागा	2	2	2	1	1	1	0	13	-43	8
72	लेखन सामग्री	2	2	3	4	4	2	25	24	36	13
73	स्टोन चिप्स और बलास्ट	1	2	2	2	4	2	113	-23	28	91
74	चाय-कॉफी	2	2	2	4	5	3	-22	32	85	22
75	टेलिफोन	27	42	106	155	150	40	58	152	46	-3
76	इमारती लकड़ी	3	3	3	3	3	2	-2	-7	9	6
77	तंबाकू	13	20	48	45	57	33	63	133	-7	28
78	टूल	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0
79	ट्रैक्टर	8	17	20	31	53	28	127	12	56	71
80	ट्रांसपोर्टर					0		0	0	0	0
81	दोपहिया-तिपहिया	52	70	79	103	140	85	34	13	30	37
82	टायर-ट्यूब	24	30	39	48	57	34	23	28	25	20
83	अनिबंधित विक्रेता - अन्य	87	152	218	192	175	56	75	44	-12	-9
84	अनिबंधित विक्रेता -निर्माण संवेदक	39	54	79	179	323	153	37	47	128	80
85	बर्तन	1	1	1	1	2	1	-8	43	93	37
86	घड़ियां	3	4	4	4	5	3	28	11	-1	27
87	निर्माण संविदा तथा टीडीएस	30	49	99	130	150	70	65	101	31	16
योग		**2383**	**2937**	**3633**	**4467**	**5534**	**3052**	**23**	**24**	**23**	**24**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

7.9.2 निबंधन, उत्पाद तथा मद्यनिषेध विभाग

अप्रैल 2007 को निबंधन विभाग और उत्पाद तथा मद्यनिषेध विभाग को आपस में मिला दिया गया। राजस्व संग्रहण के मामले में वाणिज्य कर विभाग के बाद इसी का स्थान है। तालिका 7.32 में राज्य उत्पाद शुल्क से गत तीन वर्षो का संग्रह दर्शाया गया है[8]। राज्य उत्पाद शुल्क की लगभग 86 प्रतिशत राशि देशी शराब तथा भारत निर्मित विदेशी शराब से आती है।

तालिका 7.32 : राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10 तक)
देशी शराब	183	207	233	407	467	अनु.
भारत निर्मित विदेशी शराब	133	159	241	267	479	अनु.
व्यावसायिक विकृत स्पिरिट	0	0	3	0	0	अनु.
औषध तथा सौंदर्य सामग्रियां	0	1	0	1	1	अनु.
छोआ	2	4	4	2	1	अनु.
आमिश्रण (कंपाउंडिंग)	1	2	6	2	2	अनु.
बिहार राज्य मद्य निगम	-	10	37	71	125	अनु.
अन्य	-	1	11	-	24	अनु.
योग	**320**	**384**	**536**	**749**	**1099**	**665**

तालिका 7.33 में 2006-07 से 2009-10 तक और 2010-11 के लिए अक्तू. 2010 तक स्टांप तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व दर्शाया गया है। इन चार वर्षों के रुझान विश्लेषण से पता चलता है कि स्टांप शुल्क के संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है जो तीन वर्षों के दौरान लगभग दूना हो गया - 2006-07 के 411 करोड़ रु. से 2009-10 में 807 करोड़ रु.। निबंधन शुल्क से प्राप्ति भी तेजी से बढ़ी है - 2006-07 के 130 करोड़ रु. से 2009-10 में 226 करोड़ रु.। अक्तूबर 2010 तक गत वर्ष के मुकाबले इन दोनों करों का आधा से अधिक भाग संग्रहित किया जा चुका है।

[8] वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए राज्य उत्पाद विभाग के वित्तीय लेखों और तालिका 7.33 के आंकड़ों में कुछ अंतर है जिसका समाधान-संशोधन नहीं किया गया है।

तालिका 7.33 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व[9]

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तू. 10 तक)
स्टांप शुल्क					
(i) मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांपों से	185	177	333	457	130
(ii) बैंक चालान द्वारा जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क से	196	309	200	309	260
(iii) एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप	11	11	22	.	-
(iv) एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा	0	1	1	13	2
(v) राजस्व स्टांप	0	2	2	4	1
(vi) न्यायिक (जूडीशियल स्टांप)	19	22	24	24	16
उप योग	**411**	**522**	**582**	**807**	**408**
निबंधन शुल्क तथा अन्य शुल्क					
(i) अभिलेख निबंधन शुल्क	112	150	170	195	145
(ii) भूस्वामी निबंधन शुल्क	10	13	12	15	9
(iii) भूस्वामी प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) शुल्क	5	7	3	13	2
(iv) अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज से प्राप्त शुल्क	1	2	2	2	1
(v) अभिप्रमाणित प्रतियों से प्राप्त शुल्क	2	2	1	2	1
उप योग	**130**	**174**	**188**	**226**	**158**
योग	**541**	**696**	**770**	**1033**	**566**

तालिका 7.34 में 2010-11 के लिए (अक्तूबर 2010 तक) स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से जिलावार राजस्व संग्रहण दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि पटना जिला इस स्रोत में सर्वाधिक (लगभग 19 प्रतिशत) योगदान करता है - अपने तत्काल बाद वाले जिले मुजफ्फरपुर से लगभग चारगुना। वर्ष 2006 से 2010 तक के विवरण परिशिष्ट घ में दर्शाए गए हैं।

[9] वित्तीय लेखों में इस शीर्ष के तहत लिखित राशि 2006-07 के लिए 455 करोड़ रु., 2007-08 के लिए 654 करोड़ रु. तथा 2008-09 के लिए 716 करोड़ रु. थी। अभी तक अंतरों का समाधान-संशोधन नहीं किया गया है।

तालिका 7.34 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2010-11 (अक्तू. 2010 तक)

(करोड़ रु.)

जिला	अभिलेखों की सं.	निबंधन शुल्क (करोड़ रु.)	स्टांप शुल्क (करोड़ रु.)	कुल प्राप्ति (करोड़ रु.)	लक्ष्य (करोड़ रु.)	प्राप्ति लक्ष्य के % में	प्रति अभिलेख प्राप्ति (रु.)
पटना	43133	23.88	83.43	107.31	267.50	40.12%	24879
नालंदा	14181	3.37	10.25	13.61	38.30	35.54%	9599
रोहतास	12942	3.88	10.68	14.56	36.20	40.21%	11247
कैमूर	6773	1.96	5.52	7.48	16.70	44.78%	11041
बक्सर	7497	2.58	7.27	9.85	22.40	43.95%	13133
भोजपुर	13196	3.77	10.67	14.43	32.50	44.41%	10938
गया	15989	5.16	15.57	20.73	63.30	32.75%	12967
औरंगाबाद	11032	3.08	8.66	11.74	29.90	39.26%	10640
जहानाबाद	4394	1.15	3.43	4.58	13.60	33.70%	10432
अरवल	3183	0.72	1.85	2.58	5.65	45.59%	8093
नवादा	8927	1.62	4.67	6.29	16.80	37.46%	7049
सारण	16999	3.91	12.09	16.00	37.25	42.96%	9414
सीवान	18499	4.83	13.19	18.02	44.10	40.87%	9742
गोपालगंज	16074	4.04	10.73	14.77	35.60	41.49%	9189
मुजफ्फरपुर	27544	8.09	20.89	28.98	68.10	42.55%	10520
सीतामढ़ी	22211	5.14	12.99	18.13	38.20	47.46%	8162
शिवहर	3520	0.70	1.93	2.63	6.80	38.62%	7460
पश्चिम चंपारण	24387	4.96	13.89	18.84	44.50	42.35%	7727
पूर्वी चंपारण	31639	6.99	19.10	26.09	63.40	41.15%	8247
वैशाली	15048	5.10	15.06	20.16	48.40	41.65%	13395
दरभंगा	18342	4.48	12.17	16.65	44.05	37.81%	9080
समस्तीपुर	20517	3.89	10.30	14.18	45.30	31.31%	6913
मधुबनी	23000	4.95	13.15	18.10	42.46	42.64%	7871
सहरसा	9233	1.75	5.22	6.96	17.50	39.79%	7542
सुपौल	9517	1.75	5.07	6.83	18.50	36.91%	7175
मधेपुरा	9964	1.89	5.01	6.90	18.76	36.80%	6929
पूर्णिया	21867	4.80	13.44	18.24	42.00	43.43%	8341
अररिया	17889	2.73	7.43	10.16	21.80	46.59%	5677
किशनगंज	11280	2.06	5.89	7.95	18.60	42.72%	7044
कटिहार	20777	3.37	9.07	12.44	31.20	39.87%	5987
भागलपुर	15779	5.87	17.12	22.99	49.70	46.26%	14572
बांका	8156	2.09	5.72	7.81	17.60	44.36%	9574
मुंगेर	4450	1.32	3.95	5.27	11.70	45.00%	11832
लखीसराय	5105	1.17	3.34	4.51	10.60	42.52%	8829
बेगूसराय	12338	3.86	10.90	14.76	43.06	34.27%	11961
जमुई	7798	1.55	4.35	5.91	13.70	43.11%	7575
खगड़िया	8333	1.90	5.07	6.97	16.60	41.98%	8364
शेखपुरा	3701	0.68	1.97	2.65	7.70	34.46%	7170
योग	545214	145.04	421.02	566.06	1400.03	40.43%	10382

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार

7.10 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार के व्ययों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है – सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा आर्थिक सेवाएं। इसे सरकारी व्यय का कामकाजी वर्गीकरण कहा जाता है। इनके अलावा खर्च के अन्य क्षेत्र पूंजीगत परिव्यय, पूंजी लेखे में ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी, तथा स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को अनुदान हैं। गौर करने की बात है कि ऋणों के मूलधन की अदायगी पूंजी लेखे से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेखे से होता है।

तालिका 7.35 में राज्य सरकार का विभिन्न शीर्षों के तहत होने वाला व्यय प्रस्तुत है। तालिका 7.36 में 2005–06 और वर्तमान वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार की व्यय संरचना प्रस्तुत की गई है। पुनः, तालिका 7.37 में 2005–06 से 2010–11 तक के सभी छः वर्षों की व्यय संरचना प्रस्तुत है। तालिका 7.38 में विभिन्न व्यय मदों की वृद्धि दरें वर्णित हैं। इन चारो तालिकाओं से हमें राज्य सरकार के व्यय पैटर्न के बारे में पर्याप्त समझ हासिल हो जाती है।

तालिका 7.35 : संचित निधि से व्यय

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
सामान्य सेवाएं	8523	8643	9252	10530	12202	15448
सामाजिक सेवाएं	6862	7917	9868	12252	13186	17816
आर्थिक सेवाएं	2367	4021	4438	5726	7088	7410
सहायता अनुदान	4	4	5	4	107	4
पूंजीगत परिव्यय	2084	5211	6104	6436	7332	10434
लोक ऋणों की अदायगी	981	1025	1632	1682	1983	1916
राज्य द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1748	315	273	551	897	731
कुल संचित निधि	**22568**	**27136**	**31571**	**37181**	**42796**	**53759**

देखा जा सकता है कि 2005–06 से 2010–11 के बीच उल्लेखनीय ढांचागत परिवर्तन हुए हैं। इन वर्षों में विकासगत व्यय का हिस्सा काफी बढ़ा है जबकि सामान्य सेवाओं पर अनुत्पादक गैर–विकास व्यय में काफी कमी आई है। इसी प्रकार, पूंजीगत परिव्यय काफी बढ़ा है जिसने विकास के मामले में पिछड़े बिहार को देश के प्रमुख

राज्यों के बीच सर्वाधिक विकास दर वाले राज्यों में से एक बना दिया है। तालिका 7.36 से यह परिवर्तन साफ झलकता है। सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन पूंजीगत व्यय में 10 प्रतिशत वृद्धि है जो रकम के रूप में पांच वर्षों में 8,350 करोड़ रु. की वृद्धि ठहरती है – 38 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर! यह भी गौर करने की बात है कि अनुत्पादक सामान्य सेवाओं की कीमत पर सामाजिक और आर्थिक, दोनों सेवाओं पर व्यय का हिस्सा बढ़ा है।

तालिका 7.36 : सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण : 2005-06 और 2010-11

व्यय शीर्ष	2005-06	2010-11 ब.अ.
सामान्य सेवाएं	39	29
सामाजिक सेवाएं	30	33
आर्थिक सेवाएं	10	14
सहायता अनुदान	9	19
पूंजीगत परिव्यय	4	4
लोक ऋणों की अदायगी	8	1
योग	**100**	**100**

वर्ष 2005-06 से 2010-11 के बीच की अवधि में आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत और सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 30 से 33 प्रतिशत हो गया है जबकि प्रशासन पर गैर-विकास व्यय का हिस्सा 39 प्रतिशत से गिरकर 29 प्रतिशत रह गया है।

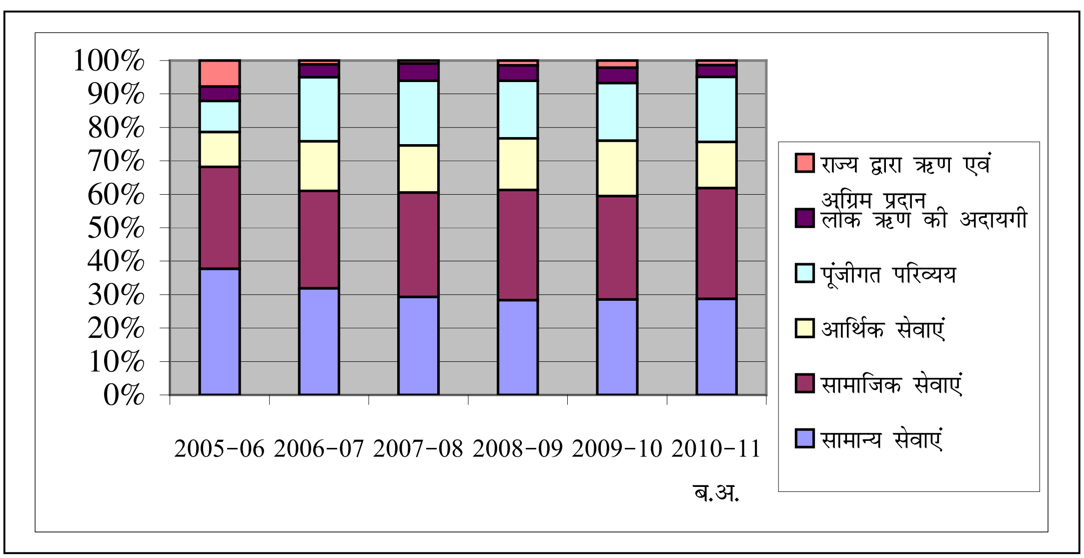

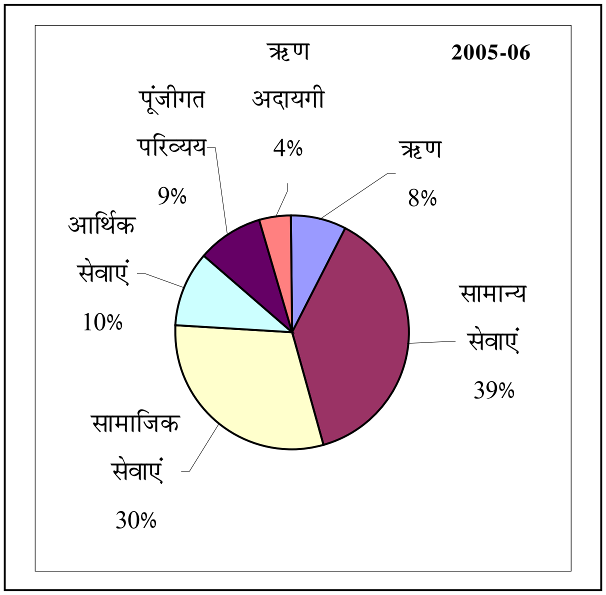

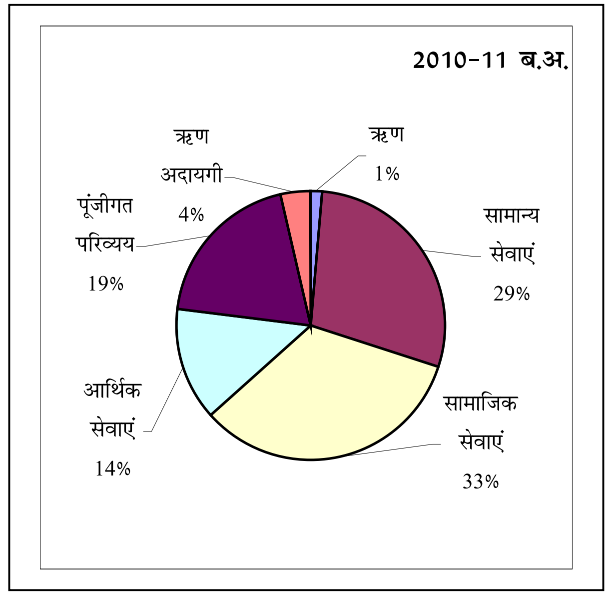

तालिका 7.37 से पता चलता है कि 2006-07 से आरंभ होने वाला ढांचागत परिवर्तन किस तरह हुआ। एक ओर तो राज्य के रोजमर्रे के प्रशासन से संबंधित सामान्य सेवाओं पर व्यय के हिस्से में कमी आनी शुरू हुई जो राज्य सरकार के कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत हुआ करता था। दूसरी ओर, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को अधिक महत्व मिलने लगा। अब व्यय में बड़ा हिस्सा इन दोनों सेवाओं का है जो सामाजिक प्रक्षेत्रों में, खास कर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है। आय और रोजगार वृद्धि की संभावनाओं वाले पूंजीगत परिव्यय को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है और राज्य सरकार के कुल व्यय में इसका अभी 19 प्रतिशत हिस्सा है जो 6 वर्ष पहले मात्र 9 प्रतिशत हुआ करता था।

वित्त व्यवस्था के दक्ष प्रबंधन के कारण, खास कर गत छः वर्षों के दौरान राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रख पाने के कारण राज्य सरकार अब अपनी ऋण समस्या का प्रबंधन करने में सक्षम हो गई है। इससे ऋणों के मूलधन की वापसी तथा ब्याज भुगातन के मामले में राहत मिलने लगी है। आंतरिक ऋण देनदारी की तुलना में केंद्र सरकार का ऋण अब बहुत कम है और ऋण समस्या अब उनती गंभीर नहीं है जितनी 6 वर्ष पहले थी। अब कुल व्यय में ऋण सेवा का हिस्सा 4 प्रतिशत ही है। विकास व्यय की बात करें, तो राज्य सरकार के कुल व्यय में अब इसका 47 प्रतिशत हिस्सा है जो 6 वर्ष पहले 40 प्रतिशत हुआ करता था। राज्य में आर्थिक विकास तेज करने वाले अधिसंरचना निर्माण हेतु लक्षित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के लिहाज से राज्य सरकार अब बेहतर स्थिति में है। तालिका 7.38 में यह भी दिखता है कि पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि दर (39 प्रतिशत) सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा की वृद्धि दरों (क्रमशः 22 प्रतिशत और 26 प्रतिशत) की अपेक्षा काफी अधिक है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

तालिका 7.37 : कुल व्यय का प्रतिशत वितरण

व्यय शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
राजस्व लेखा	**79**	**76**	**75**	**77**	**76**	**76**
गैर-विकास राजस्व व्यय	**39**	**32**	**29**	**28**	**29**	**29**
विकासमूलक राजस्व व्यय	**40**	**44**	**45**	**48**	**48**	**47**
सामाजिक सेवाएं	30	29	31	33	31	33
आर्थिक सेवाएं	10	15	14	15	17	14
पूंजी लेखा	**21**	**24**	**25**	**23**	**24**	**24**
गैर-विकास पूंजीगत व्यय	**12**	**5**	**6**	**6**	**7**	**5**
लोक ऋण की अदायगी	4	4	5	5	5	4
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	8	1	1	1	2	1
विकासमूलक पूंजीगत व्यय	**9**	**19**	**19**	**17**	**17**	**19**
पूंजीगत परिव्यय	9	19	19	17	17	19
कुल गैर-विकास व्यय	**51**	**37**	**35**	**34**	**36**	**34**
कुल विकासमूलक व्यय	**49**	**63**	**65**	**66**	**64**	**66**
कुल व्यय	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

तालिका 7.38 : व्यय की वृद्धि दरें

व्यय शीर्ष	वार्षिक वृद्धि दरें						वृद्धि दर (2004-11)
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.	
सामान्य सेवाएं	9	1	7	14	16	27	11
सामाजिक सेवाएं	43	15	25	24	8	35	22
आर्थिक सेवाएं	16	70	10	29	24	5	26
सहायता अनुदान	0	0	25	-21	2614	-96	27
पूंजी लेखा	-11	36	22	8	18	28	17
पूंजीगत परिव्यय	73	150	17	5	14	42	39
लोक ऋणों की अदायगी	-68	4	59	3	18	-3	2
राज्य द्वारा ऋण एवं अग्रिम	55	-82	-14	102	63	-19	-7
कुल संचित निधि	13	20	16	18	15	26	18

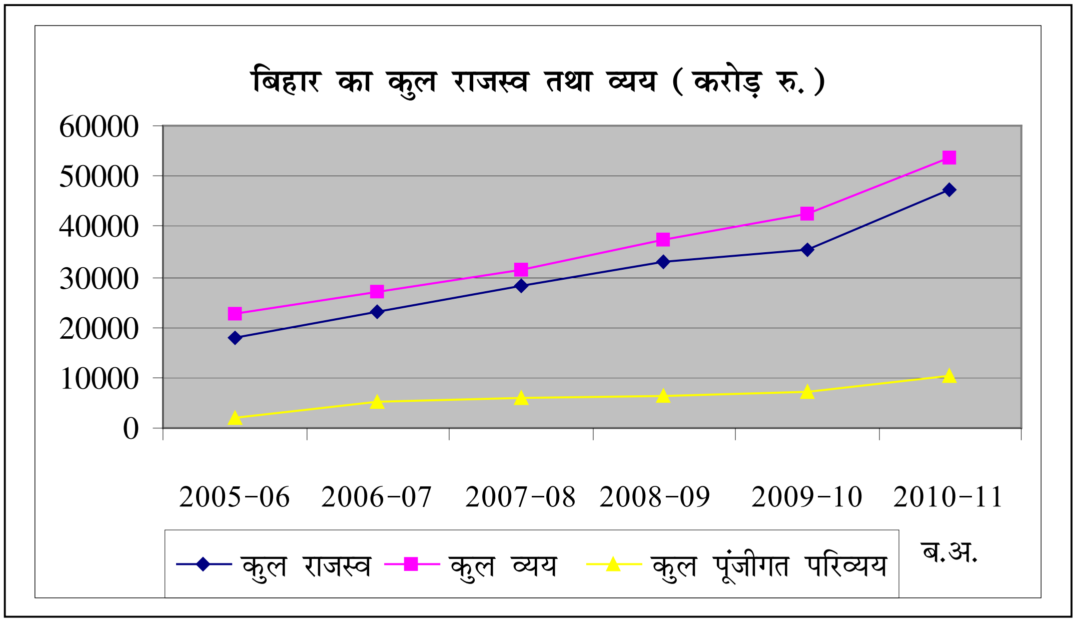

सामान्य सेवाओं में भी कुछ शीर्ष ऐसे हैं जिन पर व्यय में कमी की कोई संभावना नहीं है। ये मद पेंशन, ब्याज भुगतान, न्यायिक सेवा संबंधी व्यय, कारा आदि भारित व्यय के हैं जिनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार के कुल व्यय में प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा लगातार घट रहा है। रकम के रूप में देखें तो यह व्यय 2005-06 में 8.5 हजार करोड़ रु. था जो 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ते हुए 2010-11 में लगभग 15.5 हजार करोड़ रु. हो गया है। यह वृद्धि पुलिस और जिला प्रशासन, न्यायपालिका और विधानमंडल, राज्य सरकार के कर संबंधी विभागों तथा लोक निर्माण पर बढ़े व्यय के कारण हुई है। हालांकि 2010-11 में आर्थिक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं तथा पूंजी लेखे पर व्यय में 25 प्रतिशत से अधिक की भारी वृद्धि हुई है। इन वृद्धियों की आवश्यकता भौतिक तथा सामाजिक अधिसंरचना के निर्माण और उन्नयन की मांग के कारण ही नहीं, विभिन्न विभागों के आधुनिकीकरण द्वारा उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की जरूरत के कारण भी पड़ी।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण पर व्यय गत वर्षों में लगातार बढ़ा है। पहले भी संकेत दिया गया है कि 2005-06 के पहले तक गतिरुद्ध पूंजीगत परिव्यय को अब वांछित प्राथमिकता दी गई है और यह 2005-06 के 2,084 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 10,434 करोड़ रु. हो गया है। आर्थिक सेवाओं में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, बिजली, सड़क और पुल तथा उद्योग पर व्यय में गत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

7.11 राजस्व व्यय

तालिका 7.39 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का विवरण दर्ज है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुल व्यय में बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय का है - 2010-11 में 76 प्रतिशत से भी अधिक। राजस्व व्यय गतिविधियों के

वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए किया जाता है जिसके चलते इससे मौजूद अधिसंरचना में नया कुछ नहीं जुड़ता है। गैर-योजना घटक कुल राजस्व व्यय का बड़ा घटक होता है। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय में इसका हिस्सा 51 प्रतिशत है। गैर-योजना घटक का हिस्सा 2005-06 के उच्च स्तर - 67 प्रतिशत से लगातार घटता गया है। फलत: 2009-10 को छोड़कर शेष वर्षों में योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर के मुकाबले अधिक रही है। वर्ष 2010-11 में कुल व्यय और गैर-योजना राजस्व व्यय बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमश: 27 प्रतिशत और 14 प्रतिशत था। उत्फुल्लता अनुपातों से यह देखा जा सकता है कि 2006-07 से 2009-10 तक राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले धीमी गति से बढ़ता रहा है। हालांकि 2010-11 में राजस्व व्यय की वृद्धि दर ही अधिक रही है।

तालिका 7.39 : राजस्व व्यय का विवरण

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
राजस्व व्यय (आरई)	17756	20585	23563	28512	32584	40678
पूंजीगत व्यय (सीई)	4812	6551	8008	8670	10212	13080
कुल व्यय (टीई)	**22568**	**27136**	**31571**	**37181**	**42796**	**53759**
गैर-योजना व्यय	**17670**	**17740**	**20625**	**23367**	**26602**	**29683**
राजस्व लेखा (एनपीआरई)	15020	16520	18759	21231	24145	27480
पूंजी लेखा	2650	1220	1867	2136	2456	2202
योजना व्यय	**4899**	**9397**	**10946**	**13815**	**16194**	**24076**
राजस्व लेखा (पीआरई)	2736	4065	4804	7280	8439	13198
पूंजी लेखा	2163	5332	6142	6533	7755	10878
एनपीआरई की वृद्धि दर (%)	19	10	14	13	14	14
पीआरई की वृद्धि दर (%)	37	49	18	52	16	56
आरई/ टीई (%)	79	76	75	77	76	76
एनपीआरई/ टीई (%)	67	61	59	57	56	51
टीई/ जीएसडीपी (%)	28	27	27	26	25	27
एनपीआरई/ जीएसडीपी (%)	18	16	16	15	14	14
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)/ टीई (%)	79	85	89	89	83	88
एनपीआरई/ आरआर (%)	84	72	67	64	68	58
जीएसडीपी के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता	2.65	0.66	0.87	0.93	0.76	1.45
आरआर के मुकाबले आरई की उत्फुल्लता	1.68	1.21	1.34	0.75	0.41	1.92

7.12 वेतन और पेंशन पर कार्यार्पित व्यय

वेतन और पेंशन सभी सरकारों के लिए व्यय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद होते हैं। योजना और गैर-योजना, दोनों शीर्षों के तहत वेतनों पर व्यय तथा पेंशन व्यय के रुझान तालिका 7.40 में प्रस्तुत हैं। गत पांच वर्षों के दौरान राज्य

सरकार के राजस्व व्यय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का इस अकेले ही एक-चौथाई से अधिक हिस्सा था। वर्ष 2005-06 में राजस्व व्यय में इसका हिस्सा 32 प्रतिशत था जो मुख्यत: राजस्व व्यय में काफी वृद्धि के कारण बाद में घटा है। ऐसा वेतन लेखे में किसी कमी के कारण नहीं, राजस्व व्यय में काफी वृद्धि के कारण हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर वेतन व्यय 2005-06 से 2010-11 की पूरी पांच वर्ष की अवधि के दौरान 5 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रहा है। यह भी इस कारण था कि इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में असाधारण वृद्धि हुई। इसी प्रकार, 2010-11 में पेंशन का राजस्व व्यय में 14 प्रतिशत हिस्सा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के बराबर है। छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर उच्च वेतनमान लागू करने के कारण वर्ष 2009-10 और 2010-11, दोनों वर्षों में वेतन और पेंशन के संयुक्त मद में व्यय क्रमश: 3.0 हजार करोड़ रु. और 2.5 हजार करोड़ रु. बढ़ा। यह जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ और बकाया राशि का भुगतान 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में किया गया। लेकिन वेतन व्यय अभी भी बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजस्व व्यय के 35 प्रतिशत की मानक सीमा के अंदर हैं।

साथ ही साथ, पेंशन भुगतान भी 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2005-06 के 2,456 करोड़ रु. से 2010-11 में 5,873 करोड़ रु. हो गया जबकि वेतन व्यय 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। पेंशन और वेतन व्यय मिलकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत और राज्य सरकार के राजस्व व्यय के 41 प्रतिशत के बराबर हो जाते हैं।

तालिका 7.40 : वेतन और पेंशन व्यय

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
वेतन व्यय	**5783**	**6016**	**6470**	**7546**	**9659**	**10795**
गैर-योजना शीर्ष	5153	5539	5915	6996	9001	10092
योजना शीर्ष	631	478	555	549	657	704
वेतन जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर	7	6	5	5	6	5
वेतन राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर	32	26	23	23	27	23
वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	33	29	27	26	30	27
पेंशन व्यय	**2456**	**2497**	**2789**	**3479**	**4319**	**5873**
वृद्धि दर	6	2	12	25	24	36
पेंशन जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर	3	2	2	2	3	3
पेंशन राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर	14	11	10	11	12	12
पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	14	12	12	12	13	14
वेतन और पेंशन पर कुल व्यय	**8239**	**8513**	**9258**	**11025**	**13977**	**16669**
कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के बतौर	10	8	8	8	8	8
कुल व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर	46	37	33	33	39	35
कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	46	41	39	39	43	41

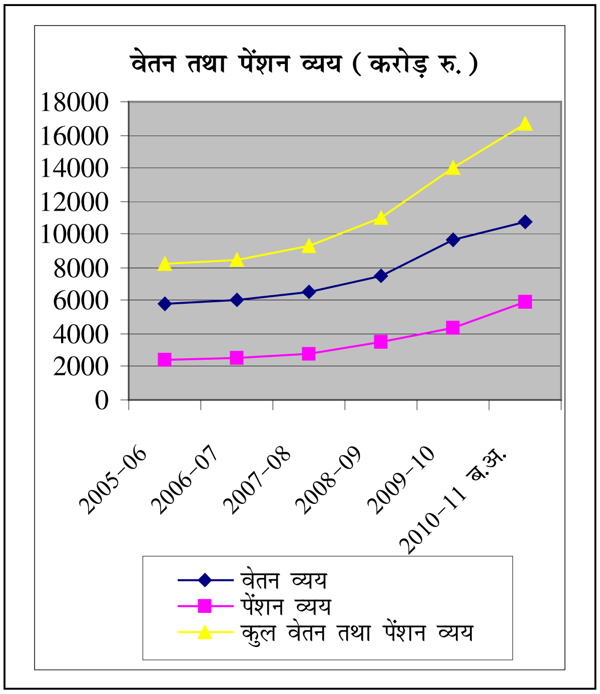

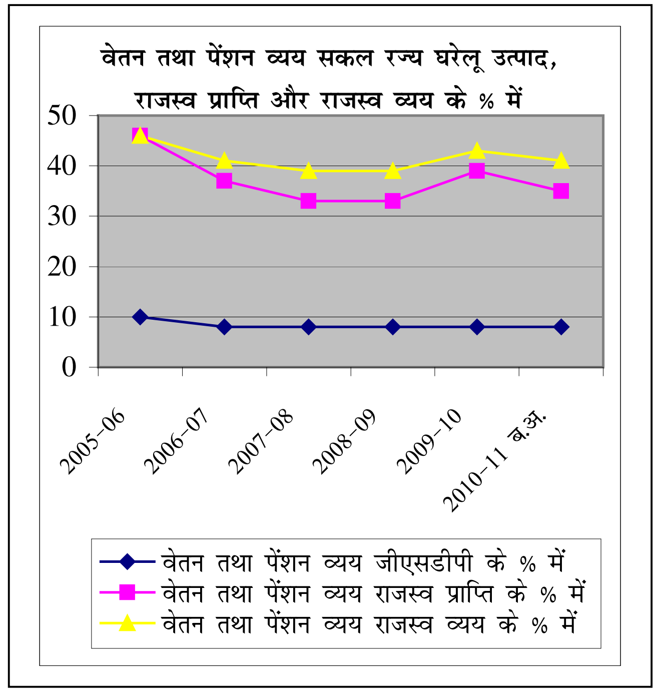

7.13 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता का निर्णय राज्य में सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए समर्पित व्यय के अनुपात, सामान्य सेवाओं के गैर-विकास व्यय की तुलना में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासगत व्यय की मात्रा, तथा गैर-योजना व्यय के मुकाबले योजना व्यय के अनुपात से किया जाता है। इस लिहाज से व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पैरामीटर निम्नलिखित हैं : (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात; (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात; (3) राजस्व व्यय का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर हो रहे खर्च का अनुपात और इन सेवाओं में किए जा रहे गैर-वेतन व्यय का अनुपात; तथा (4) गैर-योजना व्यय के साथ योजना व्यय का अनुपात। कुल व्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ इन घटकों के अनुपात जितने ऊंचे होंगे, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 7. 41 में 2005-06 से 2010-11 तक के 6 वर्षों के दौरान इन अनुपातों को दर्शाया गया है।

इन सारे पैरामीटर को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि गत 6 वर्षों के दौरान बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। पूंजीगत परिव्यय 9 प्रतिशत के मामूली स्तर से कुल व्यय के लगभग पांचवें हिस्से तक पहुंच गया है, वहीं राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 76 प्रतिशत के आसपास ही स्थिर रहा है; शेष हिस्सा लोक ऋण की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का रहा है। विकासगत व्यय का वेतन घटक इस अवधि में 37 प्रतिशत से गिरकर 29 प्रतिशत ही रह गया है। वहीं, कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा भी 22 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। गैर-योजना व्यय के साथ योजना व्यय का अनुपात भी

व्यवस्थित रूप से बढ़कर महज 28 प्रतिशत से 81 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इस अवधि में पूंजीगत परिव्यय लगभग पांचगुना हो गया है; यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मात्र 3 प्रतिशत से बढ़कर यह 5 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। ये सारे अनुपात बताते हैं कि बिहार में लोक वित्त व्यवस्था सही दिशा में जा रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के उच्च विकास के रूप में इसके परिणाम भी निस्संदेह दिखने लगे हैं।

तालिका 7.41 : व्यय के गुणवत्तामूलक पैरामीटर

व्यय शीर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	2084	5211	6104	6436	7332	10434
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	17756	20585	23563	28512	32584	40678
जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, जिसका	11241	11938	14306	17978	20274	25226
(i) वेतन घटक (करोड़ रु.)	4172	4110	4378	5194	6920	7330
वेतन घटक का प्रतिशत (%)	37	34	31	29	34	29
(ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.)	7069	7828	9928	12784	13354	17895
गैर-वेतन घटक का प्रतिशत (%)	63	66	69	71	66	71
पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%)	9	19	19	17	17	19
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%)	79	76	75	77	76	76
राजस्व व्यय/ जीएसडीपी (%)	22	20	20	20	19	20
पूंजीगत परिव्यय/ जीएसडीपी (%)	3	5	5	4	4	5
योजना व्यय/ गैर-योजना व्यय (%)	28	53	53	59	61	81
योजना व्यय/ कुल व्यय (%)	22	35	35	37	38	45

7.14 क्षेत्रगत व्यय

7.14.1 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

आय की गरीबी को उपभोग पर किए गए खर्च के जरिए मापा जाता है, लेकिन मानवीय गरीबी इससे आगे जाती है। मानवीय गरीबी में प्रति व्यक्ति आय के अलावा जीवन संभाव्यता तथा साक्षरता दर भी शामिल होती है। अतएव बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि की बेहतर उपलब्धता आज आर्थिक विकास और मानव कल्याण के बीच मजबूत संपर्क स्थापित करने के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अतएव जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार के निर्णय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय अनिवार्य हो जाता है। तालिका 7.42 में 2005-06 से 2010-11 तक के 6 वर्षों में सामाजिक सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रभाविता की जांच की गई है।

सामाजिक क्षेत्र के विकास की राज्य सरकार की चिंता इस क्षेत्र हेतु बढ़े आबंटन से काफी हद तक अभिव्यक्त होती है जो 2005-06 के 7,190 करोड़ रु. से बढ़कर 2010-11 में 19,342 करोड़ रु. हो गया है। लगभग 5 हजार करोड़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्धि 2010-11 में हुई है। वर्ष 2010-11 में सामाजिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के 5 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया है जो सभी सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय के

15 प्रतिशत के बराबर है। राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक भी - अर्थात जो राशि वस्तुतः पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च होती है - 71 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है जो 6 वर्ष पूर्व मात्र 51 प्रतिशत था। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 2005-06 के मात्र 328 करोड़ रु. से लगभग पांचगुना बढ़कर 2010-11 में 1,526 करोड़ रु. हो गया है। अधिकांश वृद्धि 2010-11 में जलापूर्ति और स्वच्छता के मामले में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 400 करोड़ रु. वृद्धि के कारण हुई है। राजस्व व्यय के मामले में भी देखें तो 2010-11 में शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (2,000 करोड़ रु.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (600 करोड़ रु.) तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (1,400 करोड़ रु.) के क्षेत्र में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 में सामाजिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय में 4,700 करोड़ रु. की उछाल आई है।

तालिका 7.42 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	4423	5359	5553	6882	7750	9703
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	4394	5253	5496	6706	7416	9497
(क) वेतन घटक (%)	53	45	45	43	48	38
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	47	55	55	57	52	62
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	29	106	57	177	334	205
पूंजीगत परिव्यय (%)	1	2	1	3	4	2
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1015	1153	1387	1291	1508	2105
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	877	985	1141	1193	1388	1911
(क) वेतन घटक (%)	71	60	53	61	66	61
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	29	40	47	39	34	39
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	138	168	246	97	121	193
पूंजीगत परिव्यय (%)	14	15	18	8	8	9
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	532	766	1053	1600	1903	3709
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	407	514	713	1413	1438	2838
(क) वेतन घटक (%)	20	18	16	10	11	7
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	80	82	84	90	89	93
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	124	253	339	187	465	871
पूंजीगत परिव्यय (%)	23	33	32	12	24	23
योग (सामाजिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	7190	8513	10667	12892	14309	19342
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	6862	7917	9868	12252	13186	17816
(क) वेतन घटक (%)	49	40	35	32	38	29
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	51	60	65	68	62	71
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	328	596	799	640	1123	1526
पूंजीगत परिव्यय (%)	5	7	7	5	8	8

7.14.2 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 7.43 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण,

तालिका 7.43 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	503	596	759	1284	1505	1584
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	410	585	737	1273	1504	1580
(क) वेतन घटक (%)	31	39	31	21	26	27
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	69	61	69	80	74	73
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	93	11	22	11	1	4
पूंजीगत परिव्यय (%)	18	2	3	1	0	0
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	1074	1067	1450	1845	2246	3588
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	483	435	562	704	897	1069
(क) वेतन घटक (%)	55	68	63	58	69	73
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	45	32	37	42	31	27
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	591	632	888	1141	1349	2518
पूंजीगत परिव्यय (%)	55	59	61	62	60	70
विद्युत एवं ऊर्जा						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	303	1515	841	1123	1244	1728
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1	1081	726	723	868	1100
(क) वेतन घटक (%)	0	0	0	0	0	0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	100	100	100	100	100	100
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	302	434	115	400	376	628
पूंजीगत परिव्यय (%)	100	29	14	36	30	36
परिवहन						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	560	2076	2707	2956	3748	4530
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	285	414	408	493	690	938
(क) वेतन घटक (%)	38	25	29	28	23	21
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	62	75	71	72	77	79
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	275	1662	2299	2463	3058	3592
पूंजीगत परिव्यय (%)	49	80	85	83	82	79
उद्योग एवं खनिज						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	41	497	398	503	534	615
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	36	86	233	226	265	333
(क) वेतन घटक (%)	21	19	14	13	17	17
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	79	81	86	87	83	83
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	5	411	165	277	269	282
पूंजीगत परिव्यय (%)	12	83	41	55	50	46
योग (आर्थिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	4051	8481	9520	11316	13023	15934
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	2367	4021	4438	5726	7088	7410
(क) वेतन घटक (%)	34	23	22	22	25	28
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	66	77	78	79	75	72
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1684	4460	5082	5590	5935	8525
पूंजीगत परिव्यय (%)	42	53	53	49	46	53

ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन का आर्थिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व और पूंजीगत, दोनों के संयुक्त व्यय में 82 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है (2010-11)। आर्थिक सेवाओं का आधा से अधिक व्यय पूंजी लेखे में किया गया। आर्थिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन का हिस्सा 70 प्रतिशत से भी अधिक था। विगत 6 वर्षों की पूरी अवधि में आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक सामाजिक सेवाओं की तरह ही ऊंचा बना रहा। यह 2008-09 में सर्वाधिक 78 प्रतिशत था जिसके बाद उसमें गिरावट आई और वर्तमान वित्त वर्ष में यह 72 प्रतिशत है। वेतन घटक सिर्फ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के मामले में ऊंचा था जिसमें कुल व्यय का 73 प्रतिशत हिस्सा इसी मद में था।

आर्थिक सेवाओं से संबंधित पूंजीगत परिव्यय में भी काफी वृद्धि हुई है और यह 2005-06 के 1,684 करोड़ रु. से 2010-11 में 8,525 करोड़ रु. पहुंच गया है। यह पूंजीगत परिव्यय हमेशा ही राज्य के कुल पूंजीगत परिव्यय का 80 प्रतिशत से भी अधिक भाग रहा है। वर्ष 2010-11 में यह 10,434 करोड़ रु. के कुल पूंजीगत परिव्यय का 82 प्रतिशत था; सामाजिक सेवाओं का हिस्सा इसका 15 प्रतिशत था। राज्य के कुल पूंजीगत परिव्यय में सामान्य सेवाओं का हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है; गत 6 वर्षों में ऐसी ही स्थिति बनी रही।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत गैर-योजना वेतन घटक हर वर्ष मात्र 5-6 प्रतिशत बढ़ना चाहिए और गैर-योजना शीर्षों के तहत गैर-वेतन घटक न्यूनतम 30 प्रतिशत। बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों के बरअक्स उपलब्धियों को तालिका 7.44 में दर्शाया गया है जिसमें यह दिखता है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क और पुल के मामले में सभी वर्षों को तथा शिक्षा के मामले में 2007-08 को छोड़कर 2008-09 तक सारे लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली आर्थिक मंदी के कारण 2009-10 में सभी क्षेत्रों के मामले में थोड़ी कमी रह गई है।

तालिका 7.44 : गैर-योजना राजस्व व्यय के मामले में 12वें वित्त आयोग के अनुमानों के बरअक्स उपलब्धियां

(करोड़ रु.)

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
शिक्षा	12वां वित्त आयोग	3821	4184	4581	5016	5493
	वास्तविक	3777	4189	**4742**	5099	**6592**
स्वास्थ्य	12वां वित्त आयोग	790	881	982	1095	1221
	वास्तविक	758	850	1012	1039	**1431**
भवन	12वां वित्त आयोग	121	217	223	185	237
	वास्तविक	111	180	203	194	**274**
सड़क एवं पुल	12वां वित्त आयोग	259	349	363	377	392
	वास्तविक	**282**	**411**	**403**	**491**	**1006**

7.15 सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

तालिका 7.45 में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है जिसकी गणना 2005-06 से 2010-11 तक बिहार की आकलित जनसंख्या के आधार पर की गई है। प्रति व्यक्ति पूंजीगत परिव्यय में इन तमाम वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि होती रही है जो 2005-06 में मात्र 231 रु. था जबकि अभी यह 1,073 रु. है, हालांकि अभी भी यह राष्ट्रीय औसत से कम है। पहले भी कहा गया है कि इस वर्ष इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शिक्षा तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता के मामले में प्रति व्यक्ति व्यय भी इस वर्ष काफी बढ़ा है। विभिन्न क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति व्यय सामान्यत: काफी बढ़ा है, खास कर 2010-11 में। हालांकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के प्रति व्यक्ति व्यय से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर सरकारी व्यय में जिलों के बीच मौजूद भारी असमानता ढंक जाती है जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

तालिका 7.45 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.
अनुमानित जनसंख्या (करोड़)	9.02	9.16	9.31	9.45	9.58	9.72
कुल व्यय (करोड़ रु.)						
शिक्षा, खेल आदि	4394	5253	5496	6706	7416	9497
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	877	985	1141	1193	1388	1911
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	407	514	713	1413	1438	2838
सामाजिक सेवाएं	6862	7917	9868	12252	13186	17816
आर्थिक सेवाएं	2367	4021	4438	5726	7088	7410
पूंजीगत परिव्यय	2084	5211	6104	6436	7332	10434
सामान्य सेवाएं	8523	8643	9252	10530	12202	15448
प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
शिक्षा, खेल आदि	487	573	590	710	774	977
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	97	108	123	126	145	197
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	45	56	77	150	150	292
सामाजिक सेवाएं	761	864	1060	1297	1376	1833
आर्थिक सेवाएं	262	439	477	606	740	762
पूंजीगत परिव्यय	231	569	656	681	765	1073
सामान्य सेवाएं	945	944	994	1114	1274	1589

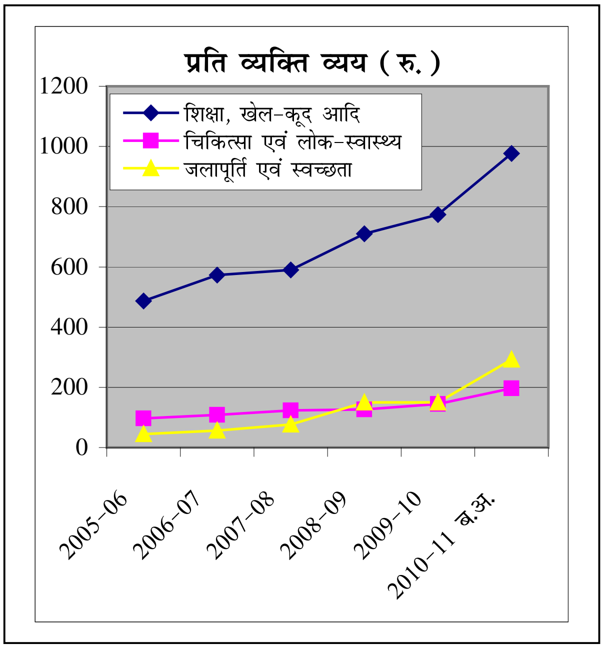

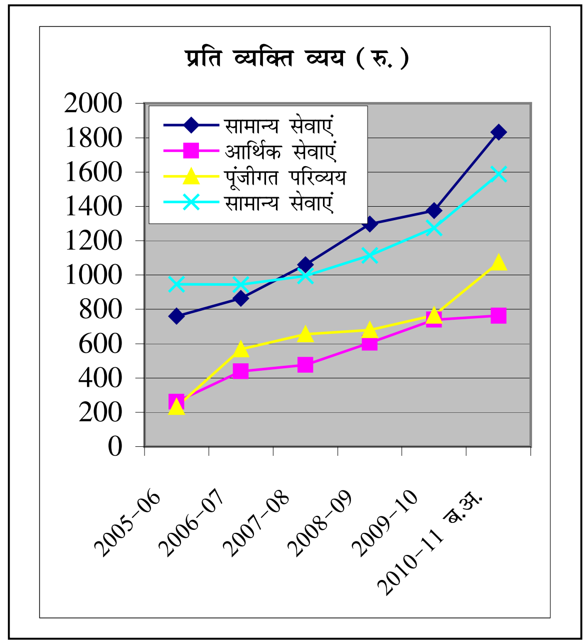

7.16 राज्य का बजट और 2009-10 के लिए पुनरीक्षित अनुमान

वर्ष 2010-11 का बजट महत्वाकांक्षी बजट था क्योंकि इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक आवेग प्रदान करने तथा त्वरित विकास को मदद देने का प्रयास किया गया था। इस खंड में 2010-11 के बजट का विश्लेषण किया गया है और 2009-10 की वास्तवित प्राप्ति एवं व्यय के साथ इसकी तुलना की गई है। यह संतुलित बजट भी था।

वर्ष 2010-11 के लिए तालिका 7.46 में प्रस्तुत बजट सारांश में देखा जा सकता है कि गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में 11,700 करोड़ रु. और राजस्व लेखे में व्यय में 8,000 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया था। इस कारण 2010-11 में राजस्व लेखे में 6,557 करोड़ रु. का अधिशेष अनुमानित था जबकि 2008-09 में वास्तविक राजस्व अधिशेष 2,943 करोड़ रु. था।

वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय में 2009-10 की अपेक्षा 3,100 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया था जबकि ऋणग्रहण से पूंजीगत प्राप्तियों में मात्र 367 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित थी। वर्ष 2010-11 में ऋण अदायगी में गत वर्ष की अपेक्षा 200 करोड़ की कमी अनुमानित है। फलतः पूंजीगत व्यय में 2009-10 की तुलना में शुद्ध वृद्धि 2,800 करोड़ रु. की ही होगी। इस प्रकार पूंजी लेखे में 6,565 करोड़ रु. का घाटा होगा जिसको बजट संतुलित रखते हुए राजस्व लेखा में मौजूद अधिशेष से पूरा किया जा सकेगा। लोक लेखा में 353 करोड़ रु. का शुद्ध अधिशेष मौजूद है और सभी लेखों का शुद्ध परिणाम 345 करोड़ रु. का अधिशेष है।

तालिका 7.46 : बजट 2009-10 का सारांश, [अधिशेष (-), घाटा (+)]

(करोड़ रु.)

	2009-10 (वास्तविक)	2010-11 ब.अ.		2009-10 (वास्तविक)	2010-11 ब.अ.
राजस्व लेखा			**पूंजी लेखा**		
प्राप्तियां			**प्राप्तियां**		
कर राजस्व	26292	34244	लोक ऋण	6134	6501
गैर-कर राजस्व	1670	1207	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	13	14
अनुदान और अंशदान	7564	11784			
कुल राजस्व प्राप्तियां	**35527**	**47235**	**कुल पूंजीगत प्राप्तियां**	**6148**	**6515**
व्यय			**व्यय**		
सामान्य सेवाएं	12202	15448	पूंजीगत परिव्यय	7332	10434
सामाजिक सेवाएं	13186	17816	लोक ऋण	1983	1916
आर्थिक सेवाएं	7088	7410	ऋण तथा अग्रिम	897	731
अनुदान एवं अंशदान	107	4			
कुल राजस्व व्यय	**32584**	**40678**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**10212**	**13080**
घाटा - राजस्व लेखा	**-2943**	**-6557**	**घाटा - पूंजी लेखा**	**4064**	**6565**
संचित निधि की प्राप्तियां	**41674**	**53750**	**संचित निधि से व्यय**	**42796**	**53759**
निवल संचित निधि (प्राप्ति - व्यय)	**-1122**	**-8**			
आकस्मिक निधि					
आय			व्यय		
आकस्मिक निधि का योग			**आकस्मिक निधि का योग**		
लोक लेखा			**लोक लेखा**		
प्राप्तियां			**संवितरण**		
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	707	1420	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	970	1094
संरक्षित कोष	566	327	संरक्षित कोष	607	327
जमा और अग्रिम	6311	3674	जमा और अग्रिम	6445	3647
सस्पेंस तथा विविध	175193	0	सस्पेंस तथा विविध	175484	0
प्रेषण	7423	0	प्रेषण	7368	0
कुल प्राप्तियां - लोक लेखा	**190200**	**5421**	**कुल संवितरण - लोक लेखा**	**190874**	**5068**
शुद्ध परिणाम - लोक लेखा (प्राप्ति - व्यय)	**-675**	**353**			
शुद्ध परिणाम - सभी लेखे (प्राप्ति - व्यय)	**-1796**	**345**			

राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा उससे व्यय का ढांचा तालिका 7.47 में प्रस्तुत है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे-मोटे अंतरों को छोड़कर प्राप्ति या व्यय संरचना में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है। संचित निधि में प्राप्तियों के प्रतिशत के बतौर कर राजस्व संचित निधि की कुल प्राप्ति का 64 प्रतिशत था जो गत वर्ष के लगभग बराबर ही है। गैर-कर राजस्व और लोक ऋण के हिस्से में लगभग दो-दो प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि केंद्रीय अनुदान का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत बढ़ा है।

संचित निधि से व्यय भी दोनों वर्षों में लगभग एक जैसा ही रहा। सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा गत वर्ष की ही तरह लगभग 29 प्रतिशत बना रहा जबकि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2 प्रतिशत बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में आर्थिक सेवाओं का हिस्सा गत वर्ष से लगभग 3 प्रतिशत घट गया जबकि पूंजीगत परिव्यय के हिस्से में 2 प्रतिशत वृद्धि हुई और संचित निधि से होने वाले कुल व्यय में इसका हिस्सा 19 प्रतिशत हो गया।

तालिका 7.47 : संचित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों तथा व्यय का प्रतिशत वितरण

प्राप्ति	2009-10	2010-11 (ब.अ.)	व्यय	2009-10	2010-11 (ब.अ.)
राजस्व लेखा			**राजस्व लेखा**		
कर राजस्व	63.09	63.71	सामान्य सेवाएं	28.51	28.74
गैर-कर राजस्व	4.01	2.25	सामाजिक सेवाएं	30.81	33.14
सहायता अनुदान और अंशदान	18.15	21.92	आर्थिक सेवाएं	16.56	13.78
पूंजी लेखा			**पूंजी लेखा**		
लोक ऋण	14.72	12.09	लोक ऋण की अदायगी	4.63	3.56
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.03	0.03	ऋण एवं अग्रिम	2.10	1.36
			पूंजीगत परिव्यय	17.13	19.41
योग	**100**	**100**	**योग**	**100**	**100**

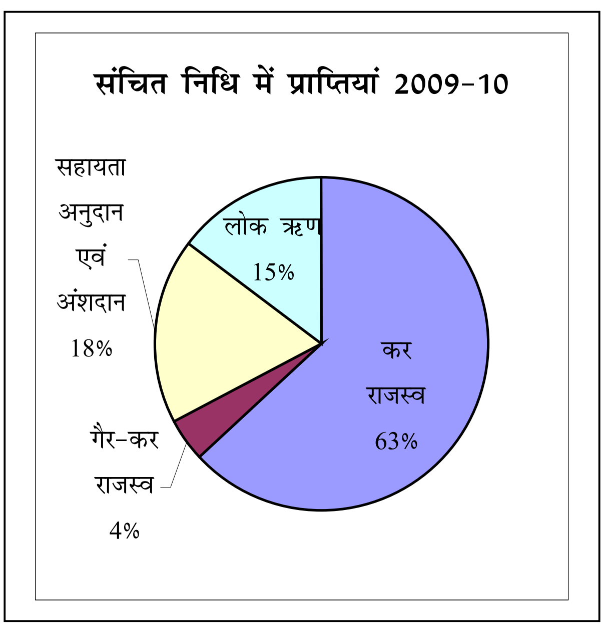

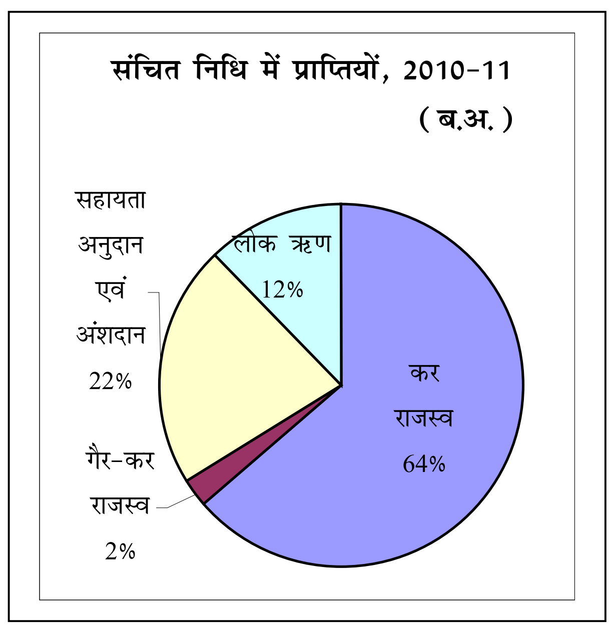

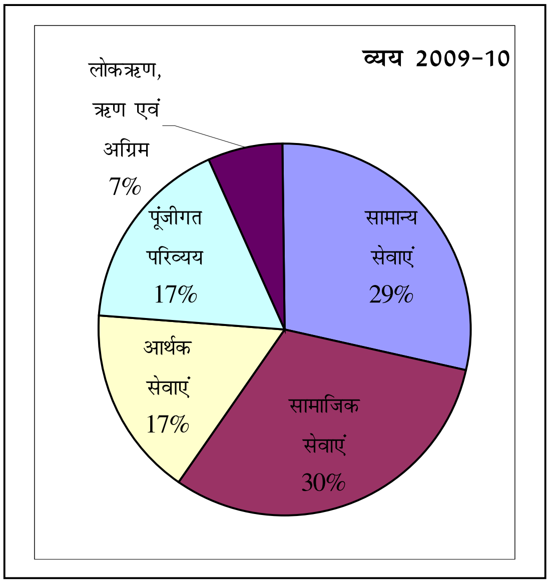

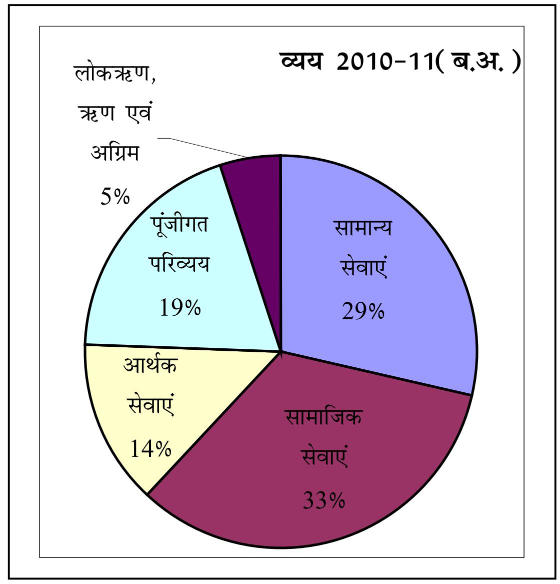

7.17 राज्य बजट को दरकिनार करती केंद्रीय राशि

हाल के वर्षों में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ी है। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली स्वायत्त राज्य समितियों तथा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारों (डीआरडीए) को केंद्र सरकार से बढ़े परिमाण में राशि सीधे हस्तांतरित हो रही है। तालिका 7.48 में 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक) में स्वायत्त निकायों को केंद्र सरकार से अंतरित धन के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संबंधित आंकड़े तीन प्रमुख समितियों से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें केंद्र सरकार सीधे धन अंतरित करती है। ये हैं -

(क) बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के लिए;

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के सभी घटकों के लिए;

(ग) जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (डीआरडीए) - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा), स्वर्णजयंती ग्रामीण रोजगार योजना, (एसजीएसवाइ), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाइ), इंदिरा आवास योजना (आइएवाइ), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स), नगरवत ग्रामीण क्षेत्र सुविधा प्रावधान (पीयूआरए), समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना (आइडब्ल्यूडीपी) तथा प्राधिकार के अपने प्रशासन के लिए।

तालिका 7.48 : राज्य बजट को दरकिनार करते केंद्रीय धन का विवरण - 2007-08 से 2010-11

(करोड़ रु.)

मद	राज्य बजट को दरकिनार करता भारत सरकार का हिस्सा			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	1326	1659	1217	1144
एनपीईजीईएल	0	106	0	10
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	51	166	0	44
योग (एसएसए+ एनपीईजीईएल+केजीबीवी)	1377	**1931**	**1217**	**1198**
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	**253**	**645**	**411**	218
नरेगा	545	1369	1033	1416
एसजीएसवाइ	105	241	132	81
इंदिरा आवास योजना (नया+ उत्क्रमण)	1054	2178	1881	1123
इंदिरा आवास योजना (ऋण सह सब्सिडी)	0	0	0	0
इंदिरा आवास योजना (5%)	0	0	0	0
इंदिरा आवास योजना (2004 बाढ़ प्रभावित)	0	0	0	0
इंदिरा आवास योजना (कोशी बाढ़ 2008 प्रभावित)	-	54	0	0
इंदिरा आवास योजना (कालाजार 2006 प्रभावित)	2	2	3	0
इंदिरा आवास योजना (कालाजार 2008 प्रभावित)	-	54	0	0
इंदिरा आवास योजना (आपकी सरकार आपके द्वार)	0	0	0	0
इंदिरा आवास योजना (नक्सल 2008)		138	112	26
हरियाली (डीपीएपी + आइडब्ल्यूएपी)	1	7	6	0
डीआरडीए (प्रशासन)	10	14	21	14
योग (डीआरडीए)	**1717**	**4057**	**3189**	**2660**
राज्य बजट को दरकिनार करता भारत सरकार का कुल धन	**3347**	**6633**	**4818**	**4075**
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	12	20	14	9
कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर	11	18	11	8

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना; राज्य स्वास्थ्य समिति; ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.48 में गौर करने की बात है कि 2007-08 में स्वायत्त समितियों को 3,347 करोड़ रु. सीधे भेज दिए गए। यह राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का 12 प्रतिशत और इसके व्यय का 11 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2007-08 में राज्य योजनागत योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार का कुल अनुदान 4,327 करोड़ रु. था। इस प्रकार राज्य बजट के जरिए नहीं आने वाली राशि केंद्र सरकार के कुल अनुदान 5,832 करोड़ रु. का 74 प्रतिशत है। इस तरह केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बजट को दरकिनार करके अंतरित होने वाला धन किसी भी तरह कोई छोटी राशि नहीं है। वर्ष 2008-09 में 6,633 करोड़ रु. बढ़कर यह राशि लगभग दूनी हो गई है जो राज्य सरकार की प्राप्तियों के 20 प्रतिशत और व्यय के 18 प्रतिशत के बराबर है। 7962 करोड़ रु. की यह राशि वस्तुतः केंद्र सरकार से उस वर्ष राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कुल योजना तथा

गैर योजना अनुदान का 83 प्रतिशत थी। उसके बाद से यह राशि घटी है और 2009-10 में 4,818 करोड़ रु. तथा इस वर्ष में अक्तूबर तक 4,075 करोड़ रु. रह गई। वर्ष 2009-10 में ऐसे अंतरण की राशि राज्य सरकार की कुल प्राप्ति का 14 प्रतिशत और इसके व्यय का 11 प्रतिशत थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे अंतरणों का केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर खास तौर से तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व पर आम तौर से बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं :

(1) राज्य सरकार का धन के उपयोग की प्रक्रिया पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि इनमें से अधिकांश धन राज्य के लेखों से होकर नहीं गुजरता है। इस प्रकार अनुश्रवण प्राधिकार के बतौर इसकी हैसियत समाप्त हो जाती है।

(2) इस तथ्य के अलावा कि धन को बजट के बाहर अंतरित किया जा रहा है, योजनाओं की प्रकृति धन का विशेष घटकों के साथ जुड़ना निर्धारित करती है। यह केंद्रीकृत ढांचा राज्य केंद्रित लक्ष्यों के अनुरूप व्यय को अनुकूलित करने की संभावना सीमित कर देता है। इसके अलावा, यह राज्य योजना के घटकों और केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्यों के बीच सहक्रिया निर्मित करने में असफल रहता है।

विकेंद्रीकरण के समग्र ढांचे में राजकोषीय सुपुर्दगी (डिवोल्यूशन) केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, और राज्य सरकार से जिला तथा पंचायतों के स्तर तक होनी चाहिए। राज्य सरकार को दरकिनार करना सुपुर्दगी की मूल भावना के खिलाफ जाता है और वस्तुतः वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण भारत के स्तर पर केंद्रीकरण तथा जिला स्तर पर संसाधनों के अकुशल उपयोग का कारण बनता है। निस्संदेह, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन का कम उपयोग बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह तर्क दिया जाने लगा था कि स्वायत्त समितियों को अंतरित धन इसके अधिक मात्रा में और अधिक कुशल उपयोग का कारण बनेगा, लेकिन ऐसा दावा ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। ऐसे धनों समुचित उपयोग से संबंधित आंकड़े बहुत कम उपलब्ध हैं; और अनुश्रवण तथा नियंत्रण के मकसद से व्यवस्थित आंकड़ा आधार दुरुस्त भी नहीं रखा गया है। ऐसे धन के उपयोग से संबंधित किसी प्रामाणिक आंकड़ा आधार की अनुपस्थिति में ऐसे व्यय के परिणाम के वस्तुगत मूल्यांकन तक पहुंचना मुश्किल है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार से परामर्श करके ऐसे धन के अनुश्रवण, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था विकसित करे और इस व्यवस्था में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो।

7.18 केंद्र प्रायोजित योजनाएं

7.18.1 सर्व शिक्षा अभियान

तालिका 7.49 में 2001-02 से 2010-11 तक बिहार में सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रदर्शन दर्शाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार में विमुक्त धन का हमेश उच्च स्तर पर उपयोग होता रहा है जबकि अनुमोदिन धन को विमुक्त करने में ही कुछ विलंब होता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत धन के उपयोग के ऊंचे स्तर का एक कारण तो यह है कि क्रियान्वयन अभिकरण (बिहार शिक्षा परियोजना) का कामकाजी संस्था के रूप में अनेक वर्षों से अस्तिव रहा है जिसने कार्यक्रम के लिए तैयारशुदा संस्थागत ढांचा उपलब्ध करा दिया।

घटकवार विवरण से पता चलता है कि सर्व शिक्षा अभियान के सामान्य घटक के लिए 2009-10 में विमुक्त धन के 98 प्रतिशत का उपयोग हुआ था हालांकि विमुक्त धन अनुमोदित धन का मात्र 50 प्रतिशत ही था। हालांकि

एनपीईजीईएल के जेंडर विशेषिक घटक के लिए उपयोग अपेक्षाकृत कम – 56 प्रतिशत था। तथापि, पिछले वर्ष के मुकाबले उपयोग का स्तर काफी सुधरा था जिसमें उपयोग 14 प्रतिशत ही था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के मामले में गत वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ कुल व्यय के आंकड़े उपलब्ध थे जो अनुमोदित बजट का 50 प्रतिशत था। बहरहाल, जेंडर विशेषिक घटक का कुल व्यय नियोजित आबंटन का छोटा हिस्सा ही है।

तालिका 7.49 : सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय प्रदर्शन[10] (करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट	धन विमुक्ति			कुल व्यय	प्रतिशत उपयोग	
		भारत सरकार	बिहार सरकार	योग		विमुक्त धन के संबंध में	अनुमोदित धन के संबंध में
सर्व शिक्षा अभियान							
2001-02	67	29	5	34	9	27	13
2002-03	351	79	29	108	13	12	4
2003-04	765	194	65	259	247	95	32
2004-05	836	302	80	382	377	99	45
2005-06	843	302	121	423	444	105	53
2006-07	2340	1026	539	1565	1550	99	66
2007-08	3161	1326	816	2142	1886	88	60
2008-09	3400	1659	855	2514	2083	83	61
2009-10	4132	1217	903	2121	2077	98	50
2010-11[11]	5122	1144	830	1974	1537	78	30
एनपीईजीईएल							
2004-05	49	18	0	18	13	69	26
2005-06	57	18	12	30	26	87	45
2006-07	74	55	9	65	34	52	46
2007-08	48	0	9	9	24	265	51
2008-09	39	106	30	136	19	14	48
2009-10	31	-	27	27	15	56	48
2010-11	29	10	0	10	2	16	5
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय							
2005-06	18	11	4	16	2	14	12
2006-07	138	40	6	46	15	69	11
2007-08	130	51	7	58	41	71	32
2008-09	225	166	53	219	75	34	33
2009-10	156	-	-	-	78	-	50
2010-11	133	44	-	44	37	84	28

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

[10] व्यय के आंकड़े अनंतिम और लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

[11] सभी योजनाओं के लिए 2010-11 के आंकड़े 31 अक्तूबर, 2010 तक के ही हैं।

7.18.2 जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार

जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार नरेगा, स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना जैसे गरीबी उन्मूलन के अधिकांश प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जवाबदेह हैं। तालिका 7.50 में दिखता है कि 2010-11 में प्राधिकारों द्वारा नरेगा हेतु विमुक्त धन के 58 प्रतिशत भाग का उपयोग किया गया था जबकि उससे पिछले वर्ष यह आंकड़ा 76 प्रतिशत था, हालांकि यह उस वर्ष के वित्तीय लक्ष्य का मात्र 29 प्रतिशत है। स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के लिए 52 प्रतिशत विमुक्त राशि खर्च की गई जो वित्तीय लक्ष्य का 89 प्रतिशत है। इंदिरा आवास योजना के मामले में विभिन्न योजनाओं के तहत धन का उपयोग और लक्ष्य की प्राप्ति एक जैसी नहीं है लेकिन राशि के उपयोग के मामले में कुछ सुधार की जरूरत है। कुल मिलाकर मात्र 68 प्रतिशत विमुक्त तथा उपलब्ध राशि खर्च की गई। इस प्रकार सारे कार्यक्रमों का प्रबंधन एक ही प्राधिकार कर रहा था, इसके बावजूद कार्यक्रमों के योजना निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न कारण वश धन के उपयोग की क्षमता में कार्यक्रम के हिसाब से अंतर था। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश योजनाएं लाभार्थियों की लक्षित पहचान पर आधारित हैं जो बोझिल तथा विवादप्रवण साबित हुआ है। इससे कार्यक्रमों की प्रभाविता और भी धीमी हुई है।

तालिका 7.50 : जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार के तहत योजनाओं का वित्तीय प्रदर्शन

(करोड़ रु.)

सूचक	2008-09	2009-10	2010-11[12]	2008-09	2009-10	2010-11
	नरेगा			स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना		
वित्तीय लक्ष्य	2412	3259	4417	337	345	398
गत वर्ष की शेष राशि	638	1033	665	210	354	335
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	1369	1033	1416	241	132	81
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	144	262	79	35	94	30
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	1513	1295	1495	276	226	111
अन्य निधियां	26	70	22	4	9	1
कुल उपलब्ध धन	2178	2397	2182	490	589	447
कुल व्यय	1306	1818	1262	200	309	97
उपलब्ध धन का % व्यय	60	76	58	41	52	22
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	54	56	29	59	89	24
सूचक	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	इंदिरा आवास योजना (केंद्र तथा राज्य)			इंदिरा आवास योजना (5%)		
वित्तीय लक्ष्य	0	0	0	0	0	0
गत वर्ष की शेष राशि	5	4	2	1	0	0
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0	0	0	0	0	0
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0	0	0	0	0	0
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	0	0	0	0	1	0
अन्य निधियां	0	0	0	0	0	0
कुल उपलब्ध धन	5	4	2	1	1	0
कुल व्यय	2	0	0	1	0	0
उपलब्ध धन का % व्यय	34	6	1	42	2	51
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	-	-	-	-	-	-

[12] सभी योजनाओं के लिए 2010-11 के आंकड़े अक्तूबर, 2010 तक के ही हैं।

सूचक	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	इंदिरा आवास योजना (नई)			इंदिरा आवास योजना (बाढ़ प्रभावित)		
वित्तीय लक्ष्य	1985	3843	3415	0	0	0
गत वर्ष की शेष राशि	777	1732	1552	63	16	5
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	2178	1881	1123	0	0	0
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	526	632	573	0	0	0
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	2704	2513	1696	0	0	0
अन्य निधियां	30	30	8	0	0	0
कुल उपलब्ध धन	3511	4275	3255	63	16	5
कुल व्यय	2131	2969	1289	21	4	0
उपलब्ध धन का % व्यय	61	69	40	33	24	8
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	107	77	38	-	-	-
सूचक	2008-09	2009-10	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
	इंदिरा आवास योजना (कोशी बाढ़ 2008 प्रभावित)			इंदिरा आवास योजना (नक्सल)		
वित्तीय लक्ष्य	144	0	0	369	0	0
गत वर्ष की शेष राशि	0	72	54	0	138	158
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	54	0	0	138	112	26
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	18	0	0	0	82	9
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	72	0	0	138	194	34
अन्य निधियां	0	0	0	0	0	0
कुल उपलब्ध धन	72	72	54	138	332	192
कुल व्यय	0	27	8	0	173	89
उपलब्ध धन का % व्यय	-	38	14	0	52	46
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	-	-	-	-	-	-
सूचक	2008-09	2009-10	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
	इंदिरा आवास योजना (कालाजार प्रभावित-2006)			हरियाली (डीपीएपी और आइडब्ल्यूडीपी)		
वित्तीय लक्ष्य	0	0	0	-	-	-
गत वर्ष की शेष राशि	5	3	4	24	24	24
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	2	3	0	7	6	0
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	1	0	1	1	1	0
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	2	3	1	8	6	0
अन्य निधियां	0	0	0	0	0	0
कुल उपलब्ध धन	7	6	5	32	30	24
कुल व्यय	5	2	0	8	7	3
उपलब्ध धन का % व्यय	65	40	3	26	23	14
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	-	-	-	-	-	-

सूचक	2008-09	2009-10	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
	इंदिरा आवास योजना (कालाजार प्रभावित-2008)			जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार (प्रशासन)		
वित्तीय लक्ष्य	256	0	0	0	0	0
गत वर्ष की शेष राशि	0	96	80	4	2	4
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	96	11	0	14	21	14
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0	32	4	5	5	6
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	96	43	4	19	26	20
अन्य निधियां	0	0	0	3	4	0
कुल उपलब्ध धन	96	139	84	26	32	24
कुल व्यय	0	68	29	22	24	14
उपलब्ध धन का % व्यय	-	49	35	84	77	59
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	-	-	-	-	-	-
सूचक	2008-09	2009-10	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
	इंदिरा आवास योजना (आपकी सरकार आपके द्वार)			योग		
वित्तीय लक्ष्य	99	0	0	5601	7447	8230
गत वर्ष की शेष राशि	0	18	60	1727	3491	2941
भारत सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	0	0	0	4099	3200	2660
बिहार सरकार का हिस्सा (विमुक्त)	99	58	0	828	1165	701
कुल विमुक्त राशि (बिहार + भारत सरकार)	99	58	0	4928	4365	3361
अन्य निधियां	0	0	0	63	113	32
कुल उपलब्ध धन	99	75	60	6717	7968	6333
कुल व्यय	65	13	16	3759	5416	2807
उपलब्ध धन का % व्यय	65	18	26	56	68	44
वित्तीय लक्ष्य का % व्यय	65	-	-	67	73	34

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

* सभी योजनाओं के लिए 2010-11 के आंकड़े अक्तूबर, 2010 तक के ही हैं।

7.19 जिलों में योजना तथा गैर-योजना व्यय

तालिका 7.51 में जिलों में 2009-10[13] के दौरान गैर-योजना (एनपी), राज्य योजना (एसपी), केंद्रीय योजनागत योजनाओं (सीपीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत किया गया व्यय दर्शाया गया है। तालिका 7.52 में विभिन्न जिलों में 2009-10 के दौरान किए गए प्रति व्यक्ति योजना और गैर-योजना व्ययों को दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि कुल व्यय में पटना जिले का हिस्सा लगभग 39 प्रतिशत है जो गत वर्ष के 44 प्रतिशत से कम है। वर्ष 2009-10 में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय उसके पिछले वर्ष के 3,821 रु. की तुलना में 4,206 रु. हो गया जबकि प्रति व्यक्ति गैर-योजना व्यय 2008-09 के 2,366 रु. के मुकाबले 2,085 रु. था। राज्य योजना तथा केंद्र योजना के लिए प्रति व्यक्ति केंद्रीय योजनागत सहायता 3939 रु. थी जबकि प्रति व्यक्ति केंद्र प्रायोजित योजना राशि 210 रु.।

तालिका 7.52 में स्पष्ट दिखता है कि 2009-10 में पटना और अन्य जिलों के बीच प्रति व्यक्ति व्यय के मामले में भारी अंतर था। जहां पटना का समग्र प्रति व्यक्ति व्यय 29,009 रु. था जो व्यवहारत: पिछले साल जैसा ही था, वहीं दूसरे जिलों में यह समस्तीपुर के 1,617 रु. से सुपौल के 5,724 रु. के बीच था। जिलों के बीच प्रति व्यक्ति व्यय में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है लेकिन मौजूद अंतर अभी भी काफी अधिक है। व्यय में विषमता की समस्या पर अगले खंड में विस्तार से चर्चा की गई है।

[13] ये आंकड़े वित्तीय लेखों में दर्ज आंकड़ों से भिन्न हैं क्योंकि समाधान-संशोधन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। वित्तीय लेखों में दर्ज विवरण के अनुसार 2009-10 में योजना व्यय 16,194 करोड़ रु. है और गैर-योजना व्यय 26,601 करोड़ रु. जिन्हें मिलाकर कुल व्यय 42,795 करोड़ रु. हो जाता है जबकि तालिका 7.51 में 39,966 करोड़ रु. ही दिखाया गया है। पहले भी इंगित किया गया है कि योजना व्यय का अच्छा-खासा हिस्सा बजट का अंग नहीं होता है, खास कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में, इसलिए ये प्रारंभिक कोषागार अभिलेख से वित्तीय लेखों में दर्ज नहीं हो पाते हैं जैसा कि संचित निधि से होने वाले अन्य तमाम व्ययों के साथ होता है। यही कारण है कि इनमें अंतर पैदा होता है। निर्माण/ वन के अंतर्गत दिखने वाला व्यय अधिकांशत: योजना व्यय होता है और वित्तीय लेखों में अभिव्यक्त होता है। आंकड़ों के बीच अंतर के संशोधन-समाधान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

तालिका 7.51 : जिलावार व्यय (2009-10)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	जिला	गैर-योजना	केंद्रीय योजनागत योजना	केंद्र प्रायोजित योजना	राज्य योजना	उप-योग	निर्माण/ वन	योग
1	पटना	5612.61	72.81	375.35	7257.53	13316.23	2355.27	15671.50
2	नालंदा	559.96	0.56	41.44	222.11	824.07	120.79	944.86
3	रोहतास	540.08	0.60	35.63	159.95	736.25	97.59	833.84
4	कैमूर	187.51	0.38	20.67	87.04	295.60	54.47	350.07
5	बक्सर	334.28	0.47	33.45	89.11	457.31	66.99	524.31
6	भोजपुर	528.89	0.43	38.86	105.24	673.42	60.26	733.68
7	गया	643.37	0.72	63.48	215.58	923.14	118.12	1041.26
8	औरंगाबाद	359.50	0.45	34.79	121.17	515.91	46.64	562.55
9	जहानाबाद	251.52	0.76	15.92	93.68	361.88	66.48	428.36
10	अरवल	78.87	0.07	7.07	28.03	114.05	0.94	114.98
11	नवादा	296.74	0.53	27.58	87.20	412.05	36.50	448.55
12	सारण	581.37	0.07	54.54	146.61	782.59	84.40	866.99
13	सीवान	434.61	0.44	44.05	130.64	609.74	59.73	669.47
14	गोपालगंज	360.71	0.38	35.07	130.46	526.62	67.90	594.52
15	मुजफ्फरपुर	853.23	0.54	78.87	246.22	1178.87	129.36	1308.22
16	सीतामढ़ी	508.60	0.66	103.65	215.11	828.03	165.47	993.50
17	शिवहर	61.21	0.00	6.12	35.52	102.86	0.91	103.77
18	पश्चिम चंपारण	464.64	0.41	56.21	171.41	692.67	65.01	757.67
19	पूर्वी चंपारण	583.95	0.71	64.51	282.16	931.33	145.40	1076.73
20	वैशाली	467.01	0.25	106.95	141.43	715.64	129.90	845.54
21	दरभंगा	623.77	0.45	64.87	201.57	890.66	119.05	1009.71
22	समस्तीपुर	390.49	0.35	26.93	149.86	567.63	60.73	628.36
23	मधुबनी	545.12	0.96	69.93	256.29	872.30	144.48	1016.78
24	सहरसा	316.47	0.24	24.13	136.85	477.68	51.62	529.30
25	सुपौल	329.59	52.77	72.41	317.66	772.43	363.07	1135.50
26	मधेपुरा	299.50	0.29	22.47	131.04	453.29	77.40	530.69
27	पूर्णिया	410.44	0.26	51.45	150.18	612.33	68.29	680.63
28	अररिया	260.74	0.37	57.15	135.38	453.63	51.67	505.30
29	किशनगंज	161.26	0.22	47.64	84.33	293.45	17.56	311.01
30	कटिहार	392.77	0.62	49.65	137.10	580.14	74.34	654.48
31	भागलपुर	683.43	0.37	96.80	238.74	1019.34	192.65	1211.99
32	बांका	215.93	0.37	28.43	130.85	375.58	83.55	459.14
33	मुंगेर	433.10	0.19	23.08	102.69	559.06	41.87	600.94
34	लखीसराय	100.70	0.10	11.33	42.16	154.28	4.89	159.18
35	बेगूसराय	429.02	0.31	39.87	132.29	601.49	58.80	660.28
36	जमुई	195.48	0.16	26.11	142.30	364.04	87.14	451.19
37	खगड़िया	230.79	0.19	26.38	86.36	343.73	50.13	393.86
38	शेखपुरा	86.93	0.00	10.34	43.38	140.65	16.85	157.50
	योग	**19814.18**	**139.47**	**1993.17**	**12585.24**	**34529.98**	**5436.23**	**39966.21**

स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं एवं जांच), बिहार, पटना

तालिका 7.52 : जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (2009-10) (रु.)[14]

जिला	गैर-योजना	केंद्रीय योजनागत योजना	केंद्र प्रायोजित योजना	राज्य योजना	उप-योग	निर्माण/ वन	योग
पटना	10389	135	695	13434	24649	4360	29009
नालंदा	2063	2	153	818	3036	445	3481
रोहतास	1925	2	127	570	2624	348	2972
कैमूर	1270	3	140	590	2003	369	2372
बक्सर	2082	3	208	555	2848	417	3265
भोजपुर	2059	2	151	410	2622	235	2857
गया	1618	2	160	542	2321	297	2618
औरंगाबाद	1560	2	151	526	2238	202	2441
जहानाबाद	2263	7	143	843	3256	598	3855
अरवल	1267	1	114	450	1832	15	1847
नवादा	1432	3	133	421	1989	176	2165
सारण	1563	0	147	394	2104	227	2331
सीवान	1398	1	142	420	1962	192	2154
गोपालगंज	1464	2	142	529	2137	275	2412
मुजफ्फरपुर	1989	1	184	574	2748	302	3050
सीतामढ़ी	1656	2	337	700	2696	539	3235
शिवहर	1036	0	104	601	1741	15	1757
पश्चिम चंपारण	1030	1	125	380	1536	144	1680
पूर्वी चंपारण	1676	2	185	810	2673	417	3090
वैशाली	1500	1	344	454	2299	417	2717
दरभंगा	1653	1	172	534	2360	315	2676
समस्तीपुर	1005	1	69	386	1460	156	1617
मधुबनी	1332	2	171	626	2131	353	2484
सहरसा	1833	1	140	793	2766	299	3065
सुपौल	1662	266	365	1601	3894	1830	5724
मधेपुरा	1714	2	129	750	2593	443	3036
पूर्णिया	1409	1	177	516	2102	234	2337
अररिया	1055	1	231	548	1835	209	2045
किशनगंज	1086	1	321	568	1977	118	2095
कटिहार	1434	2	181	500	2118	271	2389
भागलपुर	2463	1	349	861	3674	694	4369
बांका	1172	2	154	710	2039	454	2493
मुंगेर	3325	1	177	788	4292	321	4613
लखीसराय	1096	1	123	459	1680	53	1733
बेगूसराय	1595	1	148	492	2236	219	2455
जमुई	1221	1	163	889	2273	544	2817
खगड़िया	1574	1	180	589	2345	342	2687
शेखपुरा	1445	0	172	721	2338	280	2618
योग	2085	15	210	1324	3634	572	4206

[14] प्रति व्यक्ति व्यय की गणना के लिए 2009 की मध्यवार्षिक जनसंख्या का उपयोग किया गया है।

7.20 स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी व्यय में जिलों में बीच विषमता

अंतिम दो आर्थिक सर्वेक्षणों में जिलों के बीच विभिन्न सूचकों के लिहाज से मौजूद स्पष्ट विषमताओं को चिन्हित किया गया था। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी निम्नलिखित क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है : प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विश्लेषण के साथ शिक्षा; चिकित्सा; पेयजल आपूर्ति; मलजल निकासी तथा स्वच्छता; और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय के संबंध में अलग से विश्लेषण किया गया है। उत्तर बिहार के अनेक जिलों में बार-बार आने वाली बाढ़ों के लिहाज से इसका काफी महत्व है। जिलों में इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के संबंध में निश्चिंत हो लेने के लिए आंकड़ों का कोषागार-वार विश्लेषण किया गया है।

तालिका 7.53 में दिखता है कि 2005-06 से 2010-11 तक शिक्षा के संबंध में होने वाले व्यय का बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा के लिए समर्पित था। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय 2007-08 में शिक्षा पर हुए कुल व्यय का 68 प्रतिशत था जिसके बाद 16 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर और 15 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर व्यय हुआ था। उसके बाद से जोर अंशतः उच्च शिक्षा की दिशा में बढ़ा है। वर्ष 2009-10 में शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय में प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा कम था - 62 प्रतिशत। रकम के रूप में देखें, तो 2009-10 में प्राथमिक शिक्षा पर 4831 करोड़ रु. व्यय हुए थे जबकि 2008-09 में यह राशि 4,183 करोड़ रु. और 2007-08 में 3,696 करोड़ रु. थी। माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा 2007-08 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 21 प्रतिशत हो गया है। निस्संदेह, 2008-09 की तुलना में देखें तो यह शिक्षा व्यय में कोई ढांचागत परिवर्तन जैसा नहीं है जैसा कि तालिका 7.53 में भी दिखता है। राज्य सरकार ने 2009-10 में सामान्य शिक्षा पर कुल 7,349 करोड़ रु. खर्च किए थे और 2010-11 के बजट अनुमान में इसे 28 प्रतिशत बढ़ाकर 9,397 करोड़ रु. करने का प्रयास किया था।

तालिका 7.53 : शिक्षा पर सरकारी व्यय का प्रतिशत वितरण

	कुल व्यय में प्रतिशत हिस्सा					
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
प्राथमिक	64	63	68	61	63	62
माध्यमिक	16	20	16	21	20	21
उच्च शिक्षा	18	16	15	14	12	12
अन्य	2	1	1	4	4	4
सामान्य शिक्षा	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच), बिहार, पटना

तालिका 7.54 में बिहार के सभी जिलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर हुए जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाए गए हैं। तालिका 7.54 में आंकड़ों को अवरोही क्रम में सजाया गया है और अधिकतम तथा न्यूनतम व्ययों की प्रत्येक क्षेत्र के लिए निकाले गए औसत व्यय के साथ आसानी से तुलना की जा सकती है। पटना और शेष जिलों के बीच विषमता का परिमाण सभी क्षेत्रों में गत दो वर्षों की तरह ही बहुत अधिक पाया गया है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के मामले में वर्तमान वर्ष में इसमें कमी आती दिखती है। हालांकि यह स्थिति माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मामले में नहीं है। निस्संदेह, पहले भी चिन्हित किया गया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत किए गए कुछ व्यय को इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस विश्लेषण हेतु विचारित किसी भी व्यय शीर्ष के मामले में उनका प्रभाव बहुत कम होगा।

तालिका 7.54 : शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय (2009-10)

(रु.)

जिला	प्राथमिक शिक्षा	जिला	माध्यमिक शिक्षा	जिला	उच्च शिक्षा
पटना	3381.07	पटना	542.71	पटना	1861.28
मुंगेर	455.78	मुंगेर	241.24	मुंगेर	9.85
गोपालगंज	428.28	बक्सर	197.55	सहरसा	7.95
सीतामढ़ी	425.90	अरवल	187.95	भागलपुर	4.53
नालंदा	419.97	जहानाबाद	186.23	मुजफ्फरपुर	3.92
बेगूसराय	415.90	भोजपुर	172.96	भोजपुर	3.14
भोजपुर	398.59	भागलपुर	170.00	सारण	3.07
पू. चंपारण	392.60	नालंदा	160.17	दरभंगा	2.86
मधेपुरा	376.14	रोहतास	154.33	रोहतास	2.19
औरंगाबाद	375.60	शेखपुरा	148.64	नालंदा	2.17
वैशाली	373.93	सारण	146.70	जहानाबाद	2.15
खगड़िया	369.01	लखीसराय	144.09	गया	1.91
मुजफ्फरपुर	367.47	कैमूर	143.28	कटिहार	1.90
लखीसराय	363.27	गोपालगंज	130.71	पूर्णिया	1.72
सीवान	359.31	औरंगाबाद	124.84	मधेपुरा	1.60
सहरसा	355.90	गया	121.02	किशनगंज	1.36
भागलपुर	355.04	सीतामढ़ी	120.10	समस्तीपुर	1.36
बक्सर	351.57	नवादा	119.80	खगड़िया	1.18
शेखपुरा	351.50	सीवान	118.93	औरंगाबाद	1.16
मधुबनी	345.67	वैशाली	114.20	वैशाली	1.16
रोहतास	345.19	मुजफ्फरपुर	111.43	सुपौल	0.96
जहानाबाद	330.83	बेगूसराय	108.36	पू. चंपारण	0.92
सारण	325.54	खगड़िया	101.86	गोपालगंज	0.90
नवादा	316.76	बांका	100.18	बक्सर	0.87
कटिहार	316.07	मधुबनी	99.54	सीवान	0.81
दरभंगा	306.11	पू. चंपारण	98.05	नवादा	0.76
पूर्णिया	304.21	सहरसा	96.33	जमुई	0.71
शिवहर	294.30	सुपौल	94.04	बेगूसराय	0.64
अरवल	288.25	मधेपुरा	84.94	सीतामढ़ी	0.62
बांका	286.55	जमुई	82.27	मधुबनी	0.61
अररिया	283.67	दरभंगा	80.12	अररिया	0.59
सुपौल	282.43	कटिहार	72.87	प. चंपारण	0.55
गया	269.82	पूर्णिया	70.88	बांका	0.50
किशनगंज	264.04	समस्तीपुर	70.03	कैमूर	0.00
कैमूर	263.21	अररिया	66.02	अरवल	0.00
प. चंपारण	251.85	किशनगंज	57.47	शिवहर	0.00
जमुई	225.98	शिवहर	56.06	लखीसराय	0.00
समस्तीपुर	201.90	प. चंपारण	52.99	शेखपुरा	0.00
राज्य	**508.36**	**राज्य**	**137.54**	**राज्य**	**107.52**

स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच), बिहार, पटना

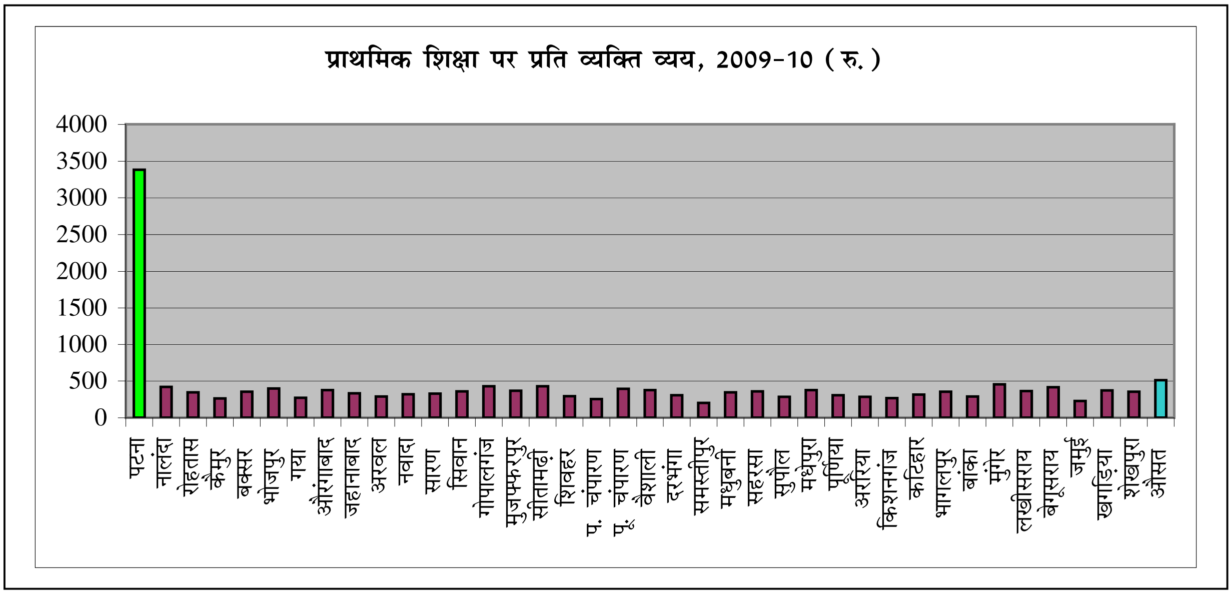
प्राथमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
पटना
नालंदा
रोहतास
कैमुर
बक्सर
भोजपुर
गया
औरंगाबाद
जहानाबाद
अरवल
नवादा
सारण
सिवान
गोपालगंज
मुजफ्फरपुर
सीतामढ़ी
शिवहर
प. चंपारण
पू. चंपारण
वैशाली
दरभंगा
समस्तीपुर
मधुबनी
सहरसा
सुपौल
मधेपुरा
पूर्णिया
अररिया
किशनगंज
कटिहार
भागलपुर
बांका
मुंगेर
लखीसराय
बेगूसराय
जमुई
खगड़िया
शेखपुरा
औसत

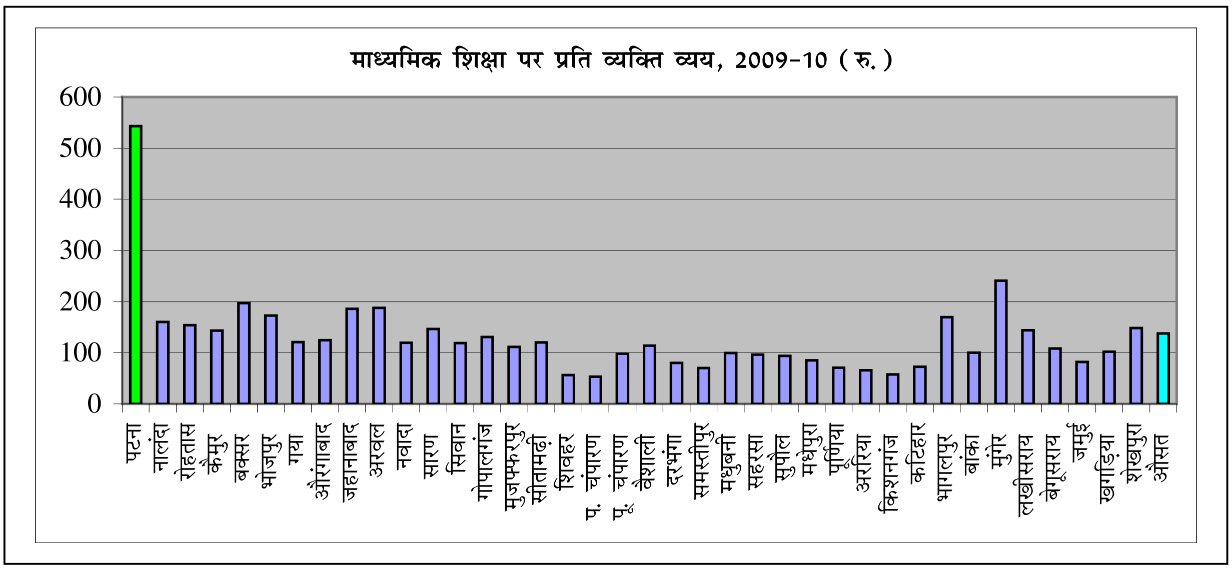
माध्यमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)
0
100
200
300
400
500
600
पटना
नालंदा
रोहतास
कैमुर
बक्सर
भोजपुर
गया
औरंगाबाद
जहानाबाद
अरवल
नवादा
सारण
सिवान
गोपालगंज
मुजफ्फरपुर
सीतामढ़ी
शिवहर
प. चंपारण
पू. चंपारण
वैशाली
दरभंगा
समस्तीपुर
मधुबनी
सहरसा
सुपौल
मधेपुरा
पूर्णिया
अररिया
किशनगंज
कटिहार
भागलपुर
बांका
मुंगेर
लखीसराय
बेगूसराय
जमुई
खगड़िया
शेखपुरा
औसत

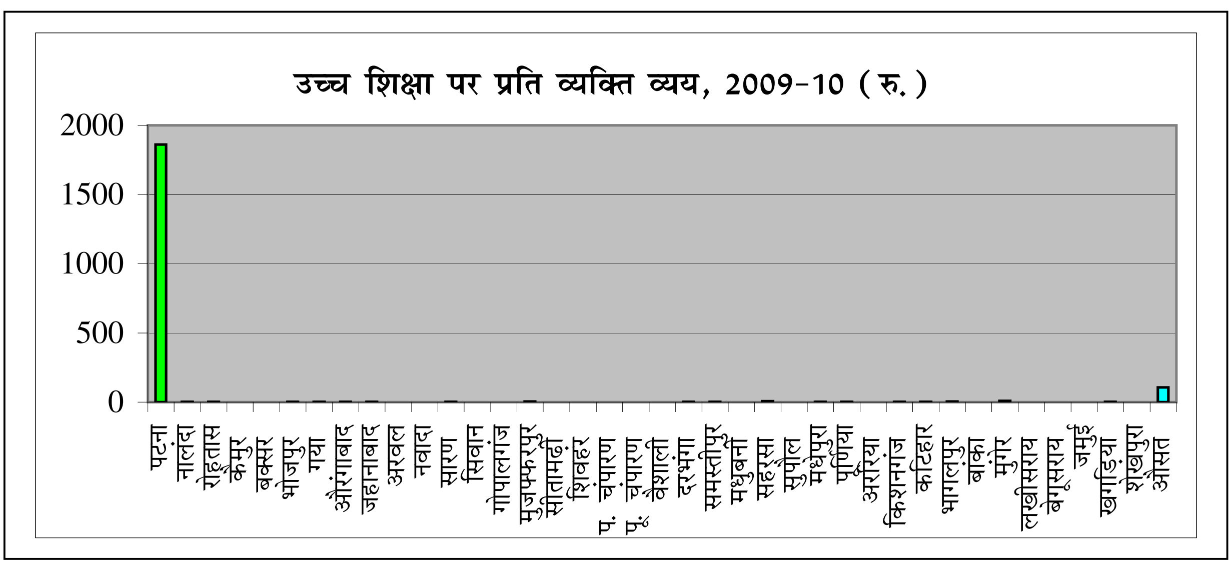
उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)
0
500
1000
1500
2000
पटना
नालंदा
रोहतास
कैमुर
बक्सर
भोजपुर
गया
औरंगाबाद
जहानाबाद
अरवल
नवादा
सारण
सिवान
गोपालगंज
मुजफ्फरपुर
सीतामढ़ी
शिवहर
प. चंपारण
पू. चंपारण
वैशाली
दरभंगा
समस्तीपुर
मधुबनी
सहरसा
सुपौल
मधेपुरा
पूर्णिया
अररिया
किशनगंज
कटिहार
भागलपुर
बांका
मुंगेर
लखीसराय
बेगूसराय
जमुई
खगड़िया
शेखपुरा
औसत

तालिका 7.55 में चिकित्सा, पेयजल, मलजल निकासी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे अन्य शीर्षों के संबंध में जिलावार व्यय दर्शाया गया है और 2009-10 के लिए उनकी प्रति व्यक्ति राशियों को तालिका 7.56 में 2009-10 के लिए इसकी प्रति व्यक्ति रकम दउी गई है। ये तालिकाएं यह भी दर्शाती हैं कि इन शीर्षों के मामले में विषमता का परिमाण गत वर्षों की तरह ही स्पष्ट और कष्टकर बना हुआ है। इन तमान व्यय शीर्षों के तहत संसाधनों का आबंटन पटना जिला के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ दिखता है।

तालिका 7.55 : जिलावार व्यय : कुल अन्य सामाजिक क्षेत्र (2009-2010)

(करोड़ रु.)

जिला	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	पेयजल	मलजल निकासी तथा स्वच्छता	अजा एवं अजजा कल्याण
पटना	388	204	565	187
नालंदा	25	9	12	9
रोहतास	21	11	8	9
कैमूर	9	2	4	9
बक्सर	10	3	5	5
भोजपुर	25	4	8	6
गया	57	16	15	21
औरंगाबाद	18	3	7	5
जहानाबाद	14	3	4	3
अरवल	4	0	3	1
नवादा	14	3	7	5
सारण	20	9	12	9
सीवान	19	2	10	5
गोपालगंज	16	2	9	5
मुजफ्फरपुर	61	13	15	12
सीतामढ़ी	28	4	13	7
शिवहर	4	0	2	1
पश्चिम चंपारण	26	3	9	11
पूर्वी चंपारण	26	4	11	7
वैशाली	23	4	11	7
दरभंगा	76	16	12	8
समस्तीपुर	21	3	11	4
मधुबनी	25	4	18	8
सहरसा	14	4	5	4
सुपौल	10	0	5	3
मधेपुरा	10	1	6	4
पूर्णिया	21	6	9	8
अररिया	12	1	7	3
किशनगंज	9	0	4	2
कटिहार	21	2	4	7
भागलपुर	48	34	7	9
बांका	16	3	5	4
मुंगेर	17	7	6	4
लखीसराय	8	1	3	2
बेगूसराय	22	3	9	4
जमुई	10	2	6	5
खगड़िया	10	1	5	3
शेखपुरा	7	2	3	1
बिहार	**1165**	**389**	**853**	**408**

स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच), बिहार, पटना

तालिका 7.56 : अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर जिलावार प्रति व्यक्ति व्यय (2009-2010)

(रु.)

जिला	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	जिला	पेयजल	जिला	मलजल निकासी तथा स्वच्छता	जिला	अजा एवं अजजा कल्याण
पटना	718	पटना	378	पटना	1046	पटना	347
दरभंगा	201	भागलपुर	123	शेखपुरा	52	कैमूर	60
भागलपुर	172	मुंगेर	55	अरवल	46	गया	54
गया	144	दरभंगा	42	मधुबनी	44	भागलपुर	34
मुजफ्फरपुर	143	रोहतास	40	मुंगेर	44	बक्सर	33
जहानाबाद	129	गया	40	नालंदा	42	मुंगेर	32
मुंगेर	127	शेखपुरा	39	सीतामढ़ी	42	जमुई	32
शेखपुरा	113	नालंदा	35	जहानाबाद	39	नालंदा	32
भोजपुर	96	मुजफ्फरपुर	29	गया	38	रोहतास	32
सीतामढ़ी	92	जहानाबाद	27	गोपालगंज	36	पूर्णिया	28
नालंदा	92	सारण	24	जमुई	36	मुजफ्फरपुर	27
बांका	87	सहरसा	22	नवादा	35	जहानाबाद	25
सहरसा	84	पूर्णिया	20	मुजफ्फरपुर	35	सहरसा	25
लखीसराय	83	बांका	17	वैशाली	34	प. चंपारण	25
बेगूसराय	81	बक्सर	16	लखीसराय	34	शेखपुरा	25
औरंगाबाद	80	भोजपुर	16	बेगूसराय	34	कटिहार	24
कटिहार	76	कैमूर	15	सीवान	33	नवादा	23
पू. चंपारण	76	नवादा	13	मधेपुरा	33	भोजपुर	23
रोहतास	75	औरंगाबाद	13	पूर्णिया	32	सीतामढ़ी	23
वैशाली	74	जमुई	13	खगड़िया	32	सारण	23
पूर्णिया	73	पू. चंपारण	12	सारण	32	मधेपुरा	22
अरवल	70	सीतामढ़ी	12	औरंगाबाद	31	खगड़िया	22
नवादा	70	वैशाली	11	पू. चंपारण	31	लखीसराय	22
शिवहर	69	लखीसराय	11	दरभंगा	31	औरंगाबाद	22
गोपालगंज	67	बेगूसराय	10	बक्सर	30	वैशाली	21
खगड़िया	66	गोपालगंज	9	भोजपुर	30	दरभंगा	21
बक्सर	65	खगड़िया	9	कैमूर	28	मधुबनी	21
मधुबनी	62	मधुबनी	9	समस्तीपुर	28	बांका	20
कैमूर	62	समस्तीपुर	8	सहरसा	28	पू. चंपारण	19
सीवान	60	कटिहार	8	बांका	28	गोपालगंज	18
जमुई	59	मधेपुरा	8	रोहतास	27	सीवान	17
किशनगंज	58	सीवान	7	अररिया	27	अरवल	16
प. चंपारण	58	प. चंपारण	6	सुपौल	27	शिवहर	16
मधेपुरा	56	अररिया	5	शिवहर	27	बेगूसराय	16
सारण	54	अरवल	0	भागलपुर	26	सुपौल	16
समस्तीपुर	53	शिवहर	0	किशनगंज	25	किशनगंज	15
सुपौल	51	सुपौल	0	प. चंपारण	21	अररिया	14
अररिया	48	किशनगंज	0	कटिहार	16	समस्तीपुर	10
बिहार	**123**	**बिहार**	**41**	**बिहार**	**90**	**बिहार**	**43**

स्रोत : महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच), बिहार, पटना

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)

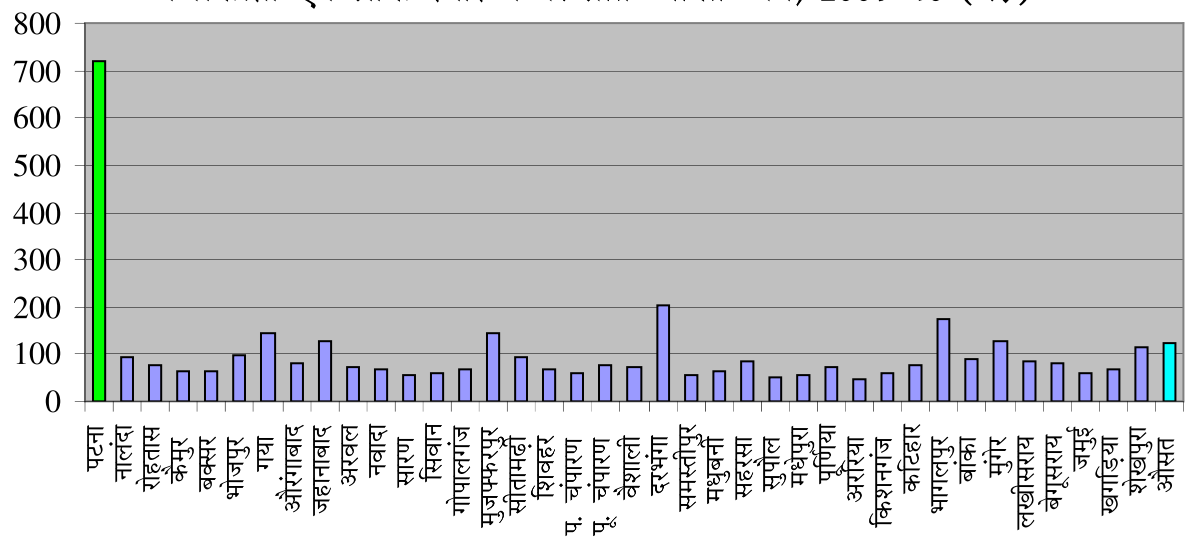

पेयजल आपूर्ति पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)

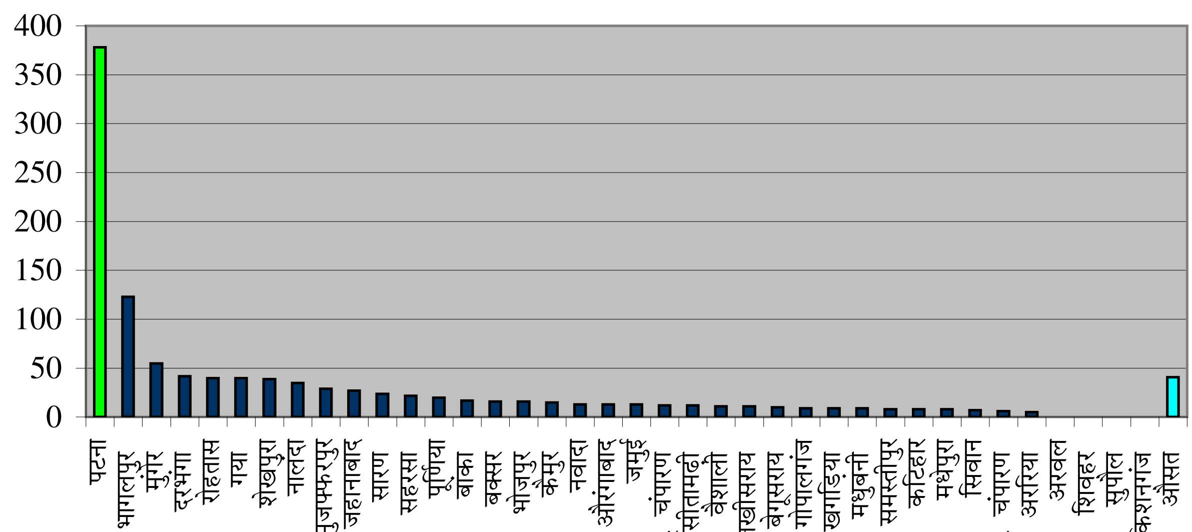

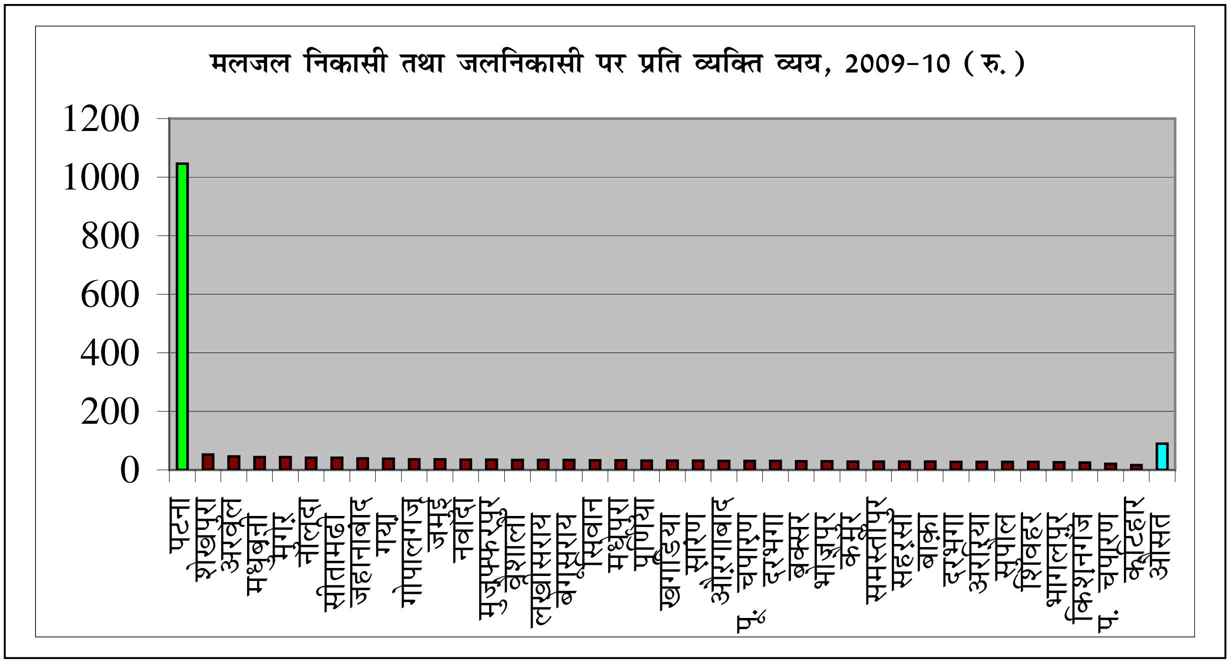
मलजल निकासी तथा जलनिकासी पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)
1200
1000
800
600
400
200
0
पटना
शेखपुरा
अरवल
मधुबनी
मुंगेर
नालंदा
सीतामढ़ी
जहानाबाद
गया
गोपालगंज
जमुई
नवादा
मुजफ्फरपुर
वैशाली
लखीसराय
बेगूसराय
सिवान
मधेपुरा
पूर्णिया
खगड़िया
सारण
औरंगाबाद
पू. चंपारण
दरभंगा
बक्सर
भोजपुर
कैमूर
समस्तीपुर
सहरसा
बांका
दरभंगा
अररिया
सुपौल
शिवहर
भागलपुर
किशनगंज
प. चंपारण
कटिहार
औसत

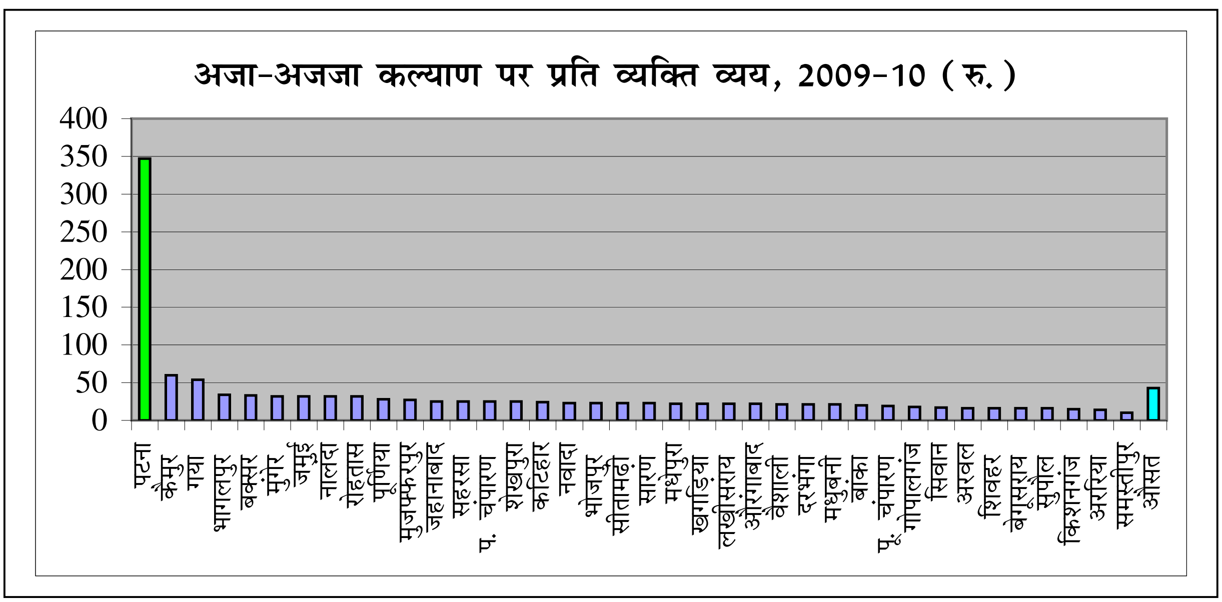
अजा-अजजा कल्याण पर प्रति व्यक्ति व्यय, 2009-10 (रु.)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
पटना
कैमुर
गया
भागलपुर
बक्सर
मुंगेर
जमुई
नालंदा
रोहतास
पूर्णिया
मुजफ्फरपुर
जहानाबाद
सहरसा
प. चंपारण
शेखपुरा
कटिहार
नवादा
भोजपुर
सीतामढ़ी
सारण
मधेपुरा
खगड़िया
लखीसराय
औरंगाबाद
वैशाली
दरभंगा
मधुबनी
बांका
पू. चंपारण
गोपालगंज
सिवान
अरवल
शिवहर
बेगूसराय
सुपौल
किशनगंज
अररिया
समस्तीपुर
औसत

7.21 जिलों में प्रति व्यक्ति आय में विषमता का परिमाण

अधिकांश व्यय शीर्षों के मामले में पटना जिले का हिस्सा सर्वाधिक था और अधिकतम तथा न्यूनतम व्यय के मामले में अंतर इतना अधिक था कि यह गंभीर चिंता का विषय है। तालिका 7.57 और 7.58[15] में यह अंतर साफ दिखता है। जहां प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के मामले में गत वर्ष की अपेक्षा विषमता घटी है, वहीं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के मामले में यह दो वर्षों में बढ़ी है। समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, अररिया और किशनगंज जिले विषमता के सोपानक्रम में सबसे नीचे दिखते हैं। लेकिन विभिन्न शीर्षों के तहत सरकारी व्यय के मामले में कैमूर, अरवल और नवादा जैसे जो जिले 2008-09 में सबसे नीचे थे, वे इस वर्ष सोपानक्रम में अपेक्षाकृत ऊपर चढ़े हैं। यह स्वागत योग्य बात है कि समानीकरण तंत्र काम करने लगा है।

तालिका 7.57 : जिलों का प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम व्यय (2008-09 और 2009-10)

(रुपए)

लेखा शीर्ष	अधिकतम प्रति व्यक्ति व्यय वाला जिला (2008-09)	अधिकतम प्रति व्यक्ति व्यय वाला जिला (2009-10)	न्यूनतम प्रति व्यक्ति व्यय वाला जिला (2008-09)	न्यूनतम प्रति व्यक्ति व्यय वाला जिला (2009-10)	राज्य स्तर पर औसत व्यय (2008-09)	राज्य स्तर पर औसत व्यय (2009-10)
प्राथमिक शिक्षा	पटना (3867)	पटना (3381)	कैमूर (84)	समस्तीपुर (202)	425	508
माध्यमिक शिक्षा	पटना (485)	पटना (543)	कैमूर (37)	प. चंपारण (53)	151	138
उच्च शिक्षा	पटना (1723)	पटना (1861)	अरवल (0)	शेखपुरा (0)	103	108
चिकित्सा	पटना (753)	पटना (718)	कैमूर (24)	अररिया (48)	107	123
पेयजल आपूर्ति	शेखपुरा (232)	पटना (378)	नवादा (0)	किशनगंज (0)	22	41
अजा, अजजा, अपिव कल्याण	पटना (87)	पटना (347)	कैमूर (6)	समस्तीपुर (10)	23	43

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जिलों के प्रति व्यक्ति व्यय को अभिव्यक्त करते हैं।

[15] इस खंड के विश्लेषण में विभिन्न जिलों में सामाजिक क्षेत्र की सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में किए गए खर्च को शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण प्रासंगिक शीर्षों में विषमता के स्तर में कमी का प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा, अधिकांशतः पटना में अवस्थित विभागीय मुख्यालयों द्वारा किए गए खर्च को भी जिलों के बीच बांटा नहीं गया है। इससे भी राजधानी वाले जिले और अन्य जिलों के बीच मौजूद असमानता के स्तर में एक हद तक कमी आएगी। लेकन प्रति व्यक्ति व्यय के मामले में ऐसी कमियों के प्रभाव से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा और विषमता कुल मिलाकर बनी रहेगी। इसके अलावा, इन कारकों के कारण इसके पैटर्न में बहुत अधिक अंतर आने वाला नहीं है।

तालिका 7.58 : विषमता का परिमाण

व्यय शीर्ष	अधिकतम व्यय : औसत व्यय (2008-09)	अधिकतम व्यय : औसत व्यय (2009-10)	न्यूनतम व्यय : औसत व्यय (2008-09)	न्यूनतम व्यय : औसत व्यय (2009-10)
प्राथमिक शिक्षा	9.1	6.7	0.2	0.4
माध्यमिक शिक्षा	3.2	3.9	0.2	0.4
उच्च शिक्षा	16.7	17.2	0.0	0.0
चिकित्सा	7.0	5.8	0.2	0.4
पेयजल आपूर्ति	10.5	9.2	0.0	0.0
अजा, अजजा, अपिव कल्याण	3.8	8.1	0.3	0.2

7.22 सरकारी व्यय का आर्थिक प्रभाव

इस खंड में विश्लेषण सरकारी व्यय के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के प्रयास में किया गया है। इस मकसद से राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय को पांच विभिन्न लेखों में वर्गीकृत किया गया है जिसके बाद उन्हें लेखों के पारंपरिक कार्यशील वर्गीकरण से संबंधित किया गया है। ये पांच लेखे हैं :

1. लेखा-1 : वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन का चालू लेखा;
2. लेखा-2 : वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन का पूंजी लेखा;
3. लेखा-3 : वित्तीय परिसंपत्ति में ट्रांजैक्शन का पूंजी लेखा;
4. लेखा-4 : वित्तीय देनदारियों में ट्रांजैक्शन का पूंजी लेखा तथा
5. लेखा-5 : नगद तथा पूंजीगत समाधान (रिकंसिलिएशन) लेखा।

विश्लेषण महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं जांच), बिहार द्वारा तैयार वित्तीय लेखे से 2009-10 के लिए अब उपलब्ध प्राप्तियों और व्यय के वास्तविक आंकड़ों की सहायता से किया गया है। इन आंकड़ों को ट्रांजैक्शन की प्रकृति के अनुरूप उक्त पांच लेखों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

पहला, विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आबंटन के कार्यशील वर्गीकरणों और विवरणों को तालिका 7.59 में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट दिखता है कि योजना और गैर-योजना मिलाकर वेतन और मजदूरी पर कुल व्यय 2009-10 में 9,660 करोड़ रु. पहुंच गया। इनमें से अधिकांश व्यय राज्य सरकार के राजस्व लेखे से होता है।

तालिका 7.59 : राज्य सरकार के व्यय का कार्यशील वर्गीकरण

(करोड़ रु.)

राजस्व लेखा									
	कुल व्यय			वेतन तथा मजदूरी			अन्य व्यय		
	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
सामान्य सेवाएं	351	11851	12202	41	2812	2853	310	9039	9350
सामाजिक सेवाएं	5140	8046	13186	330	4643	4972	4810	3403	8214
आर्थिक सेवाएं	2947	4141	7088	200	1549	1749	2747	2592	5339
अनुदान एवं अंशदान		107	107					107	107
उप-योग	**8439**	**24145**	**32584**	**571**	**9003**	**9574**	**7868**	**15142**	**23010**
पूंजीगत व्यय									
	कुल व्यय			वेतन तथा मजदूरी			अन्य व्यय		
	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
सामान्य सेवाएं	217	58	274	0	0	0	217	58	274
सामाजिक सेवाएं	1116	7	1123	0	0	0	1116	7	1123
आर्थिक सेवाएं	5936	-1	5935	86	0	86	5850	-1	5849
ऋण एवं अग्रिम	897	1983	2880	0	0	0	897	1983	2880
उप-योग	**8165**	**2047**	**10212**	**86**	**0**	**86**	**8079**	**2047**	**10126**
योग	**16604**	**26192**	**42796**	**657**	**9003**	**9660**	**15947**	**17188**	**33136**

इन आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत करने के बाद पांच लेखों को तालिका 7.60 क से लेकर 7.60 च तक में दर्शाया गया है जो इस प्रकार है :

तालिका 7.60 क : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-1 : चालू खाता

(करोड़ रु.)

लेखा	संवितरण			लेखा	प्राप्तियां	
1	**वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन : सरकार का चालू लेखा**					
1	**उपभोग व्यय**		**21,372**	**5**	**कर प्राप्तियां**	
1.1	वेतन		9,659	5.1	आय पर कर	11,664
1.2	वस्तुएं एवं सेवाएं		11713	5.2	संपदा और पूंजीगत लेनदेन पर कर	1,139
2	**अंतरण भुगतान**		**11,611**	5.3	वस्तुओं और सेवाओं पर कर	13,489
2.1	**ब्याज भुगतान**		**3,685**			
2.2	**अनुदान**				**योग**	**26292**
	i. स्थानीय निकायों को	1,476				
	ii. सार्वजनिक उद्यमों को	193		**6**	**गैर-कर प्राप्तियां**	**1,670**
	iii. स्वायत्त निकायों एवं अन्य को	448	**2,117**			
3	**अन्य चालू अंतरण**					
3.1	पेंशन	4,318				
3.2	सब्सिडी	944				
3.3	अन्य	547	**5,809**			
	योग (1+2)		**32,983**		**योग**	**27,963**
7	**चालू लेखा (लेखा-1) में निवल घाटा**		**5,020**			

तालिका 7.60 ख : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-2 : पूंजी लेखा

(करोड़ रु.)

लेखा	संवितरण			लेखा		प्राप्तियां	
2	वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतरणों में ट्रांजैक्शन : सरकार का पूंजी लेखा						
8	सकल स्थिर पूंजी निर्माण		7246	10	पूंजीगत अंतरण		7565
8.1	पूंजीगत अंतरण				केंद्र सरकार से अनुदान		7565
9.1	पूंजी निर्माण हेतु अनुदान			10.1	योजना अनुदान		
	i. स्थानीय निकायों को	495			i. केंद्रीय योजनागत योजनाएं	138	
	ii. सार्वजनिक उद्यमों को	0			ii. राज्य योजनागत योजनाएं	3721	
	iii. स्वायत्त निकायों एवं अन्य को	87	582		iii. केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1449	5308
9.2	अन्य पूंजीगत अंतरण	0	0	10.2	गैर-योजना अनुदान		2257
	योग		7,828	11	चालू लेखे में सकल बचत		5020
12	चालू और पूंजी लेखे को मिलाकर शुद्ध घाटा		5,283				

तालिका 7.60 ग : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-3 : वित्तीय परिसंपत्ति में परिवर्तन

(करोड़ रु.)

लेखा	गमन (Outgoings)			लेखा	आगमन (Incomings)		
3	वित्तीय परिसंपत्ति में ट्रांजैक्शन : सरकार का पूंजी लेखा						
13	वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि		24	14	वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी		13
13.1	सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में निवेश	24		14.1	विनिवेश से प्राप्ति	0	
13.2	शेष अर्थव्यवस्था को ऋण एवं अग्रिम	0	24	14.2	ऋणों की वसूली	13	13
15	वित्तीय परिसंपत्ति में शुद्ध परिव्यय		11				

तालिका 7.60 घ : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-4 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन

(करोड़ रु.)

लेखा	गमन (Outgoings)			लेखा	आगमन (Incomings)		
IV	वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकार का पूंजी लेखा						
16	ऋणों की अदायगी			17	सरकार का ऋणग्रहण		
	आंतरिक ऋण	1,169		17.1	आंतरिक ऋण	5,370	
	केंद्रीय ऋण	814	1,983	17.2	केंद्रीय ऋण	764	6,134
				17.3	ऋणों की वसूली जोड़ें	13	
				18	सरकार द्वारा शुद्ध ऋणग्रहण		6147
19	वित्तीय देनदारियों में शुद्ध वृद्धि		4,151				

तालिका 7.60 च : आर्थिक वर्गीकरण - लेखा-5 : नगद एवं पूंजीगत समाधान लेखा

(करोड़ रु.)

20	**सरकार का नगद एवं पूंजीगत समाधान लेखा**				
20.1	नगद शेष में कमी	1,796			
20.2	लोक लेखा में शुद्ध प्राप्तियां	-675			
20.3	कोषागार विपत्रों की शुद्ध बिक्री	0			
नगद शेष में शुद्ध कमी (लेखा-5)			**1,121**	**चालू और पूंजी लेखे को मिलाकर शुद्ध घाटा (लेखा - 1 और 2)**	**5,283**
जोड़ें वित्तीय देनदारियों में शुद्ध वृद्धि (लेखा-4)			**4,151**	**घटाएं वित्तीय परिसंत्तियों का शुद्ध परिव्यय (लेखा-3)**	**11**
सकल राजकोषीय घाटा			**5,272**	**सकल राजकोषीय घाटा**	**5,272**

तालिका 7.60 च में राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटा की गणना आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर की गई है। कार्यशील और आर्थिक वर्गीकरण, दोनों से सकल राजकोषीय घाटा का एक ही आंकड़ा आता है जो वर्तमान विश्लेषण को प्रामाणिक बनाता है। निष्कर्षत:, तालिका 7.61 में विश्लेषण के अंतिम परिणामों को दर्शाया गया है।

तालिका 7.61 : सरकारी व्यय का आर्थिक वर्गीकरण

	रकम (करोड़ रु.)	योग का प्रतिशत
1. अंतिम (फाइनल) परिव्यय	**28,618**	**67**
क. सरकार का उपभोग व्यय (लेखा-1 से)	21,372	50
ख. सकल पूंजी निर्माण (लेखा-2 से)	7,246	17
2. शेष अर्थव्यवस्था को अंतरण भुगतान	**12,193**	**28**
क. चालू अंतरण (लेखा-1 से)	11,611	27
ख. पूंजीगत अंतरण (लेखा-2 से)	582	1
3. शेष अर्थव्यवस्था में वित्तीय निवेश और उसको ऋण (लेखा-4 से)	**1,983**	**5**
कुल व्यय (1+2+3)	**42,794**	100

तालिका 7.61 से आसानी से समझा जा सकता है कि सरकार द्वारा 2009-10 में किए गए 42,794 करोड़ रु. के कुल व्यय में 50 प्रतिशत उसका उपभोग व्यय रहा है जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मजदूरी पर व्यय के साथ-साथ प्रशासन चलाने के लिए हुआ वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय शामिल है। पुन:, कुल व्यय के 17 प्रतिशत का उपयोग उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में हुआ। अनुदान, सब्सिडी, पेंशन भुगतान आदि के जरिए कुल व्यय का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अंतरित किया गया और सिर्फ 1 प्रतिशत का अंतरण पूंजी निर्माण हेतु किया गया। मात्र 5 प्रतिशत व्यय का उपयोग वित्तीय निवेश करने तथा शेष अर्थव्यवस्था को ऋण एवं अग्रिम देने के लिए किया गया।

चूंकि इस विश्लेषण का प्रयास इस वर्ष पहली बार किया गया इसलिए तुलना का कोई मापदंड उपलब्ध नहीं था। लेकिन अगले वर्ष से राज्य सरकार के व्यय के संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के मूल्यांकन और तुलना का यह उपयोगी उपकरण साबित होगा।

7.23 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम

सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी निवेश

मार्च 2009 तक बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र में 59 सरकारी कंपनियां और 4 वैधानिक निगम मौजूद रहे हैं। इन 59 कंपनियों में से 19 कार्यशील हैं और शेष 40 अक्रियाशील। मार्च 2009 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश को तालिका 7.62 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.62 : सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार का निवेश (2008-09 तक)

31 मार्च को	कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की कुल सं.	अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की कुल सं.	वैधानिक निगम	कुल सार्वजनिक कंपनियां/ निगम	कुल इक्विटी (करोड़ रु.)	कुल ऋण (करोड़ रु.)	कुल निवेश (करोड़ रु.)
2009	19	40	4	63	526	8615	9141
2008	16	34	4	54	531	8149	8680

मार्च 2009 को कुल निवेश का 92.3 प्रतिशत हिस्सा कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में किया गया था और शेष 7.7 प्रतिशत अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में। इक्विटी पूंजी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी, गारंटी, ऋण माफी आदि के रूप में राज्य सरकार द्वारा निवेश तथा बजटीय सहायता में वृद्धि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है।

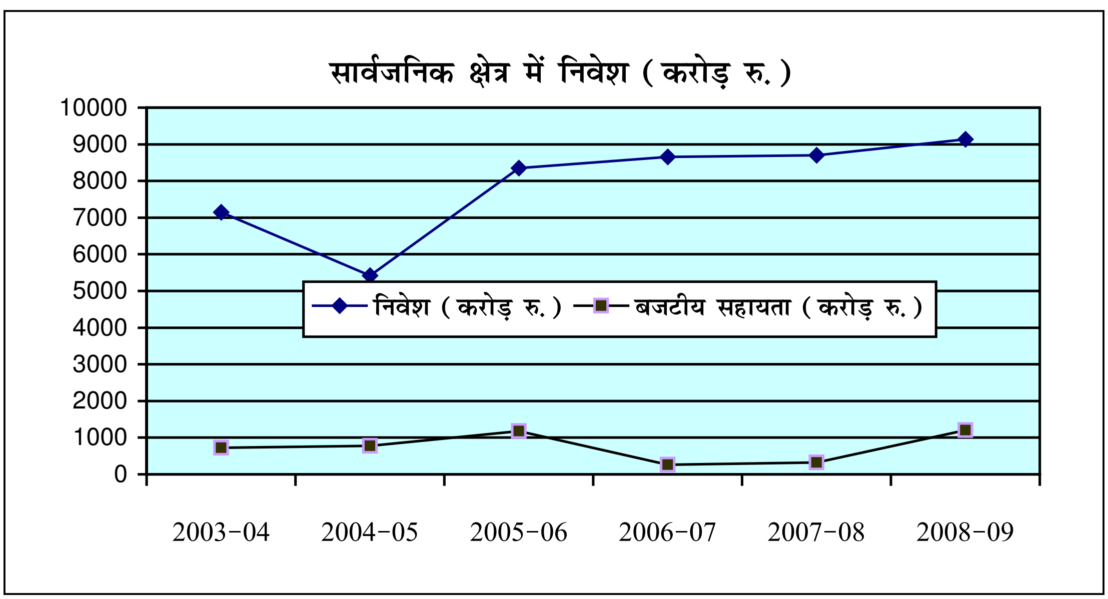

निवेश मुख्यतः विद्युत क्षेत्र पर केंद्रित रहा है और इस क्षेत्र में निवेश 2003-04 के 78.91 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 81.78 प्रतिशत हो गया है, अर्थात 1,800 करोड़ रु. से भी अधिक। जिन अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया गया है, वे हैं वित्त (7.2 प्रतिशत) और विनिर्माण (4.5 प्रतिशत)। वर्ष 2008-09 के अंत में शेष क्षेत्रों में निवेश कुल निवेश का 6.5 प्रतिशत भाग था।

मार्च 2009 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र का क्षेत्रवार विवरण तालिका 7.63 में प्रस्तुत किया गया है। अधिकांश कंपनियां उद्योग और कृषि क्षेत्रों की है।

तालिका 7.63 : क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम

क्षेत्र	वैधानिक निगमों की सं.	कार्यशील कंपनियों की सं.	अकार्यशील कंपनियों की सं.
कृषि		3	12
बिजली	1	1	
अधिसंरचना		3	1
विनिर्माण		4	12
सेवा	2	2	1
वित्तपोषण		4	4
अन्य	1	2	10
योग	**4**	**19**	**40**

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वित्तीय परिणामों के सारांश तालिका 7.64 में दर्शाए गए हैं।[16] देखा जा सकता है कि प्रतिफल की दर नगण्य है और सभी कंपनियों की संचित हानि उनके कुल इक्विटी आधार से भी कईगुना अधिक हो गई है। गत दो वर्षों के दौरान उनके संयुक्त टर्नओवर में सराहनीय वृद्धि हुई है लेकिन ऋण : टर्नओवर अनुपात अभी भी बहुत ऊंचा है जो उनके मुनाफे को हड़प जाने वाले ऊंचे ऋण भार को इंगित करता है। न तो ये राज्य सरकार को कोई लाभांश देती हैं न सरकार से कोई अनुदान या सब्सिडी पाती हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ उनकी लेनदेन के अनुपात से पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक इकाइयों के योगदान का बहुत ही कम महत्व है। मार्च 2009 में इन सार्वजनिक इकाइयों में 21,250 श्रमिक नियोजित थे लेकिन उनमें से 2,635 लोग राज्य सरकार की अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों में पे-रॉल पर थे। अकेले चारो वैधानिक निगमों में ही 15,317 कर्मचारी कार्यरत थे।

[16] टर्नओवर के आंकड़े सिर्फ कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों के हैं। शेष आंकड़े सभी सार्वजनिक इकाइयों के हैं। इनमें राज्य सरकार के चारो निगमों के कार्यकारी परिणाम शामिल नहीं है। उनकी चर्चा अलग से की गई है।

तालिका 7.64 : सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय परिणामों का सारांश (2005-06 से 2008-09)[17]

प्रदर्शन सूचक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सरकार द्वारा शेयर पूंजी में निवेश (करोड़ रु.)	515	515	531	526
सार्वजनिक इकाइयों का कुल ऋण (सरकारी ऋण) (करोड़ रु.)	7724	8012	8153	8615
सभी सार्वजनिक इकाइयों का टर्नओवर (करोड़ रु.)	1202	1337	1588	1997
लाभ (हानि) (करोड़ रु.)	(210)	(102)	(1253)	(653)
संचित लाभ (हानि) (करोड़ रु.)	(1585)	(1687)	(2940)	(3593)
निवेशित पूंजी पर प्रतिफल (%)	16.94	17.68	शून्य	7.44
वर्ष में किया गया लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण : टर्नओवर अनुपात	6.42	5.99	5.13	4.33
ब्याज भुगतान (करोड़ रु.)	302	613	924	919
वर्ष में प्राप्त अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष में प्राप्त सब्सिडी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	80157	99767	114722	131873
टर्नओवर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	1.50	1.34	1.38	1.51

सार्वजनिक इकाइयों के कार्यकारी परिणाम नीचे के चार्ट में दर्शाए गए हैं। मात्र 8 इकाइयों ने कुल मिलाकर 41 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया लेकिन अभी तक किसी ने भी सरकार को कोई लाभांश भुगतान नहीं किया है।

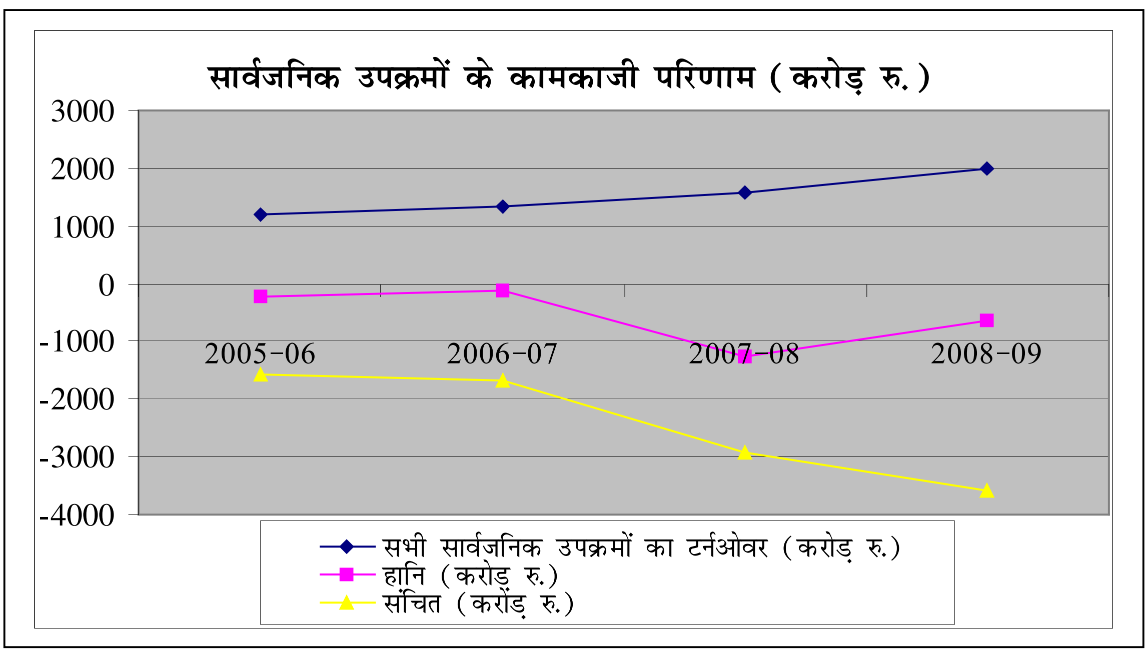

[17] आंकड़े नवीनतम अंतिम लेखे हैं जैसा कि बिहार के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा तैयार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है।

अकार्यशील कंपनियां

मार्च 2009 तक राज्य सरकार ने 40 अकार्यशील कंपनियों में कुल 700 करोड़ रु. निवेश किया था जिनमें से 15 अभी परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। इस रकम में से 152 करोड़ रु. चुकता पूंजी है और शेष 548 करोड़ रु. बकाया ऋण। इन कंपनियों के वित्तीय सूचकों का सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये परिसमापन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, इनमें से कुछ कंपनियों ने 20 वर्ष या उससे भी अधिक से कोई लेखा नहीं तैयार किया है। इनमें से पांच ने तो अपने जन्म के समय से ही कोई लेखा नहीं तैयार किया है। हालांकि इन कंपनियों ने 2008-09 में कोई व्यावसायिक काम नहीं किया, लेकिन इनमें से पांच सार्वजनिक इकाइयों ने वेतन, मजदूरी और स्थापना व्यय आदि में 2.51 करोड़ रु. खर्च किए हैं। 32 अकार्यशील इकाइयों के नवीनतम लेखों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनकी संचित हानि 171 करोड़ रु. से भी अधिक हो गई है।

वैधानिक निगम

राज्य सरकार के चार वैधानिक निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य वित्त निगम और बिहार राज्य भंडारण निगम हैं। चारो ही निगम कार्यशील हैं। कार्यसंचालन के लिहाज से इनमें सबसे महत्वपूर्ण निगम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है। तालिका 7.65 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 2005-06 से 2007-08 तक के तीन वर्षों के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।[18] देखा जा सकता है कि बोर्ड की हानि तेजी से बढ़ती रही है और 2007-08 के अंत तक 2,100 करोड़ रु. से भी हो गई है। हालांकि इसकी शुद्ध हानि में उसके पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 300 करोड़ रु. की कमी आई है। राज्य सरकार ने 2005-06 से 2007-08 तक के तीन वर्षों में बोर्ड को 2,200 करोड़ रु. सब्सिडी भुगतान किया है। मार्च 2008 तक बोर्ड के पास राज्य सरकार का कुल ऋण 5,700 करोड़ रु. से भी था। बोर्ड का टर्नओवर घटता-बढ़ता रहा है क्योंकि मार्च 2008 में यह 1,588 करोड़ रु. था जबकि उसके दो वर्ष पूर्व 1,854 करोड़ रु. था।

तालिका 7.65 : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2005-06	2006-07	2007-08
टर्नओवर	1854	1392	1588
हानि	429	855	585
लगी पूंजी[19]	2226	3088	3196
लगी पूंजी पर प्रतिफल	8.86%	0	7.63%
सरकारी ऋण	5274	5578	5764
ऋण पर ब्याज भुगतान	637	822	849
संचित हानि	670	1525	2110
लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी	844	720	720

[18] आंकड़े बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के इन वर्षों के नवीनतम अंतिम लेखों पर आधारित हैं।

[19] लगी पूंजी में शुद्ध कार्याधीन पूंजी (वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल) सहित अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी शामिल हैं।

विद्युत उत्पादन को गंभीरता से प्रभावित करने वाली निम्नलिखित समस्याएं बोर्ड को परेशान कर रही हैं :

- बार-बार काम ठप होने/ विविध उपकरणों-उपस्करों में व्यवधान आने के कारण निम्न संयंत्र उपलब्धता;
- 40 प्रतिशत से भी अधिक संचरण एवं वितरण हानि;
- कैपिटल मेंटेनेस के लिए उत्पादन इकाइयों की असाधारण बंदी;
- डिजाइन संबंधी कमी, कोयले की खराब गुणवत्ता आदि के कारण उत्पादन इकाइयों की निम्न उत्पादकता;
- उत्पादन संयंत्रों और उप-स्टेशनों/ लाइनों का लंबे समय से जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण नहीं होना;
- इकाइयों का खराब रखरखाव।

दक्षता बढ़ाने के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बोर्ड को संचरण, वितरण और उत्पादन की तीन अलग-अलग कंपनियों में व्यवस्थित करना है। राज्य सरकार बोर्ड के पुनर्गठन के सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। अन्य वैधानिक कंपनियों के मामले में कोई भिन्न स्थिति नहीं है जिसे तालिका 7.66 से 7.68 तक देखा जा सकता है।

तालिका 7.66 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

	2006-07	2007-08	2008-09[20]
टर्नओवर	54	52	40
हानि	60	52	74
लगी पूंजी	-712	-764	-822
लगी पूंजी पर प्रतिफल	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक
सरकारी ऋण	101	101	101
ऋण पर ब्याज भुगतान	81	81	100
संचित हानि	19	19	19
लाभांश भुगतान	1240	1292	1366
प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका 7.67 : बिहार राज्य वित्त निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

	2006-07	2007-08	2008-09[21]
टर्नओवर	47	29	32
हानि	11	0	-1
लगी पूंजी	381	439	391
लगी पूंजी पर प्रतिफल	19%	11%	5%
सरकारी ऋण	78	78	78
ऋण पर ब्याज भुगतान	311	311	311
संचित हानि	47	20	19
लाभांश भुगतान	412	412	411
प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी	शून्य	शून्य	शून्य

[20] अनंतिम आंकड़े

[21] अनंतिम आंकड़े

तालिका 7.68 : बिहार राज्य भंडारण निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश

(करोड़ रु.)

	2006-07	2007-08	2008-09[22]
टर्नओवर	7	8	8
हानि	2	1	5
लगी पूंजी	16	20	30
लगी पूंजी पर प्रतिफल	13%	6%	19%
सरकारी ऋण	6	6	6
ऋण पर ब्याज भुगतान	4	4	4
संचित हानि	-2	-4	1
लाभांश भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य

सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का सारांश

तालिका 7.69 में सार्वजनिक निगमों और सरकारी कंपनियों के नवीनतम लेखों के अनुसार उनमें राज्य सरकार की चुकता पूंजी और निवेशों का ब्योरा दिया गया है। जिन वर्षों में इन इकाइयों ने अपना अंतिम लेखा तैयार किया है, उसका वर्ष भी तालिका में दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि इनमें से किसी ने भी अद्यतन लेखा नहीं तैयार किया है और उनमें से अधिकांश तो अरसे से चूक कर रहे हैं। यह उनकी जवाबदेही और समुचित प्रबंधन के अभाव का द्योतक है। चूंकि लेखे अद्यतन नहीं हैं इसलिए निवेशों पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकती है। इनमें से अधिकांश कंपनियों के बोर्ड की बैठकें भी नियमित नहीं होती हैं। 63 में से मात्र 5 कंपनियों ने ही अपने ऐसे लेखे तैयार किए हैं जो पांच वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। एक निगम (बिहार राज्य पथ परिवहन निगम) सहित 31 कंपनियों के लेखे 6 से लेकर 16 वर्ष से बकाया हैं। पांच कंपनियों ने तो अपने जन्म के समय से ही लेखा तैयार नहीं किया है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी कंपनियों के लिए अपने लेखों को वित्त वर्ष के समापन के 6 महीनों के अंदर ही अंतिम रूप दे देना वैधानिक तौर पर वांछित है। अंकेक्षित लेखों को भी वित्त वर्ष के समापन के 9 महीनों के अंदर ही विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना वांछित है। समय पर लेखा को अंतिम रूप देने के मामले में इन वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने में असफल रहने पर कंपनी अधिनियम के तहत सामान्यत: दंड के प्रावधान हैं।

खराब टर्नओवर और लगातार हानि को देखते हुए राज्य सरकार या तो इनका प्रदर्शन सुधारने या इनकी बंदी/ विनिवेश पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार ने पहले ही 5 कार्यशील और 12 अकार्यशील कंपनियों के परिसमापन का निर्णय ले लिया है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चीनी मिलों के पुनरुद्धार पर राज्य सरकार सक्रियापूर्वक विचार कर रही है।

---

[22] अनंतिम आंकड़े

तालिका 7.69 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के परिणामों का उनके नवीनतम लेखों के अनुसार सारांश

सार्वजनिक इकाई का नाम	अंतिम लेखाकरण का वर्ष	नवीनतम लेखे के अनुसार चुकता पूंजी	जिन वर्षों के लेखे बाकी हैं, उनके ऋण, इक्विटी, अनुदान और सब्सिडी में निवेश
क. कार्यशील कंपनियां			
बिहार राज्य बीज निगम लि.	1996-97	3.71	8.02
बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लि.	1997-98	0.48	182.00
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	3.62	7.49
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	1995-96	2.95	0
बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	1988-89	4.46	202.25
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	1997-98	3.50	0
बिहार आरक्षी भवन निर्माण निगम लि.	1991-92	0.10	0
बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लि.	1995-96	89.26	111.2
बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	1992-93	1.75	5.63
बिहार राज्य वन विकास निगम लि.	2000-01	2.29	0
बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम लि.	2002-03	1,5.00	57.49
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	1991-92	0.94	0.01
बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम लि.	2000-01	5.65	0
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	2000-01	9.97	0
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	2005-06	4.75	16.93
बिहार राज्य पेय निगम लि.	2006-07	5.00	0
बिहार राज्य स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लि.	अनु.	0.06	0
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2007-08	-	
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि.	2002-03	101.27	1147.54
बिहार राज्य वित्त निगम	2007-08	77.84	3.92
बिहार राज्य भंडारण निगम	2007-08	5.31	30
योग (क)		**322.91**	**1772.48**
ख. अकार्यशील कंपनियां			
बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	1990-91	7.18	4.12
बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि.	1985-86	3.62	6.3
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1987-88	14.04	38.47
बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	1982-83	5.14	43.18
बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	1987-88	4.98	2.74
बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लि.	1994-95	6.72	0
बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	1986-87	7.00	1.05
बिहार पर्वतीय क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि.	1982-83	5.60	18.78
बिहार राज्य चीनी निगम लि.	1984-85	9.97	365.32
बिहार राज्य पंचायती राज्य वित्त निगम लि.	1984-85	1.44	0
बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	1978-79	5.00	154.33
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	1989-90	7.57	24.66
बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	1992-93	2.01	3.86
बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	1991-92	2.00	2.28
बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.	1983-84	6.28	0.73
योग		**88.55**	**665.82**
कुल योग (क+ख)		**411.46**	**2438.30**

7.24 बिहार में योजना निर्माण

योजना निर्माण का अर्थ पांच वर्ष में योजना बना लेना भर नहीं है। इसके लिए वर्तमान योजनाओं के सतत अनुश्रवण और योजना कार्यक्रमों के पुन:समंजन की जरूरत पड़ती है। इन सबके लिए एक संस्थागत तंत्र होता है जो समान्यत: केंद्र स्तर पर योजना आयोग द्वारा और राज्यों के स्तर पर योजना विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस खंड में बिहार में योजना निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के संदर्भ में किया जाएगा।

दसवीं योजना 2002 से 2007 के लिए थी और योजनाकार नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में आरंभ हुई सुधार प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न विकास अंतराल के प्रति काफी सचेत थे। अतएव उनलोगों ने योजना के फोकस को 'सामाजिक न्याय से युक्त समता' ठीक ही चिन्हित किया था और योजना निर्माण की प्रक्रिया को अतिरिक्त आवेग के साथ एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। इसके द्वारा दिए गए आवेग के कारण अर्थव्यवस्था का तेज गति से विकास हुआ लेकिन असमानता और विकासगत अंतराल को रोका नहीं जा सका। वस्तुत: बीतते समय के साथ वे कहीं अधिक मजबूत होते चले गए। गरीबी का अनुमान तब भी 27 प्रतिशत के आसपास था और सुविधावंचित तबकों में गरीबी की उपस्थिति बिल्कुल समाप्त नहीं हुई थी। गरीबों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई थी जो 1993-94 के 32.0 करोड़ से से मामूली घटकर 2004-05 में 30.2 करोड़ तक आ सकी थी। विकास का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए कहीं अधिक त्वरित विकास की जरूरत थी। अतएव 2007 से 2012 तक की अवधि के लिए बनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में फोकस बदलकर 'अधिक तेज और अधिक समावेशी विकास की दिशा में' ठीक ही किया गया।

कुछ आंकड़ों से यह बात साफ हो जाएगी। तालिका 7.70 क में देखा जा सकता है कि दसवीं योजना ने सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8 प्रतिशत अनुमानित की थी। लेकिन इस अवधि में वास्तविक विकास दर 7.6 प्रतिशत थी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन पहले ही इंगित किया गया है कि इस विकास के परिणाम नीचे की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर या समाज के सभी तबकों तक रिसकर नहीं पहुंचे। बेरोजगारी की दर को 2002 के 9.11 प्रतिशत से घटाकर 2007 में 5.11 प्रतिशत और गरीबी अनुपात को घटाकर 19.2 प्रतिशत करने की योजना थी। हालांकि सच्चाई यह थी कि 61वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 2004-05 में वास्तविक बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत थी और गरीबी अनुपात 27.5 प्रतिशत। योजना अवधि में कृषि का विकास 4 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से होने की योजना बनाई गई थी लेकिन विकास हुआ मात्र 1.7 प्रतिशत की दर से। साक्षरता दर के 2007 में 75 प्रतिशत पहुंचने की कल्पना की गई थी लेकिन 2005-06 में पहुंची मात्र 67.6 प्रतिशत तक। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के समीप पहुंचने के मामले में देश कहीं आसपास भी नहीं पहुंचा है। ऐसा भी नहीं है कि हम ये लक्ष्य जल्द में हासिल कर लेंगे। ग्यारहवीं योजना ने भी अनेक प्रभावशाली लक्ष्य विहित किए हैं जिन्हें बिहार हेतु लक्ष्यों के साथ तालिका 7.70 ख में दर्शाया गया है। दसवीं और ग्यारहवीं परियोजनाओं के ये लक्ष्य एक संदर्भ प्रदान करते हैं जिनके आधार पर बिहार की योजना निर्माण प्रक्रिया की प्रभाविता की जांच की जा सकती है।

बिहार की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि-प्रधान बनी हुई है जिसका विनिर्माण आधार बहुत छोटा है और राज्य की आय में कृषि का हिस्सा अब भी काफी अधिक है। उद्योग का हिस्सा विगत वर्षों में व्यवहारत: स्थिर बना हुआ है जबकि सेवा क्षेत्रों का हिस्सा गत दशक में क्रमश: बढ़कर 2003-04 में लगभग 50 प्रतिशत पहुंच गया। गत वर्षों

अर्थव्यवस्था में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं दिखा है। सच तो यह है कि 2000 में बिहार के विभाजन के बाद, जिसके बाद औद्योगिक और खनिज पट्‌टी झारखंड में चली गई, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग आधा हो गया। निम्न प्रति व्यक्ति योजना व्यय, निम्न पूंजीगत परिव्यय, बाढ़-सूखा जैसी बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, निम्न ऋण-जमा अनुपात और अतीत में पर्याप्त सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना विकसित करने के मामले में राज्य सरकार की असफलता के कारण राज्य को पिछड़ापन तो ऐतिहासिक विरासत के तौर पर मिला है। कृषि उत्पादन की विधियां अभी भी आदिम हैं और मॉनसून पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसकी प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है - राष्ट्रीय औसत का महज एक-चौथाई। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में भी, राज्य सरकार इसके भविष्य के प्रति हाल में कुछ आशा जगाने में सफल रही है। असफल राज्य की पहले की समझ की जगह अब नवजागरण ले रही है। इसकी विकास दर बढ़ी है और अभी यह देश के तीव्रतम विकास दरों वाले राज्यों में से एक है। इस पृष्ठभूमि में यहां गत दस वर्षों के दौरान बिहार में योजना प्रक्रिया की उपलब्धियों और असफलताओं का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 7.70 क : दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) : लक्ष्य और उपलब्धियां

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लक्ष्य	उपलब्धियां
आय और गरीबी	
• औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 8%	7.6%
• कृषि विकास दर : 4%	1.7%
• बेरोजगारी में कमी 2002 में 9.11% से 2007 में 5.11%	2004-05 में 8.3% (61वां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण)
• 2007 तक गरीबी में 5% और 2012 तक 15% कमी (क्रमशः 19.2% और 9.2%)	2004-05 में 27.5% (61वां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण)
शिक्षा	
• साक्षरता दर 2007 तक 75%	2005-06 में 67.6%
• 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापी उपलब्धता	हासिल नहीं
स्वास्थ्य	
• 2010-11 तक शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 45 से घटकर 28	2005 में 58
• प्रति 1000 जीवित प्रसव पर मातृ मृत्यु दर 2007 तक घटकर 2 और 2012 तक 1	2005 में 4
• 2001 और 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर घटाकर 16.2%	अनुपलब्ध
• 2012 तक सभी गांवों में पीने लायक पेयजल	हासिल नहीं
पर्यावरण	
• 2007 तक वनाच्छादन बढ़ाकर 25% और 2012 तक 33%	19.4%
• 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों की सफाई	हासिल नहीं
आर्थिक मापदंड	
• वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात (आइसीओआर) : 3.58	4.2
• घरेलू बचत दर 2006-07 तक 26.84% से बढ़कर 29.51%	34.4%
• निवेश 2006-07 तक 28.41% से बढ़कर 32.26%	35.5%
• निर्यात में वार्षिक वृद्धि 12.38%	
• आयात में वार्षिक वृद्धि 17.13%.	

तालिका 7.70 ख : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) : भारत और बिहार हेतु लक्ष्य

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लक्ष्य : भारत	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य : बिहार
आय और गरीबी	
• औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 9%	• 8.5%
• कृषि विकास दर :4%	• 5% - 7%
• अतिरिक्त रोजगार सृजन : 5.8 करोड़	• 50 लाख
• वास्तविक मजदूरी में वृद्धि : 20%	• 20%
• गरीबी में कमी (व्यक्ति) : 10% की	• 13.1% की (2004-05 में 41.5% से 2011-12 में 28.4%)
शिक्षा	
• प्रारंभिक स्तर पर छीजन दर में कमी : 2003-04 के 52.2.% से 20%	• 2003-04 में 78.3% से 2011-12 में 27.85%
• साक्षरता दर में वृद्धि : 2001 में 64.59% से 2011-12 में 85%	• वृद्धि : 2001 में 46.96% से 2011-12 में 64.04%
• साक्षरता में लैंगिक अंतराल में कमी : 11.6% की (2001 में 21-6% से 2011-12 में 10%)	• 9.2% की (2001 में 26.6% से 2011-12 में 17.4%)
• उच्च शिक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों में प्रतिशत वृद्धि : 10% से 15%	
स्वास्थ्य	
• 2012 तक प्रति 1000 जीवित प्रसव पर शिशु मृत्यु दर 58 से घटकर 28 और मातृ मृत्यु दर 3.01 घटकर 1	• 2012 तक प्रति 1000 जीवित प्रसव पर शिशु मृत्यु दर घटकर 61 से 29 और मातृ मृत्यु दर 3.71 से 1.23
• प्रजनन दर में कमी : 3.0 से 2.1	• 4.3 से 3.0
• 2009 तक सबके लिए स्वच्छ पेयजल	
• बच्चों के कुपोषण में 50 प्रतिशत कमी : 47% से 23.5%	• 50% कमी : 54.4% से 27.2%
• महिलाओं और लड़कियों की रक्ताल्पता में 50 प्रतिशत कमी : (51.8% से 25.9%)	• 50% कमी (63.4% से 31.7%)
महिलाएं और बच्चे	
• लैंगिक अनुपात में वृद्धि : 2010-11 तक 935 और 2016-17 तक 950	
• सुनिश्चित करना की सभी सरकारी कार्यक्रमों में न्यूनतम 33 प्रतिशत लााभान्वित महिलाएं तथा बालिकाएं हों	

• काम करने की बाध्यता के बिना सभी बच्चे सुरक्षित बचपन का आनंद लें	
अधिसंरचना	
• 2009 तक सभी गांवों तथा बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन, 2012 तक सबके लिए विश्वसनीय आधार पर बिजली	• 2012 तक सभी गांवों तथा बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन, 2016-17 तक सबके लिए विश्वसनीय आधार पर बिजली
• 2009 तक सभी 1000 से अधिक आबादी वाली बसाहटों का बारहमासी सड़कों से संपर्क	2012 तक सभी 500 से अधिक आबादी वाली बसाहटों का बारहमासी सड़कों से संपर्क
• 2012 तक सभी गांवों में टेलीफोन और ब्रॉडबैंड संपर्क	
• 2012 तक सभी के लिए बासगीत जमीन तथा 2016-17 तक सबके लिए आवास	
पर्यावरण	
• वनाच्छादन में 5 प्रतिशत वृद्धि	• 5% वृद्धि (2011-12 में 10% से 15%)
• 2012 तक सभी शहरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप शुद्ध हवा की गुणवत्ता हासिल करना	• 2011-12 तक
• 2011-12 तक नदियों के पानी की सफाई के लिए शहरों में सारे अपशिष्ट जल की सफाई	• 2011-12 तक
• ऊर्जा की दक्षता में 20 प्रतिशत वृद्धि	
आर्थिक मापदंड	
• वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात : 4.1	आइसीओआर : 2.78
• घरेलू बचत दर : 34.8%	
• निवेश : 36.7%	
• वार्षिक निर्यात वृद्धि : 12.38%	

योजना व्यय

तालिका 7.71 क और ख में दर्शाया गया है कि बिहार में दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं के दौरान योजना व्यय क्या था और उनका वित्तपोषण कैसे हुआ। तालिका 7.71 ग में दर्शाया गया है कि वित्तपोषण के पैटर्न में पहली से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से के लिहाज से ढांचागत परिवर्तन कैसे हुआ। तालिका 7.71 क में देखा जा सकता है कि दसवीं योजना के दौरान विभिन्न योजनागत योजनाओं के तहत वास्तविक योजना व्यय 18,792 करोड़ रु. था जो इस अवधि के लिए संशोधित परिव्यय से लगभग 12 प्रतिशत कम था। ग्यारहवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में यह 34,120 करोड़ रु. था - इस अवधि के लिए

संशोधित परिव्यय से लगभग 8 प्रतिशत कम। तालिका 7.71 ख में दिखता है कि केंद्र ने दसवीं योजना के लिए कुल योजना व्यय के 48 प्रतिशत हिस्से का वित्तपोषण किया था और राज्य सरकार ने 52 प्रतिशत। ग्यारहवीं योजना में राज्य सरकार को कुल योजना व्यय का काफी बड़ा हिस्सा – 75 प्रतिशत – वहन करना पड़ा। तालिका 7.71 ग में दिखता है कि पहली योजना से शुरु करके ग्यारहवीं योजना तक योजनाओं के वित्तपोषण का पैटर्न बदलता गया है। इसलिए कि पहली योजना में केंद्र का हिस्सा मात्र 5 प्रतिशत था जो आठवीं योजना में 61 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसके बाद उसमें थोड़ी गिरावट आई और ग्यारहवीं योजना में यह 59 प्रतिशत है। पहले भी कहा गया है कि बिहार के लिए यह मात्र 25 प्रतिशत है।

तालिका 7.71 क : बिहार में योजना व्यय

(करोड़ रु.)

वर्ष	अनुमोदित योजना	संशोधित परिव्यय	भारत सरकार को प्रतिवेदित व्यय	वास्तविक व्यय
10वीं योजना				
2002-03	2964	2314	2207	2144
2003-04	3320	2642	2627	3071
2004-05	4000	3059	3196	5202
2005-06	5356	4735	4466	3476
2006-07	8250	8671	8457	4899
योग	**23891**	**21422**	**20952**	**18792**
11वीं योजना				
2007-08	10200	10475	9700	9397
2008-09	13000	12000	12514	10908
2009-10	16000	14405	14184	13815
योग	**39200**	**36880**	**36398**	**34120**

तालिका 7.71 ख : बिहार में दसवीं और ग्यारहवीं योजनाओं का वित्तपोषण

स्रोत	दसवीं योजना (वास्तविक) (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा	ग्यारहवीं योजना (अनुमान) (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सा
राज्य	12134	52	57660	75
केंद्र	11311	48	18822	25
योग	23446	100	76482	100

स्रोत : बिहार वार्षिक योजना 2008-09, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति बिहार का दृष्टिकोण : त्वरित समावेशी विकास हेतु दृष्टि, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार।

तालिका 7.71 ग : योजना व्यय में केंद्र और राज्यों का हिस्सा

(करोड़ रु.)

योजना अवधि	केंद्र	योजना का % हिस्सा	राज्य	योजना का % हिस्सा	योग
पहली योजना (1951-56)	706	5	12,145	95	12,851
दूसरी योजना (1956-61)	2,534	55	2,115	45	4,649
तीसरी योजना (1961-66)	4,212	50	4,227	50	8,439
वार्षिक योजना (1966-69)	3,401	52	3,118	48	6,519
चौथी योजना (1969-74)	7,826	50	7,675	50	15,501
पांचवीं योजना (1974-79)	18,755	48	20,015	52	38,770
वार्षिक योजना (1979-80)	5,695	48	6,291	52	11,986
छठी योजना (1980-85)	57,825	54	49,458	46	1,07,283
सातवीं योजना (1985-90)	1,27,520	59	87,492	41	2,15,012
आठवीं योजना (1992-97)	2,88,930	61	1,87,938	39	4,76,868
नवीं योजना (1997-2002)	4,89,361	57	3,69,839	43	8,59,200
दसवीं योजना (2002-07)	8,93,183	59	6,32,456	41	15,25,639
ग्यारहवीं योजना (2007-12) 2006-07 के मूल्य पर	21,56,571	59	14,88,147	41	36,44,718

स्रोत : इंडियन प्लानिंग एक्सपेरिएंस : ए प्लानिंग प्रोफाइल, योजना आयोग, भारत सरकार

योजनाओं का वित्तपोषण

तालिका 7.72 में दसवीं योजना अवधि तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों में बिहार की वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण की योजना का विवरण प्रस्तुत है। दसवीं योजना के दौरान योजना हेतु धन की जरूरत का 40 प्रतिशत हिस्सा केंद्र के योजना अनुदानों से पूरा होता था। उस 40 प्रतिशत में 29 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ राज्य योजना के लिए हुआ करता था। लगभग 20 प्रतिशत शुद्ध ऋणग्रहण से पूरा होता था। संसाधनों की कुल जरूरत का 11 प्रतिशत राज्य द्वारा राजस्व प्राप्तियों से तथा गैर-योजना व्यय संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद गैर-योजना अनुदानों से वहन होता था। 6 प्रतिशत हिस्सा छोटी बचतों और भविष्य निधि के शुद्ध प्रोद्भवन से आता था। 15 प्रतिशत धन लोक लेखा से उधार लिया जाता था और पूरी दसवीं योजनावधि में नगद शेष निकालकर भी पूरा किया जाता था।

इसके विपरीत, ग्यारहवीं योजना के दौरान कोई देख सकता है कि केंद्रीय योजनागत अनुदानों पर निर्भरता काफी कम थी जिसका कुल व्यय में दसवीं योजना के 40 प्रतिशत की जगह मात्र 20 प्रतिशत योगदान था। मुख्य रूप से अपने राजस्व लेखे और ऋण के बेहतर प्रबंधन के कारण राज्य सरकार का अपना योगदान दूने से भी अधिक हो गया था – 11 प्रतिशत से 23 प्रतिशत। ऋणग्रहण पर निर्भरता घटाते और ऋण सेवा भुगतानों को रोक रखते हुए राजस्व लेखा में अब अधिक अधिशेष हो रहा है। अतएव राज्य सरकार के पास अब योजना व्यय के लिए

अच्छा–खासा संसाधन बच जा रहा था। दसवीं योजना के दौरान योजना हेतु धन में शुद्ध ऋणग्रहण का हिस्सा 28 प्रतिशत हुआ करता था जो अब कुल व्यय के मात्र 9 प्रतिशत का योगदान करता है। यह राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

तालिका 7.72 : वार्षिक योजना की वित्तपोषण योजना

(करोड़ रु.)

	दसवीं योजना						प्रतिशत हिस्सा
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग	
वर्तमान राजस्व शेष	**-1040**	**-638**	**924**	**686**	**2999**	**2932**	**11**
योजना अनुदान	**1107**	**1466**	**2148**	**2132**	**3564**	**10416**	**40**
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	670	1169	1643	1556	2445	7483	**29**
केंद्रीय योजनागत योजनओं के लिए अनुदान	437	46	10	90	144	728	**3**
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	----	251	495	486	974	2206	**8**
शुद्ध पूंजीगत प्राप्तियां	**1932**	**-292**	**3426**	**1093**	**1025**	**7184**	**28**
शुद्ध लघु बचत तथा भविष्य निधि	**195**	**118**	**404**	**365**	**395**	**1477**	**6**
लोक लेखा तथा सरकार के नगद शेष से शुद्ध निकासी	**877**	**4547**	**-3425**	**624**	**1414**	**4036**	**15**
कुल योजना व्यय	**3071**	**5202**	**3476**	**4899**	**9397**	**26045**	**100**

तालिका 7.72 : (जारी)

	ग्यारहवीं योजना					प्रतिशत हिस्सा 2007-10
	2007-08	2008-09	2009-10	योग 2007-10	2010-11 ब.अ.	
वर्तमान राजस्व शेष	**5124**	**6337**	**6368**	**17829**	**10521**	**23**
योजना अनुदान	**4327**	**5412**	**5412**	**15151**	**5412**	**20**
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2914	3600	3600	10114	3600	13
केंद्रीय योजनागत योजनओं के लिए अनुदान	53	135	135	323	135	0
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	1360	1677	1677	4714	1677	6
शुद्ध पूंजीगत प्राप्तियां	**-267**	**3706**	**3268**	**6707**	**3869**	**9**
शुद्ध लघु बचत तथा भविष्य निधि	**268**	**144**	**-263**	**150**	**326**	**0**
लोक लेखा तथा सरकार के नगद शेष से शुद्ध निकासी	**1455**	**-1785**	**1409**	**6529**	**3948**	**9**
कुल योजना व्यय	**10908**	**13815**	**16194**	**76358**	**24076**	**100**

बिहार का वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात

वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात (ICOR) विकास हेतु निवेश का अनुपात है।[23] यह अनुपात जितना ऊंचा होता है, पूंजी की उत्पादकता उतनी ही कम होती है। राज्य में 1999-00 से 2003-04 तक की अवधि के पूंजी निर्माण के आंकड़ों और दो वर्ष पिछड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर प्रमुख क्षेत्रों के वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपातों की गणना की गई जिसे तालिका 7.73 क में दर्शाया गया है। तालिका 7.73 क में देखा जा सकता है कि राज्य के लिए 1999-2004 अवधि हेतु समग्र अनुपात 2.78 आता है। ग्यारहवीं योजना में इस अनुपात का 3.0 से ऊपर होना माना गया क्योंकि राज्य सड़कों, पुलों, बिजली, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर अधिक पूंजीगत व्यय करता रहा है। इस अनुमानित वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात के आधार पर वैकल्पिक वृद्धि दरों के लिए ग्यारहवीं योजना हेतु प्रस्तावित परिव्ययों की गणना की गई है जिसे तालिका 7.73 ख में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि ग्याहरवीं योजना हेतु लक्षित वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत थी इसलिए पांच वर्षों की अवधि में आवश्यक कुल परिव्यय लगभग 1.67 लाख करोड़ रु. ठहरता है जिसमें से राज्य सरकार को लगभग 58,000 करोड़ रु. खर्च करने की जरूरत पड़ेगी।

हालांकि निजी निवेश अभी कुल निवेश का 59 प्रतिशत है, लेकिन निजी निवेश में उत्साहजनक उभार को देखते हुए ग्यारहवीं योजना के लिए 65 प्रतिशत का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात माना गया है। स्मरण किया जा सकता है कि योजना आयोग ने देश के कुल निवेश में निजी क्षेत्र के निवेश का हिस्सा 70 प्रतिशत माना है। ग्यारहवीं योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 58,310 करोड़ रु. परिव्यय का अनुमान किया गया था जिससे राज्य 8.5 प्रतिशत की दर से विकास करने में सक्षम होता। इस परिव्यय में ऋण संबंधी घटक की भी गणना की गई है और उसे एफआरबीएम अधिनियम के तहत भौतिक सुधार के साथ संगतिपूर्ण बनाया गया है। योजना आयोग 7.6 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान करता है लेकिन विश्वास है कि 8.5 प्रतिशत की विकास दर संभव है।

तालिका 7.73 क : व्यापक क्षेत्रों द्वारा वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात (1999-2004)

	क्षेत्र	आइसीओआर
1	कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां	3.36
2	उद्योग	4.66
2.1	खनन, विनिर्माण तथा निर्माण	4.54
2.2	बिजली, जलापूर्ति तथा गैस	5.04
3	सेवाएं	2.18
3.1	परिवहन एवं संचार	5.99
3.2	सामाजिक सेवाओं सहित अन्य	1.02
	सभी क्षेत्र	2.78

स्रोत : बिहार वार्षिक योजना 2008-09, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति बिहार का दृष्टिकोण : त्वरित समावेशी विकास हेतु दृष्टि, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार।

---

23 $\text{incremental capital output ratio} = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{\frac{\Delta K}{Y}}{\frac{\Delta Y}{Y}} = \frac{\frac{I}{Y}}{\frac{\Delta Y}{Y}}$ जहां K पूंजी का स्टॉक, Y निर्गत (सकल घरेलू उत्पाद) और I शुद्ध निवेश है। वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात की गणना (निवेशित पूंजी - गत वर्ष निवेशित पूंजी)/ (निर्गत मूल्य - गत वर्ष का निर्गत मूल्य) के बतौर की जाती है जो वृद्धि-पूंजी का वृद्धि-निर्गत के साथ अनुपात होता है। इस सूत्र के अनुसार, वृद्धि-पूंजी निर्गत अनुपात की गणना सकल घरेलू उत्पाद में निवेश के हिस्से में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से भाग देकर की जा सकती है।

तालिका 7.73 ख : वैकल्पिक दरों पर ग्यारहवीं योजना के अनुमानित परिव्यय

(करोड़ रु.)

वृद्धि दर (प्रतिशत)	प्रस्तावित परिव्यय		
	सार्वजनिक	निजी	योग
7.0	46,600	86,551	1,33,151
8.5	**58,310**	**1,08,283**	**1,66,593**
9.0	62,355	1,15,804	1,78,159
10.0	70,680	1,31,257	2,01,937

स्रोत : बिहार वार्षिक योजना 2008-09, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति बिहार का दृष्टिकोण : त्वरित समावेशी विकास हेतु दृष्टि, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार।

संस्थागत तथा नीतिगत सुधारों से संबंधित हाल की पहलकमदियों ने निजी निवेश को आकर्षित करना शुरू किया है और राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास उनके कुशल उपयोग निर्भर करेगा, खास कर कृषि क्षेत्र में। विद्युत परियोजनाओं में भी पूंजी की दक्षता बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इसके अलावा, बिजली, सड़क और सिंचाई के क्षेत्र में सार्वजनिक कोष से सृजित बड़ी मात्रा में पूजीगत परिसंपत्तियां वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हैं जिसमें प्राथमिकता के आधार पर संशोधन की जरूरत है।

ग्यारहवीं योजना हेतु क्षेत्रगत वृद्धि दरें

ग्यारहवीं योजना अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.5 प्रतिशत पर स्थिर वृद्धि दर के साथ कृषि के लिए 5 प्रतिशत, उद्योग के लिए 11 प्रतिशत और सेवा के लिए 10 प्रतिशत क्षेत्रगत वृद्धि दर अनुमानित है। कृषि की विकास दर 5 प्रतिशत से भी अधिक होना अनुमानित है और बिहार में निजी निवेश की नई होड़ को देखते हुए उद्योग में 11 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना बहुत कठिन नहीं है।

तालिका 7.74 में दसवीं योजनावधि में और ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश और बिहार के वास्तविक व्यय पैटर्न दर्शाए गए हैं। तालिका में दिखता है कि देश और बिहार, दोनों में ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान राजस्व और पूंजीगत, दोनों के कुल योजना व्यय का 89 प्रतिशत भाग (1) कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण; (2) सामाजिक सेवाओं; (3) ऊर्जा तथा (4) परिवहन पर हुआ है। लेकिन कृषि तथा सहवर्ती सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में भी बिहार ने पूरे देश की अपेक्षा कुल योजना व्यय के अधिक बड़े हिस्से का व्यय किया था। इसने बिजली पर पूरे देश की अपेक्षा कुल व्यय का कम हिस्सा खर्च किया था। ऊर्जा पर इसके व्यय का लगभग 45 प्रतिशत भाग योजनागत प्रयोजनों के लिए था, मुख्यत: राज्य की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए। ग्यारहवीं योजना के दौरान परिवहन पर कुल योजना व्यय का 18

प्रतिशत खर्च हुआ जो दसवीं योजना से 5 प्रतिशत अधिक है। वहीं सामाजिक सेवाओं पर कुल योजना व्यय का 41 प्रतिशत भाग खर्च हुआ जो दसवीं योजना से 4 प्रतिशत अधिक है। लेकिन कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियों को छोड़कर (जिसमें ग्रामीण विकास और बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई शामिल है), जिसमें योजनागत धन में काफी गिरावट आई और इसका हिस्सा दसवीं योजना के 40 प्रतिशत से घटकर ग्यारहवीं योजना में 27 प्रतिशत रह गया, बिहार के लिए व्यय का ढांचा दोनों योजना अवधियों में पूरे देश की तरह लगभग समान ही रहा। बिहार में कुल योजनाधीन धन में उक्त चार क्षेत्रों का हिस्सा 92 प्रतिशत था जबकि पूरे देश के लिए यह 85 प्रतिशत था।

तालिका 7.74 : कुल योजना परिव्यय की क्षेत्रगत संरचना : दसवीं और ग्यारहवीं योजना

क्षेत्र	दसवीं योजना		ग्यारहवीं योजना		बिहार के लिए वृद्धि/ कमी
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	
कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	20%	40%	19%	27%	(-) 13%
सामाजिक सेवाएं	23%	33%	31%	41%	(+) 08%
ऊर्जा	27%	06%	23%	03%	(-) 03%
परिवहन	15%	13%	16%	18%	(+) 05%
योग	**85%**	**92%**	**89%**	**89%**	**(-) 03%**

तालिका 7.75 क में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बिहार का वास्तविक परिव्यय और 2010-11 में प्रस्तावित परिव्यय दर्शाया गया है। इन चार वर्षों में राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में योजना व्यय के बतौर लगभग 64,000 करोड़ रु. खर्च करेगी और उससे थोड़ा अधिक गैर-योजना व्यय पर - लगभग 65,000 करोड़ रु.। तालिका में देखा जा सकता है कि सामाजिक सेवाओं पर योजना व्यय में इन वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है और चार वर्षों में यह लगभग तिगुना हो गया है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य पर राज्य सरकार द्वारा भारी व्यय के कारण है क्योंकि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। इनके बाद राज्य सरकार परिवहन पर 11,000 करोड़ रु. से भी अधिक खर्च करेगी जिसका कारण राज्य में परिवहन अधिसंरचना की काफी बुरी स्थिति है। ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार के योजना व्यय के उनके बाद बड़े हिस्से - लगभग 11,000 करोड़ रु. पर पर ग्रामीण विकास का दावा बना। ग्यारहवीं योजना के दौरान कुल योजना व्यय के 97 प्रतिशत हिस्से पर सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का संयुक्त दावा बना जो अप्रत्याशित नहीं था। 2006-07 के मूल्य पर ग्यारहवीं योजना का कुल परिव्यय 1,66,593 करोड़ रु. था जिसमें से राज्य सरकार का हिस्सा 58,310 करोड़ रु. (35 प्रतिशत) था और शेष निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित था।

तालिका 7.75 क : ग्यारहवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का योजना परिव्यय

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ब.अ.	योग	प्रतिशत हिस्सा
ग्यारहवीं योजना (2007-20012) (आंकड़े करोड़ रु. में)						
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां	293	865	651	1020	2829	4
ग्रामीण विकास	2579	2738	2825	2791	10933	17
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	65	32	73	90	260	0
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	413	705	1357	1338	3813	6
ऊर्जा	358	840	1007	894	1799	3
उद्योग एवं खनिज	408	510	509	668	2004	3
परिवहन	2305	2474	3265	3592	11420	18
आर्थिक सेवाएं	7086	8700	9772	11722	35618	56
सामाजिक सेवाएं	3592	4976	6256	11082	25906	41
सामान्य सेवाएं	408	425	568	738	2139	3
योग[24]	**10908**	**13815**	**16194**	**24076**	**63663**	**100**

तालिका 7.75 ख में दसवीं योजना के दौरान बिहार में विभिन्न क्षेत्रों का वास्तविक परिव्यय दर्शाया गया है। देखा जा सकता है कि दसवीं योजनावधि में भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच योजना व्यय का वितरण बहुत अलग नहीं था। कुल योजना राशि के 90 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से पर उक्त चारो क्षेत्रों का संयुक्त रूप से कब्जा था।

[24] योग के आंकड़ों में वित्तीय लेखा में विभिन्न योजना शीर्षों के तहत दर्ज वास्तविक व्यय के आंकड़ों से थोड़ा अंतर है लेकिन यह बहुत मायने नहीं रखता जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

योग	11086	14101	16596	23542	63663
वित्तीय लेखा के अनुसार वास्तविक योजना व्यय	10908	13815	16194	24076	64993
अंतर	-178	-286	-402	534	-332
अंतर का प्रतिशत	-1.63	-2.07	-2.48	2.22	-0.51

ये अंतर विभिन्न सेवाओं में योजना व्यय और गैर-योजना भागों के व्यय के बीच संशोधन-समाधान न होने के कारण हैं।

तालिका 7.75 ख : दसवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का योजना परिव्यय

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग	प्रतिशत हिस्सा
दसवीं योजना (2002-2007) (आंकड़े करोड़ रु. में)							
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां	86	85	235	353	323	890	4
ग्रामीण विकास	956	760	843	922	2078	5559	25
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	364	557	631	761	106	2419	11
ऊर्जा	667	2794	1099	2038	560	1343	6
उद्योग एवं खनिज	27	20	26	102	544	580	3
परिवहन	114	64	147	277	2305	2882	13
आर्थिक सेवाएं	2253	4298	3027	4498	5908	13779	62
सामाजिक सेवाएं	709	795	1071	1735	2971	7247	33
सामान्य सेवाएं	33	25	213	470	519	1260	6
योग	**2995**	**5118**	**4311**	**6703**	**9398**	**22286**	**100**

सारतः, देखा जा सकता है कि योजना व्यय का फोकस दोनों ही योजनाओं के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर रहा है। आर्थिक सेवाओं में ध्यान कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा तथा परिवहन के क्षेत्र में रहा है। ग्यारहवीं योजना में कृषि पर दसवीं योजना की अपेक्षा कम जोर है। सामाजिक तथा भौतिक अधिसंरचना के विकास को दोनों ही योजनाओं में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। योजना व्यय का समग्र पैटर्न योजनाओं के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप ही है। योजना व्यय हेतु वित्तपोषण के स्रोत पाने की बात करें, तो राज्य ग्यारहवीं योजना में दसवीं योजना की अपेक्षा काफी अधिक आत्मनिर्भर है।

7.25 वर्ष 2010-11 हेतु योजना एवं विकास विभाग की योजनाएं

1. योजना व्यय का आकार : वित्तवर्ष 2010-11 के लिए राज्य का योजना परिव्यय 20,000 करोड़ रु. रहा है। इसका आकार 2009-10 के परिव्यय 14,404.65 करोड़ रु. से 38.84 प्रतिशत अधिक है।

2. क्षेत्रवार परिव्यय आबंटन : वित्तवर्ष 2010-11 के वास्तविक राज्य योजना परिव्यय 20,000 करोड़ रु. में से 35.78 प्रतिशत समाजिक सेवाओं को, 22.61 प्रतिशत परिवहन व्यवस्था को, 10.32 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण को, 4.99 प्रतिशत ग्रामीण विकास सेवाओं को, और 8.41 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र को आबंटित करके उन्हे प्राथमिकता दी गई है।

3. विशेष घटक योजना : वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए कुल 3,597. 61 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं जो वर्ष हेतु कुल परिव्यय का 17.09 प्रतिशत है।

4. <u>राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला)</u> : राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत राज्य के 21 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है। ये जिले हैं – गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई और लखीसराय। इसके तहत प्रत्येक जिले के लिए 45 करोड़ रु. के हिसाब से कुल 945 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं और कुल 11,104 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 945 करोड़ रु. जिलों को आबंटित कर दिए गए हैं जिसके बरअक्स उन जिलों द्वारा 10,670 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 8,536 पूरी हो गई हैं और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इन योजनाओं पर वास्तविक व्यय 784.23 करोड़ रु. है।

5. <u>मुख्यमंत्री जिला विकास योजना</u> : राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत चयनित 21 जिलों के अलावा, शेष 17 जिलों में राष्ट्रीय सम विकास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री जिला विकास योजना की शुरुआत की गई है। ये जिले हैं – अरवल, बक्सर, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, सीवान, गोपालगंज, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, भागलपुर, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, और शेखपुरा। इस योजना के तहत 30 करोड़ रु. प्रति जिला के हिसाब से 510 करोड़ रु. व्यय की 4,473 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। बहरहाल, राज्य सरकार ने जिलों को 480 करोड़ रु. ही आबंटित किए हैं। कुल 4,132 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिनमें से 2,961 पूरी हो चुकी हैं और 1,171 पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

6. <u>राष्ट्रीय सम विकास योजना (विशेष योजना)</u> : केंद्र सरकार की शत–प्रतिशत सहायता से 9,234.86 करोड़ रु. के व्यय से राष्ट्रीय सम विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुख्यत: मुजफ्फरपुर और बरौनी ताप विद्युत केंद्रों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण, उप–संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरणत तथा 2034.04 किमी राज्य उच्चपथों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है।

7. <u>सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम</u> : वर्ष 1999–2000 से इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के 7 सीमावर्ती जिलों – पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के 31 सीमावर्ती प्रखंडों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2010–11 के लिए 3,715.00 लाख रु. का परिव्यय रखा गया है जिसके बरअक्स पहली किश्त के रूप में 2,876.66 लाख रु. का आबंटन प्राप्त हो चुका है। भारत–नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों की जीवनशैली में सुधार के लिए अनेक अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

8. <u>योजना विभाग की अनुश्रवण प्रणाली</u> : योजनाओं की प्रगति के आकलन के लिए अनुश्रवण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अलावा प्रत्येक विभाग के लिए नोडल अधिकारी के नाम भी तय कर दिए गए हैं। योजनाओं का अनुमोदन और मासिक व्यय का आकलन नोडल अधिकारियों की मासिक बैठकों में किया जाता है। वर्तमान वित्तवर्ष में अक्तूबर 2010 तक, योजना शीर्ष के तहत कुल 8,505.19 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

9. <u>आपकी सरकार आपके द्वार</u> : आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों के 25 प्रखंडों और 65 पंचायतों के लिए लिया गया है जिसके लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके सफल क्रियान्वयन

के लिए एक कोषांग का भी गठन किया गया है। इस कार्य का मूल्यनिरूपण मुख्य सचिव के स्तर से किया जा रहा है।

10- <u>कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की वर्तमान स्थिति</u> : कोशी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में आवासों के निर्माण हेतु एक सामान्य दिशानिर्देश तैयार किया है और उसकी प्रतियां संबंधित जिला समाहर्ताओं को भेज दी गई हैं।

(i) पहले चरण में 30 हजार आवासों के पुनर्निर्माण हेतु 2009-10 में निम्नलिखित राशि का आबंटन किया गया है।

(राशि लाख रु. में)

जिला	आबंटित राशि
मधेपुरा	3861.40
सुपौल	6098.70
सहरसा	1130.00
योग	11090.10

(ii) संबंधित जिलों में आवासों के निर्माण में ओनर ड्राइवेन रिकंस्ट्रक्शन कॉलेबरेटिव (ओआरडीसी) द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

(iii) कुशहा तटबंध के टूटने से आई प्रयलंकारी आपदा में क्षतिग्रस्त बुनियादी अधिसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक द्वारा 22 करोड़ अमेरिकन डॉलर ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्व बैंक के प्रस्ताव के आलोक में बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी का गठन किया गया है। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली उक्त राशि का उपयोग बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्र की योजनाओं में करने का प्रस्ताव है :

क्षेत्र	राशि	
	करोड़ डॉलर	करोड़ रु.
(क) आवास निर्माण	6	240
(ख) सड़क एवं पुल	7	280
(ग) जीविका	3	120
(घ) बाढ़ प्रबंधन	3	120
(च) तकनीकी सहायता तथा परियोनजा प्रबंधन	1	40

11. <u>यू.आइ.डी.</u>

- केंद्र सरकार द्वारा भारत के प्रत्येक निवासी के लिए अलग पहचान संख्या निर्गत करने की योजना शुरू की गई है।
- विशेष पहचान पत्र उपलब्ध कराने से गरीबों के लिए चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों की कमियां दूर होंगी और सब्सिडी तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।
- इससे गरीबों और अलग-थलग पड़े लोगों को सशक्त बनाने तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया (यू. आइ.डी.ए.आइ.) का गठन किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा यू.आइ.डी. योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय परामर्शी पर्षद का गठन किया गया है।
- योजना एवं विकास विभाग राज्यस्तरीय परामर्शी पर्षद का नोडल विभाग है।
- ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास को निबंधक बनाया जाना प्रस्तावित है।

11. <u>स्वैच्छिक क्षेत्र नीति - 2010</u>

(i) स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोत्साहन-सशक्तीकरण तथा उसे स्वतंत्र, प्राधिकृत, सृजनशील तथा प्रभावशाली बनाने के लिए योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र नीति - 2010 का प्रारूप तैयार किया गया है।

(ii) स्वैच्छिक नीति का क्षेत्र :

- स्वैच्छिक संगठन जन सेवा से संबंधित संगठन हैं।
- स्वैच्छिक संगठन राजनीतिक दलों से संबंधित नहीं होते हैं।
- ये औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहों के संगठन होते हैं।

(iii) स्वैच्छिक संस्थानों की विशेषताएं :

- स्वैच्छिक संगठन सरकार से अलग तथा निजी संगठन होते हैं।
- इनका मकसद लाभ अर्जित करना नहीं होता है।
- ये स्वशासी संगठन होते हैं हालांकि सरकार द्वारा भी इनका नियंत्रण किया जा सकता है।

<u>चुनौतियां</u>

- सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
- सीमा क्षेत्र विकास के तहत बेसलाइन सर्वेक्षण
- विश्व बैंक की परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन
- रिक्त पदों को भरना
- जिला योजना का निर्माण
- फसल सांख्यिकी का संकलन
- जन्म-मृत्यु का निबंधन

7.26 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं[25]

विभाज्य करों के केंद्रीय पुल से संसाधनों की सुपुर्दगी

तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। अन्य वित्त आयोगों की तरह इसके सामने भी सबसे बड़ा कार्यभार संविधान के अनुच्छेद 280 (3)(क) के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध प्राप्ति का उदग्र वितरण और उन प्राप्तियों का राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण था। इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए कि केंद्रीय करों से विभाज्य पूल में होने वाली शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा केंद्र से राज्यों को संसाधनों की सुपुर्दगी का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अंतरणों में अकेले इस सुपुर्दगी का हिस्सा कुल अंतरणों के 80 प्रतिशत से अधिक था। ग्यारहवें वित्त आयोग के मामले में तो यह आंकड़ा और भी अधिक (86.5 प्रतिशत) था। कर सुपुर्दगी के मामले में तेरहवें वित्त आयोग के सामने दुहरा कार्यभार था :

(क) आय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा कुछ खास वस्तुओं पर लगने वाले अतिरिक्त कर और उत्पाद शुल्क के संग्रहण से निर्मित करों के विभाज्य पूल में केंद्र और राज्यों के हिस्से का निर्णय करना।

(ख) राज्यों के असंतुलन और बीच विषमता की समाप्ति के समग्र उद्देश्य से राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन और सुधरे प्रदर्शन को बनाए रखने की जरूरत से समझौता किए बिना राज्यों के हिस्से के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजन के लिए सूत्र विहित करना।

आयोग के समक्ष मौजूद अन्य कार्यभार थे (1) वे सिद्धांत विहित करना जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत भारत की संचित निधि से राज्यों को संसाधनों के सहायता अनुदान को और जरूरतमंद राज्यों को सहायता अनुदान के जरिए दी जाने वाली राशि को देने प्रबंधित करे; (2) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों को अपनी संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय बताना। आयोग को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र द्वारा 2005-10 की अवधि के लिए शुरू की गई राज्यों की ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के संचालन को ध्यान में रखकर केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करनी थी। और अंत में, उसे न्यायपूर्ण विकास के अनुरूप स्थिर तथा टिकाऊ राजकोषीय वातावरण बनाए रखने के उपाय भी सुझाने थे।

अनुशंसाएं करने में आयोग को केंद्र सरकार के संसाधनों की मांगों पर भी विचार करना था, खास कर केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के लिए सकल बजटीय सहायता, नागरिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा, ऋण-सेवा तथा अन्य कार्यार्पित व्यय एवं देनदारियों पर व्यय के साथ-साथ राज्यों के संसाधनों पर भी। केंद्र के मामले में कर : सकल घरेलू उत्पाद में और राज्यों के मामले में कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सुधार के लिए तेरहवें वित्त आयोग को केंद्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयासों तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावना पर भी विचार करना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेरहवें वित्त आयोग को 1 अप्रील, 2010 से लागू होने वाले प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था जिसमें देश के

[25] यह खंड तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। इस खंड में प्रयुक्त सारे आंकड़े और तथ्य इसी से लिए गए हैं।

विदेशी व्यापार पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन भी शामिल था। तेरहवें वित्त आयोग को सौंपे गए अन्य मामले थे : बेहतर परिणामों और उत्पादों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत; टिकाऊ विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की जरूरत; पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव और उन्नयन के गैर-वेतन घटक पर व्यय और अंत में, सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उपभोग शुल्क लगाने और दक्षतावृद्धि के उपाय अपनाने सहित विविध उपायों के जरिए व्यावसायिक सक्षमता सुनिश्चित करने की जरूरत।

वर्तमान विश्लेषण का उद्देश्य आयोग की मुख्य्य अनुशंसाओं और बिहार के लोक वित्त पर उसके संभावित प्रभाव को रेखांकित करना है। इसमें विश्लेषण कर सुपुर्दगी, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत सहायता अनुदान तथा राज्यों और केंद्र के ऋण प्रबंधन संबंधी अनुशंसाओं से संबंधित तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों तक सीमित रहेगा।

राज्यों के द्वारा किए गए निवेदन पर विचार करने के बाद तेरहवां वित्त आयोग निष्कर्ष पर पहुंचा कि उदग्र सुपुर्दगी को केंद्र और राज्यों की राजस्व जुटाने की क्षमता के साथ-साथ व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण राज्यों के सामने उभरते दबाव द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यह ज्ञात तथ्य है कि राज्यों के करों की तुलना में केंद्रीय करों की उत्फुल्लता हमेशा अधिक रही है। वर्ष 2000 से 2008 की अवधि में केंद्र और राज्य के करों की उत्फुल्लता के आंकड़े क्रमशः 1.49 और 1.18 थे। इसके अलावा, केंद्र को एक लाभ यह भी है कि वह राजस्व वृद्धि हेतु उप-कर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) लगा सकता है लेकिन राज्यों के पास यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। केंद्र के सकल कर राजस्व में उप-कर और अधिभार का हिस्सा 2001-02 के 3.51 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 13.63 प्रतिशत हो गया था। इसका सुपुर्दगी ढांचे पर विपरीत प्रभाव पड़ा था क्योंकि उप-कर और अधिभार का राज्यों के साथ बंटवारा नहीं होता है।

दरअसल केंद्र की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ कभी भी नहीं थी। उसका गैर-कर राजस्व बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ा है - अकेले दूरसंचार क्षेत्र के कारण 2001 से 2008 के बीच 18,000 करोड़ रु. से भी ज्यादा। चूंकि अधिक सेवाओं को करों के दायरे में लाया जा रहा था, इसलिए इनसे होने वाली प्राप्तियों के कारण केंद्र को अपनी वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में अप्रत्याशित ताकत मिली थी। वहीं, राज्यों की कार्यार्पित देनदारियां अतिरिक्त कराधान से उनके राजस्वों में तदनुरूप वृद्धि के बिना ही लगातार बढ़ती रही हैं। हालांकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं मुख्यतः केंद्र द्वारा वित्तपोषित होती हैं, लेकिन उनकी बढ़ती संख्या से उनके खर्च में अंशदान करने, अधिसंरचना में सहायता के प्रावधान और अन्य कार्यार्पित देनदारियों के कारण राज्यों की व्यय प्रतिबद्धता काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग के दस्तावेज में जोर दिया गया है, राज्यों को पर्यावरण रक्षा के लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी होगी। पर्यावरण अवशिष्ट केंद्रीय विषय है और उसके समुचित रखरखाव की जवाबदेही समान रूप से सभी स्तर के सरकारों की है। इससे राज्यों के पहले से ही कम संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है।

बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए शुद्ध केंद्रीय करों में 30.5 प्रतिशत हिस्से की अनुशंसा की थी। हालांकि वस्त्र, तंबाकू और चीनी के मामले में कर लगान समझौता (टैक्स रेंटल एॅग्रीमेंट) के समापन की स्थिति में इस

हिस्से को कम होकर 29.5 प्रतिशत ही हो जाना था जबकि इन वस्तुओं को करों के विभाज्य पूल का ही हिस्सा समझा जाता था। सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करते हुए, तेरहवें वित्त आयोग ने विभाज्य करों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.0 प्रतिशत करने की अनुशंसा की। केंद्र की सुधरी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इससे उस पर कोई बोझ बढ़ने की आशंका नहीं है।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुति के बाद से केंद्र द्वारा बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के मामले में स्थिति बदल गई है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्वपूर्ण वस्तु) अधिनियम, 1957 के तहत आने वाली सभी वस्तुओं को 1 मार्च 2006 से अधिनियम के अंतर्गत शुल्क भुगतान से मुक्त कर दिया गया है। इस छूट के बाद केंद्र ने सिगरेट, बीड़ी और चीनी की मूल उत्पाद शुल्क दरों में भी उपयुक्त समंजन किया है। कर लगान समझौता के अंतर्गत शामिल तीनों वस्तुएं - वस्त्र, तंबाकू और चीनी - केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत घोषित वस्तुओं की सूची में अभी भी शामिल हैं। अतएव राज्य अगर इन वस्तुओं पर मूल्यवर्धित कर लगाना चाहें तो उस स्थिति में इसके कारण विहित दरों पर ही कर लगाना राज्यों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। वित्त मंत्रालय ने इंगित किया है कि शुद्ध केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों के हिस्से की विमुक्ति बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 30.5 प्रतिशत हिस्से के साथ संगतिपूर्ण है। तेरहवें वित्त आयोग ने विभाज्य शुद्ध केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों के लिए अनुशंसित 32 प्रतिशत हिस्से के किसी अंश को बिक्री कर की जगह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने योग्य निर्धारित नहीं किया है और इन वस्तुओं पर मूल्यवर्धित कर लगाने से राज्य के हिस्से में किसी कमी की अनुशंसा नहीं की है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार सेवा कर को करों के विभाज्य पूल का अंग माना जाना था। तेरहवें वित्त आयोग ने तर्क दिया कि संविधान के 88वें संशोधन के अनुसार सेवा कर लगाने की शक्ति केंद्र में निहित है और केंद्र तथा राज्यों के बीच उसका विभाजन संसद द्वारा तय सिंद्धांत के अनुसार होगा। लेकिन निकट भविष्य में प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिहाज से संसद द्वारा ऐसा कोई नियम बनाने की संभावना नहीं है। अतएव तेरहवें वित्त आयोग ने बारहवें वित्त आयोग की इस अनुशंसा को दरकिनार कर दिया कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत किसी राज्य का राजस्व प्रोद्‌भवन उस हिस्से से कम नहीं होना चाहिए जो पूरे सेवा कर के करों के विभाज्य पूल का हिस्सा होने पर होता। हालांकि, तेरहवें वित्त आयोग ने उप-कर और अधिभार को विभाज्य पूल में शामिल करने राज्यों की मांग अस्वीकार कर दी थी। संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत करों एवं शुल्कों पर लगे अधिभार तथा विशेष प्रयोजनों से लगाए गए उप-कर को विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं माना गया था। हालांकि आयोग ने अनुशंसा की कि कुल कर राजस्व में हिस्से में कमी के लिहाज से केंद्र वर्तमान अधिभारों और उप-करों की समीक्षा करे और आशा की कि वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत से अधिकांश उप-कर और अधिभार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की मूल दर के अंदर समाहित हो जाएंगे।

क्षैतिज सुपुर्दगी को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों के बारे में उसने उल्लेख किया था कि हालिया वित्त आयोगों ने राज्यों के बीच कर सुपुर्दगी की अनुशंसा करते समय समता और कार्यकुशलता का दो निर्देशक सिद्धांतों के बतौर उपयोग किया था। समता का सिद्धांत राज्यों के बीच राजस्व जुटाने की क्षमता में अंतर और मूल्यजनित अक्षमताओं

की समस्या से निपटता है, वहीं कार्यकुशलता का सिद्धांत राज्यों को अपने राजस्व आधार के दोहन और राजकोषीय क्रियाओं के किफायती प्रबंधन हेतु प्रेरित करने का प्रयास करता है। इन दोनों सिद्धांतों के संयोग को काफी स्वीकार्यता मिली है और तेरहवें वित्त आयोग ने भी राज्यों के बीच क्षैतिज हिस्सेदारी की अनुशंसा में इन सिद्धांतों का उपयोग किया है। अतएव मुद्दा यह था कि इन सिद्धांतों के प्रतिनिधित्व का उपयुक्त मापदंड कैसे चुना जाय।

बारहवें वित्त आयोग के अनुसार कर सुपुर्दगी में हर राज्य के हिस्से के लिए सूत्र तय करने में जनसंख्या को 25 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय में दूरियों को 50 प्रतिशत, क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत तथा कर प्रयास और वित्तीय अनुशासन को 7.5-7.5 प्रतिशत भार दिया गया था। दो मापदंडों के मामले में बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में कोई अंतर नहीं है - जनसंख्या और क्षेत्रफल। हालांकि बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त प्रति व्यक्ति आय में दूरी के मापदंड की बात करें, तो इस तथ्य को देखते हुए कि 2004 से 2007 के बीच औसत तुलनात्मक प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर देश के सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय के मामले में 10 : 1 का फासला है, तेरहवें वित्त आयोग ने महसूस किया कि छठे वित्त आयोग के समय से हर वित्त आयोग द्वारा चिन्हित सापेक्ष राजकोषीय आवश्यकताओं के निर्धारण में समता के घटक पर बल देना निहायत जरूरी है। यह था यह सुनिश्चत करना कि सभी राज्यों के पास तर्कसंगत और तुलनात्मक स्तर के करों के जरिए अपने राज्यवासियों को तुलनात्मक स्तर की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की राजकोषीय क्षमता हो और यह भी कि राज्यों के बीच राजकोषीय आधार पर प्रेरित प्रवास कम से कम हो। लेकिन खुद समता के इसी घटक से न तो राज्यों के बीच सार्वजनिक सेवा प्रदान में एकरूपता की गारंटी होती है, न उनके कर प्रयासों में। बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त आय में अंतर का मापदंड राज्यों के बीच कर क्षमता में अंतर का परोक्षी (प्रॉक्सी) है। इससे राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता में दूरी को निर्धारित करने के लिए एक अकेला अनुपात - सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कर का अनुपात निकल आता है। इसकी बजाय तेरहवें वित्त आयोग ने कर क्षमता को मापने के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अलग-अलग औसतों की अनुशंसा की। उसके अनुसार अकेले औसत से इन दो प्रकार के राज्य समूहों के बीच राजकोषीय अंतर वास्तव में पकड़ में नहीं आता था।

कर सुपुर्दगी हेतु मापदंड के बतौर राजकोषीय अनुशासन का उपयोग दो पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा किया गया था और दोनों ने ही इस मापदंड को 7.5 प्रतिशत भार दिया था। बहरहाल तेरहवें वित्त आयोग ने भी इस मापदंड को जारी रखा और राजकोषीय अनुशासन सूचकांक निकालने के लिए 2005-06 से 2007-08 को संदर्भ वर्ष तथा 2001-02 और 2003-04 को आधार वर्ष के रूप में लिया। राज्य की अपनी कर प्राप्तियों में उसका अपना कर राजस्व भी शामिल होता है इसलिए राजकोषीय अनुशासन का यह मापदंड राज्यों के कर प्रयास को भी पकड़ में रखता है। अतएव तेरहवें वित्त आयोग ने अलग मापदंड के बतौर कर प्रयास के उपयोग को समाप्त कर दिया। बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय अनुशासन और कर प्रयास के लिए संयुक्त रूप से 15 प्रतिशत भार दिया गया। तेरहवें वित्त आयोग बेहतर राजकोषीय चातुर्य वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहता था इसलिए उसने इस मापदंड को 17.5 प्रतिशत का अपेक्षाकृत अधिक भार दिया। इसकी अनुशंसाओं को नीचे की तालिका 7.76 और 7.77 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.76 : कर सुपुर्दगी हेतु मापदंड और भार

मापदंड	**भार**
1. जनसंख्या (1971)	25.0
2. क्षेत्रफल	10.0
3. वित्तीय क्षमता संबंधी दूरी	47.5
4. राजकोषीय अनुशासन	17.5

तालिका 7.77 : राज्यों के बीच हिस्सा

राज्य	हिस्सा (%)	सेवा कर का हिस्सा (%)	औसत सुपुर्दगी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में
आंध्र प्रदेश	6.937	7.047	0.54
असम	3.628	3.685	2.63
बिहार	10.917	11.089	5.87
छत्तीसगढ़	2.470	2.509	0.92
गुजरात	3.041	3.089	0.04
हरियाणा	1.048	1.064	0.17
हिमाचल प्रदेश	0.781	0.793	1.74
झारखंड	2.802	2.846	0.29
कर्नाटक	4.328	4.397	0.48
केरल	2.341	2.378	0.19
मध्य प्रदेश	7.120	7.232	3.01
महाराष्ट्र	5.199	5.281	0.32
मणिपुर	0.451	0.458	5.68
उड़ीसा	4.779	4.855	1.04
पंजाब	1.389	1.411	0.70
राजस्थान	5.853	5.945	1.64
तमिलनाडु	4.969	5.047	0.51
त्रिपुरा	0.511	0.519	4.57
उत्तरप्रदेश	19.677	19.987	3.30
उत्तराखंड	1.120	1.138	1.95
पश्चिम बंगाल	7.264	7.379	0.85

यहां एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि राज्यों के बीच करों के विभाज्य पूल से वितरण अलग-अलग राज्यों के संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाना है ताकि उनके बीच मौजूद विषमता को कम किया जा सके। भारत के 28 राज्यों में 2005-06 के मूल्य पर सबसे संपन्न राज्य गोवा की प्रति व्यक्ति आय 70,112 रु. है और सबसे गरीब राज्य बिहार की मात्र 7,875 रु.। इसी प्रकार, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.6 करोड़ है और सबसे कमी आबादी वाले राज्य सिक्किम की 5.4 लाख।

संविधान का अनुच्छेद 275 कम विकसित और अपने से राजस्व जुटाने की कम क्षमता वाले राज्यों को मदद करने की मंशा से विकसित है। ऐसे अंतरणों से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की अपनी सेवा प्रदान के स्तर में सुधार की क्षमता बढ़ती है और कितने चरणों में ऐसा किया जाना चाहिए, इनका निर्णय महज राजकोषीय स्थितियों पर विचार करने से ही नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन को भी समुचित महत्व देने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखकर तेरहवें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के लिए गैर-योजना अनुदानों के लिए अनुशंसा के कार्यभार पर विचार किया है।

राज्यों को गैर-योजना अनुदान

योजना आयोग और वित्त आयोग के कार्यों के बीच बंटवारा के लिहाज से देखें, तो वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित संसाधनों का अंतरण समानता के उद्देश्य को अंशत: ही पूरा कर सकता है क्योंकि योजना आयोग विकासजन्य आवश्यकताओं की देखरेख करता है और इस मकसद से योजना अनुदान देता है। अनुच्छेद 275 के अनुसार, वित्त आयोग की अधिकार सीमा में न तो योजनागत योजनाओं का राजस्व व्यय पूरा करने के लिहाज से अनुदान उपलब्ध कराना वर्जित है, न पूंजीगत प्रयोजनों के लिए अनुदान के संबध में कोई स्पष्ट रोक है। लेकिन सारे पूर्ववर्ती आयोगों ने इस बात पर टिके रहना पसंद किया है कि ऐसा करने से 'इस आयोग और योजना आयोग के बीच पूरा कार्यविभाजन ही अस्पष्ट हो जाएगा'। तेरहवां वित्त आयोग भी इस विचार से मौलिक रूप से नहीं हटा है।

वित्त आयोग अनुशंसित सभी अंतरणों में सहायता अनुदान बहुत महत्वपूर्ण घटक रहा है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों में इसका हिस्सा कुल अंतरण का 18.9 प्रतिशत था। अनुदानों से वित्त आयोगों को अनेक सूत्रों में प्रयुक्त मापदंडों से निरपेक्ष सुपुर्दगी के सूत्रों के कारण राज्यों द्वारा भुगती जा रही लागतजन्य अक्षमताओं को दूर करने में मदद मिलती है। तेरहवें वित्त आयोग ने कुल 3,18,581 करोड़ रु. के सहायता अनुदानों की कई श्रेणियों की अनुशंसा की है जो उसके द्वारा अनुशंसित कुल अंतरणों का 18.03 प्रतिशत है। आगे के अनुच्छेदों में इन अनुदानों पर एक-एक करके चर्चा की जाएगी। इन अनुदानों से संबंधित स्थिति का सारांश तालिका 7.78 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.78 : राज्यों के लिए अनुशंसित सहायता अनुदानों का सारांश

(करोड़ रु.)

I	स्थानीय निकाय		87519
II	आपदा राहत (क्षमता निर्माण हेतु सहित)		26373
III	उत्तर-सुपुर्दगी गैर-योजना राजस्व घाटा		51800
IV	प्रदर्शनजनित प्रोत्साहन		1500
V	प्रारंभिक शिक्षा		24068
VI	पर्यावरण		15000
	(क) वन संरक्षण	5000	
	(ख) नवीकरणनीय ऊर्जा	5000	
	(ग) जल क्षेत्र प्रबंधन	5000	
VII	परिणामों में सुधार		14446
	(क) शिशु मृत्यु दर में कमी	5000	
	(ख) न्याय दिलाने में सुधार	5000	
	(ग) यूआइडी जारी करने हेतु प्रोत्साहन	2989	
	(घ) जिला नवोन्मेष कोष	616	
	(च) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	616	
	(छ) कर्मचारी और पेंशन का आंकड़ा आधार	225	
VIII	सड़कों और पुलों का रखरखाव		19930
IX	राज्य विशेषिक		27945
X	वस्तु एवं सेवा कर मॉडल का क्रियान्वयन		50000
	योग		**318581**

इन अनुदानों में से पहला है उत्तर-सुपुर्दगी गैर-योजना राजस्व घाटा (एनपीआरडी) अनुदान। कुल अनुदानों में इसका हिस्सा चौथे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अधिकतम 100 प्रतिशत और बारहवें वित्त आयोग के तहत न्यूनतम - लगभग 40 प्रतिशत थी। तेरहवें वित्त आयोग ने कुल अनुदानों में इसके 16.26 प्रतिशत हिस्से की अनुशंसा की है जो सभी आयोगों के बीच सबसे कम है। ऐसा राज्यों द्वारा लागू किए गए एफआरबीएम अधिनियमों के तहत अपनाए गए वित्तीय अनुशासन के कारण संभव हुआ है। हालांकि बिहार को इससे कोई अनुदान उपलब्ध नहीं होता था क्योंकि इसने अपने राजस्व लेखे से घाटा पूरी तरह समाप्त कर दिया था। तेरहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के राजस्व व्यय का मूल्यांकन करने के बाद उसके लिए सुपुर्दगी-पूर्व की स्थिति की गणना की थी और तब जाकर विभाज्य करों के केंद्रीय पूल में हर राज्य के हिस्से की अनुशंसा की थी। सुपुर्दगी-पूर्व की स्थिति, गैर-योजना राजस्व घाटा और केंद्रीय करों में हर राज्य के हिस्से के आधार पर तेरहवें वित्त आयोग ने 2010-11 से 2014-15 तक की अपनी कार्यावधि के हर वर्ष के लिए हर राज्य के सुपुर्दगी-पश्चात गैर-योजना राजस्व घाटे अथवा अधिशेष का अनुमान किया था।

जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग ने पाया कि ''मानक आधार पर मूल्यांकित किसी राज्य का सुपुर्दगी–पश्चात गैर–योजना राजस्व घाटा उदग्र असंतुलन के अस्तित्व को दर्शाता है जिसे दुरुस्त और आवश्यकता का मूल्यांकन किया ही जाना है''। उसने यह सुनिश्चित करते हुए राजस्व व्यय का मानक आधार पर मूल्यांकन किया था कि मूल्यांकित घाटा राज्य द्वारा किए गए अपर्याप्त राजस्व प्रयास या अत्यधिक व्यय के कारण तो नहीं हुआ है। राजस्व सहायता अनुदान उन्हीं राज्यों को प्रदान किए गए हैं जिनको इस मूल्यांकित घाटा को पूरा करने के लिए सुपुर्दगी–पश्चात गैर–योजना राजस्व घाटा हुआ हो। दुर्भाग्यवश, बिहार के लिए यद्यपि हर वर्ष में सुपुर्दगी–पूर्व के चरण में तो गैर–योजना राजस्व घाटा था लेकिन इस आयोग की कार्यावधि में शामिल प्रत्येक वर्ष में गैर–योजना राजस्व लेखा में पर्याप्त अधिशेष था। तालिका 7.79 क और ख में बिहार के बरअक्स अन्य प्रमुख राज्यों की स्थिति दर्शाई गई है।

तालिका 7.79 क : सुपुर्दगी-पूर्व गैर-योजना राजस्व घाटा/ अधिशेष (-)

(करोड़ रु.)

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंध्र प्रदेश	-8651	-11839	-6745	-11137	-16143
असम	7149	7211	9248	9298	9225
बिहार	14890	15399	18940	19659	20277
छत्तीसगढ़	-2129	-2480	-439	-762	-1160
गुजरात	-8363	-12149	12638	-18245	-24837
हरियाणा	-13814	-16394	-17774	-21235	-25235
हिमाचल प्रदेश	3825	3923	4086	3912	3471
झारखंड	1013	683	2075	1615	1111
कर्नाटक	-11099	-14404	-14597	-19139	-24652
केरल	4705	3967	4210	2826	1134
मध्य प्रदेश	2645	2331	4755	4353	3728
महाराष्ट्र	-14325	-19147	-19617	-26665	-34702
उड़ीसा	4718	4617	6495	6364	6088
पंजाब	1214	546	372	-739	-2065
राजस्थान	3990	1480	1796	334	-864
तमिलनाडु	-6528	-8452	-7275	-10135	-13479
उत्तरप्रदेश	14903	14126	19758	18343	16485
उत्तराखंड	2129	2179	2940	2922	2703
पश्चिम बंगाल	14360	12687	13280	9908	5738
सकल घाटा	**92864**	**87137**	**108771**	**101108**	**92071**
सकल अधिशेष	-65446	-85630	-79847	-109140	-144593
निवल घाटा	**27417**	**1507**	**28924**	**-8032**	**-52522**

तालिका 7.79 ख : सुपुर्दगी-पश्चात गैर-योजना राजस्व घाटा/ अधिशेष (-)

(करोड़ रु.)

राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंध्र प्रदेश	-22796	-28430	-26314	-34221	-43371
असम	-248	-1466	-986	-2774	-5015
बिहार	-7370	-10710	-11857	-16668	-22572
छत्तीसगढ़	-7166	-8387	-7407	-8981	-10855
गुजरात	-14564	-19422	-21216	-28364	36773
हरियाणा	-15951	-18900	-20731	-24722	-29348
हिमाचल प्रदेश	2232	2055	1883	1313	406
झारखंड	-4700	-6015	-5830	-7709	-9886
कर्नाटक	-19924	-24755	-26806	-33540	-41640
केरल	-69	-1632	-2394	4963	-8055
मध्य प्रदेश	-11872	-14697	15330	-19339	-24218
महाराष्ट्र	-24926	-31581	-34283	-43964	-55108
उड़ीसा	-5026	-6812	-6986	-9538	-12670
पंजाब	-1628	-2776	-3546	-5361	-7517
राजस्थान	-7945	-12518	-14715	-19142	-23837
तमिलनाडु	-16660	-20336	-21292	-26669	-32982
उत्तरप्रदेश	-25219	-32933	-35751	-47132	-60747
उत्तराखंड	-155	-500	-220	-805	-1693
पश्चिम बंगाल	-452	-4685	-7212	-14263	-22773
सकल घाटा	**11653**	**10808**	**11716**	**10074**	**7550**
सकल अधिशेष	-187814	-248079	-264441	-350326	-451942
निवल घाटा	-176161	-237271	-252726	-340252	-444392

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान का दूसरा भाग प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के ध्येय की पूर्ति हेतु था जैसा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सूचित किया गया है। इस अनुदान का मकसद यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी राज्यों को इस अनुदान में हिस्सा मिले, इस क्षेत्र में वित्तपोषण हेतु राजस्व की कमी से निपटने में राज्यों की सहायता करना था।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों का तीसरा और चौथा सेट टिकाऊ विकास हेतु पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपने विचारार्थ विषय की पूर्ति से संबंधित है। अनुशंसा करने में आयोग ने कुछ अनुदानों को नवीकरणीय ऊर्जा, बेहतर जल क्षेत्र प्रबंधन, शिशु मृत्यु दर में कमी आदि विशिष्ट ध्येयों की पूर्ति के साथ जोड़ा है। पांचवां अनुदान सड़कों एवं पुलों के रखरखाव हेतु है जिसका फोकस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

है। इसके अलावा आयोग ने आपदा राहत, स्थानीय निकायों, आदर्श वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, नागरिकों को अनन्य पहचान संख्या (यूआइडी) जारी करने संबंधी अनुदानों के अलावा कुछ स्थान विशेषिक अनुदानों की भी अनुशंसा की है। गौर करने का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इनमें से अधिकांश अनुदानों के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं जिन्हें पूरा करना राज्यों के लिए इनकी प्राप्ति की पूर्वशर्त होगी। भारत के बरअक्स बिहार के लिए सभी अनुदानों की अनुशंसा का सारांश तालिका 7.80 में प्रस्तुत है।

बिहार हेतु राज्य विशेषिक अनुदान

निम्नलिखित अनुदान बिहार हेतु राज्य विशेषिक अनुदान हैं :

<u>पंचायत सरकार भवनों का निर्माण</u> : ग्राम पंचायतों को समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार ने विविध प्रशासनिक जरूरतें पूरी करने के मकसद से पंचायत कार्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव किया था। इन भवनों का आपदाओं की स्थिति में अस्थायी शरणस्थली के बतौर भी उपयोग होना है। तेरहवें वित्त आयोग ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रु. के अनुदान की अनुशंसा की है।

<u>आरक्षी प्रशिक्षण अकादमी</u> : तेरहवें वित्त आयोग को दिए अपने ज्ञापन में राज्य सरकार ने उल्लेख किया था कि विभाजन के बाद राज्य में आरक्षी अकादमी नहीं है। उसने राजगिर में एक अकादमी का प्रस्ताव किया था जिसके लिए जमीन प्राप्त कर ली गई थी। राज्य सरकार ने आरक्षी उपाधीक्षक के पद तक के पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए इस अकादमी की स्थापना हेतु धन का अनुरोध किया था। आयोग ने इस मकसद से 206 करोड़ रु. के अनुदान की अनुशंसा की है।

<u>आरक्षी आवास</u> : राज्य सरकार के अनुरोध पर निम्न संवर्गीय अधीनस्थों के लिए क्वार्टर, सिपाहियों के लिए बैरकों तथा आदर्श पुलिस थानों के निर्माण हेतु 106 करोड़ रु. के अनुदान की अनुशंसा की गई है।

<u>नालंदा विरासत विकास योजना</u> : राज्य सरकार ने बौद्ध संस्थाओं को जोड़ने तथा बिहार में बौद्ध पथ पर अवस्थित प्रमुख स्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए नालंदा विरासत क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया था। नालंदा विरासत विकास योजना में पर्यटन हेतु अधिसंरचात्मक सुविधाओं का विकास भी शामिल है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए मांगे गए 50 करोड़ रु. के अनुदान की अनुशंसा की है।

<u>पुरातात्विक स्थलों का विकास तथा संरक्षण</u> : आयोग ने विकास तथा संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 29 स्थलों के लिए इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रु. अनुदान की अनुशंसा की है।

<u>नए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का विकास</u> : राज्य सरकार ने युवा वर्ग में कौशल को बढ़ावा देने के लिए 105 नए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आइटीआइ) के निर्माण की जरूरत पर बल दिया था और 10 नए केंद्रों की स्थापना तथा तेरहवें वित्त आयोग के कार्यकाल तक उनके आवर्ती व्यय के लिए 100 करोड़ रु. के अनुदान हेतु अनुरोध किया था। आयोग ने इसकी भी अनुशंसा की है।

<u>बाढ़ से बचाव के लिए नदियों को जोड़ना</u> **:** राज्य सरकार ने बूढ़ी गंडक-नोन-बाया-गंडक लिंक हेतु धन का अनुरोध किया था। इस लिंक के जरिए बूढ़ी गंडक की बाढ़ का 300 क्यूसेक पानी (बाढ़ के पानी की आंशिक मात्रा) नोन और बाया नदियों के जरिए गंगा में प्रवाहित होना अनुमानित है। इससे बूढ़ी गंडक बेसिन के निचले क्षेत्र (समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिलों के पड़ने वाले) में बाढ़ से होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी। आयोग ने पर्यावरण संबंधी तथा अन्य अनापत्ति प्रमाण हासिल करने के बाद इस कार्य को करने के लिए 333 करोड़ रु. के अनुदान की अनुशंसा की है।

तालिका 7.80 : भारत के बरअक्स बिहार हेतु अनुशंसित सहायता अनुदानों का सारांश

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	निम्नलिखित हेतु सहायता अनुदान	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग	संपूर्ण भारत
I	**स्थानीय निकाय**						**5682.10**	**87519.00**
II	**आपदा राहत**						**1411.20**	**26373.00**
III	**सुपुर्दगी-पश्चात गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान**						**0.00**	**51800.00**
IV	**तीन विशेष श्रेणी के राज्यों को विशेष प्रदर्शन प्रोत्साहन**						**0.00**	**1500.00**
V	**प्रारंभिक शिक्षा**	585	699	818	946	970	**4018.00**	**24068.00**
VI	**पर्यावरण**							
a)	वनरक्षा	4.80	4.80	9.60	9.60	9.60	**38.40**	**5000.00**
b)	जल क्षेत्र प्रबंधन	0	76	76	76	76	**304.00**	**5000.00**
c)	नवीकरणीय ऊर्जा							**5000.00**
VII	**परिणामों में सुधार**							
a)	शिशु मृत्यु दर में कमी							**5000.00**
b)	न्याय प्रदान में सुधार						**384.97**	**5000.00**
c)	यूआइडी हेतु प्रोत्साहन अनुदान						**369.20**	**2989.10**
d)	जिला नवोन्मेष कोष						**38.00**	**616.00**
e)	जिला तथा राज्य सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार						**38.00**	**616.00**
f)	कर्मचारी तथा पेंशन आंकड़ा आधार						**10.00**	**225.00**
VIII	सड़कों और पुलों का रखरखाव	0	94	105	119	146	**464.00**	**19930.00**
IX	राज्य विशेषिक						**1845.00**	**27945.00**
X	**आदर्श वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन**							**50000.00**
	कुल सहायता अनुदान[26]						**14602.87**	**318581.10**

[26] तीन अनुदानों, (1) वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति अनुदान (50,000 करोड़ रु.), (2) शिशु मृत्यु दर कमी अनुदान (5,000 करोड़ रु.) तथा (3) नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान (5,000 करोड़ रु.) के संबंध में तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यवार आबंटन नहीं किया है क्योंकि ये अनुदान उनके भावी प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे।

वित्तीय आयोग आधारित अंतरणों में बिहार का हिस्सा

पहले भी कहा गया है कि तेरहवें वित्त आयोग की कार्यावधि में बिहार को 14,602.87 करोड़ से भी अधिक रकम के अलावा केंद्रीय करों से 1,58,341.20 करोड़ रु. की राशि मिली है जिससे 2011-2015 की अवधि में कुल सुपुर्दगी 1,72,944.07 करोड़ रु. हो गई है। उसकी अनुशंसाओं के तहत कुल कर सुपुर्दगी में बिहार का हिस्सा 10.917 प्रतिशत है जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हिस्सा 11.028 प्रतिशत से कम है। पहले भी चिन्हित किया गया है कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत सूत्र समानकारी हो सकता है लेकिन यह समता लाने और राज्यों के बीच विषमता घटाने सिद्धांत के मामले में पूरा न्याय नहीं करता है क्योंकि यह गरीब राज्यों के खिलाफ जाता है। सहायता अनुदान का मापदंड भी उन राज्यों के खिलाफ जाता है जिन्होंने गत कुछ वर्षों के दौरान अपनी वित्त व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन किया है। इसके अलावा, अनुदानों को विभिन्न शर्तों के साथ जोड़कर यह स्थिति के सुधार की दिशा में बढ़ रहे बिहार जैसे गरीब राज्यों द्वारा स्वीकृत आर्थिक एजेंडा के पुनर्गठन का भी निर्देश देता है।

तालिका 7.81 में अंतिम छः वित्त आयोगों के तहत बिहार समेत बारह प्रमुख राज्यों को होने वाले कुल अंतरणों (अर्थात कर सुपुर्दगी और अनुदानों को मिलाकर) की तुलना की गई है। आसानी से देखा जा सकता है कि कुल अंतरणों में बिहार का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग के 13 प्रतिशत से भी अधिक से उत्तरोत्तर घटते हुए तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत मात्र 10.13 प्रतिशत रह गया है। यह गत 25 वर्षों के दौरान केंद्रीय संसाधनों से बिहार को दिया जाने वाला वस्तुतः सबसे कम हिस्सा है। राज्य को निश्चय ही कुछ अधिक मिलना चाहिए था।

तालिका 7.81 : वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कुल अंतरणों (कर सुपुर्दगी+अनुदान) का राज्यवार हिस्सा

(प्रतिशत)

राज्य	आठवां	नवां (1)	नवां (2)	दसवां	ग्यारहवां	बारहवां	तेरहवां
आंध्र प्रदेश	7.34	6.60	6.83	7.98	7.13	6.66	6.69
बिहार	**10.70**	**10.65**	**10.54**	**10.88**	**13.04**	**13.14**	**10.13**
गुजरात	3.77	3.19	3.50	3.92	2.76	3.39	3.15
हरियाणा	1.11	1.21	1.13	1.23	0.97	1.06	1.14
हिमाचल प्रदेश	1.96	1.86	1.75	2.10	1.72	1.91	1.27
कर्नाटक	4.38	4.22	3.83	4.64	4.53	4.16	4.36
महाराष्ट्र	6.68	6.71	5.85	6.05	4.46	4.79	5.37
पंजाब	1.64	2.04	1.58	1.58	1.25	1.70	1.51
राजस्थान	4.25	4.77	6.15	5.03	5.42	5.17	5.73
तमिलनाडु	6.25	6.38	5.85	5.89	4.97	4.85	4.89
उत्तर प्रदेश	15.47	15.83	16.46	15.95	18.05	19.27	18.29
पश्चिम बंगाल	8.74	6.99	6.99	6.61	8.10	6.73	6.91

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण तथा ऋण प्रबंधन

तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय में ''राजकोषीय समंजन के रोडमैप की समीक्षा करने तथा 2010-15 की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लाभों को बनाए रखने के लिहाज से उपयुक्त रूप से संशोधित रोडमैप

सुझाने'' की जरूरत जतलाई गई थी। उसमें ''केंद्र और राज्यों की वित्तव्यवस्था की स्थिति की, खास कर राज्यों के ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ) के कार्यसंचालन की समीक्षा करने'' की जरूरत भी जलताई गई थी। केंद्र द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा का आरंभ बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर किया गया था और उसने राज्यों के पक्ष में लोक ऋण की स्थिति में सुधार लाने में निस्संदेह महत्वपूर्ण योगदान किया था।

इस विचारार्थ विषय पर काम करते हुए तेरहवें वित्त आयोग ने दो मुख्य सूचकों - (1) संयुक्त राजकोषीय घाटा तथा (2) केंद्र और राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद के साथ बकाया ऋण का संयुक्त अनुपात - के लिहाज से केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों की संयुक्त वृहद-राजकोषीय स्थिति पर विचार किया। उसने दोनों लिहाज से सुधार पाया। जहां केंद्र और राज्यों की संयुक्त देनदारी 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के 92 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 82 प्रतिशत रह गई है, वहीं संयुक्त राजकोषीय घाटा सुधरकर इसी अवधि में 7.3 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत पर आ गया है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के साथ ऋण का अनुपात मुख्यतः 2008-09 में प्रतिकूल वृहदार्थिक परिस्थितियों के कारण बारहवों वित्त आयोग द्वारा अनुमानित लक्ष्य - 75 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। तेरहवें वित्त आयोग ने इस संबंध में 2014-15 तक हासिल करने के लिए 68 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 ने ''भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप न्यायोचित तथा दीर्घकालिक वृहदार्थिक स्थिरता हासिल करने'' के लिहाज से सरकारों की वित्तव्यवस्था के प्रबंधन हेतु लक्ष्य आधारित ढांचा उपलब्ध कराया था। भारत के 28 में से 26 राज्यों ने राजकोषीय अनुशासन और संशोधन की कुछ झलक देते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों को लागू कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले दो राज्य पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। यह संशोधन राज्यों के अपने करों तथा केंद्रीय करों में उनके बढ़े हिस्से, दोनों में बढ़ी उत्फुल्लता के कारण हासिल कर लिए गए हैं। पहले भी उल्लेख किया गया है कि बिहार ने इन दोनों लिहाज से अपनी वित्तव्यवस्था का काफी अच्छा प्रबंधन किया है।

तेरहवें वित्त आयोग ने माना है कि केंद्र का राजस्व घाटा समाप्त होना चाहिए और 2014-15 तक राजस्व अधिशेष में बदल जाना चाहिए। 31 मार्च 2010 तक केंद्रीय ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 54 प्रतिशत था और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत। तेरहवें वित्त आयोग ने 2014-15 तक केंद्र के लिए ऋण स्टॉक को लगातार घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 45 प्रतिशत तक और राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से नीचे लाना निर्धारित किया है ताकि वर्ष 2014-15 तक संयुक्त लक्ष्य को सकल राज्य उत्पाद के 68 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तैयार रोडमैप तालिका 7.82 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.82 : केंद्र और राज्यों के लिए समेकित राजकोषीय सुधार पथ

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय घाटा - राज्य	2.8	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4
राजकोषीय घाटा - केंद्र	6.8	5.7	4.8	4.2	3.0	3.0
राज्यों को दिया गया शुद्ध केंद्रीय ऋण	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राजकोषीय घाटा - समेकित	9.5	8.3	7.3	6.7	5.4	5.4
ऋण स्टॉक - राज्य	27.1	26.6	26.1	25.5	24.8	24.3
ऋण स्टॉक - केंद्र	54.2	53.9	52.5	50.5	47.5	44.8
राज्यों पर बकाया केंद्रीय ऋण	2.5	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3
समेकित ऋण	78.8	78.3	76.6	74.3	70.8	67.8

तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन पर भी जोर दिया है। ऐसा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाकर तथा यह सुनिश्चित करते हुए किया जा सकता है कि पैरामीटरों के मूल्यों 'सरकार की कार्रवाई के मामले में बहिर्जात' में बदलाव पर विचार किया जाय। उसे पारदर्शी बनाने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय बजट में कुछ अतिरिक्त प्रकटीकरणों का भी सुझाव दिया गया; जैसे योजना और गैर-योजना श्रेणियो में राज्यों के लिए अनुदानों का कुल ब्योरा, प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों का राजकोषीय प्रभाव, सार्वजनिक-निजी साझेदारी जनित देनदारियां आदि। केंद्र के लिए यह भी सुझाव दिया गया कि विनिवेश प्राप्तियों को भारतीय लोक लेखा में न अंतरित करके भारत की संचित निधि में रखा जाना चाहिए और राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए केंद्र द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, खास कर 2009-10 और 2010-11 में, राज्यों की राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को देश के अनेक राज्यों में भारी धक्के का सामना करना पड़ा। आयोग ने आशा की कि राज्य अपने राजकोषीय संशोधन पथ पर 2011-12 तक फिर से आ जाने में सक्षम होंगे और सभी राज्य 2014-15 तक अपना राजस्व घाटा समाप्त करके राजस्व अधिशेष कायम कर लेंगे। उसने अनुशंसा की कि सभी राज्यों को 2011-12 तक शून्य राजस्व घाटा का स्तर हासिल कर लेने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि 2004-05 तक बिहार के राजस्व लेखे में अच्छा-खासा अधिशेष सृजित हो रहा था जिसने राज्य को अर्थव्यवस्था में काफी उत्पादक निवेश में सक्षम बनाया। सामान्य श्रेणी के केवल तीन राज्य - केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ही राजस्व घाटा वाले हैं। आयोग ने अनुशंसा की कि जिन सामान्य श्रेणी के राज्यों ने 2007-08 तक राजस्व घाटा समाप्त कर दिया था या राजस्व अधिशेष सृजित करने लगे थे, उन्हें 2011-12 तक अपना राजकोषीय घाटा अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा में ले आना चाहिए और उसके बाद उसका यही स्तर बनाए रखना चाहिए। इस बात का उल्लेख किया जाा सकता है कि बिहार ने इन लक्ष्यों को पहले

ही हासिल कर लिया है। सामान्य श्रेणी के अन्य राज्यों को राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में ले लाने का लक्ष्य 2013-14 तक हासिल करने की जरूरत होगी। विशेष श्रेणी के राज्यों की बात करें, तो आयोग ने अनुशंसा की कि जिन राज्यों ने राजकोषीय घाटा अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा में ला रखा है, वे यह स्तर बनाए रखें, और अन्य राज्य (मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड) यह स्तर 2013-14 तक तथा कुछ अन्य राज्य (जम्मू एवं कश्मीर तथा मिजोरम) 2014-15 तक हासिल कर लें। अपना राजकोषीय सुधार पथ तय करने के लिए राज्यों को एफआरबीएम अधिनियम में सुधार/ अधिनियमन (एनैक्टमेंट) करना चाहिए और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य विशेषिक अनुदान तभी विमुक्त किए जाएंगे जब संबंधित एफआरबीएम अधिनियम से जुड़ी शर्तें पूरी हो जाएंगी। आयोग राजकोषीय सुधार पथ पर डटे रहने के लिए एफआरबीएम अधिनियमों के अधिनियमन/ संशोधन के प्रति बहुत दृढ़ था। साथ ही साथ, उसने अनुशंसा कि राज्यों द्वारा अपने एफआरबीएम अधिनियमों के अधिनियमन के अनुरूप राजकोषीय संशोधन प्रवर्तित करने में मदद के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र द्वारा स्वतंत्र समीक्षा/ अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। देश के सभी प्रमुख राज्यों के लिए ऋण : सकल राज्य घरेलू अनुपात में कमी हेतु रोडमैप तालिका 7.83 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.83 : बकाया ऋण : आधार वर्ष तथा भावी अनुमान

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	30.09	30.3	29.6	28.9	28.2	27.6
2	असम	28.1	28.2	28.3	28.4	28.4	28.5
3	बिहार	49.4	48.2	46.4	44.6	43.0	41.6
4	छत्तीसगढ़	21.3	22.0	22.5	23.0	23.5	23.9
5	गुजरात	30.1	29.4	28.8	28.1	27.6	27.1
6	हरियाणा	22.0	22.4	22.6	22.7	22.8	22.9
7	हिमाचल प्रदेश	52.1	49.7	47.0	44.4	42.1	40.1
8	झारखंड	29.0	29.0	28.5	27.8	27.3	26.9
9	कर्नाटक	25.9	26.2	26.0	25.7	25.4	25.2
10	केरल	33.2	32.8	32.3	31.7	30.7	29.8
11	मध्य प्रदेश	38.8	38.4	37.6	36.8	36.0	35.3
12	महाराष्ट्र	26.4	26.3	26.1	25.8	25.5	25.3
13	उड़ीसा	31.5	31.0	30.06	30.2	29.8	29.5
14	पंजाब	43.0	42.5	41.8	41.0	39.8	38.7
15	राजस्थान	41.5	40.4	39.3	38.3	37.3	36.5
16	तमिलनाडु	23.6	24.1	24.5	24.8	25.0	25.2
17	त्रिपुरा	44.9	45.2	44.9	44.6	44.2	43.8
18	उत्तर प्रदेश	49.9	48.7	46.9	45.1	43.4	41.9
19	उत्तराखंड	43.3	42.2	41.1	40.0	38.5	37.2
20	पश्चिम बंगाल	42.0	40.6	39.1	37.7	35.9	34.3
योग - सामान्य श्रेणी		**33.1**	**32.6**	**31.9**	**31.2**	**30.5**	**29.8**
योग - विशेष श्रेणी		**43.5**	**42.7**	**41.7**	**40.7**	**39.5**	**38.3**
कुल योग		**33.7**	**33.2**	**32.5**	**31.7**	**31.0**	**30.3**
सकल घरेलू उत्पाद के % में		**27.1**	**26.7**	**26.1**	**25.5**	**24.9**	**24.3**

इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसा अनुश्रवण राज्यों के सर्वोत्तम लाभ के लिए काम नहीं करेगा, खास कर गरीब राज्यों के लिए जिन्हें अपने खुद के राजकोषीय सुधार तंत्र की स्थापना और अनुसरण हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता देनी चाहिए।

राज्यों के लिए ऋण राहत

बारहवें वित्त आयोग ने यह विचार अपनाया था कि ऋण राहत के उपाय राज्यों द्वारा राजस्व संतुलन हासिल करने की पूर्वशर्त हैं। उसने राज्यों के ऋण स्टॉक की बेलगाम वृद्धि को सुरक्षित स्तर से ऊपर जाने से रोकने के लिए विशेष ऋण प्रदान करने के अलावा गुणात्मक और परिमाणात्मक उपायों पर भी ध्यान दिया था। इन उपायों से 2005 तक राज्यों के लगभग अप्रबंधनीय ऋण बोझों के प्रबंधन में निस्संदेह अंतर पड़ा था। एफआरबीएम अधिनियम के अधिनियमन और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक रोक रखने के साथ शर्तबद्ध ऋण राहत योजना ने बिहार को खास तौर से लाभ पहुंचाया है।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की जद में दो श्रेणी के अनुदान शामिल नहीं हुए थे – राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से दिए गए ऋण तथा राज्यों को वित्र मंत्रालय से इतर केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं या केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए दिए गए केंद्रीय ऋण।

<u>राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से दिए गए ऋण</u>

लघु बचत योजनाओं द्वारा जमा की गई सारी रकम को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है और जमाकर्ताओं द्वारा की जाने वाली सारी निकासियां कोष में संचित राशि में से की जाती हैं। शेष रकम का केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में उनके हिस्से के अनुरूप निवेश किया जाता है। ये प्रतिभूतियां 25 वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती हैं जिसमें से 5 वर्ष मूलधन हेतु ऋण-स्थगन अवधि होती है। विशेष प्रतिभूतियों पर एक ब्याज दर नियत होती है जिसे समय-समय पर केंद्र सरकार तय करती है। वर्तमान ब्याज दर 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है जो 2001-02 तक 13.5 प्रतिशत हुआ करती थी। उसे घटाकर 2007-08 में 10.5 प्रतिशत किया गया था। राज्य सरकार राज्य में किए गए शुद्ध लघु बचत संग्रह का 80 प्रतिशत तक ऋण ले सकती थी जिसकी सीमा 100 प्रतिशत भी हो सकती थी।

राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ऋण बारहवें वित्त आयोग द्वारा ऋण राहत की परिधि में आने से इस आधार पर बच गए थे कि उन्हें केंद्र सरकार के लोक लेखा में रखा जाता था और उसका निर्माण लघु बचत की लेनदेन को भारत की संचित निधि से अलग रखने के मकसद से किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 2006-07 तक निकालकर राज्यों को दिए गए तथा 2009-10 तक बकाया ऋणों को विहित तिथि में निर्धारित 10.5 प्रतिशत या 9.5 प्रतिशत के बजाय नए सिरे से तय करके 9 प्रतिशत कर दिया जाय। हालांकि भुगतान की समय सारणी अपरिवर्तित रहेगी। वर्ष 2009-10 तक बकाया ऋणों के आधार पर तेरहवें वित्त

आयोग की अवधि में अनुमानित कुल लाभ 13,517 करोड़ रु. होंगे। इस राशि में से 52 प्रतिशत ऋण केवल चार राज्यों - पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश द्वारा लिए गए हैं। आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि राष्ट्रीय लघु बचत योजना में संशोधन करके उसे लक्षक संरेखित योजना (मार्क एलाइंड स्कीम) बना दिया जाय। 31 मार्च 2010 तक बिहार के पास राष्ट्रीय लघु बचत कोष का बकाया ऋण 13,269.46 करोड़ रु. था। इस खाते में बिहार को मिलने वाली ब्याज राहत तालिका 7.84 में दर्शाई गई है। तेरहवीं योजनावधि में बिहार को मिलने वाली कुल ब्याज राहत 497.53 करोड़ रु. होगी।

तालिका 7.84 : बिहार को राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ऋण पर मिलने वाली ब्याज राहत

(करोड़ रु.)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-15
देय ब्याज	1194.25	1136.58	1069.39	1002.20	935.02	5337.44
ब्याज राहत	112.50	106.32	99.61	92.90	86.19	497.53

केंद्र प्रायोजित योजनाओं/ केंद्रीय योजनागत योजनाओं के लिए राज्यों को दिए गए केंद्रीय ऋण

योजनागत योजनाओं के लिए मिले वित्त मंत्रालय से इतर के केंद्रीय ऋणों की बात करें, तो 31.03.2008 तक बिहार के पास 107 करोड़ रु. का बकाया शेष था। इस मामले में सभी राज्यों पर बकाया ऋण 4,506 करोड़ रु. था। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि 2009-10 तक बकाया सारे ऋण माफ कर दिए जाय। उसने यह भी अनुशंसा की कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में केंद्र द्वारा राज्यों को ऋण देना पूरी तरह रोक दिया जाना चाहिए। हालांकि वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों के लिए, जो बाजार से ऋण लेने में असमर्थ हैं, केंद्र से ऋण लेने की एक खिड़की खुली रखी जानी चाहिए जैसा कि बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राहत उपाय इस शर्त के अनुपालन के अंग हैं कि राज्यों को एफआरबीएम अधिनियम अधिनियमित करने होंगे और अपने-अपने राजकोषीय संशोधन हेतु रोडमैप तैयार करना होगा। राहत मिलने में समय लगेगा और राज्यों का ऋण भार अल्पावधि में हल्का नहीं होगा। आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि ऋण राहत को वित्तीय लेखे में दर्ज किया जाय न कि गैर-कर राजस्व में क्योंकि इससे राज्य के गैर-कर राजस्व पर कृत्रिम स्फीति का प्रभाव पड़ेगा। इसकी बजाय उसने अनुशंसा की कि इसे ''इसका लेखाकरण इस प्रकार किया जाय कि यह राज्यों के राजस्व या राजकोषीय घाटे को कृत्रिम रूप से प्रभावित न करे।

निष्कर्ष

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए कुल सहायता अनुदानों में प्रचुर वृद्धि करने के अलावा विभाज्य करों की शुद्ध प्राप्तियों को प्रति वर्ष 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया है। बारहवें वित्त आयोग की तुलना में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उदग्र सुपुर्दगी 36 प्रतिशत अधिक है। लेकिन जब क्षैतिज सुपुर्दगी की बात आती है, तो

तेरहवां वित्त आयोग समता के सिद्धांत के साथ इन्साफ नहीं कर सका है। वित्तीय और राजकोषीय अनुशासन के प्रति अपने सम्मोहन में इसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है कि गरीब राज्यों को केंद्र से अधिक सहायता की जरूरत है, खास कर उन राज्यों को जो राजकोषीय चातुर्य और संशोधन के पथ पर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का हिस्सा ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के 14.6 प्रतिशत से घटकर बाहरवें वित्त आयोग के समय 11.0 प्रतिशत और उससे भी घटकर तेरहवें वित्त आयोग के समय 10.9 प्रतिशत रह गया है। इसका अर्थ तेरहवें आयोग की अवधि में लगभग 2,400 करोड़ रु. की हानि है। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में 3,000 करोड़ रु. की और झारखंड को 10,000 करोड़ रु. की हानि होगी, वहीं संपन्न राज्यों को अधिक हिस्सा मिलेगा। यह राज्यों के बीच व्याप्त विषमता दूर करने के मुद्दे से निश्चय ही नहीं निपटेगा जो सभी वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पीछे का निर्देशक सिद्धांत रहा है। कुल सहायता अनुदानों में बिहार का हिस्सा व्यवहारत: एक ही रहा है (बारहवें वित्त आयोग के 5.559 प्रतिशत के मुकाबले तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 5.647 प्रतिशत)।

जहां राज्यों के बीच विभाजन का सूत्र विवादित है, वहीं राजकोषीय अनुशासन और एफआरबीएम अधिनियम के प्रति सम्मोहन में आयोग ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि कठिन राजकोषीय परिस्थिति के कारण केंद्र को भी अंतिम दो वर्षों में विधान बनाकर एफआबीएम लक्ष्यों में वृद्धि करनी पड़ी थी। अपनी शिशुवत वित्तव्यवस्था के समंजन हेतु गरीब राज्यों को अधिक गुंजाइश मिलने की जरूरत है और भावी वित्त आयोगों को यह तथ्य याद रखना चाहिए। और अंत में, तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच विषमता के अत्यंत गंभीर मुद्दे की पूरी तरह उपेक्षा कर दी है जो अधिकांश सामाजिक अशांति के लिए संभवत: अंशत: जवाबदेह है। और यह स्थिति उत्तरोत्तर अधिक दृश्य होती जा रही है। इस बात का उल्लेख किया ही जाना चाहिए कि विषमताओं का वर्तमान स्तर चाहे राज्यों के बीच हो या उनके अंदर, वे उन कारकों की उपज हैं जो राज्यों के नियंत्रण के बाहर हैं और अधिकांश मामलों में तो विरासत में मिले हैं। इस संबंध में पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराए बिना इनसे निपटने के लिए राज्यों को पूरी तरह उत्तरदायी ठहराना कत्तई उचित नही है।

परिशिष्ट 1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2006-07 और 2007-08

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	मूल्यवर्धित कर		केंद्रीय बिक्री कर		मनोरंजन कर		उत्पाद शुल्क	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
पटना विशेष	123664.92	151225.41	5598.77	3350.22	0.00	0.00	6061.44	6149.33
पाटलिपुत्र	28953.35	37628.80	342.50	140.41	0.00	4.03	0.00	0.00
केंद्रीय प्रभाग	**152618.27**	**188854.21**	**5941.27**	**3490.63**	0.00	**4.03**	**6061.44**	**6149.33**
पटना पश्चिम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पटना केंद्रीय	4735.87	6929.07	110.61	91.53	63.54	138.65	0.00	0.00
गांधी मैदान	3085.34	3904.04	117.42	110.00	174.26	147.01	0.00	0.00
पटना दक्षिण कदमकुआं	3134.29	4096.37	59.19	69.46	36.45	36.15	0.00	0.00
पटना सिटी पूर्व	1789.00	1891.68	144.83	64.76	0.68	1.52	0.22	0.00
पटना सिटी पश्चिम	1386.39	1935.80	33.58	48.72	18.62	17.08	0.00	0.01
दानापुर	1407.51	2446.17	76.55	85.93	8.04	7.50	0.00	0.00
बाढ़	6628.96	5830.71	83.08	39.63	8.47	8.37	0.75	0.70
शाहाबाद	734.23	1231.77	2.90	3.38	17.97	25.29	0.00	10.68
बक्सर	549.18	760.34	3.07	12.33	11.52	10.44	0.00	0.00
बिहारशरीफ	575.20	1001.50	13.42	5.28	17.69	20.18	0.00	0.00
पटना प्रभाग	**24025.94**	**30027.45**	**644.65**	**531.02**	**357.24**	**412.19**	**0.97**	**11.39**
सासाराम	995.44	1242.33	32.43	46.18	23.00	20.74	3.50	2.04
भभुआ	330.85	376.90	4.86	2.68	10.13	6.58	0.00	0.08
गया	1418.80	1747.36	58.59	190.45	45.17	45.53	0.00	0.00
जहानाबाद	196.89	356.74	1.86	0.31	0.69	0.71	0.00	0.00
नवादा	441.81	523.51	1.36	0.32	6.99	7.21	0.00	0.01
औरंगाबाद	402.36	720.86	22.84	27.87	6.87	11.97	0.00	0.00
गया प्रभाग	**3786.15**	**4967.70**	**121..94**	**267.81**	**92.85**	**92.74**	**3.50**	**2.13**
सारण	655.11	890.06	1.42	0.10	24.96	25.59	0.00	0.00
सीवान	725.64	987.66	1.87	0.59	11.97	11.87	0.01	0.00
गोपालगंज	594.60	687.58	70.88	48.94	14.16	11.76	8.75	12.63
मुजफ्फरपुर पूर्व	3835.97	4990.14	110.89	101.85	22.17	24.73	1.96	1.45
हाजीपुर	725.90	1191.37	23.50	15.78	30.53	36.91	0.00	0.13
सीतामढ़ी	840.59	1197.53	23.20	21.83	37.02	30.19	1.12	3.80

परिशिष्ट 1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2006-07 और 2007-08 (जारी)

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	मूल्यवर्धित कर		केंद्रीय बिक्री कर		मनोरंजन कर		उत्पाद शुल्क	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
मोतिहारी	753.32	958.92	9.16	7.88	32.24	29.85	0	0
रक्सौल	222.3	218.45	14.9	19.1	8	7.78	0	0
बेतिया	767.05	1007.43	22.18	25.65	21.6	22.73	7.76	9.19
बगहा	146.93	347.31	57.4	32.29	6.44	5.98	4.05	3.89
तिरहुत प्रभाग	**9267.41**	**12476.45**	**340.4**	**274.01**	**209.09**	**207.39**	**23.65**	**31.09**
सहरसा	438.34	741.4	1.28	1.13	15.95	15.78	0	0
मधेपुरा	191.19	462.47	0.07	0	4.29	3.3	0	0
पूर्णिया	730.18	1183.53	106.22	103.68	19.26	41.34	0.06	0.07
कटिहार	1086.82	2003.71	84.91	115.15	18.86	20.31	4.49	6.14
फार्बिसगंज	393.98	603.54	18.08	15.72	5.05	5.74	0.01	0
किशनगंज	418.42	564.96	28.39	23.06	5.39	5.61	0.72	0.2
खगड़िया	317.97	470.88	1.81	1.83	9.81	8.09	0	0.1
पूर्णिया प्रभाग	**3576.9**	**6030.49**	**240.76**	**260.57**	**78.61**	**100.17**	**5.28**	**6.51**
लखीसराय	324.77	428.5	2.49	13.4	5.34	4.59	0	0
मुंगेर	464.78	857.75	16	18.01	4.4	3.67	21.95	34.21
जमुई	338.64	456.91	1.61	1.53	5.5	5.9	0	0
भागलपुर	1705.98	2535.44	10.8	5.23	42.38	40.34	0	0
भागलपुर प्रभाग	**2834.17**	**4278.6**	**30.9**	**38.17**	**57.62**	**54.5**	**21.95**	**34.21**
दरभंगा	1316.29	1852.26	5.71	8.25	62.9	52.1	0	0
समस्तीपुर	1177.44	1454.86	102.15	57.16	22.27	15.53	7.02	20.44
दलसिंगसराय	104.08	90.94	0.83	5.64	3..25	3.28	0	0
मधुबनी	585.28	856.22	6.43	9.38	15.65	15.14	0.01	0.01
झंझारपुर	244.96	241.76	0.92	0.94	1.57	2.02	0.01	0
बेगूसराय	662.65	983.48	154.02	208.05	24.15	22.93	121.71	120.82
तेघड़ा	172.52	179.4	425.23	251.05	6.46	5.88	2.7	4.19
दरभंगा प्रभाग	**4263.22**	**5658.92**	**695.29**	**540.47**	**136.25**	**116.88**	**131.45**	**145.46**
योग	**200372.06**	**252293.82**	**8015.21**	**5402.68**	**931.66**	**987.9**	**6248.24**	**6380.12**

परिशिष्ट 1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2006-07 और 2007-08 (जारी)

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	विज्ञापन कर		विलासिता कर		प्रवेश कर		योग	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
पटना विशेष	0	0	0	0	25905.12	30309.13	161230.25	191034.09
पाटलिपुत्र	0	0	0	0	21208.68	25976.76	50504.53	63750
केंद्रीय प्रभाग	0	0	0	0	**47113.8**	**56285.89**	**211734.78**	**254784.09**
पटना पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0
पटना केंद्रीय	0.15	0.27	82.47	129.55	1203.19	1518.07	6195.83	8807.14
पटना उत्तर	0	0	0	0	0	0	0	0
गांधी मैदान	0.31	0.35	68.76	104.6	486.1	790.77	3932.19	5056.77
पटना दक्षिण कदमकुआं	0.03	0.02	6.03	6.47	1041.78	1558.67	4277.77	5767.14
पटना सिटी पूर्व	0	0	0	0	625.51	798.93	2560.24	2756.89
पटना सिटी पश्चिम	0	0	0	0	858.38	381.19	2296.94	2382.8
दानापुर	0	0	0	0	323.63	474.01	1815.73	3013.61
बाढ़	0	0	0.2	0.12	366.1	3195.31	7087.56	9074.84
शाहाबाद	0	0	1.17	0.45	139.93	300.3	896.2	1571.87
बक्सर	0	0	0.42	0.51	11.24	10.18	575.43	793.8
बिहारशरीफ	0	0	5.48	11.25	114.92	132.15	726.71	1170.36
पटना प्रभाग	**0.49**	**0.64**	**164.53**	**252.95**	**5170.78**	**9159.58**	**30364.6**	**40395.22**
सासाराम	0	0	0.6	0.89	762.87	972.57	1817.84	2284.75
भभुआ	0	0	1.01	1.29	147.17	173.43	494.02	560.96
गया	0	0	41.97	58.85	810.69	1044.11	2375.22	3086.3
जहानाबाद	0	0	0.03	0.02	1.48	5.67	200.95	363.45
नवादा	0	0	0.21	0.08	184.49	235.96	634.86	767.09
औरंगाबाद	0	0	0.11	0.01	56	113.96	488.18	874.67
गया प्रभाग	0	0	**43.93**	**61.14**	**1962.7**	**2545.7**	**6011.07**	**7937.22**
सारण	0	0	0.37	0.13	183.55	201.78	865.41	1117.66
सीवान	0	0	1.85	0.34	440.38	466.39	1181.72	1466.85
गोपालगंज	0	0	1.09	0.29	79.26	113.47	768.74	874.67
मुजफ्फरपुर पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर पूर्व	0	0	5.76	4.92	1115.14	1344.99	5091.89	6468.08
हाजीपुर	0	0	0	0	465.85	501.66	1250.78	1745.85
सीतामढ़ी	0	0	0.16	0.06	110.27	188.46	1012.36	1441.87

परिशिष्ट 1 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2006-07 और 2007-08 (जारी)

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	विज्ञापन कर		विलासिता कर		प्रवेश कर		योग	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
मोतिहारी	0	0	1.34	0.41	99.69	152.22	895.75	1149.28
रक्सौल	0	0	0.29	0.15	14.33	25.64	259.82	271.12
बेतिया	0	0	0.89	0.59	183.84	276.38	1003.32	1341.97
बगहा	0	0	0.06	0.04	42.15	0.14	257.03	389.65
तिरहुत प्रभाग	0	0	**11.81**	**6.93**	**2734.46**	**3271.13**	**12586.82**	**16267**
सहरसा	0	0	2.43	1.34	84.61	104.27	542.61	863.92
मधेपुरा	0	0	0.61	0.19	0.32	1.26	196.48	467.22
पूर्णिया	0	0	4.27	1.78	338.1	368.76	1198.09	1699.16
कटिहार	0	0.07	4.58	1.32	348.36	557.14	1548.02	2703.84
फार्बिसगंज	0	0	0.87	0.43	16.2	67.5	434.19	692.93
किशनगंज	0	0	0.47	0.1	55.27	49.66	508.66	643.59
खगड़िया	0	0	0.71	0.14	9.51	14.98	339.81	496.02
पूर्णिया प्रभाग	**0**	**0.07**	**13.94**	**5.3**	**852.37**	**1163.57**	**4767.86**	**7566.68**
लखीसराय	0	0	0	0	117.41	147.14	450.01	593.63
मुंगेर	0	0	1.54	1.21	992.31	1394.5	1500.98	2309.35
जमुई	0	0	0.12	0.05	89.74	116.44	435.61	580.83
भागलपुर	0	0	6.41	5.57	5332.27	7014.99	7097.84	9601.57
भागलपुर प्रभाग	0	0	**8.07**	**6.83**	**6531.73**	**8673.07**	**9484.44**	**13085.38**
दरभंगा	0	0	5.27	1.87	291.13	336.97	1681.3	2251.45
समस्तीपुर	0	0	0.55	0.51	146.76	256	1456.19	1804.5
दलसिंगसराय	0	0	0.03	0.01	0.9	1.4	109.09	101.27
मधुबनी	0	0	0.94	0.27	56.34	68.22	664.65	949.24
झंझारपुर	0	0	0.03	0.02	2.18	2.85	249.67	247.59
बेगूसराय	0	0	0.53	0.39	14246.72	16072.57	15209.78	17408.24
तेघड़ा	0	0	0.22	0.17	86.94	90.95	694.07	531.64
दरभंगा प्रभाग	0	0	**7.57**	**3.24**	**14830.97**	**16828.96**	**20064.75**	**23293.93**
योग	**0.49**	**0.71**	**249.85**	**336.39**	**79196.81**	**97927.9**	**295014.32**	**363329.52**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 2 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2008-09 और 2009-10

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	मूल्यवर्धित कर		केंद्रीय बिक्री कर		मनोरंजन कर		उत्पाद शुल्क	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
पटना विशेष	178212.72	209979.90	3054.41	1570.25	0.00	0.00	5275.05	6184.00
पाटलिपुत्र	46895.82	57808.59	249.79	320.73	48.44	204.09	0.00	0.00
केंद्रीय प्रभाग	**225108.54**	**267788.49**	**3304.20**	**1890.98**	**48.44**	**204.09**	**5275.05**	**6184.00**
पटना पश्चिम	4729.67	6759.64	33.14	35.67	142.28	241.18	0.00	0.00
पटना केंद्रीय	4665.23	5808.43	74.80	72.23	2.28	1.91	0.00	0.00
पटना उत्तर	4569.46	6570.44	32.08	38.70	141.13	153.38	0.00	0.00
गांधी मैदान	1331.49	1947.22	60.21	66.77	0.00	0.00	0.18	0.07
पटना दक्षिण	3620.23	5234.65	28.34	30.51	2.56	2.47	0.00	0.00
कदमकुआं	1551.85	1902.64	25.14	42.65	28.11	11.42	0.00	0.00
पटना सिटी पूर्व	2553.34	3427.29	40.54	45.27	1.14	0.85	2.09	2.24
पटना सिटी पश्चिम	2808.28	4122.79	63.51	54.28	15.39	15.03	0.01	0.00
दानापुर	3625.67	7405.10	17.21	61.70	8.46	11.30	0.00	0.00
बाढ़	6689.03	7798.03	43.10	56.02	8.28	9.88	0.92	2.20
शाहाबाद	1286.51	1524.14	7.60	4.70	25.36	20.69	1.25	1.97
बक्सर	711.88	1059.50	25.78	8.47	10.59	15.32	0.00	0.00
बिहारशरीफ	1328.94	1967.47	11.68	21.96	20.83	23.79	0.00	0.00
पटना प्रभाग	**39471.58**	**55527.34**	**463.13**	**538.93**	**406.41**	**507.22**	**4.45**	**6.48**
सासाराम	1593.94	2676.04	74.16	37.93	22.43	19.21	76.06	0.51
भभुआ	509.56	814.05	2.96	33.90	5.62	3.33	0.03	0.03
गया	2467.28	3271.88	127.10	177.21	51.05	53.62	12.93	0.07
जहानाबाद	567.48	753.94	0.37	0.66	0.78	0.85	0.00	0.00
नवादा	665.61	891.65	0.87	0.39	8.14	9.38	0.19	0.01
औरंगाबाद	823.35	1394.16	53.97	10.10	8.04	7.03	0.00	0.11
गया प्रभाग	**6627.22**	**9801.72**	**259.43**	**260.19**	**96.06**	**93.42**	**89.21**	**0.73**
सारण	1066.37	1806.90	0.14	0.04	21.25	22.72	0.19	0.56
सीवान	1270.24	1797.77	2.92	3.74	8.75	10.15	0.00	0.03
गोपालगंज	918.74	1293.48	6.36	2.49	14.27	11.72	52.82	6.20
मुजफ्फरपुर पश्चिम	4473.29	5411.47	37.37	67.63	17.53	24.54	1.54	4.75
मुजफ्फरपुर पूर्व	1354.21	1901.51	48.91	52.16	15.30	25.38	2.22	4.88
हाजीपुर	1754.34	3369.56	35.52	96.93	42.10	45.31	0.09	0.41
सीतामढ़ी	1441.70	1848.51	16.45	14.30	34.72	47.79	50.64	0.16

परिशिष्ट 2 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2008-09 और 2009-10 (जारी)

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	मूल्यवर्धित कर		केंद्रीय बिक्री कर		मनोरंजन कर		उत्पाद शुल्क	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
मोतिहारी	1270.12	1791.49	3.32	8.26	32	32.97	0.01	0.01
रक्सौल	223.11	258.36	11.57	11.20	8.91	9.77	0	0.00
बेतिया	1550.1	2187.64	6.45	5.50	21.08	21.49	10.25	18.98
बगहा	515.29	558.59	2.47	10.20	5.68	6.83	140.04	1.31
तिरहुत प्रभाग	**15837.5**	**22225.28**	**171.48**	**272.45**	**221.59**	**258.67**	**257.8**	**37.29**
सहरसा	969.89	1666.27	1.24	0.99	16.15	18.96	0	0.00
मधेपुरा	408.03	681.44	0	0.00	2.22	3.20	0	0.00
पूर्णिया	1558.91	2395.85	131.61	127.65	34.57	32.01	42.48	0.03
कटिहार	2214.52	2726.49	22.69	14.34	26.07	32.83	1.49	1.28
फार्बिसगंज	607.61	721.38	37.66	26.87	10.46	6.19	0	0.00
किशनगंज	644.05	695.84	25.09	23.88	6.42	3.95	0.15	0.05
खगड़िया	598.71	757.37	1.25	3.89	8.55	8.59	0.13	0.65
पूर्णिया प्रभाग	**7001.72**	**9644.64**	**219.54**	**197.62**	**104.44**	**105.73**	**44.25**	**2.01**
लखीसराय	539.63	709.08	10.06	5.95	4	2.72	0	0.00
मुंगेर	972.37	1237.26	15.31	18.29	6.68	4.85	30.44	32.39
जमुई	636.64	917.65	0.53	0.91	3.97	5.15	0	0.00
भागलपुर	2624.06	3133.64	10.91	8.08	41.45	48.94	0.02	0.15
भागलपुर प्रभाग	**4772.7**	**5997.63**	**36.81**	**33.23**	**56.1**	**61.66**	**30.46**	**32.54**
दरभंगा	2622.99	3350.54	10.12	5.87	43.38	46.88	0.02	0.21
समस्तीपुर								
दलसिंगसराय	1575.51	2037.56	61.79	68.53	22.63	24.17	12.95	6.56
मधुबनी	969.35	1299.55	8.44	5.82	14.39	16.18	0.01	0.00
झंझारपुर	319.68	478.81	0.83	0.78	2.16	1.35	0.4	0.65
बेगूसराय	1247.76	2082.21	60.33	509.23	24.56	35.50	1113.77	117.62
तेघड़ा	169.44	268.52	19.7	54.05	6.13	5.62	0.17	0.37
दरभंगा प्रभाग	**6904.73**	**9517.19**	**161.21**	**644.28**	**113.25**	**129.70**	**1127.32**	**125.41**
योग	**305724**	**380502.29**	**4615.8**	**3837.68**	**1046.29**	**1360.49**	**6828.54**	**6388.46**

परिशिष्ट 2 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2008-09 और 2009-10 (जारी)

(लाख रु.)

अंचल/ प्रभाग का नाम	विज्ञापन कर		विलासिता कर		प्रवेश कर		योग	
	2008- 09	2009-10	2008- 09	2009-10	2008- 09	2009-10	2008- 09	2009-10
पटना विशेष	0	0.00	0	0.00	42133.05	59515.07	228675.2	277249.2
पाटलिपुत्र	0	0.00	0	0.00	31454.87	42109.72	78648.92	100443.1
केंद्रीय प्रभाग	0	**0.00**	0	**0.00**	**73587.92**	**101624.79**	**307324.2**	**377692.4**
पटना पश्चिम	0.87	2.47	131.11	156.40	1089.1	1367.42	6126.17	8562.78
पटना केंद्रीय	6.94	7.39	4.89	5.59	1097.66	1624.94	5851.8	7520.49
पटना उत्तर	6.14	27.14	28.99	29.91	646.18	1178.04	5423.98	7997.61
गांधी मैदान	4.43	3.84	80.26	94.31	407.32	638.78	1883.89	2750.99
पटना दक्षिण	0.07	0.05	0.49	0.48	1398.83	2010.32	5050.52	7278.48
कदमकुआं	0	0.00	6.59	7.01	442.62	448.09	2054.31	2411.81
पटना सिटी पूर्व	0	0.00	0	0.00	1218.41	1385.03	3815.52	4860.68
पटना सिटी पश्चिम	0	0.00	0	0.00	602.2	867.67	3489.39	5059.77
दानापुर	0	0.00	0	0.00	743.15	1347.28	4394.49	8825.38
बाढ़	0	0.00	0	0.00	6448.59	3827.50	13189.92	11693.63
शाहाबाद	0	0.00	0.81	0.90	373.64	464.60	1695.17	2017
बक्सर	0	0.00	0.3	0.26	37.35	87.22	785.9	1170.77
बिहारशरीफ	0	0.00	12.69	15.89	188.56	301.28	1562.7	2330.39
पटना प्रभाग	**18.45**	**40.89**	**266.13**	**310.75**	**14693.61**	**15548.17**	**55323.76**	**72479.78**
सासाराम	0	0.00	0.61	0.61	917.92	656.22	2685.12	3390.52
भभुआ	0	0.00	0.88	1.19	189.35	273.62	708.4	1126.12
गया	0	0.00	42.45	60.79	1189.39	1470.22	3890.2	5033.79
जहानाबाद	0	0.00	0	0.00	9.73	12.74	578.36	768.19
नवादा	0	0.00	0.01	0.00	177.89	59.81	852.71	961.24
औरंगाबाद	0	0.03	0.02	0.02	277.41	263.20	1162.79	1674.65
गया प्रभाग	0	**0.03**	**43.97**	**62.61**	**2761.69**	**2735.81**	**9877.58**	**12954.51**
सारण	0	0.00	0.16	0.34	215.74	230.81	1303.85	2061.37
सीवान	0	0.00	0.68	0.44	425.61	382.49	1708.2	2194.62
गोपालगंज	0	0.00	0.49	0.35	79.71	56.09	1072.39	1370.33
मुजफ्फरपुर पश्चिम	0	0.00	3.31	3.15	1357.96	2296.98	5891	7808.52
मुजफ्फरपुर पूर्व	0	0.00	0.01	0.00	635.31	744.28	2055.96	2728.21
हाजीपुर	0	0.00	0	0.00	743.65	829.57	2575.7	4341.78
सीतामढ़ी	0	0.00	0.04	0.41	204.3	241.07	1747.85	2152.24

परिशिष्ट 2 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2008-09 और 2009-10 (जारी)

अंचल/ प्रभाग का नाम	विज्ञापन कर		विलासिता कर		प्रवेश कर		योग	
	2008- 09	2009-10	2008- 09	2009-10	2008- 09	2009-10	2008- 09	2009-10
मोतिहारी	0	0	0.2	0.37	357.23	558.52	1662.88	2391.62
रक्सौल	0	0	0	0	31.17	49.9	274.76	329.23
बेतिया	0	0	0.68	0.84	397.5	420.75	1986.06	2655.2
बगहा	0	0	0	0	77.5	48.11	740.98	625.04
तिरहुत प्रभाग	0	0	**5.57**	**5.9**	**4525.68**	**5858.57**	**21019.63**	**28658.16**
सहरसा	0	0	1.29	1.58	77.47	73.68	1066.04	1761.48
मधेपुरा	0	0	0.05	0.1	1.65	3.78	411.95	688.52
पूर्णिया	0	0	2.13	1.91	677.26	996.75	2446.96	3554.2
कटिहार	0.08	0	1	1.99	789.7	927.92	3055.55	3704.85
फार्बिसगंज	0	0	0.25	0.35	109.38	293.37	765.36	1048.16
किशनगंज	0	0	0.07	0.04	167.21	212.43	842.99	936.19
खगड़िया	0	0	0.16	0.12	44.34	127.39	653.14	898.01
पूर्णिया प्रभाग	**0.08**	0	**4.95**	**6.09**	**1867.01**	**2635.32**	**9241.99**	**12591.41**
लखीसराय	0	0	0	0	191.71	117.73	745.4	835.48
मुंगेर	0	0	1.8	0.89	1528.94	2829.87	2555.54	4123.55
जमुई	0	0	0	0.1	142.53	161.86	783.67	1085.67
भागलपुर	0.01	0.03	5.6	5.03	8068.15	9852.36	10750.2	13048.23
भागलपुर प्रभाग	**0.01**	**0.03**	**7.4**	**6.02**	**9931.33**	**12961.82**	**14834.81**	**19092.93**
दरभंगा	0	0	2.58	2.57	430.29	513.67	3109.38	3919.74
समस्तीपुर								
दलसिंगसराय	0	0	1.01	0.54	339.44	1051.98	2013.33	3189.34
मधुबनी	0	0	0.38	0.44	107.57	265.85	1100.14	1587.84
झंझारपुर	0	0	0	0	8.8	10.1	331.87	491.69
बेगूसराय	0	0	0.08	0.45	19993.63	17413.51	22440.13	20158.52
तेघड़ा	0	0	0.4	1.35	156.76	151.01	352.6	480.92
दरभंगा प्रभाग	0	0	**4.45**	**5.35**	**21036.49**	**19406.12**	**29347.45**	**29828.05**
योग	**18.54**	**40.95**	**332.47**	**396.72**	**128403.7**	**160770.6**	**446969.4**	**553297.2**

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट 3 : अधिनियम-वार/ अंचलवार संग्रहण - 2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक) (लाख रु.)

अंचल का नाम	मूल्यवर्धित कर	केंद्रीय बिक्री कर	मनोरंजन कर	उत्पाद शुल्क	विज्ञापन कर	विलासिता कर	प्रवेश कर	योग
पटना विशेष	112117.43	1585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	37589.36	151291.95
पाटलिपुत्र	34633.93	235.76	136.37	0.00	0.00	0.00	16254.87	51260.93
केंद्रीय प्रभाग	**146751.36**	**1820.92**	**136.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53844.23**	**202552.88**
पटना पश्चिम	3840.97	13.49	152.49	0.00	10.37	102.27	793.51	4913.10
पटना केंद्रीय	3673.89	42.32	1.82	0.00	2.88	6.59	1215.02	4942.52
पटना उत्तर	3888.96	26.68	48.59	0.00	9.01	33.66	764.26	4771.16
गांधी मैदान	1252.33	27.52	0.00	0.06	5.92	56.65	364.21	1706.69
पटना दक्षिण	3698.34	20.98	1.07	0.00	0.01	0.00	1476.33	5196.73
कदमकुआं	1203.28	8.58	0.50	0.00	0.00	3.84	258.37	1474.57
पटना सिटी पूर्व	1681.19	37.28	0.53	0.34	0.00	0.00	846.49	2565.83
पटना सिटी पश्चिम	2933.29	31.33	8.93	0.00	0.00	0.00	546.21	3519.76
दानापुर	5386.57	8.64	5.79	0.00	0.00	0.00	660.09	6061.09
बाढ़	4640.09	77.33	6.77	0.71	0.00	0.07	1891.54	6616.51
शाहाबाद	689.84	2.90	11.64	0.00	0.00	0.71	217.24	922.33
बक्सर	629.84	5.13	11.60	0.00	0.00	0.15	47.48	694.20
बिहारशरीफ	1069.22	1.34	17.56	0.00	0.00	5.18	178.09	1271.39
पटना प्रभाग	**34587.81**	**303.52**	**267.29**	**1.11**	**28.19**	**209.12**	**9258.84**	**44655.88**
सासाराम	1677.56	30.36	11.91	0.00	0.00	0.50	248.33	1968.66
भभुआ	413.79	11.69	5.30	0.00	0.00	0.63	90.63	522.04
गया	1923.38	94.71	31.80	0.00	0.00	20.83	932.54	3003.26
जहानाबाद	341.63	0.89	0.53	0.00	0.00	0.00	2.53	345.58
नवादा	511.27	0.24	6.47	0.00	0.00	0.00	32.76	550.74
औरंगाबाद	699.67	1.44	2.16	0.02	0.00	0.03	123.33	826.65
गया प्रभाग	**5567.30**	**139.33**	**58.17**	**0.02**	**0.00**	**21.99**	**1430.12**	**7216.93**
सारण	932.14	0.32	12.82	0.53	0.00	0.32	104.78	1050.91
सीवान	954.01	2.23	6.11	0.05	0.00	0.01	231.62	1194.03
गोपालगंज	546.53	2.17	5.22	0.00	0.00	0.05	14.92	568.89
मुजफ्फरपुर पश्चिम	3040.61	79.31	14.44	1.14	0.00	2.50	1370.29	4508.29
मुजफ्फरपुर पूर्व	1036.70	23.41	16.29	1.18	0.00	0.00	278.36	1355.94
हाजीपुर	2572.01	60.68	32.49	0.01	0.00	0.00	487.45	3152.64
सीतामढ़ी	941.80	6.61	28.23	0.00	0.00	0.15	127.23	1104.02
मोतिहारी	944.70	1.51	19.71	0.00	0.00	0.23	382.21	1348.36
रक्सौल	151.83	5.10	6.55	0.00	0.00	0.00	28.22	191.70
बेतिया	1299.06	4.03	14.21	1.45	0.00	0.52	285.10	1604.37
बगहा	317.08	3.15	4.62	0.16	0.00	0.00	26.36	351.37
तिरहुत प्रभाग	**12736.47**	**188.52**	**160.69**	**4.52**	**0.00**	**3.78**	**3336.54**	**16430.52**
सहरसा	993.62	0.07	14.81	0.00	0.00	1.17	69.61	1079.28
मधेपुरा	289.68	0.00	2.09	0.00	0.00	0.16	35.52	327.45
पूर्णिया	1394.33	49.54	17.02	0.03	0.00	1.73	934.54	2397.19
कटिहार	1539.19	7.68	21.42	1.00	0.00	1.99	448.73	2020.01
फार्बिसगंज	751.81	6.27	4.05	0.00	0.00	0.45	97.94	860.52
किशनगंज	426.81	51.53	3.07	0.07	0.00	0.06	145.21	626.75
खगड़िया	414.63	0.61	5.47	0.07	0.00	0.14	76.15	497.07
पूर्णिया प्रभाग	**5810.07**	**115.70**	**67.93**	**1.17**	**0.00**	**5.70**	**1807.70**	**7808.27**
लखीसराय	283.46	1.63	2.13	0.00	0.00	0.00	69.03	356.25
मुंगेर	702.86	8.58	0.95	17.89	0.00	0.29	1573.84	2304.41
जमुई	389.98	0.07	3.77	0.00	0.00	0.11	42.33	436.26
भागलपुर	1788.52	8.52	35.47	0.00	0.00	3.61	5496.46	7332.58
भागलपुर प्रभाग	**3164.82**	**18.80**	**42.32**	**17.89**	**0.00**	**4.01**	**7181.66**	**10429.50**
दरभंगा	1779.60	3.27	33.22	0.00	0.00	0.99	292.23	2109.31
समस्तीपुर	1186.69	108.34	15.58	2.93	0.00	0.28	230.00	1543.82
मधुबनी	770.29	2.60	11.99	0.01	0.00	0.35	228.90	1014.14
झंझारपुर	211.57	0.22	0.34	0.25	0.00	0.00	2.78	215.16
बेगूसराय	1054.96	33.48	15.80	73.36	0.00	0.11	10549.11	11726.82
तेघड़ा	126.90	23.40	3.25	0.38	0.00	0.50	88.48	242.91
दरभंगा प्रभाग	**5130.01**	**171.31**	**80.18**	**76.93**	**0.00**	**2.23**	**11391.50**	**16852.16**
राज्य	**213747.84**	**2758.10**	**812.95**	**101.64**	**28.19**	**246.83**	**88250.59**	**305946.14**

परिशिष्ट 4 : जिलावार दस्तावेजों की सं., स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क से राजस्व 2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)

जिला	दस्तावेजों की सं.	निबंधन शुल्क (करोड़ रु.)	स्टांप शुल्क (करोड़ रु.)	कुल प्राप्ति (करोड़ रु.)	लक्ष्य (करोड़ रु.)	प्राप्ति लक्ष्य के % में	प्रति दस्तावेज प्राप्ति (रु.)
पटना	43133	23.88	83.43	107.31	267.50	40.12%	24879
नालंदा	14181	3.37	10.25	13.61	38.30	35.54%	9599
रोहतास	12942	3.88	10.68	14.56	36.20	40.21%	11247
कैमूर	6773	1.96	5.52	7.48	16.70	44.78%	11041
बक्सर	7497	2.58	7.27	9.85	22.40	43.95%	13133
भोजपुर	13196	3.77	10.67	14.43	32.50	44.41%	10938
गया	15989	5.16	15.57	20.73	63.30	32.75%	12967
औरंगाबाद	11032	3.08	8.66	11.74	29.90	39.26%	10640
जहानाबाद	4394	1.15	3.43	4.58	13.60	33.70%	10432
अरवल	3183	0.72	1.85	2.58	5.65	45.59%	8093
नवादा	8927	1.62	4.67	6.29	16.80	37.46%	7049
सारण	16999	3.91	12.09	16.00	37.25	42.96%	9414
सीवान	18499	4.83	13.19	18.02	44.10	40.87%	9742
गोपालगंज	16074	4.04	10.73	14.77	35.60	41.49%	9189
मुजफ्फरपुर	27544	8.09	20.89	28.98	68.10	42.55%	10520
सीतामढ़ी	22211	5.14	12.99	18.13	38.20	47.46%	8162
शिवहर	3520	0.70	1.93	2.63	6.80	38.62%	7460
पश्चिम चंपारण	24387	4.96	13.89	18.84	44.50	42.35%	7727
पूर्वी चंपारण	31639	6.99	19.10	26.09	63.40	41.15%	8247
वैशाली	15048	5.10	15.06	20.16	48.40	41.65%	13395
दरभंगा	18342	4.48	12.17	16.65	44.05	37.81%	9080
समस्तीपुर	20517	3.89	10.30	14.18	45.30	31.31%	6913
मधुबनी	23000	4.95	13.15	18.10	42.46	42.64%	7871
सहरसा	9233	1.75	5.22	6.96	17.50	39.79%	7542
सुपौल	9517	1.75	5.07	6.83	18.50	36.91%	7175
मधेपुरा	9964	1.89	5.01	6.90	18.76	36.80%	6929
पूर्णिया	21867	4.80	13.44	18.24	42.00	43.43%	8341
अररिया	17889	2.73	7.43	10.16	21.80	46.59%	5677
किशनगंज	11280	2.06	5.89	7.95	18.60	42.72%	7044
कटिहार	20777	3.37	9.07	12.44	31.20	39.87%	5987
भागलपुर	15779	5.87	17.12	22.99	49.70	46.26%	14572
बांका	8156	2.09	5.72	7.81	17.60	44.36%	9574
मुंगेर	4450	1.32	3.95	5.27	11.70	45.00%	11832
लखीसराय	5105	1.17	3.34	4.51	10.60	42.52%	8829
बेगूसराय	12338	3.86	10.90	14.76	43.06	34.27%	11961
जमुई	7798	1.55	4.35	5.91	13.70	43.11%	7575
खगड़िया	8333	1.90	5.07	6.97	16.60	41.98%	8364
शेखपुरा	3701	0.68	1.97	2.65	7.70	34.46%	7170
योग	545214	145.04	421.02	566.06	1400.03	40.43%	10382

स्रोत : निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, बिहार सरकार